Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Patron

Shri Rajendra Prasad Gupta
RAS (Rtd.), Govt. of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Editor in Chief

Dr. Pankaj Gupta
Lecturer, Govt. P.G. College, Chimanpura, Shahpura, Jaipur (Raj.)

Editors

Dr. Sanjay Kedia
Asst. Principal, IIERD, Jaipur (Raj.)

Dr. Archana Bansal
Lecturer, Govt. S.S. School, Jaipur (Raj.)

Co-Editors

Dr. Shiv Kumar Mishra
Lecturer, Govt. P.G. College, Kota (Raj.)

Dr. Shikha Sharma
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Ms. Deepshikha Parashar
Assistant Professor, The IIS University, Jaipur (Raj.)

Advisory Board

Prof. P.N. Shastry
Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

Prof. Kaushal Kishore Mishra
Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)

Prof. Miroljub Jevtic
University of Belgrade, Belgrade

Prof. Rajeev Gupta (Rtd.)
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. T. Srinivasu
RTM University, Nagpur (Maharashtra)

Prof. K.G. Sharma
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. P.S. Bhatnagar (Rtd.)
University of Rajsthan, Jaipur (Raj.)

Prof. B.L. Fadia (Rtd.)
JNV University, Jodhpur (Raj.)

Dr. Vimal Prasad Agarwal
Ex-Chairman, RBSE, Ajmer (Raj.)

Prof. M. Pareek (Rtd.)
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Inakshi Chaturvedi
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. S.K. Sharma
Chaudhary Charan Singh University, Meerut (U.P.)

Research Reinforcement

(A Bilingual & Half Yearly Refereed Journal of Multidisciplinary Research)

Editorial Board

Dr. Auronodaya Bajpai
Head, Dept. of Political Science
Agra College, Agra (U.P.)

Dr. Pradeep Parasher
Lecturer, Dept. of Chemistry
Govt. P.G. College, Jhalawar (Raj.)

Dr. Rashmi Jain
Associate Professor, Dept. of Sociology
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Abhay Upadhyaya
Associate Professor, Dept. of ABST
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. Ghanshyam Lal Bairwa
Principal
R.R. College, Alwar (Raj.)

Dr. Jitendra Agarwal
Principal
Govt. S.S. College, Mahapura, Jaipur (Raj.)

Dr. R. C. Agarwal
Head, Dept. of Economics
Govt. B.S.R. Arts College, Alwar (Raj.)

Dr. S.P.S. Rathore
Head, Dept. of Botany
Govt. P.G. College, Kotputali, Jaipur (Raj.)

Dr. Neelam Upadhyaya
Deputy Director, Sarva Shiksha Abhiyan
Govt. of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Dr. Naveen Gautam
Lecturer, Dept. of Chemistry
Govt. P.G. College, Kotputali, Jaipur (Raj.)

Dr. Ashok Kumar Gupta
Lecturer, Dept. of Georaphy
Govt. B.S.R. Arts College, Alwar (Raj.)

Dr. Narendra Ishtawal
Lecturer, Dept. of Hindi
Govt. College, Jaipur (Raj.)

Dr. Yogendra Dixit
Lecturer, Political Science
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Jammu (J & K)

Dr. Ravindra Tailor
Editor
Shodh Shree, Jaipur (Raj.)

Shakti Singh Shekhawat
Lecturer, Dept. of Political Science
Govt. P.G. College, Chimanpura, Jaipur (Raj.)

Virendra Sharma
Lecturer, Dept. of History
Govt. Girls P.G. College, Ajmer (Raj.)

Dr. Sitaram Choudhary
Lecturer, Dept. of Political Science
Govt. P.G. College, Chimanpura, Jaipur (Raj.)

Dr. Avdhesh Sharma
Lecturer, Dept. of Sanskrit
Govt. P.G. College, Chimanpura, Jaipur (Raj.)

Dr. Kapil Kumar Anand
Lecturer, Dept. of Political Science
S.S. Jain Subodh P.G. College, Jaipur (Raj.)

Dr. Mukesh Verma
Assistant Professor, Dept. of Political Science
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Vandana Sachdeva
Assistant Professor, Dept. of Management Studies
The IIS University, Jaipur (Raj.)

Amit Gupta
Dept. of Political Science
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Contents

S.No.	Particulars	Page No.
1.	**A Study of the Impact of Programmed Instruction on the Achievement of English of Secondary Level Students** Dr. Sanjay Kedia	**1**
2.	**Role of Micro Finance in India** Dr. Manu Chaudhary, Manoj Kumar and Dr. Renu Chaudhary	**6**
3.	**Development of Hydro Electric Projects and Environmental Issues in Himachal Pradesh** Dr. Kewal Krishan	**12**
4.	**Translating Narratives: Indians Exploring Indianness in Diaspora** Dr. Nipun Chaudhary	**20**
5.	**Microfinance & Poverty Reduction in India** Dr. Lalit Kumar Nagora	**25**
6.	**Sexual Harassment of Working Women at Workplace** Dr. Vijay Laxmi Sharma	**30**
7.	**Issues before India and Africa with special reference to Indian Ocean** Dr. Raj Kumar Bairwa	**35**
8.	**Application of Natural Justice in Administrative Action in India** Dr. Rekha	**41**
9.	**Manifestation of Rajasthan Folk Art-Mandana** Dr. Amita Raj Goyal and Ms. Alpana Rai	**51**
10.	**The Role of Internet in Promoting Child Pornography** Kiran Raj	**56**
11.	**Information: Seeking Behaviour of Research Scholars in ICT Environment** Reena Anand and Dr. Umesh Kumar Agarwal	**60**
12.	**Spiritual Intellligence and Gender as Predictors of Happiness and Purpose in Life in Youth** Dr. Megha Arya	**64**
13.	**Financing of Higher Education In India** Ravinder Kaur	**69**

S.No.	Particulars	Page No.
14.	**Human Rights Law for the Marginalized Groups: In and Beyond Borders** Purvanshi Singh and Sonal Vyas	74
15.	**Irretrievable Breakdown of Marriage: An Emerging Ground of Divorce** Mayank Pratap Singh	82
16.	**Affirmative Action and Dr. Ambedkar** Dr. Manju Singh and Harish Kumar	86
17.	**Concept of Participation** Dr. Khamosh Meena	91
18.	**भारतीय लोकतंत्र और मुक्तिबोध का काव्य-संसार** डॉ. जगदीश गिरी	95
19.	**संस्कृत वाङ्मय में वर्णित संस्कार और उनका मानव जीवन पर प्रभाव** डॉ. प्रदीप कुमार कौण्डल	99
20.	**भारत में सरोगेसी एवं महिला हित : सम्भावनाएँ, चुनौतियाँ एवं समाधान** नरेन्द्र कुमार परेवा	106
21.	**नगरीय समाज में बढ़ रही सोशल नेटवर्किंग** आशीष शर्मा	110
22.	**गाँधीवादी संघर्ष निवारण सिद्धान्त** डा. रुचि मिश्रा	114
23.	**पलकां शैलचित्रों का पुरातात्विक व कलात्मक महत्व** वीरेन्द्र शर्मा एवं डॉ. रवीन्द्र टेलर	118
24.	**बालश्रम: मानवाधिकार के लिए गंभीर चुनौती** देशराज यादव	121
25.	**युद्ध काव्य में शांति की आकांक्षा : कुरुक्षेत्र और अंधा युग** डॉ. रेणु व्यास	126
26.	**माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का राष्ट्रवादी संप्रत्यय** डॉ. विश्राम मीना	131
27.	**भारतीय संविधान के सड़सठ वर्ष : एक मूल्यांकन** चैनाराम मुंदलिया एवं डॉ. ओमप्रकाश शर्मा -प्रथम	135
28.	**शेखावाटी के भित्ति चित्रों में रंग संयोजन** डॉ. चार्वी महला	139
29.	**भूमण्डलीय ऊष्मीकरण : प्रभाव एवं निदान** अनिल कुमार	143

S.No.	Particulars	Page No.
30.	**पंचायती राज में जन सहभागिता** डॉ. कन्हैया लाल मीना	148
31.	**नारी, संन्यास और बौद्ध भिक्षुणी संघ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन** डॉ. रितु पूनिया	152
32.	**वैश्विक स्तर पर महिला कामगारों के मानवाधिकारों का संप्रत्य** डॉ. मुकेश कुमार	157
33.	**भारत की विदेश नीति : विश्व में उभरते नवीन सन्दर्भ** डॉ. विनी शर्मा	160
34.	**भारतीय प्रशासन को सुशासन बनाने में ई-गवर्नेंस की भूमिका** विमला ज्ञानानी	164
35.	**भारतीय राजनीति और लोकतन्त्र** डॉ. रामजी लाल स्वामी	169
36.	**प्राचीन भारत में विधवा नियोग : एक विश्लेषणात्मक विवेचन** डॉ. निर्मला कुमारी मीणा	173
37.	**चौधरी चरणसिंह के शैक्षणिक एवं नैतिक विचार** डॉ. हरगोविन्द सिंह	182
38.	**गाँधीय चिंतन : प्रासंगिकता व उपादेयता** मनीष गंगावत	187
39.	**बाल गंगाधर तिलक : राष्ट्रवादी स्वर** भूमिका चौधरी	190
40.	**उदारीकरण व वैश्वीकरण के दौर में भारत में लोक सेवाएँ** मंजु सारण	195
41.	**74वां संविधान संशोधन : नगरीय स्थानीय स्वशासन का वैधानिक एवं संस्थागत स्वरूप** डॉ. इराम खान	199
42.	**महिलाओं के प्रति हिंसा- राजस्थान में महिलाओं के मौलिक अधिकारों की स्थिति का अध्ययन** डॉ. अल्पना पारीक	205

A Study of the Impact of Programmed Instruction on the Achievement of English of Secondary Level Students

Dr. Sanjay Kedia

Assistant Principal
ICG Institute of Educational Research & Development, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

English, in India has acclaimed acceptance widely over the years and there is no denying fact that it continuously occupies an edge over the other languages spoken or dealt in daily use of a large group of population. Therefore to motivate English learning, we need to use innovative method. The innovative learning through Programmed Instruction promote learning as the content becomes easy so teachers should use their knowledge in an innovative manner so as to make the child acquainted with thorough knowledge and to develop their skill. It has been observed that performance of the students taught by innovative method like Programmed Instruction was higher than the students taught by traditional method which indicate that the Programmed Instruction impact significantly on all kind of children as there is the advantage of learning at once own pace.

Keywords: *Programmed Instruction, Achievement, Innovative Method, Traditional Method*

Introduction

The Radhakrishan University Education Commission observed "English is a language which is rich in literature humanistic, scientific and technical. If under sentimental urges we should give up English, we would cut ourselves off from the living stream of ever flowing knowledge."[1]

English is rapidly becoming a world language. It has been rightly been described as a window on the rapid progress of technology and scientific knowledge that is constantly taking place in the world. English is the only means of preventing our isolation from the world. We will act unwisely if we allow ourselves to be enveloped in the folds of a dark curtain of ignorance. English is a progressive language having its past, present and future. It has evolved over a very long period of time. It is a dynamic language with tremendous following in the free world.[2]

English is an international language, spoken in many countries both as a native and as a second or foreign language. It is taught in the school in almost every country on this earth. It is a living and vibrant language spoken by over 30 million people as their native language. Millions more speak it as an additional language.[3]

English is spoken habitually in the United States, Britain, Ireland, Canada, Australia, New Zeeland, The Republic of South Africa, Liberia and many territories under the United Kingdom and the United States of America. It is estimated that 300 million people speak English as a second language and an additional 100 million people use it fluently as a foreign language. English is the chief foreign language in the schools of Europe, South America, Asia and Africa.[4]

At present there is not a single language which can be compared to the position occupied by English as the international language. This is so, even through more people in the world speak Chinese than English as their native language.[5]

English is learned everywhere because people have found out that knowledge of English is a

passport for better career, better pay, advanced knowledge and for communication with the entire world. English is also learned for the literature it possesses and for the variety and rich experience it provides. English has replaced French as the language of diplomacy. In this computer age, English is bound to expand its domains of use everywhere.[6]

Rationale of the Problem

English language is an easy means of communication in the international sphere of life. It is the language, which can easily be understood in different parts of the world. At present, it has become a language of universal culture, which embraces so many departments of knowledge. According to N.L. George "Teaching is a form of inter-personal influence aimed at changing the behaviour potential of another person."[7]

Therefore to motivate learning of English, which being a foreign language, we need to use innovative methods. The innovative learning should and will promote learning as the content becomes easy and interesting. Since the grammatical concept of Active and Passive voice is an important part of written and spoken English and its innovative way of teaching by Programmed Instruction makes the content easy and interesting for the students to comprehend the rules and use it in their daily life therefore, the researcher has taken the study, with the use of the method of programmed learning.

Statement of the Problem

A study of the impact of Programmed Instruction on the Achievement of English of secondary level students.

Objectives of the Research

The objectives of the research are as follows:

1. To test the general level of performance of high school students of std. VII and VIII in their concept of Active and Passive Voice.
2. To prepare and present the remedial programme for the pupils of std. VII and VIII as the control group for the action of remedial teaching.
3. To find the difference between the performance of the pupils taught by Traditional medhod of teaching and programmed Instruction method.
4. To find the errors with written English with the usage of Active and Passive Voice.
5. To improve the written English for communication purposes.
6. To develop interest in learning of rules used in Active and Passive Voice with the Programmed Instruction method.

Hypothesis of the Research

These are the hypothesis of the research:

1. There is no significant difference between the achievement in pre-test of experimental group and control group.
2. There is no significant difference between the achievement in pre-test and post-test of the control group.
3. There is no significant difference between the achievement in the pre-test and post-test of the experimental group.
4. There is no significant difference between the achievement in post-test of experimental group and control group.

Method uses in the study

The researcher used the experimental research method for the present study.

Population and sample

The researcher took 200 students of std. VII and VIII of a CBSE affiliated school as population.

The researcher has taken the sample from a group comprises of students of class VII and VIII consisting 200 students. On the basis of a pre-test, 50 students securing 90% and above has been taken as sample of the study and they formed the experimental as well as control group. By the lottery method 25 students has been taken for experimental group wherein they were taught by the programmed Instruction and rest 25 students formed the control group taught by conventional method.

Tool used in the study

To collect the data for the present study a standardized tool "Programmed Instructional of Linear Programme on Active-Passive Voice (LPAPV) by Dr. Punita Govil was used.

Statistical Technique used

The researcher used the following statistical techniques to reach to a conclusion[8]:

(i) Percentage
(ii) Mean
(iii) Standard deviation
(iv) t-value

Testing of Hypothesis

Table 1: Testing of Hypothesis-1
Achievement of the Pre-test of Experimental and Control Group

Group	N	M	S.D.	t-value	Significance
Experimental Group	25	27.64	0.88	0.72	In Significant
Control Group	25	27.48	0.75		

t-value for df(48) at 0.05 level of Significance = 1.96
t-value for df(48) at 0.01 level of significance = 2.58

From the table 1, we see that the mean and standard deviation for Pre-test of Experimental group are 27.64 and 0.88 respectively. Whereas, that of the Control group the mean and standard deviation are 27.48 and 0.75 respectively.

The calculated t-value is 0.72. The t-value at 0.05 level of significance for degree of freedom at 48 is 1.96 and the t-value at 0.01 level of significance for the degree of freedom at 48 is 2.58.

Since the calculated t-value is less than the tabular value even at 0.01 level of significance. Therefore, we accept the hypothesis at 0.05 level of significance. Hence our hypothesis that there is no significant difference between the achievement of the Pre-test of Experimental group and control group is accepted.

Table 2: Testing of Hypothesis-2
Achievement of the Pre-test and Post-test of control group.

Test	N	M	Percentage of Mean score	S.D.	t-value	Significance
Pre-test	25	27.48	91.6	0.75	2.54	Significant
Post-test	25	23.87	91.81	2.12		

t-value for df(48) at 0.05 level of Significance = 1.96
t-value for df(48) at 0.01 level of significance = 2.58

From the table 2, we see that the mean and standard deviation for Pre-test of control group are 27.48 and 0.75 respectively. Whereas, that of the Post-test the mean and standard deviation are 27.87 and 2.12 respectively.

The calculated t-value is 12.54. The t-value at 0.05 level of significance for degree of freedom at 48 is 1.96 and the t-value at 0.01 level of significance for the degree of freedom at 48 is 2.58.

Since the calculated t-value is greater than the tabular value even at 0.01 level of significance. Therefore, we reject the hypothesis at 0.05 level of significance. Hence our hypothesis that there is no significant difference between the achievement of the Pre-test and Post-test of control group is rejected.

It means that there is a significant difference between the achievement of the students in Pre-test and Post-test of Control group.

Table 3: Testing of Hypothesis-3
Achievement of the Pre-test and Post-test of Experimental group.

Test	N	M	Percentage of Mean score	S.D.	t-value	Significance
Pre-test	25	27.64	92.13	0.88	11.46	Significant
Post-test	25	24.2	93.07	1.29		

t-value for df(48) at 0.05 level of Significance = 1.96

t-value for df(48) at 0.01 level of significance = 2.58

From the table 3, we see that the mean and standard deviation for Pre-test of experimental group are 27.64 and 0.88 respectively. Whereas, that of the Post-test the mean and standard deviation are 24.2 and 1.29 respectively.

The calculated t-value is 11.46. The t-value at 0.05 level of significance for degree of freedom at 48 is 1.96 and the t-value at 0.01 level of significance for the degree of freedom at 48 is 2.58.

Since the calculated t-value is greater than the tabular value even at 0.01 level of significance. Therefore, we reject the hypothesis at 0.05 level of significance. Hence our hypothesis that there is no significant difference between the achievement of the Pre-test and Post-test of experimental group is rejected.

Table 4: Testing of Hypothesis-4
Achievement of the Post-test of Experimental and Control Group

Group	N	M	S.D.	t-value	Significance
Experimental Group	25	24.2	1.29	4.76	Significant
Control Group	25	23.87	2.12		

t-value for df(48) at 0.05 level of Significance = 1.96

t-value for df(48) at 0.01 level of significance = 2.58

From the table 4, we see that the mean and standard deviation for Post-test of Experimental group are 24.2 and 1.29 respectively. Whereas, that of the Control group the mean and standard deviation are 23.87 and 2.12 respectively.

The calculated t-value is 4.76. The t-value at 0.05 level of significance for degree of freedom at 48 is 1.96 and the t-value at 0.01 level of significance for the degree of freedom at 48 is 2.58.

Since the calculated t-value is greater than the tabular value even at 0.01 level of significance. Therefore, we reject the hypothesis at 0.05 level of significance. Hence our hypothesis that there is no significant difference between the achievement of the Post-test of Experimental group and control group is rejected.

Results and Conclusion

- According to table-1, we can say that there is no significant difference between the Pre-test of experimental group and that of the control group. As the students who scored 90% and above were only taken for the study, as per the demand of the standardized tool. Therefore, the achievement of students in English do not have much difference if, they be provided with the same teaching and learning environment.
- According to table-2, we can draw a conclusion that there is a significant difference between the achievement of Pre-test and Post-test of the control group. As per the calculated mean we can say that the traditional method of teaching can also be fruitful if it is taught through teaching aids like charts, OHP etc.
- According to table-3, we can say that there is significant difference between the Pre-test and Post-test of the experimental group. As per the calculated mean we can say that there had been a definite improvement made in the achievement of experimental group,

after they were taught by the innovative method of Programmed Instruction.

- According to table-4, we can conclude that there is significant difference between the Post-test of experimental group and control group. As per the calculated mean we can say that the experimental group had made an improvement over the control group after the former being taught by Programmed Instruction. Therefore the achievement of experimental group was higher than that of the control group.

Educational Implications

Programmed learning is among the latest techniques in the sphere of learning. It teaches the learner in a manner aimed at developing his power of logical thought. Besides, it stimulates the student's interest in learning and it keeps him actively engaged in the learning process. Some of its educational implications are:-

- This method should be used for gifted children as the guidance material is ordered in such a manner that the speed as well as the profundity of learning is vastly increased with the result that proper understanding of the content will be generated and the students motivation will be increased.
- It is an effort made to achieve the fixed objectives. Therefore, it is useful for teachers to prepare the examination papers in view with the objectives framed.
- It can be used for higher-level education as there is the advantage of learning at once own pace and understanding.
- It can be used in areas where teacher are unavailable, like villages. The programmed material can be given to the students of two or three classes and supervised by a teacher.
- It helps in the modification of the learner's behaviour, therefore it can be used for distance learning also.
- In programmed instruction, the students undergo continuous evaluation so it can be used for preparing students for competitive exams in a short span of time.
- The material to be taught should be arranged according to the objectives determined before hand so it saves time and energy of teachers. There is no variation in the content taught in two different sections of the same class.
- The teacher would be able to complete the course keeping In mind the objectives of the material provided, as it retains a logical or rational sequence.
- The primary education demands the application of this strategy to provide in-service teacher training in content area and pedagogy. Preparation for teachers of primary and nursery school can be done.
- The programme of adult education functional literacy can be made effective by using this strategy.
- They are useful for professional courses where there are rapid advancements in every now and then.
- It can be used in the 'night schools' for adult education where teachers are not easily available.

References

1. Sharma, R.A. (2007). *Teaching of English*. Meerut: R. Lal Book Depot, p. 13.
2. Allen, Harold. (1965). *Teaching English as a Second Language – A Book of Readings*. MC Graw Hill Book Co.: New York, pp.47-48.
3. Cohen, D.W. (1994). *The Combing of History.* Chicago: University of Chicago Press, pp. 60-62.
4. Bigelow, Gordon, E. and David, P. Harris. (1960). *Reading English as a Second Language*. United States of America: Holt, Rinehart and Winston, pp. 92-94.
5. Marckwardt, Albert. (1960). *Introduction to the English Language*. New York: Oxford University Press, pp. 85-86.
6. Finoechiaro, Marry. (1964). *English as a Second Laguage : From Theory to Practice*. New York: Regents Publishing Co., Inc., pp. 59-63.
7. Bose, Kshanika. (1992). *Teaching of English – A Modern Approach*. New Delhi: Daoba House, pp. 32.
8. Lindquist, E.F. (1968). *Statistical Analysis in Educational Research*. Bombay: Oxford Publishing Company, pp. 103-109.

Role of Micro Finance in India

Dr. Manu Chaudhary

Former Assistant Professor of Management, Beehive College
Dehradun (Uttarakhand)

Manoj Kumar

Second in Command, BSF, Researcher CPCS

Dr. Renu Chaudhary

Lecturer, Academy of Management Studies, Dehradun (Uttarakhand)

Abstract

Micro financing produces many benefits for poverty stricken, or low- income households. One of the benefits is that it is very accessible. Banks today simply won't extend loans to those with little to no assets, and generally don't engage in small size loans typically associated with micro financing. Through micro financing small loans are produced and accessible. Micro financing is based on the philosophy that even small amounts of credit can help end the cycle of poverty. Another benefit produced from the micro financing initiative is that it presents opportunities, such as extending education and jobs. The micro finance played a major role in the mobilization of savings and promoting economic development. In the post financial sector reforms (1991) phase, the performance and strength of the banking structure improved perceptibly. Financial soundness of the Indian commercial banking system compares favorably with most of the advanced and emerging countries. Since 1991, the size of the Indian economy in terms of GDP at market prices has increased by almost fifteen times, whereas the household financial savings have expanded by sixteen times and the gross domestic savings by almost seventeen times during the same period but in this growth the contribution of Rural India is negligible . There is the immense need of development in rural areas as without rural development India cannot become a developed economy this can only be achieved through micro financing and making rural population self dependent . This article attempted at highlighting the need and challenges of Micro finance in India.

Keywords: *Micro Finance, NGOs, Rural Upliftment, Self Help Groups*

Introduction

"Poverty is the absence of all human rights. The frustrations, hostility and anger generated by abject poverty cannot sustain peace in any society."

—Muhammad Yunus

Microfinance is a type of banking service that is provided to unemployed or low-income individuals or groups who would otherwise have no other means of gaining financial services. Ultimately, the goal of microfinance is to give low income people an opportunity to become self-sufficient by providing a means of saving money, borrowing money and insurance. Micro financing is not a new concept. Small micro credit operations have existed since the mid 1700s. Although most modern microfinance institutions operate in developing countries, the rate of payment default for loans is surprisingly low, more than 90% of loans are repaid. Like conventional banking operations, microfinance institutions must charge their lenders interests on loans. While these interest rates are generally lower than those offered by normal banks, some opponents of this concept condemn microfinance operations for making profits off of the poor. The World Bank estimates that there are more than 500 million people who have directly or indirectly benefited from microfinance-related operations.[1]

There are a number of microfinance companies in India, which play some pivotal roles to the development of India. India's microfinance sector is fragmented with more than 3000 microfinance companies (MGIs), NGOs and NGO-MFIs. Considering the world success on microfinance, the Government of India has also taken some initiatives like:-

- Setting up of the Rashtriya Mahila Kosh to refinance microfinance activities of NGOs
- Encouraging National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to set targets for the self-help group (SHG) - Bank linkage programme
- Emergence of SIDBI Foundation for Micro-Credit as a financier of microfinance institutions (MFIs)
- Setting up of Regional Rural Banks all over India
- The pronouncements of the Reserve Bank of India (RBI) from time to time -such as (i) including lending to SHGs as a part of priority sector targets (ii) exempting non-profit companies doing microfinance from registering as an NBFC (Non-bank financial company) (iii) permitting the establishment of local area banks (now withdrawn)
- Routing some poverty oriented schemes such as the Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) through SHGs
- The initiatives of various state governments in promoting schemes such as Swa-Shakti (Gujarat), Velugu (Andhra Pradesh)
- Setting up of North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi) specifically or the development of NER of India.

The central government has established all these bodies like NABARD, RRBs, Co-operative Banks, and NEDFi to reach the rural poor and help them by providing the risk capital at a subsidized rate. The micro credit experience of the last three decades worldwide has shown that the poor can be as creditworthy as the rich. The poor's lack of collateral can be overcome with joint liability within a group of borrowers. This concept of this joint liability has resulted in very high repayment rates. Micro finance institutions have consistently reported repayments upwards of 95% in a number of developing countries. The NPAs (Non Performing Assets) of the micro financial institutions are much less than that of the formal banking system. Thus we see that microfinance is emerging as a developmental tool worldwide for the rural poverty alleviation and if managed legitimately, can bring a positive socio-economic change to the society. [2]

History of Microfinance in India

India is said to be the home of the one third of the world's poor. Official statement ranges from 26 to 50% of the more than one billion population .About 87% of the poorest household do not have access to credit. Traditionally banks and financial institution do not lend money to low income individuals. IT was due to following reason: High transaction cost and processing, Lack of collateral or guarantors, Gap in communication and lack of confidence in bank, Doubt of bank of the repayment capacity, Lack of access of financial infrastructure and services in remote areas. In India, the history of microfinance dates back to establishment of Syndicate Bank in 1921 in private sector. During the early years, Syndicate Bank concentrated on raising micro deposits in the form of daily/weekly basis and sanctioned micro loans to its clients for shorter period of time. But microfinance came to limelight only when Dr Yunus gave it a mass movement in Grameen Bank experiment. Microfinance can be called a novel approach to provide saving and investment facility to the poor around world. Improved access and efficient provision of savings, credit, and insurance facilities in particular can enable the poor to smoothen their consumption, manage their risks better, gradually build their asset base, develop their business, enhance their income earning capacity, and enjoy an improved quality of life. In India, microfinance mainly operates through Self Help Group (SHGs), Non Government Organizations (NGOs), and Credit Agencies. It provides poor people with the means to find their own way

out of poverty. It put the power squarely in their hands, giving them a larger stake in their own success than one –time donation of food, goods, or cash. The initiatives of Government for poverty alleviation could not succeed to the desired level, may be due to the fact that they do not take cognizance of power of the poor to deal with their own problems. Government tries to help them by way of subsidies and other help but these initiatives hardly reduce their poverty levels and are not a long term solution. This section of society if given with guidance, power of capital and productive assets can emerge as the successful entrepreneur. This can easily be achieved by empowering them with power of microcredit. The poor do not have any worthy asset base. Hence they have to be provided with mortgage free loan It has been proved beyond doubt from Grameen Bank experiment.

The system of microfinance was introduced about 28 years back with an organization of Grameen Bank in Bangladesh by a famous economist Prof. Mohammed Yunus. He observed that most villagers were unable to obtain credit at reasonable rates. So he began to lend them money from his own pocket, allowing the villagers to buy materials for projects like weaving bamboo tools and making pots). Ten years later, Dr Yunus had set up Grameen Bank as a project in one of the village in Bangladesh in 1976 to assist poor families by providing credit to them. Today micro-finance has been widely spread all over the world as an effective tool to poverty eradication.[3]

Microfinance tool against poverty

Micro-finance is tool against poverty by enabling the beneficiaries to:

- Create sustainable activities to increase their income.
- Reduce external shocks
- Improve living condition of entrepreneurs and their family
- Empowerment and mainly women.

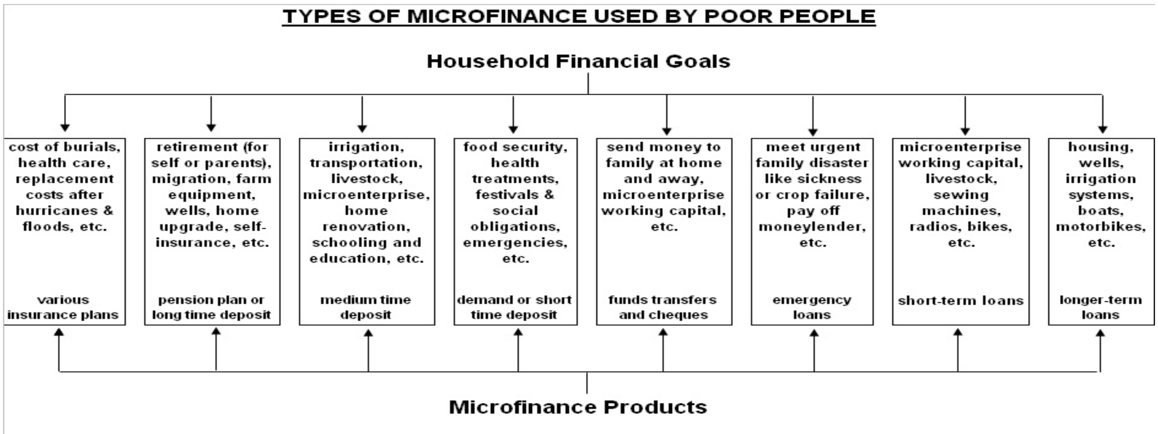

Source: Brett Matthews, Mathwood Consulting Company.

Example of Increase in employment and income

Case Study 1—A different experience is reported from India, where NABARD, the National Bank for Agriculture and Rural Development, has promoted the establishment of about 1.6 million self-help groups (SHGs) of the rural poor and their linkages with some 36,000 bank branches. The approach, referred to as SHG Banking, is applied all over India: in marginal as well as high-potential areas. Numerous NGOs and government organizations are involved in social mobilization and non-financial services. An example is Bharatiya Agro Industries Foundation (BAIF) Development Research Foundation an NGO which has helped some 13,000 tribal families, who are among the disadvantaged in India, to cross the poverty line: (i) through sustainable agri-

horti-silvicultural production on 12,000 acres of rehabilitated lands and (ii) through commodity processing. Against a historical background of the direct sale of raw materials, six vertically integrated layers of production, processing and marketing were established in remote forest areas: (i) individual farm households for basic production on wastelands, (ii) small farmer groups for procurement and grading, (iii) community organisations (Gram Vikas Mandals) for the establishment of community processing facilities, (iv) village planning committees for the organisation and coordination of activities, (v) regional cooperatives for finishing and packaging; and (vi) an apex organisation for federated marketing. BAIF acted as a resource and technology sourcing agency, introduced streamlined systems, provided managerial backup services, and facilitated credit and market linkages. The two major products where producers took control of the full commodity chain were mangoes and cashews. In the case of mangoes, procurement and grading alone added 20% value. In a second step the raw mangoes are cut into pieces and semi-pickled at village level, which are then brought to the final pickling stage by cooperatives, where they packaged and forwarded to a Producer Company for federated marketing. Value addition through processing contributed substantially to a sustainable increase in employment and income.[4]

Example of Facilitating Livelihoods

Case Study 2—Sulochana Mahila SHG in Silora Panchayat in Rajsathan is one of fighting against all odds and making a mark as poor rural women grooming as real entrepreneurs. The composition of this group in itself is unique as it consists of Jats, Brahmins and Baniyas working together for common good. Their village being very backward with not many natural endowments to bank upon, they had limited livelihood options to resort to supplement their income. The SHG started grinding small quantities of spices like turmeric, coriander and red chilies and marketing the powder in the local market. With the scale of operation being tiny and without resorting to technology, their profit margins were less and market highly tilted against them. With members given technical training in agro-processing and a larger loan the group is now engaged in sorting, cleaning, processing, weighing, packing and marketing functions and together they could service the local markets of Ajmer and Pushkar and soon their turnover started showing a steady upward leap. Today, every member of the Group earns at least Rs. 2500 p.m. from this group activity while the consumers are assured of quality products.[5]

Microfinance and Women empowerment

Women Empowerment is very important issues in developing countries. **A case study of the District Bahawalpur** (Pakistan) shows that women empowerment is considerably influenced by age, education of husband, father inherited assets, marital status, number of sons alive and amount of microfinance. The study decomposes data into two subsets showing where the loan is utilized by women themselves and where the loan is utilized by other members of the household, like husband, father or head of household. It is concluded that females using loan by themselves have better effects of microfinance on empowerment as compared to the loans utilized by other members of the household. It is generally considered that the volume of loan provided to women contribute a lot towards the empowerment. In this case it was concluded that micro finance has shown positive effect on empowerment of women.[6]

SHGs (Self Help Groups)—NABARD's Role and Performance

NABARD has been extending various supports to various stakeholders to facilitate sustained access to financial services for the unreached poor in rural areas through various microfinance innovations in a sustainable manner NABARD continued it's refinancing and promotional role to support stakeholders including banks. During the year 2011–12, refinance of Rs. 30.73 billion was provided to banks covering their lending

to SHGs. This was an increase from Rs. 25.45 billion disbursed in 2010–11. As a proportion of NABARD's total refinance disbursements SHG share increased from 18.9 percent in 2010–11 to 19.9 per cent in 2011–12. The Microfinance Development and Equity Fund has-been created with the corpus Rs. 4.00 billion to facilitate and support various promotional activities like grant assistance to Self-Help Promoting Institutions, funding of training and capacity building of microfinance clients and stakeholders of the SHG Bank Linkage Program me, support to MFIs, for supporting introduction of Management Information System (MIS) for the sector, for helping research and publications concerning microfinance related issues. Under this fund, Rs. 333.1 million was released during 2011–12, of which Rs. 286.8 million was grant support for promotional activities and Rs. 46.3 million for Capital Support/Revolving Fund Assistance to Micro Finance Institutions, as against Rs. 299.5 million and Rs. 174.3 million, respectively in the previous year. During the year 2011–12, grant assistance of Rs. 379.5 million was sanctioned to various agencies for promoting and credit linking of 94,482 groups thus taking the cumulative assistance sanctioned.[7]

Women SHG in Union Budget speech

The Government has also announced Rs`100 billion to NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) for refinancing rural banks and help better for free flow funding. Much has been concentrated towards rural upliftment where interest subsidy for women Self-help Groups (SHGs) is announced up toRs. 0.3 million at the rate of seven per cent and an aditional three per cent more to allow the SHGs to repay the amount promptly on the said time. The Hon'ble Finance Minister stated, Last year I had announced the creation of 'Women SHGs Development Fund' which had been set up by NABARD. In 2012–13 it have been proposed to increase the sum of Rs. 2,000 million to Rs. 3,000 million. This Fund will also support the objectives of Aajeevika i.e., the National Rural Livelihood Mission. It will empower women SHGs to access bank credit. The initiative, in the first phase, would focus on selected 600 blocks of 150districts, including the Left Wing Extremism affected districts.

Source: Union Budget, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Role of NABARD as a Facilator and Refinancer of Microfinance

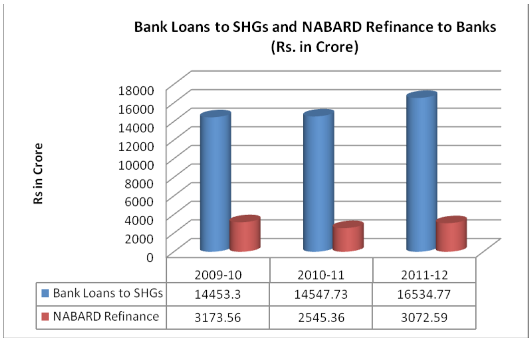

NABARD as Facilitator of Microfinance

NABARD had assigned to itself the role of a facilitator and a mentor of the initiative.A large number of seminars, workshops and training programmes were organized to create awareness about the microfinance program me among all the stakeholders – the bankers, the Government agencies, the NGO partners and more importantly the SHG members.

The NGO sector who played the key role of organizing and nurturing the SHGs as the Self Help Promoting Institutions – later joined by many others including the rural financial institutions, Farmers Clubs, etc. – were encouraged by way of promotional grant assistance by NABARD for taking up such work. The phenomenal growth of SHG-Bank linkage program me during the last 20 years owe a great deal to these promotional efforts actively supported by NABARD and participated by the stakeholders. The rapid growth of the SHG linkage program me and its success in taking financial services to the poor, led to its recognition as the most important tool for financial inclusion – the main focus of the XI Five Year Plan. Simultaneously, efforts were also on to experiment innovative initiatives in improving the efficacy and reach of the program me with the involvement of all microfinance practitioners facilitated by NABARD.

Role of Refinancing

During the initial years of the movement NABARD was extending refinance to the extent of 100% to banks for lending to SHGs since the SHG-Bank Linkage Program me was launched. Initially, this was intended to encourage the banks to actively participate in the programmers. As the banks gained confidence in lending to SHGs and realized the business potential in extending financial services through SHGs, they have been increasingly deploying their own resources in a mutually beneficial relationship with the SHGs. SHGs had been instrumental in bringing in more business for the financing banks by way of improving credible client base, also promoting rural and inclusive banking. Banks have also extended other financial services like remittance, housing, insurance etc. though in a limited way, to this segment.

As a result, the banks have started "owning up" the movement, as a sound business proposition and became less dependent on promotional support from NABARD. The gap between the total loans issued by banks to SHGs and the refinance extended by NABARD for such loans started widening as a result as would be seen from the graph shown above. The refinance support from NABARD, however, continues to supplement resource mobilization for the program me. During 2011-12, NABARD extended refinance to the extent of Rs. 3072.59 crore as against Rs. 2545.36 crore disbursed during the previous year. Cumulative disbursement of refinance by NABARD for SHG lending now stands at Rs. 18479.60 crore.[8]

Conclusion

Microfinance has been present in India in one form or another since 1970s and is now widely accepted as effective poverty elevation strategy. Worldwide there are various efforts made to eradicate poverty and microfinance is one such tool. NABARD is playing its role of facilitator of microfinance and refinancer. Microfinance is helping poor people to become entrepreneurs. They are becoming self independent as jobs seekers are becoming job givers. This role of entrepreneurship is reducing poverty in developing nation like India. So Government of India should take steps for easy access and availability of microfinance for vulnerable groups who want to set up or develop their business and micro-enterprises. Thus we see that microfinance is emerging as a developmental tool for the poverty alleviation and microfinance industry has achieved significant growth due to participation of commercial banks. Despite this growth the poverty situation in India continues to be challenging.

References

1. http://www.investopedia.com/terms/m/microfinance.asp [Accessed 11 April 2016]
2. Roy, Anup. *Micro Finance and Rural Development in North east India.* Available at: *www.pbr.co.in/brochure/0006.pdf* [Accessed 03 Sep 2016.]
3. Mahanta, Padmalochan, Panda Gitanjali, Kumar, Sree. (2012). Status of Microfinance in India - a Review*. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*. Vol.1(11).
4. Seibil, H.D. (2007). *The Role of Microfinance in Rural Microenterprise Development*. pp24-25.
5. National Bank for Agriculture and Rural Development. (2011-12). *Status of Microfinance in India.* Department of Micro Credit Innovations.
6. Ejaz, A.K., Rana. and Noreen, S. (2012). Microfinance and women empowerment: A case study of District Bahawalpur (Pakistan). *African Journal of Business Management,* 6(12), pp. 4514-4521, 28 March. *Available at: http://www.academicjournals.org/AJBM DOI: 10.5897/AJBM11.2407.*
7. Data cited in this section relating to NABARD is sourced from the Annual Report of NABARD 2011–12.
8. National Bank for Agriculture and Rural Development. (2011-12). *Status of Microfinance in India.* Department of Micro Credit Innovations.

Development of Hydro Electric Projects and Environmental Issues in Himachal Pradesh

Dr. Kewal Krishan

Department of Sociology
PSR Government College, Baijnath (Himachal Pradesh)

Abstract

Hydropower is the most effective source of energy and has played a major role in the development of modern civilization. This technology has a lot of benefits; it is a renewable source of energy with limited or no emissions of carbon dioxide in comparison to other forms of energy. In addition, hydropower projects can be used for multipurpose use, such as irrigation, fishery, flood control and water supply. All the above mentioned benefits can with appropriate management improve the socio- economic state of local, regional as well as the national level welfare or livelihood condition. The recent trends of development of hydro electric projects and environment concern are the most important issues in Himachal Pradesh. India is the second most populous country in the world; therefore India has tremendous demand for energy. As it becomes further developed, India faces increased difficulty in meeting the energy needs through traditional means of power generation. At the forefront of India's thrust toward renewable energy, fortunately, India is rich in fast-flowing rivers that cascade down from the mighty Himalayas – the vast water towers of Asia - and have huge potential for generating clean and renewable energy. Himachal Pradesh has been uniquely suited for the run-of-the-river method of hydropower generation due to its terrain and government initiatives. Himachal Pradesh has an estimated 23,000 MW of hydel potential, which accounts for 25% of India's total hydel potential. During the last few years back, hydroelectric projects in hilly areas have attracted attention concerning the social and environmental impacts that have arisen from such hydroelectric power projects. Construction and operation of dams have always been associated with changes in the social, physical and biological environment. Some of the negative impacts of hydroelectric projects include loss of vegetations, topographical disturbances, changes in rivers flow patterns, involuntary resettlement, health problems, loss of cultural values and marginalization of local people. The impacts due to hydro electric projects development, especially of reservoir and dams are always extensive in term of space. It covers upstream, on site, and downstream areas and surrounding of hydropower plants.

Keywords: *Hypopower, Environment, Rehabilitation*

Introduction

Himachal Pradesh has five river basins i.e., *Satluj, Yamuna, Beas, Ravi & Chenab* and the identified potential of hydropower is 23,000 MW out of this only 6066.00 MW has been exploited till now. Major of these hydro power projects are located in the *Satluj* basin of Kinnaur district which accounts for 9728.25MW hydropower potential. Hydropower projects are generally made to generate electricity by making dams and reservoirs to provide hydraulic head and release water through turbines on a schedule that matches energy demands. The river water is stored in dams and passes through the tunnel

and releases it on the turbine, by applying this water on turbine, the turbine starts rotating and electricity is generated. A number of hydro projects have grown in the state of Himachal Pradesh.

We know that any innovation introduced by human has an impact on the natural environment. That impact may be desirable to some, and at the same time, unacceptable to others. Using any source of energy has some environmental cost. It is the degree of impact on the environment that is crucial. Some human activities have more profound and lasting impacts than others. Techniques to mine resources from below the earth may leave long-lasting scars on the landscape. Oil wells may detract from the beauty of open, grassy fields. Reservoirs behind dams may cover picturesque valleys. Once available, use of energy sources can further impact the air, land, and water in varying degrees. People want clean air and water and a pleasing environment. We also want energy to heat and light our homes and run our machines. What is the solution? The situation seems straightforward: The demand for electrical power must be curbed or more power must be produced in environmentally acceptable ways. The solution, however, is not so simple.

Conservation can save electricity, but at the same time our population is growing steadily. Growth is inevitable, and with it the increased demand for electric power. Since natural resources will continue to be used, the wisest solution is a careful, planned approach to their future use. All alternatives must be examined, and the most efficient, acceptable methods must be pursued. Hydroelectric facilities have many characteristics that favour developing new projects and up-grading existing power plants: Hydroelectric power plants do not use up limited non-renewable resources to make electricity, They do not cause pollution of air, land, or water, They have low failure rates, low operating costs, and are reliable, They can provide start-up power in the event of a system wide power failure.

Power Shortage in India

In India, though over 100,000 MW of capacity has been added in last 50 years, there is a huge gap between the demand and supply of power. While in the last few years it has marginally reduced, the peaking shortage continues to be over 12% to 13% and the average energy shortage at about 8.8%. Indian power system has an installed capacity of 108,207 MW, with hydroelectric accounting for 25%. The 50,000 MW Hydroelectric Initiative has been launched by the Prime Minister of India. This initiative has started with the preparation of feasibility report and detailed project report. 162 hydroelectric schemes have been identified with an aggregate installed capacity of 50,560 MW. They are located in sixteen States of the country. Of these, 106 schemes aggregating to about 39,000 MW are located in only four States namely Arunachal Pradesh, Uttaranchal, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir. These projects under this Initiative are proposed to be taken up for execution during 11th & 12th Plans i.e. between 2007-2017. All the preparatory works from Feasibility Report to Detailed Project Report and also in many cases infrastructural development should have been done before that.

Installed Capacity in MW

Sector	Hydro	Thermal	Wind	Nuclear	Total
State	23,085	40,141	65	0	63,291
Private	876	9,419	1805	0	12,100
Central	3049	27,047	0	2720	32,816
Total	27,010	76,607	1,870	2720	1,08,207

The Hydro Electric power Sector of Himachal Pradesh

When compared to other states in India, Himachal Pradesh is maintaining an above-average economic outlook. As one of the fastest growing states in India, Himachal Pradesh relies mainly on four sources for its economic growth: agriculture, tourism, cement, and hydropower.

In particular, the abundance of perennial rivers enables Himachal Pradesh to sell electricity to neighboring states, such as Delhi, Punjab, and Rajasthan. Himachal Pradesh has an estimated 23,000 MW of hydel potential, which accounts for 25% of India's total hydel potential. Of this amount, 8,368 MW are already being utilized by hydropower projects in Himachal Pradesh, with an additional 3,805 MW in the process of being exploited (Himachal Pradesh: the abode of the gods, 2013).

Problem statement

Over the past decade or so, hydropower projects around the world have attracted much attention concerning the environmental and social impacts that have arisen from such developments. Construction and operation of dams have always been associated with changes in the physical and biological environment. Adverse effects have more often than not, out-numbered the positive effect. Some of the negative impacts of hydropower include loss of vegetations, changes in riverine flow patterns and regimes, involuntary resettlement, health problems, loss of cultural values, marginalization of local people, inundating of valuable agricultural land, and drought and severe reduction of flow downstream. Most hydropower projects in the past have been given much attention regarding the technical design and economic issues of the project rather than their environmental and social impacts. At the time of the constructions, Environmental Impact Assessment (EIA) was planning and management tool available. In view of this, there are several issues of environmental impacts, which have not been considered under mitigation measures as should have been done in a proper environmental impact assessment (EIA). However, today, the hydropower industry is in quest for improved project performance.

Objectives of the study

The general objective of this study is to investigate environmental impacts, as well as issues of public participation and community resettlements arising from the construction of the Hydro Electric Projects in Himachal Pradesh.

The specific objectives of this study are to:

1. Examine the Environmental Impact Assessment (EIA) situation in Himachal Pradesh.
2. Assess environmental and socio-economic impacts associated with generation of the hydropower project.
3. Identify problems associated with compensations and resettlements issues

Research Methodology

Data for this study was derived from the secondary sources. The secondary sources entailed literature studies (review) of published materials selected reports, other relevant journal articles and internet sources formed the secondary component of data.

Literature review on Environmental impacts of dams on hydropower projects in particular

Dams and reservoirs have been constructed around the world as far back as 5000 years ago (Tortajada, 2001). Most of these dams were primarily constructed to accommodate water for farming and drinking purposes. However, over the past 60 years dams and other water related projects were built to supply the industrial development with cheap, in terms of operational cost and clean hydropower. In the present times, there are more than 40,000 large dams around the world and more than 400,000 square kilometers of area have been inundated by reservoirs worldwide. One of the world's largest man-made lakes in terms of surface area is the Volta Reservoir created behind the Akosombo dam of Ghana with an area of 8,500 Sq Km and flooded around 4% of the country's land area (Moxon, 1984) Most dams achieve their main aims, which is to control river discharge. They are also extremely successful in meeting the needs of "surrounding communities": millions of people depend upon them for survival, welfare and employment (Goudie and Viles, 1997). On the other hand, dams have many environmental impacts that may or may not have been anticipated. One of the most obvious environmental impact associated with the construction of dams is that the decrease in

normal flooding. They also fragment ecosystems by isolating the river from its floodplain, shifting from a river ecosystem into reservoir ecosystem. The elimination of natural flooding is one of the most single environmental impacts of dams. The disintegration of river ecosystem has led to a reduction in the number of fish species in the world's watersheds (McCully, 1996). Goldsmith and Hildyard (1988) argued that dams severely affect downstream ecosystems. They trap silt and thus hold back valuable nutrients, with a subsequent effect upon fisheries.

Mostly dams tend to be built in remote and inaccessible areas, which open the area for more exploitation and destruction of the natural habitat. When dams are built in a forested area in many cases farmer displaced by a reservoir have had to clear forest further up stream of the valley to grow their crops and build homes. Generally, access to previously remote areas allowed by the construction of dams can also accelerate deforestation and promote other kinds of development.

The impact of hydroelectric power plant on the environment is varied and depends upon the size and type of the project. Although hydropower generation does not burn any fuel to produce power and hence does not emit greenhouse gases, there are definite negative effects that arise from the creation of reservoir and alteration of natural water flow. It is a fact that dams, inter-basin transfers and diversion of water for irrigation purposes have resulted in the fragmentation of 60% of the world's rivers.

Environmental impact

The physical environment is affected rather significantly by the construction of a hydroelectric power station. Both the river and ecosystem of the surrounding land area will be altered as soon as dam construction begins.

1. Impact of Size and Type of Hydropower Plant—It is difficult to correlate the damage caused by dams to their size or type, as the impacts depend on local conditions. Generally plants with smaller dams are considered less environmentally damaging than those with larger dams. Also, run-of-river (ROR) hydropower plants are generally less damaging than reservoir power plants, because it is not necessary to flood large areas upstream of the project for storage. Yet in some cases run of river impacts can also be severe due to river diversion over long stretches of the river.

2. Impact of River Diversion—While both ROR and reservoir types of hydropower dams may divert water, this is always the case with ROR plants, since they seek to increase kinetic energy with an increased head. The length of diversion can range from a few meters or less to kilometers (km). For example, the Teesta-V ROR dam in northeastern India diverts water for a 23 km long stretch of the river. Eventually the diverted water is returned to the river. Often downstream flows are reduced considerably or even completely stopped during certain periods of time with sudden intervals of high flows. Such drastic variability in water flow impacts the structure of aquatic ecosystems often leading to a loss of biodiversity. Also, under normal conditions, increased sediment transport from low to intermediate flows provides a warning to aquatic organisms that high flows may follow. Abrupt changes from low to high flows obliterate this cue, making it difficult for organisms to respond to impending environmental changes. A decrease in fish populations has been observed in dewatered reaches below diversions. After long periods of little to no flow some species may not be able to recover and go extinct.

3. Impact of the Reservoir—Dams have major impacts on the physical, chemical and geomorphological properties of a river. Environmental impacts of dams have largely been negative. Worldwide, at least 400,000 square kilometres have been flooded by reservoirs. Once the barrier is put in place, the free flow of water stops and water will begin to accumulate behind the dam in the new reservoir. This land may have been used for other things such as agriculture, forestry, and even residences, but it is now unusable. The loss of habitat may not seem

severe but if this area was home to a threatened or endangered species, the dam construction could further threaten that species risk of extinction.

3.1 Sedimentation—Large dams with reservoirs significantly alter the timing, amount and pattern of river flow. This changes erosion patterns and the quantity and type of sediments transported by the river. Sedimentation rate is primarily related to the ratio of the size of the river to the flux of sediments. The reservoir that has been rapidly filling up with water immediately begins filling up with sediment as well. The trapping of sediments behind the dam is a major problem. Every year it is estimated that 0.5 to 1% of reservoir storage capacity is lost due to sedimentation. The engineering problem with sedimentation is that less power is generated as the reservoir's capacity shrinks.

3.2 Downstream Erosion—Trapping of sediments at the dam also has downstream impacts by reducing the flux of sediments downstream which can lead to the gradual loss of soil fertility in floodplain soils. Clean water stripped of its sediment load is now flowing downstream of the dam. This clean water has more force and velocity then water carrying a high sediment load and thus erosion of the riverbed and banks becomes problematic. Since this is unnatural and a form of "forced erosion" it occurs at a much faster rate than natural river process erosion to which the local ecosystem would be able to adapt.

3.3 Impact on Local Climate—Another often-ignored environmental effect of the reservoir is the impact on the micro-climate level. Studies indicate that man-made lakes in tropical climates tend to reduce convection and thus limit cloud cover. Temperate regions are also impacted with "steam-fog" in the time period before freezing. Since water cools and warms slower then land, coastal regions tend to be much more moderate then land-locked regions in terms of temperature. Therefore, large dams have a slight moderating effect on the local climate.

3.4 Greenhouse Gas Emission from Dams—Freshwater reservoirs can emit substantial amounts of the greenhouse gases methane and carbon dioxide as organic matter submerged in a reservoir decays under anaerobic and aerobic conditions, respectively. Studies indicate that GHG emissions from hydropower reservoirs in boreal and temperate region are low relative to the emissions from fossil fuel power plants, but higher relative to life cycle emissions from wind and solar power. Tropical reservoirs with high levels of organic matter and shallow reservoirs have higher emission levels. A recent compilation of greenhouse gas emissions from reservoirs found a correlation between the age of the reservoir and latitude. Younger reservoirs and those in low latitudes are the highest emitters. For example, of four Brazilian dams in the Amazon, showed that the GHG emissions factor of the electricity produced by those hydropower dams exceed those from a coal-fired power plant.

3.5 Dams Inducing Earthquakes—Finally, a least studied and most disputed physical impact of reservoirs is the possibility of inducing earthquakes. Many scientists believe that seismic activity can be attributed to the creation of dams and their adjacent storage reservoirs. They postulate that the added forces of the dam along inactive faults seem to free much stronger acrogenic tensions. Early research indicates that the depth of the water column may be more important to inducing earthquakes rather than total volume of water in the reservoir. While these impacts can be quite severe often they do not receive the attention of the biological impacts that people tend to associate more with animals like fish.

3.6 Impact on Fisheries—Dams and river diversion can impact freshwater, as well as marine fisheries. Estuarine and marine fisheries are dependent on estuaries and rivers as spawning grounds and the transport of nutrients from the river to the sea. Migratory fish are especially vulnerable to the impacts of dam construction. Dams can prevent migrating fish such as salmon and eel to reach their spawn grounds. A survey of 125 dams by the World Commission on Dams (WCD) reported that blocking the passage of

migratory fish species has been identified as a major reason for freshwater species extinction in North America. Lower catch is a common side effect of dams and has been reported worldwide. There have been cases where fishery production below a dam has increased due to controlled discharge of the sediments.

Major challenges and responses of the developers

Development of Hydroelectric projects has thrown up a number of important challenges, the world over and particularly in Indian context. Over a period of time, experiences have been acquired and India is responding to these challenges in the following manner.

(a) Impact on Environment—Hydroelectric projects do create environmental issues emanating from sub-emergence of large areas also involving forest. The Govt. of India has a comprehensive legislation on environmental issues and based on this legislation, there are well laid down principles and guidelines. Environment Impact Assessment studies when properly carried out throw up the tasks to be undertaken by the project development agencies. Process of improvement on these areas continues to see as to how best the adverse environmental impacts are mitigated and also the procedure does not lead to delays. It needs to be ensured that if the forest area is affected, sufficient amount of forest is created. Ministry of Environment & Forest is working on a plan to create Forest Bank which would entail creation of huge afforestation with funding from project development agencies in advance so that this issue could be adequately responded. The mechanism of compensatory afforestation through the Forest Bank will enable quicker clearances of projects.

(b) Rehabilitation & Resettlement (R&R) of Project Affected People (PAP) is another maj-or issue affecting the smooth execution of Hydro electric projects particularly where in submergence areas, the number of project affected people are large. Experience of last several years has brought about sufficient amount of understanding on the subject. The expectations of people, local authorities and project development agencies are being synthesized so that there is greater degree of acceptability of the system of R&R. Govt. of India is contemplating a national policy on R&R for Project Affected People. In the meantime, Ministry of Power of Govt. of India and its public sector undertakings are coordinating their efforts with the State Govts. So that R&R issues are adequately addressed and project implementation is smooth. In cases, where large projects are involved, specific monitoring mechanism has been put in place at senior most level in the Govt. so that proper implementation of R&R plans by project agencies is done in letter and spirit. Having capacity to generate the HEP from the rivers and its tributaries, large number of hydropower projects are undergoing in whole state of H.P. Hydropower development in the district is a big source of economy for the state and its help in the growth of economic conditions of the state.

The hydropower projects in Himachal Pradesh are mostly run of the river (RoR) projects. The river water is diverted through an underground headrace tunnel which provides the head for the water to fall through. The fall is used to extract energy by means of turbines located in underground powerhouses deep inside the hills. The blasting of the hills required to lay the steeply falling head race tunnel and the construction of underground power houses and the reservoir at the head, greatly disturb the fragile ecological balance in the mountainous regions of Himachal Pradesh. The river dries up as its water is diverted over long stretches and landslides are caused as the hill is blasted damaging forests, roads, houses, water sources and farmland in the villages. Every large hydro project is expected to conduct the Environment Impact Assessment (EIA) of that project alone, which is known to be a dishonest, cut and paste effort in most cases. It is done in isolation, no effort has been made to do carrying capacity, and cumulative impact assessment to know how many projects can be constructed in a river basin. In particular, the Sutlej basin of Kinnaur district has become an example of how bumper-to-bumper projects can spell doom.

Projects that have started functioning have already blocked the flow of Sutlej. The absence of fish above Rampur is indicative of the adverse effect of structures which have obstructed the connectivity of the river. The locals fear that when the remaining projects would start functioning, no water would flow downstream affecting the aquatic life and livelihood of people living along the river. There is a need to have basin wise study. Senior scientists have recommended that the number of projects in each basin should be decided on the basis of the carrying capacity of the basin and overlapping of projects should be prevented by maintaining flowing river for a distance of at least 7 km between each project.

A panel of experts set up by the Department of Energy of the Himachal government, Panel of Environmental and Social Experts (PESE), to make an independent evaluation of the impact of hydropower projects in the State. The panel said that popular opposition to large hydel power projects on the Sutlej is being fanned by the government's indifference to the problems of the people, loss of livelihoods and destruction of the environment. The panel also studied the draft Cumulative Environment Impact Assessment (CEIA) report prepared on the directions of the union Ministry of Environment, Forests and Climate Change. The report said that the CEIA's conclusions were not supported by facts and figures. It said that some of the institutions tasked with studying the impact of hydropower development didn't even meet the local people. Residents of Kinnaur, the Spiti valley, Mandi and Shimla districts have alleged that the CEIA consultants did not study the impact of indiscriminate blasting and loss of forests and farmlands on sources of drinking water such as natural springs. They have rejected the assessment as a "fraudulent exercise". Protesters have been especially agitated over assessments of the minimum distance between projects, and the minimum volume of flow in the channel during the dry season. The PESE questioned whether the CEIA recommendation of an average gap of 500 m between two projects as being sufficient for the river to recuperate, is based on any scientific calculation.

The Impact of Hydro Electric Projects on Horticulture/Agriculture

Hydropower development adversely affects the productivity of agriculture by degrading or depleting a number of natural resources that constitute vital agricultural inputs. Perhaps the most obvious way hydropower development restricts agricultural productivity is by reducing the supply of agricultural land. A loss of forest land, both as a direct and indirect is result of hydropower development, which further constrains horticulture productivity. Deforestation affects horticulture by accentuating flood and drought events and destabilizing soil. Throughout the state people attribute the decrease in crop production, air pollution, decreased precipitation, water percolation and lack of moisture in the soil due to establishment of hydro power projects. People's opinion is that if we have our apple orchard, why are the power projects destroying them and forcing us to take up daily wages jobs.

Conclusion

Hydroelectric Projects can cause several problems, even though they burn no fuel. By building dams on rivers may permanently alter river systems and wildlife habitats. Fishes and other river fauna may no longer be able to swim upstream. Also no doubt hydropower projects have made an important contribution to the human but such developments had significant impacts on local livelihood and the environment. The local issues must be taken into consideration. The policies should be framed by accurate examination of local sites so that the proportionate balance between biotic and its components of the environment can be maintained and the potential capacity of rivers can be utilized properly. Before sanctioning any other power project, the World Commission on Dams recommendations must be taken into consideration, which has stressed four fundamental values regarding the dam building viz., equity, efficiency, participatory decision-making, sustainability and accountability. The nongovernmental organizations should come

forward with full time participation to protect the environment and by taking appropriate strategies and to make the local people aware about their rights and environment. It is also recommended that a state level interdisciplinary committee on hydro power be constituted with eminent expert like basin planner, botanist, hydrologist, environmentalist, ecologist and socio-economic experts. No doubt hydropower projects have made an important contribution to the human development and the benefits derived from them have been considerable, but along with this such developments had altered and diverted the natural river flows, affecting existing rights and access of the locals to water and resulting in significant impacts on livelihood and the environment. The researcher is not against the installation of power projects but these must be eco-friendly and sustainable in nature and there must be sustainable improvement of human welfare. This means a significant advancement of human development, which is economically viable, socially equitable and environmentally sustainable.

This study recommends ways to improve the design and processing of ADB-funded hydropower projects to minimize adverse environmental and social impacts. The study noted the limited use of environmental and social experts during planning, and suggests that environmental and social scientists need to be an integral part of the design team for such sensitive projects, supplemented by a panel of experts, as needed. It also recommends, among other things, that agencies in developing countries and ADB be more rigorous in screening the capacity of construction firms bidding on large hydropower projects.

References

1. Environmental Impact Assessment Report of Tidong Hydroelectric power project in Himachal Pradesh. Unpublished.
2. Bose, P., Pattnaik, B. K., and Mittal, M. (2001). Development of socio-economic impact assessment methodology applicable to large water resource projects in India. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology.*
3. Central Electricity Authority, Ministry of Power (2006). Baseline Database for the Indian Power Sector User Guide.
4. Terminski, B. (2013). *Development-Induced Displacement and Resettlement: Theoretical Frameworks and Current Challenges.* Geneva.
5. Fernandes, W. and Paranjpye, V. (1997). *Rehabilitation Policy and Law in India: A Right to Livelihood*. New Delhi: Indian Social Institute.
6. Government of India. (GOI) (2013). *Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act*. Lok Sabha.
7. Mishra, S. K. (2002). Development, Displacement and Rehabilitation of Tribal Development, Displacement and Rehabilitation of Tribal People: A Case Study of Odisha. *Journal of Social Sciences*, 6(3).
8. Chandra, R. *Bottlenecks in Hydro Power Development.*
9. Srivastava, A.B.L. *Hydro Power in India: The bottlenecks*. NHPC Ltd.
10. CEA website

Translating Narratives: Indians Exploring Indianness in Diaspora

Dr. Nipun Chaudhary

Assistant Professor, Department of English
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Devapryag, Pauri Garwal (Uttarakhand)

Abstract

The idea of the nation is produced and perpetuated through narratives or stories mostly in the common mob. These literatures are the voices of India's aesthetic tradition, the voices of protest, the voices of challenge, the voices of India's intellectual tradition and the voices of glorious past and are voices against power structure. To examine and analyze the spirit of Indianness in the post Independence Indian writings in English it is essential to recognize the complete portrait of Indianness evident in such writings. This paper will define the uniqueness that recognizes Indians as themselves and by others and will try to homogenize India through translation. It will also try to diagnose the problems, perspective and prospect of translation in India.

Keywords: *Indian Migration, Socio-economic and Cultural Experiences, Trauma, Identity Crisis*

Introduction

Modern literary theories are redefined according to the new 'nation making' concept of various developing and underdeveloped countries. It is amply reflected in their literary texts. The metropolitan western academy seems to have declared the nation-project as archaic. It is strange but true that most of the recent discourses on post colonial theory have been attacked by the western world. For the third world countries like India the implications of the term "nation" are quite significant for social, economic and cultural reconstruction and their reflection in literary texts. The idea of the nation is produced and perpetuated through narratives or stories mostly in the common mob. In India we keep producing nation further through the translating narratives or stories such as novels, folk-narratives, mythology and history, cultural productions (films, newspapers, theatre, and calendar) which in one way or the other represent the will of the people to live collectively as a nation. We are always bilingual if not multilingual and often mix languages. Translations in various languages including the tribal versions have been the very foundations of our literatures.

Indian literatures in translation, impregnated (absorbed) with various texts and discourse, have been receiving increasingly academic and disciplinary recognition throughout the globe. They have emerged as a distinct literary genre and produced a radical transformation or 'paradigm (model) shift' in literary and cultural studies. These literatures are the voices of India's aesthetic tradition, the voices of protest, the voices of challenge, the voices of India's intellectual tradition and the voices of glorious past and are voices against power structure. They are concerned with giving a voice to the challenge against patriarchal, and institutionalized social and cultural frameworks; they are concerned with the voices of indigenous and regional writers; they are concerned with to fight the colonial prejudices and to decolonize the educated Indians. They espouse (promote) social and political ideology; they intend to offer

a theory that explains how politics works in a society; and they intend to provide a profound insight into the forces that shape a new society, its new literature and aesthetics. But the Indian literatures in translation have not been valued for this account only. They are valued because they strengthen democracy by questioning the hegemony of the privileged class over the less privileged class; because they strengthen democracy by questioning and obliterating the gender bias; because they provide the maximum space for narrating the nation by representing the will of the people to live collectively as a nation; because they help knit (join) India together as a nation by bringing languages closer to one another and introducing to one another diverse modes of imagination and perception in various regional cultures. If I spot them categorically they include Indian aesthetics, dalit discourse, feminist/gender discourse, discourse of narrating the nation, discourse of regional culture and historical writings. By translation from other Indian languages into English we have enriched not only India's national literature, but also contribute substantially to world literature. The objectives of doing research work in this direction should be:

- to examine and analyze the spirit of Indianness in the post Independence Indian writings in English
- to recognize the complete portrait of Indianness evident in such writings
- to define the uniqueness that recognizes Indians as themselves and by others
- to homogenize India through translation
- to diagnose the problems, perspective and prospect in translation in India

The 'Older Generation of Diasporic Indian Writers' primarily includes Raja Rao, G. V. Desani, Santha Rama Rau, Balachandra Rajan, Nirad Chaudhuri, Ved Mehta, etc. and the 'New Generation of Diasporic Indian Writers' primarily includes Anita Desai, Bharati Mukherjee, Shashi Tharoor, Amitav Ghosh, Vikram Seth, Sunetra Gupta, Kamala Markandaya, Rohinton Mistry, Jhumpa Lahiri, Hari Kunzru, etc. The earliest contribution of Indian writers in Diasporic literature were Dean Mahomed's *The Travels of Dean Mahomet* (1794) and Kylas Chunder's *A Journal of Forty-Eight Hours of the Year 1945* (1835). The Old Generation of Diasporic Indian Writers' works show their experiences away from India as expatriates, discovered their Indianness, when they are out of India, help to define India and used elegiac tone rather than nostalgic. But the New Generation of Diasporic Indian Writers depict migrant characters in their fiction, explore the theme of displacement and self-fashioning, variations in geo-political background, global readership and enduring appeal, not only characters from their own displaced community but Western characters. E.g. Vikram Seth's *The Golden Gate* shows lives of Americans and *An Equal Music* shows lives of Europeans. The themes of New Generation are:

- Racial prejudice against Indians in the UK of the 1960s: Anita Desai's *Bye-Bye Blackbird;* Kamala Markandaya's *The Nowhere Man*
- Indians in the US: Bharati Mukherjee's *Wife* and *Jasmine*
- Allegory of migration by adopting the technique of magic realism: Salman Rushdie's *The Satanic Verses- t*he physical transformation of Gibreel Farishta and Saladin Chamcha after their fall from the bursting jumbo jet on the English Channel
- Migrant's angst and sense of rootlessness: Chitra Banerjee Divakaruni's *The Mistress of Spices* & Amitav Ghosh's *The Shadow Lines*-Ila
- Lives of Indian students in Oxford: Amit Chaudhuri's *Afternoon Raag* and migrant student, living in the suburbs of Massachusetts: Anita Desai's *Fasting, Feasting*- Arun
- Lives of first generation as well as second generation of non-resident Indians: Meera Syal's *Anita and Me; Life Isn't All Ha Ha Hee Hee* and Jhumpa Lahiri's *The Namesake*
- Lives of three diverse characters: Hari Kunzru's *Transmission*

- Unpleasantness & pleasantness of inter-cultural relationships through characters: Sunetra Gupta's *Memories of Rain; A Sin of Colour*
- Individuals who are generations away from their original homeland, India, but their heritage gives them a consciousness of their past: V. S. Naipaul's *A House for Mr. Biswas*- Mohun; *The Mystic Masseur*- Ganesh Ramsumair

When we talk of Diaspora**,** we begin with the Jewish context, where the persecution and expulsion led to the dispersal of Jews away from the homeland carrying with them the fond hope of returning to the motherland one day. Despite some limitations of specificity of the concept of Diaspora, it is gainfully employed in the analysis of emigration and settlement of people beyond the boundaries of their homeland. Retention of the cultural identity in the host society is another important parameter of the concept Diaspora. There is already considerable literature on various Diasporas such as the Chinese, African and Caribbean besides the Jewish. Similarly, research on overseas Indians is also being carried out today under the premise of Diaspora Studies.

The Literature of the Indian Diaspora constitutes a major study of the literature and other cultural texts of the Indian diaspora. It is also an important contribution to Diaspora theory in general. Much of the literature available on the Indian Diaspora pertains to Indian migration, their socio-economic and cultural experiences, experience of adaptation and assimilation in the host society, trauma, identity crisis or recognition, travel, translation, or a sense of displacement in general. Especially after Indian independence, the Indian diasporic community has acquired a new identity due to the processes of self-fashioning and increasing acceptance by the West. It is interesting to note that the history of diasporic Indian writing is as old as the Diaspora itself. In fact the first Indian writing in English is credited to Dean Mahomet, who was born in Patna, India, and after working for fifteen years in the Bengal Army of the British East India Company, migrated to 'eighteenth century Ireland and then to England' in 1784. His book *The Travels of Dean Mahomet* was published in 1794.

It predates by about forty years the first English 192 Rupkatha Journal Vol. 1 No. 2 text, written by an Indian residing in India, Kylas Chunder Dutt's 'imaginary history'**-** *A Journal of Forty-Eight Hours of the Year 1945*, published in 1835. The first Indian English novel, Bankimchandra Chatterjee's *Rajmohan's Wife*, was to be published much later in 1864. It shows that the contribution of the Indian diaspora to Indian writing in English is not new. Also interestingly, the descendants of the Indian indentured labourers in the so called 'girmit colonies' have predominantly favoured writing in English, the lingua franca of the world. The likes of Seepersad Naipaul and later Shiva Naipaul, V. S. Naipaul, Cyril Dabydeen, David Dabydeen, Sam Selvon, M. G. Vassanji, Subramani, K. S. Maniam, Shani Muthoo, and Marina Budhos are the significant contributors in that field.

The Indian Diaspora has been formed by a scattering of population and not, in the Jewish sense, an exodus of population at a particular point in time. This sporadic migration traces a steady pattern, if a telescopic view is taken over a period of time: from the indentured labourers of the past to the IT technocrats of the present day. Sudesh Mishra in his essay 'From Sugar to Masala' divides the Indian diaspora into two categories **-** the old and the new.

The novels of the older generation of diasporic Indian writers like Raja Rao, G. V. Desani, Santha Rama Rau, Balachandra Rajan, Nirad Chaudhuri, and Ved Mehta predominantly look back at India and rarely record their experiences away from India as expatriates. It is as if these writers have discovered their Indianness when they are out of India. Obviously they have the advantage of looking at their homeland from the outside. The distance affords them the detachment that is so necessary to have a clear perception of their native land. In that sense, through their writing, they help to define India. These writers record their 'away from India experiences' and even if they look back at their homeland it is often in an

elegiac tone rather than with nostalgia. Ultimately, the Indian writers in the West are increasingly identifying themselves with the literary tradition of the migrant writers of the world.

The modern diasporic Indian writers can be grouped into two distinct classes. One class comprises those who have spent a part of their life in India and have carried the baggage of their native land offshore. The other class comprises those who have been bred since childhood outside India. They have had a view of their country only from the outside as an exotic place of their origin. The writers of the former group have a literal displacement, whereas those belonging to the latter group find themselves rootless. Both the groups of writers have produced an enviable corpus of English literature. These writers, while depicting migrant characters in their fiction explore the theme of displacement and self-fashioning. The diasporic Indian writers' depiction of dislocated characters gains immense importance, if seen against the geo-political background of the vast Indian subcontinent. That is precisely why such works have a global readership and an enduring appeal. The diasporic Indian writers have generally dealt with characters from their own displaced community, but some of them have also taken a liking for Western characters and they have been convincing in dealing with them. Two of Vikram Seth's novels *The Golden Gate* and *An Equal Music* have as their subjects exclusively the lives of Americans and Europeans respectively.

A major contribution in this regard has been that of the Indian writers, like Rushdie and Naipaul, who live as world citizens- a global manifestation of the exilic condition. Indian-English writers like Anita Desai, Bharati Mukherjee, Shashi Tharoor, Amitav Ghosh, Vikram Seth, Sunetra Gupta, Rohinton Mistry, Jhumpa Lahiri, and Hari Kunzru have all made their names while residing abroad. The non-resident Indian writers have explored their sense of displacement- a perennial theme in all exile literature. They have given more poignancy to the exploration by dealing not only with a geographical dislocation, but also a socio-cultural sense of displacement. Their concerns are global concerns as today's world is afflicted with the problems of immigrants, refugees and all other exiles. These exilic states give birth to the sense of displacement and rootlessness.

Two of the earliest novels that have successfully depicted diasporic Indian characters are Anita Desai's *Bye-Bye Blackbird* and Kamala Markandaya's *The Nowhere Man*. These novels depict how racial prejudice against Indians in the UK of the 1960s alienates the characters and aggravate their sense of displacement. Bharati Mukherjee's novels like *Wife* and *Jasmine* depict Indians in the US - the land of immigrants, both legal and illegal. Salman Rushdie in the novel *The Satanic Verses* approaches the allegory of migration by adopting the technique of magic realism. The physical transformation of Gibreel Farishta and Saladin Chamcha after their fall from the bursting jumbo jet on the English Channel is symbolic of the self-fashioning that immigrants have to undergo in their adopted country. Chitra Banerjee Divakaruni in her novel *The Mistress of Spices* depicts Tilo, the protagonist, as an exotic character to bring out the migrant's anxiety. Amitav Ghosh's novel *The Shadow Lines* has the character Ila whose father is a roaming diplomat and whose upbringing has been totally on foreign soils. She finds herself as much out of place in India as any foreigner. But when she conjures up the story of her doppelganger- Magda, being rescued by Nick Price from Denise, it shows the extent of her sense of rootlessness. Amit Chaudhuri in his novel *Afternoon Raag* portrays the lives of Indian students in Oxford. Similarly, Anita Desai in the second part of her novel *Fasting, Feasting* depicts Arun as a migrant student living in the suburbs of Massachusetts. The important point to note is that in a cosmopolitan world one cannot literally be a cultural and social outsider in a foreign land. There are advantages of living as a migrant- the privilege of having a double perspective, of being able to experience diverse cultural mores, of getting the leverage provided by the networking within the diasporic community and more. However, it is often these advantages that make diasporic Indians, especially of the second generation, encounter the predicament of dual identities. Such ambivalence produces existential angst in their psychology. The world simply refuses to become less complex.

The diasporic Indian writers of the first generation have already established their credentials by winning numerous literary awards and honours; but recently the ranks of the second generation of Indian writers in the West have swelled enormously and many among them have won international recognition. Meera Syal, who was born in England, has successfully represented the lives of first generation as well as second generation non-resident Indians in the West in her novels *Anita and Me* and *Life Isn't All Ha Ha Hee Hee*. Hari Kunzru in his novel *Transmission* traces a part of the lives of three diverse characters Leela Zahir, an actress; Arjun Mehta, a computer expert and Guy Swift, a marketing executive- traversing through Bollywood, the Silicon Valley and London. Sunetra Gupta has shown with candor both the unpleasantness and the Diasporic Indian Writer pleasantness of intercultural relationships through characters like Moni and Niharika from her novels *Memories of Rain* and *A Sin of Colour*. Jhumpa Lahiri's novel *The Namesake* convincingly illustrates the lives of both first generation and second generation Indian migrants in the US. This is possible because big issues like religious intolerance and racial discrimination are no longer the main concern of these writers.

V. S. Naipaul's characters, like Mohun Biswas from *A House for Mr. Biswas* or Ganesh Ramsumair from *The Mystic Masseur,* are examples of individuals who are generations away from their original homeland, India, but their heritage gives them a consciousness of their past. They become itinerant specimen of the outsider, the 'unhoused', for the world to see. Naipaul's characters are not governed by actual dislocation, but by an inherited memory of dislocation. For them their homeland India is not a geographical space, but a construct of imagination. Their predicament can be explained in Rushdie's words: "the past is a country from which we have all emigrated, that its loss is part of our common humanity".

What matter now in the current world are the small things. Little, unacknowledged things gain enormous importance in changed circumstances. It is here that the differing reactions by Indian, Western and diasporic characters towards similar situations are found to differ only superficially. It demonstrates that the inner needs of all human beings are the same. Alienation is a part of the experience of the Indian diaspora and even if people are at home in any part of the world, it does not mean that they will not become victims of the sense of alienation. Increasing acceptance into the host society does not indicate that that the diasporic characters can feel at home. Social alienation is replaced by metaphysical alienation.

References

1. Appadurai, A. (1997). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization.* Oxford: Oxford University Press.
2. Connel, J. (2004). 'Neither Indian Nor Australian? Contemporary Indian Migration to Sydney' in N. N. Vohra (ed.), *India and Australasia History, Culture and Society*, New Delhi: I.I.C. and Shipra Publications.
3. Dubey, A. (2003). *Indian Diaspora: Global Identity,* New Delhi: Kalinga Publications.
4. Jayaram, N. (1998). The Study of Indian Diaspora: A Multidisciplinary Agenda. *Centre for Study of Indian Diaspora*, Bangalore: Bangalore University.
5. Jayawardena, C. (1968). Migration and Social Change: A Survey of Indian Communities Overseas, *The Geographical Review*, Vol. VIII. No.3.
6. Lal, Brij V., Peter, R. and Rajesh R. (eds.) (2006). *The encyclopedia of the Indian diaspora*, Singapore: Editions Didier Millet in association with National University of Singapore.
7. Parekh, B., Singh, G. and Steven, V. (eds.) (2003). *Culture and Economy in the Indian Diaspora,* London: Routledge.
8. Parekh, B. (1993). *Some Reflections on the Indian Diaspora*, London: Laay Service (On behalf of GOPIO).

Microfinance & Poverty Reduction in India

Dr. Lalit Kumar Nagora
Lecturer, Department of Economics
Govt. College, Bamanwas, Sawai Madhopur (Rajasthan)

Abstract

One of the greatest challenge before the India sub-continent which accommodates more than one-third of the population is poverty. India falls under low income class according to World Bank. Indian economic growth has failed to make a significant improvement in its poverty figures. Government of India started various poverty alleviation programmes but they have failed due to failure to reach the target groups, developing a effective mechanism, leakages in the system and few other. But the microfinance sector has great potential, most promising and cost-effective in the fight against global poverty. Microfinance is being practiced as a tool to attack poverty the world over. Micro finance has been found to be effective tools in lifting the poor from poverty line in India by providing money as a loan for self-employment.

Keywords: *Microfinance, Grammen Banks, SHG, MFI, Poverty Reduction*

Introduction

India has the one of the fast developing country in the world. India's 'first world' economy is oriented to the very highest standards of globalize consumption, and formal sector incomes and lifestyles reflect this. By contrast, the real incomes and 'lifestyles' of the very poor, particularly in rural areas, are comparable very low. One of the greatest challenge before the Indian sub-continent which accommodates more than one-third of the population is poverty. The poverty has been described as a situation of "pronounced deprivation in well-being" and being poor as "to be hungry, to lack shelter and clothing, to be illiterate and not schooled" (World Bank, 2000-2001). Mehta and Shah (2001-02) defines poverty as "the sum total of a multiplicity of factors that include not just income and calorie intake but also access to land and credit, nutrition, health and longevity, literacy and education and safe drinking water, sanitation and other infrastructural facilities."

The poor stay poor, not because they are lazy but because they have not access to capital. Lack of loan and other financial services from banks and other institution forces them to rely heavily on relative or local money lenders at time of needs. Usually interest rate of money lenders is very high. So then vicious circle of low income, low saving, low investment, low production and low employment rate are found in economy. Muhammad Yunus believed that poverty is caused by the system and the poor are credible borrowers and small loans can make a big difference to the poor.

Since 1970 microcredit plays an important role in fighting the multi-dimensional aspects of poverty and offers financial services to low income populations. According to famous economist Robinson, Microfinance refers to small-scale financial services for both credits and deposits-that are provided to unemployed or low-income individuals or groups who would otherwise have no other means of gaining financial services.

Most of the major MFI's deliver very small loans to unsalaried or poor borrowers and reverse vicious circle into virtuous circle of low income, injection of credit investment, more income, more saving, more investment, more production and more employment.

Origin of Micro Finance

In 1720 the first loan targeting poor people was founded in Ireland by the author Jonathan Swift. At this time, they provided financial services to almost 20% of Irish households. The concept of microfinance can be traced back as long to the middle of the 1800s when the theorist Lysander Spooner was writing over the benefits from small credits to entrepreneurs and farmers as a way getting the people out of poverty. But the modern use of the expression "Micro financing "has a root in the 1970s when Dr. Muhammad Yunus started Grameen Bank in Bangladesh. The Grameen Bank Project (Grameen means 'rural'or'village'in Bangla language) came into operation extend banking facilities, eliminate the exploitation, and create opportunities for self employment to poor people in rural Bangladesh.

Micro Finance in India and Needs

In India, the legal frame work for establishing the co-operative movement set up in 1904. But actually Micro finance in India started in 1974 in Gujarat with Shri Mahila SEWA (Self Employment Women's Association) Sahakari Bank. Micro Finance Later evolved in early 1980s around the concept of informal Self-Help Groups (SHG). During 1992, NABARD started linking SHGs to banks in India.

In India around 21.9% populations living below the poverty line (According, 2013). About 60% of the poorest households do not have access to credit. Only 20% access loan from the formal sources. Annual credit demand by the poor is estimated to be about Rs 60,000 crores and only Rs. 12,000 crores are disbursed.

Concept, Features and Overview of Indian Micro Finance

In India, Micro finance has been defined by "The National Microfinance Taskforce, 1999" as "provision of thrift, credit and other financial services and products of very small amounts to the poor in rural, semi-urban or urban areas for enabling them to raise their income levels and improve living standards"

The main features of Micro Financing:

1. Loan is given without security.
2. Loan to those people who live BPL (Below Poverty Line)
3. Even members of SHG enjoy Micro Finance.
4. The terms and conditions given to poor people are decided by NGOs.

Channels of Micro Finance in India

In India microfinance operates through two channels:

1. SHG: Bank Linkage Programme—Under the SHG model the members, usually women in villages are encouraged to form groups of around 10-15. The members contribute their savings in the group periodically and from these savings small loans are provided to the members. SHGs are some support from NGOs and institution like NABARD and SIDBI.

2. Micro Finance Institutions—These institutions lend through the concept of Joint Liability Group (JLG). JLG is an informal group comprising of 5 to 10 individual members who come together for the purpose of availing bank loans either individually or through the group mechanism against a mutual guarantee.

Table 1: Overall progress under SHG-Bank linkage programme

	Particulars	2013-14		2014-15		2015-16	
		No. of SHGs	Amount	No. of SHGs	Amount	No. of SHGs	Amount
SHG Saving with Banks as on 31st march	Total SHGs No	74.30	9897.42	76.97	11059.84	79.03	13691.39

	Particulars	2013-14		2014-15		2015-16	
		No. of SHGs	Amount	No. of SHGs	Amount	No. of SHGs	Amount
Loan Disbursed to SHGs during the year	No of SHGs extending Loans	13.66	24017.36	16.26	27582.31	18.32	37286.90
Loan outstanding against SHG as on 31st March	Total No. SHGs Linked	41.97	42927.52	44.68	51545.46	46.73	57119.23

Source: Status of Microfinance in India report 2015-2016

(In table the amount is in rupees crore and number in lakhs.)

In the above table-1, shows SHGs saving with banks, in year 2013-14 the saving deposited in bank was Rs 9897.42crore, the deposits increased by 11.74% in 2014-15 and reached to Rs 11059.84crore. In successive years there was increasing trend and the amount in saving account was Rs 13691.39crore with the growth rate of 23.79% during 2015-16 respectively.

Loan disbursed to SHGs in 2013-14 was Rs 24017.36 crore, the amount increase by 14.84% in 2014-15 and reached to Rs 27582.31 crore. In 2015-16 amount was Rs 37286.90 crore with the growth rate of 35.18%. Table also showing data about loan outstanding against SHGs and that amount in 2013-14 was Rs 42927.52 crore, the amount increase by 20.07% in 2014-15 and reached to Rs 51545.46 crore. In 2015-16 amount was Rs 57119.23 crore with the growth rate of 10.81%.

Concept of Poverty: Line in India

Inside India, both income-based poverty and consumption-based poverty statistics are in use.

Few methods use in India to officially estimate of poverty:

1. The Task Force (1979)—The Task Force (reported in 1979) defined the poverty line as monthly per capita consumption expenditure (MPCE) level of Rs.49.09 for rural areas and Rs.56.64 for urban areas at 1973-74 prices at national level. These corresponded to the money value of a basket of goods and services that would cover per capita daily calorie requirement of 2400 kcal in rural areas and 2100 kcal in urban areas.

2. The Expert Group (Lakdawala Committee, 1993)—The poverty line approach anchored in a calorie norm and associated with a fixed consumption basket (as recommended by the Task Force) might be continued.

3. Tendulkar Committee (2009)—Tendulkar Committee's approach made four major departures, which, in their view constituted significant improvements over the existing official poverty estimation procedure:- (i)consciously moving away from calorie anchor; (ii) recommending to provide a uniform 'poverty line basket' (PLB) (iii) recommending a price adjustment procedure and (iv) incorporating an explicit provision in price indices for private expenditure on health and education.

Poverty- Line in India

India's current official poverty rates are based on its Planning Commission's data derived from so-called Tendulkar methodology. It defines poverty in terms of consumption or spending per individual over a certain period for a basket of essential goods. Further, this methodology sets different poverty lines for rural and urban areas. India set its official threshold at Rs. 26 a day ($0.43) in rural areas and about Rs. 32 per day ($0.53) in urban areas. While these numbers are lower than the World Bank's $1.25 per day income-based. The World Bank's international poverty line definition is based on PPP basis, at $1.25 per day.

Objective of the Study

1. To understand the relationship between micro-credit and poverty alleviation

2. To analyze the growth of microfinance sector and Self Help Groups in India.

3. To study the impact of micro finance and per capital income.

Research Methodology

This is a descriptive research paper based on secondary data. Data have been found out from different websites, books, research paper and journals collected. Simple calculation and tables are used by researcher to explain the facts and finding the results.

Impact of Micro Finance on Poverty Reduction in India

SHGs members in general and enhancing their income which helps in strengthening their livelihood, increases the self confidence in managing their micro finance programmes. In India microfinance is dominated by SHGs & MFI bank linkage programme, aimed at providing a cost effective mechanism for providing finance services to the poor. Microfinance for the poor and women has received extensive recognition as a strategy for poverty reduction and for economic empowerment. However, there is perceptible gap in financing genuine credit needs of the poor especially women for the empowerment and poverty reduction .Rural development is primarily concerned with addressing the needs of the rural poor in the matter of sustainable economic activities. Reduction of rural poverty can be achieved by starting income generating programmes and small businesses with focus on micro credit as the basic input for socio-economic development. From the income of these small businesses the borrowers of micro credit live quality life, health facilities, education, and nutrition for their family and keep hope for the better future.

Data Analysis & Interpretation

This study focused on per-capital income and poverty relevant data. On the basis of that the finding of the study has been elaborated.

Table 1: Per-capital Income at 2004-05 Price

Year	Per Capital Net National Income at Market Price (in Rs.)
1950-51	7513
1960-61	9482
1970-71	11025
1980-81	11711
1990-91	15996
2000-01	22491
2010-11	39270

Source: Central Statistics Office(CSO)

Table 2: Per-capital Income at 2011-12 Price

Year	Per Capital Net National Income at Market Price (in Rs.)
2011-12	64316
2012-13	66344
2013-14	69959
2014-15	74193

Source: Central Statistics Office(CSO)

From the Table 1 and 2, shows that the per-capital income of India is continuously growing, but after 1990's the rate of per-capital income increases more because SHG provide money as a loan to the poor people for self employment . By that poor people get employment, increases per-capital income and lift him from poverty line. On the basis of that observation it may be say that micro finance may be one of the factors to increase per-capital income and negative relation between per capital income and population under poverty line.

Table 3: Percentage of poor in India

Year	Poverty Ratio in percentage (%)		
	Rural	Urban	Total
1993-94	50.1	31.8	45.3
2004-05	41.8	25.7	37.2
2009-10	33.8	20.9	29.8
2011-12	25.7	13.7	21.9

Source: Planning Commission (Estimated by Tendulker committee methodology)

From the table-3, it is observed that percentage of poverty in India is continuously reduced. In

1993-94 poverty percentage in India is 45.3%.In rural area the poverty is 50.1% and in urban area the poverty is 31.8%, it shows that rural area is more affected by poverty. But the rate of poverty in India is decries because SHG provide money as a loan to the poor people for self employment. Impact of microfinance on poverty line is showing in above table. In 1993-94 poverty percentage in India is 45.3% according Tendulker committee method, the percentage of poverty decries by 8.1% and reached to 37.2% in 2004-05. In 2009-10 poverty percentage is 29.8% and 2011-12 is 21.9% .On the basis of data, we found that the providing of microfinance by SHGs and MFIs helps to reduce the poverty population in India.

Suggestions & Conclution

Microfinance has become more widespread over the last couple decades, as it has been shown to be effective in alleviating conditions of poverty. Creating self employment opportunities is one way of attacking poverty and solving the problems of unemployment. Microfinance could be a solution to help them to extend their horizon and offer them social recognition and empowerment. The present study found that microfinance is an important factor for live a better life by increase per-capital income and reduce and lift up the population under poverty-line.

The following suggestions are made for making the micro finance as effective tool for alleviation of rural poverty:-

- There is a need of Designing financially sustainable models and increase outreach and scale up operations for poor in India.
- Banks should convert and build up professional system into social banking system for poor.
- Micro credit loans are too small to make a dent in poverty alleviation and growth. Micro credit has to do with accumulations of assets physical, financial and human.
- Government of India and state governments should also provide support for capacity building initiatives and ensure transparency and enhance credibility through disclosures.

References

1. Abedin, M.Z. (2002). *Micro Financing Efforts of Grameen Bank in Bangladesh*, New Delhi: Deep and Deep Publications, pp. 467-471.
2. Basu, P. and Srivastava, P. (2005). *Scaling up microfinance for India's rural poor*. World Bank policy research paper, June, pp. 36-46.
3. Patikar, G. and Singha, K. (2010). Scenario of Micro Finance in India: An Overview, *Southern Economist*, Vol. 48, pp. 5-8.
4. Khandker, R. (2005). Microfinance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh. *World Bank Economic Review*, pp. 263–286.
5. Munian, A. (2009). Micro Finance and Poverty Reduction: Analytical Issues. *Economic & Political Weekly*, pp. 43-46.
6. Srinivas Rao, K. (2008). Micro Finance to the Poor: A Tool for Poverty Alleviation and Women Empowerment. *The Management Accountant,* 43, pp. 86-87.
7. NABARD. (2016). *Status of Microfinance in India 2015-2016*. Annual Report of National Bank for Agriculture and Rural Development: Mumbai.
8. Planning Commission. (2013). *NSS 68th Round: 2011-12.* New Delhi: Government of India.
9. Central Statistics Office. (2015). *Economic Survey Report: 2014-15*. New Delhi: Government of India.

Sexual Harassment of Working Women at Workplace

Dr. Vijay Laxmi Sharma

Associate Professor, Department of Law
Manipal Unniversity, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

The entire purpose of this research paper stems backs to the landmark judgement by the Supreme Court of India in Vishaka v. State of Rajasthan. It was in fact in this case for the very first time, that sexual harassment at the workplace was acknowledged to be a human rights violation, and elaborate guidelines were put into place. Sexual harassment at workplace was becoming an intolerable and uncontrollable menace. Amidst various other developments, controversies and delays, the Indian legislature finally enacted the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (Act No. 14 of 2013), with an objective to protect women against sexual harassment at workplace and to put in place a redressal mechanism to handle complaints. The Act has effectively adopted and revised the guidelines laid down in the Vishaka judgement with added provisions of rigour and compliance. It is important to note certain loopholes in the provisions of the said legislation. Various sections of society have raised their own concerns and objections towards the Act, which may or may not be justified from a particular point of view.

Keywords: *Sexual Harassment, Fundamental Right, Gender Equality, Supreme Court Guidelines*

Introduction

"Sexual harassment is a form of sex discrimination projected through unwelcome sexual advances, request for sexual favours and other verbal or physical conduct with sexual overtones, whether directly or by implication, particularly when submission to or rejection of such a conduct by the female employee was capable of being used for effecting the employment of the female employee and unreasonably interfering with her work performance and had the effect of creating an intimidating or hostile working environment for her" ***—Hon'ble Supreme Court***

The sexual harassment of women particularly the working women at work place by their male counterparts is one of the evils of the sexual harassment of working women. There is no gainsaying that each incident of sexual harassment at the place of work, results in violation of the Fundamental Right to Gender Equality and the Right to Life and Liberty, guaranteed by the Constitution of India. As early as in 1993 at the ILO Seminar held in Manila, it was recognised that sexual harassment of women at the workplace was a form of gender discrimination against Women. In the opinion of the court, the contents of Fundamental rights are of sufficient amplitude to encompass all facets of gender equality, including prevention of sexual harassment and abuse. The sexual harassment of a female at workplace is incompatible with the dignity and honour of a female and needs to be eliminate and that there can be no compromise with such violations admits of no debate. The message of International Instruments such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,1979 (CEDAW)

and the Beijing Declaration which directs all State parties to take appropriate measures to prevent discrimination of all forms against women besides taking steps to protect the honour and dignity of women is loud and clear.

Sexual harassment at the place of workplace is a universal problem. Even though the occurrence of Sexual harassment at the workplace is widespread in India and elsewhere, this is the first time it has been recognised as an infringement of the Fundamental Rights of a woman.

Sexual Harassment of Women At Workplace As A Problem

Sexual Harassment is one of the biggest problems our women are facing today in different sectors of life. We rarely pass through a week without a reminder of these kinds of incidents which should be termed as "social problems".

It is a growing problem and all are trying their best to combat this problem by adopting new policies and measures. The definition of sexual harassment varies from person to person and from jurisdiction to jurisdiction. The definition of Sexual Harassment in simple words is "any unwanted or inappropriate sexual attention. It includes touching, looks, comments, or gestures".

A key part of Sexual Harassment is that it is one sided and unwanted. There is a great difference between Sexual Harassment and Romance and Friendship, since those are mutual feelings of two people. Often Sexual Harassment makes the victim feel guilty, but it is important for the victim to remember that it is not her fault; the fault lies totally on the person who is a harasser. Sexual Harassment affects all women in some form or the other.

Many times fear is involved in Sexual Harassment because it isn't physical attraction, it's about power. In fact, many Sexual Harassment incidents take place when one person is in a position of power over the other; or when a woman has an untraditional job such as police officer, factory worker, business executive, or any other traditionally male job.

It has also been observed that there are lots of sexual harassment incidents taking place in the workplace, but the victims fear to report the same to the higher officials or the concerned authorities. They fear to file a complaint against such offenders who does such heinous acts. The fear is due to the fear of boss, fear of guilt in the society that they might have to face, fear of being thrown out of the job or being demoted, fear that it will jeopardize their career as in it will put a blot on their resume and would render them un-hireable. Some women have lack of knowledge-they do now know what exactly qualifies a sexual harassment and fail to report the same.

Every country is facing this problem daily. No female worker is safe and the sense of security is lacking in them. There are certain developments in laws of many countries to protect women workers from Sexual Harassment.

Sexual Harassment is major problem in school, college's universities and institutions, and its percentage is increasing day by day. Surveys on college campus show the number of respondents reporting have been sexually harassed ranging from 40-70 percent. Only two percent of campus harassment involves a professor demanding sex in return for good grade. Most cases involve male and female students.

Definition of Sexual Harassment of Women in Workplace

One of the difficulties is to understand this concept as it involves a range of behaviours, even the victims find it difficult to explain what they experienced.

There have been efforts from both national and international level still there is no single definition which can define prohibited behaviour. The international instruments define Sexual Harassment as "violence against women and discriminatory treatment which is a broad definition compared to the national laws. National laws focus on the illegal conduct more

In general sense it is known as "unwelcome sexual favour and other verbal or physical conduct of a sexual nature that tends to create a hostile or offensive work environment"

The Hon'ble Supreme Court in Vishakha Case has defined Sexual harassment includes such unwelcomed sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as:-

- physical contact and advances;
- a demand or request for sexual favours;
- sexually coloured remarks;
- showing pornography;
- any other unwelcomed physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature.

Unwelcome Behaviour is the critical word. Unwelcome does not mean "involuntary." A victim may consent or agree to certain conduct and actively participate in it even though it is offensive and objectionable. Therefore, sexual conduct is unwelcome whenever the person subjected to it considers it unwelcome. Whether the person in fact welcomed a request for a date, sex-oriented comment, or joke depends on all the circumstances.

Direction issued by Hon'ble Supreme Court

Gender Equality includes protection from sexual harassment and right to work with dignity, which is a universally recognised basic right. The common minimum requirement of this right has received global acceptance. The International Conventions and norms are therefore, of great significance in the formulation of guidelines. In a public interest litigation filed before the Supreme Court, the need for effective legislation to curb sexual harassment of working women was emphasised. In Vishakha case, the Supreme Court observed that in the absence of enacted law to provide for the effective enforcement of the basic human right of gender equality and guarantee against sexual harassment and abuse, more particularly against sexual harassment at work place, the court lays down the guidelines and norms specified hereinafter for due observance at all work places or other institution, until a legislation is enacted for the purpose. This is done in exercise of the power available under Article 32 of the constitution of India in the enforcement of the Fundamental Rights and it is further emphasised that they would be treated of the law declared by this court under Article 141 of the Constitution.

- It is necessary and expedient for employers in work places as well as other responsible persons or institutions to observe certain guidelines to insure the prevention of sexual harassment.
- It shall be the duty of the employer or any other responsible person in work places or other institutions to prevent or detect the commission of acts of sexual harassment by taking all steps required.

These guidelines will not prejudice any rights available under the Protection of Human Rights Act, 1993.

Preventive Steps—All employers or persons in charge of work place whether in public or private sector should take appropriate steps to prevent sexual harassment. Without prejudice to the generality of this obligation they should take the following steps:

a. Express prohibition of sexual harassment as defined above at the work place should be notified, published and circulated in appropriate ways.

b. The rules of government and public sector bodies relating to conduct and discipline should include rules prohibiting sexual harassment and provide for appropriate penalties in such rules against the offender.

c. As regards private employers, steps should be taken to include the aforesaid prohibitions in the standing orders under the industrial employment (standing orders) act, 1946.

d. Appropriate work conditions should be provided in respect of work, leisure, health and hygiene to further ensure that there is no hostile environment towards women at work places and no employee woman should have reasonable grounds to believe that she is disadvantaged in connection with her employment.

Criminal Proceedings—Where such conduct amounts to a specific offence under the IPC or

under any other law, the employer shall initiate appropriate action in accordance with law by making complaint with the appropriate authority.

In particular, it should ensure that victims or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment.

Disciplinary Action—Where such conduct amounts to misconduct in employment as defined by the relevant service rules, appropriate disciplinary action should be initiated by the employer in accordance with those rules.

Complaint Mechanism—Whether or not such conduct constitutes an offence under law or a breach of the service rules, and appropriate complaint mechanism should be created in the employer's organization for redress of the complaint made by the victim. Such complaint mechanism should ensure time bound treatment of complaints.

Internal Complaints Committee—The complaint mechanism, referred to above, should be adequate to provide, where necessary, a complaints committee, a special counsellor or other support service, including the maintenance of confidentiality. The complaints committee should be headed by a woman and not less than half of its member should be women. Further, to prevent the possibility of any undue pressure or influence from senior levels, such complaints committee should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment.

The complaint committee must make an annual report to the government department concerned of the complaints and action taken by them.

The employers and person in charge will also report on the compliance with the aforesaid guidelines including on the reports of the complaints committee to the government department.

Worker's Initiative—Employees should be allowed to raise issues of sexual harassment at a workers' meeting and in other appropriate forum and it should be affirmatively discussed in employer-employee meetings.

Awareness—Awareness of the rights of female employees in this regard should be created in particular by prominently notifying the guidelines (and appropriate legislation when enacted on the subject) in a suitable manner.

Third Party Harassment—Where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, the employer and person in charge will take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action.

Duties of Government—The central/state governments are requested to consider adopting suitable measures including legislation to ensure that the guidelines laid down by this order are also observed by the employers in private sector.

These Guidelines are enforceable as law, till legislation is enacted—The Hon'ble Supreme Court held that these guidelines and norms would be strictly observed in all workplaces for the preservation and enforcement of the right to gender equality of the working women. These directions would be biding and enforceable in law until suitable legislation is enacted to occupy the field.

Finally Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (Act No. 14 of 2013) was passed.

The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 introduced changes to the Indian Penal Code, making sexual harassment an expressed offence under Section 354 A, which is punishable up to three years of imprisonment and or with fine. The Amendment also introduced new sections making acts like disrobing a woman without consent, stalking and sexual acts by person in authority an offence.

Conclusion and Suggestions

One can prevent this issue at different levels, government, organizational and individual level by trying to prevent this issue by confronting and not blaming anyone.

- At the Organizational level the employer can provide safe and harassment free environment through provisions and regulations

framed within the organization. The sense of security which can be derived from this organization policy can facilitate to work effectively and efficiently for a productive outcome.

- Employers must conduct monthly meeting with employees to know their problems. Accordingly they can provide a safe working environment.
- From the angle of Government, a tremendous job has been enacting a law to eliminate this social problem of Sexual Harassment. There is a need to bring empowerment of women through educational programmes and knowledge which will help them to recognize and realize their basic rights.
- The media can play an important role in curbing this curse from the society through films, news, advertisements, dramas these are approachable to the public and through other sources like debates, talk shows, and the media can change the mindset of the people.
- If the women group or workers come to know about any such harassment, they must bring it to the notice of the complaint committee. It is the duty of the committee to keep everything confidential. Every female worker should know that it is employer's legal duty to provide women employee with a safe working environment. All the male employees must understand these kinds of incidents affect the health, confidence and ability of a woman and will also lead her to leaving the job.
- Above all these there should be social acceptability. Women should not fear to come forward with their problems and complaints. They must be feeling courageous to speak out for themselves. There must be greater involvement of public in awareness programmes and they must play a greater participatory role in governance.
- Law Reform Required: One of the limitation of this act is that it excludes men from the scope. This is not a fair treatment. The act must be amended to include men also so that they can also approach the Internal Complaint Committee/ District Committee for their grievances or complaints which can definitely show and prove equal treatment of men and women in the workplace.

References

1. All India Reporter (AIR) (1997) SC 3011.
2. *Most Women are abused, harassed and assaulted at work, Says Survey.* Available at: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-12-08/news/44910785_1_online-survey-abuseaccusation (Accessed 15 Feb. 2014)
3. Hereinafter referred to as "the Act" or "the Sexual Harassment Act".
4. *Know Your Rights: How Law Protects Against Sexual Harassment.* Available at http://www.hindustantimes.com/india-news/know-your-rights-how-law-protects-against-sexualharassment/article1-1154664.aspx (Accessed 8 Feb. 2014).
5. Apparel Export Promotion Council v. A.K.Chopra. (1999). AIR 1999 SC 625 : 1 SCC 759.
6. Vishakaha supra
7. BNA Communications, Inc. (1992). *Preventing Sexual Harassment.* SDC IP .73 1992 manual.
8. All India Reporter (AIR) (1997). 6 SCC 24.

Issues before India and Africa with special reference to Indian Ocean

Dr. Raj Kumar Bairwa

Lecturer, Department of Political Science
Government Arts P.G. College, Dausa (Rajasthan)

Abstract

The Indian Ocean is crucial in fostering India's security and geo-political interests. In the 21st century, the contours of global security is changing and today there are ample indication of the recognition of ''linkage between Indian maritime activities in Indian Ocean and her place in the world". Over the years, geopolitical theorists have highlighted the importance of geography in determination of foreign policy consideration such as acquisition of national boundaries, access to important sea routes, and the control of strategically important land areas. In the first decade of 21st century, Indian Ocean Region (IOR) is witnessing sweeping changes and considerable turbulences. On 16 December, 1971, the United Nations General Assembly adopted a resolution declaring the Indian Ocean 'for all time as a zone of peace'. The region is a hub of commercial and military activities with huge economic growth based on trade over the sea. This ocean has always been central to Indian economy, prosperity, its freedom, and remains so even today. Due to its geographical location and growth trajectory, Indian occupies a strategic location in the IOR, which it consider to be its 'backward'. However, there are pressing challenges to national security such as piracy, smuggling, sea level rise, illegal fishing, natural disasters, rampant poaching, terrorism and others which demands maritime responses. Hence, it is imperative for India to create a secure maritime environment through strong and effective military especially naval capabilities. As its capabilities get further enhanced in the future, so will its role as a net security provider in the Indian Ocean region. Both India and African countries can form a consortium of both government and private players to look for feasibility studies and thereafter exploration, but in a sustainable manner.

Keywords: *Geo-strategy, Maritime Security, Economic Growth, Indian Ocean Region*

Introduction

The Indian Ocean ties together Africa, the western wall of this expanse of water, and India, part of the roof forming the northern boundary (Panniker, K.M). Long before the arrival of the Europeans, seasonal monsoon trade winds brought cereals, vegetable crops and iron from Sudan, Ethiopia and the Horn of Africa into India, and carried Indian spices, cotton and textiles to the eastern coast of the continent and beyond (Passi, R). Today, the Indian Ocean is home to 40 percent of the world's population, more than 50 percent of the world's oil and 45 percent of world's gas reserves and significant seabed mineral resources. The ocean also has an active maze of sea lanes that carry half of the world's container shipments and two-third of the world's oil shipments. However, the economic, energy and strategic arteries in the Indian Ocean are facing threats from piracy, terrorism and trafficking. This is why; conversation on maritime security is increasingly focusing on regional and sub-regional responses. It is this context that the southern and south-western parts of the Indian

Ocean become commons for both India and the eastern littoral and island states of Africa to engage in for shared growth, common security and mutual benefit. This holds particularly true given India's rise and growing Afro-optimism. India Ocean and secure its vital interests; resource-rich eastern African littorals are showing the most promising growth trajectories in the continent and are increasingly turning towards the Indian Ocean. From the first India- Africa Forum Summit declaring the two "neighbours across the Indian Ocean," to the Addis Ababa Declaration welcoming Indian efforts to protect shipping in the Indian Ocean from piracy, there is growing interest in, and recognition of the potential for, a multifaceted maritime relationship in these waters that addresses shared maritime concerns and prospects.

India's interest in Africa's ocean waters grew with the discovery of vast array of natural resources in the Western Indian Ocean region. This region refers to the African coastal states of Somalia, Kenya, Tanzania, Mozambique and South Africa, together with the Indian Ocean island states of Comoros, Seychelles, Madagascar, Mauritius and Reunion. Out of 54 African states and islands, 39 are littoral. About 200 million rely on the ocean for food and nutrition and there are 10 million employments in this sector (UNCTAD 2014). This region provides India with opportunities to expand and diversify both trade and capacity building linkages.

Maritime Security

During cold war, the newly independent Indian Ocean states of Asia and Africa became subjected to competition between superpowers. The resultant security balance in the region dissipated with the end of Cold War. The post-Cold war era saw the region become less stable, with much rivalry, competition and turmoil. Moreover, the maritime security environment in the Indian Ocean underwent transformation due to weak government structures and a limited capacity to control maritime domains, all types of illicit activities began to flourish. As a result, the region presented considerable maritime security challenges and are affected by key variables such a militarization within the region, involvement of major and extra-regional powers, and non-traditional security threats. India's essential approach to maritime cooperation with Africa has revolved around its central security concerns in African waters. However, in recent years, there has been a putative recognition in India's nautical outlook towards Africa. India is putting increasing emphasis on developing maritime cooperation with countries such as Mozambique, Seychelles, Kenya, Mauritius and Madagascar. India has reached out to African states through offers of greater military aid, capacity building and training assistances. With its economic engagement in the African continent growing, New Delhi has also sought to widen its sphere of influence in the Western Indian Ocean. Indian naval ships have also increased their port visits to Africa's east coast and smaller Indian Ocean island states – in a display of more purposeful military diplomacy (Singh. 2015). Piracy in the Gulf of Aden has been a primary threat facing Indian ocean sea lanes of communication. Following escalation of Somalia piracy, India was one of the first nations to bring anti-piracy operations in the area in October 2008. Since then, the Indian Navy has escorted over 2100 merchant vessels, Indian and foreign, and till now, has prevented 40 piracy attempts on such ships (Naidu 2012). Given its proximity to this region, Seychelles' coast guard has also become increasing involved in counter-piracy. Following dedicated involvement of several nations individually, jointly or in combined task forces, piracy in Gulf of Aden has declined. The Gulf of Guinea and East Asia has become the new piracy hotspots. However, it is important to note that the security situation is far from being resolved. Governance gaps and ineffective security apparatus along the eastern African flank, as well as rise in illegal finishing in the area, could encourage a resurgence of piracy in the Gulf of Aden. This would again threaten Indian trade and energy shipping routes, most of which passed through here, but also harm economic growth and integration of the African states in question.

India's existing security-related engagement with Africa in the Indian Ocean has mostly been through bilateral cooperation with Mauritius, Seychelles d Madagascar. For example, Mauritius commissioned the Indian made offshore patrol vessel 'Barracuda' into its navy; Indian prime minister Narendra Modi launched the first of the planned 32 Coastal surveillance Rader stations in Seychelles; India has also developed significant ties with Mozambique, regularly patrolling the Mozambique channel, supplying equipment and training, and provided maritime security during two summits in 2003 and 2004 held in Maputo (Passi, 2015). Indian Navy's involvement in anti-piracy operation since 2008 has led greater bilateral interactions with navies in the region Apart from regular shipping visits, efforts are also made to share best practices and build capacity building through training, transfer of naval hardware and intelligence sharing. Forward engagement between India and African countries, deepening existing defence partnerships and strengthening dialogues between navies and coast guards. It should involve building common understanding and promoting cooperative solutions in multilateral for a, and exploring options for multiple joint naval exercises. While India can certainly strive to fill gaps in southern and south-western Indian Ocean, the ultimate aim must be to assist African maritime neighbours in building maritime security capabilities. In this respect, the Indian Navy, on October 26, 2015 released its latest maritime strategy titled ''Ensuring secure seas: Indian maritime security strategy.'' This 2015 maritime security strategy will take into consideration the changing geopolitical environment and its strategic implications on India's maritime interests. It will look to compliment the evolving security dynamics in the Indian Ocean and reflect a bold Indian Navy with a renewed outlook on India's maritime needs (baruah.2015).

Development of ports

India and Africa in recent years has collaborated in the development of various listening ports, especially in the Western Indian Ocean region. PM Modi's five day Indian Ocean tour between 11th-14th March 2015 was mainly aimed at improving maritime ties between India and the Indian Ocean states. In this visit, PM Modi signed MoUs to develop infrastructure on Agalega Island in Mauritius and Assumption Island of Seychelles, the two islands are now possibly India's most important strategic foothold in the region through which two-thirds of the world's energy supplies pass. Agalega is more than 1000 km north of Mauritius and Assumption Island, 600 nautical miles southwest of Seychelles capital, Mahe (Unnithan, S, 2015). India will build airfields and facilities on both the islands. This is of paramount strategic significance to India as China dominated the realm of purposeful engagement with the island nations, despite India's central location in the region. These two islands will add to Indian listening port in Madagascar, off the coast of Africa, commissioned in 2007 to monitor activities of foreign navies in the Indian Ocean Region (IOR)

The Indian Ocean Rim Association for Regional Co-operation (IOR-ARC)

Following the transformation of the global security environment, the opportunity for co-operation and interaction between Indian Ocean Rim countries. It was established in Mauritius in 6-7th March 1997 with the aim of promoting economic and technical cooperation, including expansion of trade and investments (MEA). It compromises of 18 member states: Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Kenya, Iran, Madagascar, Seychelles, Mauritius, Singapore, Mozambique,

Oman, South Africa, Tanzania, Sri Lanka, Thailand, UAE and Yemen. However, Seychelles withdrew from the association in July 2003. The association's dialogue partners are China, Egypt, France, Japan and UK. There are also two Observers namely, Indian Ocean Research Group (IORG) and Indian Ocean Tourism Organisation (IOTO). The Charter of IOR-ARC was adopted by 14 member countries in 1997 and was revised in 2010 (MEA. 2013). The major aim of IOA-ARC is to open the region based on four major

components: trade liberalisation, trade and investment facilitation, economic and technical co-operation, and trade and investment dialogue. However, it does not address defence and security cooperation directly as the aim of 'open and free trade' implies maritime security (ISS. 2012). Cooperation among countries in the Indian Ocean Rim will help to bring about collective self reliance through sharing of experience and expertise.

Blue Economy

In present times, the world is witnessing a debate about the viability of 'Blue' and 'Ocean' economy and whether these are possible alter-native models of development and growth. Blue Economy (Ocean or Maritime) is defined as 'economic and trade activities that integrate the conservation and sustainable use and management of biodiversity, including maritime ecosystems, and genetic resources' (Pauli, Gunter). With increasing environmental pollution, global warming and climate change, different models of development and growth are being examined by policy experts. The ultimate aim is to promote employment, productivity, and reduce emissions so hat so that countries can have sustainable economic development and there is equilibrium, which is acceptable to both developed and developing nations.

The ocean/blue economy holds immense potential for all littoral states of Africa. It focuses on areas such as fishing, shipping, maritime transport, coastal tourism, marine energy (fossil and renewable, such as wind and tidal energy), pharmaceutical and cosmetic industries, genetic resources and also blue carbon trading opportunities. All these aforementioned sectors in the African littoral countries are in various phases of development, facing both challenges and great potential. The African Union (AU) recognizes the potential of ocean economy and has been promoting for the sustainable use of Africa's ocean for the benefit of both current and future generations of Africans. It has declared Blue Economy as the 'new frontline of Africa's renaissance.' The Integrated Maritime Strategy for Africa 2050 (2050 AIMS) was adapted by AU in January 2014. Its vision is "to foster more wealth creation from Africa's oceans, seas and inland water ways by developing a thriving maritime economy and the realizing the full potential of sea-based activities in an environmentally sustained manner".

Possibilities of Cooperation between India and Africa

There are various areas in which India can assist Africa in realizing its vision and aim of fostering Blue Economy in a sustainable manner.

Shipping Industry

One of the vital areas of cooperation that African nations and India can explore is of Ship manufacturing given the fact that India has limited capacity for ship building and many of its private shipyards needs ancillary industries that can support large ship building industry. African nations and their capabilities can be enhanced in this regard. Further, a feasibility study can be commissioned to look for complementarities.

Exploration of Marine resources

Deep-sea mining is a major issue of competition between Indian and China in the IOR. The search for rare earth material, drive by telecom industries, has led to competitive pursuit for deep-sea mining. The recent discovery of oil and gas reserves in many Western Indian Ocean countries will create new avenues of wealth for the non state actors already operating in the region. Much of African oceans remain unexplored and therefore there is a need to gather information and describe what resources are available and how they can be used sustainably. India can partner African nations in research and hydrographical surveys. Countries like Tanzania, Mozambique, and Kenya which have rich mineral resources in their continental shelf need scientific expertise and deep-sea mining technology to explore minerals in their sea bed. India can provide expertise in this regard.

Fisheries

Fisheries are a major source of food security and export earnings in most of the countries

in the region. Many African nations witness over exploration of fisheries in their waters by multinational companies and large merchandised trawlers. This over exploitation has resulted in piracy in the Gulf of Aden as the coastal communities are deprived of their only source of livelihood. India can assist in terms of fish culture and creating zones for fish breeding. This will provide necessary employment for the coastal communities and during the lean seasons, the packaging and processing industry can be promoted.

Tourism

It offers a rich potential of co-operation for both promoting intra-regional tourism as well as third country tourism. In many countries, tourism plays an important role in the national economic activity. Better connectivity of land routes and easing of visas will go a long way in promoting intra-regional tourism in the region. This region presents a major avenue for joint promotion of a tourist circuit. Most of the countries share cultural links and values. Joint packages combining air links, cruise liners and overland connections can be a major attraction. Primarily, the cooperation between India and Africa can be possible in the following sectors as well—

- Renewable energy resources such as tidal, solar and wave energy for the Ocean economies.
- Protection of Sea bed resources and marine environment.
- Bio-tourism and marine based green activities like Ocean aquariums.
- Coastal diversity parks
- Marine reserve areas
- Fisheries breeding areas and fishing ban enforcement
- Pharmaceutical industries

Conclusion

In the overall perspective, India should first outline its comprehensive Blue Economy policy which should in turn outline its economic, scientific and commercial aspects. India should look to develop joint study mechanisms and should act as a custodian of data and information about the Indian Ocean. This knowledge repository could be used for framing policies as well as effective implementation of utilizing Ocean resources in consultation with the African countries. As African countries are exploring the possibility of utilizing Ocean resources for their development, there is a need to create more micro projects and work it on a yearly basis. Moreover, the small-scale industries dependant on Ocean resources can be explored further. This will incorporate the interest of coastal communities as well as governments. Both India and African countries can form a consortium of boot government and private players to look for feasibility studies and thereafter exploration, but in a sustainable manner

References

1. Roy. P.K. (2014). Indian Ocean region: Strategic Importance and evolving trends. *India Strategic.* Available at-http://www. Indiastrategic.in/topstories3629_Strategic_Importance_and_Evolving_Trends.htm
2. Passi, R. (2015). *Common Futures: India and Africa in Partnership.* Observer Research Foundation. Vinset Advertising.
3. Jha, Uma Shankar. (Ed). *India-Africa Relations: Prospects in the New Millennium.* Delhi: Association of Indian Africanist.
4. Yadav, S. (2001). *Security Perception and Regional Cooperation: The Indian Ocean Rim Association.* Association of Indian Africanist.
5. United Nations Conference on Trade and Development (UNICEF) (2014). *The Ocean Economy: Opportunities and Challenges for Small Island Developing States.* United Nations Publication.
6. Singh, A. (2015). *Reenergising India-Africa Maritime Relations. Institute of Defence Studies and Analyses.* Available at- http://www.idsa.in/idsacomments/reenergising-india-africa-maritime-relations_asingh_281015
7. Dubey, A.K. and Biswas, Aparajita. (2015). *India and Africa's Patnership: A Vision for a New Future.* Delhi: Springer Publisher.
8. Naidu, G.V.C. (2012). Prospects of IOR-ARC regionalism: An Indian Perspective. *Journal*

of Indian Ocean Region. USA: Bloomsbury Publishing.

9. Baruah, D. (2015). India's Evolving Maritime Strategy. *The Diplomat.* Available at: http://thediplomat.com/2015/12/indians-evolving-maritime-strategy/
10. Ministry of External Affairs. (MEA) (GOI). *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC).* Available at: http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation?IORARC.pdf
11. Potgieter, T.. (2012). *Maritime Security in the Indian Ocean: strategic setting and features.* Institute of Security Studies. August. (236). Available at: https://www.issafrica.org/uploads/Paper236.pdf
12. Unnithan, S. (2015). India's string of flowers. *India Today.* Available at: http://indiatoday.in/story/indian-ocean-narendra-modi-significant-toeholds/1/426012.html
13. Pauli, G. (2013). *The Blue Economy.* Available at: http://www.gunterpauli.com/the-blue-economy.html (Accessed 17 Apr. 2016).

Application of Natural Justice in Administrative Action in India

Dr. Rekha
Assistant Professor, Department of Law
Hans Law College, Kotputli, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

Over the years by a process of judicial interpretation two rules have been evolved as representing the principles of natural justice in judicial process. They constitute the basic elements of a fair hearing, having their roots in the innate sense of man for fair play and justice which is not the preserve of any particular race or country but is shared in common by all men. The first rule is "nemo judex in causa sua" or "nemo debet esse judex in propria causa sua" as stated in Earl of Derby's that is, "no man shall be a judge in his own cause". Coke used the form "aliquis non debet esse judex in propria cause, quia non potest esse judex et pars" , that is , "no one can be at once suitor and judge" is also at times used. The second rule is "audi alteram partem", that is "hear the other side".

Keywords: *Statute, Reasonable Opportunity, Natural Law, Administrative Decision*

Introduction

Natural justice as synonymous of natural law has been used as the ethical justification of law. It is regarded as the ideal source of standard positive law. It is the test of 'rule of law', whether they are in accordance with inherent human values or not. The Bible records in first, the very first reference to the principles of natural justice. Before expelling Adam and Eve from the Garden of Eden for disobeying injunctions of God by having tested the fruit of knowledge, which was forbidden to them in strict sense, God asked Adam why he had disobeyed him, thus affording them a chance to explain him. Therefore, the descendent of Adam also should find inspiration from God, our creator.

The main purpose of this paper is to assess the application of the Principles of natural justice in India in administrative, quasi-judicial and judicial actions. Further the paper attempts to analyses the situations, as to how non- observance of the principles of natural justice causes injustice to the employees working in an organisation. The paper also attempt to clarify the meaning, nature, scope and objects of principle of natural justice in India. For this purposes the paper has been divided in the following six parts:

Historical Background

(a) India: It is evident that since Vedic times philosophy of Natural justice has been an integral part of indigenous legal, social and political system. The concept of 'Dharma' has all been pervading, governing, ordering and regulating human beings in their earthly and spiritual pursuits, Vedas and other Dharma Shastras are saying of 'God'. Since then they have been a moral force helping man to attain freedom from bondage, indiscretion and exploitation. In Shastras validity of the natural justice is summed up in two maxims – 'Satya Mev Jayate" and 'Yatosta Dharmotato Jai', meaning thereby truth always prevails and there is always a triumph of religion. In common parlance it means goodness over evil, truth over false-hood and Dharma over

Adharma must prevail. Manu the eminent saint and the creator of Hindu Philosophy has also suggested some norms of natural justice for the individual to apply them in day to day life.

(b) Rome: Natural justice was in existence even in Rome in the form of 'Jus Naturale'. Holdswarth[1], has pointed out in this regard that according to Roman lawyers, the State existed to promote justice and this was achieved through the instrumentality of law. Roman believed that law governed the kingdom of their emperor. One variety of such law was the 'jus- naturale'.

(c) England: In England, the concept of natural justice appeared in the form of equity during the fifteen century. In fact the principles of equity were the notions of natural justice as entertained by various chancellors, presiding over equity courts. These principles were based upon moral rules. Snell[2], has defined equity as being a portion of natural justice of such a nature as properly to admit of being judicially enforced by common law courts, the omission being supplied by a court of chancery. In its popular and practical sense equity is regarded as equivalent to natural justice[3].

No doubt some of the maxims of equity seems to be the embodiment of natural justice, such as "equity will not suffer a wrong to be without a remedy", or " he who comes into equity must come with clean hands". Other maxims like, 'equality is equity' seems to be based on commonsense. It may be pointed out that perhaps commonsense is the first cousin of natural justice. In fact, natural justice is an expression of English common law and it is based on Latin Maxims i.e. (1) "Nemo debet esse judex in propria causa" which means that no one should be a judge in his own cause or that the tribunal must be impartial and without bias. (2) " audi Alteram Partem" which means hear the other side or that both sides in a case should be heard or that no man should be condemned unheard. Which were drawn by common law from 'jus-naturale'[4].

Ridge v. Baldwin[5],was a landmark decision considered to be a turning point in judicial thinking in England as to the principles of natural justice to control administrative action wherein the correct view of Lord Atkins was explained. Lord Reid in this case explained that it was fallacy in the earlier cases to interpret the statement to mean that the duty to act judicially was a "super added" condition , it merely flowed from the nature of the rights of the individual. He made it clear that whether in particular case, ' Audi Alteram Partem' rule was to be applied or not depend upon the nature of the duty or power conferred.

(d) USA: In the United States of America, the concept of natural justice is part of the "due process" clause as enacted in the Fifth Amendment and in Section 1 of the Fourteenth Amendment of the Constitution. The "due process" clause in these two amendments forbids a state to deprive any person of his life, liberty and property, without due process of law. Apparently the "due process clause covers only the legal field and extends only to the rights of life, liberty and property; the large area of administrative justice covering the vast field of other rights is yet outside the constitutional arena. The fourfold principles of justice, viz. notice, opportunity of hearing, an impartial tribunal and an orderly course of procedure is now, in the United States, a settled practice both in legal as well as administrative justice. But despite this constitutional sanctity to the concept of natural justice the American judiciary has not missed to reckon these requisites with fundamental justice[6].

(e) France: In France[7], there are unwritten principles, deduced in decisions of the courts from jurisprudential notions of natural justice and the revolutionary ideas of liberty, equality and fraternity, enshrined in the preamble of every constitution since 1789 including that of 1958. These general principles are required to be observed by the administrative authorities. Their non-observance will make an 'act administratiff' illegal.

(f) Australia: In Australia, it is frequently provided that an official or a statutory body shall reach decisions affecting the rights of the citizens

only in accordance with a hearing procedure presented by the statute, which grants the power. In some circumstances where no hearing procedures are prescribed and some are adopted the courts will imply a duty to observe the rules of natural justice and enforce that duty.

Meaning, Nature and Scope of Natural Justice

"Natural justice has been variously defined by different Judges. A few instances will suffice. In Drew v. Drew and Leburag[8], Lord Cranworth defined it as "universal justice". In James Dunber Smith v. Her Majesty the Queen[9], Sir Robert P. Collier, speaking for the Judicial Committee of the Privy Council, used the phrase "the requirements of substantial justice", while in Arthur John Spackman v. Plumstead District Board of Works[10], the Earl of Selbourne, S.C. preferred the phrase " the substantial requirement of justice". In Vionet v. Barrett[11], Lord Esher, M.R. defined natural justice as " the natural sense of what is right and wrong." While, however deciding Hookings v. Smethwick Locxal Board of Health[12], Esher, M. R. instead of using the definition given earlier by him in Vionet's case chose to define "natural justice as "fundamental justice". In Ridge v. Baldwin[13], Harman , L.J. in the Court of Appeal countered natural justice with "fair play in action" , a phrase favoured by Bhagwati , J. in Maneka Gandhi v. Union of India[14] . In Re. R.N.. (An infant)[15], Lord Parker, C.J. preferred to describe natural justice as "a duty to act fairly". In Fair mount Investments Ltd. v. Secy. of State for Environment[16], Lord Russell of Killowen somewhat picturesquely described natural justice as "a fail crack of the whip". While Geoffrey Lane, L.J. in R. v. Secy. Of State for Home Affairs, ex parte Hosenball[17], preferred the homely phrase "common fairness". Further, the different writers have also differently understood the concept of natural justice as some regarded it as divine law; others took it as a form of jus-gentium or the common law of nations[18]. And others regarded it as synonymous with the expressions such as 'Natural Law', universal law[19], 'eternal law', 'the laws of god', 'Natural equity'[20], 'the substantial requirement of justice', 'the essence of justice'[21], 'substantial justice'[22] 'fundamental justice'[23], 'he first principle of justice'[24], 'rational justice'[25], 'divine justice'[26], 'essential principles of justice'[27], 'the principles of British justice'[28] and the like.

The Supreme Court of India in National workers Union v. P.R. Ramkrishnan[29], observed as follows: "There is peculiar and surprising misconception of natural justice, in some quarters, that it is exclusively a principle of administrative law. It is first a universal principle and therefore, a rule of administrative law. It is that part of the judicial procedure which is imported into administrative process because of its universality"[30] Canara Bank vs V.K. Awasthy on 31 March, 2005"[31]

In response, learned counsel for the respondent-employee submitted that prejudice is writ large and did not be pleaded. Merely because no specific ground regarding prejudice was taken either in the Memorandum of Appeal or at the time of personal hearing that does not cure the fatal defect of violation of principles of natural justice. It is not in dispute that in the meantime the respondent has reached the age of superannuation, even if the order of dismissal is kept out of consideration. In the instant case, undisputedly respondent-employee did not raise any ground relating to violation of principles of naturaljustice in either the Memorandum of Appeal or, at the time of personal hearing before the Appellate authority.

P.D. Agrawal vs State Bank Of India & Ors on 28 April, 2006: It is decided that as violation of the principle of natural justice itself causes prejudice, it was not necessary for the Appellant to raise the said contention expressly, as also for the violation of Article 14 of the Constitution of India;

The High Court committed a manifest error in passing the impugned judgment in so far as it held that the principles of natural justice had been complied with as the Appellant herein got an opportunity of hearing before the Appellate Authority; The disciplinary proceedings were initiated after delay of about three years from the alleged incidents, on the basis whereof the charges had been framed against him and as such the entire disciplinary proceeding was vitiated.

The essential difference between an administrative or executive act on the one hand and a judicial or quasi-judicial act on the other , is that while in the former case, the authority vested with the power to give a decision affecting right of others may be bound to enter upon an inquiry, he is not bound to give a decision as a result of the inquiry , but may act in his discretion, in utter disregard of the inquiry in the latter case , such authority is bound by law to act on the facts and circumstances , as determined upon the inquiry, in such a situation person to be affected is given full opportunity to place his case before the authority , whether right or wrong, may be final and may not be liable to be challenged in a court of law[31]. The characteristic features of judicial or quasi-judicial decision were pointed out by the Allahabad High Court in 1955 in Mahabir Prasad's case[32], wherein it was held that it will therefore follow that to constitute a quasi-judicial or judicial order, the authority passing the order should be under an obligation to hear the parties to make an inquiry, to weigh the evidence and to base its conclusion thereon. Its decision should be based on the result of an inquiry and not on its own discretion

In Fairmount Investments Ltd. v. Secretary of State for the Environment[33], Lord Russell said :"It is to be implied unless the contrary appears that Parliament does not authorize by the Act the exercise of powers in breach of the principles of natural justice, and that Parliament does by the Act require, particular procedures in compliance with those principles.[34]"

Thus, natural justice is one of the rule of law. These are guidelines intended to preserve the integrity of the judicial process[35] and to win the confidence of the general public in the authority of law. The principles of natural justice are to ensure that the legal order will be impartially and regularly maintained.

Basic Principles of Natural Justice

Over the years by a process of judicial interpretation two rules have been evolved as representing the principles of natural justice in judicial process. They constitute the basic elements of a fair hearing, having their roots in the innate sense of man for fair play and justice which is not the preserve of any particular race or country but is shared in common by all men. The first rule is "nemo judex in causa sua" or "nemo debet esse judex in propria causa sua" as stated in Earl of Derby's[36] that is, "no man shall be a judge in his own cause". Coke used the form "aliquis non debet esse judex in propria cause, quia non potest esse judex et pars"[37], that is , "no one can be at once suitor and judge" is also at times used. The second rule is "audi alteram partem", that is "hear the other side". At times and particularly in continental countries, the form "audietur et altera pars" is used, meaning very much the same thing. A corollary has been deducted from the above two rules and particularly the audi alteram partem rule, namely "qui aliquid statuerit, parte inaudita altera acquum licet dixerit, haud acquum fecerit" that is, "he who shall decide anything without the other side having been heard, although he may have said what is right, will not have been what is right",[38] in other words, as it is now expressed, "justice should not only be done but should manifestly be seen to be done". Whenever an order is struck down as invalid being in violation of principles of natural justice, there is no final decision of the case and fresh proceedings are left upon (sic open).

(a) Nemo Debet Esse Judex in Proria Cause: It means that no one should be a judge in his own cause, the rule is of a wide application and means that a judicial, quasi-judicial authority should not only himself not be a party but must also not be interested as a party in the subject matter of the dispute which he has to decide. In short, judge like Ceasar's wife should be above suspicion[39]. As per Lord Hewart , it is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly be seen to be done[40]. This rule is commonly expressed as saying that a judge must be free from bias. Bias means that the deciding authority must be impartial and neutral. In Secretary to Government Transport Department v. Munuswamy[41], Mukherjee J. has defined bias as :"Predisposition to decide for or against one

party without proper regard to the true merits of the dispute.

In State of West Bengal and Other v Shivanand Pathak and Others, the Hon'ble Supreme Court has defined bias as :"Bias may be defined a pre conceived opinion or a predisposition or pre-determination to decide a case or an issue in a particular manner, so much so that, such deposition does not leave the mind open to conviction. It is in fact a condition of mind, which sways judgment and renders the judge unable to exercise impartiality in a particular case."……….. There must be cogent evidence available on record to come to the conclusion as to whether in fact there was existing a bias which resulted in the miscarriage of justice. Bias appears in various forms which may affect the decision in variety of ways, such as (i) Pecuniary bias, (ii) Personal bias, (iii) Subject matter bias, (iv) Departmental bias, (v) Policy bias and (vi) bias on account of judicial obstinacy.

(b) Audi Alteram Partem: Rule of Reasonable Opportunity of Hearing : The audi alteram partem rule means that no one should be condemned unheard. In a civilized society it is assumed that a person against whom any action is sought to be taken, or whose right or interest is being affected, shall be given a reasonable opportunity to defend himself. According to De Smith ,"no proposition can be more clearly established than that a man cannot incur the loss of liberty or property for an offence by a judicial proceeding until he has had a fair opportunity of answering the case against him".Generaly, the maxim includes two ingredients : (1) Notice (2) Hearing

(1) Notice: A basic principle of natural justice is that before any action is taken, the affected person must be given notice to show cause against the proposed action and seek his explanation. A Notice in order to be adequate must contain the following: (i) Time, place and nature of hearing; (ii) Legal authority and jurisdiction under which hearing is to be held; (iii) Matters of fact and law as regards charges.

(2) Reasonable Opportunity of Hearing: The second requirement of the audi alteram partem maxim is that the party concerned must be given an opportunity of being heard before any adverse action is taken against him. In the leading case of Cooper v. Wandsword Board of Works[42], the Board had power to demolish any building without giving an opportunity of hearing if it was erected without prior permission. The Board issued order under which the house of the plaintiff was demolished. The action was brought against the Board because it had used that power without giving the owner an opportunity of being heard. Although the action of the Board was not in violation of the statutory provisions, the Court held that the Board's power was subject to the qualification that no man can be deprived of his property without having an opportunity of being heard[43]. In D.K. Yadav v. J.M.A Industries Ltd.[44],the Supreme Court observed that the cardinal point that has to be borne in mind, in every case, is whether the person concerned should have a reasonable opportunity of presenting his case and the authority should act fairly, justly, reasonably and impartially It is not so much to act judicially but is to act fairly, namely, the procedure adopted must be just, fair and reasonable in the particular circumstances of the case

(c) Reasoned Decision: A party has right to know not only the result of inquiry but also the reasons in support of the decision. Lord Denning[45] rightly says, 'the giving of reasons is one of the fundamentals of good administration.'

In M/S T. Steels Ltd. V M. Desai conciliation Offi-cer and Another[46], Justice Bhagwati (as his Lordship then was) made a panoramic survey for the Indian, American, English and Australian judicial trends on the subject and then observed as under : "The necessity of giving reasons flows as a necessary corollary from the rule of law which constitutes one of the basic principles of the Indian constitutional set up. Now the necessity of giving reasons is an important safeguard to ensure observance of the duty to act judicially. It introduces clarity, checks the introduction of extraneous or irrelevant considerations and excludes or at any rate minimizes arbitrariness in the decision making process."[47]

Principles of Natural Justice for Procedural Fairness

De Smith, in Judicial Review of Administrative Action has made the following pertinent observations with regard to procedural fairness[48]: "Procedural fairness , as we have seen, is no longer restricted by distinctions between "judicial" and "administrative" functions or between "rights" and "privileges". This heresy was scotched in Ridge v. Baldwin(supra). The term "natural justice" is being increasingly replaced by a general duty to act fairly, which is a key element of procedural propriety. The duty to act fairly is a general one, governed by the following propositions:

(1) Whenever a public function is being performed there is an inference, in the absence of an express requirement to the contrary, that the function is required to be performed fairly.

(2) The inference will be more compelling in the case of any decision which may adversely affect a person's rights or interest or when a person has a legitimate expectation of being fairly treated.

(3) The requirement of a fair hearing will not apply to all situations of perceived or actual determent. There are clearly some situations where the interest affected will be too insignificant, or too speculative, or too remote to qualify for a fair hearing Whether this is so, will depend on all the circumstances but a fair hearing ought no longer to be rejected out of hand, for example, simply because the decision-maker is acting in a "legislative" capacity.

(4) Special circumstances may create an exception which negatives the interference of a duty to act fairly. The inference can be rebutted by the needs of national security, or because of other characteristics of the particular function.

(5) What fairness requires will vary according to the circumstances. We shall see that some decisions, while attracting the duty to be fair, will permit no more to the affected person than a bare right to submit representations. In other cases however there will be a right to an oral hearing with the essential elements of a trial. In between these extremes come a large variety of decisions which, because of the nature of the issue to be determined or the seriousness of their impact upon important interests, require some kind of a hearing (which may not even involve oral representations), but not anything that has all the characteristics of full trial.

(6) Whether fairness is required and what is involved in order to achieve fairness is for the decision of the Courts as a matter of law. The issue is not one for the discretion of the decision-maker. The test is not whether no reasonable body would have thought it proper to dispense with a fair hearing. The wednesbury reserve has no place in relation to procedural propriety.

The significance of this approach is that it prima facie imposes on all administrators an obligation to act fairly. The learned author De Smith has laid stress that if prejudicial allegations are to be made against a person, he must normally be given particulars of them before the hearing so that he can prepare his answers.

New Trends Relating to Applicability of Natural Justice

Previously, courts laid stress on the analytical concept of the nature of administrative action, i.e. whether or not the authority was required to act judicially. This duty to act judicially was required to be spelt out categorically from the provisions of statute conferring power to the administration. Now the emphasis of the courts has shifted from what may be called the 'nature of the action ' to the 'consequences of the power exercised. Though this change in judicial approaches discernible in the famous decision of the House of Lord in Ridge v. Baldwin[49], favourable signs began to appear shortly before[50]. This landmark judgment in Ridge's case was termed by C.K. Allen[51], as Megna Carta, of natural justice. It was followed in Associated Cement Co. v. P.N. Sharma, Gajendragadkar, CJ observed, " It would thus be seen that the area where the principles of natural justice have to be followed and judicial approach has to be adopted, has become wider and, consequently, the horizon of the writ jurisdiction has been extended in a corresponding measure.

The view that the courts need only to see whether any right to sustain the requirement of natural justice is affected was followed in Lala shri Bhagwan v Ram Chand[52]. In Sardar Govindrao v. Madhya Pradesh[53], it was ruled that a statutory application for suitable maintenance for loss occurred by imposition of land revenue had to be disposed by the state only after giving an opportunity to be heard to the applicant. Similarly a notification taking over the management of a temple from the trustees had to be set aside for absence of hearing in S.D.G. Pandarasannidi v. Madras[54]. The nature of power in question or the consequence of the administrative decision, thus came to be the judicial yardstick adopted for determining whether the principles of natural justice or that the body making the decision is under an express or even an implied duty to follow a procedure analogous to a judicial proceeding ceased to be the important determinants[55]. It is enough to show that authority was obliged to decide questions of law or fact affecting rights of individuals involving civil consequences[56].

A.K. Kraipak v. Union of India[57],was concerned with the selection of candidates to a post in government service , a traditional administrative function. It was strongly argued on behalf of the government that the rule against bias, one of the limbs of the principles of natural justice was not applicable to a purely administrative function of this nature[58]. Rejecting the contention, Hegde , J., held that it was against all canons of justice to make man judge in his own cause[59]. The learned judge observed: " The dividing line between an administrative power and a quasi-judicial power is quite thin and is being gradually obliterated[60]. What was considered as an administrative power some years back is now being considered as a quasi-judicial power." Justice Hegde heavily relied on the English authorities for the view that even administrative functions have to be discharged according to the principles of natural justice[61]. That there is no such general duty to follow the principles of natural justice in the exercise of administrative powers is clear from the decision of Lord Denning M.R., in Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs[62]. Lord Denning held that the former distinction between acting administratively and acting judicially was no longer valid.

Proceedings which affects civil rights such as right to an office[63],right to salary[64],fixation of seniority on the basis of different method[65],cut in pension etc[66]. have been held to attract the principles of natural justice.

In Maneka Gandhi v. Union of India[67], petitioner's passport was impounded without a hearing . Beg C.J. held that the power of impounding passport should be exercised quasi-judicially. Justice Bhagwati, on behalf of himself, Utwalia and Fazal Ali , JJ held that principle of natural justice applied also to administrative inquiries having civil consequences.

In S.L. Kapoor v Jagmohan[68], the Court referred Seschmidt[69] and Durayappa[70] to support this thesis and stated as follows:

"the old distinction between a judicial act and administrative act has withered away and we have been liberated from the pristine incantation of administrative action.

In M.C. Mehata v Union of India[71], the Supreme Court has pointed out that there can be certain situations in which an order passed in violation of natural justice need not be set aside under Article 226 of the Constitution of India. For example, where no prejudice is carried to the person concerned , interference under Article 226 is not necessary. Similarly, if the questioning of the order which is in breach of natural justice is likely to result in revival of older order which is itself illegal as in Gadde Venkateswara Rao v Government of Andhra Pradesh[72], it is not necessary to quash the order merely because of violation of principles of natural justice.

In Canra Bank and Others v. Debasis Das and Others[73], the Apex Court has explained the concept , meaning , object , scope and applicability of the natural justice . Their Lordships have explained the principles in the following manner (paras 13to 16) :

"Natural Justice is another name for common-sense justice. Rules of natural justice are not

codified canons. But they are principles ingrained into the conscience of man. Natural justice is the administration of justice in a common-sense liberal way. Justice is based substantially on natural ideas and human values."

In S.N. Chandrashekar and Another v. State of Karnataka and Other[74],where a decision was taken without proper application of mind to the requirement of law. It was held as under :

"It is now well known that the concept of error of law includes the giving of reasons that are bad in law or (where there is a duty to give reasons) inconsistent, unintelligible or substantially inadequate[75]. In M. V. Bijlani v. Union of India[76], the Court held:"It is true that the jurisdiction of the Court in judicial review is limited. Disciplinary proceedings, however, being quasi-criminal in nature, there should be some evidence to prove the charge. He cannot take into consideration any irrelevant facts. He cannot refuse to consider the relevant facts. He cannot shift the burden of proof. He cannot reject the relevant testimony of witnesses only on the basis of surmises and conjectures.

In Mohan Lal v Himachal Pradesh State Forest Corporation and Others[77], the petitioner was engaged as supervisor on daily wages by the State Forest Corporation . He was charged that due to his absence timber of road depot had been stolen on the intervening night causing huge loss to the corporation. The petitioner in the instant case had put in more eight years service. It was incumbent on the corporation to hold a regular inquiry against the petitioner. Moreover material collected against the petitioner was not supplied to him thereby seriously prejudicing him. The respondent dispensed the services of the petitioner on the basis of fact finding report , but the same was not supplied to the petitioner. The High Court held that preliminary enquiry held behind back of the petitioner and issuance of show cause notice can not be a substitute for regular inquiry or a compliance with Article 14. Therefore, the Court held that termination of his services without holding of inquiry is improper.

Conclusion and Suggestions

The author is of the view that the aim of the rules of natural justice is to secure justice or to prevent miscarriage of justice. The cardinal point that has to be borne in mind , in every case, is whether the person concerned should have a reasonable opportunity of presenting, his case and the authority should act fairly, justly, reasonably and impartially. Therefore the procedure adopted must be just, fair, and reasonable in the particular circumstances of the case. The duty to give reasonable opportunity to be heard will be implied from the nature of the function to be performed by the authority which has the power to take punitive or damaging action. The authority should act in such a way which is not arbitrary or unreasonable, which is patently impartial and meets the requirements of natural justice. Further, where a statute confers wide powers on an administrative authority coupled with wide discretion, the possibility of its arbitrary use can be controlled or checked by insisting on their being exercised in a manner which can be said to be procedurally fair. Where the statute is silent and a contrary intention cannot be implied, the requirement of the applicability of the rule of natural justice is read into it to ensure fairness and to protect the action from the charge of arbitrariness.

The expression natural justice and legal justice do not present a watertight classification. It is the substance of justice, which is to be secured by both, and whenever legal justice fails to achieve this solemn purpose, natural justice is called in aid of legal justice. Natural justice relieves legal justice from unnecessary technicality, grammatical pedantry or logical prevarication.

References

1. Vol.II 5
2. Principles of Equity, 17th edn. 2
3. Ibid 27 edn.5
4. *Local Govt. v. Alridge,* (1915) A.C. 120 (138) H.L.
5. (1964) AC 40
6. *Syder v. Massachusetts.* (1934) 219 US 97,105

7. Garner, J.F. (1980). *In Review of the International commission of Jurists.* – December. 39.
8. (1855(2) Macg 1 at p.9
9. (1877-78) (3) App. Cas 614,623
10. (1884-85) 10 App. Cas 229,240
11. (1885(55) LJRD 39 at p.41
12. (1890 (24) QBD 7(2)
13. (1963 (1) QB 569,578
14. AIR 1978 SC 597
15. 1967 (2) B 617,630
16. 1976 WLR 1255
17. (1977 (1) WLR 766
18. Dowrik. (1961). *Justice according to English common Lawyers.* Chapter 4.
19. *Cooper v. Wands Worth Board of Works.* (1863). 14 CB (NS) 180. Lopez v. M.M. Thakura 13 MIA 467
20. *Drew v Drew.* (1885) 2 Macq, 18 ; Ram Coomanv. Macqueen (1872) 1-A Suppl.40
21. *Spackman v. Plumsteedd District Board of Health* (1890) 24 QBO 712,716
22. *Smith v. V.R.* (1978) 3 app. Cas 614,623
23. *Hopkins v. Setton* (1884) 7 Beav 455
24. *Harvey v. Setton* (1884) 7 Beav 455
25. *R. v. Russell* (1869) 10 B &S 91,117
26. *R. v. University of Cambridge* (1723) 1 Str.557
27. (1953) SCR 140
28. *Trameswar v. Queen* (1957) AC 476
29. AIR 1983 SC 75
30. Ibid para 15, per O. Chinnappa Reddy,J
31. Avdesh Pratap singh v. State of UP, AIR 1952 All. 63; Ghaanshyam Das v. Board High School and Intermediate Examination, AIR 1956 All. 539
32. AIR 1955 All 501
33. (1976) 1 WLR 1255
34. Committee on Minister's Power Report Cmd. 4060(1932).
35. HLA Hart has observed that this sense of natural justice is traditional. See the Concept of Law 156,202.
36. 1605 (12) Co-Rep.114
37. Co.Lit.1418
38. See Boswel's Case (1605) Co-Rep. 48,52
39. *Lceson v. General council.* (1889) 43 Ch. D. 366
40. *R. v. Sussex Justice.* (1924) 1 KB25
41. AIR 1988 SC 2232
42. (1863) 14 CB (NS) 180
43. *Ridge v Baldwin.* (1964) AC 40, Maneka Gandhi's Case (Supra); O.P. Gupta v. Union of India ,1978 SC 2257; Nally Bharat Engineering Co. v. State of Bihar(1990) 2SCC 48
44. 1993 1993 SCW 1995
45. *Breen v. Amalgamated Engineering Union.* (1971) All ER 1148
46. AIR 1970 Guj. 1
47. *Simens Engineering and Mfg. Co. v. Union of India*. AIR 1976 SC 1785; S.N. Mukherjee v. Union of India, AIR 1990 SC 1984 ; Rajnish Kumar Sharma v. Union of India, 2001(2) SLR 257 para 11 etc.
48. Edn. 1995 page 401
49. Supra
50. *Ceylon University Fernandes.* (1960) 1 WLR 323; Kanda v. Government of Malaya (1962) AC 322 ; Heggard v. Worsborough urban district Council (1962) 2 QB 93 and Ghanshyam Das's case AIR 1962 SC 1110
51. See Book "Law and Order".
52. AIR 1965 SC 1764
53. AIR 1965 SC 1222
54. AIR 1965 SC 1578
55. It has been observed that "the stultifying shibboleth made of the classification of functions as 'judicial' or 'administrative' has been increasingly abandoned." Clark, D.H. (1975). 'Natural Justice substance and Shadow." *Public Law* 27.
56. Similarly See observations of Sacahs. LJ " it is not necessary to libel the proceedings 'Judicial', 'quasi-judicial', 'administrative' or 'investigatory'; it is the characteristics of the proceedings that mater, not the precise compartment or compartments into which they fall" Re Peragaman Press Ltd. (1970) 3 All ER 535, 541-2.
57. AIR 1970 SC 150
58. Ibid
59. AIR 1970 SC 150,155
60. Ibid 154
61. Re K(H) (an infant) 1967, 1 All Er 226; (1967) 2 QB 617; see also Schmidt.\v. Secretary of State

for Home Affairs (1969) 1 All ER 904; (1969) 2Ch 149
62. Ibid. The trend was followed in Re Pergamon Press Ltd.'s case (1970) 3 All ER 535
63. *D. Subha Rao v Andhra Pradesh.* AIR 1975 SC 94
64. A reduction in present salary has to be made after hearing. See divisional suptd. Eastern Rly. V. L.N. Kshri, AIR 1974 SC 1889 ; see also Sayeed Rehman v. Bihar, AIR 1973 SC 239
65. *Union of India v. P.K. Roy.* AIR 1968 SC 850
66. *State of Punjab v. KR Erry*. AIR 1973 SC 834
67. AIR 1978 SC 597, See also Mohinder Singh Gill v Chief Election Commissioner, AIR 1978 SC 851, Erosion Equipment and Chemicals v. State of West Bengal, AIR 1975 SC 266
68. AIR 1981 SC 136
69. 1969 Ch.D 149
70. (1967) 2 AC 337
71. (1999) 6SCC 237
72. (1965) 2 SCR 172
73. AIR 2003 SC 204
74. (2006) 3SCC 208;AIR 2006 SC 1204
75. De Smith's Judicial Review of Administrative Action, 5th edn. P. 286
76. AIR 2006 SC 3475 para 25
77. Oct. 2007, Labour IC Reports page 3777

Manifestation of Rajasthan Folk Art-Mandana

Dr. Amita Raj Goyal

Sr. Assistant Professor, Department of Visual Arts, The IIS University, Jaipur (Rajasthan)

Ms. Alpana Rai

MVA Sem IV, Department of Visual Arts, The IIS University, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

India has rich artistic heritage and every state of it is well known for its art and rituals. Rajasthan, the 'Land of king' with rich culture and folk tradition.Mandana paintings which is one of the oldest forms of tribal art in India that has survived over the ages. Mandana in the local language refers to 'drawing' in the context of chitra Mandana or 'drawing a picture'. The pictures usually consisted of the main deity of the festival. The motifs of these paintings are inspired by beliefs that pertain to auspiciousness and good omens. The technical term for such motifs is Shubh Manglik. It is mainly done by the Meenas on walls and floors, both inside and nearby the house, as a way to charge off evil and welcome the blessings of gods into the home.The themes of Mandana are birds, animals, and plant as well as exquisite decorative design which are highlightedwith dots and dashes.These design also includes animal such asnahar(tiger) ,bagelda(leopard),Bandra(monkey),shyad(wolf),oot(camel), mor-moradi (peacock) etc. In Mandana painting the Meena caste women record their past as well as present experiences so one can see images of creatures and things that no longer exist in their present surroundings,but are part of their memory(Anon., n.d.). There is a specific way to draw and paint the perfect Mandana, which is also explained in this article along with the styles and variety of Mandanas. As modern life and socio-economic development have taken precedence over altruistic sentiments of the community, there seems to be very little time and space to practice this art. The present day scenario, global influence and innovations in this art form is also included here.

Keywords: *Style, Design, Auspicious, Tradition*

Introduction

Mandana refers to a specific form of drawing which derives its name from the word '*Mandan*' meaning ornamentation or decoration. In Rajasthan, *Mandana*literally means likhana, i.e. to write. Itis drawn by women using Kharia (chalk solution) and Geru (red ochre) on the occasion of religious festivals, fasts or on any other auspicious ceremony (birth and marriage or a specially organised religious worship). It is a form of line drawing and is an iconic representation of various gods and goddesses. They are also symptomatic of the presence of the deity (Sharma 37). *Mandana* is a popular folk art practised not only in the state of Rajasthan but also Madhya Pradesh. In Rajasthan, it is drawn on the floor as well as on the walls, whereas in Madhya Pradesh it is mostly drawn on the floor. Tonk and SawaiMadhopur are two districts of Rajasthan where this art form is still prevelant.

Plate 1: *Mandana*

The drawings are not perfect but they are influenced by architectural structures as well as geometrical forms. There is a specific way to draw and paint the *Mandana* (Mandana Paintings). First, the walls or floors are plastered with clay along with a blend of cow-dung and water, which is the most vital element for this type of painting. The pictures are drawn using basic tools such as a brush made of a date twigs and a bundle of hair or cotton. Once the motifs are made, they are filled with colour. The colour scheme of these paintings is very basic i.e. white and red. In earlier days, this art was made on the ground of a Kaccha house to make it look pleasant and give an elegant appearance.

*Mandana*is very similar to the hand paintings made by the women on the mud walls of their houses called Thapa which is a hand print art, popular all over Indiabut the major difference lies in the motifs used in two art forms. The motifs of Thapa consist of mainly flora and fauna of the region, like the peacock and the floral designs, whereas the motifs of the *Mandanas* are highly symbolic. Basically, the conventional themes of *Mandana* are elements of nature. Along with this some other visible images includes gods, animal as well as humans. A new common motif in this sub-type is a jaali or a framed screen, which is normally seen in Indian architecture. Now a days, new objects like a bicycle, motor-bike, bus, train, aeroplane etc. are incorporated in the wall decorations.

***Mandana* Style and Pattern**

Mandana is mainly geometric patterns drawn freely without a dotted grid or any other reference. The design comprises of three main parts, i.e. the main central motif in red ochre. The central motif is invariably enclosed within a circle or a series of lines (called Dora) drawn, parallel to the lines and angles of the original motif. Each central motif has its specific name, the laddus. It is surrounded by bharan or bharavana motifs which include oblique parallel lines, dots, small alternate squares making a chess-board design and many other types varying from place to place and artist to artist. These motifs have special names as chiran, jua etc. Some of the Bharat motifs are used at the boundary of the designs while others are generally used to fill the space created by lines and forms. For instance, choya, choga, jhonra (tufts) and laddu are decorative motifs used for breaking the outer regular and hard line of the central motif into soft, wavy flowing lines. Choya or choga is also known as ghughara, ghunghru because in its simplified form it resembles all these objects. It is a formation that obtained from a dot and a small curved or straight line, resembling the punctuation mark of coma, but the shape of the head may vary. The *Mandana*of Rajasthan are known for their pagalya(footprint) motifs. For religious festivals, no *Mandana* is complete without incorporating a pagalya. As in Bengal and Bihar, where the use of footprint motifs is common, the Pagalya of Rajasthan do not present a clear picture of footprints. Lines, dots, triangle, etc. are aesthetically assembled to compose a pagalaya.

Process of *Mandana*

Women make *Mandana*at the entrance of their homes after sweeping and washing the court-yard. At the end of the rainy season, the rural women folk repair and smear their house with cow-dung or white-wash with lime and draw the*Mandana*on their floors and walls..

Mandana in the form of a small Swastika or few dots drawn on a bare floor is believed to be inauspicious. It is a belief in rural areas that- "it does not matter if a son remains *Kunwara*or unmarried, but an *aangan* or the courtyard floor should never be left kora or without a *Mandana".* It is a common prevailing sentiment which indicates the importance given to this traditional art form. A kora*aangan or bare courtyard (without mandana)* is a sign of inauspiciousness. Madana has a historical significance and has become a kind of ritual being practices in villages having characteristic difference as per the region in which it is drawn Apart from courtyards, floors of the veranda and other rooms, steps, parapets, water- stands and stoves are also re-plastered during festive occasions and decorated with *Mandana.*

Significant occasions and related *Mandanas*

There are seven main festivals in which elaborate floor patterns are made. They are:

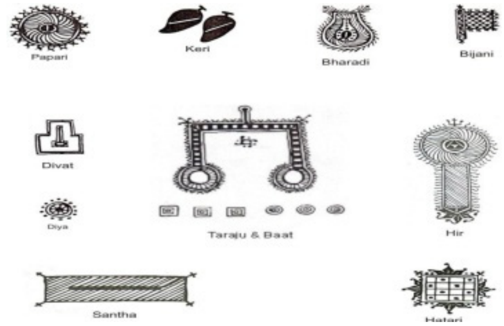

Plate 2: *Mandana* Motifs

- Deepawali, in the month of *Kartik*
- MakarSankranti in *Magha*
- Holi in *Phalguna*
- Gangaur in *Chaitra*
- Bar Pujani *Amavasya* or the Jyeshtha Krishna *Amavasya*
- *Teej* on the third day of *Shravana Shukla Paksha*
- Rakshabandhan on the *Poornima* of the month of *Shravana*

Plate 3: Deepawali *Mandana*

***Deepawali*—**It is an important festival celebrated to appease Hindu goddess Lakshmi. The feet of the goddess are painted and their direction is always pointed towards the inside of the house to signify the entrance of the goddess of prosperity. People welcome the goddess to gracetheir homes every year and persuade her to come again. On this day, the courtyard, threshold, staircases, raised platforms on either side of the main entrance are also decorated with *Mandanas.* The central motifs are triangles, six-pointed triangles, hexagons, *ashtadal kamal*, *chhahphoolya* (six-petalled lotus), *Swastika, bijani* (fan), *bavari* (step-well), *Jalis* or *Tapaki-ka-mandana* (designs made on dotted grids). The *chota-mota mandanas* scribed on this occasion have motifs signifying the customs and rituals, the seasonal crops etc., they are as follows:

- A *paglya* (foot-print of the goddess) occupies important position in the smaller motifs.
- *Hatri* (an earthern toy), *baat* (weights) and*tarazu* (pair of scales) are the motifs covering the trade equipment and associated with Lakshmi-Pooja.
- *Divata* (lamp-stand) and*kalamdaan* (pen and ink-stand) are also related with the*pooja*.

***Makar Sankranti*—**A *Mandana* named *Sankranti-ka-kunda* is drawn on this occasion. A *kunda*is a big round earthen bowl with a flat bottom. In this Mandana the circular*kunda* represent the round disk of the sun. It is a geometrical composition drawn in a set of three, five, seven, and nine like odd numbers of circles. Thus the size of the pattern can be extended or reduced as per the requirement.

Plate 4: Makar Sankranti

Holi—During Holi a different Mandana pattern is made called *aunglisaunglipalanikachang,* which means triangular patterns of the *chang,* the drum of *Palani,* a local goddess. Patterns pertaining to the Holi festival have a wide range of subjects and are symptomatic of the rites and customs. *Holi-ka- danda, changa, dapha, khera* and *khanda*are some of the motifs drawnon this occasion.

Holi-ka-danda represents the trunk of a tree which is erected on the ground and then clustered with wood, cow-dung cakes and some discarded things. It is burnt on the night of Holiwhich also referred as *Bhogi.Holi-ka- danda* comprises of two parts – one above the ground called *danda* and the other buried under the ground and called *lalya.* As per the local belief, *lalya* represents *Prahlada* while *danda* represents *Holika,* (the sister of the mythological demon King *Hiranyakashipu*, who was the father of *Prahlada*). In the bonfire of Holi, the *danda* standing for vice, gets burnt while the *lalya* representing virtue remain intact. Thus, this *Mandana*signifies the victory of good over evil.

Plate 5: Holi KaKhera

Plate 6: holikachang surrounded by laddus

Gangour—*Gangour*is a popular festival celebrated by the women of Rajasthan. This festival in Rajasthan brings in the warmth of the summer air. Married women worship *Gangour* (goddess Gauri) for health, wealth and happiness whereas unmarried young girls worship her with a desire for a suitable match. Young women design relevant mandanas like bijani, bara, bavarai, etc. to highlight the specific characteristics of the season. Bijanis are sometimes skillfully shown in sets of five or nine to form spectacular floor designs. The triangular handle is drawn and filled with lines and motifs while the semicircular fan is decoratively designed. Asweatdish of wheat and gram flour is prepared on this day isknown as *guna*. Therefore, the *Mandana* for this day is termed as *Gangour-ka-guna.*

Bar Pujani Amavasya—The *Jyeshtha Krishna Amavasya* is known as the *Bar Pujani Amavasya*. Like in the other parts of India, Rajasthani women go out of their homes and worship a *bar* (banyan) tree. The *Mandana* drawn on this day depicts the banyan tree in its natural form along with the roots, trunk, branches, fruits, birds and monkeys and a human figure at its base.

Tija and Rakshabandhan—*Lahariya*(ripples of water) motif, probably indicating the rainy season, is drawn on the occasion of *Tija* and *Rakhi-ka-Nariyal*, i.e. coconut design made on the *Rakshabandhan* day.

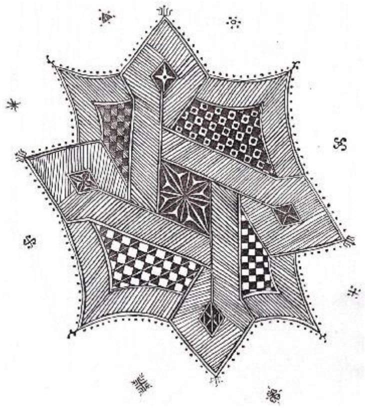

Plate 7: Tija Rakshabandhan

Harayali Amavasya—During the new moon night of the monsoon season, women prepare a special type of floor decoration known as *phal kapagalia.* It is fruit design made at the entrance of the house. Fresh cow dung made into a paste and floor is plastered with it. After this, bold geometrical patterns of stylised fruit forms and leaves are made with the red *geru* and white powdered lime. The backgrounds come out olive green, standing for the lush green vegetation outside and the fruit symbolises fertility.

The other important *Mandana* are *Sankranti-ka-koonda,* which is based on the astrological placement of earth in relationship to the sun. There is also the *gangaurkaguha,* an important festival for women. There are special Mandana for auspicious occasions such as the*janmatsava* for child birth, *vivahotsava* for marriage ceremony.

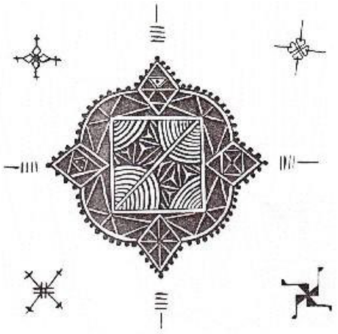

Plate 8: Athvansakachowk

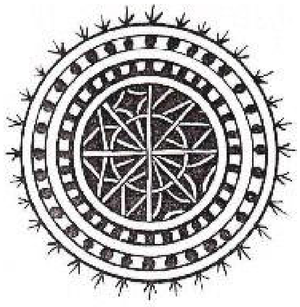

Plate8.1: Surajkachowk

Conclusion

Through the study, it has been observed that Mandana design is bound by geometrical formalities includes with tantric significance. "*Mandana*- drawings are not in proportion and perspective". Mandana depicts an elaborate and solemn aspect of folk art.Mandana is made in auspicious time period during the occasion of festivals like Deepawali, Holi, Gangaur, MakarSankranti etc.Mandana art form is not passed on through any formal training neither is it recognized as a discipline girls learn the art by observing and emulating their mothers. They were drawn for spiritual purpose the, the pictures usually consisted of the main deity of the festival.First and the most basic distinction in the Mandana Paintings that needs to be pointed out is the place of their occurrence- while in Rajasthan they are painted on walls as well as the floor , the painters of M.P usually restricted themselves to the floor.Mandana art has seen a drastic drop in visibility and has less of takers among villagers due to rise in number of concrete houses.

References

1. Aryan, S. (2005). *Indian Folk and Tribal Art.*
2. Bhanawat, M. and Vasant, N. SArtists, Medium, Material and Technique. n.d. *Folk Paintings of Rajasthan and Madhya Pradesh - Sanjhi - Ancestral ...* online. Available at: <http://ignca.nic.in/Sanjhi/introduction.htm>. (Accessed 3 Apr. 2016)
3. Bhavani, E. (1947). *Folk and Tribal Designs of India*.
4. Dhameja, J. (1970). *Indian Folk Arst and Crafts*. New Delhi: National Book Trust.
5. Kaushal, Molly. *Folk Paintings of Rajasthan and Madhya Pradesh*. 1999. Print.
6. *www.utsavpedia.com.* (2016). *Mandana Paintings.* Available at: <http://www.utsavpedia.com/motifs-embroideries/Mandana-paintings/>. (Accessed 14 July 2016).
7. Negi, M. (2015). New Horizon for aipan (folk Art of Uttarakhand) Motifs Through Applique. *International journal of research Granthaalayah* 3.9: 38. Available at: <http://ignca.nic.in/Sanjhi/about_project.htm>. (Accessed 25 July 2016).
8. Saxena, J. (2005). *Sanjhi: Art and Symbolism*. Cultural Contours of India, Print.
9. Saxena, V.N. and Neelima, V. (2000). *Mandana:The Folk Designs of Rajasthan*. New Delhi: Sandeep Prakashan.
10. Sharma, D. (2005). *Sanjhi ladliji ke mandir ki kripalsinh shekhawat (ed.) Sanjhi*. jaipur: jawahar kala kendra.

The Role of Internet in Promoting Child Pornography

Kiran Raj
Research Scholar
Manipal University, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

Children are recognized worldwide as supremely assets of the Nation. The future of the nation depends upon the Children, who have been recognized as the supremely assets of the nation but because of the indifferences of our society in all spheres, these future stake holders are not brought up properly which leads to child exploitation. Children are the most vulnerable group in any population and in need of greatest social care. On account of their vulnerability and dependence they can be exploited, ill treated and directed into undesirable channels by anti-social elements in the community. Children are precious, but they are also the most vulnerable! Having said that, I would like to talk about the issue at hand in some detail given that Child Pornography is a highly unspoken and neglected subject. Child protection in cyber space is becoming more complex with the increasing use of technology. India is no exception to the complicated nature of child protection in cyber space. Indian law is still being developed to ensure the protection of children online. However, these steps have proven insufficient thus far, as the number of cases of cyber bullying and child pornography is increasing at a phenomenal rate in India. This paper deals with meaning of child pornography and laws in India with respect to the issues of child protection regarding pornography. This analysis has been performed from the perspective of the Indian people, and concludes with several recommendations regarding the future development of Indian laws on child protection.

Keywords: *Children, Pornography, Child Protection, Sexual Violence, Internet*

Introduction

"The sexual abuse and exploitation of children is one of the most vicious crimes conceivable, a violation of mankind's most basic duty to protect the innocent." **—James T. Walsh**

Today, World is undergoing a new information revolution. New communication system and digital technology have been made dramatic changes in the way we live. Almost everyone is using Computers and Internet and it have been an essential part of our daily Life. On one hand, the information stored in electronic form has many advantages like storing, retrieving, & communicating, but on the other hand it has opened the door for anti-social & criminal activities that would never have previously been possible. Computer systems provide new and highly sophisticated ways for law breaking. They create to commit the traditional type of cases in non- conventional ways. Cyber pornography is one of such way.

A child is a future asset in any country. But defining who is a child has remained a difficult issue in India for a long period of time. A variety of Indian pieces of legislation have adopted different age limits to define child and minors.[1] Therefore, the legal definition of the word child is ambiguous in India.[2] The Protection of Children against Sexual Offences Act, 2012 overcame this challenge by defining child as any person who

has not completed eighteen years of age.[3] For the purposes of the present paper, definition of child in India is will be a person below eighteen years of age. The Indian legislature recognized the need to protect children in cyber space due to the high risk of children being exposed to pornography and bullying in cyberspace.

Meaning of Child Pornography

The word 'Pornography is derived from the Greek word *porne* (prostitute) and *graphein* (to write). The word 'pornography originally refers to any work or art or literature dealing with sex and sexual themes. Pornography is one of the most controversial aspects, because it can be easily recognized but is often difficult to define concisely. Any visual depiction of sexuality explicit conduct involving the child under age of 18 is a crime. To define 'child pornography' is not an easy task.

- According to UNCRC, it includes any representation of a child engaged in real or stimulated explicit sexual activities or representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes.
- European Union defines it as "any audio visual material, which uses children in sexual context".
- International Criminal Police organisation (Interpol) defines "Child Pornography as 'means of depicting or promoting sexual abuse of a child, including print and/ or audio, censored on sex acts or genital organs of children".
- United States defines it as "permanent record of sexual exploitation or abuse of an actual child".
- Child Pornography definitions exist worldwide, Article 2(c) of the Optional Protocol to the convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography defines 'Child Pornography' as 'any representation, by whatever means of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily purposes'.

All the definitions subscribe to the fact that the Child Pornography involves some form of representation or depicting children in sexual context, secondly it involves sexual abuse of the children.

Indian Law Regulating Child Pornography

Several legislations have been made by our government to reduce pornography such as:-

(a) The Information Technology Act, 2000 which makes publication and transmission of child porn a crime.

(b) In Section 67(A) of Information Technology Amendment Act, 2008 publishing and transmitting images in electronic form was declared illegal leading to imprisonment. Section 66(E) and 67(B) of the same act, punishes those who intentionally capture, publish or transmit such imagery without consent and create, depict or advertise such images in an indecent manner leading to a jail term of up to five years and deals with aggravated offence.

(c) Child Protection Act, 2012 provides protection to children from sexual assault, harassment and pornography. In this Act, Section 13 makes use of children for pornographic purposes a criminal offence that can lead to being jailed for up to five years and subsequent convictions up to seven years besides the fine amount mentioned in Section 14(1).

(d) National Policy for Children, 2013 focuses on survival, health, nutrition, education, and protection of every child.

(e) National Charter for Children, 2003 Article 9(a) &10(a) of the charter focuses on strict measures to ensure that children are not involved in illegal activities like trafficking, prostitution, pornography or violence.

Information Technology Act, 2000

The primary source of cyber law in India is the Information Technology Act, 2000 (IT Act), which came into force on 17 October 2000.[4] The IT Act provides-

Whoever publishes or transmits or causes to be published in the electronic form, any material which is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect is such as to tend to deprave

and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it, shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and with fine which may extend to one lakh rupees and in the event of a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and also with fine which may extend to two lakh rupees.[5]

Information Technology Amendment Act, 2008

Section 66E of the Information Technology Amendment Act, 2008 [ITAA,2008] criminalizes the intentional or knowing capture, publishing, or transmitting the image of a private area of any person without his or her consent, under circumstances violating the privacy of that person, in circumstances where a person can have a reasonable expectation that:

i. He or she could disrobe in privacy, without being concerned that an image of his private area is being captured; or
ii. Any part of his or her private area would not be visible to the public, regardless of whether that person is in a public or private place.[6]

This protection of privacy is very relevant in cases of child sexual abuse images that are increasingly being captured on mobile cameras.

The Protection of Children against Sexual Offences Act, 2012

The Protection of Children against Sexual Offences Act, 2012 prohibits the use of a child for pornographic purposes.[7] The first conviction for use of a child for pornographic purposes is punishable by an imprisonment term of up to five years and fine, and in the event of a subsequent conviction is punishable by up to seven years of imprisonment and a fine.[8] The Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 established the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) in March 2007 as a statutory body.[9] It was set up to protect, promote, and defend child rights in India.[10] The Commission consists of a chairperson and six members who are well-versed in child welfare.[11]The functions of the Commission, *inter alia,* include examining all of the factors that may impact the enjoyment of rights of children affected by terrorism, communal violence, riots, natural disaster, domestic violence, HIV/AIDS, trafficking, maltreatment, torture and exploitation, pornography, and prostitution, and recommending appropriate remedial measures.[12]

The Indian Penal Code, 1860

Section 293,[13] of Indian Penal Code also specifies, in clear terms, the law against Sale etc. of obscene objects to minors. As per the IPC, whosoever sells, lets to hire, distributes, exhibits or circulates to any person under the age of twenty years any such obscene object, as is referred to in IPC Section 292[14], or offers of attempts so to do, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, and which fine which may extend to two thousand rupees, and, in the event of a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and also with fine which may extend to five thousand rupees. It also states that it is a cognizable offence and the Magistrate is empowered to try any such case.

For the purposes of sub-section (2), a book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting representation, figure or any other object, shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect, or (where it comprises two or more distinct items) the effect of any one of its items, is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it shall be punished with imprisonment, for the first instance, of either description for a term which may extend to two years, and with fine which may extend to two thousand rupees, and, in the event of a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and also with fine which may extend to five thousand rupees.

Conclusion and Suggestions

Child pornography is a real and pressing problem that exists on local, national and international

levels. It is, therefore, important that with the help of educational campaigns and by imparting training to parents, teachers, students, civil servants, private sectors and law enforcement personnel on a national level we start looking for solutions to such a barbaric problem. The advent of computers and the internet has been great boon to many, but at the same time it has created a number of problems for the law. On one side the internet is a place of ideas and source of all kinds of information but on the other side it is also full of different kind of pornographic material which is available in different format, just a click away. Cyber pornography is one of the largest businesses on the internet. The millions of pornographic website that flourish on the internet are testimony to this. So, as our young mind future generation and nations assets are on state, due to paedophiles are roaming on the net.

Followings are some suggestion to the most vulnerable problem-

- There should be a clear definition of child pornography.
- There should be a demarcation between obscenity and pornography.
- Cyber cafe ensures minors are not allowed to use computers in cubicles or behind partitions.
- There should be a separate censorship board at central level to ban the pornographic sites.
- To educate the young mind from school level as how to use computer and internet.
- There is need to strengthen the International relations among Nations to eradicate this problem.
- The National Human Right Commission should make efforts for Protection of Children.
- The Voluntary Organisation and NGO should involve providing counselling facilities.
- There should be sufficient provisions of strict punishments for culprits.

References

1. INDIAN CONSTITUTION, Article. 21(A); Indian Penal. Code Section 82, 83; Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, No. 61 of 1986, Section 2(c); The Factories Act, No. 63 of 1948; Prohibition of Child Marriage Act, 2006, No. 6 of 2007, Section 2(a); Guardians and Wards Act of 1890, Act No. 8 of 1890, Section 3(c); Hindu Adoption and Maintenance Act, No. 78 of 1956; The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, No. 56 of 2000, Section 2(k).
2. Shubhomoy Sikdar, Who is a Child?, THE HINDU *Available at:* http://www.thehindu.com/news/national/who-is-a-child/article3528624.ece (Accessed 27 Aug. 2012).
3. Protection of Children Against Sexual Offenses Act, No. 32 of 2012 Section 2(d) ("'child' means any person below the age of eighteen years").
4. Dr. Srivastava, S. (2012). Pessimistic Side of Information & Communication Technology: Cyber Bullying & Legislature Laws. 1(1) *INT'L J OF ADVANCES IN COMPUTER SCI. AND TECH.* pp. 14-19 Nov.– Dec.
5. Section 67B of Information Technology Act, 2000
6. Information Technology (Amendment) Act, 2008, No. 10 of 2009, Section 66E (Whoever, intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of a private area of any person without his or her consent, under circumstances violating the privacy of that person, shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine not exceeding two lakh rupees, or with both.
7. Protection of Children Against Sexual Offences Act, *supra* note 3, at Section 13.
8. *Id*. at Section 14(1).
9. The Commissions for Protection of Child Rights Act, (2005). No. 4 of 2006, Gazette of India, pt. II sec. 1 (Jan. 20, 2006), Section 3.
10. *Id*.
11. *Id*. at Section 3(1) (The Central Government shall, by notification, constitute a body to be known as the National Commission for Protection of Child Rights to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it, under this Act.
12. *Id*. at Section 13(1)(d).
13. Sec. 293 Sale, etc., of obscene objects to young person.
14. Sec. 292 Sale, etc., of obscene books,

Information: Seeking Behaviour of Research Scholars in ICT Environment

Reena Anand

Research Scholar, Kota University, Kota (Rajasthan)

Dr. Umesh Kumar Agarwal

Research Supervisor, Kota University, Kota (Rajasthan)

Abstract

The Information Communication Technology (ICT) has been instrumental in giving rise to many good impacts on our society and its changing aspects of many widespread benefits. ICT has become, within a very short span, one of the basic building blocks of modern society. No knowledge seeking can function without ICT. Therefore, it is imperative that higher education institutions afford their graduates the literacy and competencies that their future work environments are likely to demand of them. ICT has affected almost all areas of libraries. The ICT application tools and techniques are essential for providing efficient and effective library and information services to the user. The paper presents the results of a survey of the information seeking behaviour of Research scholars in ICT Environment. The purpose of the survey was to explore the use of information communication technology by the research scholars for seeking information and to know how to intelligently they use ICT resources. Data gathering tools used include questionnaires, Interview and observation for collecting the data from research scholars. These questionnaires were then analysed to reach meaningful conclusions. The findings of the study also revealed useful facts about the use of ICT tools and services by the research scholars.

Keywords: *Information Communication Technology, Information Seeking Behaviour, e-resources*

Introduction

The human brain incessantly demands for information as its feed, both concrete and abstract. The word 'imagination' comes from the word,' image'. With a variety of images and impressions that flash across his mind, some individually or collectively, makes inroads into his mind; being ambiguous or incomprehensible they disturb and propels one to seek for solution and answers. The process builds up to make enquires through available information, and forms the very basic of any research work, scientific or philosophical discoveries, and for that matter, any field of knowledge. The modern advancements today make for huge storehouses of information through information Communication Technology (ICT).

The information seeking behavior refers to the way people search for and utilize information. The need could not be directly observed, while how people behaved in seeking information could be observed and investigated. Information behavior as the totally of human behavior in relation to sources and channels of information, including both active and passive information seeking and information use (Wilson, 2000) .With the advent of information communication technology in libraries and their massive use the pattern of information seeking behavior is totally changed. When a user comes to library, his ideas of information sources are very limited. His behavioral approaches also are marginal. While he establishes an interaction with the information intermediary. Similar is the situation

in the web –based information seeking. Today ICT has given ample opportunity to the users to browse a large number of sources.

Objectives of the Study

- To know the frequency of use of ICTs
- To find out the level of a expertise of users regarding the use of ICTs
- To know the favourite search engines used by researchers
- To identify the type of problems faced by users while locating desired information in electronic form
- To determine how ICT has impacted research work

Methodology

Data gathering tools used include questionnaires, Interview and observations for collecting the data from research scholars. The study is conducted with the help of primary and secondary data. The major sources of data are primary, where a structured questionnaire is designed. The sampling is Purposive. Sample size is 80 researcher Scholars.

Data Analysis

The present study was conducted to ascertain the information seeking behaviour of research scholar in ICTs Environment. The collected data are tabulated and analyzed to reach meaningful conclusions.

Table 1: Use of ICT Product

Use of ICT Product	Respondents (N=80)	Percentage (%)
Computer	10	12.5%
Laptop	30	37.05%
Internet	35	43.75%
DVD/CD/Pen Drive	05	6.25%
Total respondents	80	

Table 1 shows that 43.75% research scholar used Internet for their research work. 37.05% researchers used Laptop, 12.05% researchers used Computer and 6.25% researchers used DVD/CD/Pen Drive for their research work.

Table 2: Location of Internet Use

Response	Respondents (N=80)	Percentage (%)
At on Seat	25	31.25%
At home	35	43.75%
Cyber café	05	6.25%
Library	15	18.75%
Total respondents	80	

Table 2 shows that 35% respondents prefer to surf Internet at home, 25% respondents mentioned that they surf at on seat, 15% respondents mentioned the library and 5% respondents use internet at cyber café.

Table 3: Purpose of using Internet

Purpose	Respondents (N=80)	Percentage (%)
For the project	18	22.05%
For the presentation	15	18.75%
For the knowledge	09	11.25%
For the learning	08	10%
For research work	30	37.05%
Total respondents	80	

Table 3 shows the Purpose of using Internet is for the research work results yielded 37.05%. 22.05% researchers using internet for the project work, 18.75% users using internet for the presentation and followed by the knowledge & learning purpose 11.25% & 10% researchers using internet.

Table 4: Frequency of Use of Computer & Internet

Frequency of Using	Respondents (N=80)	Percentage (%)
Daily	47	58.75%
Two to three times in a week	18	22.05%
Weekly	11	13.75%
Monthly	03	3.75%
Occasionally	01	1.25%
Total respondents	**80**	

Table 4 shows that, 58.75%% researchers used Computer & Internet daily; 22.05% researchers used two to three times in a week, 13.75% used weekly. A few researchers used it monthly (3.75%) and occasionally (01%).

Table 5: Expertise in using ICT

Expertise	Respondents (N=80)	Percentage (%)
Very Expert	30	37.05%
Expert	25	31.25%
Average user	20	25%
Poor	05	6.25%
Total respondents	80	

The table shows that, 37.05% % researchers are very expert in using ICTs, while 31.25% users are expert; 25% researchers are average use of ICTs and 6.25% researchers indicated that they are poor user in using ICTs.

Table 6: Preferred Search Engines

Search engines	Respondents	Percentage (%)
Google	58	72.5%
Yahoo	20	25%
Alta vista	01	1.25%
Bing	01	1.25%
Total respondents	80	

Table 6 shows that Google.com is the most preferred search engine with 72.05% positive responses, followed by yahoo with 25%, other search engines like Alta vista & Bing used only 1.25% researchers.

Table 7: Problems faced while using ICT's

Problems	Respondents (N=80)	Percentage (%)
Lack of awareness	09	11.25%
Lack of software	08	10%
Lack of time	07	8.75%
Limited number of computers	18	22.05%
Lack of training	13	16.25%
Lack of technical knowledge	10	12.05%
Slow speed of the Internet	15	18.75%
Total respondents		

Table 7 shows that, some problems faced by the researchers while using ICTs 22.05% users mentioned the limited number of computers, 18.75 % users faced problem slow speed of the internet , lack of training (16.25%), lack of technical knowledge (12.05%), Lack of awareness (11. 25%) Lack of time & lack of software (10%) problems faced by researchers while using ICTs.

Table 8: Impact of ICT on Research work

Impact	Respondents (N=80)	Percentage (%)
Access to current information	30	37.5%
Quick access of information	25	31.25%
Expedite research process	15	18.75%
Up-to-date information for academic growth	10	12.05%
Total respondents		

Table 8 shows that, majority of researchers (37.50%) access to current information, 31-25% quick access of information, 18.75 Expedite research process and Up-to-date information for academic growth (12.05%). The research scholars feel that the emergence of ICT has a great impact on all research work.

Conclusion

The study investigated the information – seeking behaviour of research scholars in ICT's Environment. It was found that respondents used a variety of ICT products and services for their project, assignments, presentations and research works as it is helpful in finding information quickly and also helps the research scholars

to access, manage, integrate, create, and communicate information more easily.

In the use of ICT, however, the scholars have to face some difficulty, namely due to want of technical knowledge and not due to non-awareness. But this problem can be handled through training them and equipping them with the requirements of ICT resources and services. Educational Institutions should arrange and organize training programmes related to ICT. In this regard, the library officials and keepers-in-charge must first gain their knowledge and disseminate them for the seekers.

References

1. Ahmad, N. and Fatima, N. (2009). Usages of ICT products and services for research in social sciences at Aligarh Muslim University. DESIDOC *Journal of Library & Information Technology,* 29(2), pp. 25-30.
2. Balasubramanian, P. (2009). Information seeking behaviour of users at Directorate of Distance Education Library, Madurai Kamaraj University, Tamil Nadu, *India Journal of Information Science and Services*,3(1), pp. 10-12.
3. Chauhan, B.P. (2004). ICT enabling library and information services: Winter School on ICT Enabling Library & Information Services. Patiala
4. Ebijuwa, A.A. (2005). Information and Communication Technology in university libraries: The Nigeria experience. *Journal of Library and Information Science 7* (1&2), pp. 23-30.
5. Khan, Javed (2015). Information Technology design and applications. New Delhi: Manglam Publications.
6. Prasad, H.N. (1998). Information seeking behaviour of physical scientists and social scientists: a report. *Annals of Library Science and Documentation,* 45(2): 41-48.
7. Bhatti, R. (2009). Information Needs and Information-*Seeking Behaviour of Faculty Members at the Islamia.*
8. Salampure, V.K. (2011). *Information Seeking Behaviour.* Jaipur: Raj Publishing House.

Spiritual Intellligence and Gender as Predictors of Happiness and Purpose in Life in Youth

Dr. Megha Arya

Assistant Professor, Department of Psychology
IIS University, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

The purpose of the present study was to investigate the effect of spiritual intelligence and gender on the measures of happiness and purpose in life in male and female youth. The sample consisted of 30 males and 30 females between the age range of 19-29 years, selected from Jaipur city and having minimum 12 years of education. The standard psychological tests included Spiritual Intelligence Scale (Pathik, 2013), Happiness Measure (Fordyce, 1988) and Purpose in life Questionnaire-Seligman & Steen. It was found that spiritual intelligence had insignificant influence over happiness, while spiritual intelligence significantly influenced purpose in life. Further, it was found that gender is not a moderator of either happiness or purpose in life. Furthermore, interactive effect of the two variables on the measures of happiness and purpose in life was insignificant.

Keywords: *Spiritual Intelligence, Happiness, Purpose in Life, Gender*

Introduction

Intelligence is one of the most highly researched topics in psychology. Thousands of research articles are published each year on the nature and measurement of intelligence. Wechsler (1939) has defined Intelligence as "The aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with the environment."

Spiritual Intelligence

The term spiritual intelligence was coined by Zohar (2000). Spiritual intelligence is the set of abilities that individuals use to apply, manifest and embody spiritual resources, values and qualities in ways that enhances their daily functioning and well-being (Amram 2007).

According to Zohar (2000) Spiritual Intelligence includes:

Self-Awareness: Knowing oneself and one's connection with the entire universe.

Vision & Values Led: or Idealism. Children logically desire to serve as well as the adults. Humanity is defined by one's vision and values.

The Capacity to Face and use Adversity: Mistakes and adversity are to be admitted. Learning is gained through pains and misfortune.

To be Holistic: Perceiving the relevance of things. It upholds awareness and openness in everything.

Diversity: To succeed in embracing hardships. Ability in seeing and appreciating gifts of oneself from others.

Field Independence (Courage): A psychology term that signifies bravery to adjust and to be self-reliant.

The Tendency to Ask why?: Questions are boundless. In Quantum Physics, questions generate reality.

The Ability to Re-Frame: Setting things in a considerable sense of perspective.

Spontaneity: It is rooted from a Latin terminology as response and reliability. It is suitably “sympathetic” to the environment and unaccustomed by fear.

Happiness

According to Seligman (2008) our enduring level of happiness (H) according to the research studies is determined by our happiness set point (S), life circumstances (C) (influenced by aspects of temperament and character such as depression and sleep quality) and intentional or voluntary activities (V). Thus he has proposed an equation for happiness: H = S + C + V.

Meaningfulness (Purpose) in Life

Purposes can be sorted into 2 main types

- Goals: An objective outcome or state that is desired but not yet real, and so the person’s present activities take meaning as a way of translating the current situation into the desired (future) one.
- Fulfilments: A subjective anticipated state towards which life is oriented, such as, living happily ever after, being in love, or going to heaven.

Problem Statement

Spiritual intellligence and gender as predictors of happiness and purpose in life in youth.

Objectives

- To study the influence of spiritual intelligence on the measures of happiness and purpose in life in males and female youth.
- To study the influence of gender on the measures of happiness and purpose in life in the above sample.
- To study the interactive effect of spiritual intelligence and gender on the above measures.

Hypotheses

To fulfil above objectives, following hypotheses were proposed.

- Spiritual intelligence would significantly influence measures of happiness and purpose in life in male and female youth.
- There would be significant gender differences in the above measures.
- The interaction of spiritual intelligence and gender would jointly influence the measures of happiness and purpose in life in the above sample.

Variables

Independent variable

- Happiness
- Purpose in Life

Dependent Variable

- Spiritual Intelligence

Research Design

2x2 factorial Design

Gender (B)	Spiritual Intelligence (A)			
		High (A1)	Low (A2)	Total
	Male (B1)	15	15	30
	Female (B2)	15	15	30
	Total	30	30	60

Sample

The data was collected from a sample of 60 young adults. The sample was further categorized into 30 males and 30 females. The method of convenience sampling was used for the purpose.

Tools

Spiritual intelligence scale: By Pathik (2013)

Happiness measure: By Fordyce (1988)

Purpose in life questionnaire: By Seligman and Steen

Results

Table 1: Showing results of ANOVA on Happiness

	Total SS	Df	Mean Sq	F	Sig
Between Gender	136.504	1	136.504	.213	.647
Between Spiritual Intelligence	403.004	1	403.004	.628	.432
Interaction					
Gender*Spiritual Intelligence	6.338	1	6.338	.010	.921

Table 2: Showing results of ANOVA on Purpose in Life

	Total SS	Df	Mean Sq	f	Sig
Between Gender	123.267	1	123.267	2.568	.115
Between Spiritual Intelligence	256.267	1	256.267	5.338*	.025
Interaction					
Gender*Spiritual Intelligence	38.400	1	38.400	.800	.375

*Significant at .05 level

Discussion

The aim of the study was to study the influence of spiritual intelligence and gender on the measures of happiness and purpose in life in male and female youth, and also to study the interactive effect of spiritual intelligence and gender on the above measures.

The first hypothesis was that spiritual intelligence will significantly influence measures of happiness and purpose in life in male and female youth and results showed that the difference was insignificant in the case of happiness but significant in the case of purpose in life.

The result of first hypothesis isn't supported by evidences. Although not significant, there is a trend wherein those scoring high on spiritual intelligence also score high on happiness. This could be the case because of small sample size taken for the study. Several evidences point to this direction. Amirian & Pour (2015) used descriptive and correlational method to examine simple and multivariate relationships of spiritual intelligence with general health and happiness. Bivariate correlations support positive and significant predictive value of spiritual intelligence toward general health and happiness. Further analysis showed that among the spiritual intelligence' subscales happiness was positively predicted by generation of personal meaning and transcendental awareness.

In a study by Akbari et al. (2013) the relationship of spiritual intelligence and happiness with 100 addicted deserting women's life quality was found, statistical analysis showed that there is a meaningful relation of spiritual intelligence and happiness to addicted deserting women's life quality.

Research also indicates that there is a positive relationship between the spirit and purpose and satisfaction of life, health and well-being. The intellectual capabilities can brought the positive effects and products useful for individual, especially when the results are evaluated on the basis of social and cultural environment of the individual.

Marashi et al. (2012) in a research entitled the impact of education of spiritual intelligence on physiology well- being, existential anxiety and spiritual intelligence of students indicated that spiritual intelligence training significantly affect all components of psychological well-being (self-acceptance, purpose and direction in life, personal growth, environmental mastery, independently and autonomy and positive relationships with others) and spiritual intelligence and existential anxiety.

The second hypothesis in the study was that there will be significant gender differences in the happiness and purpose in life. Results came out to be insignificant. The results can be supported by several researches.

In a study conducted by Hunagund and Hangal (2014) to study the relationship between self-efficacy and happiness in youth, with special reference to age and gender differences wherein 200 under-graduate and post-graduates from Hubli, Karnataka, were administered the Happiness Inventory to assess happiness, the researchers concluded that self-efficacy and happiness are positively and significantly correlated, and that there is significant difference between undergraduate (UG) and post graduate (PG) students with regard to self-efficacy but no gender difference exists in self-efficacy and happiness.

Chui & Wong (2016) conducted a study using survey data from 1428 adolescents in Hong Kong to test the association of gender with happiness and life satisfaction through relationship style and self-concept. The study suggested that boys with higher academic achievement are happier, but not more satisfied; the opposite holds true for girls.

Though, the gender difference is not significant, the raw scores of the two genders do reveal a trend wherein women appear to be slightly happier than men. If a research employing larger sample size considering the same variables might report different results. This has been observed in several researches in the past. For example, Hoeksema and Rusting (1999) report that "a number of studies have found that women report experiencing greater happiness and more intense positive emotions than men".

Also no gender differences were revealed in the purpose in life. Previous research is in the line of our result. Volarevic et. al. (2014) aimed to examine the influence of Orthodox religious studies (Orthodox Catechism) on gender differences on adolescent's needs for affiliation and achievement and their effect on adolescent's attitudes about their purpose in life. No statistical significant difference among gender was found.

There are also certain studies that do reveal statistically significant results in terms of gender differences. In a cross-sectional non-experimental study by Perez (2012), to determine gender differences in various aspects of psychological well-being among Filipino college students, which comprised 588 college students, selected through stratified random cluster sampling, gender differences were found in terms of daily spiritual experience, father relationship, peer relationship, autonomy, positive relations with others and purpose in life.

The third hypothesis was that the interaction of spiritual intelligence and gender will jointly influence the measures of happiness and purpose in life in youth and the results came out to be insignificant.

The results suggest that since the interaction effects are insignificant, the combined effects of gender and spiritual intelligence on purpose in life and happiness are not present. Hence, it could be concluded that the influence of gender and spiritual intelligence is independent of each other, wherein there is no main effect of gender on either of the dependent variables, while spiritual intelligence predicts purpose in life in both genders but not happiness. These independent influences could be explained by small sample size and testing of limited variables. As most of the researches suggest that the determinants of happiness are different for both men and women.

References

1. Akbari, M., Safei, L.K. and Banadaki, E.D. (2013). The relationship between of spiritual intelligence and happiness with the life quality of addict women who deserting in Rasht. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences,4*(8). Retrieved from http://www.irjabs.com/files_site/paperlist/r_989_130729155348.pdf
2. Amirian, M. E. and Pour, M.F. (2015). Simple and multivariate relationships between spiritual intelligence with general health and happiness. *Journal of religion and health*. Renewed from doi: 10.1007/s10943-015-0004-y
3. Amram, Y. (2007). *The seven dimensions of spiritual intelligence*. Paper presented at the 115th Annual Conference of the American Psychological Association, San Francisco, CA.
4. Fordyce, M.W. (1983). A program to increase happiness: Further studies. *Journal of Counseling Psychology, 30,* pp. 483-498.
5. Hunagund, D.L. and Hangal, S.J. (2014). Self-Efficacy and Happiness in Youth. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, *40*(1). pp. 70-73. Retrieved from http://jiaap.org/Listing_Detail/Logo/cb8a1aea-1c85-4d1b-8198-4a9f6801d794.pdf
6. Marashi, A., Nami, A. Z., Bashlideh, K., Zargar, Y., & Ghobari,B., B. (2012). Spiritual Intelligence Training impact on psychological well-being, existential anxiety and spiritual intelligence in students of Ahwaz University of oil. *Journal of Achievements of psychology*, *4*(1).

7. Nolen-Hoeksema, S. and Rusting, C.L. (1999). Gender differences in well-being. In: Kahneman, D., Diener, E., and Schwarz, N. (Eds.), *Well-being: the foundations of hedonic psychology* pp.330-350). New York: Russell Sage Foundation.
8. Pathik, B. (2013). *Construction and standardization of a spiritual intelligence scale for the college students of gujarat state* (Unpublished doctoral dissertation). Swami Vivekanand College of Education, Sarvoday Bank. Mehsana.
9. Perez, J.A.(2012). Gender difference in psychological well-being among filipino college student samples. *International Journal of Humanities and Social Science,2*(13), pp. 84-93.
10. Seligman, M. (2002). *Authentic Happiness,* New York: The Free Press (Division of Simon & Schuster, Inc.).
11. Volarevic, A., Markovic ,B.S., Jankovic, N., Bojic, S., and Zdravkovic, N. (2014). Orthodox catechism affects gender differences in adolescents' needs for affiliation and achievement and alters their sense of purpose in life. *Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 15*(1). pp. 33-38. Retrieved from doi: 10.2478/sjecr-2014-0005**,**
12. Wong, P.T.P. and Fry, P.S. (1998). *The human quest for meaning*. Mahwah, NJ: Erlbaum.
13. Wechsler, D. (1939). *Wechsler-Bellevue intelligence scale.* New York: The Psychological Corporation.
14. Zohar, D. (2000). *SQ: Connecting with Our Spiritual Intelligence*. London: Bloomsbury.

Financing of Higher Education In India

Ravinder Kaur
Research Scholar, Department of Economics
University of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

Higher Education prepares youth with skills and knowledge which help them to move into formal sector jobs, earn higher wages and contribute to a demographic dividend. Investments in human capital i.e. health and education provides opportunities for developing a skilled and healthy labour force. Education allows young people to learn skills to join higher quality jobs. The system of higher education worldwide is facing a serious problem of resource crisis as government is unable to provide the proper support to finance the higher education. There has been a rapid growth in the public expenditure on education after independence, but after 1990s it was found out that government is unable to finance further in higher education because of massification in courses provided by the universities and colleges.

Keywords: *Higher Education, Financing, Fees, Sources of Finance*

Introduction

India has shown impressive economic growth, showing up trends in all the three different sectors. This impressive growth demands for highly skilled labour to work for all three sectors. After Globalization, the enhanced competitiveness has made higher education a prime priority. In India, however higher education is facing challenges in terms of quality, equity, access and financing of higher education, lack of research and development, employability of graduates and even low GER (Gross Enrolment Ratio) etc.,

The World Declaration on Higher Education for 21st Century, (article 14) issued in 1998, and supported again in 2003mention that 'The funding of higher education requires both public and private resources. And role of the state remains essential in this regard.' Furthermore, 'The diversification of funding sources reflects the support that society provides to higher education and must be further strengthened to ensure the development of higher education, increase the efficiency and maintains its quality and relevance.' (UNESCO, 2004).

The central government helps in financing of higher education through UGC and also through various educational projects and schemes. In India, responsibility of higher education is shared among Centre and States. For meritorious students who are from poor families and they need encouragement and incentive for their career, central and state government sponsored schemes plays an important role here for the development of human capital in the country.

State Government is having the responsibility of education under the provision of entries 63,64, 65 and 66 of the union list and entry 26 of list iii. Major source of finance for the development of universities and colleges is met by the state government of India.

After Government (centre and state) spending on higher education, this heavy expenditure turn out to be insufficient to meet the growing demands of higher education. It was found that increase

in expenditure on education is a worldwide phenomenon. Criticism is levelled against the increasing expenditure on higher education, on the one side and on the other, some are lamenting saying that education never received adequate priority in the plans of development in the post independent period.

Sources of Finance

The position of financing of higher education is summarised in the World Conference on Higher Education as follows: " The financing of higher education remains a major problem at dawn of the twenty-first century. In view of the development of higher education, the state cannot hope to be the sole or even the main source of financing for the sector as whole. But, it in no way detracts from the state's responsibility for ensuring that higher education is adequately financed. The most serious of all is that of undermining equality of access to higher education. Involvement of the state and retention of a public service are still the best guarantee of equal opportunities and democratisation of higher education".

Central Government, which under the constitution of India, is responsible for the coordination and determination of standards of institutions for higher education or research and scientific and technical institutions.

The funds for higher education in India come mainly from three different sources the government, fee income from students and other sources of income from philanthropy, industry, sale of publication, etc. Reliance on government for resources has almost doubled and on the other hand fee income has drastically declined. State Government is responsible for all education including the university education. The establishment and maintenance of university is also the responsibility of the state government. Fees constitute the largest single non- govt source of university and college.

Student Fees: Student fees is the most important source of income for financing Higher Education. It was proposed and recommended by the various committees to fund mainly by student fees. Thus, increase in fees may augment the required fund for cash starved institutions of higher education, as government does not have adequate resources to finance higher education. Higher fees would improve internal efficiency of the system as fees are adequately and regularly realised and therefore students inevitably pursue their academic goals more seriously.

It is generally perceived that in universities and college, fees are extremely low and have not been revised periodically in accordance with the rise in inflation and also with the rise in cost of higher education. Differential fee has the merit of enhancing recovery of expenditure, removing subsidy from those who are in position to pay and enabling the financially weaker section of the students to undertake professional and higher studies.

While considering hike in fees, there are some arguments against the fee hike, it includes; that 'Education for all' goals provide the foundations of a nation, higher education determines the nature and level of its economic and technological development, particularly in the context of developing a knowledge society.

Hike in fees of higher education would lead to elitism in higher education since high fees will force the poor not to opt for higher education.

High fees would accentuate inequities in the system as children from high income groups would spend more and be able to make more advantageous choices while children from low income group would spend less and therefore would have to be content with leftovers.

Hike in fees is advocated on the basis of full cost recovery or no-profit-no-loss principles, which treat education just like any other commodity. This is contrary to the nature and philosophy of education. It ignores the aspects of human capital investment.

Except in case of tuition fees, other forms and kinds of fees are already high and are increasing substantially.

Tuition Fees

Tuition fees may be revised upwards with immediate effect and may be periodically adjusted keeping in view inflation and rise in cost of providing higher education among others, by increases in faculty remuneration. The revision of fees must be related in meaningful manner to the recurring cost of the courses of study and employment opportunities offered by the course. According to AICTE, 1994, full cost recovery is suggested in government and aided institutions suggesting, that the government funded may be allowed to start new specialised programmes for specific targets groups on self financing/net revenue earning basis. Tuition and all other fees, which are not to be charged on one time basis, should be leviable for 12 months.

Other Fees

It was recommended that admission and examination fees should recover the recurring cost of operations. In case of library, laboratory, sports and other similar facilities, it has been recommended that fees must be revised to recover a significant part of recurring cost. Hostel and Mess fees, actual recurring cost and part of the capital cost over time are recovered. Municipal, civil and other services i.e. telephone, transport, postage and stationary, typing, computing, photocopying etc., should be recovered to cover the expenditure incurred.

Public and private finance

The contribution of central government in total educational finance of state is very limited of the central transfers for education, non plan educational grants more often than not account for the largest share. In the total finance for education, the contribution from fees, local bodies, other sources and endowments. The two chief sources of finance is public and private, the role of public finance is dominant role in total educational planning. State government plays the predominant role in financing of education at all levels. Private sources have been of lesser importance although the education ladder.

Fees as a source of Income

Various Committees on Higher Education has recommended that institutions should raise at least 15-25 percent of the annual recurring cost per student in the form of fees and from other sources by the end of ten years. The general perception is that the fees for the higher education courses is extremely low and have not been revised for decades together. The only remedy for this is that tuition should be revised to cover at least 20 percent of the recurring expenditure.

Student Loans

Student loan becomes popular because of their simple and appealing logic. It is argued that in order to safeguard poor students against rising cost of higher education, student loan facility was initiated by the government. But cost recovery cannot be implemented equitably without scholarship programmes that should guarantee necessary financial support to academically meritorious and economically backward students.

Financial Crisis in Higher Education

Sources of financing higher education include four modes of financing, the first is state, second is fees and the third one is private endowments and donations, the fourth one are colleges and universities themselves. In India we have procedure to channelizing funds to universities and colleges by central and state government. The funds are provided by UGC in the form of grants (plan, non plan, recurring and non recurring) but there is financial crisis occurring in higher education sector because as primary education, higher education is not a cent percent public good. The financial crisis means the quantity of funds which are not adequate enough to meet the institution requirements. National commission on education (Kothari commission) in 1966 recommended 6% of national income to spend on higher education. Higher education in India is highly subsidised like power and irrigation sector. Financing of higher education is rarely debated in India. Higher education as a free good has burdened government because

tuition fees for higher education courses is not charged or minimally charged. As a result it ahs unnecessarily overburdened the government funding agencies. Universities have no role to play in charging tuition fees. In words of J.B.G Tilak, "Anything that is made available free of cost losses its value in the minds of the users, in this case students."

In the era of globalization, liberalization and revolution in information technology, the system of financing should promote competition and efficiency.

Table 1: Growth Rate in Public Expenditure on Education

Year	GDP at current price at FC	Total Expenditure on Education by Education and other departments	Expenditure on Education by Education and other department as %of GDP
1951-52	10080	64.6	0.64
1960-61	16220	239.56	1.48
1970-71	42222	892.36	2.11
1980-81	130178	3884.2	2.98
1990-91	510964	19615.85	3.84
2000-01	1925017	82486.48	4.28
2005-06	3390503	11322.71	3.34
2006-07	3953276	137383.99	3.48
2007-08	4582086	155797.27	3.40
2008-09	5303567	189068.84	3.56
2009-10	6108903	241256.01	3.95
2010-11	7248860	293478.23	4.05
2011-12 (RE)	8391691	351145.78	4.18
2012-13 (BE)	9388876	403236.51	4.29

RE- Revised Estimate BE- Budget Estimate

Source: Analysis of Budgeted Expenditure of various years.

Table 1 shows the growth of public expenditure on education. After Independence it was only 0.64% In 1970-71 it increased to 2.11%. After reforms in 1990-91 it was 3.84 %. The globalisation has demanded more human resource and economic development and therefore more government expenditure, it was highest at 4.28%. Whereas in the year 2010-11 it was only 4.05%.

Table 2: Public Expenditure on Education and GDP (Rs in Crore)

Year	GDP at Current Price (at Factor cost) (Rs. Crore)	Total Expenditure on Education by Education and other departments (Rs. Crore)	Expenditure on Education by Education & other Departments as %of GDP.
1951-52	10080	64.46	0.64
1960-61	16220	239.56	1.48
1970-71	42222	892.36	2.11
1980-81	130178	3884.2	2.98
1990-91	510964	19615.85	3.84
2000-01	1991982	82486.48	4.14
2010-11	7248860	293478.23	4.05

Source: Educational Statistics At Glance, MHRD, GOI, 2016.

There has been a rapid growth in educational expenditure in India since Independence. In 1951-52, an amount of Rs. 10080 was spent on education. It was observed that the Central government has spent more on providing education than by state governments. The overall expenditure by Education and other departments is less than the central government. Although education has been included in the Concurrent List of the Seventh Schedule of Indian Constitution, state government remains the main agencies for administration and financing of educational programmes, particularly at the school stage. While after a decade the amount increased to Rs.16220 crore. In 2000-01, it rose to Rs. 7248860 crore. The expenditure on education as percentage of GDP increased to four times in the year 2010-11.

Some Policy Issues and Recommendations

1. Self Financing: The demand for higher education is more than its supply and therefore anybody can pursue higher education by paying more fees in self financing colleges. The main aim of the self financing colleges is to avoid the problem of Brain Drain.

2. Donations: Universities should plan and launch a donation campaign for university development in which Alumni, industrialist, businessman and common public can help in developing.

3. Private Investment: A university should encourage private investment with some mission of the university. Private partnerships can help in improving the situation of higher education in India.

4. Increase in Fees: The universities are in very critical condition as tuition fees and other fees in the universities have not changed significantly from 50-60 years in numerical terms. Government can take steps in this regard.

5. Foreign Students: The effective mechanism for cross subsidy for higher education is to charge equal tuition fees for foreign and own country student. Therefore it is necessary that government allow the professional institutions to admit a higher percentage of foreign students.

Conclusion

Higher Education is necessary for the economic development of the country and therefore funding is the important area to be discussed. Till 1990s, the government has the sole responsibility to finance the higher education. However the role of financing the higher education has changed because of massification and now government find it difficult to meet even the essential requirements. The paper attempts to analyse the situation of financing and tries to find out the solutions for it, as higher education produces and train human resources such as Doctors, Engineers, Accountants, Business Managers and other technical personal. In a nut shell universities and funding agencies should not neglect importance of higher education. In order to meet financial burden, a scheme may be worked out to subsidize the cost of education of higher education courses.

References

1. Azad, J.L. (2010). *Financing and Management of Higher Education in India.* New Delhi: Gyan Publishing House.
2. http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/ESG2016_0.pdf
3. http://planningcommission.nic.in/reports/publications/pub_ueol.pdf
4. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Higher_education_in_India/$FILE/EY-higher-education-in-india.pdf
5. https://indiaeducrisis.wordpress.com/2010/12/10/booklet/
6. Kharwar, P.S. (2010). Financing Higher Education: Problem and Prospects. *University News*, 48 (44). November, pp 14-17.
7. Malik, A.P. (2005). *Finance and Management Issues in Higher Education.* Jaipur, Rajasthan: ABD Publishers.
8. Powar, K.B. (1998). *Role of public and private sectors in Higher Education.* Paper presented at the First Meeting of Vice Chancellors and Directors of India and Nepalese Universities, Kathmandu

9(a). Powar, K.B. (2002). *Indian Higher Education (A Conglomerate of Concepts, Facts and Practices).* New Delhi: Concept publishing Company.

9(b). Powar, K.B. (2002). *Private Sectors in Higher Education.* Paper presented at the First Meeting of Vice Chancellors and Directors of India and Nepalese Universities, Kathmandu.

10. UNESCO. (2004). *Higher Education in a Globalised Society.* Reform, Innovation and Quality Assurance Division of UNESCO, Paris.

Human Rights Law for the Marginalized Groups: In and Beyond Borders

Purvanshi Singh

Research Scholar, University Five Year Law College, University of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan)

Sonal Vyas

Research Scholar, University Five Year Law College, University of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

Human Rights law has been treated as one of the game changers in the field of law and has been enacted and given preference in the constitution of all the developed as well as developing countries. The aim of this research paper is to do a comparison between various human rights law existing across other nations and India. An attempt to provide a more comprehensive view of the problem that the present condition of the vulnerable groups across the globe are facing and a substantial solution for the problems. This paper seeks to bring light to the aspects of Human Rights in the arena of legality of prostitution and side effects of forced prostitution. In today's world when the whole world is moving forward people with disabilities are left behind, there is a need for bringing the rights of disabled forward. Also, focus of the research paper is laid upon struggles of stateless persons and indigenous group of people. The research paper focuses on human rights dealing with the aforementioned problems and tries to provide the solutions for the same, as inhumanity in today's era is growing at an alarming rate.

Keywords: *Human Rights, Stateless Person, Disabled, Indigenous, Prostitution*

Introduction

Nelson Mandela, the former President of South Africa believed that "*To deny people their human right is to challenge their very humanity*." Today, in 21st century, almost every country knows about human rights and the theory of rights and duties. The laws of the country promise rights to population and set-up systems to preserve and safeguard them. But sadly, only the well-off and the powerful groups are the beneficiaries of all the policies, rules and laws that promise human rights. The backward, vulnerable and the weaker sections are bound to suffer the prejudices of selective beneficial allocation. They are considered as residuary whenever the issue of recognition of human rights is raised. Due to their inheritable weakness, they fail to speak for themselves and fail to fight. This results in blatant exploitation and mockery of humanity. The unprotected are compelled to further hibernate in their shells of helplessness and then their existence is put on stake.

Human Rights – the rights and claims with which a person comes in this world are in every way indispensible for decent and dignified living of all human beings. They are those conditions which are fundamental in essence and without which no man can seek in general to be his best. Human rights is regarded as a very sensitive issue all the world, extensively discussed and carefully worked upon. All countries and International Organizations have significantly contributed towards the development of human rights law in and beyond the borders. The human rights have been regarded as indispensible in truly democratic states where every citizen lives the life and not merely exist. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which was adopted by the United Nations General Assembly on December

10, 1948, provides the extremely appreciable comprehensive list of rights which all humans irrespective of their religion, gender and region should enjoy. Apart from this, several human rights instruments like the Convention on the Prevention and Punish-ment of the Crime of Genocide (CPCG), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW), the Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD) and many more have specifically dealt with sensitive and vulnerable groups in targeted manner and voiced the need for protection and preservation of their human rights to advance their equal and inherent interests.

In India, the percentage of socially marginalized people is quite significant and these groups are often economically, intellectually and socially deprived. They are often neglected and subjected to various offences and instances of discrimination. Their human rights are often ignored and their value is often underestimated. In the country, several laws have been enacted to secure human rights of the persons categorized in marginalized groups. The Human Rights Act, 1993 is one such Act which aims to secure their rights through proper institutional set up. The deplorable condition of some of the marginali-zed groups and the steps taken in and beyond borders are discussed hereunder.

Imploration of Indigenous People

In all the countries and regions, indigenous groups are found in vast numbers. They are indeed the representatives of the different and pure culture of the place they inhabit. The traditions they carry, the ceremonies they follow, the customs they observe and the behavior they practice make the land rich in value and ethics. With them, the society is born. Every region has a story which starts with the coming of aboriginals. Their way of living and their stories of survival inspire the historians and the sociologists. The autochthonous peoples are often attached with their lands and live for and within biodiversity. The close interaction of the aboriginals with the environment and the nature around them is awe inspiring. Their love for the nature – the flora and fauna is the essence of their existence. The way they coordinate with the nature to survive and grow is a distinct mark of excellence which is way beyond the modern crusaders. According to the United Nations Environment Program, "Indigenous people and their communities have an historical relationship with their lands and are generally descendants of the original inhabitants of such lands."

In every part of the world, the globalization, industrialization and urbanization has adversely contributed towards the pitiful condition of the native folks. The uncontrolled migration has further aggravated the situation. European migration to the Americas had few, if any, positive effects on the native populations. The Indians' contact with settlers led to their displacement, subjugation and death from disease and warfare. These negative consequences far outweighed the Europeans' good intentions, which included efforts to Christianize and educate America's original inhabitants. Researchers' estimate that the native population in America declined by nearly 50 percent due to disease alone, beginning with the natives' first contact with European explorers in the 16th century.[1] This is just one instance of how the lives of the natives are put at stake by the outsiders.

In India, the aboriginals form the majority of the population in the remote areas. India is a land of diverse cultures. Every region in the country hosts differently unique tribes. As per International Work Group for Indigenous affairs, 461 autochthonous peoples or ethnic groups inhabit the Indian mainland and am-ount to 8.2% of the total population. They are attributed the status of Scheduled Tribes (STs) in the Constitution of India. India being a welfare country holds significant responsibilities towards the aboriginals of the Indian mainland. Several policies, programs and legislations have been introduced by the Indian Government and

Legislature to help the vulnerable indigenous groups of the country.

The Constitution of India is the supreme and the absolute law which governs the lives of the citizen of India. India being a welfare country holds certain responsibilities towards the deprived, isolated and vulnerable groups of the country. For the tribal communities, the State often adopts the role of the guardian and pledges to protect it. The Constitution of India confers the status of '*Scheduled Tribes*' to the natives and the adivasis. Further, it imposes various obligations on the State to ensure that the culture and distinctness of the STs is preserved and their amicable survival is ensured. The Constitution provides for special staff for the protection of the interest of scheduled tribes (Article 338) and also for a commission to look in to the social educational conditions of these groups and to report to the Parliament on measures needed to improve these conditions. The Constitution 65th Amendments Act 1999 provides for the establishment of National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. Article 339(2) empowers the Centre to give directions to a State asking them to draw up and execute schemes for the welfare of Scheduled tribes. The fifth schedule [Clause (I) Article 244] contains provisions regarding administration and control of the Scheduled areas and Schedules tribes. Even though there are these many provisions and even more for the welfare of the tribes in India only few are effective. To look at the Andaman tribes these provisions never work.[2]

Apart from the Constitution, what the legal system of country inspires from before enacting laws protecting the rights of indigenous people are the international laws advocating the importance the rights of aboriginals. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) recognizing the contribution of the indigenous people in the diversity and common heritage of humankind, it seeks to empower the group with various rights like right to equality, right to self-determination, right to nationality, right to liberty and many more. It further requests the countries to promote and apply these provisions for the betterment of this vulnerable group. Further, the ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples, 1989, the UN Working Group on Indigenous Populations, 1981, and many similar initiatives succeeded in increasing awareness about rights of the indigenous people.

These new international norms are grounds upon which indigenous peoples may appeal to decision makers in international forums, although international procedures for the enforcement of human rights law are limited. Relevant procedures within the UN, the OAS, and specialized international agencies (such as the ILO) rest mostly on the threat of placing a human rights violator in a shameful light in the eyes of world public opinion, rather than on formal sanctioning mechanisms. Nonetheless, the mobilization of shame can wield significant influence.[3]

The vulnerable folks are treated as scraps of the society. The Constitution through the government tries hard to protect the lives and the culture of the aboriginals, but the need is to recognize that this struggle is not only of the government but of us. It is often observed that the decentralization of power and distribution of the same in the hands of the natives and the locals have yielded magnificent results. The development should be made inclusive of the efforts of the locals.

Human Rights Law: Need to Liberate the Disables from Disability

The Disabled is that section of the society, who carries the unwanted pain of bodily or mental deformity along with the societal stigmas circling their abnormality in which they contribute no fault of theirs. People with disabilities in many countries are sidelined and discriminated resulting in their inability to enjoy the rights which they are equally entitled to. They are often subjected to the incidents of abuse and neglect by the society, which considers them as bits and pieces of the society. The community fails to realize that to whom they ridicule as scraps of their society are in fact the needy and the special people who

need care, love and protection. The interests of the people with disabilities are clearly watched all over the world and by several international organizations and their organs. They often try to sensitize their pain and divide their sufferings by making them empowered and spreading awareness about the need of governments and members of the society to take affirmative action in their favor.

Persons with disabilities face discrimination and barriers that restrict them from participating in society on an equal basis with others every day. They are denied their rights to be included in the general school system, to be employed, to live independently in the community, to move freely, to vote, to participate in sport and cultural activities, to enjoy social protection, to access justice, to choose medical treatment and to enter freely into legal commitments such as buying and selling property. A disproportionate number of persons with disabilities live in developing countries, often marginalized and in extreme poverty.[4]

However, in recent years, there has been a revolutionary change in approach, globally, to close the protection gap and ensure that persons with disabilities enjoy the same standards of equality, rights and dignity as everyone else. In the International arena, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which was adopted in 2006 and entered into force in 2008, signaled a 'paradigm shift' from traditional charity-oriented, medical-based approaches to disability to one based on human rights.[5] The Convention calls for systematic protection and welfare of persons with disabilities. It calls for proper healthcare facilities, provision of equal opportunities and amicable and disable friendly infrastructural facilities. This convention describes 'disability' to widen the scope of helpless deformed people and restrict it to a class of identified group to ensure targeted welfarist activities. Further, the UDHR also tries to fight for preservation of rights of disabled which are snatched away from them because of some permanent disability of theirs. The Convention provides that, disables are "persons who have long- term physical, mental, intellectual or sensory impairments that, when faced with various negative attitudes or physical impediment may prevent them from fully participating in the society."[5] Further, the UN Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons directs the nations to take affirmative action to protect the rights of such persons suffering from mental infirmity.

In India, the cases of abandonment and willful neglect of persons suffering from disabilities are enormous. Infanticide, sexual acts, torture and inhumane treatment are some of the offenses which are committed against these marginalized groups. Commenting upon the vulnerability of these groups, the Supreme Court in *Shankar Kishanrao Khade v. State of Maharashtra*[6] held that, children with intellectual disability are more vulnerable to physical, sexual and emotional abuse. Institutions which house them or persons in care and protection, come across any act of sexual abuse, have a duty to bring to the notice of the J.J. Board/S.J.P.U. or local police and they in turn be in touch with the competent authority and take appropriate action.

The Government has in the wake of recognizing and protecting human rights of persons with disabilities enacted the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 which in order to materialize the Proclamation on the Full Participation and Equality of the People with Disabilities in the Asian and Pacific Region, provides full and equal participation of the disabled people in the community development – economic and social. This Act calls for and the directs the government to take affirmative action in the arena of education, employment, places of public entertainment, research and manpower development, social security benefits, and rehabilitation of the neglected groups.

The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, the Mental Health Act, 1987, the Constitution of India and the Hindu Succession Act, 1956 (Section 28 of

the Act categorically provides that any defect or disability shall not a ground for disqualification for succession) also realizes the need of protecting the rights of the disabled and makes provisions favoring them to secure them a life with dignity. But in today's time there is need to not only give rights but also to confer dignity and respect so that they can feel empowered and self-reliant. Narendra Modi, the Prime Minister of India accorded the status of '*Divyang*' (Divine Body). In his radio address 'Mann Ki Baat' he said that what the society with its eyes is the disabilities of incapicitated, but they actually have is the extra power and smart brain and therefore the use of word '*Diyang*' instead of '*Viklang*' is more suitable. Further, he stressed the need of to make all places and all opportunities accessible to them. This innovative thoughts and ideas need to be incorporated in the international laws so that all can benefit throughout the world.

Sex Workers Rights in Accordance with Human Rights

If words could describe the status of sex workers in India it could be just- silence, hurt and necessity. A democratic nation is not working in the right manner if equality and liberty do not coexist. Prostitution or sex for money is one of the oldest practiced trades all around the world including India. People still consider prostitution or talking about it as a taboo in the nation while not many know that there are millions of sex workers in India earning their bread through prostitution. Even after such great indulgence of people who want to avail the services and the people who are indulged as a worker in the industry, a country having population in billions is mum about the rights of its citizen and its people. According to Indian Law, *"Prostitution"means the sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes or for consideration in money or in any other kind, and the expression "prostitute" shall be construed accordingly.*[7]

Although, in recent years there has been a gradual change towards the people indulged in sex activities as a profession. But the main question is that how many people do really consider them as a normal human being or give them the same right as a normal citizen of the country gets. Indian law that deals with prostitution and 'safeguards' the workers indulged in it is The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956. India is one of the countries that have legalized the act of prostitution but the act of soliciting it[8] or keeping a brothel is considered as illegal.[9] Every coin has two sides and so does the situation of the people indulged in sex work, there are laws to restrict the work and not letting the third party commercialize girls for money but the law takes away their natural right of work. Every business setup everywhere is advertised for benefitting and growing but a woman who is helpless and supports herself by doing work cannot solicit the work. Same way, for the purpose of manufacturing process an industry is set up but a sexual worker or many workers cannot set up a brothel for themselves as it would come under the purview of illegal acts as mention in the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.

Human Rights have been discussed and mentioned from time to time and people have been showing a great support towards them but the reality towards the sex workers is totally different. Sex workers constitute a major percentage in the category of vulnerable groups, they have been mistreated, sexually exploited, forcefully made to work, left unheard and many other things. One of the major problems in today's world is forceful exploitation and girls or women entering this business as a last resort. Inspector has full right to go and inspect premises which is doubted to come under the purview of brothel. Still the cruelty towards the prostitutes is growing higher every day. It is a matter of irony that people who contribute a lot in fostering the economy of the country face such consequences. A sex worker does not necessarily want to be rescued or she is a waling threat of spread of HIV.

Apart from the three wings of democracy, the legislation, judiciary and executive there is a fourth wing that is the media which holds greater power. A media holds a greater power in a democratic nation more than any other wing and

without people or press being vocal about the subject the workers can never come out of the shadows.[10] The solution towards this problem can be categorized into three categories—

1. Outright Criminalization
2. Outright Decriminalization
3. Mixed Approach

The three categories of solutions are totally different and have benefits and demerits attached to them. While decriminalization approach would give prostitutes a better living legally more power and rights to outright speak for themselves. But it might even attract the vendors who want to sell sex in market through someone else. The second approach that is the outright criminalization of the work would just take away the basic human right of work from the workers who want to work themselves for better living. Lastly, in 2003 Kofi Annan, the Secretary-General of the United Nations, adopted special measures to prevent exploitation and sexual abuse, pertaining to all peacekeeping missions operating under UN command and control and to all UN staff. This so-called 'zero tolerance' policy, applicable only within the UN framework, makes a significant breakthrough in expressly prohibiting UN stakeholders from any "exchange of money, employment, goods or services for sex, including sexual favours or other forms of humiliating, degrading or exploitative behaviour". It is these international instruments, and their legal implications, that the Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP international) has chosen to present and elaborate upon in this report. CAP international will outline a rational way for States to meet their obligations to eliminate the exploitation of the prostitution of others whilst protecting the victims thereof. Two binding UN Conventions prohibit the exploitation of the prostitution of others: the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW (1979) and the UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others (1949). Both Conventions have been adopted by the 12 General Assembly of the United Nations and thus have universal scope. The mixed approach is usually not appreciated by many leaders and the workers, which is being followed in India. As it gives certain rights to people but takes away the dignity from the people and they keep hanging in a middle world. The approach towards the problem should be more in regard to educating and providing awareness to people. Creating rehab centers and making strict rules for them.

Human Right to Nationality and Ending Statelessness

Statelessness is not just a simple term but it is a state of certain groups of person who are denied the basic rights that every normal person deserves. When a person does not possess the nationality knowingly or unknowingly, intentionally or through an honest mistake, he is referred to as a stateless person.[11] Because of this state the person lags behind in employment, healthcare, freedom of movement and most importantly education. According to a latest report by UNHCR there are at least 10 million people around the world who are denied any nationality. Article 15 of Human Rights, states that, "everyone has the right to a nationality"' and that, "no one shall be arbitrarily deprived of his nationality."[12] 'Statelessness' According to Article 1 of the 1954 Convention is "a person who is not considered as a national by any State operation of its law." or the condition of having no legal or effective citizenship, is a large and critical problem.

In order to eliminate the position of a person from becoming stateless, a few attempts have been made. The convention on the conflict of Nationality Laws of 1930 was adopted which provided under Article 1 that the Contracting States agree to accord nationality to a person born in their territory who would otherwise ne stateless and by Article 4 to a person, not born in the territory of Contracting States if the nationality of one of his parents at the time of the person's birth was that of that state. The said provision did not resolve the problem hence other measures and treaties were formed. Convention

relating to the status of Stateless Person was adopted on September 28, 1954 by a conference of Plenipotentiaries convened by the Economic and Social Council to regulate and improve the status of the stateless persons.[13] Certain provisions are embedded in several international human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Nationality of Married Women,[14] the Convention on the Reduction of Statelessness,[15] and the Convention Relating to the Status of Stateless Persons," as well as the Universal Declaration. Indeed, the right not to be stateless, or the right to a nationality, is widely recognized as a fundamental human right.

The Human Rights for stateless people is very important as many rights are there which can only be conferred by the nationals of a state. The Fundamental Rights of the Constitution of India are given to the citizens of the India while many people do not get to avail these rights because they are not provided any nationality by any state. Constitution of India is the primary legal enactment that laid about who is deemed to be a citizen of India. Article 5 of the Constitution of India, which is titled as 'Citizenship at the Commencement of Constitution of India', presents that any person, who was or either of whose parents was, born in the territory of India, or who has been ordinarily resident in India for at least five years before the commencement of the Constitution, shall be deemed to be a citizen of India, if he had domicile in territory of India at such commencement. The Article is however silent on the definition of 'domicile' and has left the matter for Courts to interpret. By power under Article 11 of the Constitution of India to make laws for acquisition and termination of citizenship, the Citizenship Act was enacted in the year 1955. This Act, along with the Constitution, forms the epicenter for question of acquiring citizenship in India. The citizenship of India can be acquired in many ways such as by registration, by marriage and by naturalization. India shares its border with various countries, but the only bilateral treaty between India and a neighboring nation on the issue of nationality, is the IndoCeylon Pact of 1964. This Pact was signed to ameliorate the conditions of a large number of persons who have been living without nationality in India as well as in Sri Lanka (Indian Tamils). The terms of the pact sought to give nationality to such people by either India or Sri Lanka, but the criteria for granting Indian or Sri Lankan citizenships to persons covered under the Pact was not stated clearly.

The problem of statelessness is duly recognized by every country and the solutions for the same are searched. People who want to behold certain rights are in need of citizenship from countries. The problem of statelessness can be curbed through short term and long term initiatives. For India to achieve reduction and prevention of statelessness, the accession to the 1954 and 1961 Conventions on statelessness may be a starting point. Promoting the citizenship through naturalization, proper registration of citizens and nationals are some of the short term measures which should be taken up for the improvement of status of stateless persons. While, for a longer term can be to setting up of centralized authority for evaluating the status of people, awareness campaign, right to status determination, establishing the burden of proof, easy accessibility of resources, advocacy of international stateless standards and support to prevent statelessness.

Conclusion

Human Rights law has been treated as one of the game changers in the field of law and has been enacted and given preference in the constitution of all the developed as well as developing countries. For the overall development of human personality, there is need to secure all persons with their human rights irrespective of their age, sex, physical or mental infirmity, region or nationality. There is the need to inculcate respect towards Human Rights of all. To ensure effective implementation and increased awareness of such rights there is the need to initiate a collective action both at national and international level. Former UN High Commissioner for Human Rights, Louise Arbour, said, "The celebration of

diversity and the empowerment of the individual are essential human rights messages." The conventions and the treaties so formed have brought in many rights for the minority groups and the vulnerable groups. The problem does not lie in the solutions already provided by the conventions but in the awareness. The fourth wing that works in the democratic nation is media, without it the right to information and right to speech will be infringed. It is the role of media to bring in the advancements forward and ensure that people at large get to know about it. The rules need to be reframed according to the needs and requirement for the system to work efficiently. The legislation has to see the fore coming changes in the society and work accordingly so that the people with advancement in every sector also get to benefit from the human rights. "*We declare the human rights are for all of us, all the time: whoever we are and wherever we are from; no matter our class, our opinions, our sexual orientation*" – Ban Ki Moon.

References

1. Turner, L.L. *How Did European Migration Affect Native Populations?* Classroom Available at: http://classroom.synonym.com/did-european-migration-affect-native-populations-7034.html (Accessed 26 Dec. 2016).
2. Kumar, H. *The Struggle for Dignified Livelihood by Tribes Of India: A Study on Jarwa Tribe in Andaman and Nicobar, Lactopus.* Available at: http://www.lawctopus.com/academike/the-struggle-for-dignified-livelihood-by-tribes-of-india-a-study-on-jarwa-tribe-in-andaman-and-nicobar/ (Accessed on 16 Nov. 2014).
3. International Law And Indigenous Peoples: Historical Stands and Contemporary Developments, Cultural Survival (March, 1994). Available at: https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/international-law-and-indigenous-peoples-historical-stands
4. As per Report of United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, (January, 2, 2015) http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/DisabilityIndex.aspx
5. Ibid
6. Article 1, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006
7. (2013) 5 SCC 546
8. Section 2(h), THE IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) ACT, 1956
9. Section 8, THE IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) ACT, 1956
10. Section 3, THE IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) ACT, 1956
11. Prostitution in India- Make it legal. *The Economist,* Nov 1st 2014.
12. Agarwal, H.O. *International Law and Human Rights*. 20th Edition, Central Law Publications
13. Universal Declaration of Human Rights, adopted 10 Dec. 1948, G.A. Res. 217A (111), U.N. GAOR, 3d Sess. (Resolutions, pt. 1), at 71, art. 15.
14. Economic and Social Council Resolution 526 (XVII), dated April 26, 1954.
15. Convention on the Nationality of Married Women, opened for signature 29 Jan. 1957, G.A. Res. 1040 (Xl), 309 U.N.T.S. 65
16. Convention on the Reduction of Statelessness, adopted 30 Aug. 1961, G.A. Res 896 (IX), 989 U.N.T.S. 175

Irretrievable Breakdown of Marriage: An Emerging Ground of Divorce

Mayank Pratap Singh

Research Scholar

University Five Year Law College, University of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

Dissolution is a matrimonial relief provided for under personal law which results in complete dissolution of marriage and the status of husband and wife come to an end. Under Hindu Law, the marital tie between husband and wife was taken to be eternal bond. Even if the relations between the parties are unhappy, they have to live and die with it. But later on recognizing marriage with a social contract under Hindu Marriage Act, 1955 Divorce was included as a Matrimonial relief and made marriage dissoluble. There are various theories that govern divorce and one of them is Irretrievable breakdown of Marriage. This ground is very prevalent in English law and was first introduced as a ground in New Zealand, on the basis that Husband and wife living separate for a specified period was taken to be ground of divorce. However, the growth of irretrievable breakdown of marriage theory has been uneven and uncertain. Only Supreme Court has under Article 142 of Constitution of India, to grant the divorce.

Keywords: *Personal Law, Hindu Law, Divorce, Irretrievable Breakdown, English Law*

Introduction

Dissolution of valid marriage in Hindu community is governed by their personal laws. Hindu Marriage Act, 1956 at present governs the aspects of dissolution of marriage. But the concept of dissolution of valid marriage is covered by the term "Divorce". The term "Divorce" comes from the Latin word *Divortium* which means to turn aside, to separate. Literally, it means a complete separation between two things. Divorce is the 'dissolution of a valid marriage in law', in a way other than the death of one of the spouses, so that the parties are free to remarry either immediately or after a certain period of time. Time and again, it has been reiterated that dissolution of marriage must be the last resort for the spouses when all the efforts to save marriage have failed. On the other hand, the concept of divorce has also moulded itself with changing society and its individualization, priority for career and liberalism. From guilt theory to irretrievable breakdown of marriage theory, concept of divorce has gone through sea changes in the backdrop of Hindu community.

Under uncodified Hindu Law (Indissolubility of marriage theory)

According to this theory marriage is an unbreakable tie between husband and wife. It is a union of bone with bone and flesh with flesh. It is eternal. Even if the relations between the parties are unhappy, they have to live and die with it. Divorce was unknown to the laws of *Dharmashastras* as marriage was regarded as sacramental indissoluble marriage union of husband and wife. It therefore follows that old Hindu Law did not recognize the existence of divorce.

As per Manu:- *"Let the mutual fidelity continue till death, this in brief may be understood to be the highest dharma of husband and wife. The duty of wife continues even after the death. She can never*

have a second husband." Therefore, there could have been no divorce between a Hindu husband and his wife, who by their marriage had entered into a sacred and indissoluble marriage union, and neither conversion nor degradation nor loss of caste dissolved the marriage.

Under Hindu Marriage Act, 1955

Under Hindu Marriage Act, 1955 the sacramental nature of the marriage has been subdued to a limited extent. Introduction of the void[1] and voidable[2] marriages and contractual conditions under section 5 of the said Act for validity of marriage has infused contractual character too. Once it is established now that Hindu Marriage has contractual element, it was a logical concept to recognize the dissolution of marriage. Although Hindu Marriage cannot be equated with ordinary contract, the provision of Divorce and various grounds mentioned under section 13 of Hindu Marriage Act, 1955 provide for circumstances when the marriage can be put to an end.

Theories of Divorce

There are various theories that drive the concept of Divorce. Mainly following types of theories exist for Hindu Marriage Divorce under the modern law.

Offence or Guilt Theory: It states that**,** if one of the parties to the marriage is guilty of committing any matrimonial offence (Example:- Bigamy, adultery) after the solemnization of marriage, the aggrieved party is entitled to get a divorce from competent court provided that party is himself or herself is innocent. It is based on the principle that "One who seeks remedy must himself come with clean hands." It is incorporated in section 13 of Hindu Marriage Act, 1955.

Fault theory: It has been seen that in early English Law, adultery, cruelty and desertion were the only three grounds of divorce.[3] Later on insanity was added as a ground of divorce. Insanity did not fit in within the previous guilt theory as the party suffering from insanity could hardly be called a guilty party. This led to renaming of fault theory.

Consent theory: As against the guilt theory, there has been advocated the theory of free divorce or consent theory of divorce. This theory states that the parties to marriage are free to dissolve a marriage as they are to enter it.

It is given place under section 13-B under Hindu Marriage Act, 1955.

Irretrievable breakdown of marriage theory: When the marriage is broken down beyond all the possibilities of repair, then it should be brought to an end without looking into the cause of breakdown of marriage and without fixing the responsibility of either party. In such a marriage, where substance has disappeared and only form is retained, there is no use in retaining the empty shell.

Irretrievable breakdown of Marriage theory

The basic human and social problem is of the maladjusted couples. Sometimes marriages fail because of selfishness, boorishness, callousness, indifference and things like these on the part of one of the parties to the marriage. All this does not amount to any matrimonial offence.[4] According to this theory, when the real substance of marriage has disappeared, beyond all possibilities of reconciliation and repairs, and there is no use compelling the parties to cohabitate, i.e. the marriage has broken down irretrievably, leaving behind an empty shell, divorce must be granted to the party with maximum fairness without looking for a ground of divorce. The first major proponent of this concept in India was through the 71st Report of the Law Commission of India (1978) which dealt with the question if the granting of divorce should be based on fault theory or on breakdown theory. It emphasized that restricting divorce grounds based on faults shall cause injustice to those couples who are stuck in situations where neither party have any fault with the marriage having become a merely an external appearance without any efficacy. The 1981 Bill for Irretrievable breakdown of marriage as a ground did not get through as it was considered that such a bill shall encourage devious husbands who shall desert their spouses under the aegis of an irretrievable breakdown.

Evolution of this concept: Originally divorce was based on the guilt theory. In 1964, by an

amendment, a form of breakdown theory was introduced in Hindu law by modifying the last two clauses of section 13(1) and renumbering them under Section 13(1A)(i) and (ii)[5] where either party can seek divorce and question of either party being guilty does not arise as in such cases the marriage has proved to be a complete failure. The clear intention of Parliament was that after the said one year time the marriage breaks down irretrievably, and therefore there is no need to keep the empty shell. Thus the law recognizes an unhappy situation and says to the petitioner: "*If you can satisfy the court that your marriage has broken down irretrievably, and that you desire to terminate a situation that has become intolerable to you, then your marriage shall be dissolved whatever may be the cause.*" In *Gajendra v. Madhu Mati*,[6] it was held that where parties have been living separately for seventeen years, the chance of their re-union may be ruled out and it may be reasonable to assume that the marriage has broken down irretrievably. So the marriage should be dissolved

However, the courts have adopted a policy of not enforcing such provision as it is. Both the 1964 and 1976 amendment failed to touch upon the section 23 of Hindu Marriage Act, 1955 which provides for bar to matrimonial relief. When Section 13(1A)(i) and (ii) came to various High Courts, they interpreted it in light of section 23 and held the view that if petitioner is found guilty of any wrong, he would not be granted any divorce, even though there is complete breakdown of marriage. Thus where husband obtained a decree of restitution of conjugal rights but did not allow wife to comply with it, the husband was not granted divorce as it would have been to give him advantage of his own wrong.[7] Therefore, Section 23 rendered the attempt ineffective.

Divided opinion of High Courts over the nation: In *Harendra Nath Burman v. Suparva Burman,*[8] the Calcutta High Court observed that the mere breakdown of marriage, however irretrievable, is not by itself and without more, any ground for dissolution of the marriage as yet under our matrimonial law. However, in *Ram Kali v. Gopal*,[9] the Delhi Court observed, "it would not be practical and realistic, indeed it would be unrealistic and inhuman, to compel the parties to keep up the façade of marriage even though the essence of marriage between them disappeared." Where the parties were living separately for sixteen years without any chance of reconciliation, the Calcutta Court held that marriage had broken down and dissolution of marriage was justified.[10] So, in present scenario where incompatible couples find it difficult to cohabit, this basis of divorce is not clearly accepted by High Courts unanimously.

Supreme Court's opinion: In the case of *Naveen Kohli v. Neelu Kohli.*[11] The parties had gotten married in 1975, within a few years, the marriage had turned sour, and there were allegations of cruelty, adultery. Thus, it was evident from the facts of the case that the marriage has been wrecked beyond redemption. The trial court had held that the allegations were of such nature that there was no cordiality left between the parties and thus no possibility to reconnect the chain of marital life between them. Hence, it found that there was no alternative but to dissolve the marriage. Though the High Court took the stand that the trial court had erred in granting a divorce, the Supreme Court upheld the trial court's decision that the matrimonial bond is beyond repair. Supreme court noted that:-

"We have principally impressed by consideration that once the marriage has broken down beyond repair, it would be unrealistic for the law not to take notice of that fact. Where there is long period continuous separation, it may fairly be surmised that matrimonial tie is beyond repair. When the marriage becomes a fiction, the legal tie has to be severed."

Thus, Supreme Court exhorted Union of India to seriously consider and amend the existing Act to add the ground of irretrievable breakdown of marriage and the criteria of it should be long separation period following the English Law principle. It was further held that Supreme Court can use its power vested in it by Article 142 of the

Constitution towards administration of absolute justice for the parties in the matrimonial proceedings. The Court felt that:

Granting divorce protects the interest of the innocent party but there are cases in which both of the parties are at fault or one party is at fault and the relationship between the parties has turned absolutely acrimonious and beyond any type of repair;

In such issues, there has to be a form or way out of the dead wedlock for these people. It is a matter of fact that once the marriage has broken down beyond repair, it would be unrealistic for the law not to take notice of the fact, and it would be harmful to society and injurious to the interests of the parties.[12]

Present status as sole ground of divorce

In the case of *Vishnu Dutt Sharma v Manju Sharma*[13] *the court observed that the granting of the divorce on grounds of irretrievable breakdown would mean adding a clause to Section 13 of the Act through a judicial verdict.* It held that adding a new clause making irretrievable breakdown of marriage grounds for a divorce could only be done by the legislature, not by the courts. Taking this into consideration, the Supreme Court rejected Sharma's plea for dissolution of the marriage on grounds of irretrievable breakdown of marriage. The court further said that though the irretrievable breakdown of marriage was recognized in *Neelu Kohli's* Case, the divorce was granted on grounds of cruelty. The power to grant this divorce is only and only in the hands of Apex Court of India i.e. Supreme Court under its extraordinary powers.

Conclusion

There has been a demand from jurists, academicians and common people for the introduction of Irretrievable Breakdown of Marriage as a separate ground of divorce. The twin objects of marriage are: Maintenance of stable relationship and providing care and protection to children from the marriage. The marriage can be said to be broken down when the objects of the marriage cannot be fulfilled. It was recognised as early as 1972 by the Bombay High Court[14] in the following words: "*the enactment of Section 13 (1-A) in 1964 is a legislative recognition of the fact that if there has been a breakdown of marriage there is no purpose in keeping the partiestied together".*[15] The true happiness that the institution of marriage can bestow upon a man/woman is found only in the continued pursuit of harmony by a couple. The indiscreet and unguided divorce law may destroy all that is good in marriage institution. Even if we take marriage as a mere contract, it cannot be said that it is the parties whose interest have to be considered in divorce proceedings. It is larger social interest which should be put above the individual interest of parties.

References

1. Section 11 of Hindu Marriage Act, 1955
2. Section 12 of Hindu Marriage Act, 1955
3. *Suresh Mohan Saxena v. Anju Saxena 2010 Utr. 16.*
4. Diwan, P. (2015). "Modern Hindu Law".
5. Hindu Marriage Act, 1955
6. II (2001) DMC 123 (MP).
7. *Geeta v. sarweshwara* 1983 A. 111
8. AIR 1989 Cal 120.
9. AIR 1971 Del 6 (FB).
10. *Krishna Banerjee v. Bhanu Bikash Bandyopadhyay* AIR 2001 Cal 154
11. AIR 2006 SC 1675
12. *Ibid*
13. Civil Appeal NO. 1330 OF 2009, Supreme Court of India
14. *Madhukar v. Saral* AIR 1973 Bom 55.
15. Ibid, p. 57.

Affirmative Action and Dr. Ambedkar

Dr. Manju Singh

Associate Professor, Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan)

Harish Kumar

Research Scholar, Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan)

Abstract

The doubts of Dr. Ambedkar regarding a nominal democracy in place of substantial one led him to believe in social democracy. For him, democracy was as broad as it could be. In short, democracy had to be social, political and economic. If not comprehensive and well rounded, democracy sounded hollow to him. All his struggles, hopes and vision chiefly signified one single concept and that was being fair to all Indians, being fair to the marginalized groups and but more importantly, being fair to our own selves. The constitution of India which has been hailed all over the world is chiefly a social document. It was and is meant to give hope and promise of life and dignity of life to Indian people where none existed. However, as things stand today hopes and vision of Dr. Ambedkar seem to be belied. No doubt benefit of reservation has given marginalized sections something to fall back on. Their political, social and economic standing has improved. However, reservation is being cornered by elite sections among the SC/STs and OBCs. Real beneficiary is still far off from any substantial help from the constitutional mandate.

Keywords: *Affirmative Action, Social Democracy, Constitutional Mandate, Fairness and Equality*

Introduction

This paper has been divided in four sections. First section talks about that there are two vocal groups on the issue of reservations in India. First supports the reservation in its present form irrespective of the fact whether it meets the vision of founding fathers most notably that of Dr. Ambedkar. This group wants to maintain status quo. Second group is tooth and nail against the policy of reservation. This group believes that the policy of reservation is no good. This paper will try to show why both the groups are not justified in their extremist positions and how they harm the interest of the poor and needy in the country. Second section will talk about the views of Dr. Ambedkar on the concept of social justice. Third section will try to find out whether elite recruitment is going on in public services especially personnel recruited by the UPSC through current policy on affirmative action or otherwise. Here a detailed questionnaire was sent to UPSC through an RTI filed on 06.06.2016. Fourth section of the paper will suggest the improvement in the current policy of reservation.

In the **first section**, there is an attempt to throw light on the fear that this imperfect system where elite among the marginalized alone get the chance to get a headstart in life has seriously threatened the system of reservation itself. It has given ample ammunition to the outright critics of affirmative action to delegitimize its noble intentions. This is another category of unfair people. These are the ones who outrightly reject the system of affirmative action in the form of quota provisions. First is the group which supports the quota system without improving its

current structure. No doubt, it has so far done its job of proving that it is an enabling environment or the creation of a level playing field which define talent or skill in any people that is the 'cultural capital' and 'social capital' talked about by Pierre Bourdieu. However, to continue the system of reservation in its present form would be a great travesty of justice. Because this way the poor among the SC, STs and OBCs don't get the chance to come up in life. They are stuck in low paying, hard labour based, with no social, economic and political standing or support, they do dehumanizing work. No wonder the elite among such groups want the status quo to persist as they personally stand to gain from this. They don't want to be challenged in their cornering of all benefits meant for the really poor. The second group is against any state help to the weaker sections in Indian society in the form of reservation. They simplistically write off reservation policy. They seem to see no merit in this kind of affirmative action. This paper will try to suggest why both groups are not right in their views or are rather dogmatic. First group because they stand to discredit this affirmative action, which has constitutional, historical and humanitarian legitimacy. Second group because they overlook the fact that Indian society even today imposes severe disabilities and inhumanities on a vast section of its people. They disregard the fact that historical, political, social and economic reasons are there to support the constitutional mandate of reservation. That's why it found an echo in the vision of socio-religious reform movement of 19th century and that of freedom fighters and most notably in the thoughts and deeds of the founding fathers most importantly that of Dr. Ambedkar.

Second section will narrate the views of Dr. Ambedkar on the policy of affirmative action in the form of reservation policy and the concept of social justice. It is chiefly concerned with the concept of social justice in the world of Dr. Ambedkar. The constitution talks of rethink on reservation after 10 years. However, as it was impossible for such a deep rooted social inequality manifesting in all aspects of life to be seriously undermined within a span of 10 years, successive governments brought in amendment in the law and reservation continued. It is nobody's case that reservation should be done away with. Only effort is in showing that current regime could be better by giving its benefits to people who need it the most and who are currently outside the help of the system of affirmative action.

One of the key themes of the writings of Dr. B.R. Ambedkar was the attainment of social justice and establishment of a just society[1], which, for him, was essentially also a casteless society. He not only provided a ruthless criticism of the existing social order but also came up with an alternative vision and alternative model of social order based on justice liberty, equality, fraternity and annihilation of caste[2]. Ambedkar was convinced that a good social order or society has to go through two tests namely 'the test of justice' and the 'test of utility'. His judgmental analysis of the caste based Hindu social order was based on these twotests.

The term "social justice" was first used in 1840 by a Sicilian priest, Luigi Taparelli d'Azeglio, and given prominence by Antonio Rosmini–Serbati in *La Costitutione Civile Secondo la Giustizia Sociale* in 1848[3]. Later, British authors such as John Stuart Mill, Leslie Stephen and Henry Sidgwick referred from time to time to social justice, although without marking it off sharply from distributive justice generally[4]. John Stuart Mill gave this anthropomorphic approach to social questions almost canonical status for modern thinkers thirteen years later in *Utilitarianism* when he observed that society should treat all equally well who have deserved equally well of it, that is, who have deserved equally well absolutely. This is the highest abstract standard of social and distributive justice; towards which all institutions, and the efforts of all virtuous citizens, should be made in the utmost degree to converge[5]. Probably this was thinking behind the constitutional mandate of likes should be treated alike. Thus, foundation of social justice is premised on the belief that since all have been dealt with differently by the nature, circumstances and by their experiences,

all can't be and shouldn't be treated uniformly by state and its policies.

At the end of the nineteenth century, when the term "social justice" came to prominence, it was first used as an appeal to the ruling classes to attend to the needs of the new masses of uprooted peasants who had become urban workers. Theorizing about social justice became a major concern in the early years of the twentieth century, and the first book actually called Social Justice was published in New York in 1900. Its author was Westel Willoughby, a professor of political science at Johns Hopkins University who was influenced by the late idealist philosophy of the school of T.H. Green. Willoughby beings by observing that in an era of popular sovereignty we cannot avoid subjecting[6] our existing social and economic institutions to critical appraisal, and, in particular, asking whether they treat individuals justly. The quest for social justice is a natural consequence of the spread of enlightenment: "the peoples of all civilized countries are subjecting social and economic conditions to the same tests of reasonableness and justice as those by which they have questioned in the past the rightfulness of political institutions[7]". In the writings of most contemporary political philosophers, social justice is regarded as an aspect of distributive justice and indeed the two concepts are often used interchangeably[8]. Social justice rightly understood is a specific habit of justice that is "social" in two senses. First, the skills it requires are those of inspiring, working with, and organizing others to accomplish together a work of justice[9]. These are the elementary skills of civil society, through which free citizens exercise self–government by doing for themselves (that is, without turning to government) what needs to be done.

The second characteristic of "social justice rightly understood" is that it aims at the good of the society, not at the good of one agent only[10]. Citizens may join together to start a school or build a bridge. One significant characteristic of this definition of the virtue of social justice is that it is ideologically neutral. It is as open to people on the left as on the right or in the centre. Its field of activity may be literary, scientific, religious, political, economic, cultural, athletic, and so on, across the whole spectrum of human social activities. This conception of "social justice" rules out any use of the term that does not attach to the habits (that is, virtues) of individuals. According to this conceptualization, social justice is a virtue and an attribute of individuals. And if Tocqueville is right that "the principle of association is the first law of democracy", then social justice is the "first virtue of democracy", for it is the habit of putting the principle of association into daily practice.

Functionally, "justice" is a set of universal principles which guide people in judging what is right and what is wrong, no matter what culture and society they live in. Justice is one of the four "cardinal virtues" of classical moral philosophy, along with courage, temperance (self-control) and prudence (efficiency). (Faith, hope and charity are considered to be the three "religious" virtues.) Virtues or "good habits" help individuals to develop fully their human potentials, thus enabling them to serve their own self-interests as well as work in harmony with others for their common good.

The ultimate purpose of all the virtues is to elevate the dignity and sovereignty of the human person. The highest aim of justice is to elevate each person. The roots of social justice lie in the thought process of Enlightenment. The development of a scientific and rational viewpoint led to corresponding changes in the social thought process which, in turn, initiated radical changes in the political and social structures of Europe, especially during the Renaissance[11]. The underlying thesis of the thinking process of the Renaissance was that man was born free with equal rights and dignity. Hence, all sorts of bondages imposed on him by society on the basis of birth, colour, creed or sex must not exist.

The basic premise of social justice is the emancipation of the underprivileged, exploited, and oppressed sections of society. Its main aim is to liberate mankind from traditional bondages of social and economic exploitation and

discrimination. It postulates a social order which can guarantee freedom and equal rights to all sections of society[12]. The concept of social justice is closely linked with human rights as envisaged by the United Nations in its 1948 declaration and fundamental rights as provided in the Constitution of India but they are not synonymous. Fundamental rights, i.e. the right to freedom and equality, the right against exploitation, and right to constitutional remedies, etc. are essential for the free and natural development of the human personality and hence are the backbone of a just social order but they are subject to control or limits if they adversely affect the pattern of social justice in society[13].

Third section examines whether elite recruitment is going on in public services of India especially personnel recruited by UPSC. The following is the questionnaire which was asked to UPSC through an RTI filed on 06.06.2016. It is anybody's guess what could UPSC possibly have disclosed. They disclosed nothing which could have a bearing on democratic, pro poor and transparent recruitment process by the Union recruiting agency.

1. What is the criterion of selecting the evaluators for Civil Services Main exam papers? Do they have minimum qualifications or eligibility conditions?

2. When State Public Service Commissions say Rajasthan provide candidates with their Main exam answersheets, why UPSC, despite being a national constitutional body, doesn't do it? If it can't be exemplary, it can at least follow others who are more transparent and democratic. Give reasons.

3. Are there model answers for Civil Services Main questions? If yes, then, how UPSC comes to select those points? And if not, then, how an answer is judged? Do examiners have any discretion in awarding marks while evaluating answers? Can they give marks on their own judgement apart from some parameter provided?

4. What is the procedure of selecting paper setters and how many people are involved with one paper and how do they set a paper meaning how they decide on questions to be asked? What all UPSC does to make sure paper is not leaked?

5. What does UPSC do if the favour is asked for a particular candidate by somebody in interview or at any other stage? Does it have any mechanism or policy to treat such cases?

6. Please provide the educational qualifications, yearly incomes of both parents of all the selected candidates in all categories for civil services during last five years. Besides, please share the kind of businesses and services they are in, their designations at the time of their wards selection, their place of posting and their place of residence and whether they were ever associated with UPSC at any point of time. This question is imperative to ask to know whether elite recruitment alone is going on in our land that is the great *jambudweep.*

7. What all UPSC does or doesn't do to make the selection process an enterprise in elite recruitment?

8. What use does it make of socioeconomic questionnaire it asks from the candidates during the time of interview?

9. Does UPSC do anything to treat favourably (give deprivation points) those candidates who are first generation learners, are from rural areas and come from poor socioeconomic backgrounds, and those candidates who went to government schools and had their education in languages other than English and who studied through correspondence mode?

This kind of affirmative action is required apart from the routine reservation policy enshrined in our just constitution.

10. Why UPSC doesn't publish or come out with the waiting list of candidates who appear in civil services exam?

11. How interview marks are awarded? What are attributes or qualities which are gauged in candidates? What are the replies which interviewers lap up? Who awards the marks Chairperson alone or all or some members? Is having a nationalist, constitutional, nonviolent, ethical, compassionate and a just perspective a BIG NO or NEGATIVE in UPSC?

12. Is honesty, free and frank airing of opinion and independence of mind also considered unwanted for public services by UPSC? Is UPSC looking for yes man? Or worse, is it looking for lapdogs who will harm public interest for personal benefit and who will never allow teeming masses to be happy, healthy and hero in their own little worlds and in their own different ways? Is it just plain knowledge which is judged by the UPSC, which has the potential of turning an intelligent person into a criminal mind if not guided by the morals as warned by great Martin Luther King, Jr?

13. What is the single most important quality in a candidate in both main exams and interview which helps in getting selected or is it just a test of knowledge or worse test of memory?

14. Why UPSC doesn't reveal official answer keys for preliminary exam? Is it not sure of its decided options or answers? Why UPSC doesn't reveal individual marks in preliminary exam soon after the exam? How will students improve themselves if they don't know where they are at fault?

15. How many sons and daughters of chaiwala, dhabawala, rehri patriwala, kabari-wala, rag-pickerwala, domestichelpwala, manu-alrick-shawwala, autorickshawwala, khetiharmaz-doorwala (and not the farmland owners) and policewala (constables ke bachche and not that of IPS) have been selected in last five years?

16. Does UPSC realize it is more difficult for a son or daughter of chaiwala or dhabawala to be selected in IAS than to be the Prime Minister of the country?

17. How many children and relations of top civil servants viz. IAS, IFS (both foreign and forest), IPS, IRS and top politicians viz. all sorts of central ministers, state ministers, all MPs, MLAs, MLCs in the country and all officers of rank Group A and above in all PSUs and banks have been selected in civil services in last five years?

In **Fourth section** The researcher suggests the following way out in the last section of the paper.

(1) It is high time the concept of creamy layer is brought in for SC/STs.

(2) A kind of kind of affirmative action which is comprehensive where caste weightage is still the highest but points for other deprivations are given as well. This way the really deserving of reservation among the SCs and STs will be selected first. This will go on to reform the current policy in a substantial way.

References

1. Massey, J. (2003). *Dr. B.R. Ambedkar: A study in just society.* Manohar Publications, New Delhi. andRathnam, P. (2003). *Socio-political philosophy of Dr. B.R. Ambedkar.*Ambedkar-Lohia Socialist Centre, Hyderabad.
2. Ambedkar, B.R. (1917). Castes in India: Their mechanism. genesis and development. In: B.R. Ambedkar: *Writings and Speeches* 1st Vol. Bombay: Education Department, Government of Maharashtra. And Ambedkar, B.R. (1937). Annihilation of Caste: With a Reply to Mahatma Gandhi. 2nd Ed.
3. Novak, M. (2000). *Defining Social Justice*. First things
4. Mill, J.S. (1863). Utilitarianism, chap.5 in J.S. Mill, Utilitarianism; *On Liberty; Representative Government*, in Acton, H.B., ed, London: Dent, Stephen, L., 1896. Social Equality, *in Social Rights and Duties,* Vol. 1, London: Swan Sonnenschein. And Sidgwick, H., 1883. Principles of political economy, London: Macmillan, chapters, 6-7.
5. J.S. Mill, (1863) Chapter 5.
6. Willoughby, W.W. (1900). *Social justice*, New York: Macmillan. And Carver, T.N., 1915. *Essays in social justice,* Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Ryan, J.A., 1916. *Distributive justice.* New York: Macmillan.
7. Willoughby, Social Justice, p.7.
8. Rawls, J. (1971). *A theory of justice.*Cambridge, Mass: Harvard University Press.
9. Michael Novak, op. cit, p.11.
10. Ibid, p.12.
11. Calvez, J.Y. and Perrin, J. (1961). *The church and social justice,* London: Burns and Oates, Chap. 6; and Shields, L.W., (1941). *The history and meaning of the term social justice,* Ph.D. Diss., Indiana: University of Nottre Dame, Indiana Chap. 3.
12. Miller, D. (1999). *Principles of social justice,* Cambridge: Harvard University Press, pp.1-20.
13. Chandy, K.T. (1992). Social justice and requirements for development. *Legal News and Views,* No. 6123, pp. 42-44.

Concept of Participation

Dr. Khamosh Meena

Lecturer, Department of Law
Government Law College, Sikar (Rajasthan)

Abstract

Participation is a very broad concept that means different things to different people. The term is often used by people with different ideological positions, who give it very different meanings. Pelling (1998) identified that participation is an ideologically contested concept which produces a range of competing meanings and applications. The result is a variety of views on how participation is defined, whom it is expected to involve, what it is expected to achieve, and how it is to be brought about . The vagueness and lack of conceptualisation of the concepts of participation and empowerment cause confusion over expectations and over the evaluation of outcomes of the participatory development process. A wide suite of definitions of participation have been identified from the literature and will be identified and discussed below.

Keywords: *Involvement, Beneficiaries, Decisions, Community, Power, Governance, Ideological*

Introduction

One commonality to all definitions is the role of community in decision-making. As such participation is often referred to as community participation. Community can be defined as a range of factors including geographic location, norms, and interests. Many definitions of participation hint at the participation continuum (see typologies section) and the various levels of community involvement. Some definitions focus on other aspects such as the involvement of all stakeholders, at all stages of development; on outcomes; on empowerment; and on the important role of disadvantaged groups particularly women and the poor. Ndekha, Hansen et al (2003)[1] and Chamala (1995)[2] provided good holistic starting points for defining participation:

'a social process whereby specific groups with shared needs living in a defined geographic area actively pursue identification of their needs, take decisions and establish mechanisms to meet these needs' (Ndekha, Hansen)

'in true participation, even at the highest level, power and control are shared by the participants … similarly, scientists, managers, politicians, financial institutions and farmers collectively are also involved in controlling (rather guiding) these projects' (Chamala 1995)

White's (1981)[3], Eyben and Ladbury's (1995)[4], and Devas and Grant's (2003)[5] definitions emphasize the basic requirement of involvement in decision-making:

'involvement of the local population actively in the decision-making concerning development projects or in their implementation' (White)

'a process whereby those with a legitimate interest in a project influence decisions which affect them' (Eyben and Ladbury)

'citizen participation is about the ways in which citizens exercise influence and have control over the decisions that affect them' (Devas and Grant)

Tikare, Youssef et al (2001)[6] expand the scope of decision-making in their definition:

'Participation is the process through which stakeholders influence and share control over priority setting, policy-making, resource allocations and access to public goods and services' (Tikare, Youssef)

Lane (1995) provided a similar definition adding the importance of involvement at different stages of action:

'meaningful participation of individuals and groups at all stages of the development process including that of initiating action' (Lane)

Paul (1987)[7] included details of the motivation behind participatory methodologies while Price and Mylius (1991)[8] detailed not only the importance of participation in all stages of the intervention but also the level of participation in their definition:

'In the context of development, community participation refers to an active process whereby beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project profits' (Paul)

'Participation means the involvement of intended beneficiaries in the planning, design, implementation and subsequent maintenance of the development intervention. It means that people are mobilized, manage resources and make decisions that affect their lives' (Price and Mylius)

Agarwal (2001) included insight into the diverse ranges of participation in his definition:

'At its narrowest, participation is defined in terms of nominal membership and at it broadest in terms of a dynamic interactive process in which all stakeholders, even the most disadvantaged, have a voice and influence in decision-making' (Agarwal).

The key defining element of participation is power. The debates on participation in institutionalized politics and in all other societal fields, including media participation, have a lot in common in that they all focus on the distribution of power within society at both the macro- and micro-level. The balance between people's inclusion in the implicit and explicit decision-making processes within these fields, and their exclusion through the delegation of power (again, implicit or explicit), is central to discussions on participation in all fields. Some prudence is called for here, as power is often reduced to the possession of a specific societal group. Authors such as Foucault (1978) have argued against this position, claiming that power is an always-present characteristic of social relations. In contemporary societies, the narrations of power are complex narrations of power strategies, counter-powers and resistance.

Participation is situated in always particular processes and localities, and involves specific actors. In order to understand participation, and the many different participatory practices with their sometimes very different participatory intensities, the characteristics, power positions and contexts of the specific processes, localities and actors have to be taken into account. Participation is not limited to one specific societal field (e.g., 'the' economy) but is present in all societal fields and at all levels. The contexts that these different fields and levels bring into the equation, is crucial to our understanding of any participatory process. For instance, in the theoretical debates on participation, we can see that at the macro-level, they deal with the degree to which people could and should be empowered to (co)decide on for instance political, symbolic-cultural and communicative matters. At the micro-level, they deal with the always-located power relations between privileged and non-privileged actors, between for instance politicians and media professionals on the one hand, and (ordinary) people who do not hold these positions on the other. Although it would be too much of a simplification to define all privileged actors as part of one societal elite, these privileged actors do form (partially overlapping) elite clusters, that hold stronger power positions compared to individuals not part of these elite clusters. Within all fields, debates about participation focus exactly on the legitimization or the questioning and critiquing of the power (in-) equilibrium that structures these social relationships.

The concept of participation is contingent and itself part of the power struggles in society. The signification of participation is part of a "politics of definition", since its specific articulation shifts depending on the ideological framework that makes use of it. This implies that debates on participation are not mere academic debates, but are part of a political-ideological struggle for how our political realities are to be defined and organized. It is also not a mere semantic struggle, but a struggle that is lived and practiced. In other words, our democratic practices are, at least partially, structured and enabled through how we think participation. The definition of participation allows us to think, to name and to communicate the participatory process (as minimalist or as maximalist) and is simultaneously constituted by our specific (minimalist or maximalist participatory) practices. As a consequence, the definition of participation is not a mere outcome of this political-ideological struggle, but an integrated and constitutive part of this struggle. More particularly, the definition of participation is one of the many societal fields where a political struggle is waged between the minimalist and the maximalist variations of democracy. In the minimalist model, democracy is confined mainly to processes of representation, and participation to elite selection through elections that form the expression of a homogeneous popular will. Participation here exclusively serves the field of institutionalized politics because the political is limited to this field. In the maximalist model, democracy is seen as a more balanced combination of representation and participation, where attempts are made to maximize participation. The political is considered a dimension of the social, which allows for a broad application of participation in many different social fields (including the media), at both micro- and macrolevel, and with respect for societal diversity. A similar logic can be used to describe minimalist and maximalist media participation. In (very) minimalist forms, media professionals retain strong control over process and outcome, often restricting participation to mainly access and interaction; to the degree that one wonders whether the concept of participation is still appropriate. Participation remains articulated as a contribution to the public sphere but often mainly serving the needs and interests of the mainstream media system itself, instrumentalizing and incorporating the activities of participating non-professionals. This media-centred logic leads to a homogenization of the audience and a disconnection of their participatory activities from other societal fields and from the broad definition of the political, resulting in the articulation of media participation as non-political. In the maximalist forms, (professional) control and (popular) participation become more balanced, and attempts are made to maximize participation. Here we see the acknowledgement of audience diversity and heterogeneity, and of the political nature of media participation. The maximalist articulation allows for recognition of the potential of media participation for macro-participation and its multidirectional nature.

The World Bank (1995) identified the importance of participation of disadvantaged groups in their definition. 'the [genuine] participation of the poor and others who are disadvantaged in terms of wealth, education, ethnicity or gender.'[9] Ndekha, Hansen et al (2003) supported this, identifying that the overall objective of community participation is twofold in that it is a mechanism to empower and facilitate an improvement in the lives of the world's poor people. Kelly (2001) did not clearly identify the importance of community decision-making but does identify the crucial role of power in decision-making: 'participation is a range of processes through which local communities are involved and play a role in issues which affect them. The extent to which power is shared in decision-making varies according to type of participation'.

Numerous other definitions of participation can be found in the literature for example (Bamberger 1988[10]; van AsseltMarjolein and Rijkens-Klomp 2002[11]; Warner 1997). The key finding for Fals-Borda (1991) is that participation is a real and endogenous experience of and for the common people, that reduces the differences between experts and community and between

mental and manual labor. O'Neill and Colebatch (1989) identified that participation is real when participants are able to determine their outcomes.[12]

The most common misinterpretation occurs when people fail to understand the difference between participation and consultation (Coakes 1999).[13] Sarkissian, Walsh et al (1997: 17) made the distinction: 'community participation indicates an active role for the community, leading to significant control over decision' while consultation is taken to mean 'sharing of information but not necessarily power'. Often the terms participation and consultation are used interchangeably, particularly in Australia. Coakes (1999) provided an example when she used the term consultation inappropriately stating that 'consultation is about involving the public in decision making in a structured and rigorous way'.

It is clear that there is confusion surrounding the definition of participation and that what is needed is a more baggage-free, or more easily understood term or terminology. Terminology that would replace participation is 'collective action' or 'collective governance', as these terms emphasize the power relationships and the need for equity which defines genuine participation in the development literature (Kelly 2001) . 'Good governance' is another possibility although it is considered to be too broad a term to be of immediate operational relevance in its totality. 'Participatory governance' adopts a narrower perspective that is more useful in development situations (Schneider 1999).

References

1. Ndekha, A., Hansen, E.H., Molgaard, P., Woelk, G. and Furu, P. (2003). Community participation as an interactive learning process: experiences from a schistosomiasis control project in Zimbabwe. *ActaTropica* 85, pp. 325-338.
2. Chamala, S. (1995). Overview of participative action approaches in Australian land and water management. In *Participative approaches for Landcare*. (Ed. K Keith) pp. 5-42. Brisbane: Australian Academic Press.
3. White, A. (1981). *Community participation in water and sanitation : concepts, strategies and methods.* IRC: The Hague.
4. Eyben, R. and Ladbury, S. (1995). Popular participation in aid-assisted projects: why more in theory than practice? In *Power and Participatory Development*. (Ed. S Wright). London: Intermediate Technology Publications.
5. Devas, N. and Grant, U. (2003). Local government decision-making – citizen participation and local accountability: some evidence from Kenya and Uganda. *Public Administration and Development* 23, pp. 307-316.
6. Tikare, S., Youssef, D., Donnelly-Roark, P. and Shah, P. (2001). *Organising participatory processes in the PRSP.*
7. Paul, S. (1987). *Community Participation in Development Projects.* World Bank, Discussion Paper No. 6, Washington, D.C.
8. Price, S. and Mylius, B. (1991). *Social Analysis and Community Participation.*
9. Warner, M. (1997). Consensus participation: an example for protected areas planning. *Public Administration and Development* 17, pp. 413-432.
10. Bamberger, M. (1988). *The role of community participation in development planning and project management* : Report of a Workshop on Community Participation, held in Washington, D.C., September 22-25, 1986. World Bank,: Washington, D.C.
11. van Asselt Marjolein, B.A. and Rijkens-Klomp, N. (2002). A look in the mirror: reflection on participation in Integrated Assessment from a methodological perspective. *Global Environmental Change* 12, pp. 167-184.

भारतीय लोकतंत्र और मुक्तिबोध का काव्य-संसार

डॉ. जगदीश गिरी

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत में संविधान लागू होने की पूर्व संध्या पर संविधान की प्रारूप समिति के सभापति डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जनवरी की 26 तारीख को हम अन्तर्विरोधों के युग में प्रवेश करेंगे। राजनीति में समता और सामाजिक-आर्थिक जीवन में विषमता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति की कीमत एक वोट के आधार पर आँकेंगे।लेकिन सामाजिक और आर्थिक जगत में विषमतामूलक संरचनाओं के कारण हम एक व्यक्ति - एक मूल्य का उसूल नकारना जारी रखेंगे। अगर हमने लम्बे अरसे तक समता का अस्वीकार जारी रखा तो इसका नतीजा हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के संकटग्रस्त होने में ही निकलेगा। (कांस्टीट्यूएंट एसेम्बली डिबेट (1989), खण्ड 10, ऑफिशियल रिपोर्ट, 1979) उनका यह कथन आज लगभग सच साबित हो रहा है। ठीक उन्हीं दिनों हिन्दी के कवि मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं के जरिए यही आशंका व्यक्त की थी। उन्होंने तत्कालीन भारत की परिस्थितियों व उनसे उबरने के लिए अपनाए जा रहे तौर-तरीकों की कटु आलोचना करते हुए जिस भावी संकट की आशंकाएं व्यक्त की थीं वह आज अक्षरश: सत्य साबित हो रही हैं। आज न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है और फासीवादी शक्तियाँ सत्तारूढ़ हो रही हैं। ऐसे में मुक्तिबोध को फिर से पढ़ना बहुत जरूरी है।

संकेताक्षर : *मुक्तिबोध, लोकतंत्र, पूंजीवाद, शोषण, वैश्विक संकट, फासीवाद*

मुक्तिबोध को पढ़ते हुए अक्सर ऐसा लगता है कि वे हमारे ही समय के कवि हैं। हमारे समय से मेरा आशय मेरी ही उम्र के यानी पैंतीस वर्ष से कम उम्र के युवाओं के समय से है जो बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में भारत और विश्व के बारे में जानते-समझते हुए बड़े हुए हैं। जिन्होंने दुनिया को शीत युद्धोत्तरकालीन एक ध्रुवीय दुनिया के रूप में ही देखा है। जिन्होंने इस देश में कांग्रेस पार्टी का एकछत्र राज्य, आपातकाल का दौर और उदारीकरण से पूर्व का समय प्राय: नहीं देखा, बल्कि उन्होंने विश्व-बाजार में भारत के भागीदार होने, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के मज़बूत होने, मंडल-कमीशन की सिफारिशें लागू होने, बाबरी-मस्जिद विध्वंस व राम-मंदिर निर्माण के नारों के बीच पनप रहे जातिगत-धार्मिक समीकरणों की राजनीति व क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका के दौर में अपनी राय कायम करना सीखा है। ऐसे युवाओं का नजरिया 1964 में इस दुनिया से विदा ले चुके कवि से तो निश्चय ही अलग होना चाहिए क्योंकि देश,काल और परिस्थिति के भेद से व्यक्ति के सोचने-समझने की दृष्टि में अन्तर आ जाता है। संभवत: इसीलिए रचनाकार को उसके समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में ही पढ़े जाने का आग्रह प्राय: किया जाता है। लेकिन मुक्तिबोध ऐसे बिरले कवि हैं जिनकी कविताओं को पढ़ते हुए कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कविताएं लगभग अर्द्धशताब्दी पूर्व लिखी गई हैं।

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी ये कविताएं न केवल भारत वरन् सम्पूर्ण विश्व के आर्थिक और राजनीतिक सन्दर्भों में उतनी ही मारक और सटीक साबित हो रही हैं जितनी मुक्तिबोध के समय में थी। इसीलिए मैनेजर पांडेय कहते हैं कि 'मुक्तिबोध अपने समय से बहुत आगे के कवि थे। मुक्तिबोध की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अपने समय के आगे कविता लिखते थे। जिस अंधरे की वे चिंता और चर्चा कर रहे थे और प्रकाश से उसके द्वन्द्व की कविता लिख रहे थे, वह उनके समय में संभावना थी, आज के समय में वह वास्तविकता है। यह उनकी भविष्य-दृष्टि का प्रमाण है।'[1] इसी दूर-दृष्टि का नतीजा था कि 1962 के चीन-युद्ध से पूर्व

तक जहां अन्य कवि देश की आज़ादी के जश्न और उत्साह में ही गोते लगा रहे थे, स्वतंत्रता-आन्दोलन के समय बुने गए सपनों के पूरा होने की उम्मीद में भारतीय समाज धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नेहरू जी के मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल स्वीकार कर पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना और गुट-निरपेक्ष रहकर विकास की ओर अग्रसर होने के लुभावने वादों की चमक-दमक परवान पर थी, तब मुक्तिबोध ही थे जो इस व्यवस्था के खोखलेपन को भली-भांति समझ रहे थे। उन्होंने भाँप लिया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर पूंजीवाद भारत में पैर-पसार रहा है जो स्वतंत्रता-आंदोलन के दौरान गांधी-नेहरू के द्वारा किए गए वादों और आदर्शों के बिल्कुल विपरीत था। महात्मा गांधी द्वारा 'हिन्द स्वराज' में व्यक्त विचार, खादी-चरखा का प्रचार, गाँवों के स्वावलम्बन व औद्योगीकरण का विरोध लगभग साम्यवादी समाज की स्थापना का ही संकेत था। स्वयं नेहरू भी सामन्तवादी, पूँजीवादी समाज के बजाय लोकतांत्रिक-समाजवादी समाज-रचना के ही पक्षधर थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हीं के विचारों की छाप है परन्तु स्वतंत्रता के कुछ वर्षों के बाद ही पूंजी की सत्ता हावी होने लग गई थी। जिस सत्ता में भारतीय जनता की व्यापक भागीदारी का विश्वास दिलाया गया था, वह पूँजीपति वर्ग के हाथों में केन्द्रित हो रही थी। मुक्तिबोध ने 'नया खून' नामक पत्र में सन् 1955 में लिखा था, ''....भारत में पूँजी तीनों ढंग से लगाई जा रही हैं। अगर भारत में रूसी इस्पात कारखाना सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में खुल रहा है तो अमेरिकी सहायता से टाटा अपने इस्पात के कारखाने का बहुत बड़ा विस्तार कर रहा है और बिड़ला ब्रिटिश सहायता से नया इस्पात कारखाना खोल रहा है। तीसरे, प्रत्यक्षत: विदेशी पूंजी भी भारत में आ रही है और आएगी। मतलब यह कि केन्द्रीय सरकार के सलाहकारों पर ब्रिटिश और अमेरिकी पूंजी का बहुत बड़ा प्रभाव है। समाजवादी-ढंग की समाज-रचना का तरीका यह नहीं है कि भारत में अमेरिकी पूंजी को पच्चीस वर्ष की गारंटी दी जाए और ब्रिटिश पूंजी के बारे में चूं तक न की जाए। इससे एक बात तो सिद्ध होती ही है कि आगामी पच्चीस-तीस वर्षों तक के लिए समाजवादी ढंग टाल दिया गया है।'[2] इससे स्पष्ट होता है कि मुक्तिबोध स्वतंत्र भारत की नीतियों की दिशा देखकर चिंतित थे और वे भारतीय लोकतंत्र की विडम्बनाओं को महसूस कर रहे थे। भूखी-नंगी अधिसंख्य जनता बड़ी आशा से शासकों को देख रही थी और अपनी स्थितियों में परिवर्तन की बाट जोह रही थी लेकिन सत्ता और पूंजी की मिलीभगत से उसकी बदहाली और दुर्वस्था में इजाफ़ा ही हो रहा था। वे इस व्यवस्था की शोषणकारी नीतियों से अच्छे-से वाकिफ़ थे। पूंजीवादी समाज चाहे कितने ही आदर्शों की बात करे, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता का दंभ भरे परन्तु वास्तविकता में वह इसके ठीक विपरीत है। इसीलिए मुक्तिबोध को इसकी रेशमी शब्द-संस्कृति पर क्रोध आता है-

''तेरी रेशमी वह शब्द-संस्कृति अंध
देती क्रोध मुझको, खूब जलता क्रोध
तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध
तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र।''[3] (पूंजीवादी समाज के प्रति)

1942 में प्रकाशित इस कविता के बारे में रविभूषण ने ठीक लिखा है कि, ''इस कविता में निर्बन्ध भोग की चर्चा है। उस समय उपभोक्तावाद की, कंज्यूमरिज्म की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। 'कंज्यूमर सोसायटी' की भी चर्चा नहीं थी। ब्रेटन वुड्स की दो संतानें - विश्व बैंक और अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष का जन्म इस कविता के प्रकाशन के दो वर्ष बाद 1944 में हुआ और जिसे हम इकॉनामिक्स में बम्बई प्लान कहते हैं, वह 1943 में आया। 'पूंजीवादी समाज के प्रति' कविता को जब हम पढ़ते हैं और आज के 2016 में जब देखते हैं तो उस समय भारत में औद्योगिक पूंजी भी उस तरह से मचल नहीं रही थी जिस तरह से आज वित्तीय पूंजी मचल रही है। मुक्तिबोध ने जैसे भविष्य को देख लिया था और उन्होंने निर्बन्ध भोग की बात कही थी।'[4] स्पष्ट है कि मुक्तिबोध की दृष्टि से इस व्यवस्था का तांडव छिपा नहीं था। उन्हें अंधेरा नजर आ रहा था। इस अंधेरे में अनेक आशंकाएं उन्हें व्यथित कर रही थी। संभवत: इसीलिए उनकी कविताओं में अंधेरे का जिक्र बार-बार आता है। यहां तक कि उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता 'अंधेरे में' का पहला प्रारूप 'कल्पना' पत्रिका के नवम्बर, 1964 अंक में प्रकाशित है जिसमें कविता का शीर्षक है- ''अंधेरे में : आशंका के द्वीप।'[5] इससे कवि की मन:स्थिति का पता चलता है। उन्होंने जो आशंकाएं उस समय व्यक्त की थीं आज सच साबित हो रही हैं। वे जानते थे कि पूँजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा संभव ही नहीं है। पूंजीवादी शोषण का तंत्र बहुसंख्यक वर्ग को अमानवीय स्थितियों में जीने के लिए विवश करता है। सत्ता और पूंजी का गठजोड़ भ्रष्टाचार को जन्म देता है। पूंजीपति वर्ग अपने प्रभाव से अपने पक्ष में कानूनों का निर्माण कराकर उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लेता है और श्रम का उचित मूल्य चुकाए बिना अपनी तिजोरी भरता रहता है और श्रमिक वर्ग पशु-तुल्य जीवन व्यतीत करता है -

''जनता को ढोर समझ/ढोरों की पीठ भरे/घावों में चोंच मार/
रक्त-भोज, मांस-भोज/करते हुए गर्दन मटकाते दर्प-भर कौओं-सा
दुनिया को हाट समझ/जन-जन के जीवन का/ मांस काट/
रक्त-मांस विक्रय के/ प्रदर्शन की प्रतिभा का/नया ठाठ/
शब्दों का अर्थ जब/नोच-खसोट/लूट-पाट''[6] (शब्दों का अर्थ जब)

आज विश्व-बाजार व्यवस्था के सन्दर्भ में यह कविता कितनी प्रासंगिक हो जाती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए विकासशील देश चारागाह हो गए हैं और साधारण जन का रक्त चूस कर ये कम्पनियां अपना मुनाफ़ा लगातार बढ़ाती जा रही हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस शोषण-तंत्र में नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार सब शामिल हो जाते हैं। नैतिकता और मानवता की बातें केवल आदर्श बघारने के लिए ही रह जाती है। ऐसे आदर्शवादियों पर किया गया व्यंग्य तब की बनिस्पत आज अधिक सटीक लगता है-

''ओ मेरे आदर्शवादी मन,ओ मेरे सिद्धान्तवादी मन
अब तक क्या किया? जीवन क्या जिया?
उदरंभरि बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए
बहुत-बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत-बहुत कम,
मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम।।''[7] (अंधेरे में)

मुक्तिबोध देख रहे थे कि छोटे-छोटे स्वार्थों को पूरा करने के लिए सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग बिक रहे हैं और उनके विरूद्ध आवाज़ उठाने वाले को भी कुछ टुकड़ा फेंक कर खरीद लिया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र की हकीकत आज भी वही है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। 'वोट-बैंक' की राजनीति इतनी हावी है कि चुनाव से पूर्व जातिगत, साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए बाकायदा सरकारें दंगे-फ़साद करवाती हैं। धार्मिक मसलों को उभारकर जनता को बरगलाया जाता है और उनकी रोजी-रोटी की चिन्ता को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। भारतीय राजनीति की इससे अधिक सटीक व्याख्या और क्या हो सकती है कि -

''लोक हित-पिता को घर से निकाल दिया
जन-मन-करूणा-सी माँ को हकाल दिया
स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया
जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए।।
विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए।''[8] (अंधेरे में)

इसी का नतीजा है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी आधी से अधिक आबादी गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताएं भी दूर की कौड़ी लगती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां खुले आम लूट मची है और साधारण जन केवल 'वोट-बैंक' बनकर रह गया है। सौन्दर्यीकरण के नाम पर तो कभी स्मार्ट-सिटी के नाम पर अरबों रूपये का बजट स्वीकृत होता है लेकिन आम-जन की स्थिति जस की तस है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2016' के आंकड़े भारत की गरीबी की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 118 देशों की फेहरिस्त में भारत का स्थान 97 वें नंबर पर है। देश के 15.2 फीसदी लोग आधा पेट खाकर जैसे-तैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। पाँच साल से कम उम्र के 38.7 फीसदी बच्चे बेहद कुपोषित हैं। पाकिस्तान को छोड़कर, हमारे सभी पड़ोसी देश मसलन चीन (29) नेपाल (72), म्यांमार (75) श्रीलंका (84) और बांग्लादेश (90) हमसे बेहतर स्थिति में हैं। इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण तथ्य और जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, पूरी दुनिया में भूख के मोर्चे पर पिछले पन्द्रह बरसों के दौरान 29 फीसदी सुधार आया है लेकिन भारत की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। साल 2008 में हम हंगर इंडेक्स में 83वें नम्बर पर थे, साल 2016 आते-आते 97वें स्थान पर आ गए हैं।[9]

जाहिर है कि 'गरीबी हटाओ' से लेकर 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे महज़ चुनावी जुमले बनकर रह गए हैं और जनता अभी भी अंधेरे में चौराहे के बरगद तले रात काट रही है-

''दीखता है सामने ही अंधकार स्तूप-सा, भयंकर बरगद-
सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत
उसके ही तल-खोह-अंधेरे में सो रहे,
गृहहीन कई प्राण।''[10] (अंधेरे में)

श्रमिक वर्ग दिन-रात मेहनत करने के बावजूद खाली पेट सो जाने के लिए अभिशप्त है, किसान भूख और कर्ज से पीड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं जबकि सरकारें दावा करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अर्थव्यवस्था के इन आंकड़ों में सच्चाई को छुपा दिया जाता है। गरीबों के नाम पर जारी धन की बंदरबाट हो जाती है और मेहनतकश होरी, धनिया जैसे लोग आज भी खेतों में खट रहे हैं परन्तु उनके श्रम का फल कोई दूसरा ही लूट ले जाता है-

''शोषण-हत गम खाने वाले, दुख के स्वामी
अविश्रान्त वे काले-काले हाथ व्यस्त हैं
रिक्त पेट की आँखों में दुख के प्रवाह ले
जिनकी बेबस कर्मशीलता ने युग-युग के
गौर कपोलों में लाली की मदिरा भर दी।
आह! त्याग की उत्कट प्रतिमा होरी महतो, भोली धनिया
जाग रहे हैं।'' (बबूल)

मुक्तिबोध समझ रहे थे कि केवल झूठे प्रचार और झूठे आंकड़ों को दिखाकर सत्ताधीश अपनी पीठ थपथपाते हैं। जनता को देश के विकास के सब्ज़बाग दिखाये जाते हैं और प्रत्येक चुनाव में नए-नए वादों और आश्वासनों के अंबार लगाकर वोट वसूल लिए जाते हैं। कभी राष्ट्रवाद के नाम पर तो कभी धर्म-रक्षा के नाम पर, कभी नस्लीय श्रेष्ठता तो कभी क्षेत्रीयता के नाम पर जनता में चुनाव के वक्त उन्माद पैदा किया जाता है। बौद्धिक वर्ग, साहित्यिक चिंतक,

कविजन सब चुप रहकर इस उन्माद में सहभागी बनते हैं। कवि इस चुप्पी पर सवाल उठाता है-

''सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक्
चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं
उनके ख्याल से ये सब गप है, मात्र किवंदती।
रक्तपायी वर्ग से नाभिनाल-बद्ध से सब लोग।।''[11] (अंधेरे में)

कारण स्पष्ट है कि ये तथाकथित बौद्धिक वर्ग या तो क्रीतदास हो गया है या भयभीत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहरे बिठा दिये गए हैं। समाचार-पत्र (और अब न्यूज चैनल भी) नकली खब़रें गढ़ रहे हैं और जन को बरगलाने का काम करते हैं। असली मुद्दों से ध्यान हटाकर नकली बहसें या फिर अलौकिक, अतिप्राकृतिक घटनाएं जनता तक पहुंचाई जा रही हैं-

''गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा
गढ़ी जाती टिप्पणी जन-जन-उर-शूल।
बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास
किराए के विचारों का उद्‌भास।''[12] (अंधेरे में)

मुक्तिबोध की ये कविताएं न केवल भारतीय लोकतंत्र की बल्कि लोकतंत्र के तथाकथित रहनुमा देशों-ब्रिटेन, अमेरिका की भी सच्चाई दिखाती हैं। अब तो मुक्तिबोध और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं क्योंकि ... आज दुनिया भर में प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपंथी ताकतें उफ़ान पर हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक साम्प्रदायिक शक्तियाँ सिंहासनारूढ़ हो चुकी हैं। नस्लीय श्रेष्ठता और राष्ट्रवाद के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है। तमाम बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी कहलाए जाने वाले या तो लोभ-लालच में या फिर किसी अनिष्ट की आशंका के चलते चुप हैं। जन की आवाज होने का ढिंढ़ोरा पीटने वाला मीडिया भी इन प्रतिक्रिया वादी शक्तियों का पिट्‌ठू बन चुका है। हमारी ही भूल-गलतियाँ लोकतंत्र की आड़ में सिंहासनारूढ़ हो रही हैं और अपने को मज़बूत कर रही हैं और विरोध करने वाली शक्तियाँ खामोश हैं -

''भूल ग़लती, आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर
तख्त पर दिल के: चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक,
आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज़ पत्थर-सी,
खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें,
बेजुबां बेबस सलाम में।''[13] (भूल-गलती)

विडम्बना ये है कि वर्चस्ववादी ताकतें जन की कमज़ोरियों का लाभ उठाकर अपने मठ और गढ़ मजबूत कर रही हैं। लुभावनी घोषणाओं, भावुकता भरे भाषणों, काल्पनिक भय अथवा श्रेष्ठता का दंभ पैदा करके जनता को बेवकूफ बनाकर, उसे अपना पिछलग्गू बना कर सत्ताएँ जन-शोषण का तंत्र रचती हैं। जो कोई उसे चुनौती देता है तो उसको बलात् चुप कराने के तमाम हथकंडे भी इस्तेमाल करने से उन्हें कोई गुरेज़ नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरे बिठा दिये जा रहे हैं। हर चीज को सेंसर किया जा रहा है। इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए जरूरी है कि

''अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे, उठाने ही होंगे
तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब''[14] (अंधेरे में)

अत: मुक्तिबोध भारतीय लोकतंत्र में आ रही बुराइयों की तरफ उस वक्त जो इशारा कर रहे थे वह आज वास्तविकत रूप में हम भुगत रहे हैं। ऐसे में मुक्तिबोध को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1 ''प्रगतिशील कविता : सन्दर्भ त्रिलोचन व मुक्तिबोध'', समकालीन जनमत सं. सुधीर सुमन, संयुक्तांक अक्टूबर-नवंबर, 2016, पृ. 17

2. मुक्तिबोध रचनावली सं - नेमिचन्द्र जैन, भाग-6, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ. 70

3. प्रतिनिधि कविताएं, सं. अशोक वाजपेयी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000 पृ. 11

4. ''आग और ताप के कवि'' समकालीन जनमत, सं. सुधीर सुमन, संयुक्तांक अक्टूबर-नवम्बर, 2016, पृ. 18

5. साखी, सं. - सदानंद शाही, अंक- 26, जुलाई-दिसम्बर, 2015, (संपादकीय) पृ. 11

6. प्रतिनिधि कविताएं, सं. अशोक वाजपेयी, पूर्वोक्त, पृ. 28-29

7. उपर्युक्त, पृ. 141

8. उपर्युक्त, पृ. 141-142

9. खान, जाहिद, ''भुखमरी और कुपोषण के खिलाफ कब होगी सर्जिकल स्ट्राइक'', समकालीन जनमत, संयुक्तांक अक्टूबर-नवंबर, 2016 पृ. 12

10. प्रतिनिधि कविताएं, सं. अशोक वाजपेयी, पूर्वोक्त, पृ. 140.

11. उपर्युक्त, पृ. 165

12. उपर्युक्त, पृ. 166

13. उपर्युक्त, पृ. 177

14. उपर्युक्त, पृ. 161

संस्कृत वाङमय में वर्णित संस्कार और उनका मानव जीवन पर प्रभाव

डॉ. प्रदीप कुमार कौण्डल

सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग

पण्डित सन्त राम राजकीय महाविद्यालय, बैजनाथ, जिला-कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

शोध सारांश

संस्कार हिन्दू धर्म के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। अपने उदयकाल से ही संस्कार धार्मिक तथा सामाजिक एकता के प्रभावकारी माध्यम रहे हैं। इनका उदय अत्यन्त प्राचीन काल में ही हो गया था और कालक्रम से अनेक परिवर्तनों के बावजूद ये आज भी प्रचलित हैं। संस्कारों का सम्बन्ध सम्पूर्ण जीवन से था और है। अत: किसी भी संस्कृति को पूर्ण रूप से समझने के लिए संस्कारों का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। संस्कारों का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास के द्वारा मनुष्य का कल्याण और समाज तथा विश्व से उसका सामंजस्य स्थापित करना था। इस प्रकार जीवन के सर्वांगीण विकास या सिद्धि का नाम ही संस्कार है। प्रस्तुत शोध-पत्र में संस्कारों का महत्त्व, संस्कारों का अर्थ तथा संख्या, तत्पश्चात् गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि संस्कार पर्यन्त हिन्दू समाज के सर्वमान्य सोलह संस्कारों का विवेचन प्रस्तुत करते हुए अन्त में संस्कारों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। हिन्दू समाज के ये संस्कार मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित कर मनुष्य का बहुमुखी विकास करते हैं। इनकी सम्पन्नता एवं अनुपालन से व्यक्ति के जीवन का क्रमिक विकास होता है।

संकेताक्षर : *संस्कार, संस्कृति, व्यक्तित्व विकास, मानव जीवन पर प्रभाव*

मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में संस्कारों का सर्वप्रथम स्थान है। मानव जीवन में संस्कारों का विधान इसलिए किया गया था कि मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक विकास के साथ ही उसका दैहिक और भौतिक जीवन सुव्यवस्थित ढंग से उन्नत हो सके। मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव डालने वाले विघ्नों से छुटकारा पाने हेतु भी समाज में संस्कारों का निर्धारण किया गया प्रतीत होता है। संस्कारों की प्रमुख विशेषताएं आस्तिकता, धार्मिकता और पवित्रता मानी गई हैं तथा इसका मूलाधार धर्म, यज्ञ और कर्मकाण्ड रहा है। संस्कारों की पूर्णता से मनुष्य का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। संस्कार का आधार धर्म है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उन्नत, परिष्कृत और संस्कृत बनाता है। मानव अपने विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों को इन्हीं संस्कारों के माध्यम से कर सकने में समर्थ होता है। संस्कारों के माध्यम से ही मनुष्य का समाजीकरण होता है और वह अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होता है। इससे उसका नैतिक, सामाजिक और धार्मिक विकास होता है। संस्कार व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालते हैं, जिससे वह उस योग्य बनने का प्रयत्न करता है। लोंगो का सदा से विश्वास रहा है कि मनोविचारों का प्रभाव मनुष्य की कार्य करने की प्रवृत्ति और शक्ति पर पड़ता है। अत: संस्कार भविष्य के लिए प्रगति का संदेश देते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं। मानव-जीवन की प्रगति के पथ में संस्कार सोपान के समान हैं, जो क्रम से उसको अधिक ऊँचा उठाते है।

संस्कार का अर्थ : 'संस्करोति इति संस्कार:' अर्थात् जो स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं, वे संस्कार कहलाते हैं। 'जन्मना जायते शूद्र: संस्काराद् द्विज उच्यते' अर्थात् जन्म से मनुष्य शूद्र (असंस्कृत) होता है, संस्कारों की निष्पन्नता से उसमें द्विजत्व (ब्रह्मणत्व) आता है। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातु से घञ् प्रत्यय करने से होती है। इसका अर्थ है, परिष्कार, परिमार्जन, शुद्धता अथवा पवित्रता । अंग्रेजी में संस्कार के लिए 'सैक्रामेंट' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है, धार्मिक विधान। संस्कार व्यक्ति को बाह्य तथा आन्तरिक रूप से विकसित करते है और उसे समाज को संचालित करने की शक्ति प्रदान करते है। साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। मीमांसकों[1] के अनुसार यज्ञांगभूत पुरोडाश आदि की विधिवत्

शुद्धि ही संस्कार है। अद्वैतवेदान्ती[2] जीव पर शारीरिक क्रियाओं के मिथ्यारोप को संस्कार समझते हैं। वैदिक परम्परा में कर्म विशेष संस्कार नाम से जाना जाता है। संस्कार प्रकाश[3] में बताया गया है कि शास्त्रीय विधि से किए गए संस्कारों के अनुष्ठान से संस्कृत व्यक्ति में विलक्षण तथा अवर्णनीय गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। अत: संस्कार हिन्दू समाज के सदस्यों के लिए अत्यन्त अनिवार्य धार्मिक विधान रहे हैं।

संस्कारों की संख्या : संस्कारों की संख्या के विषय में भारतीय विद्वान् एकमत नहीं हैं। यद्यपि संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से ही रहा है, परन्तु इनके विषय में विस्तार से वर्णन सूत्रों तथा स्मृतियों में ही उपलब्ध होता है। गौतम ने अपने धर्मसूत्र में आठ आत्मगुणों के साथ संस्कारों की संख्या चालीस बताई है।[4] उनके अनुसार संस्कार चालीस हैं और इसके इलावा आठ नैतिक गुण हैं। वैखानस धर्म सूत्र[5] ने गर्भाधान से लेकर विवाह पर्यन्त अट्ठारह संस्कारों का उल्लेख किया है। स्मृतियों में संस्कार शब्द का प्रयोग मात्र गर्भाधानादि स्मार्त कर्मों के लिए हुआ है। स्वभावत: स्मृतियों में कहे गए संस्कारों की संख्या धर्मसूत्रों की तुलना में कुछ कम है। मनुस्मृति में गर्भाधान से लेकर शमशान अर्थात् अन्त्येष्टि तक कुल तेरह संस्कार माने हैं।[6] याज्ञवलक्य[7] ने भी केशान्त को छोड़कर इन्हीं संस्कारों का वर्णन किया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'संस्कार विधि'[8] और पं. भीमसेन शर्मा ने 'षोडश संस्कार विधि'[9] में केवल सोलह संस्कारों को ही स्थान दिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कारों की संख्या के विषय में मत वैभिन्य होने पर भी सभी शास्त्रकारों ने थोड़े बहुत अन्तर के साथ सोलह संस्कारों को मान्यता दी है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित हैं। डॉ. राजबलि पाण्डेय[10] ने इन सोलह संस्कारों को निम्न पांच वर्गों में बाँटा है-

1. प्राक् जन्म संस्कार - 1. गर्भाधान, 2. पुसंवन, 3. सीमन्तोन्नयन।
2. बाल्यकाल के संस्कार - 4. जातकर्म, 5. नामकरण, 6. निष्क्रमण, 7. अन्नप्राशन, 8. चूडाकरण, 9. कर्णविध ।
3. शैक्षणिक संस्कार - 10. विद्यारम्भ, 11. उपनयन, 12. वेदारम्भ, 13. केशान्त (गोदान), 14. समावर्तन ।
4. विवाह संस्कार - 15. विवाह ।
5. मृत्युपर्यन्त संस्कार - 16. अन्त्येष्टि ।

यहां पर जीवन के लिए उपयोगी शरीर के इन्हीं सोलह संस्कारों का अब संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।

1. गर्भाधान संस्कार : जिस कर्म के द्वारा पति अपनी पत्नी में बीज स्थापित करता है,उसे गर्भाधान कहते है।[11] हिन्दू समाज में किया जाने वाला यह पहला संस्कार है। इस संस्कार की पूर्णता हेतु प्रारम्भ में वैदिक मन्त्रों द्वारा हवन कर देवताओं का आह्वान किया जाता है और उनसे योग्य सन्तान प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। इस संस्कार का प्रचलन वैदिक काल में हो गया था।[12] इस संस्कार की निष्पन्नता हेतु उचित समय और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक था। वस्तुत: यह संस्कार माता-पिता का ही होता था, इससे उनके मनोविचारों की शुद्धि होती थी। माता-पिता के संस्कार से ही माता के गर्भ में आने वाले शिशु का संस्कार माना जाता था।

2. पुंसवन संस्कार : सामान्यत: जिस कर्म के द्वारा पुरुष का जन्म हो, उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं।[13] गर्भस्थ शिशु को 'पुत्ररूप' देने के उद्देश्य से गर्भाधान के तीसरे महीने 'पुंसवन' नामक संस्कार किया जाता है।[14] आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के अनुसार भी इस संस्कार का प्रयोजन पुत्रसन्तान प्राप्ति था।[15] चन्द्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर यह संस्कार निष्पन्न किया जाता था।[16] पारस्कर गृह्य सूत्र के अनुसार गर्भवती स्त्री को रात्रि में बरगद की छाल का रस नाक उसके दाहिने रन्ध्र में डालना चाहिए और उसकी गोद में कूर्मपित्त भी रखना चाहिए। ऐसा करने पर वीर्यवान् पुत्र की प्राप्ति होती है।[17]

3. सीमन्तोन्नयन संस्कार : यह संस्कार गर्भिणी स्त्री का है और उसे प्रसन्न रखने के उद्देश्य से किया जाता है। गृह्यसूत्रों[18] के अनुसार यह संस्कार गर्भाधान के चतुर्थ मास में होता है तथा स्मृतियों[19] के अनुसार छठे और आठवें मास में होता है। सीमन्तोन्नयन का अर्थ है-बालों को ऊपर उठाना अर्थात् केश प्रसाधन।[20] यह संस्कार गर्भिणी स्त्री के केशों को ऊपर उठाकर मांग निकालकर सम्पन्न कराया जाता था। आश्वलायन गृह्य सूत्र में भी कुछ राक्षसियों द्वारा गर्भ को भक्षण करने का वर्णन मिलता है।[21] इस संस्कार को सम्पन्न करते समय स्त्री के केशों को संवारकर यज्ञ मण्डप में प्रविष्ट कराया जाता था। तत्पश्चात् वेदमन्त्रों के पाठ के साथ इस संस्कार को पूर्ण कराया जाता था। गर्भिणी स्त्री को उपस्थित वृद्धांए ओर श्रेष्ठ स्त्रियां उस स्त्री को वीर पुत्र जन्म देने वाली कहकर आशीर्वाद देती थीं।[22]

4. जातकर्म संस्कार : शिशु के जन्म के तुरन्त बाद (नाभिछेदन से पूर्व ही) इस संस्कार के किए जाने का विधान धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में पाया जाता है। मनु के अनुसार नाभिछेदन के पहले 'जातकर्म' संस्कार सम्पन्न कराया जाता था।[23] इस संस्कार के द्वारा पुत्र के तेजस्वी, बलशाली एवं दीर्घायु होने की सम्भावना शिशु को सोने की सलाई से दही, मधु और घी का घोल चटाया जाता था[24] और

पिता विधिपूर्वक स्नानादि करके पूजन करता था।[25] बृहदारण्यक उपनिषद्[26] के अनुसार इस संस्कार के छ: भाग हैं-1. दही एवं घृत का होम, 2. शिशु के दक्षिण कर्ण में 'वाक्' शब्द का तीन बार उच्चारण, 3. सोने की चम्मच से दही, मधु एवं घृत चटाना, 4. शिशु का गुप्तनाम, 5. शिशु को माँ का स्तनपान और 6. माता को मन्त्रों द्वारा सम्बोधित करना।

5. नामकरण संस्कार : सम्पूर्ण लौकिक व्यवहार,कल्याण और भाग्योदय का हेतू होने के कारण नामकरण को भारतीय धर्मशास्त्रों में एक प्रशस्त संस्कार माना गया है।[27] नामकरण के माध्यम से सन्तान का नाम निर्धारित होता है, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मनु के अनुसार जन्म से दसवें या बारहवें दिन ज्योतिष शास्त्र में बताए गए शुभ दिन, तिथि, मुहूर्त और गुणयुक्त नक्षत्र में बालक का नामकरण संस्कार का आयोजन करना चाहिए।[28] भाष्यकार विश्वरूप और कुल्लूक के अनुसार ग्यारहवें दिन,[29] मेघातिथि के अनुसार दसवें दिन तथा बृहस्पति के अनुसार शिशु का नामकरण दसवें, बारहवे, तेरहवें, सोलहवें, उन्नीसवें और बत्तीसवें दिन करना चाहिए।[30] संस्कार के समय माता शिशु को वस्त्र से ढककर उसके पिता की गोद में रख देती थीं।[31] उसके पश्चात् विभिन्न देवताओं का पूजन करके उन्हें आहुतियां दी जाती थी। तदनन्तर नामकरण होता था। इस संस्कार के बाद प्रसूता पवित्र समझी जाती थी और वह धार्मिक कृत्य में सम्मिलित हो सकती थी।

6. निष्क्रमण संस्कार : निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। जब शिशु को पहले-पहल घर के बाहर निकाला जाता था तो वह निष्क्रमण कहलाता था। निष्क्रमण संस्कार करने का समय जन्म के पश्चात् बारहवें दिन से चौथे मास तक था।[32] मनुस्मृति में भी बालक का निष्क्रमण चतुर्थ मास में बताया गया है।[33] संस्कार को सम्पन्न करने के लिए निर्धारित तिथि के दिन माता बरामदे या आंगन के ऐसे भाग को जहां से सूर्य दिखाई दे, गोबर और मिट्टी से लीपती है तथा उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर धान डाले जाते हैं। शिशु को स्नान कराकर, नवीन वस्त्र धारण कराकर यज्ञ में शामिल किया जाता था। तत्पश्चात् शिशु को मां की गोद में देकर सूर्य का दर्शन कराया जाता था। इस संस्कार का व्यवहारिक प्रयोजन यही है कि एक निश्चित समय के पश्चात् बालक को घर के बाहर उन्मुक्त वातावरण में लाना चाहिए और उसके स्वच्छन्द विकास पर बल दिया जाए और यह अभ्यास निरन्तर प्रचलित रहना चाहिए।

7. अन्नप्राशन संस्कार : शिशु को मां के दूध के अतिरिक्त ठोस भोजन खिलाने का नाम ही अन्नप्राशन संस्कार है। पांच छ: महीने बाद माता के दूध की मात्रा घट जाती है तथा बच्चे को अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसके शरीर का विकास ठीक से हो सके। अत: अन्नप्राशन संस्कार द्वारा शिशु को सर्वप्रथम अन्न ग्रहण कराया जाता था। आयुर्वेद शिशु को छठे मास में पथ्य देने की बात कहता है। आश्वलायन गृह्य सूत्र[34] तथा मनुस्मृति[35] ने इस संस्कार का यही उपयुक्त समय माना है। बच्चे के प्रथम बार दांत निकलने का भी यही समय है। अन्नप्राशन संस्कार का महत्व यह था कि शिशु उचित समय पर अपनी माता के स्तन से पृथक् कर दिए जाते थे । साथ ही इस संस्कार के माध्यम से माता को भी सचेत कर दिया जाता था कि एक निश्चित समय पर उसे शिशु को दूध पिलाना बन्द कर देना चाहिए।

8. चूड़ाकरण या केशान्त संस्कार : चूड़ाकरण संस्कार का तात्पर्य है-शिशु का मुण्डन कराकर प्रथम बार सिर पर शिखा रखना। इसमें शिखा को छोड़कर गर्भकाल के सिर के सभी बाल और नख कटवा दिए जाते थे। पारस्कर गृह्य सूत्र के अनुसार चूड़ाकरण से दीर्घायु और कल्याण प्राप्त होता है।[37] आश्वलायन गृह्य सूत्र के अनुसार संस्कार्य व्यक्ति के लिए दीर्घायु, सौन्दर्य और कल्याण की प्राप्ति इस संस्कार का प्रयोजन था।[38] मनुस्मृति के अनुसार बालकों का चूड़ाकरण संस्कार प्रथम या तृतीय वर्ष में करना चाहिए।[39] पारस्कर गृह्य सूत्र के अनुसार यह संस्कार जन्म के प्रथम, तृतीय, पंचम या सप्तम वर्ष में करना चाहिए।[40] किन्तु अधिकांश शास्त्रकारों ने इस संस्कार के लिए तृतीय वर्ष अत्यन्त श्रेष्ठ माना है। प्राय: यह संस्कार देवालयों में एक शुभ दिन पर सम्पन्न किया जाता था, जहां विधिपूर्वक हवन पूजन के पश्चात् ब्राह्मण-भोजन और निर्धनों को अन्न वस्त्र वांटकर यह संस्कार सम्पन्न किया किया जाता था।

9. कर्णवेध संस्कार : कर्णवेध संस्कार शिशु के सौन्दर्य एवं अंलकरण हेतु किया जाता था, किन्तु उपयोगी सिद्ध होने के कारण इसे धार्मिक संस्कार के रूप में मान्यता मिल गई। सुश्रुत के अनुसार रोग आदि से रक्षा तथा अंलकरण हेतु बालक के कानों का छेदन करना चाहिए।[41] अण्डकोशवृद्धि तथा आंतवृद्धि के निरोध के लिए भी कर्णवेध संस्कार अनिवार्य है।[42] गर्ग[43] के अनुसार इस संस्कार के लिए छठा, सातवां, आठवां या बारहवां मास उपयुक्त है। कात्यायन[44] इसका तृतीय या पंचम वर्ष बताते हैं। सुश्रुत[45] ने इसके लिए छठा या सातवां वर्ष श्रेयस्कर माना है। यह संस्कार जन्म के दसवें दिन से लेकर सात वर्ष तक कभी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है। मन्त्रोच्चारण पूर्वक सवर्ण की श्लाका से बालक का पहले दायां फिर वायां तथा कन्या का पहले वायां फिर दांया कान वेध करना चाहिए। तत्पश्चात् कानों में सुवर्ण की बाली या कुण्डल पहनाया जाता था।

10. विद्यारम्भ संस्कार : जब बालक की आयु पांच वर्ष हो जाती है तब उसे शिक्षा देने का आरम्भ विद्यारम्भ संस्कार से किया जाता है। यह संस्कार प्राय: चूड़ाकरण संस्कार के पश्चात् ओर उपनयन संस्कार के पहले ही सम्पादित होता है। शुभ मुहूर्त में शिक्षक द्वारा पट्टी पर 'ओउम्' ओर 'स्वास्तिक' के साथ वर्णमाला लिखकर बालक को अक्षरारम्भ कराया जाता था। इसमें गणपति पूजन, सरस्वती पूजन और गृह देवता का भी पूजन किया जाता था। वास्तव में यह संस्कार बुद्धि एवं ज्ञान का ही संस्कार था। विश्वामित्र के अनुसार विद्यारम्भ संस्कार बालक की आयु के पांचवें वर्ष में किया जाता था।[46] मारकण्डेय पुराण को उद्धृत करते हुए अपरार्क[47] और स्मृतिचन्द्रिका[48] में लिखा है कि सन्तान के विद्या आरम्भ करने की आयु पांच वर्ष थी। पण्डित भीमसेन शर्मा द्वारा षोडश संस्कारविधि में उद्धृत एक अज्ञातनामा स्मृतिकार के अनुसार यह संस्कार पाचवें या सातवें वर्ष में किया जा सकता था।[49]

11. उपनयन संस्कार : उपनयन का शाब्दिक अर्थ है-'समीप ले जाना'। बच्चे को शिक्षा के लिए आचार्य के समीप ले जाना 'उपनयन' कहलाता है। आचार्य समीप में आए हुए शिक्षार्थी का संस्कार कर उसे 'उपनीत' बना लेता है। यही संस्कार 'उपनयन संस्कार' है। उपनयन के लिए 'यज्ञोपवीत' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। हिन्दू समाज में उपनयन संस्कार का सर्वाधिक महत्त्व है, जिसका सम्बन्ध व्यक्ति के बौद्धिक उत्कर्ष से है।याज्ञवलक्य के अनुसार उपनयन का सर्वोच्च प्रयोजन वेदों का अध्ययन करना है।[50] आपस्तम्भ और भारद्धाज विद्या की प्राप्ति को उपनयन का उद्देश्य मानते हैं।[51] यह संस्कार शूद्र को छोड़कर शेष तीन वर्णों-ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के लिए विहित था। इस संस्कार के लिए उचित अवस्था एवं काल के सम्बन्ध में सभी धर्मशास्त्र एकमत नहीं है। गौतम[52] एवं मनु[53] के अनुसार ब्राह्मण बालक का गर्भ से आठवें, क्षत्रिय का ग्यारहवें और वैश्य का बारहवें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए।

12. वेदारम्भ संस्कार : यह संस्कार 'उपनयन संस्कार' के बाद उसी दिन या उससे अगले दिन किया जाता था। मनु के अनुसार आचार्य उपनयन के पश्चात् शिष्य को शौच, आचार, अग्निहोत्र और सन्ध्यापूजा के नियमों की शिक्षा देता है।[54] वेदारम्भ में प्रणव, व्याहृतियों और गायत्री का पाठ पढ़ाया जाता था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मचारी षट् वेदांगों सहित वेद का अध्ययन करता था। मनु[55] और याज्ञवलक्य[56] ने सर्वप्रथम एक वेद का अध्ययन करने की बात कही है। समय मिलने पर अन्य वेदों का भी अध्ययन किया जा सकता है। मनु का कथन है कि वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी को शास्त्रोक्त विधि से आचमन करते हुए ब्रह्मंजलि बांधकर, हल्के वस्त्र को धारण कर जितेन्द्रिय होना चाहिए।[57]

13. केशान्त (गोदान) संस्कार : केशान्त या गोदान संस्कार सोलहवें वर्ष में किया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार गर्भ से सोलहवें वर्ष ब्राह्मण का, बाइसवें वर्ष क्षत्रिय का और चौबीसवें वर्ष वैश्य का केशान्त संस्कार सम्पन्न करना चाहिए।[58] केशान्त संस्कार में ब्रह्मचारी के प्रथम बार दाढ़ी-मूंछ का क्षौर किया जाता था।

14. समावर्तन संस्कार : समावर्तन का अर्थ है-वेदाध्ययन के उपरान्त गुरुकुल से अपने घर की ओर प्रत्यावर्तन का नाम समावर्तन है।[59] वेदाध्ययन की समाप्ति पर जब शिष्य आचार्य की आज्ञा लेकर अपने घर प्रस्थान करता है, उस समय आचार्य के आश्रम से जो प्रस्थानविधि होती थी, उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। इसमें ब्रह्मचारी को विधिपूर्वक स्नान कराया जाता है। स्नान की प्रधानता होने के कारण इस संस्कार को 'स्नान संस्कार' भी कहते है। समावर्तन के अवसर पर आचार्य शिष्य को भावी कर्त्तव्य-पथ का भी निर्देश करता था। इस प्रकार स्नातक आचार्य का आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त कर गृह की ओर प्रत्यावर्तन करता था। वस्तुत: यह संस्कार शैक्षणिक जीवन से व्यवहारिक जीवन में लौटने का प्रतीक था।

15. विवाह संस्कार : विवाह का मूल अर्थ है-'वध्वा आनयनम्' अर्थात् वधू को लाना। इसके साथ सीभ्भी उत्सव विवाह के अन्तर्गत परिगणित होते हैं। विवाह समस्त संस्कारों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और गौरवशाली माना जाता है। इस संस्कार से व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है तथा उसके सामाजिक व पारिवारिक दायित्व बढ़ जाते हैं। इस संस्कार के विना कोई भी जातक पुरुषार्थ चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष) प्राप्त नहीं कर सकता है। प्राचीन काल में भी विवाह की अनुपम महत्ता थी। इसके विना मनुष्य निस्तेज माना जाता था।[60] तैतिरीय संहिता के अनुसार तीन ऋणों में से दो पितृ ऋण एवं देव ऋण को चुकाने के लिए विवाह आवश्यक है।[61] इस प्रकार पितृ ऋण एवं देव ऋण को चुकाने के लिए एवं वंश परम्परा को अविच्छिन्न रखने के लिए 'विवाह' नामक संस्था का निर्माण हुआ। यह एक सामाजिक बन्धन था, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता था। मनुष्य अपने अन्य सभी कर्तव्य विवाह के पश्चात् ही कर पाने में समर्थ था, पहले नहीं। उसकी सारी उपलब्धियां गृहस्थ बनने के बाद ही एकत्र होती थीं।

16. अन्त्येष्टि संस्कार : यह मानव जीवन का अन्तिम संस्कार है, जो मरणोपरान्त परिवार के व्यक्तियों द्वारा मृतक के प्रति किया जाता है। शव का दाह संस्कार वैदिक काल से ही प्रचलित है। सभी संस्कार जीवन को उत्कर्ष प्रदान करने वाले थे, जबकि मृत्योपरान्त किया जाने वाला अन्त्येष्टि संस्कार परलोक के सुख के लिए था। बौधायन सूत्र में भी यही बात कही गई है।[62] अन्त्येष्टि क्रियाओं का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में उपलब्ध होता है।[63] जबकि संस्कार के रूप हमें इसका उल्लेख याज्ञवलक्य स्मृति में ही मिलता है।[64] इस संस्कार के अन्तर्गत पार्थिव शरीर का दाह संस्कार होता था। दाह क्रिया के पूर्व धार्मिक कृत्य कर शव को बांस की अर्थी पर ले जाया जाता था, जिसमें मृतक के सगे सम्बन्धी सम्मिलित होते थे। पिंडदान, श्राद्धकर्म और ब्राह्मण भोजन के बाद मृतक का परिवार शुद्ध माना जाता था।[65] हिन्दू परिवारों में आज भी अन्त्येष्टि संस्कार इसी विधि से सम्पन्न किया जाता है।

संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव : हिन्दू समाज के ये संस्कार मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित कर मनुष्य का बहुमुखी विकास करते हैं। इनकी सम्पन्नता एवं अनुपालन से व्यक्ति के जीवन का क्रमिक विकास होता है और ये संस्कार उसका उचित मार्गदर्शन करने में भी सहयोग प्रदान करते हैं।

- संस्कारों के प्रभाव से 'कर्तव्य' की धारणा व्यक्ति को अपने पथ से विचलित नहीं होने देती। यदि कहीं उसके कदम डगमगाते हैं तो संस्कार व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उसे सचेत करते रहते हैं।
- संस्कार व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का अभ्यास डालते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के अनूकूल बनने का प्रयास करता है।
- संस्कार व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर उसे परिस्थिति व समय के अनुरूप सुयोग्य बनने की प्रेरणा देते हैं।
- संस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और सामाजिक और धार्मिक प्रेरणा से युक्त व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संस्कारों के प्रभाव से ही मनुष्य सच्चरित्र एवं सदाचरण से युक्त होकर सन्मार्ग पर प्रवृत्त होता होता है। पराशर स्मृति में मानव जीवन पर संस्कारों के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 'जिस प्रकार चित्र अनेक रंगों से उभरता है, वैसे ही विधिपूर्वक किए गए संस्कारों से व्यक्तित्व का विकास होता है।'[66]
- संस्कारों के प्रभाव से व्यक्ति का परिवार और समाज से अत्यन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित होता है, जो उसके समाजीकरण का परिचायक है। सामाजिक मूल्यों, आदर्शों आदि के ज्ञान की प्राप्ति भी उसे इन्हीं के द्वारा होती है।
- उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन आदि संस्कार व्यक्ति का क्रमबद्ध शैक्षणिक विकास करते है। इन संस्कारों के माध्यम से मनुष्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि अनेक प्रकार की शिक्षांए प्राप्त करता है, जिनसे वह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से यापन करने में समर्थ होता हैं।
- संस्कारों के अनुष्ठान से व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, नैतिक प्रतिमानों से परिचित होता है। उसे सत्य, अहिंसा, क्षमा, दान, दया, विनम्रता, पवित्रता, सच्चरित्रता, सदाचरण आदि भारतीय संस्कृति के मूलाधार अनेक गुणों को ग्रहण करने का मौका मिलता है।
- संस्कार एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा की क्रमिक सीढ़ियों का कार्य करते है। उनके द्वारा संस्कृत व्यक्ति यह अनुभव करता था कि सम्पूर्ण जीवन वस्तुत: संस्कारमय है और सम्पूर्ण शारीरिक क्रियांए आध्यात्मिक ध्येय से अनुप्राणित हैं। संस्कारों का प्रधान आधार धर्म है। इस प्रकार संस्कारों की सम्पन्नता से व्यक्ति का आध्यात्मिक पक्ष सबल होता है।
- संस्कारों के माध्यम से प्रेम, शोक, स्नेह, अनुराग,दु:ख, घृणा आदि मानवीय अभिव्यक्तियां हर्ष एवं विषाद के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। व्यक्ति के प्रगतिशील जीवन का प्रत्येक चरण परिवार को सन्तोष और प्रसन्नता प्रदान करता है तथा मृत्यु के अवसर पर हर तरफ करुणा ही करुणा का दृश्य होता है।

संस्कार मानव जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाए गए थे, इनके माध्यम से व्यक्ति अपनी संस्कृति की विशेषताओं को वहन करने के योग्य तो बनता ही है, साथ ही समाज को सुसंचालित करने में भी समर्थ होता है। इन्हीं संस्कारों द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण, आचरण, कर्तव्य, नैतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन होता है। अत: संस्कार जीवन को गतिशीलता प्रदान करते हुए मनुष्य के विभिन्न कर्मों को जीवन्त और प्राणवान् करते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश संस्कारों का प्रचलन भले ही कम हो गया हो या महत्ता कुछ कम हो गई हो व उनको सम्पन्न कराने के प्रति शिथिलता आने लगी हो, परन्तु इनकी जड़ें आज के समय में भी सुदृढ़ तथा दूर तक फैली हुई हैं।

सन्दर्भ सूची

1. प्रोक्षणादिजन्यसंस्कारो यज्ञाङ्गपुरोडाशेष्विति द्रव्यधर्म:।-वाचस्पत्य बृहदभिधान, 5, पृष्ठ-5188

2. स्नानाचमनादिजन्या: संस्कारा: देहे उत्पद्यमानानि तदभिधानानि जीवे कल्प्यन्ते
3. आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योऽतिशयविशेष: संस्कार:। संस्कार प्रकाश, पृष्ठ-132
4. चत्वारिंशत् संस्कारा: अष्टौ आत्मगुणा:।- पाण्डेय, राजबली, 2006, हिन्दू संस्कार, पृष्ठ-22 पर उद्धृत
5. वैखानस धर्म सूत्र-1.1.1 ।
6. मनुस्मृति -2.16, 26, 29
7. याज्ञवल्क्य-स्मृति,1.2, 3.8.2
8. सरस्वती, स्वामी दयानन्द, संस्कार विधि, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर से प्रकाशित
9. शर्मा, पं. भीमसेन, षोडश संस्कार विधि, ब्रह्मा प्रैस, इटावा से प्रकाशित
10. पाण्डेय, राजबली, 2006, हिन्दू संस्कार, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी ।
11. गर्भ: संधीयते येन कर्मणा तद् गर्भाधानमित्यनुगतार्थं कर्मनामधेयम्।-पूर्वमींमासा,1.4.2
12. अथर्ववेद, 5.25.3
13. पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवनमीरितम्।-शौनक, वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश, भा. 1,पृष्ठ 166 पर उद्धृत।
14. आपस्तम्ब गृह सूत्र, 1.13, 2.7
15. पुंसवनमिति कर्मनामधेयं येन कर्मणा निमित्तेन गर्भिणी पुमासमेव सूते सत्पुंसवनम्।- आपस्तम्ब गृह सूत्र, 14.9
16. पारस्कर गृह्य सूत्र, 1.14.2, बौधायन गृह्य सूत्र, 1.9.1, आश्वलायन गृह्य सूत्र, 1.13
17. पारस्कर गृह्य सूत्र, 1.14.3
18. चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम् ।- आश्वलायन गृह्य सूत्र, 1.14
19. षष्ठेऽष्टमे वा सीमान्त: ।-याज्ञवलक्य स्मृति, 1.11
20. सीमन्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमन्तोन्नयनमिति कर्मनामधेयम्।-वीरमित्रोदय संस्कार भाष्य, 1 पृष्ठ 172
21. आश्वलायन गृह्य सूत्र, 1.14.1-9
22. ऊँ वरसूस्तपं भव,जीवसुतस्वं भव जीव पत्नी त्वं भव।-गौतम गृह्य सूत्र, 27.13
23. प्राङ् नाभिवर्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते।-मनुस्मृति, 2.29
24. आश्वलायन गृह्य सूत्र, 1.15.1-4
25. जातस्य जातकर्मादिक्रियाकाण्डभशेषत: पुत्रस्य कुर्वीत् पिता श्राद्ध चाभ्युदयात्मकम्।।-विष्णु पुराण,3.10.4,5
26. बृहदारण्यक उपनिषद, 6.4.24-28
27. नामाखिलस्य व्यवहारहेतु: शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतु:
नाम्नैव कीर्तिं लभते मनुष्यस्तत: प्रशस्तं खलु नामकर्म।। -बृहस्पति, वीरमित्रोदय संस्कार भाष्य, 1,पृष्ठ 241 पर उद्धृत
28. नामधेयं दशभ्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् ।-पुण्ये तिथौ मुहूते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते।। -मनुस्मृति, 2.30
29. कुल्लूक, मनुस्मृति, 2.30 कुमार, डॉ. दीपक, 2011, भारतीय संस्कृति, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन पृष्ठ-117 पर उद्धृत
30. द्वादशाहे दशाहे वा जन्मतोऽपि त्रयोदशे। षोडशैकोनविंशे वा द्वात्रिंशे वर्णत: क्रमात्।।-वीरमित्रोदय संस्कार भाष्य,1 पृष्ठ 234 पर उद्धृत
31. गोभिल गृह्य सूत्र, 3.7.15
32. चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति।-पारस्कर गृह्य सूत्र, 1.17
33. चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहात्।- मनुस्मृति, 2.34
34. षष्ठे मास्यन्नप्राशनम्।- आश्वलायन गृह्य सूत्र, 1.16.1
35. षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मंगलं कुले।।- मनुस्मृति, 2.34
36. बालस्य यत्प्रथम भोजनं तदुच्यते प्राशित्रम्।-शब्दानुशासन, 6.4.25
37. पारस्कर गृह्य सूत्र, 2.1, 1.2
38. आश्वलायन गृह्य सूत्र, 17.12.1
39. चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मत:। प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्।।-मनुस्मृति, 2.35
40. पारस्कर गृह्य सूत्र, 1.19
41. रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कर्णौ विध्येत्।-सुश्रुत शरीरस्थान,16.1
42. शंखोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यत्नेन सेवनीम्। व्यत्यासाद्वा शिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ।।-वही,चिकित्सास्थान, 19.21
43. पाण्डेय, राजबली, 2006, हिन्दू संस्कार, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, पृष्ठ-130 पर उद्धृत
44. पारस्कर गृह्य सूत्र, परिशिष्ट-1
45. सुश्रुत, सूत्रस्थान,अ. 16.1
46. वीरमित्रोदय संस्कार भाष्य, 1 पृष्ठ 321 पर उद्धृत
47. अपरार्क, पृष्ठ 30.31
48. स्मृतिचन्द्रिका, 1 पृष्ठ 26
49. पंचमे सप्तमे वाऽब्दे। शर्मा, भीमसेन, षोडश संस्कारविधि ।
50. उपनीय गुरु: शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम्। वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्।।-याज्ञवलक्य स्मृति,1.15
51. उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतित: संस्कार इति।- आपस्तम्भ धर्म सूत्र, 1

52. उपनयनं ब्राह्मणस्याष्टमे। एकादशद्वादशयो: क्षत्रियवैश्ययो:।- गौतम धर्म सूत्र, 1.6.12
53. गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनयनम्। गर्भदिकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विश:।।- मनुस्मृति, 2.36
54. मनुस्मृति, 2.69
55. मनुस्मृति, 3.2
56. याज्ञवलक्य स्मृति, 1.52
57. अध्येष्माणस्तृवाचान्तो यथाशास्त्रमुदङ्मुख:। ब्रह्मंजलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रिय:।।- मनुस्मृति, 2.70
58. केशान्त: षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिकेतत:।।- मनुस्मृति, 2.65
59. तत्र समावर्तनं नाम वेदाध्ययनन्तरं गुरुकुलात् स्वगृहागामनम्।- वी.मि.सं भा. 1 पृष्ठ 564
60. सान्ताकिादयो वा ते याच्यमाना निराकृता … येनासि विगतप्रभ:। विष्णु पुराण, 5.38
61. जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवां जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य: प्रजया पितृभ्य:।
एष वा अनृणे य: पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी।-तै.सं.,6.3.10.15
62. बौधायन गृह्य सूत्र, 1.43
63. ऋगवेद, 1.2.3,4 , अथर्ववेद, 18.2.34
64. याज्ञवलक्य स्मृति, 1.10
65. विष्णु पुराण, 3.13.20 (मिश्र, डॉ. जयशंकर, 2013, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना ,प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास में पृष्ठ 300 पर उद्धृत।
66. चित्रकर्म यथानेकैरंङ्गैरुन्मील्ते शनै:। ब्रह्मण्यमपि तद्वत् स्यात् संस्कारैर्विधिपूर्वकम्।।-वीरमित्रोदय संस्कार भाष्य, 1 पृष्ठ 139 पर उद्धृत।

भारत में सरोगेसी एवं महिला हित : सम्भावनाएँ, चुनौतियाँ एवं समाधान

नरेन्द्र कुमार परेवा

व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग

राजकीय कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा (राजस्थान)

शोध सारांश

विश्व समाज में सभ्यता के प्रारम्भ से ही परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई रही है। विवाह पश्चात् नवदम्पति परिवार की स्थापना करते हैं किन्तु उनका परिवार पूर्णता को तभी प्राप्त करता है जबकि उनके बच्चे हों। बिना बच्चों के परिवार अधुरा माना जाता रहा है अत: समाज की प्रारम्भिक अवस्था से ही मनुष्य समय,स्थान, परिस्थिति सापेक्ष बच्चों के जनन हेतु विकल्पों की खोज करता रहा है। इस सन्दर्भ में समकालीन परिवेश में सरोगेसी महत्वपूर्ण विकल्प एवं माध्यम के रूप में विकसित हो रही है। भारत में इस समय 12 करोड़ से अधिक दम्पति निसन्तान हैं। अत: आने वाले समय में यह और अधिक विस्तार पाने वाली है। प्रस्तुत शोधपत्र के व्यापक उद्देश्य हैं जिसमें यह जानने का प्रयास किया जावेगा कि समकालीन परिवेश में क्या सरोगेसी को विकल्प के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? यह किस तरह वरदान अथवा अभिशाप हो सकती है? सरोगेसी से जुडे समकालीन एवं प्रासंगिक तथ्य क्या हैं? उन सब के बीच महिला हित एवं अधिकार, गरिमा आदि की क्या दशाएं हैं? आदि तथ्यों की खोज करना शोधपत्र के उद्देश्य हैं। क्षेत्रीय एवं आनुभाविक अध्ययन के सम्मिलन से शोध कार्य किया गया है जिसमें राजस्थान के दौसा जिला मुख्यालय के चालीस निसंन्तान दम्पतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन विधि-सहभागी अवलोकन,निदर्शन विधि,एकल अध्ययन आदि द्वारा किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में सरोगेसी से जुड़े कानून 'आर्ट एक्ट' की समीक्षा की जावेगी तथा भारत के निसंन्तान दम्पतियों को सरोगेसी का फायदा पहुचे एवं इस प्रक्रिया में महिला हित सुरक्षित रह सकें, इस हेतु अपनायी जा सकने वाली रणनीति की विस्तार से चर्चा की जावेगी।

संकेताक्षर : *सरोगेसी, महिला अधिकार, मनोवैज्ञानिक आयाम*

प्राणीशास्त्रीय सम्बन्धों के आधार पर निर्मित समूहों में परिवार सबसे छोटी किन्तु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह एक सर्वव्यापी संस्था है। मानव ने परिवार एवं विवाह संस्थाओं की स्थापना करके सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार एवं समाज की निरन्तरता का एक सरलतम माध्यम खोज निकाला है। भारतीय दर्शन में परिवार को मनुष्य की सुख समृद्धि ऊर्जा का केन्द्र माना गया है। यहां परिवार यौन संबंधों का नियमन ही नहीं करता वरन् धार्मिक क्रियाकलाप एवं प्रजा (संतान) पालन का कार्य भी करता है इसलिए भारत में परिवार एक संस्था ही नहीं वरन् जीवन विधि है। स्नेह, सुरक्षा, त्याग, संयम, दायित्व की परस्पर भावना के कारण आपसी मिठास एवं संबंधों की भरमार होती है। भारतीय समाज में पिण्डदान, श्राद्ध, तर्पण, अमरत्व, वंशनाम एवं ऋण आदि धार्मिक अवधारणाएँ प्रचलित रही हैं। इसलिए परिवार में संतान का होना अपरिहार्य बताया गया है। जिन परिवारों में बच्चे नहीं हैं वे परिवार अपने आप में अधूरे महसूस करते हैं। बिना बच्चों के घर परिवार को सामाजिक मान्यता लगभग नहीं मिलती, उनके निवास स्थान मकान से अधिक कुछ नहीं होते। भारत में निसंतान दम्पतियों की संख्या 12 करोड़ से अधिक है। नि:संतान दम्पति परिवार में बच्चों की उपलब्धता हेतु यथा संम्भव भरसक प्रयास करते रहे हैं क्योंकि भारतीय परिवारों में संतान एक जिम्मेदारी ही नहीं वरन् जीवन जीने की विषयवस्तु (सिलेबस) माना जाता रहा है। पौराणिक काल से महाकाव्य काल तक परिवार में संतति हेतु किये गये प्रयासों के प्रमाण मिलते हैं। महाभारत मे 'नियोग' प्रथा भी संतति प्राप्ति का जतन ही तो थी।

प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि परिवार में बच्चों की उपलब्धता के लिए समकालीन परिवेश में क्या विकल्प अथवा माध्यम हैं जिससे कि नि:संतान दंम्पतियों को संतान प्राप्त हो सके। सेरोगेसी से जुड़े समकालिक एवं प्रासंगिक

प्रश्नों के क्या समाधान हैं? इन सबमें महिला हितों की क्या दशाएँ हैं? सेरोगेसी के संदर्भ में उपलब्ध कानून में महिला हितों कि किस तरह पैरवी की गयी है? उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है? इस संदर्भ में अध्ययन कर्ता के मौलिक विचारों की पड़ताल की जानी है।

अध्ययनकर्ता ने समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का उपयोग करते हुए राजस्थान में दौसा जिला मुख्यालय पर 40 निसंतान दंपतियों का आनुभाविक अध्ययन किया। जिसमें पाया गया कि सामाजिक सांस्कृतिक एवं नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवार में संतति को अतिआवश्यक माना गया, उनके द्वारा जो भी संभव किया जा सके सार्थक प्रयास किये जाने की प्रतिबद्धता दोहराई गयी।

वे निसंतान दंपति जो परम्परागत अथवा प्रत्यक्ष यौन संबंधो द्वारा संतान प्राप्त नहीं कर पाते उनके लिए समकालीन परिवेश में सरोगेसी एक आशा की किरण बनकर सामने आया है उनके घरों में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे, इसके लिए सरोगेसी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। कुछ समय पूर्व गोद (दत्तक) प्रणाली समाज में प्रचलित रही किन्तु दत्तक नियमों की जटिलता, समय का अधिक व्यय, साथ ही दत्तक संतान के मिले-जुले परिणाम के कारण भारतीय जनमानस इसके पक्ष में नहीं है। दत्तक संतान भी अपने सामाजिक एवं कानूनी माता-पिता की बजाय अपने जैविक माता पिता की और अभिमुखित देखे गये हैं अत: सरोगेसी ने निःसंतान दम्पतियों के लिए एक सशक्त विकल्प तैयार किया है। समकालीन परिवेश में लोगों की सोच बदल रही है तथा प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन आया है जिसके कारण सरोगेसी पहले की तुलना में अब विस्तार पा रही है। भारतीय समाज परम्परागत समाज है भारतीय जनमानस आज भी अपने शुक्राणुओं में अमरत्व ढूँढ़ता है प्राचीन भारतीय धर्मग्रन्थ भी इसके पक्ष में है इसलिए अध्ययनकर्ता को इस शुक्राणु विलम्बन की स्थिति अगले 50 वर्ष तक नजर नहीं आ रही इसलिए भारतीय जनमानस की रूचि गोद प्रथा में नहीं रही है। निसंतान दम्पत्ति अपने ही खून (स्वयं के वीर्य से निर्मित संतान) की चाहत रखता है। यह मान्यता सही है अथवा गलत, एक विचारणीय बिन्दू है। तथापि सरोगेसी के मामले में भारतीय जनमानस की रूचि बढती जा रही है।

सरोगेसी समकालीन परिवेश में संतति पैदा करने का नवप्रयोग बनकर उपयोगी साबित हो रहा है। लेटिन शब्द 'सरोगेट्स' से सरोगेसी शब्द बना है जिसका अर्थ है 'स्थानापन्न' अर्थात 'किसी और को अपने काम के लिए नियुक्त करना।' सरोगेसी मे संतान इच्छुक दम्पति चिकित्सा विज्ञान की सहायता से अपने शुक्राणु अथवा अण्डाणु निषेचित (Test Tube) करवाकर और किसी अन्य महिला की कोख में उस भ्रूण को विकसित कराकर उसे जन्म दिलाते हैं अर्थात एक अन्य महिला अपनी कोख से दूसरों के लिए उनके बच्चे को जन्म देती है। सामान्य बोल-चाल में इसे 'किराये की कोख भी कहा जाता है।' सरोगेसी दो तरह की होती हैः 1. Traditional Surrogacy - पिता के शुक्राणुओ को अन्य महिला के अण्डाणुओं के साथ निषेचित कराकर संतान प्राप्त करना (उत्पन्न शिशु का जैविक संबंध सिर्फ पिता से होना) 2. Gestational Surrogacy - संतान इच्छुक दम्पति के शुक्राणुओं-अण्डाणुओं का परखनली में निषेचन कराकर भ्रूण को अन्य महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करना (उत्पन्न शिशु का जैविक संबंध माता-पिता दोनों से होना) इसलिए सरोगेसी में सरोगेट मदर उत्पन्न संतान की जैविक मां हो भी सकती है और नहीं भी। अर्थात वह जैविक रूप पृथक माता भी हो सकती है।

सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1986 में सरोगेसी द्वारा बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम मेलिसा स्टर्न था, जिसे 'बेबी एम' कहा गया। इसके बाद विश्व के अनेक देशों ने इस तकनीक को अपनाया। भारत में भी इसकी सहायता से हजारों निःसंतान दम्पति लाभान्वित हुए। भारत में लगभग 12 करोड लोग निःसंतान हैं। बदलती जीवनशैली, खानपान, मोबाईल क्रांति, इन्टरनेट, रेडिऐशन प्रदूषण आदि के दुष्प्रभावों के चलते इस संख्या में बढोतरी की संभावनाएं हैं। अत: निकट भविष्य में यह तकनीक और अधिक व्यापक होने वाली है। सरोगेसी के दो स्वरूप देखने को मिलते हैः 1. परमार्थ वादी (Altruistic Surrogacy) - यह परोपकार की भावना से प्रेरित होती है। सरोगेट मदर बिना कोई आर्थिक अनुदान लिए दुसरो की खुशी के लिए बच्चा पैदा कर उसके जैविक माता पिता को सौप देती है यद्यपि यह दुर्लभतम है। 2. व्यावसायिक सरोगेसी (Commercial Surrogacy) - जब एक सरोगेट मदर पूर्व में सुनिश्चित की गयी धन राशि को लेकर दूसरों के लिए बच्चा पैदा कर उसके जैविक माता-पिता को सौंप देती है। वर्तमान में व्यावसायिक सरोगेसी के मामले अधिकाधिक बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत में लगभग 3000 क्लिनिक खुल गये हैं जहां प्रतिवर्ष 20000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। भारत में सरोगेसी के विस्तार होने से इसने एक उद्योग (Industry) का रूप ले लिया है। भारत सप्पूर्ण विश्व में 'सरोगेसी कैपिटल' के रूप में विकसित हो रहा है। आणंद, अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, बैगलोर, पूणे आदि इसके केन्द्र के रूप में उभरे हैं। विदेशों की तुलना में भारत में इस पर कम खर्चा होता है जहां अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में इस पर 40-50

लाख का खर्चा आता है वहीं भारत में यह 10-15 लाख में निपट जाता है इसलिए वहां का मध्यम वर्ग भारत की और आकर्षित होता है। लगभग 1000 विदेशी जोडे प्रतिवर्ष भारत आ रहे हैं। इसलिए भारत 'फर्टिलिटी ट्यूरिज्म' का केन्द्र बनता जा रहा है। प्रजनन पर्यटन के रूप में भारत पहचान बना रहा है। इसके लिए एक पूरी शाखा विकसित हो चुकी है। भारत में सरोगेसी उद्योग 450 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष का उद्योग बन चुका है। सरकार के राजस्व एवं विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि हुई है। व्यावसायिक सरोगेसी में जहां सरोगेट मदर को आर्थिक लाभ मिलता है वहीं संतानहीन दम्पति को संतान सुख की असीम खुशी प्राप्त होती है। उसकी वंशबेल बढती है और परिवार में उत्सव का माहौल तैयार होता है। किन्तु इन सब में यह भी देखना आवश्यक है कि सरोगेट मदर की अस्मिता, गरिमा, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, गोपनीयता को नुकसान तो नहीं हो रहा है। उसकी मजबूरी अथवा गरीबी का अन्य लोग फायदा तो नहीं उठा रहे, उसका दैहिक शोषण तो नहीं हो रहा है। उसकी कोख को बिकाऊ तो नहीं माना जा रहा है इसके अति प्रयोग अथवा दुरूपयोग होने से महिलाओं के हित पर क्या असर होगा आदि तथ्यो को ध्यान में रखना समाचीन होगा। पिछले कुछ समय में कुछ फिल्मी सैलिब्रेटी- शाहरूख खान, आमिर खान, सोहिल खान, साहिद कपूर, तुषार कपूर ने व्यावसायिक सरोगेसी का दुरूपयोग किया है जो कि निन्दनीय है। जिस कारण बुद्धिजीवियों का ध्यान इस ओर गया है। समाज का सम्पन्न वर्ग इसके दुरूपयोग में लगा हुआ है। भारतीय महानगरों में कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं अपने फिगर एवं ब्यूटी को खो देने के भय से गर्भाधान एवं प्रजनन से जुडी कठिनाईयों से बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी झूठे बहानों की आढ में निर्धन एवं लाचार महिलाओं की खोजबीन करती हैं। सरोगेसी के लिए एक आम महिला सामान्यत: तैयार नहीं होती किन्तु उसकी अशिक्षा एवं निर्धनता उसे इस हेतु तैयार कर लेती है। परिवार के सदस्य, बिचौलिये, चिकित्साकर्मी उसे बरगलाकर उसे प्रेरित करते हैं। जिसका फायदा उसे न मिलकर दूसरे उठा लेते हैं। 24.08.2016 को भारत सरकार की कैबीनेट ने Assisted Reproductive Technology (ART) विधेयक को मंजूरी दी है ताकि इस संबंध में अनैतिक गतिविधियों, सरोगेट मदर के शोषण, सरोगेसी से उत्पन्न बच्चों को त्यागने, मानव भ्रूणों अथवा युग्मकों की खरीद फरोख्त में बिचौलियों के रैकेट को रोका जा सके तथा इसके मननाने उपयोग एवं मातृत्व के व्यापार पर लगाम लगायी जा सके और जरूरतमंद दंम्पति को नैतिक सरोगेसी वरदान के रूप में सुलभ हो सके। पूर्व में 2002 में सरोगेसी को भारत में वैधता दी गयी थी वहीं 2008 में सर्वोच्य न्यायालय एक मामले में इसे कानूनी मान्यता प्रदान की थी। इसी क्रम में कुछ आवश्यक संशोधन के साथ आर्ट बिल को मंत्रीमंडल ने मंजूरी दी है। जिसे जानकार लोग असंतुलित बता रहे है। उनका मानना है कि सरोगेसी की छूट विशेष परिस्थिति में दी जानी चाहिए यथा - आई वी एफ उपचार असफल होने पर, बार बार गर्भपात होने पर, भ्रूण आरोहण उपचार असफल होने पर, गर्भ का कमजोर अथवा उसमें संक्रामक विकृति एवं बीमारी होने पर, उच्च रक्तचाप एवं ह्रदय रोग होने पर, मेडिकल ग्राउण्ड पर प्राक्रतिक तरीके से अक्षम होने पर आदि। इस प्रस्तावित कानून में कई प्रावधान आपत्तिजनक हैं यथा दम्पतियों को मनपसंद शुक्राणु एवं अण्डाणु के चयन की अनुमति दी गयी है। इससे मुम्बई में **सीमन बैक** स्थापित हो चुका है। जिसके कारण मन पसंद शुक्राणु एवं अण्डाणु की खरीद फरोख्त का कारोबार चल निकला है। पेशेवर डोनरो को नियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है इससे एक नई समस्या सामने आयेगी कि ज्यादातर बच्चे एक जैसे होंगे जो नहीं होने चाहिए। वर्तमान में डिजाइनर बेबी की मारामारी बढ़ रही है। विधेयक में सिंगल पैरेंटिंग को भी मान्यता प्रस्तावित है जो कि बच्चे के लिए शोषणकारी हो सकता है तथा विवाह संस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इससे प्रकृति विरूद्ध समलैंगिकता को बढावा मिलेगा। जिन दम्पति के पूर्व में उत्पन्न बच्चे जीवित हों अथवा पूर्व में दत्तक संतान ग्रहण कर चुके हों उन्हें इसकी छूट नहीं मिले। इच्छुक दम्पति अपनी शादी के 5 वर्ष बाद ही इस हेतु आवेदन करें। विधेयक में महिलाओं की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गयी है किन्तु अधिकतम उम्र तय नहीं की गयी है जिस कारण अधिक उम्र की सरोगेट मदर के स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरा हो सकता है। अत: अधिकतम उम्र को सुनिश्चित किया जाये। विधेयक में सरोगेसी के अधिकतम अवसर 5 स्वीकृत किये जा रहे हैं। अध्ययनकर्ता को यह अवसर आवश्यकता से अधिक लग रहा है। मेरी राय में यह अवसर 2 से अधिक बार नहीं दिया जाना चाहिये। साथ ही उसकी सुविधा क्षतिपूर्ति राशि, बीमा, गरिमा का स्पष्ट प्रावधान किया जाये। विदेशियों को भारत में सरोगेसी पर कानूनी रोक लगा दी जाये, बहुत आवश्यक होने पर स्थानीय अभिभावक की भूमिका तय की जाये। कई मामलों में पाया गया है कि कई विदेशी सरोगेसी करवा लेते हैं किन्तु मनपसंद बच्चे न होने पर, जुड़वा होने पर, जन्मजात विकलांग होने पर संक्रामक बीमारी के साथ उत्पन्न होने वाले बच्चों को वे साथ लेकर नहीं जाते। ऐसे में उन बच्चो की नागरिकता पर भी प्रश्न उठता है। अत: ऐसी स्थिति में स्थानीय अभिभावक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये। सरोगेट मदर को आर्थिक अनुदान नगद न देकर उसके

बैक खाते में चैक अथवा डी. डी. द्वारा जमा हो, इसके विरूद्ध जाने पर कठोर दण्ड का प्रावधान हो। सरोगेट मदर की निजता के अधिकार की रक्षा हो उसकी पहचान एवं पंजीकरण को गोपनीय रखा जाये। इस विधेयक में निकट संबंधी अथवा परिवार की महिलाओं को सरोगेट मदर बनने की बंदिश रखी गयी है इसमें छूट दी जाये क्योंकि भारत जैसे परम्परागत समाज में नि:संतान लोगों के प्रति सहानुभूति तो हो सकती है किन्तु कोई महिला सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण दूसरे पुरूष के शुक्राणु स्वयं के गर्भ में रखकर बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती। शर्म, संकोच, बदनामी का डर पवित्रता एवं पतिवृता का आदर्श आदि सांस्कृतिक वर्जनाएं उसे ऐसा करने नहीं देती। कई बार इस हेतु रिश्तेदार ही तैयार नहीं होते। अत: हमारे देश में रूस, जार्जिया, थाईलैण्ड, युक्रैन, अमेरिका में प्रचलित सरोगेसी नियमों को पूर्णतया अपनाया नहीं जा सकता क्योंकि भारत की सामाजिक-सास्कृतिक परिस्थितियां उनसे जुदा हैं। अत: निकट संबंधी दाता की बाध्यता को हटाया जाये। भारतीय समाज परम्परा, मूल्यों व आदर्शों में जीवन जीता है। वह विवाह संस्था की धार्मिक सामाजिक नैतिक अपरिहार्यता में विश्वास करता है। सरोगेसी संतति के जनन, समाज की निरन्तता, व्यक्ति की प्रकार्यात्मकता, संस्कृति के प्रसार के लिहाज से वरदान है। किन्तु इसके अति प्रयोग से अथवा दुरूपयोग से महिला हितों की अवहेलना सम्भव है। अत: यह अभिशाप भी हो सकती है। यदि सरोगेसी के दुरूपयोग को नहीं रोका गया तो विवाह संस्था के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जायेगा किन्तु सर्वाधिक जरूरतमन्द व्यक्ति (विशेषकर छोटे शहरों एवं गांवों के आम जन) को भी इसका लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक जिला मुख्यालय के प्रधान सरकारी चिकित्सालय में इच्छुक महिलाओ का पंजीकरण किया जाये उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाये। निजी चिकित्सालयों का लाइसेंस निरस्त किया जाये ताकि दाता की गरिमा बरकरार रहे। भारत में इस संदर्भ में एक संतुलित एवं सर्वमान्य बीच का रास्ता खोजने की आवश्यकता है ताकि इस संपूर्ण प्रक्रिया में महिला हित सर्वोपरि रहे। सरोगेसी का लाभ न्यूनतम खर्च पर अथवा कैशलेश आम आदमी को मिले इस हेतु प्रयास किये जाने अपेक्षित है। यह एक अतिसंवेदनशील सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, लैगिक मसला है। इसके लिए संतुलित एवं पारदर्शी कदम उठाने की दरकार है किन्तु इस सब में शौषण से परे महिला हित एवं अधिकार सर्वोपरि रहे, यह सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक है आइये इस दिशा में कुछ नया करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. माकिन्स, सूसैन, सरोगेट मदर हुड एण्ड पोलेटिक्स आफ रिपडेक्सन,युनि.आफ कालिफोर्निया प्रेस, 2007, पृ. 08
2. रूडप्पा, शर्मिला, डिसकाउन्टेड लाइफ- दा प्राइम आफ ग्लोबल सरोगेसी इन इण्डिया, एन वाई यू प्रेस, 2015, पृ. 26
3. सुजा बेरेन्ड, दा आन लाइन वर्ल्ड आफ सरोगेसी, बरघंम बुक, 2016, पृ. 14
4. जरबर पाउला, बर्ने केटे, सरोगेसी, लॉ एण्ड हुमन राइट एसगेट पब्लि.लि., 2015, पृ. 46
5. मल्होत्रा अनिल, मल्होत्रा रंजित, सरोगेसी इन इण्डिया-ए लॉ इन दा मेकिग, युनि.लॉ पब्लि.कम.लि., 2016
6. सेलजर, इरेन, द गिफ्ट आफ सरोगेसी, ग्राफिट प्रेस, 2006, पृ. 22
7. जारा, ग्रीसवर्ल्ड, सरोगेसी वाज दा वे, टुवन्टी इनटेन्डेड मदरर्स टैल देयर स्टोरीज, नाइटन्गाल प्रेस, 2006, पृ. 68
8. पलैट, सारा फिलिप्स, दा कंगारू पंच - ए स्टोरी अबाउट गस्टेसनल सरोगेसी फार यंग चिल्डन, ट्रफोर्ड पब्लि., 2007 पृ. 69
9. डेजी, डेयन्मपो, ट्रान्सनेशनल रिपडक्शन -रेस, किनशिप एण्ड कोमिर्शियल सरोगेसी इन इण्डिया, एन वाई यू प्रेस, 2016, पृ. 82
10. पाण्डे, अमृता, वमब्स इन लेबर, ट्रान्सनेशनल कोमिर्शियल सरोगेसी इन इण्डिया, कोलम्बिया युनि.प्रेस, 2014, पृ. 112
11. सिंह, रीना, भारत मे सरोगेसी - वरदान अथवा अभिशाप, अन्तराष्ट्रीय संगोष्टी, 25-26 नव.2016, जे एन वी यू, जोधपुर

नगरीय समाज में बढ़ रही सोशल नेटवर्किंग

आशीष शर्मा

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

मनुष्य के अस्तित्व की परिकल्पना संचार के अभाव में अधूरी है। पहले जहां रेडियो, तार, चिट्ठी, टेलीविजन संचार के प्रमुख माध्यम हुआ करते थे, वहीं वर्तमान में इनका स्थान नव्य मीडिया के रूप में सोशल मीडिया ने ले लिया है। सरल और द्रुतगामी संचार के लिए सोशल नेटवर्किंग जीवनशैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर समाज के परिवार, उनकी सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों, नैतिकता, संवेदनशीलता, गतिशील व्यवस्थाओं, अन्तर्संबंधों, पारिवारिक सोच और व्यवहार पर पड़ता है। सोशल नेटवर्किंग के बढते प्रभाव, उपयोगिता, सोशल मीडिया पर व्यतीत किए जा रहे समय, लोगों के जुड़ने के तरीकों का विश्लेषण करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची व अध्ययन से संकलित तथ्यात्मक सामग्री का आनुभाविक विवेचन किया गया। चिकित्सक, विश्वविद्यालय, स्कूल शिक्षक, इंजीनियर, मीडिया एवं सरकारी कर्मचारी वर्ग के परिवारों के कुल 120 सदस्यों से जानकारी जुटाई गई। विश्लेषण उपरांत सामने आया कि खासतौर पर शहरी समाज के लगभग सभी परिवार सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग कर रहे हैं। चिकित्सक, इंजीनियर, विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग के 80 फीसदी से अधिक सदस्य सिर्फ जान पहचान वाले लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। जबकि परिवारों के छोटे सदस्य हम उम्र लोगों के साथ जुड़ना अधिक पसंद करते हैं। सोशल नेटवर्किंग ने अंत: पारिवारिक संबंधों को कम तथा अंतर पारिवारिक संबंधों को बढ़ाया है।

संकेताक्षर : *नेटवर्किंग, मीडिया, सोसायटी, सोशल साइट्स*

मनुष्य के अस्तित्व की परिकल्पना संचार के अभाव में अधूरी है। 'संचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री रेमंड विलियम्स ने अपनी पुस्तक 'कम्यूनिकेशन' में कहा है कि संचार का तात्पर्य उन संस्थाओं और ढांचागत व्यवस्थाओं से है, जिनके बीच विचार, सूचना और प्रवृत्ति का प्रेषण और प्राप्ति यानि कि आदान-प्रदान होता है। संचार की विकसित अवधारणाओं के आधार पर अब एक माध्यम के रूप में इसके अभिप्राय को लिया जा सकता है। साथ ही संचार की यह अवधारणा व्यक्ति तक सीमित नहीं रहकर स्थानों के विशेष संदर्भ में व्यापक रूप धारण कर चुकी है।'[1]

संचार का इतिहास काफी पुराना है। मानव सभ्यता के शुरूआत में जब भाषा और लिपि का विकास नहीं हुआ था, तब मानव संकेतों, ध्वनियों, चित्रों, चिन्हों, भाव-भंगिमाओं के जरिए वैचारिक आदान प्रदान करता था। जनसंचार के इन माध्यमों का विकास सूचना प्रौद्योगिकी के विकास, भूमंडलीकरण के प्रभाव के साथ ही सभ्यता एवं जीवनशैली के विकास के साथ होता रहा है। पहले जहां रेडियो, तार, चिट्ठी, टेलीविजन संचार के प्रमुख माध्यम हुआ करते थे, वहीं वर्तमान दौर में इनका स्थान नव्य मीडिया के रूप में उभरकर सामने आए सोशल मीडिया ने ले लिया है।

'जनसंचार की समाजशास्त्रीय उपयोगिता एवं परितुष्टि सिद्धांत के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए 1959 में कार्टज ने भी कहा है कि व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुरूप संचार माध्यमों से संचार या संदेश को ग्रहण करता है। यदि संचार माध्यम की उसके लिए कोई उपादेयता साबित नहीं होगी तो वह उससे प्रभावित नहीं होगा।'[2]

वर्तमान में सोशल नेटवर्किंग सरल और द्रुतगामी संचार के लिए जीवनशैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। सामाजिक मीडिया पारस्परिक संबंध के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूहों को संदर्भित करता है। जैसे ब्लॉग, फेसबुक, आर्कुट, नेटलॉग, ट्विटर, व्हाट्सएप, हाईक, इंस्टग्राम आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार के प्रभावी माध्यम बन

गए हैं। सोशल नेटवर्किंग सामाजिक मीडिया का ही एक रूप है। 'सोशल मीडिया जनमत बनाने या जनमत को प्रभावित करने का एक उपयोगी और कारगर हथियार बन कर उभरा है। एक तरफ सोशल मीडिया ने प्रसिद्ध लोगों को अपने प्रशंसकों से जुड़ने का अवसर दिया तो दूसरी तरफ प्रशंसकों और सामान्य जन को भी प्रसिद्ध लोगों के मन में झांकने और उनके विचार जानने का मौका भी मिला।'[3]

'यू कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आज संचार साधनों के विकास और वैश्वीकरण के प्रभाव ने सारी दुनिया को इंसान की जद में ला दिया है। एक जमाने में दुनिया को जानने के लिए समुद्र का मीलों का सफर तय करके उसका चक्कर लगाना पड़ता था, जैसा प्रयास कोलम्बस ने अमेरिका की खोज के लिए किया था लेकिन आज दुनिया संचार माध्यमों के तकनीकी विकास के चलते मुट्ठी में कैद होकर रह गई है। आधुनिक समाज के बदलते हुए परिवेश में आज देश दुनिया की 90 फीसदी से अधिक जनसंख्या इन माध्यमों का प्रभाव कबूल कर रही है।'[4]

'हर जागरूक समाज अपने नागरिकों के बीच सूचना, शिक्षा, संवाद, मनोरंजन और सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना एक अलग जनसंचार तंत्र विकसित करता है। ये माध्यम समाज की संरचना और उसकी मूल्य व्यवस्था को बनाए रखने में एक निर्णयकारी भूमिका का निर्वाह करते हैं। कोई भी मानव समाज या समुदाय जब अपने जनसंचार माध्मय विकसित करता है तो उन माध्यमों के जरिए प्रसारित किए जाने वाले संदेश की अर्न्तवस्तु, उसके स्वरूप और भाषा भंगिमा पर ध्यान देने के साथ ही इन माध्यमों की सामाजिक विकास की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को भी निर्धारित करता है।'[5]

सोशल नेटवर्किंग के बढते प्रभाव का सकारात्मक एवं नकारात्मक सीधा असर समाज के परिवार, उनकी सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों, नैतिकता, संवेदनशीलता, गतिशील व्यवस्थाओं, अर्न्तसंबंधों, पारिवारिक सोच और व्यवहार पर पड़ता है। खासतौर पर शहरी सोसायटी में इस नेटवर्किंग का चलन तेजी से बढ रहा है। नेटवर्क समाज के परिप्रेक्ष्य में **कैसेल्स** का मानना है कि समाज विकसित हो रहा है, यह कहना मुश्किल है, यह केवल परिवर्तित हो रहा है, यह कहा जा सकता है, अब यह परिवर्तन विकास की दिशा में है या नहीं, यह आगे के अध्ययन का विषय हो सकता है, परंतु वर्तमान में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं और जिस प्रकार का समाज विकसित हो रहा है वह नेटवर्क समाज है क्योंकि बिना नेटवर्क समाज से जुड नहीं सकते, समाज में रह नहीं सकते। आमने-सामने के संबंध कम हो रहे हैं। लोग इंटरनेट के माध्यम से ही मिलते हैं, मोबाइल से ही संपर्क करते हैं, सेवाएं भी इंटरनेट के माध्यम से ले रहे हैं। यह नेटवर्क सोसाइटी किसी एक देश से जुड़ी नहीं हुई बल्कि यह संपूर्ण वैश्विक समाज का तकनीकी रूप है। नेटवर्क ने वैश्विक बाजार खड़े कर दिए, वैश्विक मित्र बना दिए, संबंध भी वैश्विक हो गए, इसलिए यह वैश्विक समाज भी है।'[6]

सोशल मीडिया दो-तरफा संवाद है। सम्प्रेषण के एक महामार्ग के रूप में विकसित हो रही इस नेटवर्किंग ने सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में नए आयाम विकसित करके जनमाध्यमों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी बना दिया है। भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति जीएन रे ने मीडिया के भविष्य को सकारात्मक बताते हुए वैश्वीकरण और नव्य मीडिया के बढते वर्चस्व और प्रतिद्वंदिता और उनकी जन सरोकारों से जुड़ी भूमिका की सार्थकता को स्वीकार किया है। आम आदमी की आवाज को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आवाज बनाने का सारा श्रेय वैश्वीकरण के दौर में आधुनिकतम संचार माध्यमों को ही जाता है।

हालांकि जनसंचार माध्यमों की भूमिका और कार्यप्रणाली में सामयिक परिस्थितयों के माध्यम से लगातार परिवर्तन हो रहा है। इनके माध्यम से राष्ट्र, समाज और परिवार पर सकारात्मक के साथ ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। कई मामले में मीडिया अपने उदात कार्यों के लिए साधुवाद का पात्र है तो इसके माध्यम से समाज एवं परिवारों के बीच फैल रहे नकारात्मक प्रभावों के चलते ये समाज में आलोचना का शिकार भी समय समय पर बनता रहा है। भारत में सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करने वालों में नगरीय युवा वर्ग का वर्चस्व साफ साफ देखा जा सकता है। बहुसंख्यक ग्रामीण और अधिक आयु वर्गों की आबादी इस मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के दायरे से अभी बाहर है।

'भारत में अभी भी 69 फीसदी आबादी यानि 88.90 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। एक प्रतिवेदन के मुताबिक भारत के गांवों में 5.9 करोड़ लोग ने अपने जीवन में कम से कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। 4.9 करोड़ लोगों ही सक्रिय रूप से इंटनरेट का इस्तेमाल करने वाले हैं।'[7]

सुशासन के लिए सरकार और सरकारी विभाग भी तेजी से खुद को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सक्रिय कर रहे हैं। विभिन्न मंत्रालय, जनप्रतिनिधि सोशल नेटिवर्किंग साइट्स पर सक्रिय रहते हैं और समस्याओं को लेकर किए गए ट्वीट पर री-ट्वीट करते उसका समाधान भी कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग के बढते प्रभाव, उपयोगिता, सोशल मीडिया पर व्यतीत किए जा रहे समय, लोगों

के जुड़ने के तरीकों के बारे में मीडिया, समाज एंव परिवार पर समाज वैज्ञानिकों के मतों का अध्ययन करते हुए विभिन्न स्त्रोतों से संकलित तथ्यात्मक सामग्री का आनुभाविक विवेचन किया गया। इसके लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। चिकित्सक, विश्वविद्यालय, स्कूल शिक्षक, इंजीनियर, मीडिया एवं सरकारी कर्मचारी वर्ग से जुड़े 60 परिवारों के 120 सदस्यों से जानकारी जुटाई गई। इनमें प्रत्येक परिवार के मुखिया के साथ ही उसी परिवार के आयु वर्ग में सबसे छोटे सदस्य को शामिल करते हुए तथ्य एकत्रित किए गए। चयनित सदस्यों से सोशल मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग से जुड़े प्रश्न किए गए। साथ ही संकलित तथ्यों एवं उनके विश्लेषणात्मक परिणामों का विवेचन कर निष्कर्ष निकाले गए।

निष्कर्ष

लगभग सभी परिवारों में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जा रहा है। खासतौर पर शहरी समाज में सोशल साइट्स का उपयोग अब आम बात हो गई है। सोशल साइट पारिवारिक रूप की बजाय व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रभावित कर रही हैं।

'**समाजशास्त्री मैनहीम** ने आधुनिक समाज को ही मास सोसाइटी या द्वितीयक समाज कहा है। उनके मत में 'द्वितीयक समाज वह समाज है जिसकी प्रमुख विशेषताएं तार्किकता, अवैयक्तिक संबंध, कार्यों का स्तरीय विशेषीकरण, जनसंख्या के केन्द्रीयकरण के बावजूद व्यक्ति का अवलोकन तथा घनिष्ठता और सुरक्षा भावना की कमी इत्यादि होती हैं।'[8] मैनहीम के विचार और प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज में सोशल साइट्स के कारण अंतर पारिवारिक संबंध बढ़ रहे हैं। चिकित्सक, इंजीनियर, विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग के 80 फीसदी से अधिक सदस्य सिर्फ जान पहचान वाले लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। ये वर्ग पारिवारिक जुड़ाव के साथ ही व्यावसायिक संपर्कों को बनाए रखने के लिए भी सोशल साइट्स पर हैं। सिर्फ मीडिया वर्ग को छोड़कर बाकी वर्ग के सदस्य जान पहचान वाले लोगों के साथ ही सोशल नेटवर्किंग पर जुडना पसंद करते हैं।

मीडिया के सदस्य सर्वाधिक फीसदी संख्या में इसलिए हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं क्योंकि सूचना के संग्रहण और सामाजिक जुड़ाव के लिए उन्हें लोगों से अधिकाधिक जुड़ाव जरूरी होता है। चयनित परिवारों में सबसे छोटे/अविवाहित सदस्य वर्ग में 22 प्रतिशत हम उम्र लोगों से, 8 प्रतिशत जान पहचान वाले लोगों से जुड़ते हैं। 20.66 प्रतिशत अनजान लोगों से तथा 22.67 प्रतिशत सभी तरह के लोगों से सोशल साइट्स के माध्यम से जुड़ना पसंद करते हैं।

सरकारी कर्मचारी वर्ग में 36 प्रतिशत दोस्तों से संपर्क के लिए, 16 प्रतिशत नए लोगों से संपर्क के लिए तथा 12 प्रतिशत समय व्यतीत करने के लिए भी सोशल साइट्स का उपयोग करते हैं। जबकि चयनित परिवारों के सबसे छोटे सदस्य वर्ग में 14 प्रतिशत दोस्तों से संपर्क के लिए, करीब 20 फीसदी नए लोगों से संपर्क के लिए, 6.67 प्रतिशत व्यवसायिक संपर्क और 10.67 प्रतिशत सामाजिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सोशल साइट्स का उपयोग करते हैं। 22.67 प्रतिशत टाइमपास के लिए भी सोशल साइट्स का उपयोग करते हैं।

'**वर्ष 1932 में क्यू.डी. लीविस** ने 'फिक्शन एंड द रीडिंग पब्लिक' में पाठक समुदाय के विस्तार और साहित्य पर उसके प्रभाव का विश्लेषण किया था। इनके विचारों के आधार पर यह मान्यता बनती है कि जैसे-जैसे ऑडियंस अर्थात् लाभित पाठक/श्रोता/दर्शकों का विस्तार होता जाएगा वैसे-वैसे माध्यमों के साहित्यिक गुणों की श्रेष्ठता कम होती जाएगी। इस मान्यता के अनुसार मास ऑडियंस की बढ़ती संख्या समाज और जनसंचार माध्यम के गुणों तथा व्यवस्था के लिए हानिकारक है।'[9] लीविस के इस विश्लेषण और उल्लेखित शोध के सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सोशल साइट्स ने अंत: पारिवारिक संबंधों को कम तथा अंतर पारिवारिक संबंधों को बढ़ाया है। सोशल नेटवर्किंग से लोगों से जुड़ने के अवसरों में वृद्धि होने के साथ ही पारिवारिक संबंधों को बढाने की भूमिका में अंत: पारिवारिक संबंधों की बजाय अंतर पारिवारिक संबंधों को बढाया है।

'**डॉ. राधाकमल मुर्खजी ने भी पुस्तक सोशल स्ट्रेक्चर ऑफ वैल्यूज में** स्पष्ट किया है कि मीडिया सामाजिक नियंत्रण के साधनों जैसे विचारधाराएं, सामाजिक नैतिक मूल्य, धर्म, परम्परा, फैशन, कला, साहित्य, लोकमत और प्रचार का अभिकरण हैं। मीडिया, परिवार और समाज के बीच होने वाली गतिविधियों का सशक्त माध्यम है। इस महत्वपूर्ण सेतू के बगैर परिवार और समाज के बीच सम्बद्धता स्थापित नहीं की जा सकती है।' मीडिया और समाज की इस अन्तक्रिया के लिए वर्तमान में सोशल नेटवर्किंग प्रमुख जरिए बनी हुई है। उल्लेखित शोध में सामने आए तथ्यों के किए गए अवलोकन के अनुसार सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सप्ताह में समय बिताने के मामले में यह स्पष्ट होता है कि चयनित चिकित्सक वर्ग में 84 प्रतिशत 5 घंटे से भी कम समय सोशल साइटों का उपयोग करते हैं। जबकि 4 प्रतिशत 6-10 घंटे सोशल साइट का उपयोग करते हैं। मीडियाकर्मी वर्ग में 16 प्रतिशत 11-15 घंटे सोशल

साइट का उपयोग करते हैं। जबकि 24 प्रतिशत 16-20 घंटे सोशल साइट का उपयोग करते हैं। 60 प्रतिशत 21 तथा इससे भी अधिक घंटे सप्ताह सोशल साइट का उपयोग करते हैं।

इंजीनियर वर्ग में महज 16 प्रतिशत ही 16-20 घंटे, विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग में 72 प्रतिशत 5 घंटे से भी कम, 20 प्रतिशत 6-10 घंटे सोशल साइट का उपयोग करते हैं। विद्यालयी शिक्षक वर्ग में 84 प्रतिशत 5 घंटे से भी कम समय, चयनित सरकारी कर्मचारी वर्ग में 52 प्रतिशत 5 घंटे से भी कम समय सोशल साइट का उपयोग प्रति सप्ताह करते हैं। जबकि परिवार के सबसे छोटे सदस्य वर्ग में सर्वाधिक 34 प्रतिशत सदस्य 16-20 घंटे प्रति सप्ताह सोशल साइट का उपयोग करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि छोटे सदस्यों में सोशल साइट का सर्वाधिक समय तक उपयोग मनोरंजन और सोशल नेटवर्किंग के लिए किया जा रहा है क्योंकि छोटे सदस्यों के पास पारिवारिक जिम्मेदारियां परिवार के बडे.सदस्यों की तुलना में काफी कम होती है। ऐसे में परिवार के छोटे सदस्य सोशल नेटवर्किंग के लिए यह अधिक समय निकाल पाते हैं और सोशल साइट्स से अधिक प्रभावित है। जबकि इंजीनियर, चिकित्सक वर्ग तुलनात्मक रूप से कम समय देते हैं।

संदर्भ सूची

1. विलियम्स, रेमण्ड, कम्यूनिकेशन, चाटो एंड विंडस लिमिटेड, लंदन, 1966, पृ. 17
2. भानावत, डॉ संजीव, संचार के सिद्धांत, शील पब्लिकेशन, जयपुर, 2003, पृ. 179
3. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.रीडर्सब्लोग्स्.नवभारतटाइम्स.इण्डियाटाइम्स.कॉम
4. रत्तू, कृष्ण कुमार, सूचना तंत्र और प्रसारण माध्यम, मंगलदीप पब्लिकेशन, जयपुर, 2001, पृ. 45
5. भारद्धाज, नंद, संस्कृति, जनसंचार और बाजार, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली, 2007, पृ. 137
6. कैसेल्स, नेटवर्क सोसाइटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रेस, कनाडा, 1996-1998
7. सोशल मीडिया यूजर्स एण्ड यूजेज ऑफ मीडिया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 2014
8. मैनहीम, कार्ल, मास सोसाइटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, कैम्ब्रिज, 1984
9. लीविस, क्यू.डी, फिक्शन एंड द रीडिंग पब्लिक, 1932

गाँधीवादी संघर्ष निवारण सिद्धान्त

डा. रुचि मिश्रा

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग

श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान)

शोध सारांश

संघर्ष एक सामान्य समस्या है, जिसका जन्म एवं विकास होता रहता है। जब दो या दो से अधिक राष्ट्रो के बीच उनके विचारों, हितों, मूल्य, मान्यताओं को लेकर जो टकराव उत्त्पन्न होता है उसे संघर्ष कहा जाता है। इन संघर्षों का निवारण करने के लिए दो प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता 1. शांतिपूर्ण साधन 2. बलपूर्वक साधन। महात्मा गाँधी ने इन संघर्षों का निवारण करने के लिए ''सत्याग्रह'' जैसे शांतिपूर्ण साधनों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । सत्याग्रह को अशुभ से शुभ के द्वारा सक्रिय प्रतिरोध का साधन माना गया है। यह अहिंसा पर बल देता है और हिंसा के सभी कार्यो को रोकता है। गाँधीजी ने स्वयं दक्षिण अफ्रीका और भारत में अपने निजी तथा सार्वजनिक जीवन के दौरान होने वाले संघर्षों के निवारण के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया था। यह सार्वजनिक रूप से अनुप्रयोग है और कभी भी असफल नहीं हो सकता है। गाँधी ने सत्याग्रह के साधनों के रूप में अहिंसक असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्रत हिजरत, हड़ताल, विकेरिंग एवं बॉयकाट आदि की पहचान की। यह सभी साधन समाज में उत्त्पन्न होने वाले संघर्षों के प्रभावी रूप में समाधान में सहायक है।

संकेताक्षर : *संघर्ष, संघर्ष निवारण, अहिंसा, सत्याग्रह, प्रतिरोध।*

एक समाज के अध्ययन के लिए सघंर्ष उतना ही प्रमुख है, जितना की सहयोग, क्योंकि दोनों ही समाज का अस्तित्व बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विविध सघंर्ष निवारण सम्बन्धी सिद्धान्त इन सघंर्षा के कारणों, उपचारों, प्रकृति एवं दायरों को लेकर मतभेद रखते हैं। कुछ सिद्धान्तकार जैसे कार्ल मार्क्स का विश्वास है कि एक विशेष प्रकार के समाज में सघंर्ष निवारण असम्भव है और केवल सघंर्षो को तीव्र करके समाज की पुनर्संरचना करके ही इन का निर्वाण सम्भव हो सकता हैं। अन्य जैसे सेमुअल का विश्वास हैं कि सामाजिक सघंर्ष नियंत्रित किये जा सकते हैं और सघंर्ष सकारात्मक पहलू भी रख सकते हैं। सघंर्ष सिद्धान्त प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक अभियांत्रिकी को समझाता हैं। पार्सनवादी प्रकार्यात्मकवाद का विकल्प है, समाज शास्त्रीय सिद्धान्त लेकिन सघंर्ष निर्वाण सिद्धान्त का स्त्रोत कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सेमुअल एवं मैक्स वेबर में पाया जा सकता हैं। वह सघंर्ष समाज शास्त्र के निर्माण का स्त्रोत बन गया है, जिसने सामाजिक वास्तविकता की सघंर्षात्मक प्रकृति की व्याख्या करने की अमूर्त मान्यताएँ विकसित की हैं। जहाँ मार्क्स ने सामाजिक सघंर्ष का वैज्ञानिक सिद्धान्त देने का प्रयास किया वहीं सेमुअल ने सामाजिक सघंर्ष के प्रकार्यात्मक और प्रत्यक्षवादी पहलुओं के लिए आधाार तैयार किया है। सेमुअल आगामी क्रिटीकल सिद्धान्तकारों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गया हैं, जिन्होंने मुक्ति प्रदाता सामाजिक सिद्धान्तों के विचार का समर्थन किया हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक सघंर्ष के मार्क्सवादी सिद्धान्त के लिए आधार उपलब्ध करवाये हैं। उसने मार्क्स की तुलना में ज्यादा स्तरीकरण का विश्लेषण किया हैं।

गाँधी ने संघर्ष निवारण के लिए सत्याग्रह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। यह व्यक्ति के लिए एक साधन है। सभी प्रकार के अन्याय एवं शोषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए और मानवीय लक्ष्यों को हासिल करने हेतु जरूरी स्वतन्त्रता के संरक्षण के लिए जो कि उन मूल्यों के साथ सामंजस्य रखता है। जो मानवीय अस्तित्व के साथ दिये गये हैं यह उनके द्वारा अहिंसक तकनीकों को स्वीकार कर सत्य की रक्षा के लिए साधन रूप में समर्थन प्राप्त किये हुए था। उन्होंने सत्याग्रह के पद को विभिन्न रूपों में व्याख्यायित किया था। ये प्रत्येक एक विशेष सिद्धान्त पर बल

देते हैं। उन्होंने इसकी सत्य-शक्ति, आत्म-शक्ति, तपस्या, धर्म युद्ध आदि के साथ पहचान की। एक यौगिक शब्द के रूप में दो भारतीय परम्परागत धारणाओं को सत् अर्थात् सत्य और आग्रह अर्थात् दृढविश्वास'। इस प्रकार सत्याग्रह में सत्य के प्रति आग्रह का अर्थ अन्तर्निहित है। गाँधी ने इस पद को परिभाषित करते हुए कहा कि 'सत्य में प्रेम और आग्रह अन्तर्निहित है जो शक्ति का पर्यायवाची है। इस प्रकार मैंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सत्याग्रह का आहवान किया, जिसे शक्ति कहा गया है। यह सत्य और प्रेम या अहिंसा से पैदा होती है। सत्याग्रह को अशुभ से शुभ के द्वारा सक्रिय प्रतिरोध का साधन माना गया है। गाँधी के लिए यह नैतिक रूप से सतर्कता और साहस का हथियार है। यह न तो असहाय और न ही कायर लोगों का साधन है, बल्कि यह तो साहसी लोगों का हथियार है। इसके विपरीत यह इसके स्वीकार कर्ता से बड़े साहस और स्व-निर्भरता की मांग करता हैं, ताकि न्याय और सत्य के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यह अहिंसा पर बल देता है और हिंसा के सभी कार्यों को रोकता है और सत्याग्रही को स्वपीड़ा के बावजूद अन्यायी से सत्य के प्रति आग्रह रखने का निरन्तर अथक व सफल प्रयास करता है। साधन और साध्य की शुद्धता को गाँधी ने सत्याग्रह का अनिवार्य अंग माना है। वह न केवल सत्याग्रह को पवित्र और महान् उद्धेश्यों के लिए अपना सकता है, बल्कि इसे अहिंसक और अपरिहार्य रूप से उचित रूप में भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

गाँधी ने सत्याग्रह के द्वारा जिन व्यापक उद्धेश्यों को मूर्त रूप दिया जाना चाहिए, उनकी पहचान की। उन्होंने स्वयं दक्षिण अफ्रीका और भारत में अपने निजी तथा सार्वजनिक जीवन के दौरान व्यापक उद्धेश्यों के लिए इसे अपनाया।[2] भारत में इसका प्रयोग सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रकृति की विशेष शिकायतों व खराब दशाओं के सुधार हेतु का करने का जिम्मा लिया और इससे भी बढ़कर भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शिकंजे से मुक्त करवाने का बीड़ा उठाया और उसमें सफल रहे। समानान्तर रूप से इसके सार्वजनिक उपयोग के साथ, गाँधी का दावा है कि यह इसके उपयोग कर्ता के आत्म-पूर्णता के उद्धेश्यों की ओर ले जाता है। उनका मत है कि पुरुष, महिला व बच्चों द्वारा किसी उद्देश्य के लिए जो अन्तर्निहित रूप से उचित हो और सत्य के साथ पुष्ट हो, की प्राप्ति के लिए इसका सहारा लिया जा सकता है। सत्याग्रह का कार्य व्यक्ति को ओर भी ज्यादा पूर्ण और प्रभावी बनाता है। गाँधी का दावा था कि इसका प्रयोग किया जाए। परिणामत: सत्याग्रह उनके लिए बहुत अधिक व्यापक संकल्पना बन गई और किसी भी असत्य और अन्याय के लिए लड़ने का औजार बन गया। यह सार्वभौमिक रूप से अनुप्रयोग है और कभी भी असफल नहीं हो सकता है।[3]

यह एक साधन के रूप में सक्रिय रूप से विरोधी का विरोध कर उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या उसे सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों के साथ असंगत होने तक कार्य करने से रोकता है और अन्य मूल्यों तथा अधिकारों के साथ जो इन दो प्रमुख सिद्धान्तों (सत्य और अहिंसा के साथ सहयोजक के रूप जुड़े हुए हों) ऐसे एक सक्रिय चुनौती का सम्पूर्ण उत्तर, ईसाईयत के अशुभ सिद्धान्त की पुष्टि करता है, जो बजाय पापी से घृणा कर ने की बात करता है, बल्कि विरोधी को भी आरम्भिक स्तर पर हिसंक तथा तार्किक तरीके से सत्याग्रह के दर्शन के समर्थन के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है।

यदि जब कभी समझाने का प्रयास असफल हो जाये तो यह वांछित परिणाम उत्पन्न करता है, तब स्वैच्छिक आत्म-पीड़ा की शरण ली जाती है। इस रास्ते के द्वारा वह भ्रमित के हृदय को बदलने की क्षमता रखता है। यह समाज में सभी के कल्याण उत्थान के लिए उचित है जो मानव के अस्तित्व के साथ नैतिक मूल्यों और सिद्धान्तों के साथ संगत है।

गाँधी द्वारा कल्पित सत्याग्रह प्रतिरोध का एक तरीका है जो नैतिक रूप से सशक्त और निर्भीक व्यक्ति के द्वारा ही धारण किया जा सकता है, ताकि कायर, कमजोर या असहाय व्यक्ति के। वह कायरता की बजाय हिंसा को वरीयता देता है। यदि इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो अहिंसा और कायरता एक साथ नहीं चल सकते हैं। इस प्रकार उसने कहा कि ''मेरी अहिंसा की इच्छा उग्र रूप में सक्रिय शक्ति है''। इसमें कायर और कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है। हिसंक व्यक्ति में कुछ समय पश्चात् अहिसंक बनने की सम्भावना होती है, लेकिन कायर के लिए यह आशा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी आत्मा मर चुकी होती है। मैं यह कहता हूँ कि यदि हम नहीं जानते कि महिला स्वयं को या पीड़ाकारी शक्तियों से पूजा स्थलों को कैसे बचाया जा सकता है, जैसे - अहिंसा, यदि हम पुरूष हैं तो हमें इन सबसे लड़कर रक्षा करनी चाहिए।[4]

गाँधी की नजर में प्रत्येक सत्याग्रह विशेष शिकायतों का निवारण चाहता है, लेकिन शिकायतों के समाधान चाहने की मांग जैसा गाँधीजी ने जोर दिया कि उन्हें अवश्य उचित और वैध होना चाहिए, सत्य और अहिंसा के साथ उनसे परे नहीं होना चाहिए। ये सभी मांगे इस प्रकार न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही होती है। समानान्तर रूप से गाँधी ने सत्याग्रह को विकास के कानून के अनुप्रयोग के रूप में भी पहचाना और इसकी तुलना भारत की पवित्र गंगा नदी से की, जिसमें बहुत सी धाराओं का पानी समाहित हो जाता है। गंगा के समान सत्याग्रह में भी कई तत्व समाहित हो

गये है, जो उसकी धारा के प्रवाह को बढ़ाते हैं और परिणामत: उसके उद्देश्यों की पूर्ति में स्थायी प्रगति होती है।[5] इस प्रकार जब सत्याग्रह प्रगति में होता है, सत्याग्रही अपने अल्पकालीन निर्धारित उद्देश्यों के साथ शुरू करता है। उस के प्रयास, उसके जीवन को इसके सिद्धान्तों के साथ आरामदायक बनाते हैं। धीरे-धीरे वह साध्य विकसित करता है और समानान्तर रूप से वह उसे प्राप्त करने में साधनों के चुनाव के प्रति सचेत हो जाता है।[6]

गाँधी ने शोषित की महत्ता को उजागर किया कि वह अपने साथ अन्याय के बारे में सचेत होता है। हालांकि यह भाव गम्भीर और इरादतन होता कि समाधान निवारण के लिए कार्यवाही का आह्वान किया जा सके जिससे उनके लिए सत्याग्रही की गम्भीरता, सत्याग्रह की प्रगति और ग्रहण का अपरिहार्य भाग बन जाता है और यह गम्भीरता केवल नैतिक प्रश्नों पर गहन रूख अपनाने की मांग नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इन सिद्धान्तों के मूर्तिकरण में शामिल हानि को स्वीकार ने को तैयार होना है।[7]

शोषित की चेतना को बढ़ाने के क्रम में सत्याग्रह की रक्षा के द्वारा गाँधी व्यापक रूप से अशुभ और अन्याय की विरोधी वास्तविक इच्छाओं के विरूद्ध सृजित सार्वजनिक मत पर निर्भर थे। उन्होंने उभरते जनमत के महत्व को सत्याग्रह के महत्वपूर्ण शस्त्र के रूप में पहचाना। अत: गाँधी ने यह माना कि सत्याग्रह विवेक, विचार-विमर्श और आत्म-पीड़ा के द्वारा पारस्परिक समझ और शिक्षा द्वारा संघर्ष निवारण की एक प्रकिया है। यह गाँधी का इरादा था कि ''जब जनमत अशुभ के विरूद्ध पर्याप्त रूप से खड़ा हो जाए।[8] जिसका सत्याग्रही इरादतन उन्मूलन करना चाहता है, ''यहाँ तक सबसे प्रबल इच्छा इसे व्यावहारिक बनाने का साहस नहीं करेगी।[9] ''गाँधी सत्याग्रह अभियान के निर्धारित उद्देश्यों को वास्तविक स्वरूप देने को लेकर उत्सुक थे। वह ज्यादा उत्साही लोगों की बड़ी संख्या जो गांवो में रहती है, उनकी और उससे भी अधिक उन लोगों की चेतना को जगाना चाहते थे, जो अन्यायी कानूनों को प्रशासित या क्रियान्वित कर एवं सामाजिक दुरूपयोगों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थे।[10]

विरोधी को कार्य करने के लिए प्रभावित करने का तरीका है कि कार्य सत्य और न्याय संगत हो। गाँधी जी ने दो स्थायी रणनीतियों की वकालत आरम्भिक स्तर पर की। प्रथम, विरोधी को तार्किक रूप समझाना और दूसरा, अन्याय पूर्ण तरीके से कार्य करने से रोकना। यदि यह तार्किक समझाइश का तरीका असफल हो जाये तो फिर बिना किसी घृणा, प्रतिरोध और हिंसा के स्व-पीड़ा के रास्ते को अपनाये। स्व-पीड़ा की सम्भाव्यता की शक्ति को पहचानना सभी संघर्षो के स्थायी समाधान को प्रभावित करता है। गाँधी जी ने कहा कि ''हालांकि पीड़ा असीमित रूप से शक्तिशाली है, बजाय जंगल कानून के। इससे विरोधी के कान खुल जाते हैं।[11] विवेक बुद्धि की अपील मस्तिष्क से अधिक है, लेकिन हृदय में आवाज पीड़ा के द्वारा ही पहुँचती है। यह व्यक्ति की आन्तरिक समझ के पर्दे खोलती है।[12]

यहाँ तक इसमें विरोधी को नुकसान पहुँचा ने या घायल करने से बहुत दूर का विचार है, चाहे वह वचन से हो या कर्म से या मन से हो। केवल आत्म-पीड़ा के रास्ते के अलावा विरोधी को कमजारे करना अशुभ है। इसलिए गाँधी ने कहा कि ''सत्याग्रह में विरोधी को नुकसान पहुँचाने की बिल्कुल भी सम्भावना नगण्य होती है। सत्याग्रह में यह अन्तर्निहित है कि 'एक व्यक्ति स्वयं अपनी पीड़ा के द्वारा ही विरोधी पर विजय हासिल कर सकता है।[13] ''वह विरोधी जो अन्याय या अशुद्ध कार्य में संलिप्त है, उसे सत्याग्रह में विरोधी नहीं माना जाता है। अपेक्षाकृत उसे सत्याग्रही का सम्बन्धी या मित्र माना जाता है, जो दुर्भाग्यवश या भ्रमवश गलत कार्य में संलिप्त हो गया है। परिणामत: सत्याग्रह अशुभ कर्ता और अशुभ के बीच अन्तर करने पर बल देता है। अशुभ कर्ता को सत्याग्रही गलत कार्यों (अशुभ) से हटा कर सही रास्ते पर लाता है। यह सत्याग्रही स्व-पीड़ा सत्याग्रही के प्रेम का या विरोध के लिए करूणा का प्रतीक है। यह अहिंसा के सकारात्मक तथा सक्रिय रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो सत्याग्रह के दर्शन का एक आधार निर्मित करता है।

गाँधी सत्ता ने संस्थागत आधार को किसी भी दैवीयतत्व के साथ नहीं जोड़ा। मानव आरम्भ से ही भौतिक 'स्व' की अन्तर्निहित कमजोरियों के कारण गलती करने को स्वतन्त्र है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपनी अन्तिम या निरपेक्ष स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर या दैवीयसत्ता का अभिन्न अंग है। गाँधी ने माना कि व्यक्ति के अलावा कोई भी भौतिक संस्था अपनी गरिमा की महत्ता का दावा नहीं कर सकती है। नैतिक रूप से और तार्किक रूप से व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं की तुलना में प्राथमिकता के लिए होता है। गाँधी इन व्यक्तियों को ऐसी संस्थाओं के कार्यों या निर्णयों की समीक्षा का अधिकार देना चाहता थे और सत्याग्रह के माध्यम से उन्हें जब कभी वे गलती करें, तब ही ठीक करे और सुधारे। सत्याग्रही अपने अभियान में या तो सत्ताओं से विशेष तरीके से कार्य करने की मांग कर सकते हैं या उन्हें विशेष कार्य करने से रोकने का प्रयास करे, जो सत्य और अहिंसा के साथ असंगत और अवैध है। सत्याग्रह प्रभाव में सम्बन्धों के बदलाव को सम्पादित करता है कि मूलत: अन्यों में अशुभ है, जो वास्तव में शुभ/अच्छे हैं या सबसे कम खराब है।[14]

गाँधी ने सत्याग्रह के साधनों और रूपों की पहचान की जैसे- अहिंसक असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्रत हिजरत, हड़ताल, पिकेरिंग, बॉयकाट आदि। ये साधन और रूप इसके सबसे नकारात्मक और सबसे रचनात्मक के बीच अलग-अलग थे। फिर भी, गाँधी ने इस के सविवेकीय और सावधानी पूर्वक प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। गाँधी ने कहा ''सत्याग्रह अभियान में रणनीतियों का चुनाव और लड़ाई के साधन जैसे कि वे आगे की ओर ले जाते हैं या पीछे, नागरिक प्रतिरोध का प्रस्ताव या रचनात्मक कार्य के द्वारा अहिंसक शक्ति को संगठित करना और शुद्धतम स्व-हित मानवीय सेवा आदि विद्यमान स्थितियों के अनुसार निर्धारित होती है। एक सत्याग्रही का अवश्य अपनी योजना को चाहे जो भी हो, उसे जारी रखना चाहिए, सड़े दिमाग के साथ न हो तो बहुत उत्तेजित होकर और ना ही अवसाद की स्थिति में होकर।[15] इन रूपों या पद्धतियों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है -(1) शुद्धिकरणीय एवं पश्चात्तापी साधन, (2) अहिंसक असहयोग के साधन, (3) नागरिक सविनय अवज्ञा के साधन तथा (4) संरचनात्मक कार्यक्रम। शुद्धिकरण और पश्चात्तापी साधनों को गाँधी ने सत्याग्रही में शक्ति/ताकत पैदा करने वाले तत्वों के रूप में मान्यता प्रदान की। ये साधन एक मानव को नेतृत्व प्रदान करते हैं और ज्यादा पूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। साथ ही समाज में उत्पन्न होने वाले संघर्षों के प्रभावी रूप में समाधान में सहायता करते हैं। गाँधी द्वारा समर्पित शुद्धिकरण एवं पश्चातापी साधनों में शामिल है- व्रतपालन, प्रार्थनाऐं, व्रत, प्रतिज्ञाऐं आदि। गाँधी द्वारा जो विभिन्न साधन सत्याग्रह के लिए काम में लिए गये उनकों गाँधी ने डेविड कार्टराईट[16] के अनुसार 1906 एवं 1909 में लंदन की यात्राओं के दौरान सीखा व समझा था।

निष्कर्ष

इस प्रकार गाँधी सत्याग्रह के दर्शन के द्वारा नैतिक स्वैच्छिक को संग्रहित कर के जीवन के सक्रिय सकारात्मक मूल्य चाहते हैं और समाज की मानवीय संरचना को बदलना चाहते है, ताकि आगे एक ऐसा समाज बने जो मानव जीवन में पूर्ण गुणात्मक रूप से विभेदित विशेषता के साथ अस्तित्व मान बनेगा।[17]

सामाजिक जीवन के संदर्भ में गाँधी की शिक्षाऐं और उनका उचित संगठन न केवल सकारात्मक और रचनात्मक है, बल्कि व्यावहारिक भी है। यह प्राय: उन उल्टनीय संघर्षों का समाधान चाहता है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक अस्तित्व के दायरे में विद्यमान होते है। जो व्यक्तिगत हितों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के सामंजस्यकारी संतुलन के व्यावहारिक समर्थन को इंगित करते हैं। गाँधी ने न केवल विविध प्रकार के व्यक्तिगत व सामाजिक संघर्षों के लिए समाधान प्रस्तुत किए हैं, बल्कि मानव और प्रकृति तथा व्यक्ति और इस उपग्रह के अन्य निवासियों के बीच विद्यमान सम्बन्धों के लिए भी समाधान प्रस्तुत किए है।[18]

संदर्भ सूची

1. टर्नर, जोनथन एच, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशलॉजिकल थ्यौरी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1987, पृ. 130
2. तिवारी, के.एन., वर्ल्ड शिलिजियस एण्ड गाँधी, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, न्यू दिल्ली, 1988, पृ. 99
3. भट्टाचार्य, बुद्धदेव, इवोल्यूशन ऑफ द पालिटिकल फिलोसाफी ऑफ गाँधी, कलकत्ता बुक हाउस, कलकत्ता, 1969, पृ. 281
4. उपर्युक्त, पृ. 160
5. गाँधी, एम.के., सर्वोदय, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1987, पृ. 83
6. गाँधी, एम.के., सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1987, पृ. 83
7. हार्सबर्ग, ए.जे.एन., नान वायलेंस एण्ड इमपेशेन्स ए स्टडी ऑफ गाँधीज : मॉडल इक्केलेंट ऑफ वार, ओ.यू.पी. लंदन, पृ.52
8. ट्र्चक, रोनाल्ड जे., गाँधीयन पालिटिक्स इन न्यू डायमेंशन एण्ड प्रेस्पेक्टिव इन गाँधीज्म, वी.टी. पाटिल (सम्पादक), इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989, पृ.133
9. गाँधी, एम.के., सत्याग्रह, भारत कुमारप्पा (सम्पादक), नवजीवन पब्लिशिंग, अहमदाबाद, 1987, पृ.77
10. रामरतन, द एनाटोमी ऑफ गाँधीज, सत्याग्रह इन न्यू डायमेंशन एण्ड प्रस्पेक्टिवज इन गाँधीज्म, वी.टी. पाटिल (सम्पादक), इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 45,
11. ट्र्चक, रोनाल्ड जे., पूर्वोक्त, पृ. 132
12. अय्यर, राघवन, एन द मारल एण्ड पालिटिकल थाट ऑफ गाँधी, नई दिल्ली, ओ.यू.पी. 1973, पृ.286
13. बोस.एन.के., सलेक्शन्स फ्राम गाँधी, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1977, पृ. 153.154
14. भट्टाचार्य, बुद्धदेव, पूर्वोक्त, पृ. 82
15. भट्टाचार्य, बुद्धदेव, पूर्वोक्त, पृ. 90
16. कार्टराइट, डेविड, गाँधी एण्ड बियोंड नॉन वाइलेन्स फोर एन एज ऑफ टेररिज्म, वीवा बुक्स नई दिल्ली, 2007
17. थॉमस, मार्टिन, द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह इन गाँधी मार्ग, अप्रेल, पृ. 110-12
18. दाधीच, नरेश एण्ड रीटा, गाँधीयन थियोरी ऑफ कानफिलक्ट रिजोल्यूशन, गाँधीयन स्टडीज, जुलाई दिसम्बर, 1966, वाल्यूम 1 अंक 1

पलकां शैलचित्रों का पुरातात्विक व कलात्मक महत्व

वीरेन्द्र शर्मा

व्याख्याता, इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)

डॉ. रवीन्द्र टेलर

सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

शैल चित्र मानवीय भावनाओ, प्रवृतियों, परिवेश व तत्कालीन मानवीय ज्ञान का अभिव्यक्त प्रतिबिम्ब है। जिसके माध्यम से मानव ने प्रकृति के प्रति अपनी समझ व सामंजस्य को विकसित करने का कार्य किया। मध्य व नव पाषाणकालीन शैलाश्रयो में उपलब्ध यह चित्र मात्र कलाकृतियों व रेखाओं का पुंज न होकर मानवीय अन्त:चेतना के प्रवाह की अभिव्यक्ति भी है, जो उसके मनोवैज्ञानिक भाव पक्ष को भी प्रदर्शित करता है। भारत में शैलचित्रों का इतिहास उत्तरपुरापाषाण काल से आरम्भ होता है। इस संदर्भ में बूंदी के पास स्थित पलकां अत्यंत महत्वपूर्ण है जहाँ स्थित शैलगुहाओ में मानव आकृतियो के साथ अनेक जंगली पशुओ के चित्र बने हुए है, जो तत्कालीन समय की प्राकृतिक अवस्थाओ को अभिव्यक्त करने में अत्यंत महत्तवपूर्ण व उपयोगी है।

संकेताक्षर : *मेसोलिथिक, पुरापाषाण, उपकरण, पूर्वाभिमुख, उत्तभिमुख, हेमेटाइट*

शिला चित्रों से न केवल आदिमानव के स्वभाव, जीवन संघर्ष और उसकी तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है वरन् उसकी चेतना में निहित सृजनशीलता, मौलिकता व सौन्दर्यबोध भी प्रमाणित होता है। विश्व के सन्दर्भ में शैलचित्रो का प्रथम ज्ञान 1879 ई में दक्षिण-पश्चिम यूरोप में स्पेन की अल्तामीरा गुफा के शैलचित्रों की खोज से माना जाता है। लेकिन भारतीय सन्दर्भ में प्रथम अनुसन्धान 1880 ई में कार्लाइल एवं काकबर्न ने मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के शैलचित्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इसके उपरांत 1910 में एंडरसन द्वारा सिंघनपुर (उडीसा) व 1932 में हंटर ने पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश) के शैलचित्रों का अध्ययन प्रस्तुत किया। भारत में शैल चित्रकला का आरम्भ उत्तरपुरापाषाण काल से माना जाता है। डी.एच. गार्डन, आर.के. वर्मा, एस.के. पाण्डेय, वी.एस. वाकणकर, वी.एन. मिश्र, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमेयर आदि विद्वानों ने भारतीय शैलचित्रकला का व्यवस्थित अध्ययन किया है। जब नदियों के किनारे स्थित शैलाश्रय तत्कालीन मानव के आवास स्थल के रूप में विकासित होन लगे। मध्यभारत शैल चित्रकला की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र है। जहॉं विध्य श्रृंखला के बलुआ पत्थर (क्वार्टजाईट) युक्त पर्वत मालाऐं है। जिसका विस्तार राजस्थान के हाडौती क्षेत्र तक है। इस पर्वत श्रंखला में अनेक शैलाश्रय व गुफाऐं प्राकृतिक रूप से निर्मित है। जिसमें अनेकानेक मौजूद शैलचित्र विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करते है। हाड़ौती क्षेत्र में भी चम्बल नदी घाटी क्षेत्र में विभिन्न पुरास्थल प्रकाश में आये हैं एवं यहाँ अनेको शैलाश्रयों में प्राप्त चित्रों एवं कला के विभिन्न अवशेषों द्वारा कला पक्ष को सशक्त अभिव्यक्ति मिली है। इस संदर्भ में राजस्थान का बूॅंदी जिला अत्यंत महत्वपूर्ण है जहॉं नवीन अनुसंधानों से अनेक शैल चित्र युक्त शैलाश्रय प्रकाश में आये हैं। इन नवीन चित्रित शैलाश्रयों में पलकां स्थित शैलाश्रय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बूंदी जिला मुख्यालय से 42 कि.मी. दूर दक्षिण दिशा में गरडदा डाबी मार्ग पर स्थित है। यह स्थान शैल चित्रकला के साथ साथ मध्यपाषण कालीन प्रस्तर उपकरणों की प्राप्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जो प्रमाणित करता है कि पाषाणकालीन मानव का निवास इस क्षेत्र मे था। इस क्षेत्र से भारी मात्रा में पाषण उपकरण प्राप्त होते हैं जो प्रमाणित करता है कि यहाँ उपकरण निर्माण का कारखाना था जहाँ आदिमानव के द्वारा स्वयं पाषाण के औजार निर्मित किये जाते थे जो उसके लिए अत्यंत उपयोगी व आवश्यक थे।

पलकां स्थित चित्रित शैलाश्रय मांगली नदी की सहायिका शाखा के किनारे पर स्थित है जो चट्टानी धरातल पर आवास हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है। नदी के दोनों ओर झुके हुए बड़े-बड़े नैसर्गिक रूप से शैलाश्रय बने हुए है जिनका उपयोग

मानव ने अपने आश्रय स्थल के रूप में किया और खाली समय में इन शैलाश्रयों की छतों व भित्तियों को अनेक चित्रों से सुसज्जित किया है। साथ ही कलात्मक मांडने, वन्य जीवों की आकृतियों का अंकन, मानवाकृतियों, फूल-पत्तियों का चित्रण आदिमानव की उत्कृष्ट तूलिका का सृजन प्रस्तुत करते है। यहाँ छज्जेदार शैलाश्रय स्थित है जिनकी संख्या तीन है। जिनके प्रागतिहासिक मानव के द्वारा अपनी अभिरूचि के अनुसार चित्रों का निर्माण किया गया है। इस पुरास्थल की खोज बूंदी निवासी पुरान्वेषक श्री ओमप्रकाश शर्मा ''कुक्की'' के द्वारा की गई।

यहॉ स्थित प्रथम शैलाश्रय, जो उत्तराभिमुख है, में दर्जनों की संख्या में मानव आकृतियों, वृषभ, वन्य जीवों आदि के चित्र है। पतली रेखाओं से बनी प्राय: छोटे आकार की आखेटक मानव आकृतियॉ गतिशील एवं स्थिर अवस्था में प्रदर्शित है जो उनकी स्वाभाविक भंगिमाऐं व्यक्त करती है। इन आकृतियों का देह भाग त्रिकोणात्मक है व अन्य अवयव ज्यामितिकता लिये हुए है। इनके अलावा वृषभ व अन्य वन्य जीवों को भी प्रदर्शित किया गया है। यहॉ प्रदर्शित वृषभ के चित्र यद्यपि अधिक कलात्मक नही है तथापि वे भिन्न-भिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित किये गये है यथा शान्त स्थिर भाव, आक्रामक मुद्रा आदि।

इनके अलावा अन्य जीवों का भी चित्रण इस शैलाश्रय से प्राप्त होता है। इस शैलाश्रय में ग्रामीण जनों द्वारा चूने और कोयले का प्रयोग करके शैल चित्रों को बदरंग कर दिया है तथापि कुछ चित्र अच्छी हालत में मौजूद है।

पलकां स्थित शैलाश्रय समूह का दूसरा शैलाश्रय पूर्वाभिमुख है जो लगभग 15 फीट लम्बा, 7-8 फीट चौडा एवं 5 फीट गहरा है। इस शैलाश्रय में विविध शैलचित्र प्रदर्शित है यथा बब्बर शेर, शेर, हिरण, बैल, नीलगाय, मानव आकृतियां व अन्य प्रकार के लाल चटक रंगो से निर्मित अन्य चित्र आदि। यहॉ प्रदर्शित शेर का चित्र शिकार की मुद्रा में चित्रित है। जिसकी पूँछ उपर की ओर उठी हुई है तथा चेहरा बालों से आवृत है। जो प्रभावशाली है। अन्य शेरों के चित्र भी आक्रामक व सामान्य स्थिर अवस्था में चित्रित किये गये है। हिरण के चित्र यहॉ बहुतायत से प्रदर्शित है जो गतिशील अवस्था में चित्रित है। यहॉ चित्रित बैलों के लम्बे सींग एवं लम्बी पूंछ प्रदर्शित है जो अत्यन्त प्रभावी दृश्य उपस्थित करते है।

बैलों को समूह में प्रदर्शित किया गया है जो एक ही दिशा में गतिशील अवस्था में प्रदर्शित है। इन्हीं के पास एक और कूबड़दार पशु आकृति अंकित है, जिसकी गर्दन लम्बी व कद काठी ऊँट के समान लगती है। यह खड़ी अवस्था में चित्रित है संभवत: तत्कालीन मानव उस समय ऊँट से परिचित था। इस शैलाश्रय में प्रदर्शित मानव आकृतियाँ विविध अवस्थाओं में चित्रित है, जैसे हाथों को उपर उठाये हुए, गतिशील अवस्था, स्थिर अवस्था आदि। मानव आकृतियों को शिकार मुद्रा मे भी चित्रित किया गया है। जिनके हाथों में लाठी जैसा हथियार मौजूद है जो संभवतया स्वयं की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों को दूर भगानें का भी आभास देता है। यहॉ प्रदर्शित चित्रों में ओवरलेपिंग अधिक है जिसके कारण चित्रों की पहचान कठिन और जटिल है। संभवत: यहाँ बनाये गये चित्रों को अलग अलग समय बनाया गया है जो इसी क्षेत्र में लम्बे समय तक मानवीय आवास व गतिविधियों को सूचित करता है।

यहाँ के चित्र चाल्कोलिथिक युग के हैं। जिसमें अलंकरण के लिए डिजाईन भी प्रदर्शित की गई है। इन रेखात्मक चित्रों में आक्रामक जंगली पशु चित्र भी उपस्थित है। प्राकृतिक हलचल, वर्षा, धूप एवं हवा के प्रभाव के कारण इन शैलाश्रयों के चित्र धूमिल पडने लगे हैं।

यहॉ स्थित तीसरा शैलाश्रय उत्तराभिमुखी है जो नदी के मध्य स्थित है। यह 7-8 फीट उॅचा, लगभग इतना ही गहरा तथा 8-10 फीट चौडा है जिसमें अनेक शैल चित्र चित्रित किये गये हैं। इन चित्रों में गोलाकार चक्र, मानवाकृतियॉ, वृषभ आदि प्रमुख है। यहॉ चाल्कोलिथिक युगीन चित्रों के साथ साथ मेसोलिथिक चित्र भी देखे जा सकते है। जिन्हे हेमेटाईट रंग से बनाया गया है। ये सभी चित्र चटख लाल रंग से निर्मित है जिन्हे स्थानीय ग्रामीणजन पौपल्या नाम से जानते है। इस शैलाश्रय में बैल के अनेक चित्र प्रदर्शित है, जो मजबूत शरीर सौष्ठव को प्रदर्शित करते है। इसके अलावा हिरण की भी अनेक आकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। यहां से एक चक्रनुमा अथवा पहियानुमा आकृति भी प्राप्त हुई है जो ऐतिहासिक कालीन चित्र प्रतीत होता है। सम्भवत: इस काल में मानव कृषि कार्य की जानकारी रखता था जो उसकी खाद्य सुरक्षा व भोजन प्राप्ति की अतिरिक्त सुरक्षित व्यवस्था का संकेत करती है।

कुछ प्रतीकात्मक वन्य जीवाकृतियॉ भी इस शैलाश्रय से प्राप्त हुई है, जिनमें कलात्मकता अधिक है लेकिन चित्रों की ओवरलेंपिग के कारण बहुधा चित्रों की पहचान कठिन होती है।

इस शैलाश्रय के नजदीक ही दो-तीन अन्य छोटे-छोटे शैलाश्रय भी मौजूद है लेकिन शैलचित्रों की प्राप्ति की दृष्टि से वे अधिक महत्वपूर्ण नही है। इस स्थल के निकट प्राचीन शिव मन्दिर के अवशेष भी प्राप्त होते है जो ईटों और पत्थरों से निर्मित था लेकिन वर्तमान में खंडहर अवस्था में विद्यमान है। इसी के समीप नन्दी की खंडित प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। जो कत्थई रंग के सैण्डस्टोन पत्थर से निर्मित अत्यधिक अलंकृत एवं कलात्मक है।

प्राकृतिक प्रभाव, बढ़ती मानवीय गतिविधियों, पर्यावरण क्षरण के साथ-साथ पलकां क्षेत्र की शैल चित्रकला धूमिल पडती जा रही है तथापि यह स्थल इतिहास व सांस्कृतिक धरोहर की एक लम्बी विकास श्रृखला का प्रतिनिधित्व करती है। जहॉ प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरणों के साथ-साथ शैलचित्र व मन्दिर निर्माण के अवशेष भी प्राप्त हुए है। यह पुरास्थल प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ-साथ भारतीय परिवेश में नवीन मौलिक अध्याय को सम्मिलित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अनाति, ई., दी स्टेट ऑफ़ रिसर्च इन रॉक आर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलीफोर्निया, प्रेस वर्कले, 1922
2. श्री निवासन, पी.टी., दी स्टोन ऐज इन इंडिया, 1926
3. खरे, एम.डी., पेन्टेड रॉक शेल्टर्स, आर्कियोलोजी एंड म्यूजियम, मध्यप्रदेश, भोपाल, 1981
4. गुप्त, जगदीश, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1967
5. गुप्ता, एस.पी., रूट्स ऑफ़ इंडियन आर्ट, नई दिल्ली, 1980
6. गैरोला, वाचस्पति, भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2008
7. घोष, एम.आर., मेमोरीज़ ऑफ़ आर्कियोलोजीकल सर्वे ऑफ़ इंडिया, 1934
8. न्यूमायर, ई., प्रीहिस्टोरिक इंडियन रॉक पेंटिंग्स, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1983
9. बाजपेई, के.डी., रॉक शेल्टर :लिटरेरी एंड एपिग्रफिकल एविडेंस, भोपाल, 1984
10. बेडेकर, इंडियन रॉक शेल्टर प टिंग्स :देअर सिग्निफिकेंस, रॉक आर्ट इन इंडिया, 1984

बालश्रमः मानवाधिकार के लिए गंभीर चुनौती

देशराज यादव

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग

ला.ब.शा. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटपूतली, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

वर्तमान समय में बालश्रम एवं मानवाधिकारों का मुद्दा विश्वस्तर पर चिन्ता एवं चिन्तन का विषय बना हुआ है। बाल श्रम अल्प आयु वर्ग के बच्चों के साथ होने वाला ऐसा कृत्य है, जिससे राष्ट्र एवं समाज का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। बालश्रम बालकों को उन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित करता है, जिस पर उनका नैसर्गिक अधिकार है और जिनके अभाव में उनका शारीरिक, मानसिक, भौतिक एवं नैतिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। आज बालश्रम वैश्विक समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण से उत्पन्न आर्थिक विषमता एवं शहरीकरण ने बाल श्रम की समस्या को ओर अधिक जटिल बना दिया है। यह किसी देश के लिए राष्ट्रीय कलंक एवं सामाजिक बुराई है, जिसका निदान किये बगैर बेहतर भविष्य की कल्पना संभव नहीं है। यद्यपि बालश्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु अभी इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है। अभी इस दिशा में गंभीर एवं सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है ।

संकेताक्षर : *मानवाधिकार, उदारीकरण, वैश्वीकरण, घोषणा पत्र, आईएलओ, यूनिसेफ*

भारत सहित विश्व स्तर पर बालश्रम का होना मानव अधिकारों के लिए एक गंभीर चुनौती है। बाल श्रम के कारण बच्चे का न केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरूद्ध होता है, अपितु उसके स्वास्थ्य व गरिमामय जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यूनिसेफ की सन् 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 24.6 करोड बच्चे किसी न किसी प्रकार के श्रमिक के रूप में कार्य करने को विवश है। इनमें से 15.2 करोड़ बाल श्रमिक अकेले एशिया में है।

बालश्रमः अर्थ एवं प्रकार

बालश्रम से अभिप्राय एक निश्चित आयु वर्ग (भारत में 5 से 14 वर्ष) के बालकों का लाभकारी कार्यों में नियोजन से है।यूनिसेफ ने बालश्रम को ऐसे कार्यो के रूप में परिभाषित किया है, जो एक बालक के लिए हानिकारक माने जाते हैं, कार्य के लिए घंटो की न्यूनतम संख्या को पार कर जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र बालश्रम आयोग के **अध्यक्ष होमर फॉक्स** के अनुसार, ''बालकों द्वारा किया जाने वाला हर कार्य, जो उनके पूर्ण शारीरिक विकास में बाधक है, उन्हें शिक्षा का न्यूनतम अवसर भी ग्रहण नहीं करने देता और उनके लिए आवश्यक खेलने, कूदने और मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं होने देता, बालश्रम है।''[1]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, ''बाल श्रमिक वे बालक हैं जो स्थायी तौर पर वयस्कों की तरह जीवन जी रहे हैं। कम मजदूरी पर कई-कई घण्टे ऐसी कार्य-दशाओं में काम करते हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य खराब होता है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है, इस कार्य के कारण कभी-कभी तो उन्हें अपने परिजनों से दूर भी रहना पड़ता है तथा वे उस सार्थक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जिनके कारण उनके बेहतर भविष्य के रास्ते खुल सकते हैं।'' बालश्रम की अवधारणा बालक की उन आर्थिक मजबूरियों, पारिवारिक समस्याओं एवं राष्ट्रीय नीतियों की कमजोरियों को प्रकट करती हैं जिसके कारण बालक का बचपन छिन जाता है। वह मनोरंजन, खेलकूद एवं शैक्षिक कार्यकलापों में हिस्सा लेने से वंचित हो जाता हैं। इस प्रकार बालश्रम वह कार्य है जो बालक के शारीरिक, मानसिक विकास में बाधा पहुँचाता है।[2]

यूनीसेफ ने बालश्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है-

1. **परिवार के साथ -**इस श्रेणी में वे बच्चे शामिल है जो घर के कार्यों में बिना किसी वेतन के कार्यरत है।

2. **परिवार के साथ पर घर से बाहर-** इसमें बालक अपने परिवार के साथ घर के बाहर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता हैं। उदाहरण के रूप में-कृषि मजदूर, घरेलू मजदूर, सीमान्त मजदूर इत्यादि।
3. **परिवार से बाहर-** इसमें विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, कारखानों, सेवा-केन्द्रों में कार्यरत रहते हैं।

बाल श्रम : उद्भव व विकास

बालश्रम पूर्व औद्योगिक समाजों में अर्थव्यवस्थाओं का अभिन्न हिस्सा रहा है। आखेट, कृषि व पशुपालन से संबंधित कार्यों में बालक परिवार के साथ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते थे।करीब 160 वर्ष पूर्व अमेरीका एवं यूरोप के देशों में बालश्रम को लेकर चिन्ता प्रकट होने लगी थी। उन्नीसवीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में बालश्रम का सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया गया। चार्ल्स डिक्किन्स व अन्य लेखकों ने अपने उपन्यासों में उन परिस्थितियों एवं कार्यदशाओं का रोंगटे खडे कर देने वाला मार्मिक चित्रण किया है, जिनमें बालक काम करते थे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार बालश्रम औद्योगिक क्रांति की देन है। यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के बाद बालश्रम में तेजी से वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रान्ति के दौरान मुनाफाखोरी ने बालकों को श्रम बाजार की ओर धकेल दिया। पहले कृषि, पशुपालन एवं घरेलू कार्यों में बालक कार्य करते थे अब औद्योगिकरण के कारण जोखिम भरे उद्योगों में बालकों को नियोजित किया जाने लगा। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में बालश्रम की समस्या वैश्विक स्तर पर मानव समुदाय के लिए एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आयी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2013 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5 से 17 वर्ष की आयु वर्ग में बालश्रम के रूप में 168 मिलियन कार्यरत थे। इनमें से 85 मिलियन बाल श्रमिक खतरनाक काम में लगे हुए है।[3] सन् 2012 में बालश्रम की दृष्टि से सबसे खराब देशों की सूची में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उतरी-कोरिया, म्यांमार, सूडान, सोमालिया, इथोपिया, बुरूडी. और जिम्बाब्वे शामिल हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 78 मिलियन (कुल बालकों की आबादी का 9.3प्रतिशत) बाल श्रमिक एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अवस्थित है। उप सहारा अफ्रीकी श्रेत्र में बालश्रमिकों की संख्या 59 मिलियन है जो कि बालकों की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत भाग है। इस प्रकार बालकों की जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से सबसे अधिक बालश्रमिक सघनता अफ्रीका क्षेत्र में अवस्थित है। नियोजन की दृष्टि से आज भी सबसे अधिक 98 मिलियन बाल श्रमिक कृषि कार्यों में लगे हुए है।[4]

भारत में बालश्रम: आकार एवं स्वरूप

भारत में बालको की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग बाल श्रमिकों का है। भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या(जनगणना के आकड़ो के अनुसार) निम्नानुसार है[5]-

जनगणना वर्ष	कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या (5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में)
1971	10753985
1981	13640870
1991	11285349
2001	12666377
2011	4353247

सन् 2001की जनगणना के आकडों के अनुसार भारत में बच्चों की कुल आबादी 25.2 करोड़ में से 5 से 14 वर्ष के आयु समूह में 1.26 करोड. बच्चे काम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो उन खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में काम कर रहे हैं, जिन्हें बालश्रम (निषेष एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आवृत किया गया है।[6] भारत में सर्वाधिक बाल श्रमिक उतर-प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र में हैं। सी.ए.सी. की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 1,26,66,377 बाल श्रमिकों में अकेले उतर-प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या 19,27,997 हैं जो कुल बाल श्रमिकों का 15 प्रतिशत भाग हैं। 'भारत में काम करने वाले बालकों का सर्वाधिक 90 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में है। काम करने वाले इन बालकों का 76 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में है। बालश्रम का नियोजन करने में, विनिर्माण श्रेत्र का हिस्सा 1971 में 3.1 प्रतिशत था जो बढ़कर 1991 में 7.1 प्रतिशत हो गया। इस क्षेत्र में कुल 6.5 लाख बालक काम कर रहे हैं तथा सामाजिक खण्ड़ की हिमायत करने वाले विकासशील देश इस क्षेत्र को अपना लक्ष्य बनाये हुए है।'[7]

भारत में बालश्रम की समस्या: बुनियादी कारण

गरीबी : बालश्रम का मूल कारण गरीबी है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है।गरीब परिवारों के बच्चे रोटी के लिए श्रम बाजार में धकेल दिये जाते हैं। जब माता-पिता अपनी आय से परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पाते हैं तो विवश होकर बालक को बाल्यावस्था मे ही आजीविका के लिए उधोग-धन्धों, होटल या वंशानुगत पेशे में नियोजित कर देते हैं।

शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव : प्राय: अशिक्षित अभिभावक बच्चों की शिक्षा के महत्व को नहीं जानते जिसके कारण बच्चों के भविष्य के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही संकुचित एवं लापरवाही का होता है। वे शिक्षा से ज्यादा महत्व काम को देते हैं जिसके कारण बालको का भविष्य अवरूद्ध हो जाता है। यह कुचक्र चलता रहता है।

अल्प आयु में विवाह : बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कुछ वर्ग, जातियों या क्षेत्रों में प्राय: अल्प-आयु में विवाह कर दिया जाता है। जिस समय बच्चे की उम्र पढ़ने-लिखने की होती है उस समय बालक गृहस्थी के बोझ से दब जाता है। गृहस्थ की जिम्मदारी निभाने के लिए ऐसे बच्चे जोखिमपूर्ण तथा खतरनाक व्यवसायों तक में काम करने को विवश हो जाते हैं।

नियोक्ता के हित: अध्ययनों से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि उत्पादकों एवं नियोजकों के व्यवसायिक हितों के कारण बालश्रम को प्रोत्साहन मिला है। वयस्क श्रमिक की तुलना में बाल श्रमिक सस्ता होता है और वह नियोक्ता से श्रम की सौदेबाजी भी नहीं करता है। वे काम की दशाओं एवं अन्य सुविधाओं की माँग नहीं करते। नियोक्ता द्वारा उन्हें अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करना आसान होता है।

सरकार की उदासीनता: सरकार की उदासीनता के कारण बालश्रम को प्रोत्साहन मिला है। भारत में आजादी के बाद से लेकर अब तक बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए अनेक कानून बनाये गये है। परन्तु सरकार की उदासीनता के कारण उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। पूर्व **मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती** के अनुसार, ''बाल श्रमिकों से सम्बद्ध अधिकतर कानून कागजों तक ही सीमित हैं और उनका क्रियान्वयन शून्य है। इन उद्योगों में बाल श्रमिकों की मौजूदगी ही इन कानूनों का मखौल उड़ाती है।'' प्राय आयु के झूठे प्रमाण पत्र बनवाकर बालकों को जोखिम भरे कामों में लगाये रखते हैं।

बाल अधिकारों का संरक्षण: अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही बाल श्रम का मुद्दा विश्व स्तर पर मानव जाति के लिए एक प्रमुख चिन्ता का विषय बना हुआ है। 'बालश्रम के प्रति उभर रही इस चिन्ता का मुख्य श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को जाता है, जिसकी स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् 1919 में वारसा सन्धि के एक समझौते के अन्तर्गत की गई थी और जिसके सामाजिक न्याय के मार्गदर्शी सिद्धान्त पूरी तरह बालश्रम के विरूद्ध थे। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उद्देशिका से लेकर उसके गठन तक बालकों से उनकी कच्ची उम्र में लिये जाने वाले कार्यो के कारण उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से बचाने की चिन्ता, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अंगीकृत किये गये विभिन्न बालश्रम विरोधी कानून अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों में अंकित है।'[8] अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सन् 1919 में अंगीकृत अभिसमय पाँच में यह निर्धारित किया गया था कि एक न्यूनतम आयु से कम आयु के बालक को किसी ओधौगिक संस्थान में नियोजित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही विभिन्न अभिसमयों के द्वारा कृषि, रेलवे, समुद्रगमन, बागान एवं खान जैसे रोज़गार के कई अन्य क्षेत्रों में बालकों के नियोजन के लिए मानदण्ड निर्धारित किये गये। बालश्रम के विरूद्ध विश्व समुदाय में सन् 1970 के दशक तक यह समझ विकसित हो गई थी कि सभी प्रकार के क्षेत्रों में नियोजित बालकों के हितों की रक्षा के लिए कारगर कदम उठाये जाने चाहिए। बालश्रम के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा सन् 1973 में अभिसमय 138 को अंगीकृत किया गया। इस अभिसमय द्वारा रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों एवं आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं वाले देशों के लिए अलग-अलग न्यूनतम आयु के मानदण्ड निर्धारित किये। भारत जैसे विकासशील देशों में न्यूनतम आयु 14 वर्ष है जबकि विकसित देशों ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। जोखिमपूर्ण कार्यों में विकासशील देशों में न्यूनतम आयु 16 वर्ष है जबकि विकसित देशों में यह 18 वर्ष है। हल्के कार्यो के लिए न्यूनतम आयु को घटाकर विकासशील व विकसित देशों के लिए क्रमश: 12 व 13 वर्ष कर दिया गया है। इस अभिसमय की महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं से किसी भी प्रकार के श्रम करवाने का निषेध किया गया है। यद्यपि विश्वसमुदाय में इस अभिसमय के अनुसमर्थन की स्थिति उत्साहवर्धक नहीं रही। सन् 1997 तक केवल 54 देशों ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया था।

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा महत्वपूर्ण कदम सन् 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय को 20 नवम्बर, 1989 को स्वीकार किया। इसे 20 देशों के अनुसमर्थन के बाद 2 सितम्बर, 1990 को लागू कर दिया गया। अब तक इस पर भारत सहित 199 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये है। इस अभिसमय में कुल 54 अनुच्छेद है। बाल अधिकार अभिसमय में बालकों के मूलभूत अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है तथा समस्त राज्यों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अभिसमय को अपनी राष्ट्रीय एवं आर्थिक नीतियों में स्थान प्रदान करे।

भारत में बाल श्रम की समस्या: निदान के प्रयास

बालश्रम मूलत: एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। इसका गरीबी, अज्ञानता, अनभिज्ञता से गहरा संबंध है। अत: इस समस्या के निदान के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दिशा में अब तक किये गये प्रमुख प्रयास निम्नलिखित है-

अ. संवैधानिक उपाय: भारत में संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 24, 39(ड), (39च) व 45 के माध्यम से बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपबंध किये है। संविधान के अनुच्छेद 24 में बालकों की सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध किया गया है। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि, ''चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा''।[9] संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 24 व नीति निदेशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 39(ड), (39च) व 45 के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। इनमें यह प्रावधान है कि बालकों की सुकुमारता का दुरुपयोग न हो, तथा आर्थिक कारणवश उन्हें ऐसे रोजगार में न लगाया जाये जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 24 व 45 एक दूसरे के पूरक हैं।[10]

संविधान के 86वें संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में एक नया अनुच्छेद 21ए जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। माता-पिता का यह मौलिक दायित्व है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वातावरण तैयार करें। इस दायित्व को मूल कर्तव्यों में स्थान दिया गया है। यदि यह प्रावधान अक्षरश: लागू हो जाता है तो बाल श्रम एक अतीत की स्मृति बन कर रह जाएगा।[11]

ब. वैधानिक उपाय: भारत सरकार ने बाल श्रम से संबंधित समस्याओं के अध्ययन एवं उससे निपटने के लिए 1979 में गुरुपादस्वामी समिति गठन किया था जिसकी सिफारिश पर 1986 में बाल श्रम(निषेध एवं विनियम) अधिनियम, को लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अधिनियम की अनुसूची के भाग क एवं ख (धारा 3) में वर्णित 18 व्यवसायों तथा 65 प्रक्रियाओं (ओद्यौगिक गतिविधियों)से संबंधित कार्यो मे बालकों के नियोजित करने को प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम की धारा 14 में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर तीन माह से एक वर्ष तक की सजा तथा 10 से 20 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति का गठन सन् 1987 में किया गया। इस नीति में खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बाल श्रम अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने के साथ यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि खतरनाक क्षेत्रों में बालकों को नियोजित नहीं किया जाये और गैर-खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले बालकों की कामकाजी परिस्थितियाँ बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विनियमित रहे।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्यों में आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में काम करने तथा अन्य प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्तरां, दुकान आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है।

संसद ने बाल श्रम निषेध कानून को ओर अधिक प्रभावी बनाने वाले **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016** को पारित कर दिया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक से किसी प्रकार का काम करवाया गया तो नियोक्ता को 50 हजार रुपय का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा होगी। इसमें सभी प्रकार का श्रम शामिल है। वह केवल अपने माता-पिता के साथ उनके व्यवसाय में सहयोग कर सकता है।

स. सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से बालश्रम रोकने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश दिये है। सन् 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुर्नवास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया था जिसमें नियोक्ता को प्रति बालक 20 हजार रुपये जमा कराने का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी.मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य[12] के मामले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए निम्न निर्देश दिये हैं-

- काम करने वाले बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण;
- उद्योग में काम करने वाले बच्चों को मुक्त करवाना और उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध करना;

- उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को इस उद्देश्य के लिए के लिए स्थापित की जाने वाली निधि में बीस हजार रुपये का भुगतान करना होगा;
- गैर-खतरनाक व्यवसायों में नियोजित बच्चों के लिए काम के घंटों का विनियमन, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनसे प्रतिदिन 6 घंटों से अधिक काम न करवाया जाये और हर रोज कम से कम 2 घंटे उन्हें शिक्षा के लिए मिले। शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाए।

द. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनिसेफ, व विभिन्न देशो के सहयोग से बाल-कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये है। इस संबंध में **इंडस** (भारत अमेरिकी बाल श्रम परियोजना) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसे मध्यप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के बाल श्रम की दृष्टि से दस खतरनाक क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। फरवरी 2004 में प्रवर्तित इस परियोजना के माध्यम से लक्षित जिलों में कार्यरत बच्चों की पहचान करना, उन्हें खतरनाक काम से छुड़वाना तथा छुड़ाये गये किशारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजन के लिए विकल्प प्रदान करने पर बल दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक इस परियोजना के माध्यम से 103152 बच्चों और किशोर श्रमिकों को काम से छुड़ाया और उनका पुर्नवास किया गया है।

निष्कर्ष

बाल श्रम मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौती एवं मानवता के लिए एक कलंक है। बालश्रम के कारण न केवल बालक बल्कि राष्ट्र के भविष्य पर भी बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज के बालक कल का भविष्य है। यदि हमें अपना कल बेहतर करना है तो बाल श्रम का उन्मूलन करना ही होगा। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रम उन्मूलन के लिए सरकार, समाजसेवी संगठनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने सकारात्मक प्रयास किये हैं। इनके प्रयासों के परिणामस्वरूप बालश्रम में कमी आई है। परन्तु आज भी समस्या की गंभीरता केा देखते हुए निदान हेतु समाज के सभी वर्गो को ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल कानून बना देने या कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर देने मात्र से बाल अधिकारों के लक्ष्य की पूर्ति करना संभव नहीं है। आज आवश्यकता योजनाओं एवं कानूनों के प्रभावी कार्यान्वियन एवं जागरूकता पैदा करने की है ताकि राष्ट्रीय नीति एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों के विकास एवं संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

संदर्भ सूची

1. श्रम अन्वेषण समिति मुख्य रिपोर्ट, 1946
2. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन (1989)
3. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.आइएलओ.ओआरजी/ग्लोबल/टॉपिक्स/चाइल्ड-लेबर
4. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.आइएलओ.ओआरजी/आईपीईसी/इनफॉरमेशनसोर्सिज्
5. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.लेबर.एनआईसी.इन/साईट्स/डिफॉल्ट/फाइल्स/सेन्सस्1971 टू 2001
6. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.लेबर.एनआईसी.इन/एचआई/चाइल्डलेबर/अबाउट-चाइल्ड-लेबर
7. अय्यर, कृष्ण, बालश्रम कानून-एक अवलोकन; वी.वी.वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली, पृ. 32-33
8. कौशिक, आशा, मानवाधिकार और राज्य: बदलते संदर्भ, उभरते आयाम, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004, पृ. 159
9. बसु, डी.डी., भारत का संविधान: एक रूपरेखा, प्रेटिस हाल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली. पृ. 112
10. कौशिक, आशा, पूर्वोक्त, पृ. 164
11. इग्नू सी.एस.आर.-12, भारत में मानवाधिकार, खंड 5 इकाई 20-बाल अधिकारों तक पहुँच, पृ. 63
12. एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, रिट याचिका (नागरिक) सं. 465/1986.

युद्ध काव्य में शांति की आकांक्षा : कुरुक्षेत्र और अंधा युग

डॉ. रेणु व्यास

सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

आधुनिक युद्ध काव्य युद्ध में उत्साह-वर्द्धन के लिए नहीं, उसके अपवर्जन के लिए लिखे जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की झलक देने वाले और 'महाभारत' से अपना कथानक लेने वाले दो प्रमुख काव्य 'कुरुक्षेत्र' और 'अंधा युग' मनुष्य की शांतिकामी वृत्ति के युद्ध में उतरने की विवशता का चित्रण करते हैं। दोनों ही काव्यों में 'महाभारत' की कथा का मिथक के रूप में प्रयोग किया गया है जो भारतीय जनमानस में सर्ववैनाशिक युद्ध के रूपक के रूप में छाया हुआ है; जिसमें न सिर्फ व्यापक जनविनाश हुआ बल्कि स्थापित जीवन-मूल्य भी संकट में पड़ गए। 'अंधा युग' आधुनिक हिन्दी रंगमंच का सफलतम दृश्य काव्य है, इसके विपरीत 'कुरुक्षेत्र' प्रधानतः पाठ्य और श्रव्य है। 'अंधा युग' की एक प्रमुख विशेषता जो हमें आश्चर्यचकित करती है, वह है - उस समय के यूरोप द्वारा अनुभूत अनास्था, निराशा, संशय, कुंठा और तद्‌जन्य समस्त विकृतियों की संवेदनशील कलात्मक अभिव्यक्ति, जो कृति का 'अंधा युग' नाम सार्थक सिद्ध करती है। इस पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव है। यह अंधकार 'कुरुक्षेत्र' में अनुपस्थित है। दोनों ही युद्ध काव्य युद्ध की विभीषिका से मनुष्यता को सदा के लिए मुक्त करने की आकांक्षा रखते हैं।

संकेताक्षर : *कुरुक्षेत्र, धर्मवीर भारती, अंधा युग, युद्ध काव्य, नकली शांति*

''वह कौन रोता है वहाँ, इतिहास के अध्याय पर
जिसमें लिखा नौजवानों के लहू का मोल है
शोणित बहा, लेकिन, गयी बच लाज सारे देश की ?''[1]

'कुरुक्षेत्र' में युधिष्ठिर के रूप में गाँधी, नेहरू या दिनकर ही नहीं मनुष्य मात्र का 'शंकाकुल हृदय' ही युद्ध के महाविनाश पर शोकमग्न है जो शांति का आकांक्षी होते हुए भी बार-बार युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए विवश होता है। द्वापर से भी अधिक यह प्रश्न आधुनिक मानव के लिए विचारणीय है क्योंकि वह दो विश्व युद्ध देख चुका है फिर भी इस महाविनाश के उत्तरदायी उद्धत राष्ट्रवाद, या यों कहें कि राष्ट्रवाद के वेश में संकीर्ण स्वार्थों के संरक्षण की प्रवृत्तियों के प्रति उसका आकर्षण कम नहीं हुआ है। आधुनिक युद्ध काव्य इसी मानसिक द्वंद्व को अभिव्यक्त करते हैं।

'भारत-छोड़ो आंदोलन' के क्रूरतापूर्ण दमन के बावज़ूद भी 'कुरुक्षेत्र' का रचनाकाल भारत में निराशा का युग नहीं था वरन् आसन्न आज़ादी की झलक सभी भारतीयों के मन में भी थी जो इसी समय रची गई दिनकर की कविताओं में देखी जा सकती है -

''वह प्रदीप जो दीख रहा है झिलमिल दूर नहीं है;
थक कर बैठ गए क्या भाई! मंजिल़ दूर नहीं है।''[2]

'कुरुक्षेत्र' में सर्वत्र आस्था और आशा का यही प्रकाश नज़र आता है। 'कुरुक्षेत्र' पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के गहरे असर का एक प्रमाण यह भी है कि इसमें युद्ध न्याय के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सामने आता है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सेना और पुलिस के क्रूर दमन द्वारा स्थापित 'नकली शांति' के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम को 'वास्तविक शांति' के साधन के रूप में तर्कसंगत रूप से समझा जा सकता है। 'कुरुक्षेत्र' में दीप्त प्रतिशोध की महिमा का गान भी भारत की पराधीनता से मुक्ति की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है-

''प्रतिशोध जड़-चेतनों का जन्मसिद्ध अधिकार है''[3]

यह पंक्ति लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की गौरवपूर्ण घोषणा की याद दिला देती है -

''स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है''

जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्रतिशोध सार्वदेशिक या सार्वभौमिक कल्याण के लिए ही हो सकता है, जबकि 'अंधा युग' में अश्वत्थामा का प्रतिशोध पिता की हत्या का बदला लेने के लिए है। यह विकृत वैयक्तिकता जो यूरोप की विश्वयुद्धोत्तर परिस्थितियों से

उपजी मानसिकता से तुलनीय है, उसमें कुंठा और हीनभावना भर कर पशुतुल्य बना देती है। 'कुरुक्षेत्र' में इसके विपरीत भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दो धाराओं के दर्शन का द्वंद्व है। 'कुरुक्षेत्र' में स्पष्टत: एक पक्ष को (पांडवों को) न्याय के लिए संघर्षरत वर्णित किया गया है जो स्वाधीनता के लिए संघर्षरत भारतीयों से संगति प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत 'अंधा युग' में स्पष्ट घोषणा है कि धर्म किसी ओर नहीं था जो इस सच्चाई के अधिक निकट है कि द्वितीय विश्व युद्ध 'फ़ासीवाद- नाज़ीवाद' के विरोध के नाम पर साम्राज्यवादी स्वार्थों के लिए लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों द्वारा दिया गया 'लोकतन्त्र की रक्षा' का नारा इस छद्म को ढँकने का आवरण मात्र था जिसे भारत जैसे पराधीन देश से अधिक अच्छी तरह कौन समझ सकता था ? अत: इनमें से कोई भी पक्ष न्याय का पक्ष नहीं था -

''टुकड़े-टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है''[4]

इस प्रकार जहाँ 'अंधा युग' द्वितीय विश्व युद्ध के विरुद्ध (यूरोपीय प्रतिदर्श पर) विश्व-मानस की प्रतिक्रिया के रूप में अधिक प्रामाणिक है वहीं 'कुरुक्षेत्र' में विश्व युद्ध में विज्ञान के अंधाधुंध विकास से, परमाणु बम से वैश्विक मानवता को उत्पन्न चुनौती के साथ ही भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का भी बहुत अधिक प्रभाव है।

धर्मवीर भारती का गीति-नाट्य 'अंधा युग' में महाभारत के युद्ध के अट्ठारहवें दिन की संध्या से प्रभास-तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा है। प्रत्येक युद्ध के बाद मनुष्य पुनर्विचार करता है कि क्या वे जीवन-मूल्य युद्ध की असाधारण परिस्थितियों में बचे रह पाये, जिनकी रक्षा के लिए उसे युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी इसका सबसे भीषण उदाहरण है। यही वह पृष्ठभूमि है जिस पर 'अंधायुग' रचा गया।

'कुरुक्षेत्र' में युधिष्ठिर और भीष्म दो दृष्टिकोणों के प्रतीक के रूप में सामने आये हैं इसमें कोई शंका नहीं है। डॉ. सावित्री सिन्हा, डॉ. खगेन्द्र ठाकुर समेत कुछ विद्वान् तो युधिष्ठिर को गाँधी जी का और भीष्म को क्रांतिकारियों का प्रतीक मानते हैं। परन्तु यह अतिसरलीकरण से निकाला गया निष्कर्ष है। मात्र भीष्म के ही नहीं युधिष्ठिर के शांतिवादी विचार भी दिनकर के हैं और ये दोनों इनके मानस के अलग-अलग पक्षों के सूचक हैं। 'युद्ध और शांति', 'हिंसा और अहिंसा', 'आपद्धर्म और परम धर्म' के बीच का द्वंद्व दिनकर के मस्तिष्क को झकझोरने वाला सबसे बड़ा प्रश्न है (जो उनके 'शांति की समस्या' जैसे लेख का भी विषय है); वही 'कुरुक्षेत्र' में युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से व्यक्त हुआ है। 'इतिहास के अध्याय पर रोने वाले युधिष्ठिर ही नहीं हैं, दिनकर भी हैं और वे समस्त शांतिकामी व्यक्ति हैं जिनके मन में यह प्रश्न उठता है कि हर युद्ध के बाद हुए व्यापक विनाश से दुखी होने के बाद भी मनुष्य फिर नये युद्ध में प्रवृत्त क्यों हो जाता है ? इस प्रश्न को उठाते ही 'कुरुक्षेत्र' दिनकर की ही दूसरी कविता 'कलिंग-विजय' से आगे बढ़ जाता है, जहाँ युद्ध का कारण और उससे हुए विनाश के लिए 'व्यक्ति अशोक' के हृदय में उपजे पश्चात्ताप पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। किन्तु 'कुरुक्षेत्र' में इस समस्या पर सार्वभौम और व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया गया है। वास्तव में विश्व-मानव का मानस ही वह 'कुरुक्षेत्र' है जिसमें यह द्वंद्व जारी है। यह द्वंद्व 'कुरुक्षेत्र' का सौंदर्य है और इसमें प्रस्तुत समाधान की कोशिशों से अधिक ताक़तवर भी। दिनकर भूमिका में इसकी पुष्टि करते हैं - ''कुरुक्षेत्र' न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंतत:, एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है।''[5]

'कुरुक्षेत्र' का प्रकाशन द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद हुआ। अत: इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की छाया ढूँढना तर्कसंगत है तथा पहले और छठे सर्ग में यह प्रभाव विशेषरूप से द्रष्टव्य है। दिनकर की मान्यताओं पर इनकी युद्ध-प्रचार-विभाग में नियुक्ति और बर्ट्रेंड रसेल जैसे चिन्तक का प्रभाव भी है जिनके ज़रिए इन्होंने इस युद्ध को निकटता से महसूस किया। द्वितीय विश्व युद्ध भारत की भूमि पर नहीं लड़ा गया फिर भी परमाणु बम जैसे घातक अस्त्रों से हुए व्यापक विनाश के प्रति संवेदना और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भारत में भी बड़ी गहराई से महसूस की गई। दिनकर विज्ञान की संवेदना-रहित और नैतिकता-निरपेक्ष अंधाधुंध प्रगति को भी इस विभीषिका के लिए उत्तरदायी मानते हैं -

''चीरता परमाणु की सत्ता असीम, अजेय,
बुद्धि से पवमान में उड़ता हुआ असहाय
जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय ?
लक्ष्य क्या ? उद्देश्य क्या ? क्या अर्थ ?
वह नहीं यदि ज्ञात, तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ।''[6]

द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम-विस्फोट के रूप में जो अकल्पनीय मानव-त्रासदी घटित हुई, उसकी गूँज 'अंधा युग' में भी स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, जब व्यास अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग दुष्परिणामों के प्रति चेतावनी देते हैं -

''ज्ञात क्या तुम्हें परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का ?
यदि यह लक्ष्य-सिद्ध हुआ ओ नर पशु !
तो आगे आने वाली सदियों तक
पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी
शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त।''[7]

चाहे फासीवादी-नाज़ीवादी राष्ट्र हों या मित्र राष्ट्र, दोनों ही पक्षों की साम्राज्य-लिप्सा इस युद्ध में उभर कर सामने आ गई, कुछ राजनेताओं की महत्त्वाकांक्षाओं का मूल्य पूरी एक पीढ़ी को चुकाना पड़ा। इसी प्रकार 'अंधा युग' के कथानक में भी कौरवों एवं पांडवों दोनों ही के द्वारा युद्ध की मर्यादा को तोड़ने को रेखांकित किया गया है-

''दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन
भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया
जो कुछ सुन्दर था, शुभ था, कोमलतम था
वह हार गया ... द्वापर युग बीत गया''[8]

इस काव्य में अश्वत्थामा की पशुवत् निजी प्रतिहिंसा लेखक को जितना उद्वेलित करती है, उतना ही 'सत्यवादी' युधिष्ठिर का यह अर्द्धसत्य कि 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा'। इसी कारण धर्मवीर भारती नाट्य-संकेतों में हंस और बाज के बजाए कौए और उल्लू की लड़ाई चित्रित करते हैं, जिनकी हिंसकता में केवल मात्रात्मक फर्क है, गुणात्मक नहीं।

युद्ध के बाद पराजित जनता की निराशा, पीड़ा, अवसाद, कुंठा तो स्वाभाविक थे ही, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्रों की जनता ने भी यही सब महसूस किया; विशेषकर युद्धरत सैनिकों ने। 'अंधा युग' में भी विजयी पांडव शिविर की यही स्थिति है -

''सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास-ध्वस्त''[9]

इसका कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक जन-हानि तो हुई ही; इसने व्यक्ति के विश्वास, आस्था और मूल्यों को झकझोर कर रख दिया। युद्धरत सैनिकों और जनता ने अनुभव किया कि राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, जिनके नाम पर यह युद्ध लड़ा गया, वे आदर्श खोखले हैं, सत्ता द्वारा साम्राज्यवादी उद्देश्यों को छिपाने का मुखौटा भर हैं।

'कुरुक्षेत्र' में दिनकर साध्य के रूप में शांति को स्वीकार करते हैं और अहिंसा को 'परम धर्म', किंतु साधन के रूप में अहिंसा की व्यावहारिकता को लेकर दिनकर का हृदय द्विधाग्रस्त है, इसलिए 'आपद्धर्म' के रूप में वे हिंसा का निषेध नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण है - कथित 'शांति' या 'अहिंसा' का निष्क्रिय रूप (यह गांधी जी की सक्रिय अहिंसक संघर्ष की नीति से निश्चित रूप से अलग है।); जो असमानता और शोषण को बनाए रखने का साधन बनती है। इसे ही दिनकर ने 'कुरुक्षेत्र' में 'नकली शांति' कहा है। पराधीन भारत में 'पैक्स ब्रिटानिका' के रूप में भारत में शांति-स्थापना का उपनिवेशवादी खोखला दावा इसी छद्म शांति का एक उदाहरण है। हारे हुए देशों पर विभेदकारी संधियों से जबरन लादी गई द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की शांति भी इसी प्रकार की थी। आज के एन.पी.टी. जैसे विभेदकारी क़रारों में भी इसी छद्म शांति के दर्शन होते हैं।

''शांति ! सुशीतल शांति ! कहाँ, वह समता देने वाली
देखो, आज विषमता की ही, वह करती रखवाली।''[10]

'अंधा युग' का आरंभ भी इसी विडम्बना के साथ होता है -

''सत्ता होगी उनकी, जिनकी पूँजी होगी
जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उनको महत्त्व मिलेगा
राजशक्तियाँ लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर
गहन गुफाओं में छिप-छिप कर दिन काटेगी
(गहन गुफाएँ ! वे सचमुच कीं या अपने कुंठित अंतर कीं ?)[11]

इस प्रकार युद्ध के उपरांत 'अंधा युग' अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएँ सभी विकृत हैं। 'अश्वत्थामा', जो इस नाटक का सबसे महत्त्वपूर्ण पात्र है, इसी स्थिति से उपजा प्रतीक-पात्र है, जिसका कहना है -

''वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि''[12]

'संजय', जिसके पास दिव्य दृष्टि है, वह आधुनिक लेखक, पत्रकार या बुद्धिजीवी का प्रतीक है। 'धृतराष्ट्र' सत्ता का प्रतीक हैं। उनका अंधापन, पुत्रमोह और सत्ता-लिप्सा इस प्रतीक को और अर्थवान् बनाते हैं। 'गांधारी' सत्ता की निकटस्थ वह पात्र है, जिसके पास आँखें तो हैं, किन्तु जिसने अपनी विवेक रूपी आँखों पर जान-बूझ कर पट्टी बाँध रखी है। 'विदुर' उस चुके हुए और अप्रासंगिक हो चुके राजनेता के प्रतीक हैं, जो नीतिज्ञ तो हैं किन्तु उनकी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियाँ असाधारण हैं। कृष्ण, प्रत्येक मनुष्य के भीतर स्थित शुभत्व का प्रतीक हैं। इसी कारण लेखक कृष्ण के मुख से कहलवाते हैं कि

''अट्ठारह दिनों के इस भीषण संग्राम में
कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ, करोड़ों बार''[13]

कटु निराशा की उद्धत अनास्था से कुंठाग्रस्त केवल अश्वत्थामा ही नहीं, गांधारी भी है। 'अंधा युग' की त्रासदी यह है कि 'अश्वत्थामा' जो सबसे सक्रिय और गतिशील पात्र है, वह बर्बर पशु है; 'शब्दों का शिल्पी' 'संजय', दिव्य दृष्टि के होते हुए भी निष्क्रिय, तटस्थ और कर्मलोक से बहिष्कृत है; सत्तासीन धृतराष्ट्र और गांधारी, अंधे हैं या उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध रखी है; दोनों प्रहरी, दासवृत्ति से चालित उस सामान्य जन के प्रतीक हैं, किसी भी सत्ता-परिवर्तन से जिनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता, अत: वे भी स्थितियों के दर्शक मात्र हैं। इस अंधेरे में 'कृष्ण' ही सबकी एकमात्र उम्मीद हैं, किन्तु वे स्वयं शापग्रस्त हैं। उनका यदुवंश आपस में लड़-भिड़ कर मर रहा है और वे स्वयं उस निकम्मी धुरी

की तरह एकाकी बच गये हैं, जिसके सारे पहिए नीचे उतर चुके हैं। विडम्बना तब और गहरी हो जाती है, जब नरपशु अश्वत्थामा बूढ़े भविष्य की हत्या कर देता है और सत्य का पक्ष लेने का साहस करने वाला 'युयुत्सु' अपनों की घृणा से आत्महीनता और कुंठा का शिकार होकर आत्महत्या कर लेता है। 'युयुत्सु' की आत्महत्या ने इस त्रासदी के प्रति चेतावनी दी है -

''यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित, इस पूरी संस्कृति में
दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन-व्यवस्था में
आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का''[14]

विश्वयुद्धों के बाद की ठीक यही स्थिति थी जब 'अस्तित्ववाद' जैसे दर्शन का प्रसार हुआ।

'अंधा युग' पर त्रासद भारत-विभाजन और भयंकर सांप्रदायिक दंगों की भी छाया है। गांधारी के शाप के कारण यदुवंशियों का मदिरापान कर आपस में ही लड़-भिड़ कर विनष्ट होना इन दंगों को ध्वनित करते हैं। इस अमानवीय विभीषिका से व्यक्तिगत प्रतिशोधकामी 'अश्वत्थामा' जैसे न जाने कितने नरपशु पैदा हो गए और सत्य का पक्ष लेने वाले 'युयुत्सु' अलग-थलग पड़कर आत्महीनता का शिकार हो गए। स्वाधीन देश के प्रधानमंत्री 'युधिष्ठिर' की तरह किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये और महात्मा गांधी शापग्रस्त 'कृष्ण' की तरह अपने ही लोगों को लीलने वाले सांप्रदायिक हिंसा और घृणा के इस ज्वार को रोकने में स्वयं को असमर्थ पाने लगे। धर्मवीर भारती 'अंधायुग' में वृद्ध भविष्यवक्ता याचक से कहलवाते हैं -

''रक्तरंगी घृणा है भयानक उसकी, अदम्य
मोरपंख उससे हारेगा या जीतेगा ?
घृणा के उस नये कालिय नाग का दमन, अब क्या कृष्ण कर पायेंगे ?''[15]

अंततः महात्मा गांधी की हत्या की तरह ही 'अंधायुग' में भी व्याध के हाथों कृष्ण को लगे घाव के बहते खून ने अश्वत्थामा की घृणा का शमन कर उसमें पुनः आस्था जगाई। अनास्था से आस्था की ओर यह यात्रा 'अंधायुग' की महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

आस्था-विश्वासों के ध्वंस और उससे उपजी तमाम कुंठा, निराशा के बावज़ूद भारती मनुष्य के भविष्य के प्रति आशावादी हैं -

''अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है
पर एक तत्त्व है, बीजरूप स्थित मन में
साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में
वह अर्द्धसत्य से, ब्रह्मास्त्रों के भय से
मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता
अंधे संशय, दासता, पराजय से।''[16]

आस्था का यही स्वर 'अंधायुग' को एक सार्थक और अमर कृति बनाता है।

भारत-चीन युद्ध के समय प्रकाशित गये अपने काव्य संग्रह 'परशुराम की प्रतीक्षा' की कविता 'आपद्धर्म' में नैतिक शक्ति को दिनकर सच्ची वीरता मानते हैं -

''और शूरता नहीं मात्र अंगार,
शूरता नहीं मात्र रण में प्रकोप से धुंधवाती तलवार,
शूरता स्वस्थ जाति का चिर-अनिद्र, जाग्रत स्वभाव,
शूरत्व मृत्यु के वरने का निर्भीक भाव ''[17]

'कुरुक्षेत्र' में युधिष्ठिर की अहिंसा इस अहिंसा के विपरीत पलायनवादी अहिंसा थी जो अन्याय से संघर्ष के बजाय उससे मुँह छिपाना चाहती थी; गीता में अर्जुन के मोह से यह भिन्न नहीं है। ऐसी पलायनवादी नकली शांति और अहिंसा शोषण की कड़ियां मजबूत करने का काम करती है और विषमता की सृष्टि कर एक नये युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है।

''शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति,
युद्ध है, यथार्थ में वो भीषण अशांति है''[18]

हिंसामुक्त समाज और वास्तविक शांति की आकांक्षा एवं युद्ध और हिंसा के प्रति घृणा ही दिनकर को हिंसा का मूल खोजने को विवश करती हैं।

''समर निंद्य है धर्मराज पर कहो शांति वह क्या है ?
जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है''[19]

अतः दिनकर के अनुसार शोषण और अन्याय को बनाए रखने के साधन के रूप में छद्म शांति और निष्क्रिय अहिंसा त्याज्य है; इनके विरुद्ध संघर्ष ही वरेण्य है - जहां तक संभव हो अहिंसा से, और यदि ज़रूरत पड़े तो हिंसक साधनों से भी।

'देह की लड़ाई देह से' जीतने की मान्यता रखने वाले दिनकर युद्ध के कारणों पर शोध करते-करते 'कुरुक्षेत्र' में युद्ध की मनोभूमि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, स्वार्थ और लोभ तक पहुँच जाते हैं और उन्हें ही हिंसा का मूल सिद्ध करते हैं। 'कुरुक्षेत्र' के अंत तक आते आते तो वे साधन के रूप में भी अहिंसक उपायों के पक्षधर प्रतीत होते हैं -

''प्रेरित करो इतर प्राणी को, निज चरित्र के बल से।
भरो पुण्य की किरण प्रजा में, अपने तप निर्मल से।''[20]

दिनकर के काव्य में युद्ध और शांति, हिंसा और अहिंसा का द्वंद्व आदर्श को लेकर नहीं है; वरन् यथार्थ में उसकी व्यावहारिकता को लेकर है; यह दुविधा साध्य को लेकर नहीं साधन के रूप में अहिंसा के प्रयोग को लेकर है। युद्ध और हिंसा के प्रति दिनकर की घृणा का इससे बढ़कर प्रमाण क्या हो सकता है कि इनके काव्य में विजेता

भी सदैव युद्ध के विनाश पर विलाप करता है चाहे 'कलिंग-विजय' का अशोक हों या 'कुरुक्षेत्र' का युधिष्ठिर।

''आशा मनुजत्व की विजेता के विलाप में है''[21]

दिनकर के बारे में कहा जाता है कि वे समस्या के कवि हैं समाधान के नहीं। 'कुरुक्षेत्र' का भी सौंदर्य 'युद्ध और शांति', 'हिंसा और अहिंसा' की समस्या को पूरी शिद्दत के साथ उठाने में है। दिनकर मानते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना ही युद्ध का स्थायी समाधान हो सकता है। प्रश्न यह भी है कि क्या समाधान देना काव्य का काम है ? 'कुरुक्षेत्र' से जिस विमर्श की शुरुआत हुई है, उससे यह आशा अवश्य रखी जा सकती है कि एक न एक दिन इस समस्या का स्थायी समाधान विश्व को अवश्य प्राप्त होगा; क्योंकि -

''कुरुक्षेत्र की धूल नहीं इति पन्थ की, मानव ऊपर और चलेगा;''[22]

इस प्रकार 'कुरुक्षेत्र' युद्धकाव्य का एक नया निकष प्रस्तुत करता है। यह निकष युद्ध को समाप्त करने की संभावना खोजता है। इसी कारण 'महाभारत' के समान 'कुरुक्षेत्र' का भी अंगी रस शांत है। दिनकर की विशेषता यह है कि इनका शांत, शृंगार या करुण रस भी ओज से दीप्त हैं। युद्ध काव्य 'कुरुक्षेत्र' का अंत भी इस विश्वास के साथ होता है कि

''आशा का प्रदीप जलाए चलो धर्मराज
एक दिन होगी मुक्त भूमि रण-भीति से।''[23]

'कुरुक्षेत्र' के दिनकर की भाँति ही धर्मवीर भारती का काव्य भी अनास्था और निराशा से होकर गुज़रता है परन्तु आकांक्षा उनकी भी वही है। वे 'अंधा युग' के लिए कहते हैं -

''यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से''[24]

निष्कर्ष

दिनकर का 'कुरुक्षेत्र' और धर्मवीर भारती का 'अंधा युग' आधुनिक युग के प्रमुख युद्ध काव्य हैं। युद्ध में हुए विनाश पर युधिष्ठिर के रुदन से आरंभ 'कुरुक्षेत्र' में युद्ध और शांति, हिंसा और अहिंसा का द्वंद्व है। यहाँ हिंसा का आपद्धर्म के रूप में नकार नहीं परन्तु अहिंसा ही साध्य है। 'अंधा युग' में भी महाभारत के युद्ध के बाद के विनाश का व्यापक चित्रण है। यहाँ अश्वत्थामा की अनास्था पर अंततः कृष्ण की आस्था की विजय होती है। इस प्रकार ऊपर से देखने पर 'कुरुक्षेत्र' आशा और आस्था का और 'अंधा युग' निराशा और अनास्था का काव्य प्रतीत होता है परन्तु दोनों ही काव्यों का भीतरी स्वर आस्था का है। ये दोनों युद्ध काव्य वास्तव में युद्ध-विरोधी हैं और शांतिकामी हैं।

सन्दर्भ सूची

1. दिनकर, रामधारी सिंह, कुरुक्षेत्र, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, 2000, पृ. 5
2. दिनकर, रामधारी सिंह, सामधेनी, उदयाचल की ओर से, अनुपम प्रकाशन, पटना, 2005, पृ. 15
3. दिनकर, रामधारी सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 27
4. भारती, धर्मवीर, अंधा युग, किताब महल, इलाहाबाद, 1991, पृ. 11
5. दिनकर, रामधारी सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 2
6. उपर्युक्त, पृ. 68
7. भारती, धर्मवीर, पूर्वोक्त, पृ. 73
8. उपर्युक्त, पृ. 11
9. उपर्युक्त, पृ. 80
10. दिनकर, रामधारी सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 31
11. भारती, धर्मवीर, पूर्वोक्त, पृ. 10
12. उपर्युक्त, पृ. 32
13. उपर्युक्त, पृ. 78
14. उपर्युक्त, पृ. 85
15. उपर्युक्त, पृ. 59
16. उपर्युक्त, पृ. 100
17. दिनकर, रामधारी सिंह, परशुराम की प्रतीक्षा, लोकभारती, इलाहाबाद, 2008, पृ. 15
18. दिनकर, रामधारी सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 28
19. उपर्युक्त, पृ. 20
20. उपर्युक्त, पृ. 101
21. उपर्युक्त, पृ. 74
22. उपर्युक्त, पृ. 65
23. उपर्युक्त, पृ. 107
24. भारती, धर्मवीर, पूर्वोक्त, पृ. 10

माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का राष्ट्रवादी संप्रत्यय

डॉ. विश्राम मीना

व्याख्याता, इतिहास विभाग

राजकीय महाविद्यालय, बाँदीकुई, दौसा (राजस्थान)

शोध सारांश

गोलवलकर के राजनैतिक विचारों को लेकर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में काफी विवाद रहा है। हिन्दुत्व व हिन्दू राष्ट्र संबंधी विचारों के कारण उनको सांप्रदायिक विचारों के पोषक के रूप में दिखाया गया है। उनके अनुसार राष्ट्र की तीन शर्तें हैं - जिस देश में लोग रहते हैं, उस भूमि के प्रति उन लोगों की भावना। इतिहास में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में समान भावनाएँ और सबसे अधिक महत्व की शर्त है, समान संस्कृति की। गोलवलकर ने प्रतिपादित किया कि यह हिन्दू राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए यह पहली शर्त है कि लोग अपने देश को मातृभूमि मानकर उसका सम्मान और श्रद्धापूर्वक उसकी महिमा का गायन करें। जिस प्रकार कृत्रिम रीति से मनुष्य तैयार नहीं किया जाता वैसा राष्ट्र भी कृत्रिम रीति से बनाया नहीं जाता। परिश्रम, त्याग, बलिदान, से राष्ट्र बनता है। सामान्य हितों के आधार पर ही राष्ट्र नहीं बन जाता। वरन् यह तो एक अभौतिक भावनाओं की सजातीयता है। स्टालिन ''अभौतिक भावनाओं की सजातीयता'' कहते हैं, रेनॉ ''आध्यात्मिक अवधारणा'' कहते हैं उसे गोलवलकर मानसिक निष्ठा का एक तत्व कहते हैं। संस्कृति यानी राष्ट्र और राष्ट्रीयता का प्राण। उनकी हिन्दू राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों का एक गट्ठर मात्र नहीं है। वह तत्तवत: सांस्कृतिक है। गोलवलकर ने राष्ट्र की वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की। राज्य एक निर्जीव तंत्र या अस्तित्व है जबकि राष्ट्र एक जीवमान अस्तित्व है। जो समाज, अपने देश का मातृभूमि मानकर उसका वन्दन करता है, जिसकी इतिहास की अनुभूतियाँ समान हैं, तथा जिसके सांस्कृतिक जीवनमूल्य समान हैं, उस समाज का राष्ट्र बनता है। अपने देश के सन्दर्भ में विचार किया जाए तो यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि, ऐसे समाज का नाम हिन्दू है। अत: यह हिन्दू राष्ट्र है। हिन्दू शब्द जातिवाचक ,सम्प्रदायवाचक नहीं है। अनादि काल से यह समाज अनेक सम्प्रदायों को उत्पन्न करके एक मूल से जीवन ग्रहण कर रहता आया है। उसके द्वारा यहाँ जो समाजस्वरूप निर्माण हुआ वह हिन्दू है।

संकेताक्षर : *हिन्दू राष्ट्र, संस्कृति, मातृभूमि*

माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने सरसंघचालक (1940-1973) रहने के दौरान एक नया आयाम दिया। उन्होंने संघ को संघ परिवार में तब्दील किया। उन्होंने राष्ट्र जीवन व मातृभूमि से सरोकार रखने वाले प्रत्येक विषय चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक हो अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग सामने रखा। गोलवलकर के राजनैतिक विचारों को लेकर भारतीय राजनैतिक परिदृश्य में काफी विवाद रहा है। उन पर हिन्दुत्व व हिन्दू राष्ट्र संबंधी विचारों को लेकर काफी विवादास्पद छवि का चित्रण किया जाता रहा है। उनको सांप्रदायिक विचारों के पोषक के रूप में दिखाया गया है। साथ ही कुछ इतिहासकारों ने इनकी तुलना जर्मनी के हिटलर के रूप में की है जो कि मुसलमानों व ईसाइयों के प्रति घृणात्मक विचारों को फैलाने वाले रहे हैं। लेकिन गोलवलकर पर लगाए गए आरोपों की युक्तियुक्त समीक्षा करने के बाद ही वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है।

राष्ट्र एवं राज्य

राष्ट्र, राष्ट्रीयता, हिन्दू राष्ट्र इन अवधारणाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक (1940 से 1973) श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने जो विचार समय- समय पर व्यक्त किये, वे जितने मौलिक हैं, उतने ही कालोचित भी है। गोलवलकर राष्ट्र व राज्य की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि एक बड़ी भारी भ्रान्ति सर्वदूर विद्यमान है जिसके कारण, राज्य को ही राष्ट्र माना जाता है। 'नेशन-स्टेट' की

अवधारणा प्रचलित होने के कारण यह भ्रान्ति पैदा हुई और आज भी जारी है। स्टेट (राज्य) और नेशन (राष्ट्र) इनका सम्बन्ध बहुत गहरा और अंतरतम है, इतना कि एक के अस्तित्व के बिना दूसरे के जीवनमान अस्तित्व की कल्पना करना भी कठिन है जैसे पानी के बिना मछली। फिर भी पानी अलग होता है और मछली अलग, वैसे ही राज्य अलग है, राष्ट्र अलग है। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, जो कानून के बल पर खड़ी रहती है, उसके बल पर चलती हैं और कानून को सार्थक रखने के लिए उसके पीछे राज्य की दण्डशक्ति खड़ी रहती है। राज्य के आधारभूत हर कानून के पीछे, उसको भंग करनेवालों को दबाने वाली एक शक्ति खड़ी होती है। अर्नेस्ट बार्कर नाम के राज्यशास्त्र के ज्ञाता कहते हैं ''राज्य कानून के द्वारा और कानून में अवस्थित रहता हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य यानी कानून ही होता है।'' राज्य की आधारभूत शक्ति कानून का डर है। किन्तु राष्ट्र की आधारभूत शक्ति लोगों की भावना है। राष्ट्र लोगों की मानसिकता की निर्मिति होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्र यानी लोग होते हैं। *किन लोगों का राष्ट्र बनता है, मोटी-मोटी तीन शर्तें हैं - पहली शर्त है, जिस देश में लोग रहते हैं, उस भूमि के प्रति उन लोगों की भावना। दूसरी शर्त है, इतिहास में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में समान भावनाएँ। फिर वे भावनाएँ आनन्द की हो या दु:ख की, हर्ष की हो या अमर्ष की। और तीसरी, और सबसे अधिक महत्त्व की शर्त है, समान संस्कृति की।* गोलवलकर ने अपने अनेक भाषणों में इन्हीं तीन शर्तों का, भिन्न-भिन्न सन्दर्भ में विवेचन करके यह निस्संदिग्ध रीति से प्रतिपादित किया कि यह हिन्दू राष्ट्र है। यह भारतभूमि इस राष्ट्र का शरीर है। गोलवलकर के शब्द हैं ''यह भारत का एक अखण्ड विराट् राष्ट्रपुरूष का शरीर है। उसके हम छोटे-छोटे अवयव हैं, अवयवों के समान हम परस्पर प्रेमभाव धारण कर राष्ट्र-शरीर एकसन्धा रखेंगे।''

मातृभूमि

इनके अनुसार अपनी भूमि हमें मातृभूमि लगनी चाहिए। उसका कण-कण हमें पवित्र लगना चाहिए। हमारी मातृभूमि, कोई मिट्टी का ढेर नहीं, वह जड़ या अचेतन नहीं, ऐसी हमारी भावना चाहिये। इस प्रकार की जिनकी भावना और श्रद्धा रहेगी, उनका ही ''राष्ट्र'' बनेगा और वे ही राष्ट्रीय कहलाये जायेंगे, यह सत्य गोलवलकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। मातृभूमि के गौरव के कितने भी स्तोत्र उन्होंने गाये हैं। गोलवलकर कहते हैं ''यह है हमारी पवित्र भूमि भारत, देवताओं ने जिसकी महत्ता के गीत गाये हैं- गायन्ति देवा: किल गीतकानि धान्यास्तु ये भारतभूमिभागे। स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूय: पुरूषा: सुरत्वात्।

अर्थात् हम देवताओं में भी वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के लिए साधनभूत भरतभूमि में उत्पन्न हुए हैं। यह भूमि जिसे महायोगी अरविन्द ने विश्व की दिव्य जननी के रूप में आविष्करण कर प्रत्यक्ष दर्शन किया-जगन्माता, आदिशक्ति, महामाया, महादुर्गा और जिसने मूर्तरूप साकार होकर उसके दर्शन पूजन का हमें अवसर प्रदान किया है। यह भूमि जिसकी स्तुति हमारे दार्शनिक कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ''देवि भुवनमनमोहिनी...... नीलसिन्ञजुलञैतचरणतल'' कह कर की है। यह भूमि जिसका वन्दन, स्वतन्त्रता के उद्घोषक कवि बंकिमचंद्र ने अपने अमर गीत 'वन्दे मातरम्' में किया है, जिससे सहस्त्रों युवा हृदयों को स्फूर्त कर स्वतन्त्रता हेतु आनन्दपूर्वक फाँसी के तख्ते पर चढ़ने की प्रेरणा दी - त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी। यह भूमि जिसकी पूजा हमारे सन्त महात्माओं ने मातृभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि एवं पुण्यभूमि के रूप में की है, और यही वास्तव में देवभूमि और मोक्षभूमि है। यह भूमि, जो अनन्त काल से पावन भारत माता है, जिसका नाम मात्र हमारे हृदयों को शुद्ध, सात्विक भक्ति की लहरों से अपूर्ण कर देती है। अहो, यही तो हम सबकी माँ है- हमारी तेजस्विनी मातृभूमि।''

चाणक्य का वचन है :-''हिमवत्समुद्रान्तरम् उदीचीनं योजनसहस्त्रपरिमाणम्'' (समुद्र से उत्तर में हिमालय पर्यन्त इस देश की लम्बाई एक सहस्र योजन है) समुद्र और हिमालय ये अपनी मातृभूमि की सीमाओं के दो बिन्दु समाज मन में इतने पक्के प्रतिष्ठित हैं कि गोलवलकर के शब्दों में ''हमारी जाति के एक महानतम व्यक्ति श्री रामचन्द्र जी थे, जिन्होंने इस जाति के चरित्र एवं संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके महान् गुण यथा निराकुलता, उदारचित्तता, ज्ञान, गांभीर्य एवं अनुभूतियों की तुलना, समुद्र की अपरिमेय गहराई तथा शान्तता से और उनके अदम्य शक्ति एवं धैर्य की तुलना महान और अजेय हिमालय से की गई है- समुद्र इव गाम्भीर्ये धौर्ये च हिमवानिव। (तत्रैव) -यह उस भावना का आविष्कार है। कुछ लोग, बौद्धिक तर्क देकर कहते हैं कि यह देश एक अचेतन, फैला हुआ जड़ भूखण्ड मात्र है। उनको उत्तर देते हुये गोलवलकर कहते हैं कि बौद्धिक तर्क की भी अपनी सीमाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य शरीर भी भौतिक ही तो है। अपनी माता का शरीर भी उतना ही भौतिक है, जितना किसी अन्य स्त्री का, तब क्यों किसी व्यक्ति को अपनी माँ को अन्य स्त्रियों से भिन्न समझना चाहिए। उसके लिए भक्ति क्यों होनी चाहिए?

इस भूमि को हम माता के रूप में देखते हैं, अत: 'वन्दे मातरम्' कहने में हमें गर्व का अनुभव होता है। जो 'वन्दे मातरम्'' का

विरोध करते हैं, वे कैसे राष्ट्रीय बन सकते हैं? गोलवलकर के शब्द हैं, ''जब हम कहते हैं कि हम इस भूमि की सन्तान हैं तो हमें उसका उचित ज्ञान भी होना आवश्यक है। चाहे जिस किसी कारण से भी जो लोग केवल यहाँ रहते हैं वे इस भूमि के पुत्र पुत्रियाँ नहीं बन जाते। अपने देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें 'वन्दे मातरम्' पर आपत्ति है।'' यह आपत्ति इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि हिन्दू ही इस भूमि की संतति है। यदि मुसलमान भी कहता है वह इस भूमि की संतान है, तो यह जरूरी है वह अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा व सम्पूर्ण भावनाओं के साथ ''वन्दे मातरम्'' कहे। [6] संक्षेप में, गोलवलकरके अनुसार राष्ट्र के लिए यह पहली शर्त है कि लोग अपने देश को मातृभूमि मानकर उसका सम्मान और श्रद्धापूर्वक उसकी महिमा का गायन करें।

राष्ट्र अर्थात समाज

''यह भूमि मनुष्य के परिश्रम और पराक्रम का आधार होती है। किन्तु मनुष्य ही उसको एक आत्मतत्त्व कहिये, चैतन्य कहिये, प्रदान करता हैं। जिस पवित्र भूमि को हम 'राष्ट्र' कहकर पुकारते हैं, के लिए मनुष्य ही सब कुछ होता है। किसी भी प्रकार की भौतिक स्थिति, परिस्थिति 'राष्ट्र' की रचना में पर्याप्त नहीं होती। क्योंकि 'राष्ट्र' एक आध्यात्मिक तत्त्व होता है-किसी भूभाग से परिच्छिन्न लोकसमूह राष्ट्र नहीं बनता।[7] 'राष्ट्र क्या होता है' इस शीर्षक की अपनी पुस्तक में फ्रांसीसी विचारक अर्नेस्ट रेनॉ लिखता है '' दो बातें, जो वस्तुत: एक ही है, इस आध्यात्मिक तत्त्व को जन्म देती है। उनमें से एक वर्तमान कालीन होती है और दूसरी अतीत की। एक अतीत के अनुभवों और संस्मरणों का संग्रह होता है, तो दूसरा वर्तमान में एकत्र रहने की इच्छा होती है । हमने अतीत में यह किया और भविष्य में हम यह करेंगे-यह मान्यता जिनकी रहती है उनका राष्ट्र होता है, जिस प्रकार कृत्रिम रीति से मनुष्य तैयार नहीं किया जाता वैसा राष्ट्र भी कृत्रिम रीति से बनाया नहीं जाता। परिश्रम, त्याग, बलिदान, से राष्ट्र बनता है।''

बीसवीं सदी में रेनॉ ने जो लिखा है और गोलवलकर ने बार-बार जिसे कहा है उनके शब्दो में अन्तर है, किन्तु भाव एक ही है। गोलवलकर कहते हैं ''किसी राष्ट्र के लिए प्रथम अपरिहार्य वस्तु एक भूखण्ड है जो यथा संभव किसी प्राकृतिक सीमाओं से आबद्ध हो तथा जो एक राष्ट्र के रहने एवं वृद्धि और समृद्धि के लिए आधार रूप में काम दे। द्वितीय आवश्यकता हैं उस विशिष्ट भूप्रदेश में रहनेवाला समाज जो उसके प्रति मातृभूमि के रूप में प्रेम और पूज्य भाव विकसित करता है तथा अपने पोषण, सुरक्षा और समृद्धि के रूप में उसे ग्रहण करता हैं। संक्षेप में, यह समाज उस भूमि के पुत्ररूप में स्वयं को अनुभव करे।

''वह समाज केवल मनुष्यों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। विजातीय व्यक्तियों का किसी स्थान पर एकत्रीकरण मात्र नहीं चाहिए। उसके जीवन की एक विशिष्ट पद्धति बनी होनी चाहिए। जिसको, जीवन के आदर्श, संस्कृति, अनुभूतियाँ, भावनाओं, विश्वास एवं परम्पराओं के सम्मिलन के द्वारा एक स्वरूप दिया गया है। इस प्रकार जब समाज परम्पराओं एवं महत्त्वाकांक्षाओं से युक्त,अतीत जीवन की सुख-दु;ख की समान स्मृतियों और शत्रु-मित्र की समान अनुभूतियों वाला तथा जिनके सभी हित संग्रहित होकर एकरूप हो गये हैं,इस सुव्यवस्थित रूप में संगठित हो जाता हैं,तब इस प्रकार के लोग, उस विशिष्ट प्रदेश में निवास करते हुए राष्ट्र कहे जाते हैं। सामान्य हितों के आधार पर ही राष्ट्र नहीं बन जाता। वरन् यह तो एक अभौतिक भावनाओं की सजातीयता है।'' स्टालिन ''अभौतिक भावनाओं की सजातीयता'' कहते हैं, तो रेनॉ ''आध्यात्मिक अवधारणा'' कहते हैं। तो गोलवलकर कहते हैं- ''राष्ट्रीयता के लिए मानसिक निष्ठा एक तत्त्व है, जिसे सम्पूर्ण संसार स्वीकार करता हैं। ''आगे चलकर, राष्ट्रजीवन के एकीकरण, उत्थान एवं गौरव सम्पादन करने में समर्थ शाश्वत स्रोतों की गोलवलकर गिनती ही करते हैं। वे कहते हैं- ''सबसे पहले, जिस देश को अनादि काल से हमने अपनी पवित्र मातृभूमि माना हैं, उसके लिए ज्वलन्त भक्तिभावना का आविर्भाव। द्वितीय है, साहचर्य एवं भातृत्व भावना जिसका जन्म इस अनुभूति के साथ होता हैं कि हम इस महान् माता के पुत्र हैं। तृतीय है, राष्ट्र-जीवन की समान धारा की उत्कट चेतना जो समान संस्कृति एवं समान पैतृक दाय, समान इतिहास एवं समान परम्पराओं, समान आदर्शों एवं आकांक्षाओं में से उत्पन्न होती है। जीवन के मूल्यों की यह त्रिगुणात्मक मूर्ति एक शब्द में हिन्दू राष्ट्रीयता है जो राष्ट्रमंदिर में निर्माण के लिए आधार बनती है।''

संस्कृति

राष्ट्र यानी लोग या समाज होता है। उसकी विशेषता उस समाज की संस्कृति होती है। संस्कृति यानी उस समाज के जीवनमूल्य, संस्कृति यानी उस समाज के अच्छे और बुरे नापने के मापदण्ड। संक्षेप में संस्कृति यानी राष्ट्र और राष्ट्रीयता का प्राण। गोलवलकर कहते हैं:- ''हिन्दू राष्ट्र की हमारी कल्पना राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों का एक गट्ठर मात्र नहीं है। वह तत्त्वत: सांस्कृतिक है। हमारे प्राचीन एवं उदात्त सांस्कृतिक जीवनमूल्यों से उसके प्राणों की रचना हुई है और हमारी संस्कृति की भावना का उत्कट नवतारूण्य ही हमारे राष्ट्रीय जीवन की सही दृष्टि हमें प्रदान कर सकता है तथा आज हमारे राष्ट्र के सम्मुख खड़ी हुई अगणित समस्याओं के समाधान में हमारे सभी प्रयत्नों को सफल दिशानिर्देश भी कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में भी उसकी उपयोगिता है,

इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए गोलवलकर कहते हैं, ''हमारी सांस्कृतिक दृष्टि को ही, जो मनुष्य-मनुष्य के बीच प्रेम और सामंजस्य के लिए सच्चा आधार प्रदान करती है, और जीवन के सम्पूर्ण दर्शन को मूर्त करती है, आज के इस युद्ध से ध्वस्त हुए विश्व के सामने प्रभावी ढंग से रखने की आवश्यकता है। यदि इस महान जागतिक लक्ष्य में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्रथम अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमें विदेशी व्यवहारों तथा अस्थिर 'फैशनों' से अपनी मुक्ति कर लेनी होगी। परानुकरण से बढ़कर राष्ट्र की अन्य कोई अवमानना नहीं हो सकती है। हम स्मरण रखें कि अन्धानुकरण प्रगति नहीं है।'' गोलवलकर ने राष्ट्र की वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की। राज्य एक निर्जीव तंत्र या अस्तित्व है जबकि राष्ट्र एक जीवमान अस्तित्व है। उपरिनिर्दिष्ट विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि लोग या जो समाज, अपने देश को मातृभूमि मानकर उसका वन्दन करता है, जिसकी इतिहास की अनुभूतियाँ समान हैं, तथा जिसके सांस्कृतिक जीवनमूल्य समान हैं, उस समाज का राष्ट्र बनता हैं।

हिन्दू राष्ट्र

अपने देश के सन्दर्भ में विचार किया तो यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि, ऐसे समाज का नाम हिन्दी है। अत: यह हिन्दू राष्ट्र है। एक राष्ट्र बनने के लिए समान भाषा की आवश्यकता नहीं है। अमरीका और कनाडा की भाषा एक है, किन्तु वे अलग राष्ट्र हैं, कारण उनकी अनुभूतियाँ भिन्न हैं। स्विटजरलैंड में तीन भाषाएँ प्रचलित हैं फिर भी वह एक राष्ट्र है। भले भाषा भिन्न हो, पर आशय एक होना चाहिए। मजहब या उपासना पद्धति भी एक रूप होने की आवश्यकता नहीं। हिन्दू मन और संस्कार विविधता के नित्य पोषक रहे। समान आर्थिक हितसम्बन्धों के कारण आर्थिक गठबंधन बन सकता है। राष्ट्र नहीं बनता। अर्नेस्ट रेनॉ भी यह मत प्रतिपादित करते हैं। "Community of interests brings about commercial treaties. Nationality which is body and soul both together has its sentimental side: and a Customs Union is not a country." और आज के यूरोप का वास्तव, उसी मत की पुष्टि करता है। इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप के कई देशों ने समान सिक्का भी स्वीकृत किया है, किन्तु उसके कारण यूरोपियन यूनियन में अन्तर्भूत राष्ट्रों ने अपनी स्वतंत्र अस्मिता और अलग पहचान को समाप्त नहीं किया। उस विशिष्ट पहचान को खतरे का आभास दिखते ही फ्रान्स का राष्ट्रभाव जागृत हुआ और उसने अधिक नजदीकी का विरोध किया।

हिन्दू समाज में अनेक विविधताएँ हैं। अनेक भाषाएँ हैं जातियाँ हैं। गोलवलकर बताते हैं, अनेकता में एकता का हमारा वैशिष्ट्य हमारे सामाजिक जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में व्यक्त हुआ है। यह उस एक दिव्य दीपक के समान है, जो चारों ओर विविध रंगों के शीशों से ढका हुआ हो। उसके भीतर का प्रकाश, दर्शक के दृष्टिकोण के अनुसार भाँति-भाँति के वर्णों एवं छायाओं में प्रकट होता है। यही उस अभिव्यक्ति की विचित्र विविधता है, जिस से कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक समाज नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, यह बहुराष्ट्रीय देश है। यदि हम अपने समाजजीवन के सही मूल्यांकन को ग्रहण करें, तो उसकी वर्तमान व्याधियों का भी विश्लेषण कर सकेंगे तथा उनके उपचार के लिए उपायों की भी योजना करने में समर्थ होंगे। हिन्दू शब्द जातिवाचक नहीं है। वह सम्प्रदाय का भी वाचक नहीं है। अनादि काल से यह समाज अनेक सम्प्रदायों को उत्पन्न करके एक मूल से जीवन ग्रहण कर रहता आया है। उसके द्वारा यहाँ जो समाजस्वरूप निर्माण हुआ वह हिन्दू है। भले ही यहाँ अलग-अलग राजा हों, राज्य हों, सम्प्रदाय हों, असमानता, भिन्नता हों परन्तु सांस्कृतिक एकता है, एकसूत्र व्यावहारिक जीवन है। अमरीका में सॅम्युअल हंटिंग्डन की पुस्तक 'हम कौन हैं' (Who are we) पर विवाद चला। प्रो. हंटिग्डन का प्रतिपादन यह है कि 'ॲंग्लों प्रॉटेस्टेंट कल्चर' यही अमरीकन राष्ट्रीयता की आधारशिला है। उसको अमरीका कभी नहीं छोड़ेगा। हमें भी यह मानना चाहिए कि हिन्दू संस्कृति हमारे राष्ट्रजीवन की आधारशिला है, उसको हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसको हम छोड़ेंगे, तो हमारी अस्मिता और पहचान ही समाप्त हो जायेगी।

संदर्भ

1. गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव : विचार नवनीत; ज्ञान गंगा प्रकाशन, भारती भवन, जयपुर, संवत् 2053; पृ. 122
2. उपर्युक्त, पृ. 122
3. उपर्युक्त, पृ. 77-86
4. उपर्युक्त, पृ. 77-86
5. उपर्युक्त, पृ. 87-94
6. गोलवलकर समग्र दर्शन खण्ड 4 ; भारतीय विचार साधना, नागपुर, 2004; पृ. 126
7. रेनॉ, अर्नस्ट : वाट इज ए नेशन, मॉडर्न पॉलिटिकल थोट: पृ. 764
8. उपर्युक्त, पृ. 765
9. गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव, पूर्वोक्त, पृ. 119-132
10. उपर्युक्त, पृ. 23-32
11. ठेंगड़ी, दत्तोपंत : राष्ट्र; सुरुचि प्रकाशन, केशवकुंज, झंडेवाला, नई दिल्ली, 2004; पृ. 60
12. रेनॉ, अर्नस्ट, पूर्वोक्त पृ. 764

भारतीय संविधान के सड़सठ वर्ष : एक मूल्यांकन

चैनाराम मुंदलिया

व्याख्याता राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डीडवाना, नागौर (राजस्थान)

डॉ. ओमप्रकाश शर्मा -प्रथम

व्याख्याता, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभर लेक, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

संविधान राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित अभिलाषाओं पर केंद्रित भारत की राजनीति का सर्वोच्च परवाना है। संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है। यह अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसे किसी खास साँचें-ढाँचें मे या मॉडल में फिट नही किया जा सकता है। क्योंकि संविधान अपने आप मे अनुलोमात्मक बिन्दु संजोए है जो कि विश्व भर की जनता के अनुभवों पर आधारित तथा भारतीय जनतंत्र की आकांक्षाओं एवं आशाओं के अनुरूप है। संविधान नम्य तथा अनम्य, परिसंघीय तथा एकात्मक, संसदीय तथा अध्यक्षीय रूपों का सम्मिश्रण है। इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर नागरिकों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता क सामाजिक - आर्थिक हितो तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहें। श्रेष्ठतम भावनाओं पर आधारित भारतीय संविधान मे संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की तथा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, बधुत्व व न्याय का आश्वासन मिला। 67 वर्ष का समय व्यतीत हो गया किन्तु 'संविधान की आत्मा' के अनुरूप भारतीय जनता को वह कुछ नहीं मिला जिसकी कामना उसने की थी। बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में 100 से अधिक संशोधन किये जा चुके हैं। किंतु स्थिति मे कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, राजनीति संस्कृति विकृत हो गई है और जनता के कष्टों मे निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज व्यवस्था से जनता का विश्वास डगमगा रहा है। ऐसी वर्तमान परिस्थितियों के लिए लोग संविधान को ही जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। आखिर संविधान जैसा भी बना हो, उसे हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने, सजाने, सँवारने या नया रूप देने मे कहाँ तक समर्थ है यह सुनिश्चित करना हमारा अधिकार ही नहीं दायित्व भी है।

संकेताक्षर : *संविधान, पंथनिरपेक्षता, संविधान संशोधन, संसदीय प्रणाली, मूल ढांचा*

किसी देश का संविधान उस देश की राज्य-व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत उसके लोग शासित होते हैं, के बुनियादी ढाँचे को स्पष्ट करता है। संविधान ही शासन के प्रमुख अंगो उनकी शक्तियों, दायित्वों एवं उनके पारस्परिक संबंधो को परिभाषित करते हुए जनता के साथ उनके संबंधो को विनियमित करता है। इसे देश की आधारभूत विधि भी कहा जा सकता है, जो जनता के विश्वास एवं उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करता है।

भारत का संविधान जो भारत के लोगों द्वारा बनाया तथा स्वयं को समर्पित किया गया - निर्माण की एक लम्बी प्रक्रिया के तहत अस्तित्व में आया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त कैबिनेट मिशन की घोषणा के तहत भारत में जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा, जिसे संविधान सभा कहा जाता है के द्वारा संविधान का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निर्माण किया गया। भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकृत तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्णरूपेण लागू हुआ। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा, लिखित एवं निर्मित संविधान है। मूल रूप से स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियाँ एवं 3 परिशिष्ट थे। वर्तमान समय गणना की दृष्टि से लगभग 450 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ एवं 5 परिशिष्ट है। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है अर्थात यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में जनता से उत्पन्न हुआ है न कि किसी बाह्य सत्ता की दया से। अत: भारत एक लोकतांत्रिक प्रभुता संपन्न देश है। भारत गणराज्य भी है क्योंकि यह किसी प्रकार के वंशानुगत शासन को नहीं स्वीकारता है।

संविधान में भारतीय समाज के विश्वास एवं आकांक्षाओं के अनुरूप उन सभी तत्त्वों को समावेश है यथा स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, पंथनिरपेक्षता तथा समाजवादी राज्य। यह सभी तत्त्व समय- समय पर देश को दिशा-निर्देश देते है। इस प्रकार

संविधान आगे आने वाली कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। भारत में संसदीय शासन की प्रणाली है जो ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित परन्तु उसका पूर्णरूपेण अनुसरण नहीं करती क्योंकि ब्रिटिश संविधान अलिखित, एकात्मक शासन, वंशानुगत राजतंत्र तथा संसदीय सर्वोच्चता पर आधारित है। इसके विपरित भारतीय संविधान अधिकांशतया संघीय है, हमारा देश निर्वाचित राष्ट्रपति वाला गणराज्य है तथा संविधान लिखित एवं सर्वोच्च होने के कारण हमारी संसद को सर्वोच्चता का स्थिति प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में मध्य मार्ग को अपनाते हुए भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रभुत्त्व एवं अमरीकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय को अपनाया गया गया है। चूँकि हमारा संविधान एक लिखित दस्तावेज है तथा शासन के तीनों अंगों की शक्तियों, उनके कार्यो का उल्लेख करते हुए शासन के प्रत्येक अंग की सीमा निर्धारित करता है। इसलिए किसी भी अंग के, यहाँ तक कि संसद के भी प्रभुत्व संपन्न होने का प्रश्न ही नही उठता है। संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने मामलों में सर्वोच्च है। एक ओर संसद कतिपय प्रावधानों के अधीन रहते हुए संविधान में संशोधन कर सकती है वही उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति को लागू करना है जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार दिया गया। भारतीय जनता की गरीबी तथा अशिक्षा के बावजूद एक साथ वयस्क मताधिकारी की पद्धति को लागू करने का निर्णय अपने आप में अनूठा था क्योंकि पश्चिमी लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में भी जनता को मताधिकार एक साथ न देकर धीरे-धीरे दिया गया। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार 'इण्डिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गयी है और संविधान में संघात्मक शासन के सभी लक्षण मौजूद हैं। संविधान द्वारा शासन की शक्तियों को संघ तथा राज्यों की सरकारों में विभाजित किया गया है। दोनों ही प्रकार की सरकारें अपने- अपने मामलों में स्वतंत्र है। संशोधन की दृष्टि से संविधान के अधिकांशतया उपबंध अनम्य है। संविधान का लिखित स्वरूप एवं सर्वोच्च स्थिति तथा स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि तत्त्व संघीय शासन के अनुरूप है किंतु संविधान में कुछ ऐसे एकात्मक शासन के लक्षण विद्यमान है जैसे कि शक्ति विभाजन में केंद्र की सुदृढ़ स्थिति, अवशिष्ट शक्तियों पर संघ का अधिकार, इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में बदलाव आदि। अन्त में राष्ट्रपति को आपातकाल में प्राप्त संकटकालीन शक्तियों से तो संघीय शासन निश्चित रूप में एकात्मक शासन में बदल सकता है। इन्हीं एकात्मक लक्षणों के कारण के.सी. व्हीयर एवं डी. डी. बसु जैसे संविघान विशेषज्ञों ने भारतीय संविघान को अर्द्ध संघीय संविधान तक कह दिया। परन्तु ऐसे विशेषज्ञों के विचारों को पूर्णरूपेण स्वीकारा नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान एक ऐसे अनूठे संघीय शासन की स्थापना करता है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक शासन की स्थापना का उत्तर भारतीय संवैधानिकता के इतिहास में खोजा जा सकता है, विविधता से युक्त राष्ट्र में राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघ शब्दावली के स्थान पर राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

भारतीय संविधान के भाग 3 में (अनुच्छेद 12 से 35) नागरिको को मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किये गये। ये अधिकार राज्य के विरूद्ध व्यक्ति के ऐसे अधिकार है जिनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। 44 वें संविधान संशोधन (1978) में जनता सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची के हटाये जाने पर वर्तमान में नागरिकों को 6 प्रकार के यथा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अन्त में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। संविधान में न केवल अधिकारों का उल्लेख किया गया है अपितु इनके प्रवर्तन का तंत्र तथा कार्यविधि भी निर्धारित की गई है। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के विपरीत, अधिकारों को निरपेक्ष न मानते हुए इन्हें सीमित किया गया तथा इन पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाकर, व्यक्ति के अधिकारों व राज्य की सुरक्षा जरूरतों के मध्य संतुलन कायम करने का प्रयास किया गया है। संविधान के भाग 4 में (अनुच्छेद 36 से 51) राज्य नीति के कुछ नीति निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। ये सिद्धान्त यद्यपि वाद योग्य नहीं है फिर भी न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों की व्याख्या करते समय यदा कदा मौलिक अधिकारों सहित मार्गदर्शन लेते रहते हैं। भारतीय संविधान राज्य एवं आने वाली सरकारों को आदेश देता है कि शासन में इन सिद्धांतों का आदर करते हुए नियमों को बनाते समय इनका पालन करें। संविधान निर्माताओं ने इन सिद्धान्तों को राज्य के समक्ष एक आदर्श के रूप रखा ताकि आम जन का

नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके। इस प्रकार नीति निदेशक तत्त्व राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र तथा देश में स्वस्थ एवं वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में साहसिक कदम है। इन सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थिति को प्राप्त करना था। परन्तु खेद की बात है कि संविधान लागू किये जाने से लेकर आज (31 दिसम्बर, 2016) तक जो भी दल सता में रहे इस स्थिति को प्राप्त करने का हमेशा संकल्प दोहराया, पर इस दिशा में जैसा ठोस कार्य अपेक्षित था, वैसा किया नहीं गया। आवश्यकता नारेबाजी के आश्रय के स्थान पर राजनीतिक दलों द्वारा सच्चे मन से इस लक्ष्य को तुरंत प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 'मूल कर्तव्य' शीर्षक के अन्तर्गत संविधान में नया भाग 4 (अ) जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 मे सभी नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की एक संहिता निर्धारित की गई थी। 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 11 वाँ मूल कर्त्तव्य (माता पिता या संरक्षक का दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष तक कि उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें) जोड़ा गया। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्त्तव्यों का पालन किये बिना अधिकारों का उपभोग सम्भव नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि भारतीय नागरिक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित है तथा उनमें दायित्व बोध हमेशा जगा रहेगा। परन्तु 70 के दशक में देश में उभरते आन्दोलनों से नागरिकों में दायित्व बोध की कमी महसूस होने लगी। अत: संविधान में संशोधन करते हुए मूल कर्त्तव्यों की संहिता को जोड़ा गया। परन्तु बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने आज भी नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों की संहिता को वह महत्त्व नहीं दिया है जो इसे मिलना चाहिए था।

भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी संविधान की तरह हमारे देश में पृथक संघीय तथा राज्य न्याय प्रणालियाँ न होकर सम्पूर्ण न्यायपालिका न्यायालयों का श्रेणीबद्ध संगठन है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के अंग है और इनका अधिकार क्षेत्र सभी विधियों पर होता है। न्यायपालिका द्वारा ही नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का अभिरक्षण, संविधान का संरक्षण एवं निर्वचन तथा संविधान के संदर्भ में किसी कानून की वैधता के निर्धारण हेतु उसका पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार भारत मे स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गयी है और पिछले 67 वर्ष में न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता का अनेक बार परिचय भी दे चुकी है।

देश मे बदलती परिस्थितियों एवं जन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समय- समय पर संविधान मे आवश्यक बदलाव करने पड़ते हैं इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की दृष्टि से हमारे देश के संविधान को अनम्य तथा नम्य का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। क्योंकि संविधान के कतिपय उपबंधो यथा अनुच्छेद 2, 3, 4 और 169 का संशोधन साधारण विधान की तरह संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अन्य उपबन्धों में बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान मे भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई विशेष बहुमत से ओर कुल सदस्यों के बहुमत से किया जा सकता है। केवल कुछ ही उपबन्धों के मामलों मे बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है। पिछले 67 वर्षो के दौरान संविधान मे 100 से अधिक संशोधन किए गए हैं। इसलिए यह तथ्य इस आरोप को झुठला देता है कि हमारा संविधान अनम्य संविधान है।

भारतीय संविधान राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित अभिलाषाओं पर केंद्रित भारत की राजनीति का सर्वोच्च परवाना है। संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है। यह अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसे किसी खास साँचें-ढाँचें मे या मॉडल में फिट नही किया जा सकता है। क्योंकि संविधान अपने आप मे अनुलोमात्मक बिन्दु संजोए है जो कि विश्व भर की जनता के अनुभवों पर आधारित तथा भारतीय जनतंत्र की आकांक्षाओं एवं आशाओं के अनुरूप है। संविधान नम्य तथा अनम्य, परिसंघीय तथा एकात्मक, संसदीय तथा अध्यक्षीय रूपों का समिश्रण है। इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर नागरिकों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता क सामाजिक - आर्थिक हितो तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहें। इसके अलावा यह संसदीय प्रभुत्व एव न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धातों के बीच एक मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है।

श्रेष्ठतम भावनाओं पर आधारित भारतीय संविधान मे संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की तथा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, बधुत्व व न्याय का आश्वासन मिला। 67 वर्ष का समय व्यतीत हो गया किन्तु 'संविधान की आत्मा' के अनुरूप भारतीय जनता को वह कुछ नहीं मिला जिसकी कामना उसने की थी। वर्तमान अधिक उत्साहवर्धन नहीं कहा जा सकता है। विशेषकर जब हम देखते है कि सभी क्षेत्रों मे तथा सभी व्यवसायों मे मूल्यों का ह्रास हुआ है। साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, अन्तर्जातीय हिंसा भड़की है, भाषायी, जातीय तथा प्रादेशिक आंदोलन हुए हैं,

आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी है, चुनावों मे धनबल व भुजबल का बोलाबाला है। राजनीति मे अपराधीकरण तथा जनप्रतिनिधि सदन मे अशुभ घटनाएँ घट रही हैं और यत्र तत्र जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद जैसी विघटनकारी तथा फूट डालने वाली वृत्तियाँ अपना घिनौना सिर उठा रही है। स्वार्थ आधारित राजनीति व सत्ता लोलुपता के भँवर मे देश फँस गया है। राजनीति संस्कृति विकृत हो गई है और जनता के कष्टों मे निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज व्यवस्था से जनता का विश्वास डगमगा रहा है।

ऐसी वर्तमान परिस्थितियों के लिए लोग संविधान को ही जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। क्योंकि इसी संविधान की पवित्रता की छत्रछाया मे वर्तमान स्थिति ने जन्म लिया है। लोग संविधान को नये सिरे से लिखने कि बात भी करने लगे हैं। कुछ विचारकों की राय में हमारा संविधान पहले से ही भारतीय संस्कृति, अस्मिता व आत्मा के अनुरूप नहीं था और विगत 67 वर्षो ने इस आशंका की पुष्टि कर दी है कि संविधान हमारे समाज की मूल आवश्यकताओं, मान्यताओं तथा धारणा के सर्वथा विपरीत नहीं तो अनुकूल भी नही है। इसमे आमूलचूल बदलाव होना चाहिए। इस संदर्भ मे विद्वानों, विधिवेत्ताओं, जनसेवकों तथा अन्य लोगों से संविधान की पुनरीक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के ठोस सुझाव दिए भी गए हैं। परन्तु न तो वे एक दूसरे से मेल खाते हैं और न सभी स्वीकार्य हो सकते हैं। पर वे संवैधानिक मामलों के बारे मे हमे चिंतन-मनन के लिए विवश अवश्य करते हैं। क्योंकि आखिर संविधान जैसा भी बना हो, उसे हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने, सजाने, सँवारने या नया रूप देने मे कहाँ तक समर्थ है यह सुनिश्चित करना हमारा अधिकार ही नहीं दायित्व भी है।

आज स्थिति यह है कि संविधान मे 100 ये अधिक संशोधन हो चुके हैं और यही कहा जा सकता है कि संविधान संशोधन संसदीय प्रणाली की एक सामान्य प्रक्रिया है, हमारा संविधान ऐसे सैकड़ों देशहित मे संशोधन अपने मे समा सकता है और आने वाली कई सदियों तक बना रह सकता है तो उसे बदलने की आवश्यकता नही है तो आवश्यकता केवल उचित नेत्तृव की हैं जो देश को सही दिशा दे सके और जन आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके।

संक्षेप मे कहा जा सकता है कि जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए अनेक देशों के संविधान लुप्त हो गए वहाँ हमारे संविधान ने अनेक संकटो का सफलतापूर्वक सामना किया है और वह जीवित रहा है यह बात स्वयंमेव इसकी सुनम्यता, सक्रियता और संवृद्धि की संभाव्यता का प्रमाण है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आस्टिन, ग्रेनविले, दि इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन, ओयूपी, दिल्ली, 1999, पृ. 72
2. पाण्डेय, जे.एन, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेन्सी, दिल्ली, 2015, पृ. 118
3. बसु, डी.डी, दि कॉन्स्टीट्यूशन ऑव इण्डिया, वाधवा एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 2002, पृ. 80
4. काश्यप, सुभाष, आवर कॉन्स्टीट्यूशन, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, दिल्ली, 2014, पृ. 98
5. पायली, एम.वी, हमारा संविधान, शासन एवं राजनीति,लॉ पब्लिशर्स कं, दिल्ली, 2002, पृ. 218
6. लक्ष्मीकांत, एम, भारत की राजव्यवस्था, टाटा मेग्राहिल एज्यूकेशन, दिल्ली, 2013, पृ. 102
7. नागर, अजयपाल, भारतीय राजव्यवस्था, नेहा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 68
8. पांडेय, आशुतोष, भारतीय संविधान एक समग्र विवेचन, राधा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2010, पृ. 55
9. रावत, राजेश, भारतीय लोकतंत्र, आविष्कार पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2013, पृ. 105
10. चन्द्रा, विपिन, आधुनिक भारत का इतिहास, टाटा मेग्राहिल एज्यूकेशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 201
11. मल्होत्रा, ए.पी, भारतीय शासन और राजनीति,रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013, पृ. 67

शेखावाटी के भित्ति चित्रों में रंग संयोजन

डॉ. चार्वी महला

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

राजस्थान अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

शेखावत राजपूतों द्वारा शासित शेखावाटी भू-भाग सीकर झूंझूनूं तक सीमित है। शेखावाटी क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास के साथ सांस्कृतिक महत्व भी है। यह क्षेत्र वर्तमान में अपने भित्तीचित्रों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। शेखावाटी में भित्तिचित्रण की परंपरा बहुत पुरानी है। यहां के भित्तिचित्रों की अपनी विशेषता है। यहां की दीवारों पर कलाकारों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र चित्रित किए गये। इन चित्रों में रंग संयोजन का भी ध्यान रखा गया है। अत: शेखावाटी के भित्तिचित्रों में अभिव्यक्त रंग संयोजन को दर्शाना ही इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है। चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं चित्र में अंकित सभी वस्तुएं विषय से संबंधित रहती हैं और उनका अनिवार्य महत्व होता है। संयोजन दो अथवा दो से अधिक तत्वों की मधुर एवं अर्थपूर्ण योजना को कहते हैं। चित्र सृजन में संयोजन के बिना संपूर्ण कलाकृति निरर्थक तथा प्राणविहीन शरीर की भांति रह जाती है। चित्र संयोजन के लिए निम्न सिद्धांतों का पालन आवश्यक है- सहयोग, सामांजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण। शेखावाटी के भित्तिचित्रों में इन रंग संयोजन के सभी सिद्धान्तों का पालन खेतड़ी दुर्ग के बादल महल, चिड़ावा में दुलीचंद जी की हवेली, नवल गढ में गंगा माई के मन्दिर तथा जीवराज की हवेली, उदयपुर वाटी के संत जोगीदास शाह की छतरी, परसराम पुरा में स्थित शार्दुल सिंह की छतरी आदि के भित्तिचित्रों में दृष्टिगोचर होता है।

संकेताक्षर : *रंग संयोजन, समग्रता, हवेली, मन्दिर, छतरी*

चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं। चित्र में अंकित सभी वस्तुएं विषय से संबंधित रहती हैं और उनका अनिवार्य महत्व होता हैं।[1] संयोजन दो अथवा अधिक तत्वों की मधुर एवं अर्थपूर्ण योजना को कहते हैं। चित्र सृजन में संयोजन के बिना सम्पूर्ण कलाकृति निरर्थक तथा प्राणविहीन शरीर की भाँति रह जाती हैं। चित्र संयोजन में चित्र के मूल तत्व रेखा, रंग तथा आकृति आदि को सुनियोजित करके कलाकार सशक्त अभिव्यक्ति व सृजन कर सकता हैं। चित्रकला के विभिन्न तत्वों का व्यावहारिक ज्ञान होते हुए भी इनका चित्र में उचित सुनियोजन एक विशिष्ट कार्य तथा ज्ञान का विषय हैं। भारतीय शिल्प शास्त्रों में भी चित्रकला के विधि तत्वों के उचित आयोजन पर बल दिया गया हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र के अनुसार चित्र में स्थान, मसन, आधा, कोमलता, विभक्तता (अंगों का परस्पर सटा न होना), समानता, क्षय और वृद्धि (आवश्यकतानुसार घटाना और बढाना) ये आठों चित्र के गुण कहे गये हैं।[2] चित्र सूत्र की इस उक्ति में निहित भाव का उद्देश्य शब्दों में रचित चित्र संयोजन ही हैं। कलाविद् हर्बर्ट रीड के मतानुसार रेखा, रंग, आकार तथा छाया प्रकाश जो स्थान घेरते हैं वह आधारभूत रूप चित्र का स्थान (अंतरा) विभाज्य ही होता हैं।[3] पाश्चात्य विद्वान हरिक न्यूटन ने भी चित्र को कैनवास की सतह पर केवल रंग तथा आकृति का ही आयोजन कहा हैं।[4] आकृति के स्थायित्व तथा निर्माण में रेखा, रंग, वर्तना, क्षय-वृद्धि आदि अन्य तत्वों का संयोग निहित रहता हैं। इस दृष्टि से सम्पूर्ण चित्र के दो मुख्य भाग हो जाते हैं पहला चित्र का अंतराल (स्थान) तथा दूसरा दृश्यगत आकार।

चित्र के अंतर्गत विधि तत्वों का समायोजन इस प्रकार होना चाहिये कि वह दर्शक की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। चित्र के प्रत्येक अंग एक रूप से दूसरे रूप तक एक रंग से दूसरे रंग तक तथा रेखाओं के प्रवाह से स्वयं ही मुख्य केंद्र तक पहुँच जाते हैं। इस उद्देश्य से चित्रकार विधि तत्वों के सहयोग से संयोजन से दृष्टिपथ का निर्माण करता हैं जो कलाकार की अपनी योग्यता व

क्षमता के आधार पर विधि रूप में रूपायित होते हैं। चित्र संयोजन के लिये निम्न सिद्धांतों का पालन आवश्यक है-[5]

सहयोग - संयोजन में सहयोग का अर्थ हैं कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध हो जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में पिराये तथा चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाये।[6]

सामंजस्य - जहाँ तक संयोजन में एक अच्छे सामंजस्य की बात हैं, चित्रस्थ आकृति समूह के सभी अंगों को एक शक्तिशाली सादृश्य से बांधे हो तो वह सामंजस्य चयन का उदाहरण कहा जा सकता हैं।[7]

संतुलन - संतुलन का अर्थ चित्र में मुख्य छोटा विश्राम अथवा शांति हैं जिसकी प्राप्ति के लिये आकृतियों, वर्ण तथा तान को इस प्रकार स्थित किया जाता हैं कि समस्त चित्रभूमि पर आकर्षण का उचित वितरण हो सके। संतुलन का तात्पर्य दृष्टिगत भार संबंधित हैं, जिसकी मापक केवल दृष्टि ही होती हैं। मानव की दृष्टि प्रकृति के उन सभी सिद्धांतों से नियंत्रित हैं जो संतुलन अथवा आकर्षण बनाये रखते हैं। सभी भौतिक तत्वों का नियोजन हमारी अनुभूति के संतुलन तथा आकर्षण को प्रभावित करता हैं। दृष्टि अनुभव के मूलाधार से प्रेरित होकर हर्बर्ट रीड ने संयोजन में संतुलन तथा विश्रान्ति की आवश्यकता पर बल दिया हैं। इनके अभाव में दृष्टि बाधा अनुभव होती हैं।[8]

प्रभाविता -एक अच्छे चित्र के लिये प्रभाविता का सिद्धांत भी अत्यंत आवश्यक हैं। दर्शक की दृष्टि को आकर्षित करने वाले तत्व के प्रभाव में चित्र निर्बल रह जाता हैं, चाहे उसमें संतुलन, प्रमाण आदि कितनी ही पूर्णता क्यों न हो। प्रभाविता दर्शकों को रंजक तत्व प्रदान करती हैं।[9] प्रभाविता का उद्देश्य हैं एकरसता समाप्त करना। दूसरे, चित्रित वस्तु आकृति के रूप को सहजता प्रदान करना तथा मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने वाले तत्वों को प्रभाविता प्रदान कर चित्र में सहयोग का प्रभाव उत्पन्न करना।

प्रवाह - प्रवाह का अर्थ चित्र भूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र, अबाध एवं मधुर विचरण अथवा गति होता हैं। प्रवाहयुक्त चित्र में दृष्टि को उलझन अथवा कष्टदायक विरोधाभास का सामना नहीं करना पडता। यह प्रवाह रेखा, रूप, वर्ण तथा तान सभी मिलकर उत्पन्न करते हैं।[10]

प्रमाण - यह सम्बद्धता के सिद्धांत 'लॉ ऑफ रिलेशनशिप' का पर्यायवाची हैं। यह आकृतियों का अपना प्रमाण 'लम्बाई, चौडाई का सम्बन्ध' तथा चित्रस्थ सभी आकृतियों का एक-दूसरे से संबंध और सभी आकृतियों तान, वर्ण इत्यादि का चित्रभूमि में संबंध निश्चित करता हैं।[11]

शेखावाटी के भित्ति चित्रों में रंग संयोजन

शेखावाटी के भित्ति चित्रों में रंग संयोजन के सिद्धांतों का पालन किया गया हैं। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति-चित्रों में संयोजन के उपरोक्त सिद्धांतों का पालन, खेतड़ी दुर्ग के राजप्रासाद के भित्ति-चित्रों, चिड़ावा में दुलीचंद जी हवेली के भित्ति-चित्रों तथा नवलगढ में श्री गंगामाई के मंदिर के भित्ति-चित्रों तथा जीवराज की हवेली के भित्ति-चित्रों में दृष्टिगोचर होता हैं। चिडावा में दुलीचंद जी की हवेली के एक भित्ति-चित्र में श्री राम की सवारी का चित्र दिखाया गया हैं। जिसमें साथ अन्य घुड़सवार भी चलते हुये दर्शाये गये हैं। चित्र में अंतराल का असल विभाजन किया गया हैं। चित्र का मुख्य आकर्षण केंद्र श्रीराम हैं, जिनको यांत्रिक केंद्र से हटाकर स्थित किया गया हैं, जो आकर्षण वृद्धि के सिद्धांत के अनुरूप हैं। यहाँ पर स्वत: ही प्राबल्यता भी मिल गयी हैं, चूंकि अन्य घुड़सवार इनके चारों ओर इन्हीं से सम्बद्ध होकर चल रहे हैं जिनकी स्थापना एक अण्डाकार दृष्टिपथ का निर्धारण भी करता हैं तथा जिसके सहारे दृष्टि स्वत: ही चलकर मुख्य आकर्षण केंद्र पर स्थित हो जाती हैं। इस प्रकार चित्र में प्राबल्यता, लय, संतुलन, सहयोग तथा सामंजस्य आदि की निष्पत्ति दर्शनीय हैं। चित्र में रंग योजना, रेखाओं का प्रवाह तथा आकृति विधान आदि मूल तत्वों का संयोजन भी अनूठा हैं।[12]

नवलगढ के दशावतार विषयक भित्ति-चित्र में अंतराल विभाजन भी असल विभाजन ही हैं, जहाँ पर सम्पूर्ण चित्र की घटना विशेष को पृथक-2 धरातलों में विभक्त करके संयोजित किया गया हैं। यद्यपि प्रत्येक विभाजित तल में अलग-2 घटनाक्रम को रूपायित किया गया हैं। किंतु सम्पूर्ण चित्र अपनी इन इकाइयों में अभिन्न रूप से सम्बद्ध हैं जो एक अच्छे सहयोग, सामंजस्य तथा संतुलन का प्रतीक चित्र हैं। चित्र की प्रत्येक इकाई से इसी प्रकार के संयोजन सिद्धांत का प्रतिपादन दृष्टव्य हैं। यद्यपि इन सब में अंतराल का सम विभाजन किया गया हैं जो अन्य आकर्षण तत्वों के आधार पर प्राबल्यता तथा संतुलन को बनाये हुए हैं, नवलगढ के दशावतार गंगाबाई का मंदिर में वास्तु शिल्प, पशु-पक्षी, प्रकृति तथा रूप सज्जा के विभिन्न तत्वों का अपूर्व नियोजन कलाकार की सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन प्रवृत्ति का द्योतक हैं। रूपहले रंग नियोजन, तान तथा पोत का भी समावेश उल्लेखनीय हैं। इस चित्र के संयोजन सिद्धांतों एवं कला के सभी मूल तत्वों का अपूर्व प्रतिष्ठापन देखते ही बनता हैं। इस मंदिर के ही एक अन्य भित्ति-चित्र में श्रीराम रामायण के दृश्य भी संयोजन की दृष्टि से उल्लेखनीय रचना हैं। चित्र में आकर्षण का केंद्र श्रीराम को एक विशाल तीन सूँड वाले

सफेद हाथी जिस पर एक ऊँचा तथा अलंकृत ओहदा हैं, में आसीन किया गया हैं। शेष सभी हाथी व घोड़े पर सवार सैनिक मुख्य विषय को प्राबल्यता प्रदान करने के लिये छोटे तथा कम आकर्षण वाले बनाये गये हैं। चित्र में अत्यंत भीड़-भाड़ मुख्य पात्रोन्मुख हैं। आकृति संयोजन में निरंतरता, समरूपता तथा अति आच्छादित व्यवस्था होते हुए भी एक कृत्रिम लयात्मकता का बोध होता हैं। संतुलन के लिये वास्तु शिल्प 'महक' आदि के चित्रित रूप को प्रयुक्त किया गया हैं। इस प्रकार चित्र एक संगठनात्मक तथा सामंजस्यात्मक प्रवृत्ति का सटीक उदाहरण हैं।

अश्वमेघ का धोड़ा तथा श्रीराम की चतुरंगिणी सेना का भी सजीव दृष्टिकोण चित्र प्रतीत होता हैं। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण नवलगढ में जीवराज की हवेली का भित्ति-चित्र राजा की सवारी भी उल्लेखनीय हैं।

खेतड़ी के राजमहल का गोवर्द्धन का चित्र भी अनूठे चित्र संयोजना का एक उदाहरण हैं। अंतराल विभाजन समसंतुलन के आधार पर हुआ हैं। रंगों तथा आकृति विधान की अनूठी व्यवस्था व मुद्रा के कारण मुख्य पात्र भी कृष्ण को शेष सभी गौणाकृतियों से पृथक दर्शाया गया हैं। उनके दोनों ओर की आकृतियाँ उनसे मुखातिब व सम्बद्ध हैं जो तीव्र गति से आकर्षण केंद्र पर प्रेषित करती है। श्री कृष्ण की अंगुली पर वृहदाकार, त्रिकोणाकार गोवर्द्धन पर्वत दिखाया गया हैं तथा उसके ऊपर काले बादल चित्र के वर्णाकरण में संतुलन स्थापित किये हुए हैं। चित्र में दृष्टि अबोध गति से दृष्टिपात के आधार पर धूती हैं। रंगों, रेखाओं तथा आकृतियों के विधान में संगठनात्मकता, सामंजस्य तथा लयात्मकता हैं। चित्र-सयोंजन की दृष्टि से एक उल्लेखनीय भित्ति-चित्र रचना हैं।

फतेहपुर शेखावाटी का संयोग के क्षणों का एक भव्य चित्र 'संयोग के क्षण' को तीन खण्डों में विभक्त करके बनाया गया हैं। प्रथम खण्ड में नायिका को एकाकी रूप में चित्र में मध्य भाग में स्थित किया गया हैं, जिसमें सीमेट्रीकल फर्मा का प्रभाव अभिहित हैं। रंगों में विरोधभास हैं। नीली पृष्ठभूमि पर नारंगी घाघरे का आकर्ष्ण नेत्रों को विश्रांति देता हैं। हल्के नीले रंग से गहरी पृष्ठभूमि पर वस्तु संकेत तथा हल्के पीले तथा श्वेत रंग से शारीरिक स्वरूप एवं आभूषणों को अंकित किया गया हैं। इस प्रकार रंगों के द्वारा संतुलन एवं संयोजन उत्पन्न किया गया हैं। चित्र के दूसरे भाग (मध्य) में नायक-नायिका को ठीक मध्य में स्थित किया गया हैं। दोनों एक-दूसरे से आलिंगनबद्ध हैं। इस भाग में पृष्ठभूमि में नारंगी रंग तथा स्त्री की चुनरी एवं पुरूषाकृति की पोशाक में हल्के नीले व गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया हैं। तृतीय भाग में पुन: पृष्ठभूमि में गहरा लाल रंग तथा नायक-नायिका दोनों के परिधानों में नारंगी रंग का प्रयोग वर्ण संतुलन का श्रेष्ठ उदाहरण हैं। रंग की विरोधी रंगतें तथा पुनरावृत्ति संतुलन, सामंजस्य तथा लयात्मक प्रभावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण चित्र जो तीन विभिन्न तलों में बंटा हुआ हैं किंतु एक ही घटनाक्रम के तीन पक्षों पर प्रकाश डालता हैं, में एकसूत्रता, संगठन, प्रवाह, प्राबल्यता तथा संतुलन सिद्धांतों का प्रतिष्ठापन सूक्ष्मता के साथ किया गया हैं।

ORANGJEB LOOKING FIGHT BETWEEN ELEPHENTS
(औरंगजेब हाथियों की लड़ाई देखते हुए)
Udapurwati (Raj.) (A.D.1703)

SUFI SANT AND DURGA
Udapurwati (Raj.) (A.D.1703)

SUFI SANT AND DURGA
Udapurwati (Raj.) (A.D.1703)

Karishn and Gopian Dancing (कृष्ण व गोपियाँ नृत्य मुद्राओं में)
Udapurwati (Raj.) (A.D. 1703)

इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता हैं कि शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति-चित्रों में संयोजन सिद्धांतों का प्रतिपादन सुनिश्चित ढंग से हुआ हैं। श्रेष्ठ संयोजन के उल्लेखनीय चित्र खेतड़ी दुर्ग के राजप्रासाद के भित्ति-चित्रों में, चिडावा में, श्री दुलीचंद जी की हेवली में, फतेहपुर शेखावाटी के किशोरी लाल जालान की हवेली के भित्ति-चित्रों में संयोजन सिद्धांतों का जो प्रतिपादन हुआ हैं, वह सिद्धांत पालन के लिये नहीं वरन् स्वत: ही कलाकारों की अपनी व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता सौन्दर्यानुभूमि तथा अभिरूचियों का प्रतिफल हैं। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति-चित्रों में प्राय: सम संतुलन के आधार पर आकारों व रंगों को संयाजित किया गया हैं। साधारणतया सरल संयोजन यहाँ के भित्ति-चित्रों की विशेषता हैं। दर्शक चित्रों में सहज रूप में अपने अभीष्ठ उद्देश्य 'विषय के अर्थसार को' समझने में सहज ही समर्थ, हो यही उद्देश्य चित्रकारों का रहा हैं।[13]

संदर्भ सूची

1. प्रताप, रीता, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, पृ. 244
2. श्लोक, विष्णु, धर्मोत्तर पुराण चित्र सूचल, श्री तारिण स झा ''अनुवाद'' सम्मेलन पत्रिका, पृ. 472
3. रीड, हर्बर्ट, द मीनिंग ऑफ आर्ट, आस्ट्रेलिया, 1963, पृ. 37
4. न्यूटन, हरिक, दी मीनिंग ऑफ ब्यूटी, आस्ट्रेलिया, 1962, पृ. 188
5. श्रीवास्तव, प्रदीप, शेखावाटी के भित्ति चित्रों का सांस्कृतिक कलात्मक इतिहास (1750 ए.डी.-1950 ए.डी.) पृ. 91
6. महला, डॉ.चार्वी, शेखावाटी के भित्तीचित्रों पर मुगल एवं ब्रिटिश प्रभाव, नवजीवन पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 64-66
7. महला, डॉ.चार्वी, शेखावाटी के मुगल प्रभावयुक्त भित्ति चित्रों में सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति, शोध प्रतिवेदन, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, पृ. 98-99
8. रीड, हर्बर्ट, पूर्वोक्त, पृ. 47
9. महला, डॉ.चार्वी, पूर्वोक्त, पृ. 66
10. उपर्युक्त, पृ.67-69
11. महला, डॉ.चार्वी, पूर्वोक्त, पृ. 100-101
12. श्रीवास्तव, प्रदीप, पूर्वोक्त, पृ. 92
13. उपर्युक्त, पृ. 93

भूमण्डलीय ऊष्मीकरण : प्रभाव एवं निदान

अनिल कुमार

व्याख्याता, भौतिक शास्त्र विभाग

राजकीय बाँगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डीडवाना (राजस्थान)

शोध सारांश

भूमण्डलीय ऊष्मीकरण आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी हैं। इससे न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाला हर प्राणी परेशान हैं। इससे निपटने के लिए दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कारगर समाधान दिखाई नहीं पड़ रहा हैं। प्राकृतिक तौर पर सूर्य से आने वाली किरणें वायुमण्डल की विभिन्न परतों को पार कर पृथ्वी पर पहुंचती है तथा धरती से टकराकर पुन: परावर्तित होती है। चुंकी वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसे एक प्राकृतिक आवरण बनाती है यह प्राकृतिक आवरण परावर्तित किरणों के एक भाग को रोक लेता है जिससे धरती का वातावरण गर्म बना रहता है। ग्रीन हाउस गैसों मे वृद्धि होने के कारण यह आवरण मोटा हो जाता है तथा धरती से परावर्तित किरणों के अधिक भाग को रोकने लगता है जिससे पृथ्वी के तापमान मे वृद्धि होने लगती है तथा यहीं से भूमण्डलीय ऊष्मीकरण की समस्या उत्पन्न होने लगती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिदंगी में इंसान यह भूल गया है कि इस समस्या को यदि समय पर नही रोका गया तो आने वाले समय में यह कितनी भयावह व जानलेवा हो सकती है साथ ही यह ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है कि अन्य प्रकार की प्राकृतिक या कृत्रिम आपदाओं की क्षतिपूर्ति आने वाले समय में की जा सकती है परन्तु भूमण्डलीय ऊष्मीकरण से लगातार होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति इंसान अपने जीवनकाल में कभी नही कर सकता अर्थात् इससे होने वाला नुकसान अपूर्णीय क्षति है। इस पर्चे का उद्धेश्य भूमण्डलीय ऊष्मीकरण से उभरी ऐसी समस्या पर चर्चा करना हैं। भूमण्डलीय ऊष्मीकरण के प्रभाव व निदान पर चर्चा केन्द्रित रहेगी।

संकेताक्षर : *भूमण्डलीय ऊष्मीकरण, ग्रीन हाउस, जलवायु परिवर्तन, क्योटो प्रोटोकोल*

पृथ्वी के औसत तापमान मे वृद्धि होना ही भूमण्डलीय ऊष्मीकरण है। भूमण्डलीय ऊष्मीकरण का मुख्य कारण मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों की सान्द्रता का बढ़ना है, इसके अन्य कारणों में गाड़ियों का धुआँ, एयर कंडीसनर, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, पेड़-पोधौं का खत्म होना है। यह कहने मे कोई शंका नही है की यह समस्या आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिये संपूर्ण विश्व मे हर संभव प्रयास हो रहे हैं परन्तु अभी तक कोई कारगर समाधान प्राप्त नही हुआ है। प्राकृतिक तौर पर सूर्य से आने वाली किरणें वायुमण्डल की विभिन्न परतों को पार कर पृथ्वी पर पहुंचती है तथा धरती से टकराकर पुन: परावर्तित होती है। चुंकी वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसे एक प्राकृतिक आवरण बनाती है यह प्राकृतिक आवरण परावर्तित किरणों के एक भाग को रोक लेता है जिससे धरती का वातावरण गर्म बना रहता है। ग्रीन हाउस गैसों मे वृद्धि होने के कारण यह आवरण मोटा हो जाता है तथा धरती से परावर्तित किरणों के अधिक भाग को रोकने लगता है जिससे पृथ्वी के तापमान मे वृद्धि होने लगती है तथा यहीं से भूमण्डलीय ऊष्मीकरण की समस्या उत्पन्न होने लगती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिदंगी में इंसान यह भूल गया है कि इस समस्या को यदि समय पर नही रोका गया तो आने वाले समय में यह कितनी भयावह व जानलेवा हो सकती है साथ ही यह ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है कि अन्य प्रकार की प्राकृतिक या कृत्रिम आपदाओं की क्षतिपूर्ति आने वाले समय में की जा सकती है परन्तु भूमण्डलीय ऊष्मीकरण से लगातार होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति इंसान अपने जीवनकाल में कभी नही कर सकता अर्थात् इससे होने वाला नुकसान अपूर्णीय क्षति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित समिति आईपीसीसी के अनुसार विश्व के अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि मानवीय गतिविधिया ही भूमण्डलीय ऊष्मीकरण के लिए जिम्मेदार है।

ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संध की देख-रेख में तैयार किया गया क्योटो प्रोटोकोल मनुष्य द्वारा पर्यावरण हित मे लिया गया बड़ा कदम है। इसके द्वारा ग्रीन हाउस गेसौं के उत्सर्जन पर रोक लगाई जा सकेगी। क्योटो प्रोटोकोल के अनुसार विकसित देशो को सन् 2008 तक गैस उत्सर्जन स्तर 1990 की स्थिति से कम से कम पांच प्रतिशत नीचे लाना था यदि कोई राष्ट्र ऐसा नही कर पाता है तो उसे तकनीकी और अन्य संसाधनो के रुप में विकासशील एवं गरीब राष्ट्रों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। परन्तु वास्तविकता यह है की क्याटो प्रोटोकोल अधिक सफल नही हो पाया इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि अमेरिका जो सबसे बड़ा उत्सर्जक है इस संधि से बाहर रहा है। कनाडा भी इस संधि से बाहर आने की घोषणा कर चुका है एवं वर्तमान में सबसे बड़े उत्सर्जक भारत व चीन राष्ट्रों को कानूनी बाध्यता के कारण छूट मिली हुई है। उत्सर्जन के चलते पृथ्वी का औसत ताप 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और इस तापवृद्धि के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिणाम अत्यधिक व्यापक होंगे। बर्फ पिघलने से समुद्री जल स्तर बढ़ेगा और तटीय देशों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। वातावरण में मौजूद जल की मात्रा में परिवर्तन से मौसम के विपरीत स्वरुप एक साथ दिखाई देगें जैसे-तूफान, बाढ और सूखा। परोक्ष परिणामों में बहुत से पाधों और जीव जतुंओ के स्वभाव मे परिवर्तन उनके अस्तित्व का संकट आदि। प्रकृति के असंतुलन से नयी-नयी प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेंगी। जलवायु परिवर्तन जो भूमण्डलीय ऊष्मीकरण का परिणाम है जिसके चलते जल संसाधनों, ग्लेशियरों, नदी व्यवस्था एवं भूमिगत जल आदि पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभ में मनुष्य का आगमन अमेरिका में 15000 से 30000 वर्ष पूर्व की अवधि में हुआ। उस समय अमेरिका का अधिकांश भाग बर्फ की विशाल परतों से ढका हुआ था कुछ 14000 वर्ष पूर्व अंतिम बर्फ की परत पिघलना शुरु हुई। 7000 वर्ष पूर्व तक सारी बर्फ पिघल चुकी थी। इस हिमयुग की समाप्ति से पृथ्वी पर बड़े-बड़े बदलाव आये। इन बदलावों से अनेक प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का जीवन समाप्त हो गया। पिछले 100 वर्षो में पृथ्वी का तापमान लगभग 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ा है। तथा 20 वीं शताब्दी के चार गर्म वर्ष 1990 के दशक के दौरान सामने आए है। सूर्य के तापमान में वृद्धि का काल भी पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में योगदान दे सकता है। परन्तु विश्व के अनेक जलवायु वैज्ञानिकों का विचार है कि मानव क्रियाओं के परिणाम स्वरुप उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। इस भयावह संकट से कई प्रकार के नुकसानदेह प्रभाव हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक रुप से होने लगे हैं, साथ ही यह भी नकारा नहीं जा सकता कि औद्योगिक क्रान्ति के दौरान हमारी कृषि एवं औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरुप जलवायु एवं पर्यावरण में बदलाव आने शुरु हो गये हैं। औद्योगिक क्रान्ति से पहले वायुमण्डल में बहुत कम मात्रा में गैसों का उत्सर्जन होता था परन्तु अब जनसंख्या वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के जलाने तथा वनों के कटाव आदि के कारण हम पर्यावरण में अनेक गैसों के मिश्रण से प्रभावित हैं।

भूमण्डलीय ऊष्मीकरण के प्रभाव

ग्लेशियर पिघलने लगे है जिससे जल स्तर में वृद्धि होने लगी है दुनिया की सबसे ऊँची युद्धभूमि सियाचिन ग्लेशियर आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है भूमण्डलीय ऊष्मीकरण के कारण सियाचिन के ग्लेशियर काले पड़ते जा रहे हैं साथ ही यह ग्लेशियर लगातार पीछे खिसक रहे हैं । 70 के दशक के बाद यहाँ बर्फ टूटने का सिलसिला और बर्फीले तूफान की घटनाएं तेजी से बढ रही है। पिछले 100 वर्षो में समुद्र के जल स्तर में सार्वभौमिक रुप से 6 से 8 इंच की बढ़ोतरी हुई है। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो अगली शताब्दी में यह स्तर अधिक से अधिक 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसके कारण तटीय सीमा से लगे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तंत्र दोनों प्रभावित होंगे तथा तटीय क्षेत्र में बाढ़ के कारण उन क्षेत्रों में नमक के पानी के घुस जाने की आशंका है इससे उन क्षेत्रों में पौधों एवं पशुओं के जीवन को खतरा है। चाहे हम समुद्र से दुर चले जाएं अथवा बढ़ते हुए समुद्र के सम्मुख कोई अवरोध उत्पन्न कर दें परन्तु ऐसे परिवर्तन के लिए करोड़ों रुपयों की लागत की जरुरत पड़ेगी। तटवर्ती बाढ के कारण तटीय क्षेत्रो में पीने के पानी की गुणवत्ता में भी कमी आएगी।

ग्लेशियर में बर्फ का संतुलन बिगड़ने से वहाँ मौसमी बदलाव का असर तेजी से देखा जा रहा है। भारत के जम्मु-कश्मीर से उत्तराखण्ड तक के उच्च हिमालय क्षेत्र में भूमण्डलीय ऊष्मीकरण के प्रभाव से ग्लेशियर पिघलने से बनी लगभग एक हजार से अधिक झीलें आबादी के लिए खतरा बन गई है। सन् 2013 में केदारनाथ त्रासदी का मुख्य कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघलने से बनी झील ही रही थी ऐसे में इन झीलों के पानी की निकासी नहीं की गई तो ये कभी भी तबाही ला सकती है।

भूमण्डलीय ऊष्मीकरण के कारण जलवायु परिवर्तन से पशु-पक्षियों की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है यहाँ तक की कई पशु-पक्षी व जीव जंतुओ की प्रजाती विलुप्त हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन विश्व के निवास स्थलों तथा पारिस्थितिक तंत्रो में बदलाव ला

सकता है। सभी जीव इन स्थानो पर रहते हैं तथा इन पर निर्भर हैं। इनमें से अधिकतर स्थान वर्षा, तापमान तथा मृदा के प्रकार के नाजुक संतुलन पर निर्भर है। मौसम में तीव्र परिवर्तन से यह संतुलन बिगड़ सकता है। तथा अनेक प्राणियों को इससे गंभीर खतरा हो सकता है। पहले मौसम में धीरे-धीरे बदलाव होते थे तथा पौधों एवं पशुओं को नए वातावरण अथवा अन्य स्थान को ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था परन्तु यदि मौसम में तेजी से बदलाव आने लगे तो वे नए वातावरण के साथ तत्काल प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार समुद्री पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होगा। इसके परिणामस्वरुप इन सबका विलोपन संभव है। अधिकतर वनस्पतियों एवं पशुओं की प्रजातियां पहले से ही प्रदुषण तथा आवास स्थल के विनाश के कारण अशक्त हो चुकी हैं तथा अगले 100 वर्षो तक उनके जीवित रहने की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। वैसे मनुष्य इस प्रकार से तो प्रभावित नही हुआ परन्तु उसे भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मौसम के तीव्र एवं विशाल और व्यापक घटनाक्रमों से बड़े-बड़े तूफानों, बाढ़ो एवं अकाल की स्थितियों की आशंका उत्पन्न हो रही हैं।

वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण रेगिस्तान का विस्तार होने लगा है जिससे आने वाले समय में और अधिक गर्मी बढने की संभावना हैं। तापमान बढने से मिट्टी की नमी और कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है, मिट्टी की लवणता बढ़ रही है साथ ही सूखे की वजह से बंजरता बढ़ रही है।

भूमण्डलीय ऊष्मीकरण से पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जिसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से भी पड़ सकता हैं। उदाहरणस्वरुप अधिक तापमान एवं आद्रता से तनाव तथा अन्य ताप सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि उपचार न किया जाये तो गर्मी से होने वाला तनाव एक गंभीर समस्या बन सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले मौसम में गर्म दिनों की संख्या बढ़ सकती है जिससे स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ेगी। अप्रत्यक्ष रुप से पर्यावरणिक असंतुलन, वायु प्रदुषण, खाद्य एवं जलापूर्ति में परिवर्तन तथा तटवर्ति बाढ़ आदि सभी संभावित प्रभाव हैं जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ स्थान एवं लोग इससे प्रभावित होगें । बालको एवं वृद्ध लोगों को अधिक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता हैं। कोई भी व्यक्ति छोटे से लेकर बड़े तक किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। शुद्ध ऑक्सीजन नही मिलने के कारण व्यक्ति घुटन की जिदंगी जीने लगा हैं।

ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढने से तापमान में वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं ने भारतीय परिद्रश्य मे सबसे अधिक कृषि को प्रभावित किया है चुंकी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ है इसलिए भारतीय द्रुष्टिकोण से यह गंभीर चेतावनी हैं। कोपेनहेगन सम्मेलन-2009 मे ग्लोबल क्लाइमेंट रिस्क इंडेक्स 2010 द्वारा जारी सूची में भारत उन प्रथम 10 राष्ट्रों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा प्रभावित होगें। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उत्पादकता कम हो रही है साथ ही गुणवता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, अनाज में पोषक तत्वों और प्रोटीन की कमी हो रही हैं। ऐसा अनुमान है की यदि इसी प्रकार प्रकार तापमान में वृद्धि होती रही तो अधिकांश उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, तथा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी कृषि की पैदावार कम हो सकती हैं। महाद्विपो के अंदरुनी भागो जैसे - मध्य एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल मैदान आदि के सुखने का भी पूर्वानुमान हैं। ये बदलाव भूमि प्रयोग एवं खाद्य आपूर्ति के लिए भी विनाशकारी हो सकते हैं। भूमण्डलीय ऊष्मीकरण से उन स्थानों पर भी सूखा पड़ सकता है जहां पर फसलों का रोपण किया जाता हैं। विश्व के कई भागो में लोगो के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वे ऐसी फसल नहीं उगा सकते जिसकी उन्हे आवश्यकता है। भूमण्डलीय ऊष्मीकरण एक समकालिन समस्या है जो काफी पेचिदा है। इसमें समस्त विश्व शामिल है और यह कई गंभीर समस्याओं जैसे कि- गरीबी आर्थिक विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हैं। इससे जुड़ना आसान नही है और इसकी उपेक्षा करना इसका हल नहीं है।

तापीय वृद्धि अर्थात गर्म जलवायु कीट पतंगो की प्रजनन क्षमता की वृद्धि में सहायक है जिसके परिणामस्वरुप कीट व रोगों की मात्रा बढ़ रही है।

निदान

भूमण्डलीय ऊष्मीकरण के प्रभाव को रोकने के लिए या इस पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है की ग्रीन हाउस गैसों के आवरण की मोटाई में हो रही वृद्धि को रोका जाए। यह विचारणीय बिन्दु है की बढ रहा ग्रीन हाउस प्रभाव अपरिवर्तनिय है अथवा इसे संतुलित करने, दुर करने या इसके अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए कुछ कर सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को दुर करना असंभव है परन्तु इसकी वृद्धि को कम किया जा सकता हैं। तापमान वृद्धि के इस मामले पर विश्व के कई देश एकजुट हुए हैं। वैश्विक तापवृद्धि के दुष्प्रभावों के बारे में जन जाग्रति पैदा करने के प्रयास बहुत पहले से चल रहे हैं। कार्बनडाईऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयास शुरु हो चुके हैं। एक दशक पूर्व अधिकांश देशो नें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रसंरचना संविदा (UNFCCC)

नामक एक अंतराष्ट्रीय संधि पत्र पर हाथ मिलाया था। यह संधि पत्र भूमण्डलीय ऊष्मीकरण को कम करने तथा तापमान वृद्धि को कम करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था।

सन् 1992 में रियो-डी-जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की रणनीति बनाई गई। औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों को जीवाश्म ईधंन के दहन से उत्पन्न कार्बनडाईऑक्साइड के उत्सर्जन को वर्ष 2000 तक कम करने के लक्ष्य को मानना पड़ा। विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्रों को इन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए राशि प्रदान करने की भी बात कही गई।

यूएनएफसीसीसी का क्योटो प्रोटोकोल ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासो का एक हिस्सा हैं। जिसके अनुसार विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई जो कानुनी रुप से बाध्यता हैं। क्योटो प्रोटोकोल का अंतिम उदेश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधि पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। प्रोटोकोल के अनुसार विकसित देशो को ग्रीन हाउस गैसों में 5 प्रतिशत की कमी करनी होगी। तथा प्रत्येक राष्ट्र को यह लक्ष्य 2008-2012 के मध्य हासिल करना होगा। उत्सर्जन कटौति के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्बन ट्रेडिंग की चर्चा की गई है जिसके तहत औद्योगिक राष्ट्र आपस में पॉइटंस की खरीद बिक्री कर सकते हैं। संयुक्त उपक्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत ये देश अन्य देशों में कुछ खास परियोजनाओं में वितीय सहयोग कर एमिशन रिडक्शन पॉइटंस अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा विकासशील देशों में ग्रीन तकनीकि को बढावा देकर स्वच्छ विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। क्योटो संधि के अनुसार उन सभी देशों को इस संधि की पुष्टि करनी है जो वायुमण्डल में 55 प्रतिशत कार्बनडाईऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक राष्ट्र अपने निजी लक्ष्यों को भी हासिल करेगा जैसे यूरोपिय संघ के देश मौजुदा मात्रा में 8 प्रतिशत और जापान 5 प्रतिशत कमी लाने पर सहमत हुआ हैं। 1997 में अनुमोदित क्योटो संधि को 2012 में संशोधन कर अंतिम रूप दिया गया और रूस द्वारा स्वीकृति के बाद फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकोल लागू किया गया। इस प्रोटोकोल में 28 अनुच्छेद हैं। रूस समेत विश्व के 155 अन्य राष्ट्रों के समर्थन से यह प्रोटोकोल प्रभावी हो गया है इस व्यवस्था के अनेक समझौतों में एकजुटता को सुनिश्चित किया गया हैं।

वायुमण्डल की ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 1985 में वियना सम्मेलन किया गया जिसमे ओजोन क्षय प्रतिकुल प्रभावो के विरुद्ध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्यो के उतरदायित्वों की व्याख्या की गई। इस सम्मेलन में ऐसा ढांचा तैयार किया गया जिसके अंतर्गत मॉन्ट्रियोल प्रोटोकोल पर समझौता किया जाना था। मॉन्ट्रियोल प्रोटोकोल समताप मण्डलीय औजोन परत की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र है। इस संधि पत्र में अनुबंधित किया गया है की समताप मण्डल में उपस्थित ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले यौगिक तत्व जैसे- क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बनटेट्राक्लोराइड तथा मिथाइल क्लोरोफार्म आदि के उत्पादन एवं उपभोग में वर्ष 2010 तक कमी लानी होगी।

ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के निम्न कारगर उपाय हैं-

- वृक्षारोपण करें तथा वृक्षो की देखबाल करें। वृक्ष यदि कम आयु के है तथा वृद्धि दर तेज है तो वे प्रकाश संश्लेषण के दोरान कार्बनडाईऑक्साइड तेजी से ग्रहण करतें हैं। पेड़ पौधो को जब सुखाया, काटा और जलाया जाता है तो उसके द्वारा जितना कार्बन संग्रह किया गया था वह वायुमण्डल में छोड़ देता है।
- वायुमण्डल प्रदुषित पदार्थो के उत्सर्जन से वैश्विक तापवृद्धि होती हैं। स्वंय मनुष्य वायुमण्डल को प्रदुषित करने वाला अपने आप मे सबसे बड़ा कारक हैं। प्रदुषण को रोकने वाला कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नही हो सकता जब तक कि बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता हैं। परिवार का आकार छोटा रखने से वैश्विक तापवृद्धि स्वत: नियंत्रित हो जायेगी।
- धूम्र रहित चुल्हे को उपयोग में लाया जाये उससे न सिर्फ धुआं के उत्सर्जन को रोका जा सकता हैं। अपितु ऊर्जा का भी सर्वातम दोहन होता हैं।
- जलावन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषि वानिकी अपनाना चाहियें। खेत की मेड़ पर छोटे-छोटे पौधे लगाने चाहिये जिससे वायु के होने वाले अपरदन को रोका जा सके तथा एक ही बार में पेड़ को काटने के बजाय उसकी छंटाई करनी चाहिये।
- फसल सुखानें, पानी गर्म करनें तथा खाना पकानें के लिए यथासंभव सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहियें।
- स्थानापन्न कृषि तथा काटने-जलाने की पद्धति को रोकना चाहिए। वर्तमान में अपनाई जा रही वैकल्पिक फसल/ कृषि पद्धति न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है अपितु अत्यंत लाभकारी हैं।

- वन क्षेत्र एवं घास के मैदानों को वृक्षारोपण तथा घास लगाने के माध्यम से पुन: हरा भरा बनाना चाहिए।
- खाद्यान्न की दीर्घकाल तक सुरक्षा हेतु निकट शुन्य पेटिका का उपयोग करें, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग न के बराबर हो।
- ऐरोसोल, बटन दबाकर छिड़काव करने वाले बोतल तथा फोम पैकिंग के प्रयोग बंद करें। एयरकंडिसनर के प्रयोग को प्रभावी रूप से कम करें। इनसे जिस क्लारोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है उनका जीवन काल 75-110 वर्ष का होता हैं। ग्रीन हाउस उत्पन्न करने में ये क्लारोफ्लोरोकार्बन कार्बनडाईऑक्साइड से 1500 गुना शक्तिशाली हैं।

ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिये सरकार को निम्न प्रयास करने चाहियें-

- ऊर्जा संरक्षण को बढावा दिया जाये तथा ऊर्जा का पुनर्दोहन किया जाना चाहियें।
- उच्च क्षमता युक्त विद्युत संयत्रो का निर्माण करना चाहिये न की निम्न क्षमता युक्त पारम्परिक संयंत्रों का।
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में कम खर्च पर उपलब्ध सौर बैट्री के निर्माण हेतु राशि जुटाना चाहियें।
- वृक्षारोपण का व्यापक अभियान प्रारंभ करना चाहियें।
- पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने के लिये जन जाग्रति होनी चाहियें।
- गड्ढे तथा दलदल से मिथेन निकालने वाली तकनीक विकसीत करनी चाहिए।

वृक्षारोपण तथा ऊर्जा के पुनर्दोहन करने वाली तकनीक को अपनाना समय की मांग है। आनुवांशिकी के अनुरूप फसलो को विकसित करना चाहियें तथा अपने आप को उसके अनुसार बदलना चाहियें। प्रदुषण को भौतिक, जैविक तथा सामाजिक पहलुओं पर वैज्ञानिक मत विकसित करने के लिए संस्थागत प्रयास करने की आवश्यकता हैं। व्यापक जन जाग्रति का असर राजनैतिक निर्णय पर पडेग़ा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, सविन्द्र, जलवायु विज्ञान, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2006, पृ. 388
2. गुर्जर, रामकुमार, संसाधन एवं पर्यावरण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2002, पृ. 318
3. सक्सेना, हरिमोहन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2009, पृ. 320
4. कस्वाँ, एन.आर., मानव और पर्यावरण, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, 2002, पृ. 370
5. भाटिया, अरविन्द, पर्यावरणीय जैविकी के विभिन्न आयाम, रमेश बुक डिपो, जयपुर, 2000, पृ. 501
6. मधुवाल, रेखा, पर्यावरण पर प्रदूषण का कहर, गरिमा बुक्स, दिल्ली, 2010, पृ. 52
7. शर्मा, एच.एल., पर्यावरण के बदलते आयाम, राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2003, पृ. 110
8. शर्मा, दामोदर, हमारा पर्यावरण, साहित्यागार, जयपुर, 1995, पृ. 69
9. शर्मा, मनोज, पर्यावरण भूगोल, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2010, पृ. 91
10. तिवारी, विजय कुमार, पर्यावरण विज्ञान, एस. चान्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 2010, पृ. 291
11. तेली, बी.एल., पर्यावरण अध्ययन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2001, पृ. 160
12. शुक्ला, राजेश, कृषि भूगोल, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2014, पृ. 23

पंचायती राज में जन सहभागिता

डॉ. कन्हैया लाल मीना

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत देश के पुनर्निर्माण, विकास एवं जनकल्याण को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्र निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया। जनता की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र के विकास में जन साधारण की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना था। सामान्य अर्थो मे विकास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में मनुष्य एवं राष्ट्र के बढ़ते कदम है। विकास लोगों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकल्पों को बढ़ाने की प्रक्रिया है जिसका परिणाम मनुष्य के सशक्तीकरण एवं जनसहभागिता की प्रवृति एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में पनप रही है और कोई शासन व्यवस्था इसको अनदेखा नही कर रही है। 1993 में लागू 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के संगठन और क्षेत्राधिकार में किए गए परिवर्तन सराहनीय है। इसके द्वारा यह प्रयास किया गया है कि समाज के कमजोर, वंचित, दलित एवं शोषित वर्गो की भागीदारी स्थानीय शासन व्यवस्था में सुनिश्चित हो।

संकेताक्षर : *लोककल्याणकारी राज्य, सक्रिय भागीदारी, जवाबदेहिता, पारदर्शिता*

आधुनिक युग में जनसहभागिता शब्द का प्रचलन बीसवीं शताब्दी के छठे दशक में विकास प्रशासन की अवधारणा के संदर्भ में आरंभ हुआ। जनसहभागिता लोक प्रशासन और विशेष रूप से विकास प्रशासन की सफलता की कुंजी है। प्रशासन द्वारा जनकल्याण एवं विकासात्मक कार्यो को सर्वोतम ढ़ग में सम्पन्न करने के लिए जनसहभागिता एक आधारभूत आवश्यकता है। जनसहभागिता का तात्पर्य नागरिकों को निर्णय लेने, नीति बनाने और नीति क्रियान्वित करने संबंधी प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना है। जब नागरिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग होकर विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं तब ही वास्तविक अर्थ में नागरिक सहभागिता होती है। प्रशासन का महत्वपूर्ण व आवश्यक कार्य जनता में यह विश्वास उत्पन्न करना है कि विकास कार्यक्रम उनके है, उनके लिए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें ही करना है। जनसहभागिता न केवल विकास प्रशासन का एक तत्व है बल्कि यह विकास की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, विशेषकर जनता के उस वर्ग की प्रतिक्रिया पर जिसको लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम प्रायोजित किया जा रहा है।[1]

जनसहभागिता का अर्थ विकास कार्यो के लिए जनता द्वारा नकद, वस्तु या श्रम प्रदान करना ही नही बल्कि नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी और स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने हेतु अपनी क्षमता विकसित करना है। विकास प्रशासन में जनसहभागिता के दो पहलु है। राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक मतदाता और चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेते हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिक या तो किसी विभाग में अधिकारी/कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए अथवा सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के आलोचक या समर्थक के रूप में हिस्सा लेते हैं। राजनीतिक भागीदारी लोगों की वे गतिविधियां है जिनसे राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारी प्रक्रिया प्रभावित व निरूपित होती है। लोकतांत्रिक देशों में विकास कार्यक्रमों में नागरिकों की सहभागिता अत्यन्त जरूरी है क्योंकि सरकारी कार्यो में जनता तटस्थ रहती है। सहभागिता लोकतंत्र की प्राप्ति का माध्यम है, इससे प्रशासन में पारदर्शिता व संवेदनशीलता आती है तथा यह समस्याओं के प्रभावी समाधान में सहायक होती है। वर्तमान समय में राज्य के कार्यो में बेतहाशा वृद्धि ज्ञान,

सूचना व संचार के विस्फोट, नागरिकों की बढ़ती हुई मांगों को पूर्ण करने में नौकरशाही की असफलता ने नागरिकों की विकास परक गतिविधियो में प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा दिया है। सरकार प्रशासन और जनता के बीच आपसी भागीदारी से क्या कुछ हासिल नही किया जा सकता है। इस भागीदारी को और अधिक मजबूत बनाकर हम निश्चित रूप से उस महान लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं जिसकी संकल्पना राष्ट्र निर्माताओं ने देश की आजादी के समय की थी।

संविधान का 73वाँ और 74वाँ संशोधन भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युगान्तकारी पहल है। आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कोई यह शिकायत नही कर सकता कि उसकी बात को नही सुना गया है। विकास कार्यक्रमों जनसहभागिता के दो रूप, व्यक्तिगत तथा संस्थागत, देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत सहभागिता में व्यक्तियों को उनके अनुभव विशेषज्ञ ज्ञान और कुशलता के कारण सहभागिता के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रशासनिक तथा विकास गतिविधियों में भाग लेते हैं। संस्थागत सहभागिता के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक व व्यावसायिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, तकनीकी व चिकित्सा संस्थान, रेडक्रास सोसायटी, युवक मण्डल, एन.सी.सी., एन.एस.एस; रोटरी/लायन्स क्लब, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सहकारी संस्थाएं आदि विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश की जनता को सक्रिय तथा निष्क्रिय जन समूह में विभक्त किया जा सकता है। सक्रिय जनता का एक बड़ा भाग स्वंय-सेवी समूह या गैर सरकारी संगठनों को प्रशासन के अभिन्न भाग के रूप में विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई है तथा उनकी भूमिका को सहभागिता का उत्तम स्वरूप माना गया है। इसके अतिरिक्त जनता का विशाल भाग निष्क्रिय जनसमूह में युक्त है। जिसके पहले भाग में असहाय, गरीब, कमजोर वर्ग है जो सामाजिक उत्पीड़न का शिकार है तथा विकास के अवसरों से वंचित रहता है। इसके दूसरे भाग में वे लोग आते हैं जिनको सामाजिक आर्थिक विकास की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये लोग आत्म संतोष की स्थिति में है तथा अपने चारों और क्या घटित हो रहा है इससे बेपरवाह रहते है।

भारत में विकास तथा जनकल्याण की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में जनसहभागिता पर जोर दिया गया है। इनमें नागरिकों को सम्मिलित करने के लिए सहयोग, शिक्षा, परामर्श और प्रोत्साहन का सहारा लिया जाता है। प्रशासन और जनता के बीच सहयोग की कड़ी मजबूत बनाने का शक्तिशाली साधन 'लोक संपर्क' है। जिसका अर्थ है-सूचना, विचारों, प्रत्यक्ष संपर्क और संचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार। आज का युग प्रचार का युग है। सरकार को विभिन्न माध्यमों के द्वारा विकास कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार करना चाहिए ताकि जन-जन तक यह कार्यक्रम पहुँच सके। तथा जनता में इनके प्रति जागरूकता एवं रूचि पैदा हो सके, लोक संपर्क मशीनरी को 'जनता से मेल; 'जनता को प्रेरणा' और 'जनता का विश्वास; के सिद्धान्तों के अनुसार काम करना चाहिए। यदि प्रशासन को जनता से निरंतर अपेक्षित सहयोग मिलता रहे तो वह अपनी भूमिका का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकता है। जनता को अपने दायित्वों के प्रति उतना ही सजग, जागरूक और निष्ठावान होना चाहिए जितना अधिक वह प्रशासन से आशा करते है।

संवेदनशील व कुशल प्रशासनिक नेतृत्व तथा पर्याप्त जनसहभागिता के द्वारा विकास से जुड़ी योजनओं के सही क्रियान्वयन से ही हम गरीबी दूरकर सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तथा आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। नागरिकों, संस्थाओं तथा संगठनों द्वारा शासन-प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याण एवं विकासात्मक कार्यक्रमों में निम्नलिखित तरीकों से भाग लिया जा सकता है-(1) नीति-निर्माण एवं मूल्यांकन में सहभागिता : इसमें जिला खण्ड एवं ग्राम स्तर पर योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना, सरकारी अधिकारियों के साथ अनौपचारिक/ औपचारिक विचार विमर्श करना, प्रदर्शन, धरनों, संवाद आदि के द्वारा सरकार पर दबाव डालना, (2) विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा नीतियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, न्यायालय में जनयाचिकाएं दायर करना, शोध कार्यो के आधार पर नवीन नीतियों के निर्माण व उनके क्रियान्वयन संबंधी सुझाव देना आदि सम्मिलित है (3) जनचेतना कार्यक्रमों में सहभागिता, इसमें रैली, दौड़, शिविर आदि के आयोजन द्वारा सामाजिक कुरीतियों व समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कन्याभ्रूण हत्या, नशाखोरी, एड्स आदि के प्रति जनता को जागरूक एवं सचेत करना, जनसभाओं, विचार गोष्ठियों प्रश्नोत्तरी व वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, पोस्टर व पेटिंग प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करके विभिन्न सामयिक व सामाजिक विषयों पर प्रकाश डालना, सम्मिलित है, (4) जनसेवाओं के वितरण में सहभागिता : इसमें सरकार व प्रशासन द्वारा संचालित की जाने वाली विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना; समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों जैसे चिकित्सा, रक्तदान का आयोजन करना, संकटकालीन परिस्थितियों जैसे भूकंप, बाढ़ महामारी, आकस्मिक दूर्घटना के दौरान प्रभावित

लोगों की वित्तीय सहायता करना तथा आवश्यक राहत सामग्री पहुँचाना।

पाश्चात्य संदर्भ से अभिज्ञात सु-शासन की अवधारणा एक नवीन प्रारूप अवश्य हो सकती है किन्तु भारत के संदर्भ में इसमें व्याप्त लक्ष्यों की शुरूआत पंचायतीराज की स्थापना के साथ ही हो गई थी। इस तथ्य को अनदेखा नही किया जा सकता कि सुशासन की शर्ते पंचायतीराज व्यवस्था के सभी स्तरों पर समान रूप से लागू होती है। 73 वें संविधान संशोधन के पश्चात तो इस दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस संशोधन के कुछ मुख्य लक्षणों में पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना, महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था, मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देशन में पंचायतों के चुनाव करवाना पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रति 5 वर्ष पर वित्तीय आयोग का गठन तथा इन्हें 11 वीं अनुसूची में शामिल किया जाना इत्यादि, को सम्मिलित किया जा सकता है। इस संशोधन के पश्चात एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवन तो प्राप्त हुआ ही, भारत का लोकतांत्रिक शासन भी समृद्धता एवं सुदृढ़ता की ओर अग्रसर हुआ है। कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं ने भारत सुशासन स्थापित करने हेतु पथ प्रशस्त किया है।

इस परिवर्तन से यह सिद्ध हो गया कि वृहद शासन को तब तक सफल नही बनाया जा सकता जब तक कि उसमें जनसहभागिता सुनिश्चित नही हो। पंचायतीराज व्यवस्था के अनुभव ने यह सबक दिया कि शासन की वास्तविक धुरी जनता ही है और यदि शासन को समृद्ध एवं पोषित करना है तो उसमें व्यापक जन भागीदारी होना आवश्यक है जो कि सु-शासन को इंगित करती है। राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से जनसहभागिता का विशेष महत्व है। गाँव वालों को उनके मामले में सक्रिय एवं रूचिशील बनाकर ही उनकी क्षमता एवं आत्मविश्वास को जगाया जा सकता है, उनमें सहकारी जीवन का प्रसार एवं समाज में समरसता की स्थापना की जा सकती है।[2] सुशासन की स्थापना में जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता प्रत्येक स्तर पर अपरिहार्य शर्त कही जा सकती है। इस संदर्भ में जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता को पंचायतीराज संस्थाओं की सफलता के लिए भी पूर्व शर्त के रूप में इंगित किया जा सकता है। पंचायती राज के तहत निम्न स्तर पर गठित की जाने वाली ग्राम संभाएँ न केवल शासन को जवाबदेह बनाने का कार्य करती है वरन उनकी कार्य प्रणाली और मनमाने निर्णय-निर्माण पर भी अंकुश रखती है। ग्राम सभा की यह शक्ति पंचायतों को किसी मुद्दे पर निर्णय से पूर्व दो बार सोचने के लिए मजबूर करती है। इसी कारण रजनी कोठारी ने ग्राम सभा को राजनेता-नौकरशाहों के गठजोड़ पर निगरानी वाले प्रहरी के रूप में चिन्हित किया।[3] ये सभाएँ शासन को जनता के निकटतम स्तर तक ले जाकर उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर सकती है।

सूचना प्राप्ति का अधिकार लोकतांत्रिक भागीदारी का एक अहम माध्यम माना गया है। आज के युग में यह न सिर्फ कि महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक विशेषाधिकार है, बल्कि किसी भी देश में अच्छे शासन को स्थापित करने की आवश्यक शर्त भी है। लोकतांत्रिक वातावरण में किसी भी अनुक्रियाशील, पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार के लिए सूचना एवं ज्ञान महत्वपूर्ण अवयव होते है। यह माना गया है कि किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते है - खुलापन एवं सूचनाओं तक पहुँच[4] भारत में जन भागीदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्राप्ति का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया। इसके तहत अब प्रत्येक नागरिक को शासन से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है तथा शासन की पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। पंचायती राज स्तर पर देखा जाए तो यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। स्थानीय जनता को सशक्त करने हेतु इस अधिकार का उपयोग निरन्तर किया जा सकता है। जो सूचनाएँ पूर्व में गोपनीय रखी जाती थी, इस अधिकार के माध्यम से अब सार्वजनिक की जा सकती है। गाँव के प्रत्येक नागरिक को शासन से सम्बन्धित सभी मामलों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस दृष्टि से ग्राम स्तर पर सुशासन को स्थापित करने, शासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने तथा शासन की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक के लिए अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

जन-सहभागिता की आवश्यकता

जन-भागीदारी की कई ऐसी विशेषताएं है जो इसे विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक बनाती है, यथा : स्थानीय आवश्कताओं का सही आकलन ,जन-आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं का निर्धारण,विकास कार्यक्रमों से जुड़ाव, उसे अपना दायित्व/कार्य समझने का अहसास, योजना की क्रियान्विति के लिए आवश्यक संसाधनों के संकलन में सहयोग, मानव श्रम (श्रमदान) की व्यवस्था,योजना एवं क्रियान्विति के स्तरों में संभावित विसंगितियों एवं विरोधाभासों को दूर करना, स्थानीय लोगों को सहयोग लेकर कार्यक्रम की क्रियान्विति की गति की तीव्रता करना, योजना एवं विकास कार्यक्रम जन साधारण को स्वीकार्य हो, वे उनकी अन्तर्निहित भावनाओं और उद्देश्यों को समझें ऐसी मानसिकता बनाना, सतत् प्रयास द्वारा प्रशासनिक तंत्र एवं सत्ता के ढाँचे और रूख में शनै-शनै ऐसा बदलाव लाना कि वह जन आकाक्षांओं के अनुरूप एवं संवेदनशील बने।[5]

जन-सहभागिता का महत्व

पंचायती राज में जन सहभागिता का महत्व न केवल जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की दृष्टि से ही नही वरन् भारत जैसे सीमित संसाधनों वाले देश में राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। गाँव वालों को उनके मामलों में सक्रिय एवं रूचिशील बनाकर ही उनकी क्षमता एवं आत्मविश्वास को जगाया जा सकता है, उनमें सहकारी जीवन प्रसार एवं समाज में समरसता की स्थापना की जा सकती है। जनसहभागिता का महत्व भौतिक की अपेक्षा भावनात्मक अधिक है। **बी. मुखर्जी** ने लिखा है कि 'जन-सहभागिता का महत्व इस बात में है कि इसके माध्यम से लोग सामुदायिक विकास के सभी पहलुओं को अपना समझने लगते है तथा अपनी समस्याओं को सुलझान के लिए सहकारी कार्यो की प्रभावशीलता में तथा स्वंय में अपनी क्षमता एवं विश्वास का विकास कर लेते है।

निष्कर्ष

नई पंचायत व्यवस्था में पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर इन्हें काफी अधिकार दिये गये है। इन संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर निरन्तर प्रयास जारी है। सामान्य लोगों को इनके प्रति आकर्षित करने हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे है। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के कार्यक्रम को 19 वर्ष हो चुके है, धीरे-धीरे ग्रामीण निवासियों की इन संस्थाओं में सहभागिता बढ़ रही है, स्थानों के आरक्षण के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को पंचायती राज संस्थाओं से सक्रिय रूप से जोड़ा गया हैं जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है। वार्ड सभाओं तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से जन-जन का पंचायत कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इनमें लोगों की अधिक रूचि नहीं देखी गई। यदि पंचायती राज को सफल बनाना है तो अधिक से अधिक लोगों को इन संस्थाओं के साथ जोड़ना होगा। अत: नया पंचायती राज स्थानीय कार्यो में जन सहयोग का अवसर एक वरदान बनकर आया है, जरूरत इस बात की है कि आम लोग बढ़-चढ़कर पंचायती राज कार्यो में भाग लें और सत्ता में हिस्सेदारी कर राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करें।[6]

संदर्भ सूची

1. शर्मा, गुंजन एवं चौहान, कविता, विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, अगस्त, 2006, पृ. 11
2. पाटनी, चन्द्रा, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006, पृ. 348
3. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह, गुड गवर्नेन्स इन ग्रासरूट्स पॉलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स एविडेन्स फ्रोम मध्यप्रदेश, बी.एम.शर्मा एवं रूप सिंह बारेठ, पृ. 356
4. दुबे, अशोक कुमार, 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन, टाटा मैग्रा हिल्स पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ही, 2008, पृ. 224
5. गौर, प्रो. पी.पी., लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज, लेख लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास, पी.पी. गौर एवं आर.के. मराठा, आदित्य पब्लिशर्स, बीना, म.प्र., 2001, पृ. 146
6. जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा, भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000, पृ. 250

नारी, संन्यास और बौद्ध भिक्षुणी संघ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. रितु पूनिया

सहायक आचार्या, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

जब महाप्रजापति द्वारा बुद्ध से गृहस्थ जीवन त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होने तथा संघ में प्रवेश प्राप्त करने हेतु अनुमति मांगी गई तब बुद्ध द्वारा उनकी यह इच्छा पूर्ण करने से इंकार कर दिया गया। बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित यह घटना मस्तिष्क में यह प्रश्न उत्पन्न करती है कि बुद्ध द्वारा महाप्रजापति को संघ में प्रवेश न देने के पीछे उनका क्या दृष्टिकोण रहा होगा। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है तथा साथ ही उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करने की चेष्टा की गई है, जिनके परिणामस्वरूप स्त्रियाँ संघ की ओर आकर्षित हुई। भिक्षुणी संघ की स्थापना ने स्त्री जीवन को एक नवीन आयाम प्रदान किया। बुद्ध ने स्त्रियों के लिए संघ के द्वार खोल कर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने तथा अपने दु:खों का अंत करने हेतु एक नवीन मार्ग प्रदान किया जिस पर चलकर कुछ स्त्रियों तो अहर्त पद प्राप्त करने में भी सफल रही।

संकेताक्षर : *भिक्षुणी संघ, धम्म, आध्यात्मिकता*

बौद्ध धर्म विश्व में शांति व करूणा के धर्म के रूप में जाना जाता है। चूँकि महात्मा बुद्ध का उद्देश्य सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण करना था इसीलिए जाति, लिंग आदि भेदों से परे सम्पूर्ण प्राणी जगत के कल्याण की भावना बौद्ध धर्म का मूल बिन्दु था। यद्यपि इसका प्राथमिक उद्देश्य नैतिकता और आध्यात्मिकता था, परन्तु इसके साथ ही बौद्ध धर्म जीवन के अन्य पहलूओं यथा सामाजिक पहलू से भी गहन रूप से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन बुद्ध का उद्देश्य नहीं था, ना ही वे कोई समाज-सुधारक थे परन्तु फिर भी यदि बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया जाए तो उसमें स्त्रियों के प्रति बुद्ध के दो प्रकार के दृष्टिकोण उजागर होते हैं - सकारात्मक एवं नकारात्मक। महात्मा बुद्ध द्वारा संघ में स्त्रियों के प्रवेश के संबंध में संकोच प्रदर्शित करना उनकी स्त्री विरोधी भावना का प्रथम प्रमाण है। वैशाली के महावन कूटागारशाला में संकोच के साथ बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में दीक्षित करने का निर्णय दिया था। बुद्ध के शिष्य आनंद के अथक प्रयासोपरांत ही स्त्रियों को संघ में प्रवेश प्राप्त हुआ।[1] परन्तु वह भी अष्ट गुरु धर्मों[2] की पालना की सीमा के साथ ही संभव हो सका। अष्ट गुरु धर्म के प्रथम नियम, जिसमें सौ वर्ष की उपसम्पन्न भिक्षुणी को सद्य: उपसम्पन्न भिक्षु का अभिवादन करने की बात कही गई है, से स्पष्ट हो जाता है कि यह भिक्षु संघ को दिया गया विशेषाधिकार ही था। वे किसी भी परिस्थिति में स्त्रियों को उच्चता का दर्जा नहीं देना चाहते थे।[3] जब आनंद के माध्यम से प्रजापति गौतमी ने बुद्ध से यह अनुमति चाही थी कि भिक्षु-भिक्षुणियों के मध्य अभिवादन-अभ्युत्थान तथा समीचीकर्म (कुशल समाचार पूछना) ज्येष्ठता के अनुसार हो, लिंग के अनुसार नहीं तब भी बुद्ध द्वारा इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था।[4]

स्त्रियों के प्रति महात्मा बुद्ध का यह वक्तव्य भी भिक्षुणी संघ की स्थापना में बुद्ध की अनिच्छा की भावना को उजागर करता है कि ''आनंद! यदि तथागत प्रवेदित धर्म नियम में स्त्रियाँ प्रव्रज्या न पाती तो यह धर्म चिरस्थायी होगा, यह सहस्त्र वर्ष ठहरता। परन्तु आनंद! स्त्रियों ने प्रव्रज्या ग्रहण की, अत: ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न रहेगा और सद्धर्म 500 वर्ष ही ठहरेगा।''[5] इस प्रकार बौद्ध साहित्य में स्त्रियों के संघ में प्रवेश प्राप्त करने तथा बुद्ध द्वारा उनके प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने के अनेक उद्धरण देखने को मिलते हैं परन्तु वास्तव में बुद्ध द्वारा स्त्रियों के उत्थान व प्रगति के लिए आवश्यक कदम उठाए गए तभी बौद्ध धर्म में पुरुषों के साथ-साथ प्रबुद्ध स्त्रियों के भी उल्लेख देखने को मिलते हैं। भिक्षुणी संघ की स्थापना को लेकर बुद्ध द्वारा प्रदर्शित किए गए संकोच का समाधान

प्रस्तुत करते हुए कहा जा सकता है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना को लेकर बुद्ध का संदेहास्पद दृष्टिकोण त्रिपिटक साहित्य की रचना करने वाले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जोड़ा गया क्षेपक हो सकता है।[6]

भिक्षुणी संघ की स्थापना में संकोच के पीछे बुद्ध की मूल चिंता समाज को लेकर थी क्योंकि भिक्षुओं को समाज का उचित समर्थन प्राप्त था परंतु यदि वे समाज की इच्छा के विरूद्ध जाकर भिक्षुणी संघ की स्थापना करते तो भिक्षुणियों को सामाजिक विरोध के परिणामस्वरूप भिक्षा तक प्राप्त न हो पाती और उनका जीवन कष्टदायी हो जाता। यह भी संभव है कि बुद्ध ने प्रथम बार में ही प्रजापति को संघ में इसीलिए शामिल न किया हो क्योंकि वे समाज का मत जानना चाहते थे और जब रोती-बिलखती प्रजापति और 500 स्त्रियों भिन्न-भिन्न स्थानों से गुजरी और उनके विरुद्ध असंतोष का कोई स्वर नहीं सुनायी दिया तब भगवान स्त्रियों को संघ में शामिल करने के लिए सहमत हो गए।[7] स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने से तुरंत इंकार का एक कारण स्वयं प्रजापति थी। चूंकि प्रजापति द्वारा महलों में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया गया था और भिक्षुओं को घर-घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी और कभी-कभी तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता था इसलिए वे नहीं चाहते थे कि प्रजापति को घर-घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़े और दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़े।[8]

स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के संकोच के पीछे एक अन्य कारण उनकी सुरक्षा थी। स्त्रियां को सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत अधिक सुरक्षा की आवश्यकता थी क्योंकि सदैव उनके साथ अभद्र व्यवहार होने का भय बना रहता।[9] स्त्रियाँ गृहस्थ जीवन का केन्द्र बिन्दु मानी गई है। अत: यदि स्त्रियों को संघ में प्रवेश दे दिया जाता तो इससे कई प्रकार की समस्याएँ उपस्थित हो जाती। इससे घर अपनी नींव खो देता और संघ जो पूर्णत: उपासक-उपासिकाओं के सहयोग पर निर्भर था, संकट में पड़ जाता।[10] बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश क्यूं दिया इसके पीछे एक कारण प्रजापति के बारे-बार किए जाने वाले प्रयास थे। उनके मस्तिष्क में विचारों का जो एक क्रम चल रहा था उसने उन्हें स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के लिए तैयार कर लिया।[11] द्वितीय, प्रजापति के साथ पाँच सौ स्त्रियाँ राजकीय परिवार की महिलाएँ एवं दासियाँ थी जिनकी स्थिति राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद विधवा की तरह हो गई थी। बुद्ध के करूणामय मस्तिष्क ने उन्हें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने देने के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना करने का निर्णय लिया होगा।[12] जब आनंद ने बुद्ध से पूछा कि ''क्या स्त्रियाँ धम्म को समझने में सक्षम नहीं है?''[13] तब बुद्ध कहते हैं कि नहीं वे हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि वे स्त्रियों की आध्यात्मिक योग्यता को लेकर पूर्णत: आश्वस्त थे। जब आनंद पूछते हैं कि ''तथागत क्या प्रजापति आपकी माता नहीं है?''[14] तब यह प्रश्न उनके हृदय को उसी प्रकार छू गया जैसा कि भी संस्कारी भारतीय पुरुष को छू जाता। अंत में चूँकि बुद्ध गणतांत्रिक परम्परा से थे संभवत: इसीलिए 500 स्त्रियों और आनंद का बहुमत देख उन्होंने स्त्रियों के लिए संघ के द्वार खोल दिए।[15]

बुद्ध के स्त्री विरोधी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने वाले अष्टगुरु धर्म भी बाद के भिक्षुओं की पितृसत्तात्मक मानसिकता के प्रतीक हैं, जो नहीं चाहते थे कि स्त्रियाँ संघ में मजबूत पकड़ बना ले। यदि अष्टगुरू धर्मों का विधान स्वयं बुद्ध ने किया भी हो तो उनका सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे स्त्रियों के लिए वास्तव में भेदभावपूर्ण नहीं थे। चूंकि भिक्षुणी संघ की स्थापना भिक्षु संघ की स्थापना के पाँच वर्ष बाद हुई थी इसीलिए दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण सहृदयता बनाए रखने के लिए बुद्ध चाहते थे कि भिक्षुणियों छोटी बहन की तरह अपने से बड़े भिक्षु भाइयों का सम्मान करें।[16] बुद्ध इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे कि इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने से उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए भिक्षुओं की सहायता आवश्यक होगी। अत: उनके मार्ग को सरल बनाने के लिए उन्हें भिक्षु संघ के अधीन रखना आवश्यक होगा।[17] अष्टगुरू धर्म का सर्वाधिक विवादास्पद नियम प्रथम नियम है जिसमें सौ वर्ष की उपसम्पन्न भिक्षुणी को सद्य: उपसम्पन्न भिक्षु के अभिवादन की बात कही गई है।[18] परन्तु एक घटना के अन्तर्गत छ: भिक्षु भिक्षुणियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपने वस्त्र उठाकर जंघा दिखाते हैं तो भिक्षुणियों ने बुद्ध को शिकायत करने पर वे कहते हैं कि ऐसे भिक्षुओं का सम्मान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार किसी भी नियम से चिपकने की बजाए उसके मूल भाव को समझना आवश्यक है।[19] अष्टगुरू धर्म के अनुसार भिक्षुणियों को भिक्षु संघ के साथ ही वर्षावास करने का विधान था।[20] उनका अकेले यात्रा करना निषिद्ध था। परन्तु यह नियम नारी की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था क्योंकि अरण्यवास में उनके शील भंग होने तथा अपहरण आदि का भय रहता था।[21]

इस प्रकार जैसा कि रीटा ग्रॉस ने संकेत किया है कि इन नियमों द्वारा महिलाओं के अकेले यात्रा करने पर सामान्यत: प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक उसी प्रकार जैसे कि आज हम प्राय: महिलाओं को असामान्य समय में असुरक्षित जगहों पर न जाने का सुझाव देते हुए उन पर सम्भावित पुरुष-हिंसा का प्रतिकार करते हैं।[22] इस प्रकार त्रिपिटक साहित्य में बार-बार हुए संशोधनों की वजह से स्त्रियों के संबंध में अभित्यक्त किए गए विचारों में विविधता

मिलती है। केट ब्लैकस्टॉन के अनुसार बौद्धों का नारीद्वेषक रूख इस तथ्य की उपज था कि महिलाओं की दीक्षा को धर्म व विनय के लिए एक गंभीर व परिहार्य खतरे के रूप में देखा गया।[23] बुद्ध ने स्त्रियों के लिए संघ के द्वार खोल कर उन्हें आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने तथा अपने दु:खों का अन्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। बौद्ध धर्म के अनात्मवाद के सिद्धान्त[24] के अनुसार संसार में किसी की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, मनुष्य के कर्म महत्वपूर्ण है। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं है, वह जो करता है तथा कहता है, वह उसका मस्तिष्क है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं।[25]

बौद्ध धर्म का आष्टांगिक मार्ग तीन भागों में विभक्त है - प्रज्ञा, शील और समाधि। ये तीनों सिद्धान्त स्त्री तथा पुरूष में कोई भेद नहीं करते हैं।[26] बुद्ध ने स्त्री-पुरूष दोनों के लिए निर्वाण प्राप्ति का एक समान मार्ग निश्चित किया है। दोनों ही निर्वाण प्राप्त की योग्यता रखते हैं।[27] बौद्ध धर्म में कर्मकाण्डों का कोई स्थान नहीं है। ब्राह्मण धर्म में कर्मकाण्डीय दृष्टि से स्त्रियों को अयोग्य सिद्ध कर उन्हें धर्म के क्षेत्र से पूर्णत: पृथक् कर दिया था। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म ने पंडित वर्ग को जन्म नहीं दिया। चूँकि बौद्ध धर्म ईश्वर और उस तक पहुंचाने वाले मध्यस्थ वर्ग (पंडित) में विश्वास नहीं करता इसलिए स्त्रियों को धर्म से परे रखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। बुद्ध के शिष्य व अनुयायी भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका चार वर्गों में विभक्त थे। ज्ञान प्राप्त और सामान्य उपासक वर्ग में केवल संघ के प्रति उनकी निष्ठा और जीवनयापन के ढंग में ही अंतर था। स्त्री तथा पुरूष उपासक वर्ग में कोई भेद संघ द्वारा नहीं किया गया था।[28]

बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धान्त में विश्वास करता है, जो स्त्री-पुरूष दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी इच्छा से जिस प्रकार के कार्य करता है उसी से उसका भाग्य निर्धारित होता है, इसका कर्त्ता के लिंग से कोई सम्बन्ध नहीं है। भगवान बुद्ध स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि स्त्री तथा पुरूष आध्यात्मिक जीवन के अन्तिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति योग्य हैं। मार को सोमा द्वारा दिया गया उत्तर कि चित्त के समाहित होने तथा ज्ञान प्राप्त होने पर कोई भी धर्म का पूर्ण साक्षात्कार कर सकता है इसमें स्त्री भाव का कोई महत्त्व नहीं है,[29] इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बुद्ध ही नहीं वरन् उनकी शिष्याओं में भी ज्ञान प्राप्ति की अपनी योग्यता में अटूट विश्वास था और कोई भी उन्हें अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छाशक्ति से विपथ नहीं कर सकता था। अब यदि स्त्रियों की ओर से विचार किया जाए कि वे बौद्ध संघ तथा धर्म की ओर क्यूँ आकृष्ट हुई तो थेरीगाथा में वर्णित भिक्षुणियों की गाथाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा सकता है कि वे क्या परिस्थितियाँ थी, जिनके कारण छठी सदी ई. पू. में नारी सांसारिक जीवन से विरक्त होकर संन्यास की ओर आकृष्ट हुई। थेरीगाथा का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी थेरियाँ समान रूप से बौद्ध संघ में सम्मिलित नहीं हुई। थेरीगाथा में उल्लेखित 71 गाथाओं को भिक्षुणियों के संघ में प्रवेश लेने के कारण व तरीकों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है -

1. दस थेरिया प्रत्यक्ष रूप से भिक्षुणियाँ बनी।
2. तीन थेरिया अर्हत बनी।
3. दो संघ में प्रविशिष्ट होने से पूर्व अनागामी बनी।
4. पाँच थेरियाँ संघ में प्रविशिष्ट होने से पूर्व स्रोतपन्ना बनी।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किस सीमा तक बौद्ध धर्म ने स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया और किस सीमा तक वे स्वयं परिस्थितिवश धम्म की ओर आकर्षित हुई। बौद्ध धर्म की ओर से विश्लेषण करने पर यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि बुद्ध, संघ और धम्म ने थेरियों को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। चार गाथाओं में थेरियों ने उल्लेख किया है कि बुद्ध के सिद्धान्तों को सुनकर उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का निर्णय लिया। इनमें सित्ता, मैत्तिका, उत्तमा और सिहा की गाथाएँ प्रमुख हैं। वहीं क्षेमा नामक भिक्षुणी ने उल्लेख किया है कि केवल बुद्ध को प्रणाम करने मात्र से ही मेरे चित्त से लौकिक विषयों के प्रति राग पूर्णत: विनष्ट हो चुका है और उनके ही धर्मानुशासन में स्वकीय जीवन-यापन हुई समस्त दु:खों में मुक्त हो पायी हूँ।[30] थेरीगाथा में यह भी उल्लेख मिलता है कि दु:ख की अनुभूति और ऐसी स्थिति में बुद्ध की धर्मदेशना संघ में प्रवक्षित होने का आधार बनी। वह लिखती है कि ''मैं पुत्रशोक से व्याकुल होती हुई विक्षिप्त चित्त और संज्ञाहीन होकर बाल बिखेरे इधर-उधर घूम रही थी। तब कभी मैंने मिथिला प्रदेश की ओर जाते हुए, किसी के भी द्वारा अविजित सम्यक् सम्बुद्ध को मार्ग में देखा। उनका धर्मोपदेश सुनकर मैं उनके धर्म में प्रव्रजित हो गई।''[31] द्वितीय-संघ; कुछ थेरियाँ मात्र भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश सुनकर ही नहीं वरन् उनके द्वारा स्थापित संघ के सदस्यों के धर्मोपदेश से प्रभावित होकर भी संघ में प्रव्रजित हो गई। पटाचारा, उत्तरा और कंडा के प्रव्रजित होने में सहायक बनी।

बौद्ध धर्म का तीसरा प्रमुख रत्न है - धम्म अर्थात् सम्यक् बुद्ध की धर्मदेशना अथवा सिद्धान्त। गुप्ता, विजया, अनुपया आदि थेरियों ने धर्मसाधना से तीन विधाओं को प्राप्त किया।[32] बुद्ध, धम्म एवं

संघ के अतिरिक्त समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, घरेलू परिस्थितियाँ एवं मित्र तथा परिवार जनों से प्रेरणा भी स्त्रियों के संघ में प्रव्रजित होने के लिए उत्तरदायी रही। गृहकार्यों व गृहदोषों से उद्विग्न होकर प्रव्रज्या ग्रहण करने वाली थेरियों में मुक्ता, गुप्ता और शुभा प्रमुख हैं। मुक्ता थेरी लिखती है कि आज मैं इन तीन क्षुद्रों से ऊखल, मूसल और कुबड़े पति से मुक्ति पाकर स्वयं को वस्तुत: मुक्त समझ रही हूँ। कभी-कभी पति की विरक्ति के कारण भी स्त्रियाँ संग में प्रविष्ट होती थी। ऋषिदासी नामक भिक्षुणी उल्लेख करती है कि मेरे पिता प्रसिद्ध उज्जयिनी नगरी के शीलसम्पन्न श्रेष्ठी थे। मेरे पिता द्वारा तीन बार मेरा विवाह उच्च कुल के श्रेष्ठी पुत्रों के साथ किया, परन्तु तीनों ने ही मुझे त्याग दिया तब मैंने सोचा ''क्या मैं माता-पिता से पूछे बिना ही आत्महत्या कर लूँ या प्रव्रज्या ग्रहण करूँ। तभी आया जिनदत्ता भिक्षाचर्या करती हुई मेरे पिता के घर आयी। उनसे प्रभावित होकर मैं पिता की आज्ञा से संघ में प्रविष्ट हो गयी।

थेरीगाथा में उल्लेखित कुछ कथाएँ दर्शाती है कि प्रियजनों की मृत्यु एवं उनके वियोग के कारण बहुत सी थेरियाँ धम्म के मार्ग पर अग्रसर हुई। उब्बिरी अपनी पुत्री की मृत्यु के शोक से विचलित हो विलाप करती है। तभी एक व्यक्ति विनष्ट के लिए क्या विलाप करना, ऐसा कहकर उसके पुत्री विषयक शोकशल्य को हृदय से दूर कर देता है और उब्बिरी, बुद्ध, संघ व धम्म की शरण में जाकर सुखी अनुभव करती है। इसी प्रकार वशिष्ठी व पाँच सौ स्थविर भिक्षुणी जो कि पुत्र शोक से व्याकुल थी, अन्य भिक्षुणियों द्वारा समझाए जाने पर संघ की ओर आकृष्ट हुई। भद्रा कुंडलकेशा और ऋषिदासी अकृतज्ञ व धूर्त पतियों के कारण सांसारिक जीवन से निराश होकर बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुई। कभी-कभी स्त्रियाँ पति या अन्य परिवार जनों का अनुसरण कर संघ में प्रविष्ट हो जाती थी। चाला, उपचाला और शीर्षोपचाला भाई (सारिपुत्र) का अनुसरण कर व भद्रा कापिलायनी पति (महाकश्यप) का अनुसरण कर भिक्षुणी बनी।[33] इसी प्रकार सोणा पति द्वारा संघ में प्रव्रजित हो जाने पर पुत्र द्वारा अच्छा व्यवहार न किए जाने के कारण भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट हो गई। कभी-कभी माता-पिता भी अपनी पुत्रियों को अनेक कारणों से संघ में प्रव्रजित होने की आज्ञा देते थे। उपलावना के लिए एक से अधिक वैवाहिक प्रस्ताव आने पर उसके पिता निर्णय न कर पाने की स्थिति में अपनी पुत्री को संघ में प्रविष्ट होने की आज्ञा देते थे। इसी प्रकार अभिरूपनंदा के मंगेतर की मृत्यु हो जाने पर उसके माता-पिता उसे उसकी इच्छा के विरूद्ध संसार त्याग कर संघ में प्रवेश लेने की आज्ञा देते हैं। इन सभी उद्धरणों से स्पष्ट है कि बौद्ध काल में भी समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक ही रहा, जिसने स्त्रियों को समाज व परिवार के मान की रक्षा तथा पितृआज्ञा की अनिवार्य अनुपालना आदि लोकनियमों के कारण इच्छा के विरूद्ध भी संघ में प्रवेश लेने के लिए बाध्य किया।

थेरीगाथा में कुछ ऐसे भी उल्लेख देखने को मिलते हैं, जिनमें स्त्रियाँ पहले साधारण उपासिकाएँ व तदन्तर बौद्ध भिक्षुणी बनी। सुखा प्रारम्भ में भगवान बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर उपासिका बनी, परन्तु बाद में जीवन-मृत्यु के चक्र को समझने की उसकी अभिलाषा ने उसे भिक्षुणी बनने के मार्ग की ओर अग्रसर किया। इसी प्रकार सेला, सोमा और शुभा प्रारंभ में साधारण उपासिकाएं बनी, परन्तु कालान्तर में अपने मस्तिष्क की मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के निर्णय के कारणस्वरूप संघ में प्रविष्ट हुई। इस प्रकार छठीं सदी ई.पू. की सामाजिक, पारिवारिक दशाएँ स्त्रियों को सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी रही।

निष्कर्ष

इस प्रकार बुद्ध ने संघ में नारियों को स्थान देकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आज की तुलना में देखा जाए तो बुद्ध को नारी स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक नहीं माना जा सकता। परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में बुद्ध प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नारी की महत्ता को समझा और उसकी स्वतंत्रता के द्वार खोले। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में न केवल स्त्रियों के लिए धर्म पथ खुला था, बल्कि वास्तव में यह रास्ता स्त्रियों तथा पुरूषों दोनों के लिए एक ही प्रकार का था। ऐसी बात नहीं है कि लिंग भेद विद्यमान नहीं थे लेकिन वे मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग में बाधक नहीं थे।

दूसरी ओर स्त्रियों ने भी अपने पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक संतापों से मुक्त होने हेतु संघ की ओर शांति तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु रूख किया। यद्यपि संघ की ओर आकर्षित होने के पीछे प्रत्येक स्त्री के पास एक अलग कारण था परन्तु संघ में प्रवेश प्राप्त कर प्रत्येक नारी ने आध्यात्मिकता के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने का सहृदय प्रयत्न किया और यही कारण है कि बौद्ध साहित्य में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण उपलब्ध है जिसमें भिक्षुणी के संघ को छोड़कर पुन: सांसारिक जीवन की ओर उन्मुख होने का उल्लेख मिलता है, जबकि भिक्षुओं के संबंध में ऐसे अनेक उदाहरण बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। अनेक स्त्रियों ने बुद्ध द्वारा मुहैया कराए गए इस अवसर का लाभ उठाया। भिक्षुणी संघ के माध्यम से स्त्रियों के पास अपनी पारिवारिक भूमिकाओं के स्थान पर एक विकल्प भी उपलब्ध था।

सन्दर्भ सूची

1. चुल्लवग्ग, पृ. 374
2. उपर्युक्त, पृ. 374-375
3. दीक्षित, शालिनी, पैट्रीआर्की एण्ड फैमिनाइन स्पेस : ए स्टॅडी ऑफ वीमेन इन अर्ली बुद्धिज़्म, मानक प्रकाशन, 2008, पृ. 85
4. पूर्वोक्त, पृ. 378
5. उपर्युक्त, पृ. 376-377
6. कैबेज़ॉन, जोस इग्नेसियो, बुद्धिज्म, सैक्सुएलिटी एण्ड जेंडर, स्टेट युनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क प्रेस, 1992, पृ. 125
7. रत्नपाल, डॉ. नंदसेन, वीमेन एण्ड सोसायटी फ्रॉम द बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, शोध पत्र, पृ. 5
8. सिंह, चातुसमारन काबिल, ए कम्पेरेटिव स्टॅडी ऑफ भिखुनी पातिमोख, चौखम्बा ओरियेंटला, वाराणसी, 1981, पृ. 24
9. उपर्युक्त, पृ. 25-26
10. रत्नलाल डॉ. नंदसेन, पूर्वोक्त, पृ. 6
11. तालिम, मीना, लाइफ ऑफ वीमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट वर्ल्ड प्रेस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 221
12. उपर्युक्त, पृ. 22.
13. चुल्लवग्ग, पृ. 374
14. उपर्युक्त, पृ. 374
15. तालिम, मीना, पूर्वोक्त, पृ. 22
16. सिंह, चातुसमारण काबिल वीमेन इन बुद्धिज्म : क्वेश्चन एण्ड आंसर, बुद्ध धर्म एज्यूकेशन एसोसिएशन, थाइलैण्ड, 1998, पृ. 251
17. उपर्युक्त, पृ. 261
18. चुल्लवग, पृ. 374-375
19. सिंह, चातुसमारन काबिल, पूर्वोक्त, पृ. 261
20. चुल्लवग, पृ. 374-375
21. सिंह, डॉ. अरूण प्रताप, जैन और बौद्ध भिक्षुणी संघ, पार्श्वनाथ विधापीठ, वाराणसी, पृ. 192
22. ग्रॉस, रीटा, बुद्धिज्म ऑटर पैटिआर्की : ए फैमिनाइन हिस्ट्री, एनालिसिस एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म, श्री सतगुरू पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1995
23. ब्लैकस्टोन, कैट, डैमिंग द धुम्मा: प्राब्लम्स विद भिक्खुनिज इन द पालि विनय, शोध पत्र
24. गुनासकारा, विक्टर, बुद्धाज़ एटीट्यूड टूवडर्स् वीमेन, पृ. 5
25. कारस, पॉल, द गोसपेल ऑफ बुद्धा, क्रीएट स्पेस इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग प्लेटफार्म, 2011. पृ. 152
26. गुनासकारा, विक्टर, पूर्वोक्त, पृ. 5
27. उपर्युक्त, पृ. 5
28. उपर्युक्त, पृ. 5
29. संयुक्त निकाय, भाग-1, पृ. 108-109
30. शास्त्री, स्वामी द्वारकादास, थेरीगाथा, षट्क निपात्, बौद्ध भारती, वाराणसी, 2008, पृ. 231
31. उपर्युक्त, पृ. 230
32. उपर्युक्त, पृ. 264-265
33. उपर्युक्त, पृ. 46

वैश्विक स्तर पर महिला कामगारों के मानवाधिकारों का संप्रत्य

डॉ. मुकेश कुमार

व्याख्याता, विधि विभाग

राजकीय विधि महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

मानव सभ्यता के विकास कालक्रम में मानव अधिकार की अवधारणा एक अहम् पड़ाव के रूप में विशेष महत्त्व रखती है। ये ऐसे उत्कृष्ट अधिकार हैं जो मनुष्य को न केवल मनुष्य के रूप में अपितु सम्पूर्ण समाज के सदस्य के रुप में सांस्कृतिक, नैतिक व भौतिक उन्नति के अवसर प्रदान करते हैं। मानव अधिकारों का प्रत्यक्ष संबंध मानव के आत्मसम्मान, गरिमापूर्ण जीवन व स्वतन्त्रता से है। वस्तुत: मानव अधिकार स्वयं में अन्तर्निहित, अपृथक्करणीय एवं वैश्विक हैं। मानवाधिकार सभी मनुष्यों, चाहे वो महिला हो या पुरुष, के अस्तित्व हेतु अनिवार्य हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव अधिकारों में मानव की संकल्पना में स्त्री व पुरुष दोनों विवक्षित हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में भी यह कहा गया है कि ''हम संयुक्त राष्ट्र के लोग......मूलभूत मानवाधिकारों में व्यक्ति की गरिमा और मूल्यों में पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हैं।'' लेकिन यह कटु सत्य है कि सभ्य मानव समाज का आधा भाग आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत ळें महिला मानवाधिकारों के सन्दर्भ में एक विशेष तथ्य है कि लम्बे समय तक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से वंचना व उचित स्तर के सम्मान के अभाव के कारण यह वर्ग समाज की मुख्यधारा से पृथक हो हाशिये पर चला गया। अत: सामान्य मानवाधिकार का प्रयोग व स्तर इनके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की अपनी विशिष्ट शारीरिक पहचान है जो उसे पुरुषों से पृथक करती है। अत: महिलाओं की उपेक्षा एवं अधिकारों के हनन ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के मानवाधिकारों की आवश्यकता के विमर्श के प्रत्यय को विकसित किया है।

संकेताक्षर : *अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, घोषणा, प्रसंविदा, अभिसमय*

महिला कामगारों के सामाजिक-आर्थिक अधिकार उनके मानवाधिकारों के एकीकृत एवं अपृथक्करणीय अंग हैं। वैश्विक परिदृश्य में महिला कामगारों की ऐतिहासिक प्रस्थिति, परम्परावादी समाज, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियाँ और समाज के कार्यो में अधिक भागीदारी के बावजूद अधिकांश देशों द्वारा उनके आर्थिक-सामाजिक अधिकारों की वास्तविक प्राप्ति हेतु गंभीर नीतिगत प्रयास नहीं किये गये। अत: अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विभिन्न चार्टरों, अभिसमयों, घोषणाओं एवं सम्मेलनों के माध्यम से महिला कामगारों के मानवाधिकारों के सरंक्षण व प्रोन्नयन हेतु एक संरचनात्मक ढाँचे का निर्माण किया गया है।[1] वहीं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संवैधानिक उपबंधों एवं अधिनियमों के माध्यम से महिला कामगारों को उनके मूलभूत मानवाधिकारों को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया।

महिला कामगारों के मानवाधिकारों की संरचना : अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

I. संयुक्त राष्ट्र संघ के उपकरण : मानवता के अर्द्धांश के रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष समानता व सहभागिता का विनिश्चयन कर उनकी निर्णय प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भागीदारी प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक प्रयास व प्रावधान किये गये हैं:

(i) मानवाधिकारों की सार्वजनीन घोषणा, 1948

- बगैर लिंग भेद के सभी स्त्री-पुरुष घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं के हकदार हैं (अनु. 2)
- प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी विभेद के समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है {अनु. 23(2)}
- मातृत्व विशेष देखरेख एवं सहायता की हकदार है {अनु. 25(2)}

(ii) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966

- प्रसंविदा के अधिकार लिंग-विभेद के बगैर लागू होंगे {अनु. 2(2)}
- सभी व्यक्तियों को बिना किसी विभेद के काम द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त करने का अधिकार है (अनु. 6)
- कामगार महिलाओं को पुरूषों के समान कार्य की अनुकूल स्थितियों एवं समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार है {अनु. 7(1)}
- सभी व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को मान्यता (अनु.9)
- कामकाजी महिलाओं को प्रसूति हेतु संवेतन अवकाश व पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित अवकाश का अधिकार {अनु. 10(2)}

(iii) महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के विभेदों के उन्मूलन संबंधी अभिसमय, 1979

- पक्षकार राज्य रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को काम करने, रोजगार के समान अवसर देने, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देने, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्रदान करने और उनके स्वास्थ्य की संरक्षा के उचित उपाय करेंगे तथा कर्मकार महिलाओं हेतु विशेष सुविधायें उपलब्ध करायेंगे (अनु. 11)
- आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जीविकोपार्जन हेतु राज्य महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध करायेंगे (अनु. 13)

(iv) वियना घोषणा और कार्य-योजना, 1993

- महिलाओं के मानवाधिकार अपरिहार्य तथा सार्वजनिक मानवाधिकारों से अभिन्न और अविभाज्य हैं।[2]
- अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी तथा लिंग पर आधारित सभी प्रकार के विभेद की समाप्ति अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्राथमिक लक्ष्य हैं।

II. महिला कामगारों के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपकरण : अभिसमय और अनुशंसा

महिला कामगारों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रोन्नयन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आधारभूत उद्देश्यों का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, वैश्विक स्तर पर तकनीकी सहयोग, संरचनाओं व प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य के क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने हेतु सक्रिय भूमिका का निर्वाह अपनी स्थापना के समय से ही किया जा रहा है। विभिन्न अभिसमयों और अनुशंसाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने महिला कामगारों के अधिकारों एवं लैंगिक समानता को आधारभूत मानते हुए उन्हें मानवाधिकार की संज्ञा दी है। इनमें से चार प्रमुख अभिसमय व अभिसंशाएं अग्रलिखित हैं-[3]

(i) समान पारिश्रमिक अभिसमय (संख्या 100) एवं अनुशंसा (संख्या 90), 1951

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकृत इस अभिसमय व अनुशंसा का उद्देश्य समान कार्य हेतु समान पारिश्रमिक के सन्दर्भ में महिला कामगारों एवं पुरुष कामगारों के मध्य व्याप्त लैंगिक विभेद को समाप्त करना था। पुरुष और महिला कामगार के लिये समान मूल्य के काम के लिये समान पारिश्रमिक का तात्पर्य लिंग आधारित भेदभाव के बिना, निश्चित की गई पारिश्रमिक की दर से है।[4]

(ii) भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) अभिसमय (संख्या 111) व अनुशंसा (संख्या 111), 1958

इस अभिसमय का उद्देश्य रोजगार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में लैंगिक भेद पर आधारित सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन के साथ-साथ गैर-भेदभाव की राष्ट्रीय नीति की घोषणा हेतु गति तीव्र करना।[5] भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) अनुशंसा संख्या 111 का उद्देश्य बगैर लैंगिक भेदभाव के रोजगार एवं व्यवसाय में अवसर एवं उपचार की समानता स्थापित करना था।

(iii) कामगारों के पारिवारिक उत्तरदायित्व अभिसमय (संख्या 156) व अनुशंसा (संख्या 165), 1981

इस अभिसमय का लक्ष्य पुरुष कामगारों और परिवार से सम्बद्ध महिला कामगारों के मध्य रोजगार में अवसर और उपचार की समानता स्थापित करना था। साथ ही पूरक के रुप में की गई अनुशंसा संख्या 165 का उद्देश्य इस अभिसमय की बेहतर रुप में क्रियान्विति करने हेतु विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करना था जैसे व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और रोजगार की दशायें, बच्चों की देखभाल से सम्बन्धित सेवायें व संस्थायें तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान।

(iv) मातृत्व सुरक्षा अभिसमय (संख्या 183) एवं अनुशंसा (संख्या 191), 2000

यह अभिकरण विभिन्न रोजगार कार्यो में संलग्न सभी महिलाओं के मातृत्व अधिकार की सुरक्षा करता है। इसके अन्तर्गत मातृत्व

हेतु आवश्यक सुविधाओं को केन्द्र में रखकर विशेष उपबंधों का सृजन किया गया है यथा कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संरक्षण, मातृत्व अवकाश, सामाजिक लाभ, मातृत्व आधारित विभेद की समाप्ति, बच्चे को स्तनपान हेतु समय अन्तराल देना। यह अभिसमय महिला कामगारों को 14 सप्ताह का अवकाश उपलब्ध कराता है जो विशेष परिस्थितियों में 18 सप्ताह तक अधिकतम हो सकता है।

(v) अन्य प्रमुख अभिसमय एवं अनुशंसाएँ

- सफेद सीसा (रंगाई) अभिसमय (संख्या 13), 1921[6]
- सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) अभिसमय (संख्या 102), 1952
- कल्याणकारी सुविधायें अभिसमय (संख्या 102), 1956
- रोजगार (पारिवारिक उत्तदायित्व वाली महिला) अनुशंसा (संख्या 123), 1965
- अधिकतम वजन अभिसमय (संख्या 127) एवं अनुशंसा (संख्या 128), 1967
- रात्रिकालीन कार्य (महिला) अभिसमय (संख्या 171) एवं अनुशंसा (संख्या 178), 1990
- घरेलू कार्य अभिसमय (संख्या 177) एवं अनुशंसा (संख्या 184), 1996

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा महिला कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा, संवर्द्धन एवं प्रोन्नयन हेतु समय-समय पर विभिन्न अभिसमयों, घोषणाओं एवं अनुशंसाओं को विरचित किया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी वैश्विक स्तर पर महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक विभेद के पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं।[7] वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकृत विभिन्न अभिसमयों के अन्तर्गत महिला कामगारों हेतु संरचित विशेष अभिसमय यथा मातृत्व संरक्षा तथा रात्रि में महिलाओं द्वारा कार्य का निषेध, महिलाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाओं को कम कर रहे हैं। नियोक्ता द्वारा मातृत्व धारण करने वाली महिला कामगारों को कार्य से पृथक कर दिया जाता है ताकि उन्हें अभिसमयों व नीतियों में प्रदत्त विशेष सुविधाएं व अवकाश ना देना पड़े। अत: बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप विभिन्न अभिसमयों के पुन: परीक्षण की आवश्यकता है ताकि वे महिला कामगारों के अधिकारों की संरक्षा के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकें। श्रम के क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों के अतिक्रमण एवं उल्लंघन का निरोध करने तथा निरीक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक प्रवर्तन तन्त्र की संस्थापना समय की महती जरूरत है।

सन्दर्भ सूची

1. संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, अनुच्छेद (3)
2. वियना घोषणा और कार्य-योजना, 1993, अनुच्छेद 18
3. ए बी सी ऑफ वूमन् वर्करस् एण्ड जेन्डर इक्वैलिटी, इंटरनेशनल लेबर ऑरगेनाईजेशन, जिनेवा,2007, पेज 6
4. वर्मा, ए.पी. वूमन् लेबर इन इण्डिया, ए कॉम्प्रीहेनिसव मैनुअल, फर्स्ट एडिशन, वी.वी. गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा, 1996, पेज 104
5. मीर, जी ओ., वूमन् वर्करस् एण्ड द लॉ, फर्स्ट एडिशन, अनमोल पब्लिकेशन, प्रा. लिमिटेड, न्यू डेल्ही, 2002, पेज 144
6. शर्मा, उषा, फीमेल लेबर इन इंडिया, फर्स्ट एडिशन, मित्तल पब्लिकेशन्स, न्यू डेल्ही, 2006, पेज 31
7. राजू सरस्वती, लोकेटिंग वूमन् सोशल डवलपमेन्ट, इंडिया सोशल डवलपमेन्ट रिपोर्ट फर्स्ट एडिशन, 2006, पेज 78

भारत की विदेश नीति : विश्व में उभरते नवीन सन्दर्भ

डॉ. विनी शर्मा

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

राष्ट्रीय हित प्रत्येक देश की विदेश नीति का मूल उद्देश्य, या साध्य होता है। राष्ट्रीय हित, वास्तव में समस्त अन्तरराष्ट्रीय संबंधों का आधार है, उनकी कुंजी है। यह कहा जाता है कि आत्महित राष्ट्रीय नीति का न केवल एक मात्र वैध बल्कि मौलिक कारण है। कोई भी सरकार देश के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करने का साहस नहीं कर सकती। कोई भी देश, चाहे उसके आदर्श कुछ भी क्यों न हो, अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के अतिरिक्त और किसी भी आधार पर निर्मित नहीं कर सकता है। सामान्यत: किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के राष्ट्रीय हितों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। वर्तमान सरकार की अब तक की विदेश नीतियाँ 'राष्ट्रहित' को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मोदी ने 2014 में सत्ता तब संभाली जब पूर्व की मनमोहन सरकार की विदेश नीतियां हर मोर्चे पर एकदम असफल हो गई थी। मोदी सरकार की विदेश नीति में संतुलन, सामंजस्यता और योजनाबद्ध नीति का समावेश बखूबी देखने को मिलता है। एक तरफ वह अपने परम्परागत मित्र रूस के साथ रिश्तों को सुगम बनाते हैं, अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को उच्च स्तर पर ले जाते हैं तो साथ ही इजराइल और ईरान के साथ 'दोस्ती' की एक नई शुरूआत दिखाई है। मोदी सरकार की विदेश नीति में दक्षिण एशिया महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मोदी जी की नेपाल और भूटान यात्रा ने दोनों देशों के भारत के साथ संबंधों को एक नई दिशा दी। पाकिस्तान को लेकर भी विदेश नीति आक्रामक होने के साथ संतुलित और संयमित दिखाई देती है। अत: अब भारत को विश्व समाज में विशाल हाथी की भूमिका दर्ज कराते हुए आर्थिक आवाज़ को उच्च करना होगा।

संकेताक्षर : *व्यापारिक कूटनीति, 26/11 आतंकी हमला, मेक इन इण्डिया, डिजिटल इंडिया*

भारत के 16वें आम चुनावों में भाजपा के पूर्ण बहुमत के साथ आने से ही यह कयास लगने लगे कि अब भारत की विदेश नीति किस करवट बैठेगी। इसका प्रमुख कारण भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय विदेश नीति में व्यापारिक कूटनीति, सीमा पार के आतंकवाद पर प्रत्युत्तर, 2020 तथा इसके आगे के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। ''मोदी दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों पर ध्यान देने के साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत-प्रशान्त क्षेत्र के ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कनाडा जैसे क्षेत्रीय सदस्यों के साथ घनिष्ठ सामरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण और सुरक्षात्मक अनिवार्यताओं के युग में अरबों की बढ़ती आकांक्षाओं, चीन के आक्रामक इरादों और पाकिस्तान के निरन्तर बढ़ते आतंकवादी निर्यात ने विदेश नीति को बहुत अधिक जटिल बनाकर रख दिया है।''[1]

किसी भी देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों का समुच्चय होती है, जो मुख्य रूप से कुछ समुदायों द्वारा विकसित उन क्रियाओं की व्यवस्था, जिसके द्वारा दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलने तथा अपनी गतिविधियों को अन्तरराष्ट्रीय वातावरण में ढालने की कोशिश करता है।[2] राष्ट्रपति आरजन हावर ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''हमारी सुरक्षा हमारे आर्थिक, बौद्धिक, नैतिक और सैन्य ताकत का कुल उत्पाद है।''[3] अत: विदेश नीति को बनाने में इन तत्वों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। परिणामत: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक मुद्दों को विशेष वरीयता देते हुए समृद्ध देशों के प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न किया है। इस संदर्भ में, मोदी के लिए अमेरिका प्राथमिक हितों वाला देश रहा है और इन आर्थिक सम्बन्धों को

आगे बढ़ाने में भारत को अतीत के मतभेदों को दूर रखना होगा। तभी भारत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में और सुरक्षा के वातावरण को मजबूत करने में एक नवीन भूमिका अदा कर पायेगा। विदेश नीति समय-समय पर यह भी तय करती है कि अन्तरराष्ट्रीय समाज में होने वाली परिघटनाओं के प्रति उसका और दूसरे देशों का क्या दृष्टिकोण है। अत: किसी भी विदेश नीति को चाहिए कि बदलते परिवेश में अपनी विदेश नीति को उसी परिवेश में ढाल लें। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में मोदी का दृष्टिकोण अन्तरराष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रथमत: भारतीय हितों से सम्बन्धित है और भारतीय गौरवशाली परम्परा को समृद्ध करने वाला रहा है।

भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने वैदेशिक सम्बन्धों में सकारात्मकता को जोड़ते हुए, अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक ऊर्जा से परिपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित किया है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत से देशों की विदेश नीति का संदर्भ भी परिवर्तित हो गया है, आर्थिक और भू-अर्थशास्त्र, विश्व के बड़े देशों के साथ ही मोदी ने विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति एक सकारात्मकता का उदाहरण प्रस्तुत किया कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया।[4] इससे यह विदित हुआ कि आज भी भारत, सार्क सदस्य राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने और उसे अधिक बेहतर बनाने के लिए कृतसंकल्प है। अत: प्रधानमंत्री का पहला विदेशी दौरा भूटान में होना, इस बात को दृष्टिगोचर करता है कि वास्तव में वर्तमान सरकार पड़ोसी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने में कृतसंकल्प है।[5]

नवीन संदर्भ और विदेश नीति

प्रारम्भ में हम यदि 50 और 60 के दशक की चर्चा करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य भीषण शीतयुद्ध ने गुटनिरपेक्षता की नीति को जन्म दिया। 80 और 90 के दशक में शीत युद्ध के अंत के साथ अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में नवीन बदलाव आये, सोवियत संघ का विघटन, अमेरिका का एक ध्रुवीय होना, वारसा संधि का विघटन, बर्लिन की दीवार का विध्वंस, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण।[6] इन सभी घटनाओं ने अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में नवीन संदर्भ ला खड़े किये। अत: भारत को अपनी विदेश नीति में मौलिक-परिवर्तन करना आवश्यक हो गया।

सबसे बड़ा परिवर्तन परमाणु नीति, गैर-गठबंधित तीसरी दुनिया और पश्चिम विरोधी नीति के रूप में, 1998 में नाभिकीय परीक्षण की पहल, एन.एम.डी. और टी.एम.डी. के प्रस्ताव का खुला समर्थन और 9/11 के आतंकवादी हमले के खिलाफ वैश्विक युद्ध को समर्थन आदि भारत की वैदेशिक नीति के प्रमुख केन्द्र रहे। इन सभी परिवर्तनों के पीछे भारत की विदेश नीति में प्रमुख बदलाव देखे जा सकते हैं - (1) समाजवादी समाज में उदार पूंजीवादी समाज पर आम सहमति, (2) आर्थिक मुद्दों पर अधिक बल, (3) राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्ता, (4) पश्चिम समर्थक नज़रिया, (5) आदर्शवादिता से व्यवहारिकता की ओर।[7]

दरअसल भारत के लिये यह जरूरी था कि वह अमेरिका के साथ रिश्तों में आवश्यक सुधार करे। 1971 में भारत और पूर्व सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि तथा सोवियत संघ के विघटन के उपरान्त, अन्तरराष्ट्रीय जगत में भारत को सन्तुलन की स्थिति में लाना आवश्यक था। मोदी के सत्ता में आने के उपरान्त यह प्रक्रिया और तीव्र गति से आगे बढ़ी। अत: प्रधानमन्त्री ने अपनी वैदेशिक यात्राओं के लिए भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जापान, आस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, कनाडा, रूस और पाकिस्तान सहित अन्य देशों का रूख किया। इन वैदेशिक यात्राओं का मुख्य उद्देश्य था कि[8]-

1. रणनीतिक सम्बन्धों को विकसित करना।
2. बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को प्राथमिकता देना।
3. अपने आप को आत्मनिर्भर और आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना।
4. पड़ोसी राज्यों को प्रभावित करना।
5. अन्तरराष्ट्रीय जगत में एक जिम्मेदार भूमिका प्रदर्शित करना।

इन यात्राओं का ठोस परिणाम भी देखने को मिल रहा है। कूटनीतिक सफलता के रूप में प्रभावशाली मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की सदस्यता का हासिल करना, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस के साथ सामरिक गठबंधन के साथ सम्बन्धों को पुनर्जीवित करना आदि इसी का परिणाम है। कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से परमाणु ईंधन भारत के रिएक्टरों में प्रवाहित होने लगा है। अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में चीन को छोड़कर, सुरक्षा परिषद् के अन्य चार सदस्य हरसम्भव प्रयास कर रहे हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता प्राप्त हो, ताकि चीन की तरफ से होने वाले खतरे को संतुलित किया जा सके। साथ ही भारत ने इरान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। जापान, थाईलैण्ड, वियतनाम तथा सिंगापुर जैसे सभी एशियाई देशों के साथ शुरू अन्य ठोस, पहल ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। भारत ने आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के साथ अपने सम्बन्धों में गर्माहट लाने का प्रयास तेज कर दिया है। मेडागास्कर, नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों, ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका) तथा समूह-20 के देशों के साथ सम्बन्धों की बढ़ती संभावना की ओर भारत आगे बढ़ रहा है।[9] इसके विपरीत, दशकों से चल रही पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी गतिविधियों पर

प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया कि इन आतंकवादी गतिविधियों पर प्रहार किया जाए। प्रारम्भ में भारत ने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाया लेकिन अब स्थिति इस प्रकार की बन गयी है कि आतंकवादी शिविरों पर जाकर उनसे लोहा लिया जाए।[10]

मोदी ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही वैश्विक राजनीति में कूटनीतिक सम्बन्धों को एक पृथक् आकार देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पहुंच को अमेरिका तक विस्तृत किया। एक वो समय था जब मोदी के अमेरिका प्रवेश पर, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था आज वही अमेरिका मोदी के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाता है। इसी संदर्भ में, मोदी ने भी राष्ट्रपति ओबामा को भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया।[11] अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने तथा उसे आगे बढ़ाने के साथ प्रधानमन्त्री ने विश्व समुदाय को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकता को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया। गत दो वर्षों में भारत की विदेश नीति का व्यापक दृष्टिकोण सामरिक हितों में प्रगति के साथ, सभी देशों को विकास के मार्ग पर आगे ले चलने के लिए प्रयत्नशील रहा है।[12] प्रधानमंत्री द्वारा की गई इन यात्राओं को 'वैश्विक सम्बन्धों में सुधार और विश्व में अपनी एक पहचान'' बनाने के रूप में देखना होगा। मोदी ने भारत के सामरिक तथा आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ बड़े पैमाने पर अपने सम्बन्धों को प्रगाढ़ रूप दिया है।

मोदी की विदेश नीति में संतुलन, सामंजस्यता और योजनाबद्ध-नीति का समावेश बहुत ही सुन्दर ढंग से देखने को मिलता है। एक तरफ वे अपने परम्परागत मित्र रूस के साथ रिश्तों को सुगम बनाते हैं, अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को एक-दूसरे स्तर पर ले जाते हैं, तो साथ ही वह इजराइल और ईरान के साथ दोस्ती की एक नई शुरूआत करने में रूचि दिखाते हैं। यकीनन यह उनकी विदेश नीति का ही कमाल है कि एक बार फिर से भारत विश्व में 'चर्चाओं' का केन्द्र 'बनकर', 'महाशक्ति' के रूप में उभरने लगा है। मोदी की विदेश नीति ने अप्रवासी भारतीयों को उनके 'स्वदेश' से पुन: जोड़ने का प्रयत्न किया है।[13]

चूंकि वर्तमान सरकार के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है इसलिए इस सरकार की विदेश-नीति को लेकर एक बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है कि यह देशी-विदेशी दबाव से बिल्कुल परे है। 26 मई, 2014 में सरकार बनने के बाद से ही मोदी की विदेश-नीति में स्वतंत्रता और बेबाकीपन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उन्होंने तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के साथ अन्य राज्यों को एक संदेश दिया कि भारत की विदेश-नीति सर्वदा राष्ट्र हित पर आधारित होगी, जिस पर किसी राज्य के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि गठबन्धन की राजनीति के खेल में विभिन्न मौकों पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य अपने 'क्षेत्रीय-राजनैतिक हितों' की खातिर भारतीय विदेश-नीति को प्रभावित करते रहे हैं।[14]

पाकिस्तान को लेकर प्रधानमन्त्री की विदेश नीति आक्रामक होने के साथ-साथ संतुलित और संयमित दिखती है। सरकार का हुर्रियत-मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ सचिव-स्तर, वार्ता स्थगित करना यह बताने के लिए काफ़ी था कि आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के साथ कोई नरमी नहीं बरतेगा। भारत ने पाकिस्तान को साफ़ शब्दों में कह दिया है कि जब तक मुम्बई के 26/11 आतंकी हमले के गुनहगारों और दहशतगर्दों पर कार्यवाही नहीं करते, तब तक द्विपक्षीय बातचीत संभव नहीं हो सकती।[15] एक तरफ जहाँ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विदेशी निवेशक भारत से दूरी बना रहे थे, तो दूसरी ओर मोदी के सत्ता में आने के बाद विदेशी निवेश में बढ़ोत्तरी हुई है। इकॉनामिक टाइम्स में मोदी द्वारा किए गए 12 देशों में 19.38 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेश निवेश हुआ है।[16] डॉ. हनुमन्त यादव के अनुसार ''लन्दन में जारी फाईनेंशियल टाइम्स की एफ.डी.आई. 2016 रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक 12 माह की अवधि में 63 लाख डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कर भारत दुनिया के देशों में पहले स्थान पर पहुंच गया है।''[17]

मोदी ने 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे अभिनव अभियानों के जरिये भारत को दुनिया के सामने 'एक ब्रांड' के रूप में प्रकल्पित किया है। उनका जापान और चीन का दौरा भारतीय परिप्रेक्ष्य में कारगर साबित हुआ है। भारत ने जापान और चीन के साथ कई महत्त्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए। जापान और चीन ने आगामी पाँच वर्षों में भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में क्रमश: 34 अरब डॉलर और 20 अरब डॉलर के निवेश करने का फैसला भी किया। कूटनीतिक दृष्टि से चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग की भारत यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। मोदी ने चिन पिंग को सीमा और अन्य मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इशारों में जता दिया कि भारत चीन की ओर से लद्दाख में हो रहे अतिक्रमण जैसी नापाक हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा।[18]

रूस के साथ भारत का मजबूत सम्बन्ध भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तम्भ है। 20 अगस्त, 2016 को रूसी उप प्रधानमंत्री डिमित्री रोगोजिन के साथ मुलाकात में मोदी ने रूस को एक विश्वसनीय दोस्त बताया। भारत के सैन्य तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मौलिक रूप से रूस द्वारा निर्मित 70 प्रतिशत से ज्यादा उपकरण इस्तेमाल किये जाते रहे हैं। संयुक्त सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण भारतीय थल सेना के लए अद्यतन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की सफल डिजाइनिंग तथा उसका उत्पादन है।[19]

परमाणु ऊर्जा द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तथा बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरकर सामने आई है। 1,000 मेगावाट के दो पॉवर प्लान्ट पहले से ही तमिलनाडु के कुडनकुलम

में कार्यरत हैं। रूस विश्व में तेल तथा गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में ऊर्जा की मांग तीव्र है। इस समय, तेल की मांग को लेकर भारतीय आवश्यकता 80 प्रतिशत और गैस को लेकर 37 प्रतिशत तक है।[20] इस तरह रूस और भारत उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में एक आदर्श दोस्ताना सम्बन्ध बनाते हैं।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति में निरन्तर बदलाव नजर आता रहा है लेकिन विदेश नीति में मूल उद्देश्य 'राष्ट्रीय हित' ही रहेगा। चाहे राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में शैली और दृष्टिकोण बदलते रहे। वर्तमान विदेश नीति में अन्तरराष्ट्रीय संलग्नता की तीव्र वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप भारत से विदेश तथा विदेशों से भारत के अनेक उच्चस्तरीय दौरे हुए हैं। इसलिए इन यात्राओं के सिलसिले को विभिन्न देशों द्वारा 'सम्बन्धों के विस्तार' के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व शैली से विश्व में भारत की साख बढ़ रही है। 21वीं सदी में भारत एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में तेज गति से बढ़ रहा है। उस उदारीकरण के युग में, जहां भू-अर्थशास्त्र विश्व का केन्द्र बिन्दु बन गया है, वहीं मोदी ने भारत की विदेश-नीति को बदलते संदर्भों में 'आर्थिक हितों' पर केन्द्रित कर दिया है।[21] यह सर्वविदित है कि भारत जिस प्रकार रूस का मित्र है, वहीं अमेरिका भी भारत के साथ अधिक नजदीकियाँ बनाता दिख रहा है। दोनों एक ही मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अत: 21वीं सदी में यह नजदीकियाँ वैश्विक साझेदारी की मिसाल बनेगी।

इसके अतिरिक्त भारत के सम्बन्ध नेपाल, भूटान, फिजी जैसे देशों के साथ बेहतर हुए हैं, वहीं पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्ते वैसे ही हैं, जैसे कि पहले थे। निकट भविष्य में भी बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। दोनों देशों के द्वारा, भारत को अधिक से अधिक कमजोर बनाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मोदी का हर प्रयास असफल होता दिख रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद का मुद्दा, चीन की बार-बार घुसपैठ और पाकिस्तान द्वारा बार-बार की जा रही फायरिंग आदि ऐसी चुनौतियाँ है जिससे निपटना सरकार की प्राथमिक सूची में होना आवश्यक है।

गांधीजी ने विदेश नीति के संदर्भ में कहा कि, ''भारत एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन सकता है जो समकालीन समय में आर्थिक लाभ के लिए प्रेरित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था से अलग स्थायी लोकतांत्रिक और न्यायसंगत विश्वव्यवस्था बनाने का विकल्प बन सकता है।[22] मोदी की ऊर्जा के साथ विदेश नीति में जो पहल की गई है उससे यह विदित होता है कि भविष्य में आशा के अनुरूप परिणाम सामने आयेंगे। भारत में, विश्व व्यवस्था की मुख्य आर्थिक आवाजों में एक हो सकने की क्षमता है। भारत को अपनी स्वतंत्र आवाज बनाने के लिए पूर्ण क्षमताओं की जरूरत है, इसके साथ ही 'आर्थिक वृद्धि और विकास' को आधार बनाकर वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में विशाल हाथी की भूमिका दर्ज करानी होगी। अंतत: भारतीय विदेश नीति तभी स्वतंत्र हो सकती है जब यह विश्व व्यवस्था की नैतिक आवाज बने।

संदर्भ सूची

1. त्रिपाठी, डॉ. सुधांशु, भारत की विदेश नीति, वर्ल्ड फोकस, नई दिल्ली, जनवरी 2017, पृ. 53
2. घई, यू.आर., अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : सिद्धान्त और व्यवहार, न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, 2010, पृ. 230
3. पन्त, पुष्पेश, ''इक्कीसवीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'', टाटा मेग्राहिल्स, नई दिल्ली, पृ. 104
4. त्रिपाठी, डॉ. सुधांशु, पूर्वोक्त, पृ. 45
5. उपर्युक्त, पृ. 45
6. सिंह, रहीस, वैश्विक संबंध, पीयर्सन, दिल्ली, 2013, पृ. 137
7. त्रिपाठी, डॉ. सुधांशु, पूर्वोक्त, पृ. 54
8. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. हिन्दुस्तान टाइम्स.कॉम/एनालिसिस
9. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. देशबन्धु.कॉम
10. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. खबर.एन.डी.टी.वी.कॉम
11. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. दी डीप्लोमैट.कॉम, 2014-15, भारतीय विदेश नीति
12. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. हिन्दी वेबदुनिया, कॉम.
13. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. साउथ एशियन मॉनिटर.ऑरग
14. अहमद, डॉ. सलीम, भारत की विदेश नीति, वर्ल्ड फोकस, नई दिल्ली, जनवरी 2017, पृ. 126
15. उपर्युक्त, पृ. 127
16. उपर्युक्त, पृ. 128
17. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. इंडियन एक्सप्रैस.कॉम
18. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू..बी.बी.सी.कॉम झहिन्दीझइंडियाझ2015
19. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. मॉर्डन डिप्लोमेसी.सी.यू.
20. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. इकॉनोमिक्स टाइम्स.कॉम
21. चट्टोपाध्याय, प्रतिप, क्या 21वीं शताब्दी, वर्ल्ड फोकस, नई दिल्ली, फरवरी 2017, पृ. 93
22. खन्ना वी.एन., भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 31

भारतीय प्रशासन को सुशासन बनाने में ई-गवर्नेंस की भूमिका

विमला ज्ञानानी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

वर्तमान युग में हमें ई-गवर्नेन्स की आवश्यकता है। इसके माध्यम से उन प्रोग्रामों और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाया जाता है जो समाज व सरकार के लिए लाभकारी है। सरकार को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ई.शासन की जरूरत है। हमें नागरिकों को ई.शासन के बारे में बताना चाहिए ताकि नागरिक इसके प्रति जागरूक हो सकें। ई-गवर्नेन्स के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि बदलते हुए युग में मानव को इसकी जरूरत है और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोग पिछड़े हुए हैं और अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अपना जीवनस्तर सुधार नहीं पा रहे हैं, ई-गवर्नेन्स के माध्यम से तकनीकी कृषि के आधुनिक रूप को अपनाकर अपना जीवन स्तर सुधार सके। सरकारी कार्यों में देरी के कारण लोगों का समय जो घंटों तक लाइन में लग कर खराब होता है उससे छुटकारा पाने के लिए ई-गवर्नेन्स की आवश्यकता है। विदेशों में कौन-कौन से कार्य हो रहे हैं जिनकी जानकारी भारत सरकार को सही समय पर उपलब्ध नहीं हो रही है, वह हमें ई-गवर्नेन्स के माध्यम से कुछ ही घंटों में प्राप्त हो जाती है। ई-गवर्नेन्स के अनेक स्त्रोत हैं- कम्प्यूटर, लेपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल, इन्टरनेट आदि प्राथमिक स्त्रोत हैं इसके अलावा द्वितीयक स्त्रोत में डाटा नेटवर्क, ई-मेल, गूगल आदि आते हैं। ये सभी भारतीय प्रशासन को सुशासन बनाने के बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

संकेताक्षर : *ई-शासन, निष्पक्ष व पारदर्शी प्रशासन, अच्छा शासन*

ई-शासन एक नई प्रवृत्ति जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वव्यापी क्रांति है। ई. शासन में 'ई' एक इलेक्ट्रोनिक के रूप में खड़ा है। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी बहुत सारी तकनीकों, यथा- कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स तथा दूर-संचार इत्यादि का संयुक्त एवं एकीकृत नाम है। जैसा कि ई. गवर्नेन्स मुख्यतौर पर अपने साथ उन प्रोग्रामों और उपलब्धि को सरकार तक पहुंचाता है जो सरकार को लाभकारी होती है। इसके माध्यम से ICT (Information and Communication Technology) अपने आप को आगे लाती है। सरकार को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ई. शासन की जरूरत है। हमें नागरिकों को ई. शासन के बारे में बताना चाहिए ताकि नागरिक इसके प्रति जागरूक हो सकें। ई. गवर्नेन्स सूचना की प्राप्ति, संग्रहण और विश्लेषण से लेकर उसके अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी आयामों को अपने आप में समाहित करता है। ई. गवर्नेन्स एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी सेवायें जनसामान्य तक पहुंचायी जा रही है। बहुत से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन अब उन्हें सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार के काम-काज में देरी होने और भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी की समस्या भी नहीं रहेगी। ज्यादातर सरकारी योजनाओं की जानकारी इन्टरनेट पर उपलब्ध हो जाती है। चाहे वह किसानों से सम्बन्धित हो या मनरेगा से। आयकर भरने के साथ ही बिजली, पानी, फोन, बीमा आदि का भुगतान भी ई. गवर्नेन्स के माध्यम से किया जाता है। सरकारी नौकरी के फार्म भरने, रिजल्ट देखने एवं जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने जैसे काम ई-गवर्नेन्स के माध्यम से इन्टरनेट द्वारा बड़ी ही सरलता से किये जा रहे हैं। यहां तक कि अब अदालतों को भी ऑनलाईन कर दिया गया है, जिससे मुकदमों की तारीख के लिये भी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। यद्यपि कम्प्यूटर, टेलीफोन, सेटेलाईट तथा दूर-संचार के अन्य माध्यमों से प्रशासनिक कृत्यों का निष्पादन ही ई. गवर्नेन्स है तथापि प्रशासन तथा प्रौद्योगिकी, दोनों ही लोक-कल्याण, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक उत्थान, आर्थिक उन्नयन आदि के कार्य हेतु आवश्यक है। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ई. गवर्नेन्स का पर्याय है।

ई-गवर्नेन्स की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं परियोजनाओं का नेटवर्क 'मीडिया लैब एशिया,' ई. कृषि, ई. चौपाल, ई. परीक्षा, ई. सेवा तथा महाराष्ट्र सरकार का 'सेतु' इसी दिशा में प्रयास है। बहुत से राज्यों में जैसे- आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, महाराष्ट्र तथा गुजरात में प्रगति हुई है तथा मध्यप्रदेश के धार जिले में जनवरी, 2000 से संचालित हुई 'ज्ञानदूत परियोजना' के माध्यम से सर्वप्रथम 31 गांवों को इन्टरनेट से जोड़कर मण्डी, भू-पट्टे,वैवाहिक सूचनाएँ, ई. मेल तथा समस्या समाधान इत्यादि प्रशासनिक कृत्य सफलतापूर्वक निष्पादित हुए तथा साइबर कैफे के माध्यम से युवकों को रोजगार भी मिला। आन्ध्र प्रदेश में 'कॉम्पैक्ट -2020' और गुजरात में चुंगी निर्धारण इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से किया जा रहा है। 21 अप्रेल,2008 को दिये गये वर्ष 2006-07 के 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार' आदि ई. गवर्नेन्स के प्रमुख प्रयास सरकारी स्तर पर संस्थाओं व संगठनों द्वारा किये गये।

ई-शासन : योजना एवं नीति

ई. शासन को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा 18 मई, 2006 को राष्ट्रीय ई. शासन योजना (National E. Governance Plan) घोषित की गई थी जिसमें 27 मिशन आधारित परियोजनाएँ (Mission Mode Projects) हाथ में ली गई जिसमें बैंकिंग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयकर, बीमा, पासपोर्ट, पेंशन, कम्पनी मामले, बी.पी.एल. नागरिकों के आँकड़े, केन्द्रीय स्तर पर तथा कृषि, वाणिज्य कर, ई. जिला, रोजगार कार्यालय, भूमि एवं रिकॉर्ड, नगरपालिकाएँ, पंचायतें, पुलिस, सम्पत्ति पंजीकरण, सड़क परिवहन तथा राजकोष को राज्य स्तरीय परियोजनाओं में सम्मिलित किया गया। संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के सहयोग से ये परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इन प्रयासों में ई. व्यापार, ई. न्यायालय, ई. खरीद, इण्डिया पोर्टल इत्यादि भी सम्मिलित है। ई.शासन योजना में मुख्य रूप से 'सामान्य सेवा केन्द्र (CSC) स्थापित करना, राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (SWAN) बनाना एवं राज्य डेटा केन्द्र (SDC) विकसित किया जाना मुख्य घटक है। इस योजना की राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय वित्तीय सम्बल तथा अन्य तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। जिस 'एकीकृत दृष्टिकोण' से यह योजना संचालित हो रही है उसमें 6 'C' महत्वपूर्ण माने गए है- Capacity, Content, Cyberian, Citizen Interface, Capital तथा Connectivity. भारत सरकार द्वारा जून, 2008 में घोषित ई.शासन नीति (Policy on Open Standards for E. Governance) में स्वीकारा गया है कि G2G, G2E, G2B, G2C सेवाओं के प्रसार हेतु सुस्पष्ट ई.शासन नीति आवश्यक है ताकि सरकार एवं प्रौद्योगिकी को सहज-सुलभ ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस नीति में बहुभाषी इलेक्ट्रोनिक कार्यक्रमों को आमजन तक पहुंचाना, ई. दस्तावेजों की विश्वसनीयता बनाना, उपभोक्ताओं को बहुआयामी एवं बहुविकल्पात्मक अवसर उपलब्ध कराना, इस क्षेत्र में नवाचार बढ़ाना, अच्छी एवं निष्पक्ष सेवाएँ एवं अवसर उपलब्ध कराना तथा श्रेष्ठतम प्रौद्योगिकी के साथ श्रेष्ठतम सेवा द्वारा श्रेष्ठतम कार्य किया जाना लक्षित है। ई. शासन नीति में उत्पाद या सेवा प्रदाता (Vendors) हेतु 'Lock in' प्रावधान भी किया गया अर्थात् यदि कोई उपभोक्ता उत्पाद या सेवा बदलना चाहे तो प्रदाता को निर्धारित शुल्क अवश्य चुकाए। 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इण्डिया (Digital India) कार्यक्रम घोषणा की जो सभी मंत्रालयों एवं विभागों को इन्टरनेट से जोड़ते हुए सम्पूर्ण देश में ब्रॉडबैंड सेवाएँ तथा मोबाइल गवर्नेस प्रदान करने को लक्षित है।

ई-गवर्नेस से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परियोजनाएं

डिपो ऑनलाइन परियोजना

'डिपो ऑनलाईन परियोजना' केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने मार्च 2016 को प्रारम्भ की। यह परियोजना भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की एक प्रमुख परियोजना है। इससे समय के आधार पर डाटा को ऑनलाइन प्राप्त करने से एफसीआई की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण बनाया जा सकता है। यह प्रणाली निगरानी करने में और चोरी को खत्म करने में मददगार है। इसमें अनाज की किस्म, गुणवत्ता, मात्रा और स्टॉक की स्थिति का पता ऑनलाइन होता है। यह प्रणाली डिपो अधिकारियों, क्षेत्रीय प्रबंधक तथा निर्णय लेने वाले अधिकारियों को एसएमएस भेजती है। केन्द्र सरकार के कई प्रयासों के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेक सुधार हुए हैं। एफसीआई के सभी डिपो को 2016-2017 तक ऑनलाइन होने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी और अन्य किराये के डिपो शामिल हैं। राशनकार्डों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया गया है और 80,000 उचित मूल्य की दुकानों को वितरण के लिए बायोमेट्रिक ''प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस'' दिया गया है। मार्च, 2019 तक उचित मूल्य की सभी दुकानों में यह प्रणाली शुरू कर दी जायेगी और इससे चोरी की सम्भावना समाप्त हो जायेगी। 71 प्रतिशत से अधिक

राशनकार्ड जोड़ दिये गये हैं और शेष राशनकार्ड आधार से अगले 2 वर्षों में जोड़ दिये जाएंगे।

भीम ऐप योजना

''भीम ऐप'' का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर 'भीम' रखा गया है। 'भीम ऐप' भारत सरकार के USS (Unstructured Supplementary Service Data तथा UPI (Unified Payment Interface) का नवीन रूप है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'भीम ऐप' 30 दिसम्बर, 2016 को लांच किया। इस ऐप के जरिये डिजिटल तरीके से पैसे भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं। नोटबंदी से हो रही परेशानियों की वजह से UPI को नवीन रूप में विकसित किया गया। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग केशलेस ट्रांजेक्शन कर सकें। इसमें भुगतान करने के लिए वॉलेट, स्मार्टफोन अर्थात डिजिटली और भौतिक लेनदेन का उपयोग किया जाता है। ''भीम ऐप'' में पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए स्मार्ट फोन की आवश्यकता नहीं होती है। 'आधार पे' में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ फिंगर प्रिन्ट और आधार नम्बर की आवश्यकता है। यह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है। इस कार्ड को स्वाइप करने के बजाय अंगुलियों का निशान देना पड़ता है। डिजिटल लेनदेन में गोपनीयता बनी रहती है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि 'भीम ऐप' कैशलेस ट्रांजेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार 'भीम ऐप' की दो नई योजनाएं शुरू कर रही है। व्यष्टियों के लिए 'रेफरल बोनस योजना' तथा व्यापारियों के लिए कैश बैक योजना। बैंक मार्च 2017 तक अतिरिक्त नये पीओएस टर्मिनलों को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं तथा सितम्बर, 2017 तक 20 लाख पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हैं।

वर्तमान में भारतीय प्रशासन में ई-गवर्नेन्स की भूमिका

भारतीय प्रशासन में ई. गवर्नेन्स की भूमिका विभिन्न भागों में है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, चुनाव, पुलिस, व्यापार और बैंकिंग का क्षेत्र हो। ई. गवर्नेन्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशासन के प्रत्येक कार्य में इसका महत्व रहा है। इन्टरनेट के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था सही-तरीके से काम करती है। शिक्षा प्रशासन में - ई. गवनेन्स के माध्यम से शिक्षा प्रशासन का कार्य बहुत सरल हो गया है। स्कूलों, कॉलेजों में परीक्षा के फॉर्म, बच्चों की उपस्थिति व अनुपस्थिति, उनके नाम आदि का रिकार्ड इन्टरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर में रखा जाता है। यहां तक डिजिटल कैमरे के माध्यम से स्कूल व कॉलेजों के प्रशासन पर निगरानी रखी जा रही है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाने लगा है। स्वास्थ्य प्रशासन में - आजकल आधुनिक मशीनों के माध्यम से सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने में डिजिटल मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी का पता लगाना आसान रहता है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में इन आधुनिक तकनीकों का अभाव था वहां इसके माध्यम से दूर के क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों से इलाज किया जा रहा है। इससे पहले लोगों को अपनी बीमारी के कारण दूर शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ रहा था। ''नई दिल्ली के लाल किला से भारत के 68वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में 'डिजिटल भारत' के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा, ''मैं जब डिजिटल भारत की बात करता हूँ तो मैं विशिष्ट वर्ग की बात नहीं करता हूँ, यह गरीब लोगों के लिए है। अगर भारत के सभी गांवों को ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाए और हम गांवों को हर दूरदराज कोने में स्कूलों के लिए लम्बी दूरी की शिक्षा देने में सक्षम हो जाएं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गांवों में बच्चों को कितनी बेहतरीन शिक्षा मिलेगी।'' उन्होंने आगे कहा ''मैं आज यह कहना चाहूँगा कि देश के हर नागरिकों को जोड़ने की क्षमता सूचना प्रौद्योगिकी के पास है और यही कारण है कि देश की एकता के मंत्र को हम डिजिटल भारत की मदद से साकार करना चाहते हैं।''

चुनाव प्रशासन में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में मनमाने तरीके से चुनाव में खड़े उम्मीदवार को गलत तरीकों से चुनाव में विजेता बनाया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में आधुनिक डिजिटल मशीनों के आ जाने से किसी प्रकार से गलत व्यक्ति का चुनाव नहीं होता है। जनता अपने उम्मीदवार को स्वयं चुनती है। जो उम्मीदवार उनके लिए समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्य करे। लोक प्रशासन में 'अगर भ्रष्ट नेता लोग होंगे तो प्रशासन अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पायेगा। इसीलिए आधुनिक मशीनों के द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने का डर नहीं रहता है। प्रशासन में - ई. गवर्नेन्स ने पुलिस प्रशासन में भी अहम् भूमिका निभायी है। पुलिस प्रशासन चोरों, अपराधियों को डिजिटल केमरों के माध्यम से पकड़ने में कामयाब हो रही है। और अपराधों को कम करने में भी ई. गवर्नेन्स की भूमिका है। पुलिस प्रशासन को इन्टरनेट के माध्यम से अपने कार्य को करने में सफलता प्राप्त हो रही है। व्यापार प्रशासन में - पहले लोगों को व्यापार करने के लिए दूर-दूर के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। और जिससे समय व धन का अपव्यय होता था। लेकिन आजकल लोगों को ई. गवर्नेन्स के माध्यम से यह काम थोड़े समय और कम कीमत में हो जाता है टेलीफोन,

मोबाइल, कम्प्यूटर, ई.नेट, लेपटॉप आदि के द्वारा व्यापार करने में आसानी रहती है। ''फरवरी, 2016 तक भारत में टेलीफोन की पहुंच 82.93 प्रतिशत लोगों तक हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में भी टेलीफोन की पहुंच बढ़कर 50.63 प्रतिशत हो गई। दूर-दराज के इलाकों तक पहुंची टेलीफोन सेवा ने डिजिटल फासलों को कम कर दिया है। कॉल सेन्टर, बी.पी.ओ., इन्टरनेट सम्बन्धी रोजगार के नए अवसर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रूख कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है इस बढ़ती मांग ने गांवों में रोजगार के नवीन अवसरों को भी बढ़ाया है। गांवों का भविष्य रोजगार की असीम सम्भावनाओं से युक्त दिख रहा है।''

ई-गवर्नेन्स की भारतीय प्रशासन को जरूरत

उदारीकरण (1991) के बाद निजी कम्पनियाँ अपने सेवा विस्तार द्वारा तथा तकनीकों के सहारे (IT, IIT) लोगों के घर तक पहुंच गई, जिससे निजी क्षेत्रों में समग्रता आयी तथा अपनी एक वैश्विक पहचान बनाई, जो सरकार के बोझ को कम करने में भी सहायक हुई। इसी कार्य को अपने स्तर पर अपनाना है, जिससे सूचना एवं संचार तकनीकी की सहायता से लोगों को समयबद्ध सेवाएं एवं शिकायत निवारण का आधार प्राप्त हो जायेगा और लोकतंत्र सशक्त होगा। लोकतांत्रिक सरकार लोक सेवकों पर निगरानी भी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से रख सकती है। और लोक सेवक अपने कार्य के प्रति जागरूक होंगे और प्रशासन सही तरीके से कार्य करेगा। लोगों का सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, गरीबी दूर करना, शीघ्र शिकायत समाधान होना, अधिकारों के बारे में जागरूक होना तथा प्रशासन में भ्रष्ट अधिकारियों को रोकना आवश्यक है।

सूचना प्रौद्योगिकी का लोक प्रशासन पर प्रभाव

सूचना प्रौद्योगिकी ने लोक प्रशासन के क्रियान्वयन में तत्परता, स्पष्टता, पारदर्शिता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर Y2K जैसी विश्वव्यापी समस्याएं भी उत्पन्न हो चुकी है। सन् 1999 के दौरान Y2K की समस्या के उपाय चर्चा के विषय बने रहे क्योंकि कम्प्यूटर्स में 6 अंकीय गणना में वर्ष 2000 को केवल 00 के रूप में कम्प्यूटर गणना में लिया जा रहा था। इस समस्या से मुक्ति पाना लोक प्रशासकों का दायित्व हो गया था। क्योंकि न्यूनाधिक मात्रा में विश्वभर में इस समस्या ने लोगों में भय उत्पन्न कर दिया था। आज भी 'साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने हेतु न तो सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय कानून है न ही इतनी विशेषज्ञता कि प्रशासन हैकर्स (Hackers - वे अपराधी जो बिना अनुमति के दूसरों की साइट से छेड़खानी करते हैं) के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर सके। यद्यपि ई. हस्ताक्षरों के माध्यम से इन्टरनेट पर व्यापार होने लग गया है, किन्तु अब प्रश्न यह उठने लगा है कि 20 करोड़ वेबसाइटों के जंगल में अपने सभी सबूत सारी दुनिया के कम्प्यूटरों पर छोड़ देना कितना सुरक्षित है? जेमी लेविस चेतावनी देते हैं - ''जनाब, हो सकता है कि आपके बच्चे ही आपके हस्ताक्षरों का प्रयोग कर आपको गिरवी रख दें''। यद्यपि ई. हस्ताक्षरों का दुरुपयोग होना बहुत कठिन है क्योंकि हस्ताक्षरकर्ता के अंगूठे के निशान 'डिजिराइज्ड', आँख की रेटिना का नक्शा, हस्ताक्षरकर्ता की आवाज, कम्प्यूटर पासवर्ड तथा अन्य कोड भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एक ही नाम से कई व्यक्तियों की वेवसाइटें खुलने, साइट हैकिंग करने, 'लवबग' जैसी हरकतें होने, अश्लील चित्रों तथा भ्रामक सूचनाओं का प्रदर्शन होने तथा कम्प्यूटर वाइरस छोड़ने जैसी समस्याएँ, पुलिस के लिए नित्य नई कठिनाईयाँ उत्पन्न कर रही हैं। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी ने लोक प्रशासन के लिए सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए हैं वहीं नई उलझने भी पैदा कर दी है। ई. गवर्नेंस शासन में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच आदान-प्रदान को सरल एवं सुविधाजनक बनाता है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है- जी 2 जी (सरकार से सरकार) जी-2बी (सरकार से व्यवसाय), जी 2 सी (सरकार से नागरिक) , जी 2 ई (सरकार से कर्मचारी)

चुनावों में भ्रष्टाचार पर रोक

चुनाव में सीट पाने वाले उम्मीदवार मनमाने तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाये जा सकते हैं। राजनीतिक दल के सदस्य चुनाव में धन का दुरुपयोग करते हैं। देश में भ्रष्टाचार के बीज बोने से देश में भ्रष्टाचार का पौधा ही पनपेगा। भारतीय चुनाव आयोग मतदाताओं को लुभाने की इस प्रवृत्ति से अत्यंत चिंतित हैं और उसके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है जिससे निपटना आसान नहीं है। धन का दुरुपयोग और मतदाताओं की उदासीनता। ''2014 के चुनाव आयोग में लगभग 300 करोड़ रुपये जब्त किये गये। 2015 के विधानसभा चुनावों में बिहार में 19 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई तथा तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपये के पार आंकड़ा पहुँच गया।'' हमारे देश में उम्मीदवार चुनावों पर अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं इसकी कोई सीमा तय नहीं है। इसलिए भारत सरकार को ई-गवर्नेंस के माध्यम से कालेधन पर रोक लगानी चाहिए और डिजिटल डेबिट कार्ड के जरिये से भुगतान होने पर भ्रष्टाचार व कालेधन पर रोक लगाई जा सकेगी।

भारत में ई-गवर्नेन्स की चुनौतियाँ

ई-गवर्नेन्स के विभिन्न सकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ''सभी सरकारी सेवाएं आम आदमी को उसके स्थान पर सुलभ कराने, सभी आम सेवाएं डिलीवरी केन्द्र उपलब्ध कराने तथा आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहन करने योग्य लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने'' के ध्येय से मई, 2006 में राष्ट्रीय ई. गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) का अनुमोदन किया तथापि, ऐसा लगता है कि भारतीय सन्दर्भ में ई. गवर्नेन्स के सफल कार्यान्वयन की राह में अनेक मुद्दे तथा चुनौतियां हैं। इन्हें मुख्य तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तकनीकी - तकनीकी मुद्दों में इन्टरोपेरोबिलिटी, गोपनीयता, सुरक्षा एवं बहु-मॉडल परस्पर प्रभाव शामिल है। आर्थिक - आर्थिक मुद्दे मुख्य रूप से निवेश पर लाभ और लागत, सम्पोषणीयता पुन: उपयोगिता एवं सुबाध्यता सहित तकनीकी मुद्दों की सुरक्षा सम्बन्धित है। सामाजिक - सामाजिक मुद्दे (ई-गवर्न) के विकास तथा व्यापक अंगीकरण के सम्बन्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसमें जागरूकता का अभाव और किसी बड़े वर्ग द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप में दी गई सरकारी सेवाओं का अंगीकरण एवं उपयोग शामिल है। ई. गवर्नमेन्ट सेवाओं को ग्रामीण समाज तक पहुंचाने में अन्य चुनौतियां भी है।

इन चुनौतियों पर नियंत्रण करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (ई. गवर्न) समाधानों को प्रचलन में लाने, ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में रहने वाले जन-समुदाय से सम्पर्क का प्रावधान करने, स्थानीय भाषाओं में वेब साइट का विकास करने और एक मानव संसाधन ज्ञान बल का निर्माण करने की आवश्यकता है।

सुझाव

- कृषि क्षेत्र में ई-गवर्नेस को खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में अनेक नई नीतियां बनानी चाहिए। केवल आधार पे या डिपो ऑनलाइन परियोजना से ही कार्य पूरा नहीं समझा जायेगा।
- डिपो ऑनलाइन परियोजना सिर्फ राशन की दुकानों में होने वाली चोरी को समाप्त नहीं करती है बल्कि डिजिटल केमरों के माध्यम से खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को रोकने का प्रयास करना चाहिए।
- भारत सरकार को हर क्षेत्र में चाहे वे व्यापारिक हो, बैंकों या नागरिक शिकायत विभाग हो डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल के जरिये शिकायतों का निवारण करना चाहिए।
- ई-गवर्नेस के माध्यम से एक अच्छे शासन की शुरूआत करने में सभी अधिकारियों और प्रशासनिक कार्यकर्ताओं की मदद लेनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार फैलाने वालों पर निगरानी रख सकें।
- नगद भुगतान से बचने के लिए डिजिटल डेबिट कार्डों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कालेधन के रूप में अवैध कार्यों को होने से रोका जा सके।
- चुनाव में भ्रष्टाचार रोकने से राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार में होने वाले खर्चों को कम किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

भारत में ई. शासन 'अच्छे शासन' का पर्याय बनता जा रहा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे है। इसी क्रम में 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई. शासन योजना (NEGP) के तहत भारत भर में साझा सेवा केन्द्र (CSC) स्थापित किये गये। ये साझा केन्द्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर के द्वार तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डिपार्टमेंट ऑफ इनफोरमेशन टैक्नोलॉजी, (मिनिस्टर ऑफ कम्यूनिकेशन एण्ड इनफोरमेशन टैक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया) सीएसी इम्पिलिमेन्टेशन स्टेटस एक्रोस इण्डिया एज ऑन अगस्त 31, 2009, एक्सीड ऑन 17 सितम्बर, 2009
2. बटक, डे., ई-गवर्नेंस इन इण्डिया : प्रॉब्लम्स, चैलेंज एण्ड ऑपरच्युनिटीज-ए फ्यूचर विजन इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नं. 3, जुलाई-सितम्बर, पृ. 300-310
3. प्रभु, सी.एस.आर., कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर इफेक्टिव ई-गवर्नेंस, ई-पंचायत, कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इण्डिया, सितम्बर, 2009
4. कटारिया, सुरेन्द्र, भारतीय लोक प्रशासन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 337, चौड़ा रास्ता जयपुर, 2015, पृ. 792
5. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.हिन्दी.इण्डिया वाटर पोर्टल.आर्ग
6. इण्डिया.जीओवि.इन/गवर्नेंस-इण्डिया
7. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.मायबिगगाइड.कॉम
8. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.विवासपैनोरमा.कॉम
9. ग्रामीण विकास को समर्पित, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, फरवरी, 2017, पृ. 30
10. योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, फरवरी, 2017, पृ. 17

भारतीय राजनीति और लोकतन्त्र

डॉ. रामजी लाल स्वामी

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न बदलाव समयानुसार होते रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में राजनीति स्वार्थपूर्ण थी। आजादी के बाद भी राजनीति पर एकदल का प्रभुत्व था। और जनसहभागिता का अभाव था। गठबन्धन का दौर शुरू होने पर संचालक शासन की शुरूआत हुई और राजनीति का वास्तविक अध्याय शुरू हुआ। राजनीति में जनसहभागिता तो बढ़ी है मगर वह मतदान तक ही सीमित है। अत: भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिये जरूरी है कि जनमानस इसे मन से स्वीकार करे। भारत दुनिया का एक विशालतम लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र के तरीके तो अपनाये जा रहे हैं परन्तु पूर्ण लोकतांत्रिक भावना का अभी तक अभाव है। भारत का लोकतंत्र प्रतिनिधित्व पर आधारित है। इसे सहभागितामूलक व मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र बनाना है। सीमित व संकीर्ण समूहों के हितों की पूर्ति से आगे बढ़कर सम्पूर्ण जनसमुदाय तक लोकतंत्र का विस्तार ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण लोकतांत्रिक बना सकता है। भारतीय जनमानस में लोकतंत्र के प्रति सदा ललक रही है। भारत में लोकतंत्र का वाहक सम्पूर्ण जनसमुदाय है जो पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के लिये कभी भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकता है। इन निर्णयों से भारतीय लोकतंत्र मजबूत होता है। एकदल प्रधान राजनीतिक व्यवस्था से गठबन्धन सरकारों की स्थापना में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। भारत की राजनैतिक व्यवस्था अभी भी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। द्विदलीय प्रणाली का विकास हो रहा है व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के वर्चस्व में भी कमी आ रही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। परन्तु किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का विकास हो भारतीय जनमानस का लोकतंत्र पर अटूट विश्वास है जो बना रहेगा व इसका रूप निखरता रहेगा। भारतीय राजनीति में लोकतंत्र सदा उन्नति व विकास के पथ पर अग्रसर रहा है। इसमें सुधार की हमेशा संभवना रही हैं व भविष्य में भी और अधिक सुधार सम्भव है।

संकेताक्षर : *संक्रमण काल, जनसहभागिता, दलीय लोकतन्त्र*

राजनीति मानव के जीवन का अभिन्न अंग हो गयी है। वैदिक युग की मौलिक, अनूठी व मूल्यों पर आधारित भारतीय राजनीति ब्रिटिश काल तक समावेशी, पाश्चात्य व वैश्विक हो गयी। ब्रिटिश शासन काल में भारत में लोकतन्त्र दिखावटी ही बना रहा। स्वतन्त्र भारत के शुरूआती काल में ऐतिहासिक विरासत, संवैधानिक प्रतिबद्धताओं, कांग्रेस सिस्टम की सर्वोच्चता व व्यावहारिकता में समायोजन किया गया। 1967 के बाद अस्थिर सरकारों ने स्वार्थों की राजनीति को अपनाना शुरू किया। 1990 के बाद गठबन्धन सरकारों ने भारतीय लोकतन्त्र को अधिक व्यावहारिक बनाकर मजबूत किया है। भारतीय राजनीति में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को अपनाते समय विभिन्न समस्याएँ आती हैं जिनका समाधान तभी हो सकता है जब भारतीय जन मानस राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतन्त्र व व्यापक जन सहभागिता को मन से स्वीकार कर उनके लिए प्रतिबद्ध रहे। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया का चलन आदिकाल से ही है। शुरू की भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया मौलिक, अनूठी, मूल्यों से युक्त व आवश्यकता पर आधारित थी। भारतीय राजनीति में वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक विभिन्न परिवर्तन आये। विविधता, बहुलता व जटिलता से भारतीय राजनीति स्थिरता व रूढ़िवादिता की जगह निरन्तरता व सक्रियता के साथ उन्नति के पथ पर आगे बढ़ती रही। प्राचीन काल की भारतीय राजनीति में नवीनता व परिवर्तन दिखता था परन्तु मध्यकाल की भारतीय राजनीति विदेशी सम्पर्कों के बावजूद

एकांगी, पक्षपातपूर्ण, स्वेच्छाचारी, प्रतिबद्धताओं से ओत-प्रोत व अतार्किक बनी रही। ब्रिटिश काल में भारतीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन आये। भारत में सर्वप्रथम संवैधानिक शासन की स्थापना ब्रिटिश काल में ही हुयी, इससे आधुनिक लोकतन्त्र की शुरूआत हुयी[1] ब्रिटिश शासन काल में भारत में लोकन्त्र का दिखावा तो किया गया, परन्तु वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना नहीं की गयी।

स्वतन्त्र भारत की राजनीति व्यवस्था संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के साथ शुरू होकर व्यावहारिक राजनीति तक विस्तृत होती गयी। स्वतन्त्रता संग्राम के आदर्शों को संजोये रखते हुए, स्वार्थों व लक्ष्यों की पूर्ति के साथ, सत्तारूढ़ दल को अपनी सर्वोच्चता बनाये रखनी थी, जो भारतीय राजनीति में कठिन व चुनौती भरा कार्य था। मौरिस जोन्स ने इसे लोकतन्त्र की एकदलीय प्रभुत्व व्यवस्था कहा है।[2] सरतोरी ने इसे ब्रिडौमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा है।[3] 1967 के बाद केन्द्र व राज्यों में अस्थिर सरकारों ने लोकतन्त्र को आदर्श मानते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति करना अपना सर्वोच्च उद्देश्य मानकर, उसी के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था चलाने लगे। 1980 के बाद की भारतीय राजनीति आम आदमी से कटती और सामाजिक आर्थिक बदलाव की चाह से हटती, नकली मुद्दों और नकारात्मक लहरों की गोद में चली गयी।[4] भारतीय राजनीति में 1990 तक कमोबेश यही स्थिति चलती रही। गठबन्धन सरकारों के दौर में वास्तविक संघात्मक सरकारें स्थापित हो रही हैं, इनसे भारतीय राजनीति का वास्तविक अध्याय शुरू हुआ है। भारतीय संवैधानिक सरकारों का यह परीक्षण काल है। पिछले 26 वर्षों में गठबन्धन सरकारों ने भारतीय लोकतन्त्र को अधिक मजबूत किया है।

समसामयिक भारतीय राजनीति अस्थिरता से निकलकर स्थिरता, विश्वास पर खरी उतरने वाली व लोगों के मन को जीतने वाली प्रक्रिया का अंग है। जनमानस में यह भावना मजबूत हो रही है कि लोकतन्त्र दरअसल अभिजात समूहों के बीच सत्ता हस्तान्तरण का खेल है जिसमें आम मतदाता सिर्फ मोहरा बन कर रहा रहा है।[5] शिक्षा के प्रसार व विभिन्न आधारों से जागरूकता के कारण भारतीय राजनीति में जनसाधारण की भूमिका बढ़ने लगी है। एक राजनीतिक दल के वर्चस्व को तोड़ने के बाद भारतीय मतदाता विकल्प की राजनीति में विश्वास करने लगे हैं। वंशवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद व अन्य विभिन्न वादों से बाहर निकलकर भारतीय जनमानस की भावनाएँ नयेपन को स्वीकार करने के लिए अपने उबाल पर है। परम्परागत राजनीति को सत्ता के केन्द्रों को तोड़कर मठाधीशों को भुलाकर यथार्थ को पहचानने की तरफ बढ़ता हुआ कदम राजनीति की नई दिशा तय कर रहा है। उपराष्ट्रीयता का विचार हमेशा नये राज्य की मांग या भारत से अलग होने का विचार नहीं होता। सूर्यकान्त बाली मानते हैं कि प्रादेशिक उपराष्ट्रीयताओं का मायना यही है कि वहाँ के लोग अपनी भाषा अपने नायकों, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति व अपने साहित्य के प्रति लगाव रखते हैं और अपने इस लगाव की पहचान चाहते हैं।[6] भारतीय राजनीति में विभिन्न विकारों को समाप्त करने की क्षमता है। विमल जालान के अनुसार इक्कीसवीं सदी में भारत के एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के अवसर आज जितने प्रबल है, उतने पहले कभी नहीं रहे।[7] भारत की राजनीति में अपार संभावनाएँ व क्षमताएँ है जिनमें नये भारत का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है।

भारत में वास्तविक लोकतन्त्र के विकास के लिए राजनीति में व्यापक नये सुधारों की आवश्यकता है। बासुकी नाथ चौधरी मानते हैं कि भारत में लोकतन्त्र विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है। लोकतन्त्र व सामाजिक संरचना के आपसी सामंजस्य को बनाए रख कर इन चुनौतियों का हल खोजना संभव है।[8] भारत को परम्परागत लोकतन्त्र की सोच से बाहर निकल कर आर्थिक विकास, गठबन्धन सरकारों की मजबूती, अस्थिरता, गरीबी, क्षेत्रीय असमानता, जाति व सम्प्रदाय के आधार पर हिंसक गतिविधियों व बहुलतावादी स्वरूप को बचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। नीरज कुमार जायल व भानुप्रताप मेहता मानते हैं कि भारतीय राजनीति में सत्ता को विभिन्न संस्थाओं में बाँटने की आवश्यकता है।[9] केन्द्रीयकरण के बजाय विकेन्द्रीकरण व एकात्मक के बजाय संघात्मक स्वरूप का अधिक विकास हो रहा है। भारतीय राजनीति में लोकतन्त्र ब्रिटेन की तुलना में अधिक मजबूत हो रहा है। भारतीय राजनीति राज्यों को एकजुट रखने में सफल रही है। सी.पी. भांभरी लिखते हैं कि स्वतन्त्रता बाद के शुरूआती दशक की यात्रा असुरक्षाओं और घोर चिन्ता से अलग दूसरे गुटों के साथ अधिकारों के बंटवारे को लेकर विशेष रूप से जमीनी स्तर पर भारतीय राज्यों ने अपने आप पर विश्वास दिखाया है।[10] भारतीय राजनीति इतनी व्यापक, सरल व लचीली है कि यह बड़ी से बड़ी विपदा को भी सहन करने की क्षमता रखती है।

भारतीय राजनीति में लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए दो बड़े सुधारों की आवश्यकता है। प्रथम राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतन्त्र को मजबूत किया जाए। शासन, राजनीति व लोकतन्त्र का आधार राजनीतिक दल होते हैं। दलों के नेता का चुनाव व नीतियों का निर्धारण लोकतान्त्रिक तरीके से नहीं किया जाता है तो वह राजनीतिक दल शासन में व राज्य में लोकतन्त्र को कैसे

स्वीकार करेगा। अत: भारत में लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों को अपने दलों के भीतर की प्रक्रिया में लोकतन्त्र को अपनाना होगा। लोकतन्त्र की मजबूती के लिए दूसरा प्रमुख सुधार जन सहभागिता में वृद्धि आवश्यक है। यह कहा जाता है कि भारतीय राजनति में जन सहभागिता बढ़ रही है, परन्तु यह जन सहभागिता केवल मत देने तक रही है। नीतियों के निर्धारण व उनकी क्रियान्विति में जन सहभागिता का अभाव है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत की राजनीति को स्वच्छ, सुन्दर व जन उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न सुझाव दिये जाते हैं, परन्तु इसमें सुधार व लोकतन्त्र की मजबूती तभी हो पायेगी जब भारतीय जन मानस लोकतन्त्र के तरीकों को मन से स्वीकार करे व इनमें सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाये।

भारतीय राजनीति का लोकतंत्र व लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक प्रमुख गुण रहा है। भारत में लोकतंत्र को मन से स्वीकार किया गया है। स्वाभाविक रूप से विकसित लोकतंत्र वास्तविक होता है। वास्तविक लोकतंत्र में शासक जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करता है। जनहित में निर्णय लिये जाते हैं। निर्णयों का आधार व्यापक होता है। शासक पर सर्वोच्च नियंत्रण जनता का ही होता है। यह लोकतंत्र की श्रेष्ठ पहचान है। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये शासन व्यवस्था पर जनता की निगरानी की बात कौटिल्य से लेकर आज तक की जाती है। अमर्त्य सेन के अनुसार लोकतंत्र बीमारी के इलाज का काम नहीं करता, जिस तरह से कुनैन मलेरिया का उपचार करता है। यदि वांछित परिणाम हासिल करना है तो उपलब्ध अवसरों को सकारात्मक रूप से पकड़ना होगा।[11] लोकतंत्र की उपलब्धियां केवल अपनाई गई नीतियों प्रक्रियाओं और सुरक्षा के उपायों पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि जनता के व्यापक दबाव के प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार अवसरों को किस प्रकार से इस्तेमाल करती है। लोकतंत्र के कामकाज में लोकतांत्रिक संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उन्हें विकास के मशीनी उपकरणों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये। इसके इस्तेमाल की सफलता समाजिक मूल्य व सामाजिक प्राथमिकता तथा प्रशासनिक संरचना की जबावदेही सुनिश्चित करने में जनता की प्रभावी भागीदारी पर निर्भर करती है।[12] भारतीय लोकतंत्र चुनौती विहीन नहीं है। इस पर चारों तरफ से व्यापक दबाव है। निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत ढांचे का अभाव, असमानता, भेदभाव व जनसाधारण के विचारों में परिपक्वता का अभाव है। इन सभी चुनौतियों से पार पाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

भारत के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों में भारत सर्वश्रेष्ठ है। 1945 के बाद विश्व के किसी भी देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का इतना अधिक विकास नहीं हुआ जितना भारत में हुआ है। लोकतंत्र विभिन्न पक्षों में तालमेल बिठाकर चलता है तभी लोकतंत्र व्यावहारिक बन पाता है। लोकतंत्र में विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भौतिक विकास के साथ राजनैतिक, आध्यात्मिक व नैतिक विकास भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। विश्व के बहुत सारे देशों में भौतिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई है परन्तु अन्य क्षेत्रों में उनका विकास नगण्य है। भारत ने सभी क्षेत्रों में सन्तुलित विकास करके लोकतन्त्र को मजबूत किया है। विकास लोकतंत्र और तानाशाही के रिश्ते स्पष्ट होने पर ही राजनैतिक व्यवस्था की दिशा तय होती है। यदि सही आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया जाये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी ही उच्च विकास दर देने में सक्षम है जितनी की एक अधिनायकवादी शासन प्रणाली देती है। समाज में शान्ति व्यवस्था बनी रहे इसके लिये विवादों का समाधान लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आर्थिक पक्ष के साथ राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति व समाज में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को भारत में आत्मसात किया गया है, इससे भारत का लोकतंत्र गहरा, मजबूत, सुदृढ़, मूल्य से युक्त व सहयोगी स्वभाव का बन पाया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकतन्त्र असीमित संभावना लिए हुये है।

भारतीय राजनीति में लोकतंत्र फल-फूल रहा है। एकदल प्रधान राजव्यवस्था में भारत का लोकतंत्र निरंकुशता के सामने बौना साबित हो रहा था। गठबन्धन सरकारों के दौर में दलीय निरंकुशता के कम होने से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। राजनीतिक सौदेबाजी ने सभी को समान स्वतंत्रता प्रदान की है। अस्थिर सरकारों से स्थिर सरकारों व द्विगठबन्धन की राजनीति में भारत में लोकतंत्र को पुन: परीक्षण के काल में रखा है। मूल्य विचारों व सिद्धान्तों से अलग राजनीति घोर स्वार्थ की ओर ले जा रही है। जिसमें पतन को रोकने के लिये वास्तविक जन लोकतंत्र को विकसित करना होगा। राजनीतिक दलों को खुली छूट देना भी भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना है। अत: दलव्यवस्था पर किसी न किसी प्रकार से कानून के माध्यम से नियंत्रण रखना आवश्यक है। भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिये विधायिका को अधिक जिम्मेदार बनाया जाये। भारतीय विधायिका में लोकतन्त्र की दृष्टि से व्यापक सुधार की आवश्यकता है। कार्यपालिका कई बार निरंकुश बन जाती है। जो लोकतंत्र के लिये घातक कदम है। भारत में कार्यपालिका मर्यादित सीमाओं में रहे व न्यायपालिका अतिउत्साह से बचे, तभी लोकतंत्र की जड़े मजबूत होंगी। संवैधानिक संस्थाओं

को आघात न पहुंचाया जाये, स्थायी नौकरशाही, जिम्मेदारी व उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से काम करे, चुनाव प्रणाली में और सुधार किये जायें, सरकारों द्वारा तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनायी जाये व सभी के साथ समान व्यवहार किया जाये तभी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र फल-फूल सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. शीलवन्त एवं सारिका, भारतीय शासन एवं राजनीति, लेक्सिस, नेक्सिस, नई दिल्ली, 2015, पृ. 4
2. जोन्स, मौरिस, भारतीय शासन एवं राजनीति, सुरजीत पब्लिकेशंस, 1970, पृ. 85
3. मुरारी, कृष्ण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : एक पुनरावलोकन, महेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित पुस्तक 'भारतीय राजनीतिक प्रणाली', हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 2013 में प्रकाशित पुस्तक में लेख, पृ. 870
4. राजकिशोर, भारत का राजनीतिक संकट, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2011, पृ. 67
5. सिन्हा, सच्चिदानन्द, लोकतन्त्र की चुनौतियाँ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2010, पृ. 141
6. बाली, सूर्यकान्त, भारत की राजनीति के महा प्रश्न, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 16
7. जालान, विमल, भारत की राजनीति, पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली, 2007, पृ. 212
8. चौधरी, बासुकी नाथ, भारतीय शासन और राजनीति, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, हैदराबाद, 2011, पृ. 117
9. जायल व मेहता, पॉलिटिक्स इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 15

10 भांमरी, चंद्र प्रकाश, भारत में लोकतन्त्र, एन.बी.टी इंडिया, 2013, पृ. 81

11 सेन, अर्मत्य, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, एल्फ्रेड पब्लिकेशन, न्यूयार्क, 1999, पृ. 155

12 जालान, बिमल, पूर्वोक्त, पृ. 54

प्राचीन भारत में विधवा नियोग : एक विश्लेषणात्मक विवेचन

डॉ. निर्मला कुमारी मीणा

सहायक आचार्य

इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्राचीन काल में समाज में व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियोग प्रथा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। नियोग प्रथा से पुत्रहीन दम्पति पुत्र प्राप्त करके पितृऋण से मुक्ति व स्वर्ग प्राप्ति के अधिकारी होते थे। प्रारम्भ में यह प्रथा सधवा स्त्रियों के लिए थी। समाज में जब विधवा पुनर्विवाह को कम सम्मान दिया जाने लगा तो विधवाओं ने वंशवर्धन, वृद्धावस्था में आलम्बन, पितृतर्पण, पिण्डदान आदि के लिए नियोग से पुत्र प्राप्त करना उचित समझा। तीसरी शताब्दी ई.पू. तक यह प्रथा निर्विवादित ढंग से प्रचलित रही। बाद के सुधारवादी विचारकों (मनु, आपस्तम्ब, बौधायन) ने इस प्रथा का विरोध किया हालाँकि छठी शताब्दी तक नियोग प्रथा समाज में कुछ निषेधों के साथ चलती रही। छठी शताब्दी के बाद नियोग प्रथा को कलिवर्ज्य घोषित कर दिया गया।

संकेताक्षर : *क्षेत्रज, बीजी, स्वैरिणी, पुरुषानृत, कलिवर्ज्य*

प्राचीन भारतीय समाज के अध्ययन कर्त्ताओं के लिए नारी एक अत्यंत आकर्षक विषय रहा है। विशेषकर मार्क्सवादी एवं नारीवादी इतिहासकारों ने प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से नारी की चिंताजनक स्थिति का मूल्यांकन किया। धार्मिक, आर्थिक, सांपत्तिक अधिकारों के संदर्भ में स्त्री के जीवन को मूल्य रहित स्थापित किया गया। यदि इस परिदृश्य में प्राचीन भारत में 'नियोग प्रथा' का अध्ययन किया जाए, तो इस प्रथा के माध्यम से एक ओर विधवा, परित्यक्ता स्त्री की स्थिति का ज्ञान होता है, तो दूसरी ओर पुत्र प्राप्ति की उसकी प्रबल इच्छा और इस संकल्प के लिए उसके प्रयासों पर भी प्रकाश पड़ता है। इतना अवश्य है कि नियोग के बहुत से दृष्टांतों से यह स्पष्ट होता है कि परिवार का सांपत्तिक उत्तराधिकार इस माध्यम से सुरक्षित भी प्रतीत होता है। बहुत से विद्वानों ने 'नियोग प्रथा' की पृष्ठभूमि में विवाह व्यवस्था से पहले के स्वच्छंद संभोग की प्रथा को देखने का प्रयास किया है,[1] किन्तु उनका मत उन मान्यताओं से खंडित हो जाता है, जहाँ शोधकर्त्ताओ ने स्वच्छंद संभोग की प्रथा का खण्डन किया।[2] यह एक आदिम प्राकृतिक व्यवहार रहा होगा जिसका सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ अंत हो गया और परवर्ती समय में अशास्त्रीय भी घोषित किया गया। कई विद्वानों ने इस प्रथा को व्यभिचार का माध्यम बताया तो वहीं दयानन्द सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ अध्याय में नियोग प्रथा का समर्थन किया हैं। पाण्डुरंग वामन काणे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र (हिन्दी अनुवाद प्रथम भाग) में इस पर परिचयात्मक प्रकाश डाला। इनके अतिरिक्त गेल.एच.खुदरलैण्ड ने 'बीज (सीड) और क्षेत्र (फील्ड) मेल सरोगेसी और नियार्ःी94ेग इन महाभारत' में सत्यवती, अम्बिका, अम्बालिका के संदर्भ से कई प्रश्न उठाए। अवश्य ही करण कुमार ने कुछ विस्तार से 'द इवोल्यूशन आफ एण्ड बेसिक कॉन्सेप्ट आफ नियोग' में नियोग प्रथा का एक खाँचा खींचने का प्रयास किया है, किन्तु उनकी भी मानसिकता नारीवादी दृष्टिकोण से प्रभावित दिखती है। ए.एस. अल्तेकर ने 'पॉजीशन ऑफ वीमन इन एन्श्येन्ट सिविलाइजेशन' में नियोग प्रथा के भारत के साथ-साथ विदेशी प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलन के साक्ष्य प्रस्तुत किये है। इस पृष्ठभूमि में प्राचीन संस्कृत साहित्य के संदर्भ से इस प्रथा की उत्पत्ति, इसके माध्यम से सामाजिक नियमों को सुरक्षा, सांपत्तिक अधिकारों की सुरक्षा, स्त्री एवं पुरुष के अधिकारों के समाज में स्थान के विश्लेषण का प्रयास यह लेख है।

नियोग का अर्थ-किसी नियुक्त पुरुष के सम्भोग द्वारा पुत्रोत्पत्ति के लिए पत्नी या विधवा की नियुक्ति। मोनियर व विलियम्स ने मनुस्मृति एवं महाभारत के संदर्भ से नियोग शब्द की व्याख्या की है। उनके अनुसार मृतक व्यक्ति की स्त्री से देवर या अन्य

निकट सम्बन्धी द्वारा कामवासना रहित होकर सन्तानोत्पादन ही नियोग कहलाता है।[3] गौतम धर्मशास्त्रकार ने इसकी चर्चा की है कि पतिविहीन नारी यदि पुत्र की अभिलाषा रखे तो अपने देवर द्वारा प्राप्त कर सकती है किन्तु इसके लिए उसे अपने गुरुजनों से आज्ञा ले लेनी चाहिए। यदि देवर नहीं हो तो वह सपिण्ड, सगोत्र, सप्रवर या अपनी जाति वाले से भी पुत्र प्राप्त कर सकती है।[4] गौतम का कहना है कि जीवित पति द्वारा प्रार्थित स्त्री जब नियोग से पुत्र उत्पन्न करती है तो वह उसी पुरुष का पुत्र होता है।[5] स्मृतियों में ऐसे पुत्र को क्षेत्रज, नियोग विधि को अपनाने वाली विधवा या पुत्रार्थी स्त्री को क्षेत्र, जिसकी वह पत्नी या विधवा होती थी उसके लिए क्षेत्री या क्षेत्रिक तथा पुत्रोत्पत्ति के लिए नियुक्त पुरुष को बीजी या नियोगी कहा गया है।[6] बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार क्षेत्रज पुत्र वही है, जो निश्चित आज्ञा के साथ विधवा से या नपुंसक या रुग्ण पति की पत्नी से उत्पन्न किया जाये।[7]

नियोग प्रथा के उद्‌गम एवं उपयोग के विषय में विविध मत-मतान्तर हैं। प्राचीन काल में विश्व की कई जातियों में भी नियोग प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। ए.एस.अल्तेकर ने प्राचीन काल में स्पार्टा के लोगों में भी नियोग के प्रचलन का उल्लेख किया है। वहाँ पर एक विधवा बिना किसी समारोह के अपने मृत पति के भाई की पत्नी बन जाती थी। यदि पति का भाई उससे विवाह हेतु मना कर देता था तो वह उसके चेहरे पर थूक देती थी।[8] वेस्टरमार्क ने भी मिश्र में इस प्रथा के प्रचलन की बात कही है। विश्व के अन्य देशों की तरह प्राचीन भारतीय समाज में भी नियोग प्रथा के प्रचलन की प्राचीन सीमा का निर्धारण करना दुष्कर प्रतीत होता है। नियोग प्रथा के कारण भी अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यात्मक है। प्राचीन भारतीय समाज में पुत्र का विशेष महत्व होने के कारण पुत्र प्राप्ति हेतु नियोग की आवश्यकता समझी गई होगी। नियोग विवाह के प्रमुख लक्ष्य पुत्र प्राप्ति का पूरक था। पुत्र उत्पन्न होने पर ही दम्पति पितृऋण से मुक्ति व स्वर्ग प्राप्ति के अधिकारी होते थे। अत: नियोग प्रथा पुनर्विवाह के बिना भी धार्मिक लाभ से वंचित होते हुए दम्पति या विधवा के लिए उपयोगी थी और इससे वंशनाश होने से भी बचाया जा सकता था। इसलिए सधवा या विधवा दोनो ही प्रकार की स्त्रियों के लिए प्राचीन भारतीय समाज ने इसे स्वीकार किया था। प्रारम्भ मे नियोग सधवा स्त्रियों द्वारा ही अपनाया गया प्रतीत होता है क्योंकि जो पति अपनी स्त्री से नपुंसकता आदि कारणों[9] से संतानोत्पादन में असमर्थ हुआ होगा, उसी ने वंशवर्धन, वृद्धावस्था में आलम्बन, पितृतर्पण, पिण्डदान आदि के लिए या पुत नामक नरक से बचने और स्वर्ग का अधिकारी बनने आदि जैसी भावनाओं से प्रेरित होकर अपनी पत्नी को नियोग विधि से सन्तानोत्पादन की स्वीकृति दी होगी। नियोग की ऐसी मान्यताओं के पीछे असमर्थ पति को स्त्री द्वारा तलाक न देने, दत्तक और क्रीत पुत्र की अपेक्षा क्षेत्रज[10] पुत्र को अधिक उपयुक्त समझने, पति के जीवित रहते स्त्री द्वारा दूसरा विवाह न करने की भावना ने प्रेरणा प्रदान की होगी। पुरुष प्रधान समाज में नियोग पति की आवश्यकतापूर्ति और हीनभावना से बचने का पुरुष का प्रयास प्रतीत होता है।[11] आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' में रुग्ण और क्लीव पति वाली स्त्रियों के रतिपूर्ति तथा व्यभिचार वर्धन पर नियंत्रण हेतु तथा कुल वृद्धि हेतु नियोग की आवश्यकता स्वीकार की है।[12] हालांकि प्राचीन वैदिक साहित्य में कहीं भी रति सुख को नियोग का आधार नहीं माना गया है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूपेण इसकी भी पूर्ति हो जाती थी।

विधवा स्त्रियों में नियोग विधि सधवा स्त्री के अनुकरण से प्रचलन में आयी होगी। प्रारम्भ में क्षतयोनि विधवाओं के पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। जब उच्च वर्ग में विवाह हेतु क्षताक्षत योनि कन्या के विचार ने विधवा विवाह को जब हीन दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया होगा, तब सन्तानहीन विधवाओं के लिए नियोग उपयुक्त समझा गया होगा। इस तरह उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र के साथ स्वत्व होने के कारण वह पुत्र दत्तक एवं क्रीत पुत्र की अपेक्षा विधवा के लिए अधिक प्रिय हुआ होगा। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि किसी अन्य के पुत्र को गोद लेने पर वह गोद लेने वाले दम्पति का पुत्र नहीं होता है।[13] न शेषो अग्ने अन्यजातमास्ति ऋग्वेद, 7/5-7। अत: विधवा द्वारा वैधव्य एवं वृद्धावस्था में आलम्बन हेतु तथा धार्मिक लाभों के लिए नियोग की आवश्यकता महसूस की गई होगी। नियोग विधि से विधवा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई होगी। प्राचीन भारत में विधवा स्त्री का पति की सम्पति पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण, वह नियोग से पुत्र उत्पन्न कर क्षेत्रज के माध्यम से पति की सम्पति को अपने उपभोग हेतु सुरक्षित कर सकती थी। इससे वह परिवार के अन्य सदस्यों पर भरण पोषण के लिए निर्भर नहीं रहती होगी। प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री को परिवार की सम्पति माना जाता था।[14] आपस्तम्ब का कथन कुलाय हि स्त्रीप्रदीयते[15] इस मत का मुख्य आधार है । अत: यदि विधवा अपना पुनर्विवाह देवर के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति से कर लेती है तो स्त्री रूपी सम्पति से परिवार को हाथ धोने पड़ सकते थे। इसके अतिरिक्त स्त्रीधन रूपी संपदा को भी खोने का भय बना रहता था। अत: विधवा की सम्पति पर परिवार का स्वत्व बनाये रखने की धारणा ने देवर द्वारा नियोग को स्वीकृति प्रदान की होगी।

विन्टरनित्श ने नियोग के प्रचलन का कारण दरिद्रता,स्त्रियों का अभाव, एवं संयुक्त परिवार माना है[16] किन्तु प्राचीन काल में

भारत में स्त्रियों का अभाव था, इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। डॉ. काणे का मानना है कि वैदिक कालीन समाज में निरन्तर युद्धों के कारण पुरुषों की संख्या में कमी आयी होगी न कि स्त्रियों की और न अन्य कारण यथा दरिद्रता तथा संयुक्त परिवार ही नियोग के कारण ठहरते हैं। हालांकि काणे[17] ने नियोग के कारणों का विश्लेषण नहीं किया है परन्तु वे नियोग को अतिप्राचीन प्रथा का अवशेष मात्र मानते हैं।

नियोग हेतु विधवा स्त्री एवं नियुक्त पुरुष की पात्रता :- नियोग विधि से अपने लिए संतान चाहने वाली स्त्री के लिए कम से कम दो बातें आवश्यक मानी जाती थी। उसका संतानहीन होना और संतानोत्पादक आयु वाली होना। कतिपय ऐसे भी प्रसंग मिलते है जिनमें संतानवती विधवा स्त्रियों के लिए नियोग का विधान किया गया है। उक्त दशा में संतान पुत्री रही होगी। किसी विधुर द्वारा अपने लिए सधवा या विधवा से नियोग विधि से संतान उत्पन्न करने में विधवा स्त्री का संतानहीन होना आवश्यक नहीं था। नियोग में नियुक्त पुरुष और विधवा स्त्री के परस्पर रक्त संबंधो पर ध्यान दिया जाता था। बौधायन ने ममेरी या फूफेरी बहनों, भानजी, पुत्रवधू, मामी, मित्र की पत्नी आदि को अगम्य माना है। इनके साथ नियोग वर्जित था।[18] वसिष्ठ विधवा स्त्री के लिए पति की मृत्यु के 6 माह पर्यन्त नियोग का निषेध करते हुए उन्मादिनी, अत्यन्त शोकाकुला, सतत रोगिणी रहने वाली, अत्यन्त वृद्धा विधवा को नियोग के लिए अपात्र बताया है।उन्होने नियोग की सीमा के लिए 16 वर्ष का उल्लेख किया है।[19] इससे ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है कि स्त्री को अधिक से अधिक 16 वर्ष तक नियोग करना चाहिए। नियोग के लिए भाईयों या गुरुओं द्वारा नियुक्त न की गयी, उत्पन्न पुत्र संतान वाली, जो बंध्या हो, जिसका गर्भ स्त्राव हो जाता हो, जिसके बच्चे मर जाते हों, जो संतानोत्पादन के लिए अनिच्छुक हो, ऐसी स्त्रियाँ भी अपात्र बताई गयी थी।[20]

नियुक्त स्त्री के समान ही नियुक्त पुरुष के वंश, जाति, गोत्र, प्रवर आदि पर विचार किया जाता था। उसके पश्चात ही उस पुरुष को नियोग योग्य माना जाता था। ऋग्वैदिक काल[21] में प्राय: देवर को ही नियोग हेतु वरीयता दी जाती थी। अथर्ववेद[22] (14.02.18) में भी स्त्री को देवरकामा कहा गया है। गौतम धर्मसूत्र, आपस्तम्बधर्म सूत्र,[23] मनुस्मृति,[24] नारदस्मृति[25] आदि में भी देवर को ही प्रथम वरीयता प्रदान की गई है। प्रथम, देवर पति का निकटतम रक्त सम्बंधी होता है। द्वितीय, बाहर का नियुक्त पुरुष पुत्र के बड़े होने पर अपने संबंधों की उसे जानकारी देकर अपनी तरफ मिला सकता था और परिवार में से पुत्र के हक की सम्पत्ति प्राप्त करने का प्रयास कर सकता था।[26] इसलिए शायद धर्मशास्त्रकारों ने यह प्रावधान किया था कि धन प्राप्ति हेतु नियोग नहीं किया जाना चाहिए। रिक्थ लोभान्नास्ति नियोग: किन्तु हमेशा यह आवश्यक नहीं था कि देवर विधवा के नियोग प्रस्ताव को स्वीकार ही करे। यह उसकी इच्छा पर होता था। जैसे महाभारत में भीष्म ने ब्रह्मचर्य धारण करने के कारण विचित्रवीर्य की विधवाओं के साथ नियोग के सत्यवती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।[27] देवर के न होने पर क्रमश: सपिण्ड अथवा सगोत्र व्यक्ति को नियोग के लिए उचित बताया गया था।[28] गौतम ने देवर, सपिण्ड, सगोत्र के बाद अपने ही प्रवर के किसी भी व्यक्ति को नियोग के लिए उपयुक्त समझा।[29] कौटिल्य राजा के उत्तराधिकार सौंपने के विषय में विशेषकर जब उसके एक ही पुत्र हो और वह भी दुर्बुद्धि हो तो उससे योग्य पुत्र पैदा कराकर उसे या पुत्रिका- पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का उल्लेख किया है किन्तु ऐसा असंभव होने पर यदि राजा बूढ़ा हो गया हो या निरन्तर रुग्ण रहता हो, अपने किसी ममेरे भाई अथवा अपने ही कुल के किसी बंधु से या किसी गुणवान सामंत से अपनी स्त्री में नियोग कराकर पुत्र पैदा करवाने का उल्लेख किया है।[30] इन सभी के अभाव में ब्राह्मण एवं ऋषि को सभी वर्णों की स्त्रियों एवं विधवाओं के लिए नियोग कार्य हेतु उपयुक्त बताया गया है।[31] महाभारत में परशुराम द्वारा क्षत्रिय कुल का विनाश किए जाने पर ब्राह्मणों द्वारा नियोग सम्पादन का उल्लेख है।[32] भीष्म ने सत्यवती को विचित्रवीर्य की विधवाओं के लिए नियोग सम्पादनार्थ गुणवान ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर आहूत करने की सम्मति दी थी।[33] महाभारत में दो सधवा स्त्रियाँ कुन्ती एवं माद्री के नियोग में देवताओं द्वारा नियोग किये जाने का वर्णन है।[34] लेकिन इनसे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थ ग्रहण करना[35] उपयुक्त होगा। डॉ. एस.सी. सरकार ने यह मत प्रतिपादित किया है कि देवर के न होने पर शिष्य को नियोगार्थ उचित माना जाता था। श्वेतकेतु की उत्पति गुरुपत्नी में शिष्य के नियोग से हुई थी।[36] यह प्रथा विशिष्ट रूप से ब्राह्मण वर्ग में प्रचलित थी।इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि नियोग में विधवा के देवर को ही प्रथम वरीयता प्राप्त थी। इसका कारण डॉ. अल्तेकर[37] ने प्राचीन भारतीय समाज में रक्त सम्बन्धों की निकटता की अवधारणा को स्वीकार किया है। इसी कारण किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र को गोद लेना अच्छा नहीं माना जाता था। कालान्तर में जब नियोग को पूर्ण सामाजिक मान्यता प्राप्त हो गयी तो रक्त सम्बन्धों की निकटता का प्रतिबंध भी उपेक्षित होने लगा। नियोग से पुत्र प्राप्त करना अभीष्ट रह गया, रक्त संबन्ध में निकटता गौण हो गयी। यही कारण था कि सगोत्र, सजाति, सप्रवर, शिष्य, दास और यहाँ तक की (जातक ग्रंथो में) अज्ञात व्यक्ति को भी इस कार्य के लिए चुन लिया गया।

सम्पादन के नियम :- नियोग विधि से संतानोत्पादन को आपद्धर्म के रूप में व्यक्त करने के साथ- साथ यह व्यभिचार का रूप न ग्रहण कर ले इसके लिए अत्यन्त सावधानी से अनेक नियमों का प्रतिपादन किया गया था। सर्वप्रथम तो यह कि नियोग विधवा या संतानार्थी स्त्री की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं था। इसके लिए पिता (श्वसुर) पति,माता,ज्येष्ठभ्राता या गुरु द्वारा अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। वसिष्ठधर्मसूत्र में स्पष्ट लिखा है कि विधवा स्त्री का विभिन्न सम्बन्धियों के समक्ष नियोग करायें। यह संबन्ध गुप्त नहीं होना चाहिए।[38] किन्तु यदि गुरु आदि द्वारा अनुमति प्राप्त किये बिना ही विधवा द्वारा नियोग किया जाता है तो मनु के अनुसार दोनों पतित होते थे।[39] यदि विधवा स्त्री नियोग के नियमों के विपरीत समागम करती थी तो वे दोनों राजा द्वारा दण्ड भागी होते थे।[40] नियोग हेतु स्त्री पुरुष दोनों का सम्पर्क मात्र ऋतुकाल में विहित था जो गर्भधारण पर्यन्त किया जा सकता था।[41] जैसे विवाह में चतुर्थी कर्म किया जाता था उसी प्रकार नियोग संपादन के पूर्व ब्राह्मण एवं अतिथियों आदि को भोजन कराने, यज्ञादिक का सम्पादन करने का उल्लेख है। सत्यवती ने विचित्रवीर्य की विधवाओं को नियोग के लिए व्यास के पास भेजने से पूर्व ब्राह्मणों एवं अतिथियों को भोजन करवाया था।[42] वसिष्ठ धर्मसूत्र में स्त्री को नियोग में संभोग के पूर्व भोजनादि से संतुष्ट होना चाहिए अर्थात न तो वह पतिमरण शोक से त्यक्ताहार हो, न व्रतादि के कारण भूखी प्यासी हो। वह सम्यक् वस्त्र धारण किये हो, स्नान से स्वच्छ तथा लेपनादि से सौम्य हो। अर्थात् स्त्री को गर्भधारण के लिए सौम्य रूप से तैयार होना चाहिए और एक संतुलित वातावरण में गर्भधारण करना चाहिए जिसमें न कोई घृणाभाव हो न कोई बलात्कार।[43] महाभारत में नियोग के समय स्त्री के वस्त्राभरणों से आच्छादित होकर सौन्दर्यमयी अवस्था में नियोगी के समक्ष प्रस्तुत होने का वर्णन किया गया है। अम्बिका ने अपनी दासी को अपने ही आभूषणों से सुसज्जित कर अप्सरा तुल्य बनाकर कृष्ण द्वैपायन व्यास के समक्ष भेजा था। महर्षि ने उसके साथ कामोपभोग किया तथा उससे प्रसन्न होकर उसे दासीपन से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया।[44]

नियोग के लिये उपयुक्त काल रात्रि का समय बताया गया है। व्यास ने विचित्रवीर्य की विधवाओं के साथ दीपक जलने पर ही नियोग किया था।[45] कुछ लोगों ने इस कार्य के लिए रात्रि का अन्तिम प्रहर या ब्रह्ममुहूर्त उपयुक्त बताया है। मनु के अनुसार नियोगी को रात्रि में ही संगमन करना चाहिए।[46] समागम काल में किसी प्रकार की क्रीड़ा न करने, मौन पूर्वक कर्त्तव्यभाव से गर्भाधान करने का उल्लेख है। कुछ स्मृतिकार इस बात का उल्लेख करते हैं कि नियुक्त पुरुष को अपने शरीर पर घृत का लेप करना चाहिए।[47] नियोग मात्र संतान प्राप्ति के लिये था, कामभाव की तुष्टि या धन ग्रहण करने के लोभ से नहीं। मनु विधवा स्त्री को श्वेत वस्त्र धारण कर व्रतशील होकर प्रत्येक ऋतुकाल में एक बार सहवास का नियम बताते हैं।[48] जातकों में ऐसे किसी प्रतिबन्ध का उल्लेख नहीं है। नियोग पूर्ण होने के बाद, विधवा स्त्री और नियुक्त पुरुष के बीच सम्बन्ध पति-पत्नी या जार-जारज का नहीं रह जाता था अपितु मनु के अनुसार उन्हें परस्पर पिता और पुत्रवधु जैसा संबंध बनाये रखना चाहिए। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ होते थे, तथा कामपथ पर प्रवृत होते थे तो वे गुरुपत्नी या पुत्रवधु से व्यभिचार के प्रायश्चित के भागी होते थे।[49] धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों मे विधवा द्वारा नियोग विधि से एक संतान उत्पन्न करने का उल्लेख है। हालांकि यहाँ पर संतान का अर्थ पुत्र लगाया गया है अर्थात् जब तक एकपुत्र उत्पन्न न हो जाये, चाहे पुत्रियाँ उत्पन्न हो चुकी हो, नियोग किया जा सकता था। मनु ने नियोग से दो पुत्र उत्पन्न करने की मान्यता प्रस्तुत की है।[50] महाभारत में नियोग द्वारा उत्पादित पुत्रों की संख्या तीन मानी गयी है किन्तु तीन पुत्रों से अधिक पुत्रोत्पादन को वेश्यावृति तुल्य माना गया है तथा विधवा स्त्री को स्वैरिणी कहा गया है[51] महाभारत में कुंती ने भी नियोग से तीन पुत्र प्राप्त किये थे हालांकि पांडु अपने तीन पुत्रों से भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कुंती को चौथी बार नियोग करने हेतु कहा जिसका कुंती ने यह कहकर तीव्र विरोध किया कि परम्परा केवल नियोग से तीन पुत्र पैदा करने की अनुमति प्रदान करती है।[52] इससे स्पष्ट होता है कि व्यवहार में विधवा को एक पुत्र प्राप्ति तक नियोग की अनुमति थी।

नियोग का ऐतिहासिक विकासक्रम

प्राचीन भारतीय संस्कृति में नियोग प्रथा के प्रचलन की प्राचीन सीमा का निर्धारण करना दुष्कर प्रतीत होता है। ऋग्वैदिक समाज की पुरुष संतान की प्रबल आवश्यकता ने विधवा विवाह के साथ नियोग को भी प्रचलन में लाया होगा, स्वीकार किया जा सकता है। ऋग्वेद 7/5/7 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक समाज में दत्तक पुत्र को वैधानिक रूप से मान्यता नहीं थी, उसे अपुत्र की तरह माना गया था क्योंकि वह परिवार के लिये पूर्णत: बाहरी था, उससे माता-पिता का कोई रक्त संबन्ध न था।[53] नियोग से उत्पन्न संतान में पति तो नहीं किन्तु माता का रक्त संबंध अवश्य होता था इसलिए विधवा स्त्री के लिये इससे अधिक निकट का पुत्र अन्य नहीं हो सकता था। यही कारण था कि धर्म शास्त्रों में इसे उत्तराधिकार क्रम में औरस पुत्र के बाद

दूसरे स्थान पर रखा गया। नियोग में देवर को भी प्रथम वरीयता इसी कारण दी गयी थी कि वह परिवार का रक्त संबंधी था। ऋग्वैदिक समाज अपने प्रारम्भिक चरण में आखेट तथा भोजन अर्थ व्यवस्था पर आधारित था। युद्धों की बहुतायत होने के कारण पुरुषों का जीवन हिंसा और खतरों से अधिक जुड़ा था, उनकी मृत्युदर भी स्त्री की अपेक्षा अधिक रही होगी। अत: पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या में अधिकता होने के कारण बहुपत्नी प्रथा व्यवहार में आयी होगी। इस बहुपत्नी प्रथा ने एक तो घरेलू और कृषि कार्यों के लिये नि:शुल्क श्रमिक प्रदान किये, दूसरे अनेक स्त्रियों द्वारा प्रजनन से पुरुषों की घटती संख्या की पूर्ति भी की गयी। इस बहुपत्नी प्रथा में विधवा के क्षतयोनि का विचार इसलिए बाधक नहीं बना कि उन्हें पुरुषों की उच्च मृत्यु दर को उच्च जन्म दर से पूरा करना था। स्त्रियों ने कदाचित् इसे अधिक पसन्द किया हो, क्योंकि उससे कार्य भार बंट जाता था, और उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने तथा उनकी सेवा करने की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाती थी। पितृसत्तात्मक परिवार में प्रारम्भ में बच्चे और पत्नी दोनों पति की सम्पति माने जाते थे और उनका होना समृद्धि का द्योतक था[54] अत: इस समाज में विधवा स्त्री को नियोग के लिए अपना लेना या उससे पुनर्विवाह कर लेना दोनों आपत्तिजनक न रहे होंगे। ऋग्वेद के साक्ष्यों द्वारा तत्कालीन समाज में नियोग प्रथा के प्रचलन की सिद्धि के लिये प्राय: इतिहासकारों ने देवर और विधवा के संबंधों का सहारा लिया है। ऋग्वैदिक समाज में स्त्री के मातृत्व एवं उत्पादकता को बहुत महत्व दिया गया है। उनकी इच्छा थी कि पति का नपुंसक होना, किन्हीं कारणों से अनुपस्थित होना या मर जाना संतानोत्पादन में बाधक नहीं होना चाहिए।इन परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने हेतु नियोग जैसी प्रथा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ होगा।[55] पुरूकुत्सानी ने पति के बंदी बनाये जानेपर नियोग विधि से पुत्र प्राप्त किया था।[56] जहा तक विधवा स्त्री का प्रश्न है ऋ0 10/18/8 एवं 10/40/2 के परिप्रेक्ष्य में उपाध्याय जी ने देवर के साथ उनका पुनर्विवाह स्वीकार किया है किन्तु कतिपय विद्वानों ने ऋ0 10/40/2 को नियोग का ही दृष्टान्त माना है।[57] इस मंत्र में कहा गया है कि - हे अश्विनद्वय (पति-पत्नी) तुम दोनों रात्रि में कहाँ और दिन के समय कहाँ जाते हो। कहाँ समय बिताते हों, कहाँ वास करते हो , जैसे विधवा स्त्री शयन स्थान में द्वितीय वर देवर को बुलाती है और कामिनी अपने पति का समादर करती है वैसे ही यज्ञ में आदर के साथ तुम्हें कौन बुलाता है।[58] इस मंत्र में अश्विन कुमारों का अपनी पत्नी के साथ वास करने के विषय में प्रश्न किया गया है।इसको ब्रह्ममुनि ने विधवा स्त्री का देवर से विवाह ही नियोग मान लिया।[59]

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने नियोग प्रथा को वेदानुमोदित बताते हुए लिखा है- हे अश्विनी, जैसे देवर को विधवा और विवाहित स्त्री अपने पति को समान स्थान शय्या में एकत्र होकर सब प्रकार से संतान उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे। कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की और किस समय कहाँ वास करते थे। तुम्हारा शयन कहाँ है। तुम कौन वा किस देश के रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग रहकर विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानोत्पति करती थी।[60] ऋ. 10/18/8 का अनुवाद स्वामी जी ने इसप्रकार किया है, हे विधवे ! तू इस मरे हुए पति की आशा छोड के बाकी पुरुषों में से जीते हुए दूसरे पति को प्राप्त हो और इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो तुझ विधवा के पुन: पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा तो यह जना हुआ बालक उसी नियुक्त पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह संतान तेरा होगा। ऐसे निश्चय युक्त हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।[61] अथर्ववेद 14/2/18 की व्याख्या में स्त्री को देवरकामा होने के आशीर्वचन का भी स्वामी जी नियोग के पक्ष में अर्थ लगाते हैं। उनके अनुसार इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है- 'हे पति और देवर को दु:ख न देने वाली स्त्री तू इस गृहस्थाश्रम में पशुओं के लिए कल्याण करने वाली, अच्छे प्रकार नियम में चलने, रूप और सर्वशास्त्र-विद्यायुक्त उत्तम पुत्र पौत्रादि के सहित वीर पुत्रों को जनने, देवर की कामना करने वाली और सब सुख देने हारी पति व देवर को प्राप्त होकर इस गृहस्थ सम्बन्धी अग्निहोत्र को सेवन किया करे।[62] अथर्ववेद 5/7/18 तथा 9/5/27-28 को डेलब्रुक महोदय ने नियोग का प्रमाण स्वीकार किया है[63] आदिकाव्य महाभारत नियोग के अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है। सधवा और विधवा दोनों ही प्रकार की स्त्रियों का उनके देवर, सगोत्र,सजाति,ब्राह्मण, ऋषि,देवताओं या अज्ञात व्यक्तियों के साथ नियोग का उल्लेख है। नियोग से संतान उत्पादन करने वाली सधवा स्त्रियों में कुन्ती,[64] माद्री,[65] बलि पत्नी सुदेष्णा[66] के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त विधवा स्त्रियों द्वारा भी नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न करने के दृष्टान्तों का अभाव नहीं है। सत्यवती ने विचित्रवीर्य के मर जाने पर शांनुकुल को विनष्ट होने से बचाने के लिए कानीन पुत्र व्यास को इस कार्य के लिए नियुक्त किया।[67] व्यास ने सबसे पहले अम्बिका के साथ नियोग किया जो व्यास के कृष्ण वर्ण, पिंगलजटा, बड़ी दाढी, देदीप्यमान नेत्रों,भौहों और बड़ी बड़ी मूछों से युक्त चेहरे को देखकर डर सी गयी और संगमन पर्यन्त नेत्र न खोल सकी।[68] इसी कारण उसके गर्भ से अंधापुत्र

(धृतराष्ट्र) उत्पन्न हुआ। चूंकि अंधा पुत्र उस काल में राज्य कार्य के लिए अयोग्य माना जाता था, इसलिए सत्यवती ने पुन: दूसरा पुत्र उत्पादित करने के लिए व्यास से प्रार्थना की। दूसरी बार नियुक्त किये जाने पर अम्बिका ने ऋषि व्यास के कुत्सित रूप का स्मरण कर अपने आभुषणों से सुसज्जित कर अपनी दासी को इस कार्य के लिए प्रेषित किया और सम्पर्क से धीमान विदुर उत्पन्न हुए।[69] सत्यवती ने विचित्रवीर्य की दूसरी विधवा अम्बालिका को भी व्यास से नियोग के लिए तैयार किया किन्तु वह भी व्यास की कुरूपता के कारण तथा संगमन काल में भय से पीली पड़ गयी और उससे पाण्डु नामक पुत्र ने जन्म लिया।[70] जिसकी दो रानियाँ कुन्ती और माद्री के नियोग विधि से ही पांच पुत्र उत्पन्न हुए और पांच पाण्डव कहलाये। कहा गया है कि अपने पिता जमदग्नि की मृत्यु के प्रतिशोध में परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया इस विपत्ति में सभी क्षत्रिय विधवाओं के ब्राह्मणों से नियोग विधि से संतानोत्पादन करने का उल्लेख इस ग्रन्थ में किया गया है।[71] महाभारत में नियोग को आपद्धर्म तथा पूर्वकाल में प्रचलित सज्जनों द्वारा व्यवहरणीय धर्म माना गया है।[72] इस प्रकार लगभग ई. पूर्व तृतीय शताब्दी तक नियोग की प्रथा सामान्य एवं निर्विवादित ढंग से प्रचलित रही।[73] इसके बाद धीरे-धीरे इस प्रथा की आलोचना होने लगी। तीन सौ ईसा पूर्व के बाद सुधारवादी विचारकों, जिनमें आपस्तम्ब, बौधायन और मनु को गिना जा सकता है, ने इस प्रथा का विरोध किया जब कि वसिष्ठ एवं गौतम ने इसे विधवा की इच्छा पर छोड़ दिया और नियोग एक वैकल्पिक व्यवस्था रह गयी। इस काल में अनिच्छुक विधवा को नियोग हेतु नियुक्त न करना उपयुक्त माना गया।

आपस्तम्ब ने स्त्री को (कुलाय हि स्त्री प्रदीयते) कुल का स्वीकार कर सगोत्र, स्थानीय व्यक्ति से पुत्र पैदा करने का उल्लेख किया।[74] किन्तु उन्होंने नियोग की निन्दा भी की। वास्तविक पाणिग्राही पति के इतर अन्य से सम्पर्क करने से विवाहित दम्पति (पति और पत्नी दोनों) को नरक की प्राप्ति होती है।[75] इसलिए विवाहित दम्पति में पुत्र की प्राप्ति न होने पर उन्हें नियम पूर्वक रहना चाहिए। पर पुरुष समागम या नियोग विधि से संतानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। उनके नियम पूर्वक जीवन बिताने से ही अपुत्रावस्था में भी उन्हें स्वर्ग फल प्राप्ति होती है।[76] नियोग को निषिद्ध ठहराने की दृष्टि से ही उन्होंने उत्पन्न पुत्र को बीजी का स्वीकार कर लिया जो विधवा के मृत पति के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से अनुपयोगी था।[77] गौतम और वसिष्ठ ने नियोग का समर्थन किया है। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार यदि कोई मृतपतिका स्त्री पुत्र उत्पन्न करना चाहती है तो गुरुओं की अनुज्ञा से देवर से ऋतुकाल में गर्भधारण कर सकती है। देवर के न उपलब्ध होने पर गौतम ने सपिण्ड,सगोत्र,सप्रवर या सजाति को नियोग के लिए उचित स्वीकार किया है। इस प्रकार वह मात्र एक संतान उत्पन्न कर सकती है।[78] गौतम ने दायभाग के संबंध में लिखा है कि बिना पुत्र या पुत्रियों वाली विधवा स्त्री सपिण्डादि के बीज (नियोग) से पुत्र उत्पन्न करे।[79] इस प्रकार उत्पन्न पुत्र रिक्थग्राही होगा। यदि देवर उपलब्ध है तो देवर से परे अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित पुत्र को दायभाग प्राप्त न होगा।[80] वसिष्ठ धर्मसूत्र में विधवा स्त्री का अनुमति से नियोग कार्य को सम्पन्न करने का विधान है।[81] इन उद्धरणों में विभिन्न प्रकार के नियमों के कथनों से यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि उपर्युक्त शास्त्रकार नियोग को टालना चाहते थे, जिसे नियोग निषेध का प्राथमिक चरण समझा जा सकता है।

अर्थशास्त्र में राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के चयन के प्रसंग में नियोग विधि से संतानोत्पादन का वर्णन किया गया है।कौटिल्य ने औरस पुत्र न होने पर मृतक की सम्पति का उत्तराधिकारी नियोग विधि से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र को माना है।[82] बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों में भी नियोग विधि से संतान उत्पन्न करने की विधि वर्णित है किन्तु महाभारत की तरह इन ग्रन्थों में नियोग की घटना का बाहुल्य नहीं दिखाई देता। कुरू जातक[83] में मल्ल राष्ट्र के राजा ओक्काक के पुत्रहीन होने के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी की तलाश के लिए प्रजा ने राजा पर दबाब डाला कि वह अपनी रानियों से नियोग विधि से संतानोत्पादन कराये। राजा ने अपनी रानियों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया और उसकी अग्रमहिषी से पुत्र उत्पन्न हुआ। विवेचित काल में विधवा स्त्री को राज्यधिकार प्राप्त न था। परिणामत: इस संतान की आवश्यकता बनी रही। विधवा स्त्री में भी नियोग विधि से संतान उत्पन्न करने की चर्चा 'आवश्यकचूर्णी' नामक ग्रन्थ में प्राप्त है जहाँ एक माता ने अपने व्यापारी पुत्र के समुद्र में जहाज डूब जाने से मरने की खबर पाकर एक देवकुलिका में सोये हुए अज्ञात व्यक्ति को पकडकर उसे अपनी चार विधवा पुत्रवधुओं का देवर बताकर प्रत्येक से नियोग विधि से चार-चार पुत्र उत्पन्न कराये।[84] विवेचित ग्रन्थ में नियोग का कारण पुत्रहीन व्यक्ति के सम्पति का राजा द्वारा हरण कर लेने का भय बताया गया है।

इस प्रसंग में स्मृतिकारों के मतों का उल्लेख भी प्रासंगिक है। मनु का स्त्रियों के विषय में कुछ संकीर्ण दृष्टिकोण ही कहा जा सकता है। वे कन्या दान एक ही बार स्वीकार करते है। यहाँ तक कि एक बार वाग्दान कर दिये जाने पर अन्य को कन्या देने वाले को पुरुषानृत दोष का पात्र बताते हैं।[85] जिस कन्या का पति वाग्दान के बाद ही मर जाय उसका देवर के साथ नियोग करना चाहिए। वह

वाग्दत्ता विधवा शुचिव्रता, श्वेत वस्त्र धारण कर प्रत्येक ऋतुकाल में एक बार समागम करके गर्भ धारण करे।[86] मनु ने नियोग का विस्तार से वर्णन किया है जिसमें वाग्दत्ता विधवा के गुरुजनों की आज्ञा से देवर या सपिण्ड द्वारा नियोग विधि से संतान प्राप्त करने का विधान किया है।[87] इस प्रकार नियुक्त पुरुष रात्रिकाल में मौन धारण करके शरीर में धृत का लेप करके एक पुत्र उत्पन्न करे।[88] उन्होंने नियोग से दो पुत्र प्राप्त करने की चर्चा की है किन्तु पुत्र प्राप्त हो जाने के बाद नियोगी और नियुक्त विधवा संबंध बनाये रखने का प्रतिबंध करते हैं। यदि वे इस व्रत के पालन में असमर्थ होते हैं तथा कामभाव से पुन: आसक्त होते हैं तो उन्हें गुरु-पत्नी और पुत्र वधु से व्यभिचार के समान दोष लगता है। मनुस्मृति 9/66-68 में वेन के राज्य में नियोग की जो निन्दा की गई हैं वह इसलिए नहीं कि नियोग निन्दित था अपितु इसलिए कि वेन के राज्य में लोग कामवश नियोग करते थे। अत: यह निन्दित हुआ क्योंकि इससे वर्णसंकरता व्याप्त होने लगी थी। अत: नियोग का दुरुपयोग निषिद्ध है न कि नियोग।[89] मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज, नारायणभट्ट, कुल्लूकभट्ट, राघवनन्दन ने भी नियोग का समर्थन नहीं किया। डॉ आर.एम.दास ने नियोग के कलिवर्ज्य बताये जाने के कारणों की समीक्षा की है। विधवा स्त्री में देवर द्वारा नियोग किये जाने पर देवर की पत्नी और विधवा जिससे नियोग किया जाता है, में ईर्ष्या भाव आ जाता रहा होगा और पारिवारिक संबंधों में अशान्ति उत्पन्न हो जाती रही होगी। इसी कारण धीरे-धीरे यह अप्रचलित होता चला गया।[90] मनुस्मृति में नियोग के संबंध में जो भी कथन प्राप्त होता है उससे प्रतीत होता है कि उस समाज में नियोग प्रथा का अस्तित्व बना हुआ था परन्तु निश्चित रूप से मनु ने नियोग की निन्दा की है और नियोग न करना उत्तम माना है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मनु के अनुसार यह शूद्रवर्णाचरित धर्म था। इसका परिणाम यह हुआ कि कतिपय अन्य स्मृतिकारों ने भी नियोग को निन्दित बताना प्रारम्भ कर दिया और इस आपद्कालिक व्यवस्था को कलिवर्ज्य करार दिया। वृहस्पति ने मनु का सहारा लेकर कहा है कि कलियुग में लोगों में शक्तिहीनता आ जाएगी (संभवत: यौन नियमों में संयम धाारण करने संबंधी शक्ति हीनता) इसलिए क्षेत्रज पुत्र गर्हित है।[91] ऐसा नहीं है कि मनु के बाद सभी स्मृतिकारों ने नियोग की निन्दा ही की हो, कुछ ने इसका समर्थन भी किया।

याज्ञवल्क्य स्मृति में नियोग का विधान वर्णित है। उन्होंने पुत्र-संतान रहित स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु (श्वसुर आदि) से नियुक्त देवर द्वारा, उसके अभाव में सपिण्ड या सगोत्र से घृतावृतगात्र होकर ऋतुकाल में गमन करने का विधान बताया है। यह कार्य गर्भ स्थिर होने तक विहित था। इसके बाद कामभाव से संयुक्त होने वाली की उन्होंने भी निन्दा की तथा युगल को पतित बताया। इस प्रकार नियमित उत्पादित पुत्र को उन्होंने क्षेत्रज पुत्र कहा।[92] धर्मपूर्वक नियोग विधि से उत्पादित पुत्र को याज्ञवल्क्य ने दोनों, क्षेत्री एवं बीजी का, पिण्डदाता तथा रिक्थभागी माना है।[93]

नारद ने पुत्रहीन पति के मरने की स्थिति में पुत्र की कामना करने वाली विधवा को गुरुओं (श्वसुर आदि) द्वारा नियुक्त देवर से पुत्र उत्पन्न करने की व्यवस्था की।[94] पुराणों में विधवा स्त्री के लिए नियोग विधि का वर्णन है। गरूड़ पुराण में बिना नियुक्ति के विधवा से संतानोत्पादन करने वाले के लिए चान्द्रायण व्रत का विधान वर्णित है।[95] किन्तु कालान्तर में प्राय: सभी ने इसे निन्दा की दृष्टि से देखा है और कलियुग में इसका निषेध बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि छठी शताब्दी तक नियोग को कलिवर्ज्य घोषित कर दिया गया था जो सभ्यता के विकास के साथ-साथ अवश्यम्भावी था।

निष्कर्ष

मनोवैज्ञानिक ढंग से पति-पत्नी का परस्पर एक दूसरे के ऊपर पूर्ण यौन स्वत्व बनाये रखना बहुत स्वाभाविक है। इस मनोवैज्ञानिकता के पीछे परस्पर दाम्पत्य प्रेम की प्रगाढ़ता भी स्वीकार की जा सकती है। व्यावहारिक रूप में परिवार में ही पत्नी से इतर अन्य स्त्री विशेषकर विधवा के साथ एक बार यौन संबंध हो जाने के बाद, पुत्र पैदा होने के उपरान्त, देवर और विधवा में माता और पुत्र जैसा या शिष्य और गुरुपत्नी जैसा व्यवहार बनाये रखना आदर्श की बात है। व्यवहार में अवश्य ही इसमें त्रुटि आयी होगी। जिससे देवरानी और विधवा स्त्री में देवर (देवरानी के पति) के स्वत्व को लेकर विवाद उठ खडा हुआ होगा। धीरे -धीरे देवरानियों ने विधवा स्त्री के साथ अपने पति द्वारा नियोग करना ठीक नहीं माना होगा। तथा यह प्रथा निन्दित होती चली गयी। धीरे-धीरे जब विधवा पुनर्विवाह और नियोग दोनों का प्रचलन कम हो गया तो कुछ विधवाओं ने सती प्रथा को अपनाया और कुछ ने ब्रह्मचारिणी होकर तपस्विनी का जीवन बिताना उपयुक्त समझा।

सन्दर्भ सूची

1. एफ. एन्जेल्स: दि ओरिजन ऑफ फेमिली, प्राइवेट प्रापर्टी एण्ड द स्टेट, पृष्ठ 4, कलकत्ता,1943.
2. वेस्टरमार्क, एडवर्ड: हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, पृ. 208-222, अंक III, 1992.
3. मोनियर-विलियम्स: ए संस्कृत-इंगलिश - डिक्शनरी, पृष्ठ-552, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1984.

4. गौतम धर्मसूत्र : 18/4-8 हरदत्त मिश्र की टीका सहित, वाराणसी,संवत 2023.
5. गौतम धर्मसूत्र : 18/11.
6. मनुस्मृति : 9/33, संपादक- चमनलाल गौतम, संस्कृति संस्थान, बरेली 1982.
7. बौधायन धर्मसूत्र : 2/2/17, गोविन्द स्वामी की टीकासहित , सं0- एल. श्री निवासाचार्य , मैसूर,1907.
8. अल्तेकर,ए0एस0: ए पोजीशन आफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ 166, वाराणसी, 1978.
9. महाभारत में कुंती तथा माद्री ने वंशनाश के भय से नियोग किया था।
10. मनुस्मृति : 9/159 , महाभारत : 1/90/67-68, स0 - श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डल,पारडी,1977.
11. महाभारत : 1/111/32.
12. सरस्वती, स्वामी दयानंद : सत्यार्थ प्रकाश , चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ 106,तृतीय संस्करण, विक्रम संवत 2006, अजमेर.
13. ऋग्वेद : 7/5-7, भाष्यकार श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डल,पारडी,1985.
14. अल्तेकर,ए0एस.: पोजीशन आफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ 144.
15. आपस्तम्ब धर्मसूत्र : 2/10/27/3, चौखम्भा, वाराणसी,1969.
16. जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पृष्ठ- 758, 1897.
17. काणे, पी0 वी0 : धर्मशास्त्र का इतिहास (हिन्दी अनुवाद) भाग प्रथम, पृष्ठ 314, (अर्जुन चौबे काश्यप हिन्दी अनुवादक) हिन्दी समीति, लखनऊ , 1980.
18. बौधायन धर्मसूत्र : 2/2/64-65.
19. वसिष्ठ धर्मसूत्र : 17/55-59, सं0- ए0एल0 फ्यूहरर, बम्बई,1916.
20. बौधायन धर्मसूत्र : 2/2/63.
21. ऋग्वेद : 10/18/8 , 10/40/2.
22. अथर्ववेद : 14/02/18 , सं0- डब्ल्यू0 डी00 ह्निटने, हारवर्ड विश्वविद्यालय,1905.
23. आपस्तम्ब धर्मसूत्र : 2/10/27/2.
24. मनुस्मृति : 9/59, 9/69.
25. नारदस्मृति : 12/80, सं0 - श्री नारायण चन्द्र स्मृति तीर्थ, कलकत्ता,शकसंवत 1873.
26. अल्तेकर, ए0 एस.: पोजीशन आफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ- 145.
27. महाभारत : आदिपर्व , 97/1-10, 13-18
28. याज्ञवलक्य स्मृति : 1/68, सपिण्डोवा सगोत्रो वा धृताभ्यक्त ऋतावियात्। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका सहित, चौखम्भा वाराणसी, वि0स0 2039, मुनस्मृति : 9/59.
29. गौतम धर्मसूत्र : 02/09/6.
30. अर्थशास्त्र : 1/16, पृष्ठ 69, व्याख्याकर वाचस्पति गैरोला, वाराणसी, 1977.
31. गौतम धर्मसूत्र : 02/09/6 इस पर हरदन्त मिश्र की टीका।
32. महाभारत : 1/98/05.
33. महाभारत : 1/99/2.
34. महाभारत : 1/90/67-72.
35. डा0 जयाल , एस. : स्टेटस ऑफ वीमन इन एपिक्स , पृष्ठ- 164 , दिल्ली, 1966.
36. डा0 सरकार , एस.सी. : सम आस्पेक्टस ऑफ दि अर्लिएस्ट सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया , पृष्ठ- 79, लंदन, 1928.
37. अल्तेकर, ए0 एस.: पोजीशन आफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ- 169-170.
38. वसिष्ठ धर्मसूत्र : 17/56.
39. मनुस्मृति : 9/58, 9/63.
40. नारदस्मृति : 12/84-85.
41. महाभारत : 1/100/22.
   याज्ञवलक्य स्मृति : 1/68-69.
42. महाभारत : 1/99/49.
43. वसिष्ठ धर्मसूत्र : 17/61-62.
44 महाभारत : 1/100/23.
45. महाभारत : 1/98/25 एवं 29.
46. मनुस्मृति : 9/92.
47. मनुस्मृति : 9/60.
   नारदस्मृति : 12/82.
48. मनुस्मृति : 9/70.
49 मनुस्मृति : 9/62-63.
50. मनुस्मृति : 9/61.
51. महाभारत : 1/114/65-66.
52. महाभारत : 1/132/63-64.
   अल्तेकर, ए0 एस.: पोजीशन आफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ171.
53. ऋग्वेद : 7/5/7.
54. विल्डूरों : दि स्टोरी ऑफ सिविलाइजेसन्स जिल्द 1 , पृष्ठ- 40, न्युयार्क,1954.
55. ऋग्वेद : 1/118/13, 1/117/24,10/10/10.
56. ऋग्वेद : 4/42/8-9.
57. उपाध्याय बी0एस0 : वीमन इन ऋग्वेद , पृ. 108, नई दिल्ली, 1974.
   गोयल, प्रीतिप्रभा : हिन्दू विवाह मीमांसा, पृ.175-176, प्रथम संस्करण, रूपायनसंस्थान, बोरून्दा, 1976.
58. ऋग्वेद : 10/40/2 सातवलेकर द्वारा कृत हिन्दी अनुवाद।

59. ऋग्वेद : 10/40/2 पर ब्रह्ममुनि का मत।
60. सरस्वती, स्वामी दयानंद : सत्यार्थ प्रकाश , चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ- 107-108.
61. सरस्वती, स्वामी दयानंद : सत्यार्थ प्रकाश , चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ- 105-108.
62. अथर्ववेद : 14/2/18.
सरस्वती, स्वामी दयानंद : सत्यार्थ प्रकाश , चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ- 108.
63. हापकिन्स : जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी , जिल्द 13, पृष्ठ- 371.
64. महाभारत : आदिपर्व 90/67-71.
65. महाभारत : आदिपर्व 90/72.
66. महाभारत : आदिपर्व 98/31-32.
67. महाभारत : आदिपर्व 98/13-17.
68. महाभारत : आदिपर्व 100/1-13.
69. महाभारत : आदिपर्व 100/22-27.
70. महाभारत : आदिपर्व 100/15-16 .
71. महाभारत : आदिपर्व 98/4-5.
72. महाभारत : आदिपर्व 99/37.
73. अल्तेकर, ए0 एस.: पोजीशन आफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ- 146.
74. आपस्तम्ब धर्मसूत्र : 2/10/27/2-3.
75. आपस्तम्ब धर्मसूत्र : 2/10/27/6.
76. आपस्तम्ब धर्मसूत्र : 2/10/27/7.
77. आपस्तम्ब धर्मसूत्र : 2/10/27/3-9.
78. गौतम धर्मसूत्र : 2/9/4-9.
79. गौतम धर्मसूत्र : 3/10/20.
80. गौतम धर्मसूत्र : 3/10/21.
81. वसिष्ठ धर्मसूत्र : 17/55-56.
82. कौटिल्य : अर्थशास्त्र : 1/12/16/273, 3/62/6/1.
83. वियोगी, मोहनलाल महतो : जातककालीन भारतीय संस्कृति, पृष्ठ 14, पटना, 1985.
84. आवश्यकचूर्णी : सम्पादक - जिनदागणि , पृ. 466-469, रतलाम 1928.
85. मनुस्मृति : 9/71.
86. मनुस्मृति : 9/69-70.
87. मनुस्मृति : 9/59-68.
88. मनुस्मृति : 9/60-63.
89. उपाध्याय,गंगाप्रसाद : विधवा विवाह मीमांसा, पृ. 100-101, द्वितीय संस्करण, इलाहाबाद, 1926.
90. डा. दास , आर. एम. : मनुएण्ड हिज सेवेन कमेंटेटर्स, पृष्ठ- 233, बोधगया, 1962.
91. बृहस्पतिस्मृति : 25/16-17 स. के0 वी0 रंगस्वामी आंयगर, बडोदा ,1941.
92. याज्ञवलक्य स्मृति : 1/68-69,75.
93. याज्ञवलक्य स्मृति : 2/127.
94. नारदस्मृति : 12/80-81.
95. गरूड़ पुराण : 1/105-4, संस्कृति संस्थान, बरेली, 1984.

चौधरी चरणसिंह के शैक्षणिक एवं नैतिक विचार

डॉ. हरगोविन्द सिंह

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग

गीता देवी कॉलेज, खैरथल, अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

ब्रिटिश शासकों ने भारत की शैक्षिक स्थिति को सुधारने में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभुत्व एवं व्यापार पर अधिक से अधिक जोर दिया। जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति कमजोर हो गयी। भारतीय समाज में स्त्रियों की शिक्षा नगण्य थी। महिलाएं ज्यादातर अपने घर के अन्दर ही रहतीं तथा घर के काम-काज तक सीमित थीं। चौधरी चरणसिंह ने देखा कि आसन पर बैठे लोग जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं एवं उनसे अपने निजी कार्य करवा रहे हैं। चौधरी चरणसिंह शिक्षा के माध्यम से नारी उत्थान चाहते थे, उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे स्त्रियों को चारदीवारी से बाहर निकाला जा सकता है, जिससे समाज का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत का उत्थान होगा। चौधरी चरणसिंह ने समाज में व्याप्त अशिक्षा एवं अनैतिकता को दूर करने का अथक प्रयास किया।

संकेताक्षर : *स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शिष्टाचार*

रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण 19वीं शताब्दी के मध्य तक हमने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम सफलता प्राप्त की थी और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार भी इसके प्रति उदासीन रही थी। परन्तु प्रगतिशील भारतीय राजा राममोहन राय तथा ब्रह्म समाज आदि स्त्री-शिक्षा के महान् पक्षधर सिद्ध हुए। उनके अथक प्रयासों एवं 1882 के हंटर आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप स्त्री-शिक्षण संस्थाओं और छात्राओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। स्त्री शिक्षा को समाज के उत्थान के लिए चौधरी चरणसिंह ने आवश्यक समझा तथा अपने राजनीतिक कार्यकाल में गाँवों एवं ढाणियों में बालिका विद्यालय खुलवाये जिससे अभिभावक अपनी बेटियों को विद्यालय में नि:संकोच शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज सकें। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्रामीण बालकों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहरों में जाना पड़ता था क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थाएं ज्यादातर शहरों में ही थीं। धन की अत्यन्त कमी के परिणामस्वरूप ग्रामीण बालक गाँवों में ही रह जाते तथा उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते। चौधरी चरणसिंह शहरों की सुविधाओं को गाँवों में लाने के पक्षधर थे। इससे शहरों की ओर पलायन रोका जा सकता है क्योंकि जब गाँवों में पर्याप्त सुविधाएं मिल जायेंगी तो शहरों में कोई नहीं जाकर बसेगा। उन्होंने कभी किसी कर्मचारी की मेहनत तथा समय का शोषण नहीं किया तथा निरन्तर प्रयास किये कि ग्रामीण-क्षेत्र की जनता के लिए आने-जाने के उचित मार्गों की व्यवस्था की जाए, बालकों की शिक्षा के लिए गाँवों में स्कूल खोले जाएं, जहां पीने के पानी का अभाव है, वहां उसकी व्यवस्था की जाए, बोर्ड के स्कूलों में गम्भीरतापूर्वक अध्यापन किया जाए और बोर्ड का कर्मचारी अपने कर्तव्य की अवहेलना न करे। सब लोग निष्ठा तथा ईमानदारी के साथ काम करें। जिला-बोर्ड ग्रामीण जनता के लिए चरम-सीमा तक उपयोगी बन सके और अपने उद्देश्यों में वह एक बड़ी सीमा तक सफल हुए।[1] उन्होंने सरकारी नौकरियों में किसानों के पुत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण की मांग की।

चौधरी चरणसिंह ने तकनीकी शिक्षा का समर्थन किया। जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से रोज़गार मिल सके। रोजगारोन्मुख शिक्षा के द्वारा भारतीय समाज में विद्यमान बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। बेरोजगारी देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक कारण है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कृषि पर भार कम होगा जैसे किसी घर में दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति कृषि-कार्य को करेगा तथा दूसरा व्यक्ति बाहर नौकरी करके पैसा कमायेगा इससे परिवार का आर्थिक सन्तुलन बना रहेगा। साठ के दशक में

उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघ चुनाव होते थे जिससे नकल, हड़ताल एवं गुण्डागर्दी को बढ़ावा मिला। चौधरी चरणसिंह ने इन पर गहनता से विचार किया तथा 1970 में अध्यादेश जारी करके छात्र संघ चुनावों को नहीं होने दिया जिससे महाविद्यालयों के अनुशासन में काफी सुधार आया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि महाविद्यालय स्तर की शिक्षा छात्रों के जीवन निर्माण में सबसे उपयोगी होती है यदि युवा छात्र विसंगतियों में पड़ जायेंगे तो समाज का विकास असम्भव है।

चौधरी चरणसिंह शिक्षा के हिन्दी माध्यम के पक्षधर थे लेकिन अंग्रेज शासक शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम का समर्थन करते थे तथा वे उन्हीं शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया करते जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करते थे। चौधरी चरणसिंह की मान्यता थी कि बालकों को उनकी मातृ भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाये ताकि उनको शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी नहीं हो सके। साथ ही विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम में पर्याप्त रुचि ले सकेंगे। उन्होंने भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन मेरठ में कहा कि आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसी मेरठ में एक नया परीक्षण हिन्दी में विज्ञान की उच्चतम शिक्षा देने के लिए किया जा रहा है। मेरठ से लगभग आठ मील दूर दौराला में विज्ञान-कला-भवन नाम की संस्था है, जहां चौधरी मुख्तार सिंह के अध्यवसाय से हिन्दी-मिडिल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हिन्दी के माध्यम से विज्ञान तथा औद्योगिक विषयों की उच्चतम शिक्षा दी जा रही है। भारत भर में इस दिशा में यह पहला सफल प्रयास है।[2] आगे उन्होंने राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में कहा कि आज देश के सामने जो बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, उनमें से राष्ट्रभाषा की समस्या भी एक है। यह अभागा भारतवर्ष सैकड़ों वर्ष पराधीन रहा। इसका प्रधान कारण यह था कि देश भर में कोई एक शक्तिशाली संगठन न था। छोटे-छोटे मॉडलिक राज्यों में हमारा देश विभक्त था, विभिन्न सम्प्रदाय थे और विभिन्न भाषाएं। विदेशी आये और विभिन्न राज्य, प्रान्त और कौम या सम्प्रदायों को अलग-अलग करके पीट लिया। अतएव इतिहास से हमने सीखा कि भारत देश की जनता के विभिन्न वर्गों, सम्प्रदायों को एक सूत्र में बांधने और इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन को संगठित करने के लिए एक भाषा के माध्यम की नितान्त आवश्यकता है। राष्ट्रीयता की जड़ एक भाषा है, यह आज सबको मान्य है।[3]

परन्तु प्रश्न यह है कि भाषा कौनसी हो? जब यहाँ अंग्रेजों का राज्य था और देश अखण्ड था, तो हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू को राष्ट्र-भाषा बनाने की बात भी कभी-कभी सुनने में आती थी। अब उर्दू शब्द की चर्चा तो बन्द हो गई है, परन्तु उसका स्थान हिन्दुस्तानी ने ले लिया है। हिन्दुस्तानी भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है, जिसको कहा जाता है कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्से के जन-साधारण बोलते हैं और जो देवनागरी व फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। स्वयं सिद्ध सी बात है कि इन दोनों भाषाओं में से राष्ट्रभाषा का स्थान उसी को दिया जा सकता है, जिसकी शब्दावली उच्चारण, लिपि और वर्णमाला अन्य प्रान्तीय भाषाओं की शब्दावली आदि से अधिक से अधिक निकट हो, जिसकी लिपि सुगम और वैज्ञानिक हो और जिसमें ऊँचे से ऊँचे साहित्यिक ग्रन्थ लिखे जा सकें। इन कसौटियों पर कसकर देखा जाए, तो राष्ट्रभाषा के पद पर केवल हिन्दी को ही आसीन किया जा सकता है, हिन्दुस्तानी को नहीं।[4] चौधरी चरणसिंह को ग्रामीण एवं शहरी परिवेश के बच्चों को शिष्ट व्यवहार के नियमों का ज्ञान कराने की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि उन्होंने उनके आचरणों को नजदीकी से देखा। बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देने के लिए बरेली सेन्ट्रल जेल में 'शिष्टाचार' नामक पुस्तक को लिपिबद्ध किया जिसमें बातचीत, सहभोज, अभिवादन, भेंट, वेशभूषा, पत्र व्यवहार, विशिष्ट व्यवहार, अतिथि से बातचीत, स्वास्थ्य और शिष्टचार नीति और शिष्टाचार आदि को विस्तार से समझाया है। उन्होंने अभिवादन के सम्बन्ध में बतालाया कि- हम में जब एक की दूसरे से भेंट होती है अथवा विदा लेते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रसन्नता का प्रकाश अथवा दूसरे के लिए शुभकामना प्रकट करता है। अपने से बड़े के लिए हृदय में श्रद्धा, बराबर वाले के लिए प्रेम और छोटे के स्नेह का उदय होता है। उपर्युक्त भाव या भावों के प्रकाशनार्थ जिस शब्द या वाक्य का प्रयोग अथवा जो क्रिया या संकेत किया जाता है, उसी का नाम 'अभिवादन' है।[5]

भारतवर्ष का साहित्य पग-पग पर अभिवादन का उल्लेख करता है। हमारी संस्कृति में 'प्रणाम', 'नमस्ते', 'राम-राम' आदि एक विशेष स्थान रखते हैं और उनमें हमारे कानों के लिए एक अद्भुत तथा अनिर्वचनीय माधुर्य भरा हुआ है। यदि बड़ों से सवेरे उठते ही, जब पहले-पहले उनसे सामना हो जाय अथवा उनसे अलग होते समय श्रद्धापूर्वक 'नमस्ते', 'प्रणाम' आदि करना चाहिए। अगर किसी विद्वान तथा परोपकारी सन्यासी से भेंट होती है तो उनके चरण स्पर्श करके नमस्कार करनी चाहिए, उनसे हाथ मिलाने का कोई नियम नहीं है। जो व्यक्ति आयु, पद, प्रतिष्ठा, बुद्धि या कार्य में समान हो और आपस में प्रणाम का व्यवहार चालू हो तो सदा उनके द्वारा पहले प्रणाम किए जाने की आशा न करें बल्कि सभ्यता इसी में है कि पहले आप ही उनसे अभिवादन कर लें। कहा है :

पेश दस्ती सलाम में अच्छी।
खुश कलामी कलाम में अच्छी।।[6]

चौधरी चरणसिंह ने स्पष्ट किया कि अगर कोई आपसे पहली बार भेंट करने के लिए आए तो आपको चाहिए कि आप भी बदले में उससे मिलने के लिए जायें, चाहे आपका उससे मेल बढ़ाना अभीष्ट हो या नहीं। पहली भेंट के बदले में न आना उस व्यक्ति का अपमान करना है। अगर आप उससे सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहते, तो आपके लिए यह जरूरी नहीं कि उससे दुबारा मिलने जायें। यदि कोई कार्य न हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट के लिए नहीं जाना चाहिए जो आपको देखकर प्रसन्न न हो। तुलसीदास ने कहा है :

आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह।
तुलसी तहां न जाइये, कंचन बरसे मेह।।[7]

भारतीय सभ्यता पुरुषों को स्त्रियों से हाथ मिलाने का प्रतिपादन नहीं करती। हाथ मिलाने के लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए, बैठे-बैठे अथवा अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर पीठ कर लापरवाही से मिलाने के लिए हाथ बढ़ाना अत्यन्त अशिष्टता है, क्योंकि इससे यह प्रकट होता है कि आपके दिल में दूसरे व्यक्ति के लिए कोई मान नहीं है। परन्तु अगर दूसरा व्यक्ति आयु में आपसे बहुत छोटा है तो कुर्सी पर सीधे बैठे रहकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए हाथ मिलाया जा सकता है। करस्पर्श में अत्यन्त सरलता हो; इसमें किसी बनावट या विशेष चतुराई की जरूरत नहीं है। हाथ को इतना कड़ा न पकडें.मानो आप दूसरे की उंगलियों को कुचल देना चाहते हों और न केवल उसे छूकर ही छोड़ दें जिससे उसे बुरा लगे बल्कि उसके पूरे हाथ को, दृढ़ता से पकड़ें केवल उंगलियों को ही नहीं और धीरे से दबाकर थोड़ा हिलायें, उसके चेहरे की ओर देखें और फिर धीरे से हाथ छोड़ दें।[8] आतिथ्य के सम्बन्ध में उनका कहना है कि यदि कोई सज्जन या इष्ट-मित्र आपके घर आया हो तो आपको उनकी आवश्यकताओं पर स्वयं निगाह रखनी चाहिए और यथासंभव उनके साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। यदि कार्यवश आपको उनसे पृथक होना पड़े तो इसके लिए उनसे आज्ञा प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अगर आपके अतिथि आपके बड़े अथवा मान्य व्यक्ति हैं तो उचित यही है कि उनके साथ भोजन न करें और अपने हाथ से भोजन परोसें, उनसे पहले खाना खा लेना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। साथ भोजन करने की अवस्था में बड़े या अतिथि के सामने पहले भोजन रखना चाहिए। यदि थालियां छोटी-बड़ी हों तो बड़ी थाली उनके सामने और छोटी अपने सामने रखनी चाहिए और उनके आरम्भ करने के बाद ही स्वयं भोजन करना आरम्भ करना चाहिए।[9] हिन्दू शिष्टाचार के अनुसार सब अतिथियों का पूरा भार गृहस्वामिनी पर रहा करता था। भारतवर्ष के उन प्रदेशों में जहां दूसरी सभ्यता का मिश्रण कम हो पाया है, अब भी यही प्रथा प्रचलित है। गृहस्वामी को प्राय: अपने व्यवसाय से इतना अवकाश नहीं मिलता कि वह अतिथि की आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रख सके। अतएव यह पुराना रिवाज भारत के दूसरे प्रदेशों के हिन्दू घरानों में फिर से प्रचलित हो जाए तो अच्छा है।[10]

जलपान, सहभोज या प्रीतिभोज सामाजिक व्यवहारों में कदाचित् सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सहभोज का निमंत्रण किसी भी अन्य सामाजिक कृत्य में निमन्त्रण की अपेक्षा अधिक आदर और मित्रभाव का सूचक है। सहभोज में सर्वोच्च मान का सूचक होने के साथ-साथ एवं अनोखापन है। यह एक ऐसा आदर-सत्कार है जिसका आसानी से मित्रों में परस्पर आदान-प्रदान हो सकता है।[11] प्राचीनकाल में आर्यों में कुटुम्ब के सब व्यक्तियों, स्त्री व पुरुषों का एक साथ भोजन करने का रिवाज था, जैसा कि गुजरात प्रान्त में अब तक प्रचलित है, परन्तु प्राचीन भारतीय सभ्यता, हिन्दू व मुस्लिम दोनों में सहभोज आदि के अवसर पर स्त्री और पुरुषों के एक जगह बैठकर भोजन करने की आज्ञा नहीं देती। अतएव स्त्रियों एवं पुरुषों के भोजन का प्रबन्ध भी अलग-अलग होना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, अर्थात् अजनबी पुरुष व स्त्री एक जगह बैठकर भोजन कर सकते हैं।[12]

'संघ ही शक्ति है' इस उक्ति की सच्चाई आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अंश में अनुभव करता है। यों तो एकदम वैयक्तिक जीवन को छोड़कर मनुष्य ने सदैव सब युगों में ही थोड़ा-बहुत सामूहिक जीवन व्यतीत किया है, परन्तु वर्तमान काल में सामूहिक जीवन का क्षेत्र और महत्व अधिक बढ़ गया है। हमारा देश जैसे-जैसे उन्नति की ओर अग्रसर होता जायेगा और उसमें शिक्षा का विस्तार होगा, वैसे ही वैसे राष्ट्रीय जीवन अनेक धाराओं एवं उपधाराओं में प्रवाहित होने लगेगा। उस समय अनेक प्रकार की सभाएं बनेंगी, भिन्न-भिन्न उद्‌देश्य लेकर भिन्न-भिन्न विचारों का प्रचार होगा। ऐश्वर्य-प्राप्ति के साथ-साथ लोगों को अवकाश मिलेगा और वे मनोरंजन आदि के लिए मित्र-मण्डलियों में बैठेंगे और खेल-तमाशों में भाग लेंगे।[13] इस प्रकार चौधरी चरणसिंह शिक्षा के विस्तार, आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि का पक्षधर है। वह समाज को संगठित करने का साधन शिक्षा के प्रसार में सन्निहित मानता है। चौधरी चरणसिंह ने एक अच्छे वक्ता के गुणों के बारे में बताया कि अपने मुँह से सदैव शुद्ध और उत्तम भाषा बोलनी चाहिए। जिन शब्दों का आपको शुद्ध उच्चारण मालूम न हो उन्हें बोलना उचित नहीं और न ही बातचीत में उस भाषा के शब्द

प्रयोग करने चाहिए जिससे आप अपरिचित हों। यह ध्यान रखना चाहिए कि वार्तालाप भाषाओं की खिचड़ी न हो जाए। प्राय: हिन्दी में अंग्रेजी के अनावश्यक शब्द बहुत प्रयोग किये जाते हैं वह ठीक नहीं हैं।[14] बातचीत में व्यक्ति को बिना पूछे, बिना कहे अपनी सम्मति देना या किसी की बातचीत में बोलने लगना अथवा दखल देना असभ्यता है। जब कोई आपसे बातचीत करे तभी बोलना ठीक है वरना चुपचाप सुनते रहना चाहिए। लोकजीवन के व्याख्याता एवं कवि श्री जायसी ने पद्मावत में ठीक ही कहा है :

बिन पूछे जो बोलहि बोला।
होइ बोल माटी के मोला।।[15]

चौधरी चरणसिंह ने मनुष्य के स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना है। धन, संतान, स्त्री आदि के द्वारा प्राप्त संसार में जितने सुख हैं, उनमें निरोगता ही प्रधान सुख है, क्योंकि इस एक के बिना अन्य सारे सुख फीके और निराधार जान पड़ते हैं। अस्वस्थ मनुष्य संसार में कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता, चाहे उसके निश्चित कितने ही अच्छे और पवित्र क्यों न हो। इसका कारण यह है कि अस्वस्थ मनुष्य की इच्छाशक्ति निर्बल हो जाती है और वह अपने शुभ संकल्पों को कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकता। कुछ लोग धन को ही संसार में सबसे बड़ा सुख मानते हैं और धन प्राप्ति के लिए ही संसार का बहुत कुछ व्यापार चलता भी है। परन्तु स्वास्थ्य का स्थान उससे ऊपर है। प्रकृति दोनों हाथों से अपना ऐश्वर्य बिखेरती है, परन्तु रोगी उनसे वंचित रह जाता है। एक करोड़पति, यदि उसका स्वास्थ्य ठीक न रहता हो और उसका भोजन न पचता हो तो ऐश्वर्य की समस्त सामग्री होते हुए भी जीवन का सुख नहीं भोग सकता। इसी कारण बड़े-बड़े धनी लोग स्वास्थ्य के लिए अपना सारा धन न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि रोगी धनवान की अपेक्षा निरोग और बलवान गरीब मनुष्य कहीं अधिक सुखी होता है।[16] संसार में अत्याचार के निवारण के लिए उपयुक्त शक्ति की आवश्यकता है, निर्बल मनुष्य अपने आत्मसम्मान और स्वत्व की भी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। कैसा ही बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो, अत्याचार के निवारण की सामर्थ्य न रखकर, उपदेश-मूलक सुन्दर श्लोकों को बार-बार पढ़ने मात्र से वह देश, कुटुम्ब और स्वयं अपने प्रति कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकता। महात्मा गाँधी ने निरोगी की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है : ''जिनका शरीर अखण्ड है, शरीर में किसी तरह की कमी नहीं, कान, आँख इत्यादि अपना कार्य ठीक-ठीक करते हैं, नाक नहीं बहती, चमड़ी से पसीना बहता तो है परन्तु उसमें दुर्गन्ध नहीं आती, मुँह से बदबू नहीं निकलती, हाथ-पैर परिश्रम कर सकते हैं, जिनका शरीर न बहुत मोटा है न पतला, जो विषयों में नहीं फंसते और जिनकी इन्द्रियां और मन सदा वश में रहते हैं, वे ही निरोगी हैं।''[17]

हमारा दुर्भाग्य है कि भारत, जो अतीत काल से वीरों की प्रसवभूमि चला आया है, आज कायर, मृतप्राय:, दुर्बल शरीर वाले व्यक्तियों के रहने का स्थान बन गया है। हमारे पूर्वजों के कारनामे आज हमारे लिए सुखस्वप्न बनकर ही रह गये हैं, जो आरोग्य उनको प्राप्त था, पराक्रम उन्होंने दिखलाया, जिस प्रकार उन्होंने अपने मानसिक व शारीरिक प्रभुत्व का सिक्का संसार में जमाया, वह आज हमारे लिए केवल गाथा तथा कल्पनामात्र है, जिसको हम कार्य में परिणत करने का साहस ही नहीं रखते। दूसरे देशों के नवयुवक अथाह समुद्र पार करके दूरस्थ प्रदेशों में अपनी पताका फहराते हैं, उनकी माताएं अपने देश की लाज रखने के लिए उनकी पीठ ठोककर गगन में उड़ने के लिए सीधे मौत के मुँह में भेज देती हैं, वे हिमालय की चोटी को पार करने सौरमण्डल के ग्रहों तथा उपग्रहों के रहस्य खोजने के लिए और ध्रुव की खोज करने के लिए ऐसे चल देते हैं जैसे वधू को विदा कराने के लिए जा रहे हों। इसका कारण एक है, और वह कारण है स्वास्थ्य-मानसिक व शारीरिक आरोग्य। उन्नत देशों के निवासी संशय से पूर्ण नहीं होते वरन् अपनी भुजाओं के बल पर अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं। किन्तु हमारे देश के लाड़ले नौजवान दैव पर भरोसा रख, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं और ढाक के वृक्ष को भूत समझकर बेहोश हो जाते हैं। क्या वह जमाना भी कभी आयेगा जब हमारे देश के नौजवान भी स्वस्थ बनकर छाती चौड़ी करके इस भूमि पर विचरेंगे और संसार की दौड़ में यश लूटकर अपने को धन्य करेंगे और इस प्रकार भारत माता का मस्तक ऊँचा करेंगे।[18] इस प्रकार चौधरी चरणसिंह ने शिष्टाचार के साथ-साथ स्वास्थ्य पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अंग्रेजी कहावत है कि 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है' और हमारे देश की कहावत -'तन चंगा तो मन चंगा' शिक्षा देती है कि शरीर का मन पर असर पड़ता है। यह आम-तौर पर देखने में आता है कि बलवान और स्वस्थ मनुष्य शांत स्वभाव के होते हैं और निर्बल व अस्वस्थ मनुष्य मिजाज के चिड़चिड़े व क्रोधी होते हैं। इसी प्रकार शरीर पर मन का प्रभाव सिद्ध किया जा सकता है। एक जर्मन विद्वान एडोल्फ जस्ट 'प्रकृति की ओर लौटो' नामक पुस्तक में लिखता है : ''यह मानी हुई बात है कि मानसिक विकार, खुदगरजी, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, अनुदारता और क्रोध आदि का भयंकर असर शरीर पर पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, डर, पछतावा, आशा-निराशा, लज्जा, शोक, प्रसन्नता

आदि सब मनोभाव या मानसिक दशाएं हैं, जिनका उनकी प्रबलता के अनुपात से शरीर पर सीधा और शीघ्र प्रभाव पड़ता है।''[19]

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है जो व्यक्ति कामी है या क्रोधी है, पछताता है या अन्दर ही अन्दर घुटता रहता है अथवा चिन्ताग्रस्त रहता है तो वह कभी निरोगी नहीं रह सकता। उसका शरीर तरह-तरह की बीमारियों का घर बनकर रहेगा। इसके विपरीत जो मनुष्य विषयों के प्रलोभन में नहीं फंसता और क्रोध को अपने पास नहीं आने देता तथा वह भविष्य की सुध लेता है और संतोषी है अर्थात् आशावादी है और विपत्तियों की परवाह न कर सदैव प्रसन्नचित्त और हंसमुख बना रहता है, वह सदा स्वस्थ रहेगा।

चौधरी चरणसिंह ने मितव्ययता को मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण माना है। आय से अधिक व्यय करना बुरा है तथा सीमा से अधिक मितव्ययता भी अच्छी नहीं है। वह मनुष्य जो धन के पीछे मन की शांति से हाथ धो बैठता है। धन संचित करना बुरा नहीं है परन्तु केवल धन की प्रचुरता से ही कोई मनुष्य धनी नहीं कहा जा सकता। सच्चा धनी तो वह है जो सम्पत्ति का ठीक-ठीक उपयोग करना जानता है। संपत्ति का उपयोग अगर अच्छा हुआ तो इससे अनेक पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं। धन के मद से यदि न्याय, संयम, नियम, परहित, बुद्धि अथवा विनय को तिलांजलि न दी गई है तो सुख होगा। सम्पत्ति स्वत: बुरी नहीं है किन्तु इससे उत्पन्न होने वाला मद बुरा है। इस मद को जीतने वाले विरले ही होते हैं। अत: कहा है :

कन कन जोरे मन जुरै, खाते निबरै सोय।
बूंद बूंद से घट भरै, टपकत रीता होय।।[20]

निष्कर्ष

अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि चौधरी चरणसिंह ने ग्रामीण परिवेश में व्याप्त अशिक्षा एवं अनैतिकता को समूल नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होने तकनीकी शिक्षा, नारी शिक्षा पर बल दिया है जिससे समाज का विकास संभव है। शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा में होना चाहिए जिससे सभी व्यक्ति आसानी से समझ सके और भारत की जनता के विभिन्न वर्गों को संगठित किया जा सके। 'शिष्टाचार' नामक पुस्तक के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को ही नहीं अपितु शहरी बच्चों को शिष्टाचार की शिक्षा प्रदान की है। शिष्टाचार मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण बतलाया है इसके अभाव में मनुष्य पशुतुल्य होता है। जीवन के सुख और शान्ति के लिए शिष्टाचार की उपयोगिता सदाचार से कम नहीं है। शिष्टाचार और अनुशासन के द्वारा वैयक्तिक और सामाजिक जीवन स्वस्थ और सुन्दर बन सकेगा।

संदर्भ सूची

1. सिंह, डॉ. नत्थन, 'समृद्ध और सबल भारत का स्वप्न दृष्टा-किसान-मसीहा चौधरी चरणसिंह', ए. वी. सेतुमाधवन, किसान ट्रस्ट प्रकाशन, 12 तुगलक रोड़ नई दिल्ली-2002, पृ. 42
2. लिमये मधु, सिंह अजय, 'चौधरी चरणसिंह : विशिष्ट रचनाएं', ए. वी. सेतुमाधवन, किसान ट्रस्ट प्रकाशन, एम-1, मैग्नम हाउस कम्युनिटी सेन्टर, कर्मपुरा, नई दिल्ली-1993, पृ. 76, 77
3. उपर्युक्त, पृ. 77
4. उपर्युक्त, पृ. 77
5. चौधरी चरणसिंह, 'शिष्टाचार', किसान ट्रस्ट प्रकाशन, 12 तुगलक रोड़, नई दिल्ली-2005 पृ. 8
6. उपर्युक्त, पृ. 9
7. उपर्युक्त, पृ. 11
8. उपर्युक्त, पृ. 21, 22
9. उपर्युक्त, पृ. 25
10. उपर्युक्त, पृ. 25
11. उपर्युक्त, पृ. 28
12. उपर्युक्त, पृ. 30
13. उपर्युक्त, पृ. 34
14. लिमये मधु, सिंह अजय, पूर्वोक्त, पृ. 23
15. उपर्युक्त, पृ. 24
16. चौधरी चरणसिंह, पूर्वोक्त, पृ. 91
17. उपर्युक्त, पृ. 92
18. उपर्युक्त, पृ. 93, 94
19. उपर्युक्त, पृ. 163, 164
20. उपर्युक्त, पृ. 187

गाँधीय चिंतन : प्रासंगिकता व उपादेयता

मनीष गंगावत

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में गाँधीय चिंतन की प्रासंगिकता एवं उपादेयता पर प्रकाश डाला गया है । जीवन तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गए सूक्ष्म विवेचन का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वृहद् प्रयोग से गांधीय विचारधारा की वर्तमान में उपयोगिता प्रभावपूर्ण परिलक्षित हो रही है । इस शोध पत्र में गाँधीजी के विचारों की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता में वृद्धिकरण हेतु उपयोगी सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। गाँधी जी केवल दार्शनिक चिन्तक ही नहीं अपितु कर्मयोगी रहे। स्वयं के जीवन से संबंधित कार्यों एवं निर्णय प्रक्रियाओं में उनके विचारों की जो पृष्ठभूमि दृष्टिगत होती है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है की गांधीजी ने व्यक्ति व समाज हेतु एक वैकल्पिक जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से पैशाचिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं से ओत-प्रोत व्यवस्था फलीभूत हो सकती है ।

संकेताक्षर : *आनुभाविक उपादेयता, प्रासंगिकता, प्रायोगिक दर्शन*

टाइम पत्रिका द्वारा जारी सदी के प्रभावशाली 25 नेताओं की सूची में सर्वोच्च स्थान पर काबिज महात्मा गाँधी एक विराट व्यक्तित्व होने के साथ ही एक संस्था सदृश थे। विश्व जनमानस पर उनका अमिट प्रभाव था। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में गाँधीजी का अतुलनीय योगदान था। हिंदुस्तान के सार्वकालिक महान विचारकों की सूची में इनका नाम अग्रिम पंक्ति में सम्मिलित किया जाता है। गाँधीजी के असामयिक निधन के पश्चात भी उनके विचारों की प्रासंगिकता व उपयोगिता वैश्विक समुदाय में विशेष अहमियत रखती है। गाँधीजी ने समाज व जीवन के बहुआयामी पक्षों का तात्विक तथा मूल्यपरक विवेचन किया है।

दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में जहाँ रक्तरंजित तख्तापलट की घटनाएँ एवं गृहयुद्ध आम बात है, वहीं मिश्रवासियों ने गाँधीजी की अहिंसक क्रांति की उपादेयता सिद्ध कर तहरीर चौक में साधनों की पवित्रता के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा रक्त रहित तख्तापलट कर दुनियाँ को गाँधीय विचारधारा का अनुकरण करने हेतु प्रोत्साहित किया है ।

डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में उत्तरोत्तर बढती असहिष्णुता एवं नस्लवादी घटनाओं से आहत तथा आई.एस.आई.एस.,अलकायदा, तालिबान, बोकोहरम जैसे आंतकवादी संगठनों के भय के साये में जी रही दुनिया हथियार, आतंक तथा हिंसा के कुचक्रों से परे रहना चाहती है एवं इसका निदान तथा उपचार वैश्विक समुदाय गाँधी दर्शन में सुगमता से प्राप्त कर सकता है। वैश्विक शांति की स्थापना हेतु गांधीवाद उपयुक्त एवं सार्थक माध्यम है।

वैश्विक स्तर पर अमेरिका में अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा गांधीवादी मार्ग अपनाकर रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष करना तथा बराक ओबामा द्वारा गांधीजी को अपना प्रेरणा स्रोत स्वीकारना एवं उनके पथ पर अग्रसर होने से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनना यह संकेत देता है की गाँधीवाद के प्रसार के समक्ष दुनिया बहुत सूक्ष्म है। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एवं म्यांमार में आंग सांग सू की ने भी गाँधीवाद को आत्मसात करके ही निर्धारित लक्ष्य हासिल किये थे।

भारत में भी गाँधीय चिंतन की आनुभाविक उपादेयता सिद्ध कर विजयश्री प्राप्तकर्ता गाँधीवादी चिंतकों की फेरहिस्त काफी विशद् रही है। भूदान आन्दोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने गाँधीय चिंतन को अपने आचरण एवं कर्मक्षेत्र में जीवंत कर प्रज्वलित किया। समग्र क्रांति के प्रतिपादक जय प्रकाश नारायण ने अहिंसक साधनों द्वारा सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था।

जे.बी. कृपलानी जीवन पर्यन्त गाँधीजी के पद चिन्हों पर गतिमान रहे। गाँधीजी सत्याग्रही की विशेषताएं उल्लेखित करते हैं कि उसकी ईश्वर में पूर्ण आस्था होनी चाहिए, क्योंकि वही तो उसका एकमात्र अवलम्ब है। उसे पवित्र जीवन और सम्पति का त्याग करने के लिए पूर्णरूपेण तैयार रहना चाहिए।

अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विचार रखते हुए गांधीजी जनसामान्य को चेताते हैं कि वास्तविक रूप में अधिकार का सच्चा स्त्रोत कर्त्तव्य है। यदि हम सभी अपने कर्त्तव्यों का पूर्ण पालन करें तो अधिकारों की प्राप्ति दुष्कर नहीं होगी। गांधीजी सभी से अपेक्षा रखते हैं कि व्यवस्था के राज्य की स्थापना हेतु वे अधिकारों पर बल देने के बजाय कर्त्तव्य साधना पर ध्यान लगायें। वे कर्त्तव्य की उपादेयता सिद्ध करते हुए आगाह करते हैं कि जो अधिकार सुनिष्पादित कर्त्तव्य से प्रत्यक्षत: उद्‌भूत न होते हों, वे हासिल करने योग्य नहीं हैं। ऐसे अधिकार बल पूर्वक हासिल अधिकार हैं जिन्हें जितना शीघ्र त्याग दिया जाये, उतना ही बेहतर है। प्रथम गैर कांग्रेसी केन्द्रीय सरकार के मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल द्वारा राजघाट पर शपथ ग्रहण करना भारतीय लोकतंत्र की जड़ों में गाँधीवादी चिंतन एवं आदर्श रूपी खाद बीजों के गहराइयों तक घुले होने का प्रमाण है।

वर्तमान प्रासंगिकता

गाँधीजी के जन्मदिवस 2 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना, उनके चिंतन एवं प्रभावशीलता के निरंतर प्रसार को परिलक्षित करता है। गाँधीय विचारधारा को सरकारी-गैरसरकारी तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अभूतपूर्व स्वीकारोक्ति एवं समर्थन प्राप्त हुआ है। विभिन्न सरकारी योजनाएँ यथा मनरेगा, अन्त्योदय योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन कौशल योजना, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ समेत महिला सशक्तिकरण व सशक्त भारत के निर्माण से सम्बंधित अन्य योजनाएं गाँधी जी के सामाजिक चिंतन का ही मूर्त रूप है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा गाँधीजी के सुझाए पथ का अनुगमन कर व्यापक क्षेत्रों में सेवा तथा बेहतरी के प्रशंसनीय प्रयास गतिमान हैं।

अस्पृश्यता, शोषण व दमन के विरूद्ध कानूनी प्रावधान, सामाजिक कुरीतियों का खात्मा, पंचायती राज में महिलाओं का 33 आरक्षण तथा महिलाओं के अधिकार व समानता का दर्जा प्राप्ति जैसी उपलब्धियां उपर्युक्त वर्णित दोनों तरह की संस्थाओं ने गाँधीय विचारधारा के अलौकिक पथ पर चलायमान होकर ही काफी हद तक अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। अन्ना हजारे द्वारा गाँधीय विचारधारा का अनुगमन कर लोकपाल बिल पास करवाने हेतु अनशन तथा अहिंसा रुपी अस्त्रों को प्रयोग में लेते हुए व्यापक जन समर्थन हासिल करना, फलस्वरूप सरकार विवश होकर समझौते हेतु मजबूर हो गई थी। 73 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्पूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर गाँधीजी द्वारा प्रतिपादित सत्ता के विकेंद्रीकरण से सम्बंधित वैचारिक आदर्श को साकार रूप प्रदान किया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा वैश्विक स्तर पर फैली हिंसक प्रवृति को लेकर 2016 में जारी आंकड़ो के अनुसार विश्व भर में 10 से 29 आयु वर्ग के 2 लाख युवाओं की प्रतिवर्ष हत्या कर दी जाती है। हिंसा के कारण विश्व में असामयिक मौत, चोट और विकलांगता का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। हिंसा से लोगों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। युवाओं के मध्य हिंसा एक वैश्विक समस्या बन गई है।

हिंसा के कुचक्रों में बुरी तरह फंसे वैश्विक समुदाय का ध्यान गांधीजी की अहिंसा नीति ने उपचारात्मक रूप से आकृष्ट किया है। गांधीजी सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि मानते हुए सत्य को ही ईश्वर के दूसरे रूप की संज्ञा देते थे और अहिंसा को मानव जाति का नियम बताकर पशुबल से श्रेष्ठ तथा महान मानते थे। गांधीजी अहिंसा को केवल उनके लिए उपयोगी मानते थे जिनकी प्रेम के ईश्वर में जीती जागती आस्था हो। गांधीजी स्पष्ट करते हैं कि अहिंसा को जीवन का नियम मान लेने वाले व्यक्ति हेतु आवश्यक है कि अहिंसा व्यक्ति के इक्का-दुक्का कृत्यों में ही दृष्टिगत न हो वरन् उसके समूचे व्यक्तित्व को अनुप्राणित करने वाली होनी चाहिए।

सार रूप में वैश्विक चित्रफलक पर गांधीय विचारों से युक्त विविध रंगों की हर पीढ़ी में आवश्यकता पड़ती रहेगी, यह शाश्वत सत्य है।

गाँधीय चिंतन की प्रासंगिकता एवं उपादेयता को नितांत आवश्यक मानकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकानेक अध्ययन केन्द्रों में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से नई पीढ़ी को गांधीवादी विचारधारा से परिष्कृत व परिमार्जित करने का सार्थक प्रयास निरंतर गतिमान है।

गाँधीय चिंतन की उपादेयता में वृद्धिकरण हेतु सुझाव

भारत के समस्त राज्यों के बोर्डो तथा विश्वविद्यालयों में गाँधीय विचारधारा संबंधित पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से संचालित हों तथा इनके माध्यम से सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान

को भी शोधार्थियों एवं समस्त ज्ञानार्जकों के कर्म क्षेत्र में उतारने का गंभीर प्रयास हो।

भारत तथा भारत के बाहर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, म्यांमार समेत अन्य गाँधीय विचारधारा से प्रभावित देशों में गाँधीय चिंतन की महत्ता निरुपित करने वाले विद्धानों की सूची के साथ-साथ उनकी पुस्तकों का भी एक जगह संग्रहण हो, जिसके द्धारा गाँधीय चिंतन की वास्तविक उपादेयता का निष्पक्ष व तार्किक आकलन हो सके एवं वैश्विक गाँधीवाद रुपी दिव्य साधन निरंतर उभरती हुई चुनौतियों का प्रभावी समाधान कर सके।

साबरमती आश्रम सहित हिंदुस्तान में अवस्थित समस्त गाँधीय आश्रमों तथा अन्य गाँधीवादियों यथा- विनोबाभावे, जयप्रकाश नारायण समेत अन्य प्रख्यात गाँधीवादियों के आश्रमों की पूर्ण जानकारी भी एक ही जगह उपलब्ध करवाने की रूपरेखा बनाई जानी चाहिए।

गाँधीय चिंतन से सम्बंधित समस्त शोध, साहित्य सामग्री, विभिन्न संग्रहालय, देश-विदेश में स्थापित विभिन्न अध्ययन केन्द्रों का समूचा विवरण दर्ज हो, जिससे इस दिशा में भविष्य में होने वाले शोधों एवं अनुसंधानों को सहायता और तीव्र गति मिल सके। संक्षेप में गाँधीय दर्शन से सम्बंधित समस्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामग्री व्यवस्थित रूप से एक ही जगह सूचीबद्ध हो।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी गाँधीवादी विचारों के सार तत्व को बौद्धिक जमात के मस्तिष्कों के साथ ही जनसाधारण के दिलोदिमाग तक पहुँचाने के भी वृहद् स्तर पर गुणात्मक प्रयास यथाशीघ्र प्रारंभ होने चाहिये।

आधुनिक पीढ़ी के नौजवानों को पिछड़ी हुई बस्तियों में ले जाकर प्रायोगिक रूप से गाँधीवादी दर्शन के माध्यम से समस्याओं के समाधान का आनुभविक अध्ययन करवाना चाहिए, जिससे उन्हें गाँधीय विचारधारा की प्रभाविता की अनुभूति हो तथा गाँधीजी की छवि भारतीय मुद्रा की मानिंद नई पीढ़ी के दिलों में भी अंकित हो जाये।

निष्कर्ष

भूमंडलीकरण के दौर में विचारधाराएँ किसी राष्ट्र विशेष की सीमाओं में नही जकड़ी जा सकती वरन ये सुदूर भौगोलिक क्षेत्रों में भी तीव्रता से प्रसारित होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक व अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित प्रभावी समाधान गांधीवाद से निसृत सार में ही विद्यमान है परन्तु ये बड़े दु:ख की बात है की गाँधी के विचारों को उन्हीं के अनुनायियों ने खत्म कर दिया लेकिन बदलती परिस्थितियों में उनकी बातें एक बार फिर प्रासंगिक हो गई है।

गाँधीय चिंतन एवं विचारधारा का प्रसार केवल गाँधी जयंती, शहीद दिवस एवं गाँधीजी से संबद्ध अन्य समारोहों के आयोजनों में ही प्रकाशवान न हो वरन वर्षपर्यन्त समानरूप से गांधीय दर्शन की प्रभावशीलता एवं उपादेयता में वृद्धिकरण के गंभीर एवं सार्थक प्रयास संचालित होने चाहिये। गांधीय चिंतन प्रायोगिक आधार पर तभी फलीभूत हो पायेगा जब वास्तविकता के धरातल पर व्यक्तिगत आचरण में नैतिक शुचिता, सत्याचरण, अहिंसा, पवित्र मानवीय विकास संसाधनों का न्यूनतम उपभोग, सत्याग्रह का उचित प्रयोग, स्वदेशी उद्योग धंधों के उत्थान का गंभीर प्रयास एवं साध्य व साधनों की शुद्धिकरण पर बल दिया जायेगा, जिससे की एक ऐसी अहिंसक दुनिया का नवनिर्माण हो जहाँ चहुँओर विश्वशांति एवं बंधुत्व की मनोरम बगिया पुष्पित एवं पल्लवित हो ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. फोरम, त्रैमासिक पत्रिका (विभिन्न संस्करण), जुलाई 2009 से वर्त्तमान तक, गांधीय अध्यनन केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. विश्वास, आर. आर. गाँधी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, शिमला इंडियन इंस्टिट्यूट स्टडीज, 1970
3. क्लाइव, आर., फिलासफी ऑफ गाँधी ए स्टडी ऑफ हिज बेसिक आइडियाज, लन्दन कर्जन प्रेस, 1983
4. सिंह, आर., गाँधी एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, दिल्ली क्लासिक पब्लिशिंग कंपनी, 1988
5. ज्ञानम, वाई., आज के युग में गाँधी की उपादेयता, गाँधी मार्ग, खंड-5, 1987
6. हरिजन, जुलाई 20, 1947
7. कृपलानी, जे. बी. गाँधी, व्यक्तित्व विचार और प्रभाव, दिल्ली सस्ता साहित्य मंडल, 1966
8. प्यारे लाल, महात्मा गाँधी द लास्ट फेज भाग (1-2) अहमदाबाद
9. गाँधी, एम.के., वर्णाश्रम धर्म, अहमदाबाद, नवजीवन, 1973
10. होम्स, जे.एच., गाँधी एंड नानवॉयलेंस, अक्षयदीप, दिल्ली, 1988
11. मिलर, आर.वी., गाँधी दि होली मैन, पुटनाम लन्दन, 1931
12. गाँधी, एम.के., एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, नवजीवन, अहमदाबाद, 1957

बाल गंगाधर तिलक : राष्ट्रवादी स्वर

भूमिका चौधरी

व्याख्याता

सिद्धि विनायक कॉलेज ऑफ साइन्स एण्ड हायर एज्युकेशन, अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

तिलक सच्चे अर्थों में भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान करके कांग्रेस को एक जन-आंदोलन में परिणत कर दिया। तिलक ने जनता एवं नेताओं के सामने एक रचनात्मक कार्यक्रम विकसित किया और स्वतन्त्र भारत की भूमिका की ओर इन चिरस्मरणीय शब्दों में संकेत किया। 'एशिया तथा संसार की शान्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि भारत को आत्म शासन प्रदान करके पूर्व में स्वतन्त्रता का गढ बना दिया जाये।' भारत की प्राचीन संस्कृति और विचारों को वे राष्ट्रवाद की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रयुक्त करना चाहते थे। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारत सुदृढ भविष्य की वर्तमान प्रेरणाएँ, पश्चिम से नहीं, अपने गौरवशाली अतीत से प्राप्त करे। उनके राष्ट्रवाद में भारत के स्वर्णिम अतीत की गौरवानुभूति और भारत के समृद्ध भविष्य की आकांक्षा का समन्वय था। तिलक अपने समय के पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को जन-आंदोलन का रूप दिया। वे राजनीतिक अधिकारों को उदारवादियों की तरह भिक्षा के रूप में प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे वरन् वे चाहते थे कि लोग साहसी, निर्भय, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बने। तिलक ने उग्रवादी होने के बावजूद हिंसा और क्रान्ति को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया।

संकेताक्षर : *सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्रतिरोध, आर्थिक आत्मनिर्भरता*

आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के प्रणेताओं में तिलक का नाम अग्रणी है। तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नई चेतना का संचार किया। उन्होंने प्राचीन संस्कृति और मूल्यों को ही भारत में राष्ट्रवाद का सुदृढ़ आधार बनाया। तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सवों को इसी कारण प्रोत्साहन दिया कि उनके माध्यम से भारतीय जनता वर्तमान घटनाओं और आन्दोलन का ऐतिहासिक परम्पराओं से सम्बन्ध जोड़ सके।[1] शिवाजी और गणपति उत्सवों को प्रोत्साहन देने के कारण तिलक पर हिन्दू पुनरूत्थानवादी होने का आरोप लगाया गया। किन्तु वास्तव में इनके पीछे तिलक का कोई संकीर्ण साम्प्रदायिक मन्तव्य नहीं था। यह सत्य है कि वे हिन्दू जनता में इन उत्सवों के माध्यम से उत्साह का संचार करना चाहते थे। तिलक इन उत्सवों के माध्यम से जनता की भावनाओं को उद्वेलित करना चाहते थे जिससे वह राष्ट्र निर्माण के अपने दायित्व के पालन के लिए मानसिक व भावनात्मक रूप से तैयार हो सके। तिलक ने स्वदेश को ईश्वर का रूप बताते हुए, राष्ट्र के निमित सर्वोच्च त्याग व कष्ट सहन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को अन्य सभी बातों को भूलकर स्वयं को पूर्णत: राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। अत: परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने स्वार्थ पर ध्यान न देते हुए, हमारी सामाजिक स्थिति सुधारने हेतु एक निष्ठा से सतत् परिश्रम करना ही हमारा धर्म है। देश के बान्धवों की निष्ठापूर्वक सेवा से ही मनुष्य के सर्वोच्च पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है क्योंकि देश व ईश्वर में कोई द्वैत नहीं है।[2] लोकमान्य तिलक ने भारत के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की, जिसे वे भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं।

वैचारिक आधारभूमि

तिलक का व्यक्तित्व और विचार, संस्कारों व पारिवारिक वातावरण, भारतीय व पाश्चात्य दर्शन के गहन अध्ययन तथा युगप्रवर्तक महापुरुषों के प्रेरणास्पद आदर्शों से प्रभावित व निर्धारित हुए थे। चारित्रिक दृढ़ता, देशभक्ति और आदर्शों के लिए कष्ट सहने की तत्परता तिलक को संस्कार से मिली थी। तिलक महाराष्ट्र के उस विख्यात चित्तपावन समुदाय में हुए थे, जिसमें निष्ठावान और सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित लोगों की स्थापित परम्परा थी।[4] तिलक का बचपन जिस पारिवारिक वातावरण में व्यतीत

हुआ, उसमें पवित्रता, विद्वता और धार्मिक निष्ठा पूरी तरह व्याप्त थी। तिलक के पिता संस्कृत और गणित के प्रकाण्ड विद्वान थे। भारतीय धर्म और दर्शन में गहरी अन्तदृष्टि तिलक को अपने पिता से विरासत में मिली और बचपन में पारिवारिक जीवन के कठोर और धर्मनिष्ठ अनुशासन में वह भलीभांति पुष्पित-पल्लवित हुए। तिलक को चिंतन की भारतीय परम्परा से भली-भांति परिचित होने तथा साथ ही अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने के कारण पश्चिमी विचारों और दर्शन से अवगत होने का विलक्षण सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पश्चिमी व भारतीय चिंतन परम्परा के तुलनात्मक अध्ययन से तिलक आत्मगौरव को अनुभव कर सके और भारतीयों की उस समय विद्यमान हीन स्थिति के बावजूद वे किसी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुए। प्राचीन भारतीय दर्शन की उत्कृष्टता से तिलक पूर्णत: अभिभूत हुए।

तिलक शिवाजी जैसे ऐतिहासिक चरित्रों की गौरवगाथा से अत्यधिक प्रभावित हुए, जिन्होंने स्वाभिमान और स्वातन्त्र्य की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे और अद्‌भुत संगठनात्मक क्षमता, साहस और संकल्प का उदाहरण प्रस्तुत किया। देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए कष्ट सहने की तत्परता, विदेशी शासन के विरुद्ध जनता को संगठित करने की आवश्यकता की अनुभूति तथा त्यागवृत्ति, तिलक के व्यक्तित्व पर शिवाजी जैसे चरित्रों के प्रभाव के स्पष्ट प्रमाण थे। तिलक के विचारों का तात्विक आधार, भारतीय संस्कृति और दर्शन से निर्धारित हुआ। भारतीय दर्शन की मूल आस्था, सत्ता के अद्वैत और आत्मा की शाश्वतता को तिलक ने जीवन दर्शन में ढाल लिया। इसी कारण न्याय और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी संघर्ष में वे साम्राज्य की विराट सत्ता के विरूद्ध निर्भीकता के साथ डटे रह सके। गीता की आध्यात्मिकता और कर्म-योग को उन्होंने अपनी कार्यशीलता का आधार बनाया और यह आवश्यकता प्रतिपादित की कि अन्याय का विरोध करने और अधर्म से संघर्ष करने के कार्य को लोग ईश्वर की भक्ति के समान ही समर्पित भावना से सम्पन्न करें। गीता के निष्काम कर्म के संदेश से प्रेरित हो, उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि देश सेवा का कार्य व्यक्तिगत लाभ अथवा प्रतिष्ठा की लालसा से नहीं, अपितु नि:स्वार्थ भावना से किया जाना चाहिये। गीता के इस संदेश ने कि अधर्म पर धर्म की विजय अवश्यम्भावी है, उनमें इस दृष्टि से आत्मविश्वास का संचार किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध, भारतीय जनता के स्वाभिमान और स्वतंत्रता की आकांक्षा की विजय सुनिश्चित थी, भले ही इसकी प्राप्ति का मार्ग किना ही कष्टप्रद और लम्बा क्यों न हो। सत्य की विजय के प्रति आश्वस्त होते हुए ही वे यह घोषित कर सके कि स्वराज्य भारतीय जनता का जन्म सिद्ध अधिकार है और वह उसे अन्तत: प्राप्त कर ही लेंगे।

उदारवादियों का स्वराज्य प्राप्त करने का तरीका तिलक को कभी भी पसन्द नहीं आया। क्योंकि इससे स्वराज्य की अवधारणा का अवमूल्यन होगा। भारतीय दर्शन, इतिहास और चिंतन की उत्कृष्टता के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें स्वराज्य की भारतीय संकल्पना के प्रति प्रेरित किया और उन्होंने भारत के गौरवमय अतीत को भारत की राष्ट्रीय चेतना का मूल-मंत्र बनाने का आह्वान किया।

जनेचतना : प्रतीक और रणनीति

लोकमान्य तिलक भारतीय राजनीतिक चिन्तनधारा के अद्वितीय विचारक एवं कर्मयोगी थे। तिलक ने न केवल भारतीयों को शासन के रवैये के प्रति ही असंतुष्ट बनाया अपितु उन्हें अपने विकास के प्रति भी सन्तुष्ट होकर नहीं बैठने दिया। दासता में संतोष कर बैठने वाले भारतीय, स्वतंत्रता संग्राम का संचालन नहीं कर सकते थे। तिलक ने उन्हें नया जीवन, नई प्रेरणा दी। **श्री भ.कृ. केलकर** के अनुसार लोकमान्य तिलक का राजनीतिक नेतृत्व दो राजनीतिक सिद्धान्तों पर आधारित था, पहला यह कि जनता को उसके अधिकारों के प्रति सचेत कर उसमें नैतिक प्रतिकार की शक्ति जाग्रत की जाये। दूसरा यह कि जनता की छोटी-छोटी शिकायतों को लेकर उसमें अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध असंतोष का निर्माण किया जाये और अंग्रेजों पर लोकमत का दबाव डाला जाये। उनका यह आग्रह था कि स्वराज्य के लिए आवश्यक जन इच्छा शक्ति का निर्माण होना चाहिए। तिलक ने कहा था कि यदि स्वराज्य पाना है तो नींव पर आधारित होना चाहिये। वह लोकतात्रिंक क्रान्ति का तत्त्व ज्ञान है।[5]

तिलक वेदान्ती थे। तिलक के अनुसार परमात्मा ही परम सत् है। चूंकि सब मनुष्य उसी परमात्मा के अंश है, इसलिए उन सभी में वही आध्यात्मिक शक्ति अन्तर्निहित है जो परमात्मा में पायी जाती है इसलिए तिलक के अद्वैतवाद में स्वतन्त्रता की सर्वोच्चता का सिद्धान्त था। उनके लिए स्वतन्त्रता ही 'होमरूल' आन्दोलन का प्राण थी। स्वतन्त्रता ही व्यक्ति की आत्मा का जीवन है और व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर से भिन्न नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। यह स्वतन्त्रता एक ऐसा सिद्धान्त है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप में तिलक की राजनीतिक स्वतन्त्रता संग्राम का आधार दार्शनिक था। तिलक के आध्यात्मिक विचारों का आधार 'गीता' थी। निष्काम कर्म की प्रेरणा उन्होंने गीता से ग्रहण की। गीता को आधुनिक जीवन की मार्गदर्शिका मानते हुए भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में निर्भयता, स्वतन्त्रता, बलिदान तथा सेवा की

प्रेरणा तिलक ने गीता से ही प्राप्त की।[6] तिलक ने 'गीता रहस्य' में कहा है जो कर्म हमारे मोक्ष अथवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो वही पुण्य है, वही धर्म और वही शुभकर्म है और जो कर्म उसके प्रतिकूल है वही पाप, अधर्म अथवा अशुभ है।[7] गीता से प्रभावित तिलक ने आध्यात्मिक परम सुख की प्राप्ति को श्रेष्ठ माना।

तिलक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महान उपासक थे। तिलक उपनिषद् और वेदों से अत्यधिक प्रभावित थे। पाश्चात्य संस्कृति की भौतिकवादी परम्परा का विस्तार वे भारत में नहीं चाहते थे। उन्हें इस बात का क्षोभ था कि भारत की संभ्रान्त एवं शिक्षित पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता के अन्धानुकरण द्वारा भारत की सभ्यता व संस्कृति की धरोहर को विस्मृत करने पर अमादा है। उन्होंने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को अपनाने पर बल दिया। एक राष्ट्रवादी भारतीय के रूप में वे नहीं चाहते कि भारत का वैचारिक पुन: निर्माण पाश्चात्य विचारधारा पर आधारित हो। उन्होंने जीवन में नैतिक आधार को पुन: प्रतिष्ठित किया तथा राष्ट्र को दिखाया कि उसे समायानुकूलता के सिद्धान्त को अपनाना आवश्यक नहीं और उसको पश्चिम का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं, वरन् भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय सभ्यता के नैतिक मूल्यों व सिद्धान्तों के आधार पर ही संघटित करना चाहिए। प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए ही तिलक ने 'गणपति उत्सव' और 'शिवाजी उत्सव' का श्री गणेश किया। गणपति उत्सव तिलक की उन योजनाओं की शृंखला की पहली कड़ी थी जिससे वह पहले महाराष्ट्र फिर सारे भारत में राष्ट्रीयता की यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करना चाहते थे। पौरुष, अनुशासन, संगठित कार्य एवं देशभक्ति की भावना की व्यापकता के उद्देश्य से ही तिलक ने गणपति उत्सव मनाने की परम्परा 1893 में रखी। गणपति उत्सव के कारण तिलक के आन्दोलन का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। स्वतन्त्रता केवल प्रस्ताव पास करने या भीख मांगने से नहीं मिल सकती। स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उनका मूलमंत्र केवल शब्द नहीं अपितु क्रिया है। स्वतन्त्रता के लिए शिवाजी की भांति साहसी बनना पड़ेगा। तिलक जनसमुदाय की राजनीतिक चेतना को ही नहीं वरन् गत और अनागत के संयोग से जनता की आत्मा को भी जानना चाहते थे जब तक जनता विभाजित है समाज आगे नहीं बढ़ सकता।

सारत: तिलक के स्वराज्य की धारणा में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्त प्रश्नों के निर्धारण में जनता की सक्रिय व सार्थक भागीदारी आवश्यक थी। तिलक का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि ऐसा शासन जो शासन की निरंकुश शक्तियों पर नियन्त्रणों की व्यवस्था न रखता हो, जनहित के प्रति संवेदनहीन हो तथा केवल शासक के स्वार्थों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा हो, स्वराज्य की धारणा के अनुकूल नहीं माना जा सकता।

प्रतिरोध के साधन

राजनीतिक आन्दोलन के लिए उदारवादियों द्वारा अपनाये जा रहे साधनों से तिलक पूर्णत: असहमत थे। जनता के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए शासकों की दया, सहृदयता व सहानुभूति पर निर्भर करना वे उचित नहीं मानते थे। साथ ही उन्हें अपर्याप्त मानते थे। उन्होंने कहा- पूरे ब्रिटिश मतदाताओं को अपने मत से प्रभावित और सहमत करना और तब उनके माध्यम से ब्रिटिश संसद के सदस्यों पर अप्रत्यक्ष दबाव डालना और तब उनके माध्यम से एक ऐसे मन्त्रिपरिषद् का गठन करवाना जो भारत के लिए अनुकूल रुख रखता हो और पुन: पूरी ब्रिटिश संसद, उदारवादी पार्टी और मन्त्रि-परिषद् से यह अपेक्षा करना कि वे भारत में नौकरशाही पर भारतीय आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए दबाव डालें मेरे मत में नितान्त अव्यावहारिक और निरर्थक है।[8]

तिलक ने प्रारम्भिक बीस वर्षों में उदारवादियों के द्वारा अपनायी गयी संवैधानिक पद्धति की निष्फलता को देखा और एक अधिक क्रियाशील पद्धति को अपनाये जाने का अनुरोध किया। तिलक ने बताया कि संवैधानिक पद्धति का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है जहाँ सशक्त जनमत पाया जाता है। भारतीय अपना आन्दोलन कानून पर आधारित नहीं कर सकते क्योंकि देश पर अनुत्तरदायी और निरंकुश सरकार का शासन है। भारतीय स्थिति का कठोर सत्य यही है कि जो कोई भी सरकार के विरुद्ध जायेगा, उसे दण्डित करने का अधिकार सरकार का है। जिसके सभी नियम भारतीय दण्ड संहिता में मौजूद हैं। तिलक ने घोषणा की कि राजनीति में दानशीलता का कोई स्थान नहीं है, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है भिक्षावृत्ति नहीं। वे कांग्रेस को जन आन्दोलन बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने 'निष्क्रिय प्रतिरोध' की नवीन पद्धति का प्रयोग किया। तिलक के लिए लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प ही निष्क्रिय प्रतिरोध था। तिलक सीधी कार्यवाही के महत्त्व के प्रशंसक थे और उस समय कांग्रेस में प्रचलित वैधानिक लड़ाई के ढंग को हेय समझते थे।[9] इस पद्धति के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से सम्पूर्ण राष्ट्र में संघर्ष बलिदान और कष्ट सहन करने की क्षमता का विकास किया। उन्होंने कहा- यदि तुममें सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो क्या तुम में आत्मविश्वास और आत्मसंयम

की भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ही ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो? यही बहिष्कार है। हम कर वसूल करने और शान्ति स्थापना में सहायता नहीं करेंगे। हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनकी सहायता नहीं करेंगे। क्या तुम अपने संगठित प्रयत्नों से ऐसा कर सकते हो? यदि तुम कर सकते हो तो तुम कल ही स्वतन्त्र हो जाओगे।[10]

तिलक ने इस बात पर भी बल दिया- यदि हम स्वतंत्र होना चाहें तो हो सकते हैं किन्तु इसके लिए प्रतिरोध आवश्यक है।[11] तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन का भारतीयकरण करने पर बल दिया तथा स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को निष्क्रिय प्रतिरोध के आवश्यक उपकरण के रूप में स्वीकारा। तिलक **स्वदेशी** को राजनीतिक आन्दोलन का एक प्रभावी अस्त्र मानते थे किन्तु उनके लिए स्वदेशी का विचार आन्दोलन का एक स्वरूप मात्र नहीं था, अपितु राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और विदेशी प्रभाव से मुक्ति का प्रतीक भी था। यद्यपि स्वदेशी शब्द का पहले भी प्रयोग किया गया था। लेकिन तिलक ने इस विचार को न केवल लोकप्रियता प्रदान की, अपितु इसे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों के विरोध की अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली माध्यम बना दिया। तिलक के अनुसार स्वदेशी का विचार आर्थिक व नैतिक दोनों दृष्टिकोणों से भारतीयों के हितों को सुनिश्चित करता था। तिलक ने स्वदेशी आन्दोलन के लिए 'गणपति उत्सव' का प्रयोग किया। इससे भारतीयों में अद्भुत आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की भावना का संचार हुआ, स्वदेशी देशप्रेम का प्रतीक बन गया। **बहिष्कार** आन्दोलन स्वदेशी के विचार का पूरक था। यह स्वदेशी की भावना का आन्दोलनात्मक पक्ष था। तिलक बहिष्कार को प्रभावशाली साधन मानते थे। तिलक ने बहिष्कार के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बल दिया। इससे ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगें मानने के लिए विवश हो जाएगी। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम इस शक्ति का महान तत्व हो जिससे भारत का प्रशासन चलाया जा रहा है। ब्रिटिश शासन रूपी यह शक्तिशाली मंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। यदि तुम चाहो तो प्रशासन को असम्भव बना सकते हो। तिलक संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करके बहिष्कार चाहते थे। तिलक के लिए बहिष्कार का अर्थ निष्क्रिय और गतिहीन आर्थिक बहिष्कार नहीं था। वह तो वास्तव में निष्क्रिय प्रतिरोध का गत्यात्मक विज्ञान था।[13] तिलक **शिक्षा** पर स्वयं जनता का नियंत्रण चाहते थे इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को भी प्रमुखता प्रदान की। इसीलिए उन्होंने स्कूल व कॉलेज की स्थापना की। तिलक चाहते थे कि शिक्षा भारतीयों द्वारा दी जाये और भारतीयों के लिए हो। राष्ट्रीय शिक्षा के अध्यापकों के लिए उनका संदेश था कि वे शिक्षा के माध्यम से भारत के प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित करें, यद्यपि तिलक ने अंग्रेजी शिक्षा का कभी विरोध नहीं किया। इस प्रकार तिलक ने कलकत्ता कांग्रेस में स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को स्वराज प्राप्ति के लक्षण में तीन महत्त्वपूर्ण हथियारों के रूप में स्वीकारा और इनके द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति को प्राप्त करना अपना राजनीतिक उद्देश्य बना लिया।

हिंसक साधनों और क्रान्तिकारी गतिविधियों के प्रति तिलक के दृष्टिकोण के संबंध में यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि वे मूलत: साध्य को महत्त्व देते थे, साधन का उनके मत में कोई स्वतंत्र नैतिक महत्त्व नहीं था। इस कारण उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि स्वराज्य की प्राप्ति जिस किसी साधन से सम्भव हो, की जानी चाहिये। हिंसा और क्रान्तिकारी गतिविधियों को वे स्वराज्य की प्राप्ति के लिए व्यावहारिक साधन नहीं मानते थे, तथापि इनके प्रति उनकी असहमति को कोई नैतिक या आध्यात्मिक आधार नहीं था।

सामाजिक अवधारणा

तिलक ने समाज सुधार पर भी बल दिया क्योंकि वह स्वीकार करते थे कि सामाजिक विकृतियों ने हिन्दू समाज को बहुत क्षति पहुँचाई है। वे वस्तुत: समाज सुधारों के नहीं, अपितु समाज सुधारों के प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिम जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित किये जाने के विरोधी थे।[14] समाज सुधारों के प्रति उनके दृष्टिकोण में तीन पक्ष थे- समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन को प्राथमिकता देना चाहते थे। उनका यह मानना था कि पहले राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि सभी क्षेत्रों में प्रगति की पूर्वशर्त स्वराज है। राजनीतिक शक्ति भारतीयों में आ जाने के पश्चात् समाज सुधार स्वत: आ जायेगा। समाज सुधार के नाम पर विदेशी शासन को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।तिलक ने समाज सुधारों का समर्थन तो किया परन्तु पश्चिमीकरण का विरोध किया। तिलक हिन्दू समुदाय में समाज सुधारों के नाम पर पश्चिमी मूल्यों को प्रतिष्ठित किये जाने के विरोध में थे। वे हिन्दू समुदाय की प्रगति के पक्षधर थे। यद्यपि यह सत्य है कि हिन्दू समुदाय में अनेक ऐसी कुरीतियाँ हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन को विषाक्त बना दिया है। किन्तु तिलक की यह मान्यता थी कि सामाजिक सुधारों के लिए भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के उन्मूलन की नहीं अपितु कुरीतियों के निवारण

की आवश्यकता थी। उनका दृढ़ मत था कि भारत को पश्चिमी छवि पर ढालने का अर्थ होगा, उसकी महानता को नष्ट करना और समाज सुधारों के लिए एक विदेशी सत्ता की शक्ति का प्रयोग करना स्वयं समाज सुधारों को ही अनैतिक बना देगा।[15] वे भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर एक न्यायनिष्ठ और सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे।

तिलक ने समाज सुधारों की तुलना में जन जागृति पर बल दिया। उनका मानना था कि समाज सुधारों के कार्यक्रमों को जनता को शनैः-शनैः जागरूक बनाकर और सुधारों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। वे उन समाज सुधारों के कट्टर आलोचक थे जो समाज सुधारों के लिए सरकार से व्यवस्थापन की माँग करते थे, किन्तु स्वयं अपने जीवन में उन सुधारों को घटित नहीं करते थे। तिलक ने भारत में समाज सुधार का कार्यक्रम लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार से अपेक्षा करना उचित नहीं समझा। इस कार्य का नेतृत्व तिलक ने स्वयं किया। इसके लिए भारतीयों को विदेश जाने की प्रेरणा दी ताकि उनके ज्ञान और विचार शक्ति का विस्तार हो। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया ताकि स्त्रियों के प्रति अन्याय को रोका जा सके। स्त्री शिक्षा की पैरवी की। अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथा का विरोध किया और जाति-पांति पर आधारित भेदभाव की निंदा की। तिलक भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप भारतीय समाज में सच्चा सुधार लाना चाहते थे, वे पश्चिम के अन्धानुकरण के पक्ष में नहीं थे। तिलक का मानना था कि समाज-सुधार समाज के भीतर से जन्म लेता है। कानूनों को बनाकर उन पर थोपने की आवश्यकता नहीं है।

आर्थिक दृष्टिकोण

तिलक ने राजनीतिक आन्दोलन का महत्वपूर्ण आधार स्वदेशी को माना हैं क्योंकि उनका मानना था कि स्वदेशी भावना से अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण सम्भव है। साथ ही एक स्वाभिमान की भावना भी जाग्रत होगी क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में उद्योग धन्धों को नष्ट कर दिया था। पहले भारत में उत्पादन व उपभोग दोनों ही स्थानीय होते थे। उत्पादन कुटीर व लघु उद्योगों द्वारा होता था लेकिन ब्रिटिश नीतियों के कारण औद्योगिक विकास की प्रक्रिया ठप्प हो गयी थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार से मुक्त व्यापार की नीति अपनाकर भारतीय कुटीर उद्योगों को ब्रिटेन के मशीनीकृत उद्योगों के साथ प्रतियोगिता में झौंक दिया। इससे भारत में उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये।तिलक ने भारतीय आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए कुटीर उद्योगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर जोर दिया क्योंकि भारत में उस समय पूंजी व तकनीक कौशल का अभाव था। साथ ही लोगों में जाग्रति उत्पन्न की कि वह स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें।

शनैः-शनैः तकनीकी शिक्षा के प्रसार तथा स्वदेशी पूंजी के विस्तार के माध्यम से वे देश में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि स्वदेशी कौशल और स्वदेशी पूंजी के आधार पर किया गया औद्योगीकरण ही देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सकता था। इससे भारतीयों में स्वाभिमान की भावना भी विकसित होगी। वस्तुतः तिलक के राष्ट्रवाद के आधार प्राचीन संस्कृति और मूल्य थे ताकि भारतीय जनता राष्ट्र गौरव और स्वाभिमान के भाव से परिपूर्ण हो, राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए मानसिक व भावनात्मक रूप से तैयार हो सके।

सन्दर्भ सूची

1. वर्मा, वी.पी., आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा 1989, पृ. 252
2. राजपुरोहित , कन्हैयालाल, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, पृ. 210-211
3. गुप्त रामचन्द्र, आधुनिक एशिया का राजनीतिक चिन्तन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृ. 200-201
4. चतुर्वेदी, मधुकर श्याम, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, पृ. 284
5. पुरूषोत्तम नागर, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृ. 137
6. यंग इण्डिया, 28/1/1920, पृ. 3
7. उपर्युक्त
8. तिलक, राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, पृ. 44
9. रामगोपाल, भारतीय राजनीति : विक्टोरिया से नेहरू तक, बनारस ज्ञान मण्डल लिमिटेड, पृ. 132
10. तहमनकर डी.वी., लोकमान्य तिलक : फादर ऑफ इण्डियन अनरेस्ट एण्ड मेकर ऑफ मॉडर्न इण्डिया, लंदन, जानमरे लंदन, पृ. 115
11. तिलक, स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स, मद्रास नटेशन, 1919, पृ. 170
12. उपर्युक्त, पृ. 36
13. वर्मा वी.पी., आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा 1989, पृ. 263
14. टी.एल. शे दी लीगेंसी ऑफ लोकमान्य, पृ. 63
15. उद्धृत, टी.एल. शे उपर्युक्त, पृ. 64

उदारीकरण व वैश्वीकरण के दौर में भारत में लोक सेवाएँ

मंजु सारण
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश
भारत में लोकसेवाओं की पुरानी परम्परा है। प्रत्येक शासन प्रणाली में लोकसेवक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आये हैं। सिन्धु सभ्यता से लेकर वर्तमान तक लोकसेवाएँ राजनैतिक व्यवस्था की रीढ़ रही है। आधुनिक लोकसेवाओं का गठन ब्रिटिश शासन काल में हुआ। स्वतंत्र भारत में सरदार बल्लभ भाई पटेल ने लोकसेवाओं का पुन: गठन किया। 1945-1990 तक भारत में लोकसेवाओं का परम्परागत स्वरूप था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अधिकारों में 1973 में बड़े पैमाने पर कटौती की गई। 1990-1991 के बाद उदारीकरण व वैश्वीकरण ने भारतीय लोकसेवाओं को मूलभूत रूप से बदल दिया। उदारीकरण व वैश्वीकरण से लोकसेवक, जनसेवक की भूमिका में आ गये। इन्हें उत्तरदायी व जबावदेह बनाया गया है। इनकी भूमिका स्थानीय न रहकर व्यापक बन गयी है। लोकसेवक अब प्रबन्धक के रूप में भी जाने जाते हैं। वे अब शासक नहीं है। बल्कि वास्तविक अर्थ में सेवक बन गये है। भारत में सम्पूर्ण नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी लोकसवेकों की है। उनकी नैतिकता में दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है। जोड़-तोड़ की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। इतने अधिक नियंत्रणों व वैश्विक बदलावों के बावजूद भी भारतीय लोकसेवकों में अभी तक कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया है। लोकसेवकों की प्रकृति नहीं बदली है। यह बदलाव बाहरी कानूनों से कम व आन्तरिक इच्छा शक्ति से ज्यादा आता है। वैश्विक वातावरण के अनुरूप भारतीय लोकसेवाओं को ढालने के लिये अभी और प्रयास की आवश्यकता है।

संकेताक्षर : *जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, ई-गवर्नेन्स*

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व में अपना अलग स्थान रखती है। कुछ आधारों में यह स्वनिर्मित है परन्तु बहुत सारे तत्त्वों में यहां विदेशी प्रभाव भी दिखता है। इसमें निरन्तरता, नवीनता, स्पष्टता, परोपकारिता, ग्रहणता, सरलता व सौम्यता रही है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कभी ठहराव नहीं आया। इस राजनीतिक व्यवस्था ने विभिन्न रूप देखे हैं, इन विभिन्न रूपों ने इसमें परिपक्वता लाने का ही प्रयास किया है, कभी संकीर्णता नहीं आयी। बड़े से बड़ा झंझावात भी इसे विचलित नहीं कर सका। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था संसदात्मक प्रणाली व विधि के शासन के कारण तथा अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था अध्यक्षात्मक व शक्ति पृथक्करण के कारण जानी जाती है तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था लचीलेपन सहिष्णुता व न्यायिक पुनरावलोकन तथा सक्रियता के कारण विश्व में जानी जाती है। ''भारत में प्रतिनिधि आधारित प्रजातन्त्र विकसित हुआ है जिसमें जन भागीदारी बढ़ गयी है''[1] भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सभी देशों को राजनैतिक व्यवस्थाओं में लोक प्रशासकों की भूमिका मुख्य होती है। राजनैतिक व्यवस्थाओं का संचालन ही लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका सकारात्मक या नकारात्मक रूप में निभाते आये हैं परन्तु कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा के विकास के बाद अर्थात् 1945 के बाद लोक सेवकों की भूमिका राजनीतिक व्यवस्थाओं में अधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी है। ''राजनीतिक स्तर पर जो निर्णय लिये जाते हैं उनको कार्य रूप देकर लोक सेवाएँ देश को शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं।''[2] लोक सेवाओं की प्रकृति परिवर्तनशील है।

राजनीतिक व्यवस्था को मूर्त रूप देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार के तीन अंग होते हैं : व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण कानूनों द्वारा होता है जिन्हें व्यवस्थापिका बनाती है। कानूनों की सार्थकता तभी है जब उन्हें यथार्थ में लागू किया जाये। कानून को व्यवहार में लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है जो

लोक सेवकों से मिलकर बनती है। अत: लोक सेवक प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है, केन्द्रीय भाग है, कार्यकारी एजेन्सियाँ हैं, सरकार के सजीव पहरेदार हैं जो सिद्धान्तों को व्यवहार में लागू करने का कार्य करते हैं। कानूनों की पालना सम्प्रभुता व दण्ड की शक्ति के भय के कारण होती है जो सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका में निहित होती है। सरकार इन तीनों अंगों के सहयोग से राजनीतिक व्यवस्था को जीवन्त बनाती है। सरकार के इन तीनों अंगों में कार्यपालिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, उपयोगी व प्रासंगिक है जिसकी संरचना लोक प्रशासकों से ही होती है। अत: राजनीतिक व्यवस्था में सजग पहरेदार की भूमिका लोक सेवक ही निभाते हैं।

आरम्भिक अवस्था में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था स्वनिर्मित थी, परन्तु विदेशी शासकों ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विदेशी तत्वों को भी शामिल किया। विदेशी शासकों के समय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोक सेवक भी विदेशी ही थे जो यहां की जडों से कट रहे थे। स्थानीय आवश्यकताओं से अनभिज्ञ थे। वे लोग प्रशासक नही होकर वास्तविक शासक बनते गये व भारतीयों की सदा अवहेलना करते गये।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में राजनीतिक व्यवस्था के साथ भारतीय लोक प्रशासक भी औपनिवेशिक मानसिकता के थे। लोक प्रशासन विषय के विकास के बाद लोक प्रशासकों की स्थिती भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भिन्न रूप में देखी जाने लगी। लोक प्रशासकों की राजनीतिक व्यवस्था पर पहले जैसी निर्भरता अब नहीं रही, उनका स्वतंत्र आधार बनने लगा। लोक सेवक पृथक्कता व आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे, इससे औपनिवेशिक काल में ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में खिंचाव आने लगा। राजनीतिक व्यवस्था के आधारों व लोक प्रशासकों में दूरियां बढ़ने लगी जो स्वनिर्भरता व आत्मपहचान के कारण थी। विषयों में स्वायत्तता व सर्वोच्चता के लिए अलगाव में समाधान खोजने लगे। यह स्थिति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोक प्रशासकों के लिए सुखद नहीं थी। केन्द्रों की भिन्नता राजनीतिक व्यवस्था को स्वअहसास करा रही थी। औपनिवेशिकता की समाप्ति भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोक प्रशासकों के घमंड को तोड़ नहीं सकी। यह संक्रमणकाल, अनिश्चितता व अस्पष्टता से भरपूर था। चारों तरफ वैमनस्य, भय, अशान्ति, संघर्ष व कटुता थी। औपनिवेशिक भारत में अपनी भूमिकाओं के कारण लोक प्रशासक अप्रासंगिक ही रहे। ''तत्कालीन भारतीय समस्याओं का समाधान करने में ब्रिटिश लोक सेवाएँ असमर्थ रहीं''।[3] अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोक सेवक उत्पीड़न व दमन का पर्याय ही बने रहे। सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ एकाकार भी नहीं हो सके। सबसे कठिन स्थिति भारत में लोक प्रशासकों की थी, इसे लोक सेवक नकारते हैं परन्तु यही भारत की हकीकत थी।

स्वतंत्र भारत में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नव प्राण फूंके जा रहे थे परन्तु लोक सेवक तो ब्रिटिश विरासत के पात्र ही थे। जिनकी मनोदशा व कार्यप्रणाली को बदले बिना नवजीवन की कल्पना कठिन थी। ''शासन को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यवाही, कार्यक्रम संवर्धन और सिद्धान्तवाद की जरूरत होती है चाहे हम इनसे केवल अधिकारी तंत्र का ही संकेत क्यों न दे रहे हो।''[4] स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न देशों के विद्वानों ने भिन्न भिन्न ढंगों से देखा है परन्तु शीघ्रातिशीघ्र ब्रिटिश औपनिवेशिकता से संबंध विच्छेद करना संभव नहीं था।

स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था में लोक प्रशासक तो भारतीय लोगों से ही भर्ती किये जाने लगे परन्तु मन से वे औपनिवेशिक व ब्रिटिश ही बने रहे। यह उनके लिए सबसे अधिक दुविधा की स्थिति थी। भारतीय होकर भी वे भारतीय नहीं बने सके, यहां के लोगों के लिए कार्य नहीं कर सके, भारतीयता की वास्तविक भावना को पहचान भी नहीं सके। स्वतन्त्र भारत में भारत के प्रशासक सेवक होने के बजाय वास्तविक शासक की तरह कार्य करते थे। सरकार के उद्देश्यों के साथ उनकी एकरूपता नहीं थी, 1973 तक भारत में लोक सेवकों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। लोक सेवकों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। वे जनमत की भी परवाह नहीं करते थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोक प्रशासकों की भूमिका 1990 तक नकारात्मक अधिक व सकारात्मक कम रही वे राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों की प्राप्ति में बाधक बने रहे। भारतीय संविधान की उद्देशिका के सिद्धान्तों को लागू करने में कोताही बरतते रहे। भारत के लोक सेवकों की भूमिका ब्रिटेन व अमेरिका से भिन्न ही दिखती रही। ब्रिटेन व अमेरिका में वहां की नौकरशाही, आधुनिक युग की शुरूआत से आज तक उत्तरदायित्व, जनकल्याण, जनमत का आदर आदि बातों को व्यवहार में अपनाती रही है अत: वह लम्बे समय तक उद्दण्डता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती। भारत की नौकरशाही अभी अपनी शैशव अवस्था में ही है अत: वह उद्दण्डता को अपने व्यवहार में अपनाती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 1990 तक ऐसे सशक्त जनमत के तरीके विकसित नहीं हुए थे जो ग़ैरज़िम्मेदार भारत की नौकरशाही पर नियन्त्रण लगा सके। लोक कल्याणकारी, समाजवादी, सकारात्मक लोकतन्त्र का समर्थन करने वाले सिद्धान्तों को लागू करने में भारतीय लोक

प्रशासक बाधक ही नहीं बने, बल्कि विपरीत भूमिका निभा कर इन तत्वों को लागू करने से रोकना चाहा। इस प्रकार स्वतंत्र भारत की लोक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासकों की भूमिका संदिग्ध ही रही है। जिनको सम्पूर्ण रूप से अभी तक पहचाना भी नहीं गया।

1990-91 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आये हैं। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के सिद्धान्त विश्व स्तर पर अधिक लोकप्रिय हुए। विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में सोवियत संघ का विखण्डन व साम्यवादी गुट का बिखराव हुआ। साम्यवाद व समाजवाद कमजोर हुआ, जिन देशों में समाजवादी विचारधारा से शासन व्यवस्था चलायी जाती थी उन्होंने समाजवादी विचारधारा को छोड़ दिया, इस प्रकार विश्व की राजनीति में दूसरे गुट के समाप्त होने, साम्यवादी विचारधारा को त्यागने से पूँजीवादी विचारधारा अधिक लोकप्रिय होने लगी। विश्व में चीन, उत्तरी कोरिया व क्यूबा ही साम्यवादी देश बचे। डेनियल बैल ने इस समय कहा था कि यह विचारधाराओं का अन्त है। यद्यपि यह विचारधाराओं का अन्त तो नहीं था, परन्तु साम्यवाद बहुत कमजोर हुआ, जिससे पूँजीवादी सिद्धान्त विश्व में अधिक लोकप्रिय हुए। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण भी इसी क्रम में पूँजीवादी मूल्यों के उत्थान का प्रयास था। पूंजीवादी सुधार अपने साथ अन्य बहुत से नवीन मूल्य व प्रभाव लेकर आये। यह विश्वव्यापी प्रक्रिया थी, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। यद्यपि भारत में न तो समाजवादी मूल्यों का ह्रास हुआ व न ही राजनीतिक व्यवस्था में किसी प्रकार की टूटन आयी, परन्तु प्रभावों की जो आँधी विश्व स्तर पर चल रही थी, भारत उसे अनदेखा नहीं कर सका तथा उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण को अपनाने की प्रक्रिया को भारत छोड़ नहीं सका। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण ने न केवल अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रभाव डाला, बल्कि इससे राज्यों की राजनीति में भी बदलाव होने लगे।

उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण उदारवादी व पश्चिमी अवधारणा है जो पूँजीवादी हितों का पक्षपोषण करती है। उदारवादी पश्चिमी देशों में ही 1876 के बाद लोक प्रशासन विषय का विकास हुआ जो धीरे धीरे विकास करता हुआ 1945 के बाद एक स्वतंत्र विषय बना। यह राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में शुरू होकर स्वायत्ता प्राप्त करता चला गया। लोक प्रशासन ने लोक सेवकों को राज्यों की राजनीति में कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा। परम्परागत राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोक सेवकों ने राजनीतिज्ञों के कार्यों को कुछ मात्रा में हस्तगत भी किया। पश्चिमी उदारवादी देशों में लोक प्रशासन का स्वरूप प्रबन्ध में बदलने लगा व लोक सेवक, शासकों जैसी भूमिका निभा रहे थे। उसमें कमी आयी, अब वे सेवक की भूमिका में नजर आये। लोक सेवक पुन: अधीनस्थता की स्थिति में चले गये। लोकसेवकों की भारत में भी यही स्थिति हुई।

भारत में उदारीकरण को नरसिंहराव की सरकार ने 1992 में अपनाया था तब मनमोहन सिंह वित्तमंत्री थे। इस एलपीजी अवधारणाओं की स्वीकृति से पहले भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोक सेवकों की स्थिति अलग थी व इसको अपनाने के बाद अब लोक सेवकों की स्थिति भिन्न हो गयी। ''अब लोक सेवक जन सेवकों की भूमिका में नजर आ रहे हैं।''[5] एलपीजी अवधारणा को अपनाने से पूर्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकसेवक प्रभावी भूमिका में थे। वे नीति क्रियान्विति में तो सर्वोच्च थे ही, परन्तु नीति निर्माण में भी निर्णायक भूमिका उन्हीं के द्वारा निभायी जाती थी। उनकी कार्यप्रणाली, नैतिकता व सर्वोच्चता पर कोई प्रश्न नहीं उठाता था। वे भारत के वास्तविक शासक थे। राजनीतिक कार्यपालिका इस स्थायी नौकरशाही की पिछलग्गू थी। नीतियों, सिद्धान्तों व उद्देश्यों का अन्तिम निर्णय इन लोकसेवकों के द्वारा ही किया जाता था। वे सेवक नहीं होकर भारत के वास्तविक शासक होते थे।

एलपीजी की अवधारणा ने 1992 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोक सेवकों के व्यवहार में सर्वाधिक परिवर्तन किया है। पश्चिमी देशों में तो यह परिवर्तन 1945 के बाद ही आ गया था। भारत में लोक सेवक प्रशासन के साथ प्रबन्धन के भी भाग हो गये। राज्य व सरकार के मूल उद्देश्य व सिद्धान्त सर्वोच्च हो गये है उन्हें लागू करने की अन्तिम जिम्मेदारी भी राजनीतिक कार्यपालिका की ही है। स्थायी नौकरशाही तो राजनीतिक कार्यपालिका के सहायक के रूप में नजर आ रही है। अब लोकसेवकों की भूमिका शासकों से हट गयी है तथा वे वास्तविक सेवक की भूमिका में आ गये हैं। ''वैश्वीकरण के दौर में लोक सेवक आर्थिक गतिविधियों में अधिक संलग्न हो गये हैं।''[6] ''लोक सेवकों का संबंध तो आम जनता से ही होता है। परन्तु एलपीजी को अपनाने से पूर्व यह भारत में आम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यह भारतीय प्रशासन व लोक सेवकों की सबसे बडी विडम्बना थी।''[7] वैश्वीकरण के दौर में उन्हें जनता के प्रति विभिन्न तरीकों से उत्तरदायी बनाया जा रहा है जिनमें सोशल ऑडिट एक प्रमुख तरीका है जसे महानरेगा अभियान में कार्यों की जाँच के लिए व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। लोक सेवक सोशल ऑडिट से बेनकाब हो रहे हैं। जवाबदेही भी उत्पन्न की जा रही है। सौंपे हुये काम को निश्चित समय में पूरा करने की जिम्मेदारी भी लोकसेवकों पर डाली जा रही है। लोक सेवक राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासन की धुरी होते हैं। यदि लोक

सेवक ग़ैर ज़िम्मेदार व ग़ैर उत्तरदायी होते हैं तो इसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पडता है। पिछले 27 वर्षों में भारतीय राज व्यवस्था में लोक सेवकों को वास्तविक रूप से सेवक की भूमिका में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे वह लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार चल सके, राज व्यवस्था में सकारात्मक भूमिका निभा सके और राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सके। वैश्वीकरण के दौर में भारतीय लोक सेवाओं में सुधार के सुझाव देते हुए होशियार सिंह कहते हैं, ''भारत जैसे प्रजातंत्र में खुले और अच्छे प्रशासन के लिए एक सार्वजनिक निजी लोकप्रिय भागीदारी का तरीका अधिक उचित और संगत है बजाय अति बोझिल सरकारी तंत्र के जो अकेले काम करता है और लोगों के जीवन को कठिन व दूभर बनाता है।''[8] उदारीकरण के दौर में भारतीय लोक सेवाओं में सरलीकरण, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, ई-गर्वनेन्स, सेवक व प्रबन्धक की भूमिका निभाने की आवश्यकता है जिससे भारतीय लोक सेवायें समय के अनुरूप हो सकती हैं।

संदर्भ सूची

1. सिंह, महेन्द्र प्रसाद, भारतीय राजनीतिक प्रणाली हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, विश्वविद्यालय, 2013, पृ. 25
2. जैन व शर्मा, लोक सेवीवर्गीय प्रशासन, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2011, पृ. 56
3. रामचन्द्रन, पद्मा, भारत में लोक प्रशासन, एनबीटी, इण्डिया, 2011, पृ. 62
4. जैन, आर.बी., भारतीय समाज अधिकारी तन्त्र और सुशासन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2007, पृ. 49
5. सिन्हा, मनोज, प्रशासन एवं लोक नीति, ओरियंट ब्लैकस्वौन, नई दिल्ली, 2010, पृ. 249
6. काबरा, कमल नयन, भूमण्डलीकरण, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2005, पृ. 214
7. सक्सेना, प्रदीप व तिवारी, पूनम, लोक सेवाओं में नैतिकता भारत के संदर्भ में एक विश्लेषण, लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, जनवरी-जून 2013, पृ. 52
8. सिंह, होशियार, भारतीय प्रशासन, पियर्सन, नई दिल्ली, 2011 पृ. 352

74वां संविधान संशोधन : नगरीय स्थानीय स्वशासन का वैधानिक एवं संस्थागत स्वरूप

डॉ. इराम खान

राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत के संविधान में 74वें संशोधन के माध्यम से अब देश में त्रिस्तरीय नगरीय निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। नगर निकायों से सम्बन्धित अधिनियम में इस आशय का प्रावधान व आवश्यक संशोधन करना जिससे सारे देश में नगर निकायों के गठन में एकरूपता स्थापित की जा सके। इस संशोधन के आधार पर स्थानीय प्रशासन के विषय को संविधान में राज्य सूची में पांचवी प्रविष्टि के रूप में सम्मिलित किया गया है। नगरीय स्थानीय शासन की रचना राज्य सरकार की इच्छा से होती है। यह इच्छा राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित विधि के रूप में व्यक्त होती है। स्थानीय प्रशासन के संचालन के लिए न केवल नगरीय इकाइयों का निर्माण किया जाता है नगरीय विकास से सम्बन्धित उनके दायित्वों, शक्तियों आर्थिक संसाधनों पर्यवेक्षण और नियंत्रण इत्यादि का प्रावधान भी उसमें किया जाता है। नगरीय विकास से सम्बन्धित अन्य अनेक आयामों जैसे आवास लोक स्वास्थ्य, पर्यवेक्षण, संचार के साधन, शिक्षा, बिजली पूर्ति, सड़क निर्माण इत्यादि का दायित्व राज्य सरकार के अन्य अनेक विभागों द्वारा ही वहन किया जाता है।

संकेताक्षर : *नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका, कार्मिक प्रशासन*

वर्तमान समय में नगरीय स्थानीय स्वशासन में मुख्यत: तीन प्रकार की संस्थाऐं कार्यरत है-नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका। स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई को नगर निगम के नाम से जाना जाता है। अन्य सभी नगरीय स्थानीय निकायों की तुलना में नगर निगम को सर्वाधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। बड़े महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। जो नगर जनसंख्या और आकार की दृष्टि से विशाल हो गए हैं और जिनमें अनेकानेक नगरीय समस्याऐं उत्पन्न हो गई हैं उन्हें महानगरों की श्रेणी में रखा जाता है। कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली और चेन्नई ऐसे बड़े महानगरों की श्रेणी में गिने जाते हैं इसी श्रेणी में इनके अलावा भी अनेक नगरों जैसे सूरत, बड़ौदा, पटना, अहमदाबाद, मदुरै, जबलपुर, इन्दौर, कोचीन, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, हावड़ा जयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए इनके स्थानीय शासन के लिए नगर निगमों की स्थापना की गई है।

सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल में 1687 मद्रास में स्थापना की गई इसके बाद मुम्बई में 1888 नगर निगम बनाया। सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में कोलकाता में नगर निगम स्थापित किया गया था। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, और बीकानेर नगर निगम थोड़े समय पहले स्थापित किये गये हैं।

नगर निगम स्थापित करने के आधार और संरचना

भारत में नगर निगम की स्थापना के कोई स्पष्ट मापदंड निर्धारित नहीं होकर थोड़ी-थोड़ी भिन्नता लिये हुए हैं। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय होने के कारण 74वें संविधान संशोधन में केवल मात्र यह उल्लेख किया गया है कि बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। लेकिन संविधान के तहत क्षेत्र को परिभाषित राज्य द्वारा किया जाता है और वहाँ पर नगर निगम की स्थापना करने का निर्णय भी राज्य द्वारा लिया जाता है। आज यदि भारत में देखा जाऐ तो नगर निगमों की जनंख्या और उनकी आय में बहुत बड़ा अन्तर देखने को मिलता है जैसे जयपुर नगर निगम में 77 पार्षद हैं और इसका बजट 1108 करोड़ का है जबकि मुम्बई नगर निगम में 220 से भी अधिक पार्षद हैं और इसका बजट 4000 करोड़ रूपए से भी अधिक है।

नगर निगमों में थोड़ी-थोड़ी भिन्नता अवश्य देखने में आती है। निगमों में सामान्यत: निम्न घटक पाये जाते हैं: परिषद, महापौर एवं उपमहापौर/मेयर तथा अपमेयर, निगम आयुक्त/नगर आयुक्त तथा, निगम की समितियाँ।

वार्ड समितियाँ

भारत में पहले वार्ड समितियों का प्रचलन नहीं था 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप जिस नगरीय स्थानीय निकाय जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक की है वहाँ पर एक या एक से अधिक वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा इसी लिए प्रत्येक नगर निगम में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान अनिवार्य पाया जाता है। वार्डो के निर्वाचित प्रतिनिधि वार्ड समिति के सदस्य अवश्य होते हैं वार्ड समिति की कालावधि निगम की परिषद की कालावधि के समान होगी।

नगर निगम के कार्य

नगर निगम अपने क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं को दूर करने से संबंधित अनेकानेक कार्यो को सम्पन्न करता है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के सभी नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए 18 विषयों सम्बन्धी कार्यसूची ''12वीं अनुसूची के द्वारा जोड़े गये हैं। इन्हें निष्पादित करने की अपेक्षा नगर निकायों से की गई है।''

नगर परिषद

नगरीय प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाईयों में एक और इकाई है जिसे नगर परिषद के नाम से जाना जाता है। इन नगर परिषदों की स्थापना बड़े नगरों एवं कस्बों में की जाती है। 74वें संविधान संशोधन और उसके अनुसरण में 1994 में संशोधित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में जिन तीन नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है उनमें नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड दो पृथक कोटि की संस्थाऐं अभिकल्पित की गई हैं। किन्तु नगरपरिषद एवं नगरपालिका बोर्ड की संगठनात्मक संरचना या उनके कार्यो में कोई आधारभूत अन्तर नहीं है। राजस्थान में नगरपरिषद नगरपालिका का ही प्रथम श्रेणी का प्रारूप है जिसका गठन 1 लाख से अधिक किन्तु 5 लाख से कम की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में कियाजाता है नगर परिषद में कार्यरत प्रशासक को आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जाना जाता है वहीं नगरपालिका बोर्ड में उसे अधिशासी अधिकारी के नाम से नियुक्त किया जाता है। 74वें संशोधन के अनुसरण में राजस्थान राज्य ने वृहतर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम व लघुतर नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषद का गठन करना स्वीकार किया है। किन्तु संक्रमण कालीन क्षेत्रों में '''नगर पंचायत की अपेक्षा'' नगर पालिका बोर्ड का गठन किया।

नगर परिषद/नगरपालिका बोर्डो की रचना

नगर परिषद/नगरपालिका बोर्डो में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं-

1. परिषद (निर्वाचित निकाय)
2. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी और
4. समितियाँ

इन घटकों का यहां एक-एक करके सविस्तार वर्णन किया जा रहा है-

नगरीय स्थानीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई नगर परिषद् है। बड़े नगरों या कस्बों में इनकी स्थापना की जाती है। राज्य सरकार द्वारा नगर या कस्बे के आकार, जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व, नगरीकरण की स्थिति को मध्य नज़र रखकर नगर परिषद की स्थापना की जाती है। नगर परिषद की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जानी चाहिये। इसके लिए भारत में कोई एक जैसा मापदण्ड नहीं अपनाया गया है। राजस्थान राज्य में जिला मुख्यालय पर जहाँ जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के मध्य है और प्रति व्यक्ति आय 200 रूपए या अधिक है वहाँ पर नगर परिषद की स्थापना कर दी जाती है।

नगर परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली से परिषद का निर्वाचन किया जाता है। सन् 2009 से नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन सीधा जनता द्वारा किया जाने लगा है। उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य स्वयं में से किसी एक का निर्वाचन करते हैं इस प्रकार उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अध्यक्ष 'परिषद' की बैठकें आमंत्रित करता है। और बैठकों की अध्यक्षता करता है। अधिकारियों और कर्मचारियों पर सामान्य नियन्त्रण रखता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी 'आयुक्त' कहलाता है।

राजस्थान राज्य में नगरीय स्वायत शासन संस्थाओं के वर्तमान में प्रचलित वर्गीकरण को तालिका 1 में दर्शाया गया है-

तालिका 1 : राजस्थान राज्य में नगरीय स्थानीय संस्थाओं का वर्गीकरण

क्र.सं.	श्रेणी	नाम	संख्या	वर्गीकरण का आधार
1.	I	नगर निगम	5	(क) 5 लाख से अधिक जनसंख्या।
		नगर परिषद	13	(ख) 1 लाख से अधिक जनसंख्या परन्तु 5 लाख से कम और प्रति व्यक्ति आय 200 रूपये।
2.	II	नगरपालिका मण्डल	35	(क) जिला मुख्यालय पर स्थित।
				(ख) 50 हजार से अधिक जनंसख्या परन्तु 1 लाख से कम।

क्र.सं.	श्रेणी	नाम	संख्या	वर्गीकरण का आधार
3.	III	नगरपालिका मण्डल	58	(क) जनसंख्या 25 हजार से अधिक परन्तु 50 हजार से कम।
				(ख) जनसंख्या 25 हजार से कम परन्तु प्रति व्यक्ति आय 150 रूपये।
4.	IV	नगरपालिका मण्डल	73	(क) जनसंख्या 25 हजार से कम परन्तु उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हो।
योग			184	

नगरपालिका

(1) **संरचना:-** उत्तरवर्ती उपधाराओं में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किन्तु इस उपधारा के आगामी उपबंधों में यथा-उपबंधित के सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी वार्डो के नाम से जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेंगे ऐसे स्थानों की संख्या 13 से कम नहीं होगी। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायेगी।

(क) नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा।

(i) किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें किसी नगरपालिका का क्षेत्र अंशत: या पूर्णत: समाविष्ट हो प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधानसभा का सदस्य हो।

(ii) नगरपालिका प्रशासन की विशेष जानकारी या अनुभव रखने वाले तीन या नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत के बराबर जो भी कम हो ऐसे व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायें। परन्तु

   (a) राज्य सरकार को किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य को किसी भी समय हटाने की शक्ति होगी।

   (b) नाम निर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(ख) किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नगर परिषद या यथास्थिति, नगर निगम का क्षेत्र पूर्णत: प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य का ऐसी नगर परिषद या नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा।

खण्ड (क) के उपखण्ड (प) में निर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

खण्ड (ख) के उपखण्ड (प) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों, के अधीन किसी भी निरर्हता या अन्य कार्यवाही के अधीन नहीं होंगे।

(2) नगरपालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर राज्य सरकार राज पत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या नगरपालिका क्षेत्र की नवीनतम जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर पुन: अवधारित करेंगी।

(3) नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उसकी कुल जनसंख्या के साथ है।

परन्तु यह और कि जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं है। वहाँ प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(4) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों या यथास्थिति वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(5) नगरपालिका के लिए नियत किये गये सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र के वार्डो में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जायेंगे।

नगरपालिका की संरचना

किसी नगर पालिका के सभी स्थान वार्डो के नाम से जाने, जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेंगे। ऐसे स्थानों की संख्या जो कि 13 से कम नहीं होगी समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायेगी। जिसके आधार पर निर्धारण किया जायेगा।

समितियों का गठन

भू उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का विचारण व उन पर निर्णय अग्र समितियों द्वारा किया जावेगा-

(क)	**नगरपालिका/नगर परिषद स्तरीय समिति-**	
	1. अध्यक्ष/सभापति	अध्यक्ष
	2. नगरपालिका/परिषद में पद स्थापित	
	विधि अधिकारी/पैराकार/विधि सहायक/ विधि सलाहकार (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य
	3. नगर नियोजन विभाग का जिला क्षेत्रीय कार्यालय का वरिष्ठ/उपसहायक नगर नियोजक	सदस्य
	4. जहाँ नगर विकास न्यास स्थित हैं, न्यास अध्यक्ष/सचिव	सदस्य
	5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य सचिव
(ख)	**नगर निगम स्तरीय समिति**	
	1. महापौर	अध्यक्ष
	2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त	सदस्य
	3. नगर निगम में पदस्थापित निदेशक विधि/वरिष्ठतम विधि अधिकारी/मुख्य विधि सहायक/विधि सहायक/पैरोकार/विधि सलाहकार	सदस्य
	4. न्यास अध्यक्ष, जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण के सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
	5. नगर निगम में पदस्थापित वरिष्ठतम/ नगर नियोजन के अधिकारी/आयुक्त आयोजना	सदस्य सचिव
(ग)	**नगर विकास न्यास स्तरीय समिति**	
	1. न्यास अध्यक्ष	अध्यक्ष
	2. न्यास सचिव	सदस्य
	3. नगरपालिका अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी से कम स्तर का न हो	सदस्य
	4. न्यास में पदस्थापित राजस्थान विधि सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी/विधि सलाहकार	सदस्य
	5. न्यास में पदस्थापित वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक	सदस्य सचिव
(घ)	**जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तरीय समिति-प्राधिकरण की कार्यकारी समिति इन नियमों के प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन के प्रकरण निस्तारित करने के लिए प्राधिकरण स्तरीय समिति होगी**	
(ड़)	**राज्य स्तरीय समिति-**	
	1. प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग	अध्यक्ष
	2. सचिव स्वायत शासन विभाग	सदस्य
	3. निर्देशक, स्थानी निकाय विभाग	सदस्य
	4. संबंधित निकाय (नगरपालिका/नगरपरिषद/ नगर निगम/ नगर विकास न्यास/ जयपुर विकास प्राधिकरण / जोधपुर विकास प्राधिकरण) का मुख्य नगर पालिका अधिकारी या सचिव	सदस्य
	5. समय समय पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय की क्रियान्विति हेतु सम्बन्धित नगरीय निकाय को भेजे जाने से पूर्व उस पर प्रभारी मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् निर्णय हेतु सम्बन्धित नगरीय निकाय को भेजें जायेंगे।

1. नगर निगम की स्थापना राज्य द्वारा पारित विशेष संविधि के अन्तर्गत की जाती है इस प्रकार का विधान किसी एक विशेष निगम के लिए अथवा राज्य के सभी निगमों के लिए पारित किया जा सकता है, बम्बई, मद्रास एवं कलकता के निगमों की स्थापना एक विशेष विधान के अन्तर्गत की गयी थी जबकि उत्तरप्रदेश के नगर निगमों की रचना उत्तर प्रदेश महापालिका अधिनियम 1959 के तथा मध्य प्रदेश के निगमों का निर्माण मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार किया गया है। राजस्थान में नगरपालिका अधिनियम, 2009 लागू है।

2. आज नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि निगमों को राज्य सरकार से सीधा सम्पर्क रखने का अधिकार है। जबकि नगर पालिकाओं को जिलाधीश और मण्डलायुक्त का दामन पकड़ना पड़ता है।

3. स्थानीय शासन की निगम पद्धति उन्हीं नगरों में स्थापित की जाय जिनकी जनसंख्या 5 लाख से और वार्षिक आय एक करोड़ रूपये से कम न हो। जनसंख्या एवं राजस्व पर आधारित अर्हता की ये कसौटियाँ अपेक्षाकृत अधिक कठोर है अत: इन्हें नगरपालिका को निगम में परिवर्तित करने की एकमात्र कसौटी नहीं बनाया जा सकता।

नगरीय स्थानीय शासन का संस्थात्मक स्वरूप

भारत में नगरीय स्थानीय शासन की राज्य स्तरीय नीतियों को निर्धारित करने के लिए राज्य में एक स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग होता है कई राज्यों में इसे नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के नाम से भी जाना जाता है। यह विभाग एक केबिनेट स्तरीय मंत्री के अधिनस्थ कार्य करता है। केबिनेट मंत्री की सहायता हेतु राज्य मंत्री को नियुक्त किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के शीर्ष पर एक लोक सेवक ''सचिव'' के रूप में नियुक्त किया जाता है। सचिव की सहायता के लिए उपसचिव व उपसचिव की सहायता के लिए अवर सचिव नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार सचिवालय स्तरीय संरचना राज्य में नगरीय विकास और शासन की नीतियों का निर्धारण का कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती है। सचिवालय में स्थित इस स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य की समस्त नगरीय संस्थाओं के कार्यकलापों के लिए अपने मत्री के माध्यम से विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह भी किया जाता है।

राज्य में नगरीय विकास व नगरीय संसथाओं पर प्रशासकीय नियन्त्रण रखने वाला एक राज्य स्तरीय अभिकरण निदेशालय होता है। इस निदेशालय का मुख्य उद्धेश्य यह निश्चित करना होता है कि नगरीय शासन के लिए सचिवालय स्तर पर जिन नीतियों का निर्धारण किया गया है। उनका राज्य की नगरीय संस्थाओं द्वारा सही प्रकार से क्रियान्वित हो रही है या नहीं। इस प्रकार निदेशालय राज्य के नगरीय निकायों पर नियन्त्रण व पर्यवेक्षण की नीति निर्धारण करने वाला प्रशासनिक संगठन है। भारत भर में जिन राज्यों में स्थानीय स्वायत शासन के निदेशालय की स्थापना हुई है उनमें केवल राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है। जिसमें निदेशालय की स्थापना 1951 में कर दी गयी थी तथा इसी क्षेत्र में दूसरा राज्य आन्ध्रप्रदेश था जहाँ कि इस निदेशालय की स्थापना 1961 में की गई थी।[2] पंजाब स्थानीय शासन जाँच समिति 1957 ने स्थानीय शासन के निदेशालय की स्थापना के समर्थन में कुछ तर्क दिए गए हैं जो निम्न हैं-[3]

1. अभिकरण निदेशालय की स्थापना नगरपालिका विधि तथा अन्य संवैधानिक नियमों, आदेशों की परिपालना को सुनिश्चित करने के लिए करनी चाहिए।

2. सभी विषयों के लिए आदर्श उपविधियों का विकास करना तथा स्थानीय निकायों को मानक योजना प्रदान करना।

3. स्थानीय निकायों द्वारा विकास को जो परियोजनाऐं तथा निर्माण कार्यो पर पर्यवेक्षण और उस प्रक्रिया में जो कठिनाई आयें उन्हें दूर करने के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना की जानी जरूरी है।

स्थानीय निकायों के लिए निदेशालय की स्थापना की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि निदेशालय उन परियोजनाओं के कार्यान्वियन को सुनिश्चित कर सके जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित की जाती है या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित होती है। राज्यों में कार्यरत नगरीय स्थानीय संस्थाओं के सुव्यवस्थित कार्यकरण को गति प्रदान करने की दृष्टि से उन पर श्रेष्ठतर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए स्थानीय शासन निदेशालय की स्थापना की जानी चाहिये।

नगरीय प्रशासन की संरचना

नगरीय प्रशासन में कुछ ऐसी संस्थाऐं भी कार्य कर रही हैं जिनका 74वें संविधान संशोधन में किसी अनायास कमी के कारण नहीं हो सका हैं। एकल उद्देश्यीय अभीकरण ऐसी संस्थाएं है जो विभिन्न महानगरों/वृहतर नगरों में एक नगरीय संस्था नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका बोर्ड के होते हुए भी उस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए गठित किए जाते हैं। इसी तरह सैनिक क्षेत्रों के आसपास के स्थानीय प्रशासन को संचालित करने के लिए छावनी बोर्ड गठित किए जाते है।

छावनी मण्डल के कार्य भी नगरपालिका जैसे ही होते हैं किन्तु उसे कुछ अधिक शक्तियां प्रदान की जाती है। छावनी बोर्ड अनिवार्य और ऐच्छिक सभी प्रकार के कार्यो का निष्पादन करता हैं।

कार्मिक प्रशासन:- प्रशासनिक संगठन स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता है। किसी प्रशासकीय संगठन के संचालन में जिन महत्वपूर्ण उपकरणों और घटकों की आवश्यकता होती है कार्मिक वर्ग उनमें सबसे आवश्यक साधन होता है। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का कल्याण सरकार की कुशलता पर निर्भर करता है और यह कार्यकुशलता उसके कार्मिक वर्ग पर निर्भर करती है यदि कार्मिकों को निकाल दिया जाए तो वह अमूर्त चीज मात्र बनकर रह जाएगा।

स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं में भी कार्मिक प्रशासन का वही महत्व है जो महत्व उसे राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय प्रशासन में प्राप्त हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इनमें कार्यरत कार्मिक वर्ग कार्य सम्पादन में कितना निपुण है। सम्पूर्ण संसार की स्थानीय संस्थाओं में श्रेष्ठ कार्मिक प्रशासन का प्राय: अभाव पाया जाता है।

नगरीय स्थानीय संस्थाओं में कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी समस्यायें- भारत में राज्य सरकारों ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन की और समुचित गम्भीरता नहीं दिखायी है। इसकी प्रमुख कमियाँ निम्न प्रकार हैं-

1. वर्गीकरण की व्यवस्था अस्पष्ट एवं जटिल
2. भर्ती का स्तर संकुचित एवं पक्षपात पूर्ण
3. प्रशिक्षण सम्बन्धी कमियाँ
4. अनुशासन सम्बन्धी कमी
5. कर्मचारियों के मनोबल का स्तर निम्न
6. कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित
7. नीति निर्धारण में भूमिका का अभाव
8. प्रोत्साहन की कमी

नगरीय स्थानीय संस्थाओं में कार्मिक प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव

1. भर्ती सम्बन्धी सुझाव
2. प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार
3. पदोन्नति में सुधार किया जाए
4. कर्मचारियों पर नियंत्रण व्यवस्था पूर्णत: प्रभावी हो
5. उत्तरदायित्व का सुस्पष्ट निर्धारण हो
6. प्रशासन में पूर्ण राजनैतिक तटस्थता की जरूरत
7. कार्मिक वर्ग कर्त्तव्यनिष्ठ हो

सन्दर्भ सूची

1. भारत का संविधान, 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992, अनुच्छेद 243 क्यू(1), अनुच्छेद 243 क्यू(2)
2. राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994, धारा 9
3. उपर्युक्त में संशोधन 2000 द्वारा अन्त:स्थापित।
4. शर्मा, अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन आर.बी. एस.ए.पब्लिशर्स, 340, चौड़ा रास्ता, जयपुर
5. निगम, एस.आर., लोकल गवर्नमेन्ट, एस. चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1987, पृ. 193-94
6. बाबेल, बसन्ती लाल व बाफना, राजस्थान नगरपालिका कोड अधिसूचना, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, 25 सितम्बर 1993, पृ. 588
7. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009
8. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन स्वायत शासन विभाग, जयपुर
11. माहेश्वरी, श्री राम, भारत में स्थानीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 1984, पृ. 295
12. स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर के 1982-83 के प्रगति प्रतिवेदन में पृ. 1 पर दी गई सूचना पर आधारित

महिलाओं के प्रति हिंसा- राजस्थान में महिलाओं के मौलिक अधिकारों की स्थिति का अध्ययन

डॉ. अल्पना पारीक

रिसर्च अवार्डी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

समग्र विश्व में आज एक नया संघर्ष स्त्रियों को पुरुषवादी नियंत्रण तथा उसके विरोध में अधिकारों की मांग का एक दौर चल रहा है। यह दौर विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में अधिक है। ऐसे स्थानों पर पुरूषवादी नियंत्रणों के साथ-साथ महिलाओं के विरूद्ध शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहें है। विकासशील समाजो में महिलाओं के प्रति अधिकारों की पूर्ण समानता की व्यवस्था तो अभी भी दूर की बात है बल्कि उनके प्रति हिंसा के मामले भी लगातार सामने आते है। राजस्थान राज्य का समाज भी अभी अपनी सांमती स्वरूप को विलुप्त नही कर पा रहा है। लिंग आधारित भेदभाव का महिलाओं के प्रति व्यवहार एक सामान्य परिधटना है।

संकेताक्षर : *लैंगिक भेद, अधिकार, समानता, शोषण, सांमती समाज, हिंसा, संयुक्त राष्ट्र संघ, पुरूषवादी, लिंगानुपात*

आज सम्पूर्ण विश्व बदलाव तेजी से बदल रहा है किन्तु भारत में महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण में कोई बदलाव नही हुआ है। भारत जैसे विकासशील समाजों में आधुनिकता के सभी प्रतिमान स्थापित हो रहे है अथवा स्थापित हो चुके क्षेत्रों में भी व्यक्तियों (पुरूषों) के आदिम व्यवहार और चलन के प्रतीक ही अधिक दिखाई देते है। हाल ही में पूरे भारत में नयी साल के स्वागत उत्सव के माहौल में, नूतन वर्ष की रोशनी के उम्मीद में सबसे आधुनिक शहर के प्रतीक बैंगलुरू में 31 दिसम्बर की रात को या पहली जनवरी की स्याह सुबह के इंतजार में स्वतंत्र, स्वायत्त महिला के अस्तित्व को सबसे बड़ी चुनौती मिली।[1] नये वर्ष के स्वागत कर घर लौट रही कई महिलाओं को बीच सड़क पर पुरूषों के द्वारा शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। महिलाओं का स्वतंत्र और स्वायत्त पहचान पुरूषवादी कुत्सित मानसिकता के आगे कुचल दी गयी। इस भयानक शारीरिक प्रताड़ना के दृश्य सम्पूर्ण व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। मीडिया में प्रकट रिपोर्टस के अनुसार इस घटना और इसके बाद कई विमर्शो में घटना का कारण उन महिलाओं को, उनके वस्त्रों को और आधी रात बाद घर से अकेले निकलने को बताने का कई लोगो द्वारा प्रयास किया गया। भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों की संख्या राष्ट्रीय अपराध ब्यूरों की वर्ष 2015 की रिपार्ट के अनुसार कुल 3,27,394 मामले दर्ज हुये थे, जिसमें से राजस्थान में 28,165 अर्थात् कुल मामलों के लगभग 9 प्रतिशत मामले दर्ज हुये है।[2] यह संख्या उन राज्यों से अधिक है जहाॅ साक्षरता का प्रतिशत अधिक है, जैसे गोवा, केरल, तमिलनाडु आदि राज्य। महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन की संयुक्त राष्ट्र संघ उद्घोषणा के अनुसार ऐसे कृत्य जो कि लिंग विभेद के आधार पर महिलाओं के प्रति शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित करते है या ऐसा खतरा उपस्थित करते हो, महिलाओं की स्वतंत्रता, सार्वजनिक और निजी जीवन को बाधित करने का प्रयास करता हो तथा महिलाओं के प्रति असमान व्यवहार द्वारा उनके जीवन को बाधित करता हो, को महिलाओं के प्रति हिंसा के अन्तर्गत माना है। ऐसे कृत्य पुरूषों अथवा स्वयं महिलाओं के द्वारा भी किये जाते रहे है।

भारत या दुनियाॅ के किसी भी देश में महिलाओं के प्रति हिंसा के कृत्यों को अग्रानुसार समझा जा सकता है-

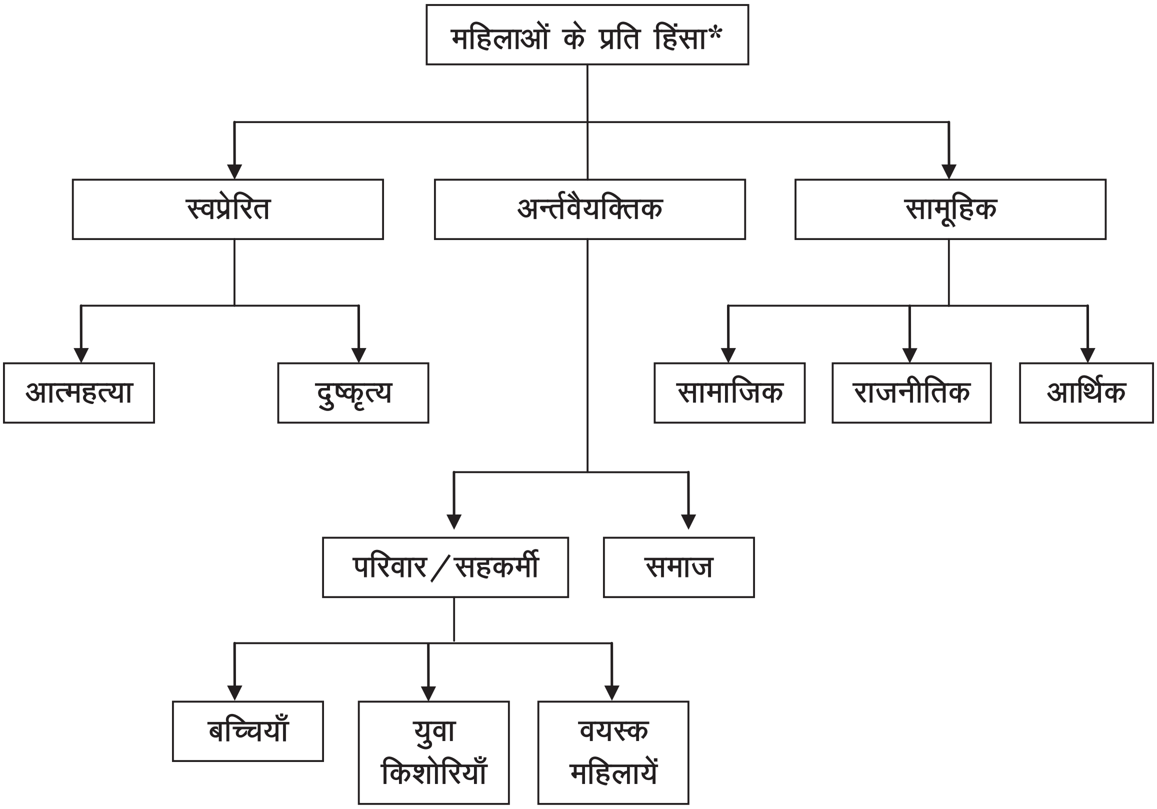

***विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा के प्रकारों की व्याख्या, 2002**

राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा लगातार महिलाओं की अधिकारिता और सशक्तीकरण के प्रयास किये जा रहे है किन्तु फिर भी आजादी के 60 वर्ष तक भी यहाँ महिलाओं के प्रति डायन बता कर उसके जीवन को बर्बरतापूर्वक समाप्त करने की कुरूति का अंत वर्ष 2014 में हो सका है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिये 29 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है किन्तु अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में महिलाओं के प्रति विभेद का सांमती परिदृश्य अभी भी विद्यामान है। राजस्थान मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार राजस्थान महिलाओं के सशक्तीकरण के मामले में बहुत पीछे है। वर्ष 2008 तक शिक्षा के मामले में साक्षरता में लैंगिक विभद का अन्तर 30 प्रतिशत से अधिक रहा है। इसी प्रकार लिंग अनुपात का अन्तर भी देश में सर्वाधिक राजस्थान में ही पाया जाता है। महिलाओं के परम्परागत प्रसव और कुरूतियों के चलते प्रसवित बच्चों की मृत्यु का प्रतिशत का अनुपात 65 प्रतिशत है।[3] इस भयावह स्थिति का मूल कारण है कि राजस्थान के परम्परागत समाज का माइण्डसेट अभी भी सांमती है।

राजस्थान में महिलाओं को सशक्तीकरण करने के लिये शासन की ओर से पहली बार सभी विभागों और गतिविधियों को महिला केन्द्रित बनाने के लिये वर्ष 1996 में स्टेट पॉलिसी फार वूमेन लागू की गयी थी। इस नीति में कतिपय कमियों के चलते नयी सदी की चुनौतियों के सन्दर्भ में वर्ष 2014 में पुन: नवीन महिला नीति का निर्माण किया गया था किन्तु लालफीताशाही और सांमती सोच के चलते आज तक उक्त नीति जो महिलाओं के मामले में अधिक प्रगतिशील है को लागू नहीं किया जा सका है।

विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों से यह विदित होता है कि राजस्थान में महिला और बालिकाओं के जीवन स्तर से सम्बन्धित अधिकांश सूचको (यथा शिक्षा, रोजगार लिंगानुपात, जन्म दर, विवाह आयु, स्वास्थ और पोषण) में सुधार तो हुआ है, परन्तु यह पर्याप्त नही है। यह राष्ट्रीय स्तर से अभी कम है एवं पुरूष से सम्बन्धित सूचकों के मुकाबले कम अनुकूल है। उदाहरणार्थ लिंग आधारित आकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर बालिकाओं में 53 प्रति 1000 जीवित जन्म है। जबकि बालको में यह 50 प्रति

1000 जीवित जन्म है इससे ज्ञात होता है कि बालिकाओं की शिशु मृत्यु दर अधिक है।[4]

जयपुर शहर जो कि राजस्थान की राजधानी है के अध्ययन से यह आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट हुआ है कि शहरी इलाकों में जेण्डर अन्तराल ज्यादा है। शहरों में शिशु मृत्यु दर बालिकाओं में 35 प्रति 1000 जीवित जन्म है। जबकि बालकों में यह 29 प्रति 1000 जीवित जन्म ही है। यह भी चिंता का विषय है कि यद्यपि सामान्य लिंगानुपात जो 2001 में 921 महिलायें प्रति 1000 पुरूष था वह बेहतर होकर 2011 में 926 हो गया, तथापि बाल लिंगानुपात में इसी दशक में 26 बिन्दुओ की तीव्र गिरावट 909 से 883 बालिकायें प्रति 1000 बालक दर्ज की गयी है। यह भारत की जनसंख्या के सामान्य व बाल लिंगानुपात के 2011 के राष्ट्रीय औसत क्रमशः 964 और 914 से खराब है।[5]

लैंगिक पक्षपात बालिकाओं के महत्व व उसकी गरिमा को कम करता है और गर्भ में आने से लेकर उसके जीवन के हर स्तर पर उसकी स्थिति, सुरक्षा एवं संरक्षण को चुनौती देता है। यहाँ के सामाजिक मानदण्ड उसका अस्तित्व निर्धारित करते है और जीवन के प्रत्येक स्तर पर उसके अधिकारों को सीमित करते है यथा निर्णय लेने में उसकी भूमिका हो या भविष्य की संभावनाये। आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति ने भी लोगो की सोच नहीं बदली, अपितु महिला को और अधिक हाशिये पर रखा है, उसे अधिकारों से वंचित किया है और भेदभाव को बढ़ाया है। भारत के महानगरों में आये दिन होने वाले महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले इसका प्रथम परिचायक है।

राजस्थान इस मामले में अलग महत्व रखता है क्योंकि यहाँ लम्बे समय तक समाज का सांमती ढांचा रहा है। इसका सर्वाधिक खराब प्रभाव महिलाओं के अधिकारों की स्थिति पर पड़ा है। राजस्थान में राजस्थान राज्य बालिका नीति वर्ष 2013 में लागु की गयी थी इसी प्रकार इससे पूर्व 1996 में राज्य महिला नीति भी लागू की गयी थी।[6] राजस्थान में एक सशक्त राज्य महिला आयोग भी कार्यरत है किन्तु फिर भी महिला अधिकारिता के प्रश्न संघर्ष कर रहें है। महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले कम नही हो रहे हैं। यहां आज तक भी उनके प्रति कई कुरूतियों यथा बालिका पराया धन है, विवाह में दहेज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, सती प्रथा आदि समाज से सम्पूर्ण रूप में उन्मूलित नही हो सकी है।

सन्दर्भ सूची

1. 1 जनवरी, 2017 राजस्थान पत्रिका, जयपुर
2. वार्षिक प्रतिवेदन, 2016 राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली
3. राजस्थान मानव विकास रिपोर्ट, 2013 ऑक्सफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रेस, नई दिल्ली
4. जनगणना संख्यिकीय रिपार्ट, राजस्थान, 2011, जनगणना निदेशालय, नई दिल्ली
5. उपर्युक्त
6. सुजस,अंक 2 मई, 2013, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर